

# THE FREE INDOLOGICAL COLLECTION

[WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC](http://WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC)

---

## FAIR USE DECLARATION

This book is sourced from another online repository and provided to you at this site under the TFIC collection. It is provided under commonly held Fair Use guidelines for individual educational or research use. We believe that the book is in the public domain and public dissemination was the intent of the original repository. We applaud and support their work wholeheartedly and only provide this version of this book at this site to make it available to even more readers. We believe that cataloging plays a big part in finding valuable books and try to facilitate that, through our TFIC group efforts. In some cases, the original sources are no longer online or are very hard to access, or marked up in or provided in Indian languages, rather than the more widely used English language. TFIC tries to address these needs too. Our intent is to aid all these repositories and digitization projects and is in no way to undercut them. For more information about our mission and our fair use guidelines, please visit our website.

Note that we provide this book and others because, to the best of our knowledge, they are in the public domain, in our jurisdiction. However, before downloading and using it, you must verify that it is legal for you, in your jurisdiction, to access and use this copy of the book. Please do not download this book in error. We may not be held responsible for any copyright or other legal violations. Placing this notice in the front of every book, serves to both alert you, and to relieve us of any responsibility.

**If you are the intellectual property owner of this or any other book in our collection, please email us, if you have any objections to how we present or provide this book here, or to our providing this book at all. We shall work with you immediately.**


**-The TFIC Team.**



वरैया ग्रन्थमाला का प्रथम पुष्प

जैनतत्त्वमीमांसा की सीमांसा


भाग १



लेखक :

बंशीधर व्याकरणाचार्य

बोना



प्रकाशक •

वरैया ग्रन्थमाला

प्रकाशन विभाग

दिगम्बर जैन सस्कृति सेवक समाज

★

सम्पादक •

वशीधर व्याकरणाचार्य

★

प्रथम सस्करण

नवम्बर, १९७२

★

मूल्य चारु रुपये

★

•

मुद्रक •

हर्ष गुप्त

राष्ट्रीय प्रेस, मथुरा ।



## प्राक्कथन

अ० भा० दि० जैन विद्वत्परिषद् के जबलपुर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के आधार पर प० पूलचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री वाराणसी ने जो “जैनतत्त्वमीमांसा” पुस्तक लिखी थी और जिसका वाचन बीना (सागर) में हुई विद्वद्गोष्ठी में हुआ था उसके सम्बन्ध में उसी अवसर पर विद्वत्परिषद् की कार्यकारिणी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया था ।

“भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद् के जबलपुर अधिवेशन के प्रस्ताव सख्या २ से प्रेरणा पाकर म नवीय प० पूलचन्द्र जी शास्त्री वाराणसी ने निमित्त-उपादान आदि विषयों पर शोधपूर्ण पुस्तक लिखी है । शास्त्री जी की इच्छा थी कि इस पुस्तक पर भारतवर्षीय दि० जैन विद्वत्परिषद् के द्वारा आयोजित विद्वद्गोष्ठी में विचार विनमय हो । तदनुसार दि० जैन समाज बीना (सागर) ने श्रुत पञ्चमी से ज्येष्ठ शुक्ला १२ (३० मई से ६ जून) तक अपने यहाँ विद्वद्गोष्ठी का आयोजन किया । दि० जैन समाज के वर्तमान इतिहास में यह पहला अवसर था जब इतने समय तक ५ घण्टे प्रतिदिन सब विचारों के विद्वानों ने मतभेद होने पर भी महत्वपूर्ण विषयों पर गम्भीरता, तत्परता तथा सौहार्द पूर्वक विवेचन दिये और उस अवसर पर अनेक सुझावों का आदान-प्रदान किया गया । यह कार्यकारिणी शास्त्री जी द्वारा पुस्तक लेखन में किये गये अथक परिश्रम की सराहना करती है ।”

यह प्रस्ताव स्पष्ट बतला रहा है कि प० फूलचन्द्रजी की उक्त पुस्तक पर विद्वानों में सैद्धान्तिक मतभेद था। इसी मतभेद के कारण मैंने तभी यह निर्णय किया था कि जैन सिद्धांत के सरक्षणार्थ मैं उक्त पुस्तक की मीमांसा करने का प्रयत्न करूँगा। तदनुसार उस पुस्तक के प्रकाश में आने पर मैंने "जैनतत्त्वमीमांसा की मीमांसा" नाम से उस पुस्तक की समालोचना के रूप में एक लेखमाला प्रारम्भ की थी जो २३ फरवरी १९६१ से जैनगजट पत्र में प्रकाशित होती रही। इस लेखमाला के लिखने में मेरा क्रम यह था कि जो मैं लिखता था वह जैनगजट में प्रकाशनार्थ भेज देता था और तब आगे का लिखना प्रारम्भ करता था। यह क्रम करीब १३-२ वर्ष तक चला, लेकिन पश्चात् जैनगजट की उपेक्षावृत्ति के कारण मुझे आगे लिखना बन्द कर देना पड़ा जो अभी तक बन्द है।

प० फूलचन्द्र जी द्वारा "जैनतत्त्वमीमांसा" लिखी जाने के पूर्व से ही जैन मान्यताओं के सम्बन्ध में कानजी स्वामी के साथ विद्वानों का तीव्र मतभेद था जिसे समय-समय पर विद्वत्परिषद् ने प्रगट किया और इसी विरोध के कारण विद्वत्परिषद् ने दूसरी में कानजी स्वामी से सैद्धान्तिक चर्चा करने की योजना बनाने के लिये पूज्यपाद प० गणेश प्रसाद जी वर्णी के तत्त्वावधान से विद्वत्सम्मेलन बुलाया था, लेकिन इसके पश्चात् जब प० फूलचन्द्र जी की 'जैनतत्त्वमीमांसा' पुस्तक प्रकाश में आयी तो सम्मेलन द्वारा किया गया निर्णय कार्यकारी नहीं हो सका तथा प० फूलचन्द्र जी के साथ चर्चा करने की बात तीव्रता के साथ सामने आई, लेकिन वह भी शिथिल पड़ गयी।

मैं तो किसी के साथ भी चर्चा का अत्यन्त विरोधी था क्योंकि मैं जानता था कि विद्वानों की कषाय पूर्ण भावना चर्चा को सफल नहीं होने देगी। यही कारण था कि करीब सन् १९६१ के मध्य जैन सघ मथुरा की कार्यकारिणी की जो बैठक होटल शाकाहार दिल्ली में हुई और जिसमें पं० राजेन्द्र कुमार जी मथुरा, पं० फूलचन्द्र जी वाराणसी और मैं भी सम्मिलित हुए थे, उस बैठक के अवसर पर जब पं० राजेन्द्र कुमार जी और पं० फूलचन्द्र के मध्य चर्चा की बात चली तो मैंने दृढता के साथ उसका विरोध किया था।

यद्यपि उस समय मेरी लेखमाला की शुरुआत ही थी, लेकिन जब उस लेखमाला का जैन गजट में प्रकाशन बन्द हो गया और पं० फूलचन्द्र जी ने पुनः चर्चा करने का मुझसे अनुरोध किया और विश्वास दिलाया कि उनकी ओर से चर्चा वीतराग भाव से तत्त्व फलित करने की दृष्टि से ही होगी तो मैं तैयार हो गया तथा जब मेरे व पं० फूलचन्द्र जी के हस्ताक्षरों से एक वक्तव्य चर्चा करने के उद्देश्य से समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तो उसे लक्ष्य में रखकर श्री १०८ आचार्य शिव सागर के तत्त्वावधान में जयपुर (खानिया) में तत्त्व चर्चा का आयोजन ब्र० सेठ हीरालाल जी पाटनी निवाई वालों के आर्थिक सहयोग से ब्र० लाडमल जी जयपुर वालों ने किया और अक्टूबर सन् १९६३ में वह चर्चा जयपुर (खानिया) में की गई। दुःख की बात यह रही कि जैसी मेरी आशकां थी, चर्चा प्रारम्भ होने से पूर्व सोनगढ ने चालवाजी से काम लिया और पं० फूलचन्द्र जी उस बहाव में बहकर चर्चा के मूल आधार से पीछे हट गये जो उन्होंने स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत किया था, तब जिस रूप में वह चर्चा हुई वह समाज के सामने है।

यद्यपि इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता है, परन्तु यदि कभी जयपुर (खानिया) तत्त्व चर्चा की समीक्षा लिखी गई और उसके प्रकाशन की व्यवस्था हुई तो उसके सम्बन्ध में प्रकाश अवश्य डाला जायगा। यह अवसर उसके सम्बन्ध में प्रकाश डालने का नहीं है। यहाँ पर तो तत्त्व चर्चा के सम्बन्ध में जो उल्लेख किया है वह इस प्रसंग में किया है कि तत्त्व चर्चा में भाग लेने के लिये प० राजेन्द्र कुमार जी और मैं भी पहुँचे थे और वहाँ पर हम लोगो ने ऐसा विचार विनमय किया था कि सोनगढ से जैन सस्कृति का संरक्षण करने के लिये एक सुदृढ संगठन बनाया जाव। आगे चलकर प० राजेन्द्र कुमार जी ने जो "सस्कृति सेवक समाज" की स्थापना की उसका आधार हम दोनों का वह विचार-विनमय ही था।

प० राजेन्द्र कुमार जी की तीव्र अभिलाषा थी कि 'जैन-तत्त्वमीमासा की मीमासा' पुस्तक रूप में जैन सस्कृति सेवक समाज की ओर से प्रकाशित हो, परन्तु आर्थिक कठिनाइयो के कारण यह कार्य अभी तक सम्पन्न नहीं हो सका।

वास्तव में यह बात तथ्य पूर्ण है कि दि० जैन समाज में सोनगढ से जो विचारधारा प्रवाहित हुई है उसके प्रति एक ओर तो बहुत सा विद्वद्बर्ग और धनिक वर्ग झुक गया है और दूसरी ओर जिनका लगाव उसके प्रति नहीं है वे विद्वान और धनिक भी उदासीन बने हुए हैं, यही कारण है कि न तो विद्वान सोनगढ विचार के विरुद्ध ठोस साहित्य तैयार कर रहे हैं, और न धनिक भी आवश्यक साहित्य के प्रकाशन की ओर ध्यान दे रहे हैं जबकि सोनगढ का लक्ष्य अपनी ओर से साहित्य

का प्रकाशन करके समस्त जैन समाज में भर देना चाहता है ! जैन समाज की तो यहाँ तक दशा हो रही है कि जो व्यक्ति सोनगढ विचारधारा के विरोधी भी हैं तो वे भी सस्ता होने की वजह से सोनगढ से प्रकाशित साहित्य ही खरीदना चाहते हैं और खरीद करते हैं जिसका प्रभाव मनोवैज्ञानिक ढंग से समाज पर बहुत ही बुरा पड़ रहा है ।

माना कि कानजी स्वामी के चरणों में समाज की ओर से हजारों और लाखों की संख्या में रुपया बहता चला आ रहा है परन्तु इसका आशय यह नहीं कि सोनगढ से सिद्धान्त संरक्षण के लिये पैसे की कमी समाज में हो गई है । बात केवल यह है कि घनिक वर्ग की रुचि जो अनावश्यक कार्यों की ओर हो रही है उसकी अपेक्षा अन्य आवश्यक कार्यों की ओर हो जावे ।

भगवान महावीर के पश्चात् जैन समाज का जो दिगम्बर और श्वेताम्बर दो वर्गों में और फिर उपवर्गों में विभाजन अब तक होता आया है उनमें से किसी भी वर्ग या उपवर्ग ने जैन संस्कृति की सैद्धांतिक मान्यता पर इस तरह का कुठाराघात नहीं किया है जैसा कि सोनगढ की ओर से किया जा रहा है । इसलिये इस सम्बन्ध में समाज जितना और जितने शीघ्र सचेत हो जावे उतना ही उत्तम होगा ।

अस्तु ! 'जैनतत्त्वमीमासा' की 'मीमासा' का अभी तक एक भाग ही प्रकाशित हो रहा है, लेकिन इसे दश वर्ष पूर्व ही प्रकाशित हो जाना चाहिये था । वास्तव में यदि यह दश वर्ष पूर्व प्रकाशित हो जाता तो अब तक और भी साहित्य निर्मित होकर प्रकाशित हो सकता था । अब भी यदि अनुकूलता रही

और हुई तो 'जैनतत्त्वमीमांसा की मीमांसा' का द्वितीय भाग और 'जयपुर (खानिया) तत्त्व चर्चा' की समीक्षा भी निमित्त होकर प्रकाश में आ जावेगे।

मेरा निवेदन सक्षम विद्वानों से तो यह है कि वे जैन सिद्धान्त के लिये घातक सोनगढ विचारधारा को प्रभावहीन बनाने के अनुकूल ठोस साहित्य का उचित ढंग से निर्माण करें और धनिकों से यह है कि वे आज के समय में अनुकूल रुचि परिवर्तन करके आवश्यक कार्यों में ही अपने धन का उपयोग करें जिससे जैन संस्कृति का संरक्षण हो सके।

'जैनतत्त्वमीमांसा की मीमांसा' जैन संस्कृति सेवक समाज की ओर से हो रही है इसके लिये मैं उसका अत्यन्त आभारी हूँ। जैन संस्कृति सेवक समाज के प्रधान मन्त्री प० राजेन्द्र कुमार जी के अद्रम्य उत्साह और पुरुषार्थ का ही यह फल है। प० बालचन्द्र जी शास्त्री साहित्य सम्पादन विभाग वीर सेवा मन्दिर के सुझाव के अनुसार आवश्यक विषय सूची भी तैयार करके इसमें जोड़ दी है जिससे विषय को ग्रहण करने में पाठकों को सुविधा प्राप्त होगी। यद्यपि पुस्तक के अन्त में मुझे आवश्यक शुद्धि पत्र जोड़ना पड़ा है तथा ऐसी अशुद्धियाँ अब भी इसमें हैं या हो सकती हैं जिनका सुधारना उचित था, परन्तु प्रूफ सशोधन कर्ता के प्रयास की सराहना किये बिना मैं नहीं रह सकता हूँ क्योंकि सशोधन में किये गये उनके प्रयास से मुझे अत्यन्त सतीष है। प्रेस परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ।

पाठकों को मैं यह सूचना देना आवश्यक समझता हूँ कि जिस रूप में लेखमाना जैनगजट में प्रकाशित हुई थी उसके

सशोधित और परिवर्धित रूप में यह पुस्तक प्रकाशित हो रही है, फिर भी इसमें किसी प्रकार त्रुटि रह गई हो या आगम का विपर्यास हो गया हो तो पाठकों के सुझाव पर मैं ठीक करने के लिये सदा तैयार रहूँगा ।

अन्त में इतना और कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के प्राग्रूप लेखमाला को तब प्रारम्भ किया था जब पूज्यपाद प्रात. स्मरणीय श्री १०५ क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, जो अन्त में श्री १०८ गणेश कीर्ति महाराज के नाम से संबोधित हुए थे—हमारे मध्य विराजमान थे । उनका इसके प्रति आकर्षण था जो मेरे लिये गौरव की बात थी, परन्तु दुःख है कि मेरी लेखमाला प्रारम्भ होने से थोड़े समय पश्चात् ही वे स्वर्गस्थ हो गये थे । मैं तो यही समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद का ही फल यह पुस्तक है और अब यदि इस पुस्तक से पाठकों को लाभ हुआ तो मुझे प्रसन्नता होगी ।

दिनांक २४/१०/७२

स्थान—बीना

निवेदक—

बशीधर शास्त्री

(व्याकरणार्थ)

## प्रकाशकीय वक्तव्य

(मीमांसा की मीमांसाका)

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उनके अनुयायी एक रूप में न रह सके और उनमें सघभेद होगया पहिले यह भेद दिगम्बर और श्वेताम्बरके रूपमें हुआ और बादमें इनमें भी विभाजन हुआ है, श्वेताम्बरो में मूर्तिपूजक और स्थानवासी के रूपमें भेद हुए और जागे चलकर स्थानकवासी भी तेरहपक्षी और बाईसटॉले के रूपमें विभक्त होगये हैं ।

यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इन भेदोंका मूल कारण माधुका वस्त्ररहित और वस्त्र सहित होना ही है । महावीर की परम्परा में भेदों और प्रभेदोंके होनेपर भी परिग्रह की व्याख्या और उस सम्बन्धी चर्चाको छोड़कर तात्त्विक मान्यतामें अन्तर नहीं के बराबर ही हुआ है यही कारण है कि एकादि सूत्रकी व्याख्या को छोड़कर समूचे तत्त्वार्थ सूत्रको सबही ने प्रमाण रूप माना है तत्त्वार्थ सूत्रकी तरह भक्तामर स्तोत्रको मान्यता भी प्रायः जैन परम्पराकी सबही शाखाओं में है सबही शाखायें कर्मवाद के सिद्धान्त को स्वीकार करती हैं । मोक्षमार्ग की प्रणाली में व्यवहार निश्चयके साधन साध्य भाव को भी सबही स्वीकार करते हैं । सत्ता के ध्यान से सबही द्रव्योंको स्वतन्त्र मानने पर भी उनमें पारस्परिक सहयोग को भी सबही ने स्वीकार किया है । इस ही के आधार से वस्तुके उत्पाद में



रूपादान और निमित्त दोनों ही कारणों को स्वीकार किया गया है यह भी स्पष्ट है कि छह द्रव्यों में से जीव और पुद्गलको छोड़कर शेष चार द्रव्य शुद्ध ही रहते हैं, जीव और पुद्गल को ही शुद्ध और अशुद्ध स्वीकार किया गया है इन दोनों की अशुद्ध अवस्था ही इनकी पराधीन स्थिति है इससे स्पष्ट है कि ये दोनों ही सत्ताके दृष्टिकोण से स्वतंत्र होने पर भी स्थिति की दृष्टिसे पराधीन हैं। जीव द्रव्य की ऐसी स्थिति तब तक रहती है जब तक वह ससार में रहता है अर्थात् ससारी जीव ही पराधीन है और मुक्त जीव चारों शुद्ध द्रव्यों की तरह स्वाधीन है। इस पराधीनता का नाम ही ससार और इससे छूटने का नाम ही मोक्ष है, जीव को यह स्वाधीनता अर्थात् मोक्ष सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य से प्राप्त होती है, तथा इस ही लिए ये मोक्षमार्ग कहलाते हैं जब तक मोक्षमार्ग अपूर्ण रहता है अर्थात् साधन के रूप में रहता है वह व्यवहार मोक्षमार्ग कहलाता है और जब वह पूर्ण हो जाता है अर्थात् ससारी जीव मुक्त हो जाता है तब वही मोक्षमार्ग पूर्ण मोक्षमार्ग हो जाता है इस ही का पंडित प्रवर टोडरमलज ने मंगलमय और मंगलकरण के रूप से कथन किया है, जीवद्रव्यके पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होने के मार्ग को व्यवहार और निश्चय मोक्षमार्ग को साधन और साध्य के रूप में महावीर परम्परा की सब ही शाखाओं ने एक स्वर से स्वीकार किया है उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि जहाँ तक तत्त्वज्ञान की बात है महावीर के अनुयायियों में भेद और प्रभेद होने पर भी तत्त्वज्ञान की दृष्टि से वे सब ही एक मत हैं इनमें अन्तर तो केवल आचार मार्ग में ही हुआ है और वह भी केवल मुनि मार्ग तक ही। जहाँ तक ग्रहस्थाश्रम की बात है महावीर परम्परा के सब ही अनुयायी एक मत हैं।

महावीर की परम्परा में आज एक ऐसे वर्ग (सोनगढी) का भी उदय हुआ है जो अपने को महावीर का उपासक कहता ही नहीं है किन्तु उनकी उपासना भी करता है; शब्दों में अपने को महावीर परम्परा की दिगम्बर शाखा का अनुयायी मानता है तथा मूल दिगम्बराचार्यों की रचनाओं को भी प्रमाण रूप से स्वीकार करता है किन्तु इस वर्ग की शब्दों की और वास्तविक स्थिति में अन्तर है शब्दों में तो इस वर्ग का नारा रहा है कि भये हैं न होयगे मुनिन्द्र कुन्दकुन्द से किन्तु मान्यता के रूप में इस वर्ग ने जिस तत्त्व का प्रतिपादन किया है वह महर्षि कुन्दकुन्द और अमृतचन्द के भी प्रतिकूल है।

इस वर्ग की निम्नलिखित मान्यतायें हैं—

(१) सब ही द्रव्य परस्पर निरपेक्ष है अर्थात् सत्ता की तरह उनका परिणमन भी परनिरपेक्ष ही होता है साथ ही द्रव्योका परिणमन क्रमनियमित भी है शास्त्रों में बहुचर्चित निमित्तकारण को इसने शब्दों में मानकर भी अकिञ्चित्कर माना है इस ही का परिणाम है जो इसने जीव पर कर्म के प्रभाव को भी अस्वीकार किया है जीवका परिणमन चाहे वह स्वाभाविक हो या वंभाविक जीव के ही द्वारा होता है इस ही प्रकार कर्म की रचना भी अकेले पुद्गल का ही कार्य है कर्मादय से जीवके विभावभाव एव जीव के विभावभाव से कार्मण वर्गणाओ का कर्मरूप परिणमन भी इसकी मान्यता के बाहर है, यह वर्ग अकालमरण को भी नहीं मानता।

(२) द्रव्यों के परस्पर निरपेक्षता की दशा में कालद्रव्य, घर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और आकाश द्रव्य के कार्यों को भी इसने स्वीकार नहीं किया है।

(३) तार्थकर की दिव्यध्वनि और उनके ज्ञान में कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं है ।

(४) जीवद्रव्य पर किसी भी परद्रव्यका प्रभाव न मानकर इस वर्ग ने देव, शास्त्र और गुरुओं से लाभ एवं मादक द्रव्यों के जीवपर प्रभाव को भी अस्वीकार किया है ।

(५) महर्षि अमृतचन्द ने स्वाश्रित के निश्चय तथा पराश्रित-को व्यवहार माना है तथा जब यह वर्ग जीवपर कर्म के प्रभाव को ही नहीं मानता तब इसकी मान्यता में व्यवहारका-स्थान ही सभव नहीं है किन्तु आचार्य परम्परा में जिसको व्यवहार माना गया है उस ही के आधार से यह वर्ग अणु व्रत, महाव्रत, त्याग और तपादिक को रागरूप मानकर उनको सवर और निर्जरा का कारण न मानकर केवल आश्रव और बधका ही कारण मानता है और इस प्रकार इस वर्ग ने व्यवहार मात्र को हेय एवं त्याज्य बतलाया है ।

(६) इस प्रकार इस वर्ग ने द्रव्योंको परस्पर निरपेक्ष मानकर द्रव्यों तथा सप्ततत्त्वोंके लोपका प्रसंग उपस्थित किया है तथा परिणमन को क्रमनियत मानकर पुरुषार्थ के अभाव का प्रसंग उपस्थित किया है उसही प्रकार व्यवहार को हेय तथा त्याज्य बतलाकर महावीर परम्परा में चले आ रहे मोक्षमार्ग के लोपकी समस्या भी उत्पन्न करदी है ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस नवोदित वर्ग की तत्त्व मान्यता एवं आचार मान्यता दोनों ही महावीर परम्परा के आचार्योंकी मान्यता से मेल नहीं खाती । इस प्रकार यह एक ऐसा वर्ग है जिसने महावीर के शासन का नाम लेकर उसके

रूप को ही बदलने की चेष्टा की है महावीर काल से अब तक ढाई हजार वर्ष के समय में यह एक सर्वप्रथम वर्ग है जिसने महावीर के शासन को पलटने की चेष्टा की है ।

### दिगम्बर जैन-संस्कृति सेवक समाज का उदय और उसका कार्यक्रम

क्रान्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक बाहरी तथा दूसरी भीतरी । बाहरी क्रान्ति का रूप उसके खडन का होता है इससे जनता अपनी परम्पराकी रक्षामें सचेत हो जाती है और इसके लिए वह उससे अपनी परम्परा की रक्षा के लिए हर सभव प्रयत्न करती है, भीतरी क्रान्ति का रंग और रूप, बाहर से परम्परा के रूप का ही प्रतीत होता है किन्तु वास्तव में वह परम्परा के रूपका न होकर उसकी आत्मा को कुचलने की चेष्टा ही होती है । यह चेष्टा जनता की निगाह में बहुत देर से आती है । पहिले तो जनता भीतरी क्रान्ति को क्रान्ति न मानकर परम्परा की मान्यताओं की व्याख्या मात्र मानती है और विचारशील व्यक्ति भी मानते हैं कि ऐसा करने का प्रत्येक विचारक को अधिकार है । ]

हमारे सामने भी यह प्रश्न आया है तथा हमारे महा-मन्त्रीजी ने इसका निम्न प्रकारसे स्पष्टीकरण किया है—

( ? )

हमारे मन्तव्य एवं कार्यक्रम के सम्बन्ध में हमारे एक माननीय एवं विचारक सहयोगी ने हमको लिखा है कि सोनगढ का कार्यक्रम आर्य-समाज के कार्यक्रम से भिन्न है । सोनगढ के विद्वान विचारकों ने तो पूर्वाचार्यों की मात्र व्याख्या ही की

है तथा ऐसा करने का प्रत्येक विचारक को अधिकार है, इस सम्बन्ध में हम अपने माननीय सहयोगी से पूर्णतया सहमत हैं कि अपनी-अपनी व्याख्या उपस्थित करने का प्रत्येक विचारक को अधिकार है किन्तु यदि स्वामी जी की कथनी मात्र पूर्वाचार्यों की मान्यताओं की व्याख्या होती, तब तो इस ही बात पर चर्चा चल सकती थी कि क्या स्वामी जी की व्याख्या ठीक है या नहीं ।

हम ही क्या भारत के न्याय विभाग का भी यही कार्य है भारतीय विधान की व्याख्या की अनुकूलता और 'प्रतिकूलता' को लेकर, व्याख्या का प्रश्न भारत के उच्चतम न्यायालय तक पहुँचता है व्याख्या की सीमा व्याख्या तक ही सीमित है व्याख्या के रूप में धारा के रूप को ही रूपान्तरित नहीं किया जा सकता ।

जहाँ तक स्वामी जी की कथनी है वह पूर्वाचार्यों के प्रतिपादन की व्याख्या मात्र नहीं है किन्तु स्पष्ट उसका खण्डन है ।

दूसरे के आक्रमण से अपनी परम्परा की रक्षा एक सरल कार्य है किन्तु भीतरी क्रान्ति से परम्परा की रक्षा का कार्य एक गुरुतर कार्य है इसकी सफलता के लिये कठोर सकल्प एवं लगातार प्रयत्न की आवश्यकता जरूरी है इस ही लक्ष्य को लेकर दिगम्बर जैन-संस्कृति सेवक समाज की स्थापना हुई है । जहाँ तक सेवक समाज के कार्यक्रम की बात है इसके सम्बन्ध में हमारे महामन्त्रीजी ने निम्नलिखित रूपरेखा रक्खी है ।

( २ )

जिस समय आर्य समाज ने जैन धर्म पर आक्रमण किया था तब उसके बचाव के लिये हमने तीन कार्य किये थे एक

उनकी मान्यता का गम्भीर अध्ययन, दूसरे उनकी मान्यता सम्बन्धी त्रिभिन्न त्रिपयो पर पुस्तको की रचना तथा प्रकाशन, तीसरे प्रचार कार्य । ऐसी ही व्यवस्था हमने सोनगढ की मान्यता के सम्बन्ध में की है । सोनगढ की मूल मान्यता का अध्ययन तथा उसका आचार्य परम्परा से मिलान तो पूर्ण हो चुका है, अब इस ही आधार से साहित्य का निर्माण होना है । इसको भी हमने दो भागों में रक्खा है एक प्रचारोपयोगी साहित्य तथा दूसरा स्थायी साहित्य । प्रचारोपयोगी पुस्तकें भी तैयार हो चुकी हैं । पण्डित फूलचन्द जी की जैनतत्त्वमीमासा की मीमासा यही पुस्तक है । शेष सात आठ पुस्तको के भी शीघ्र प्रकाशन का सकल्प है । इस प्रचारोपयोगी साहित्य के प्रचार के साधन प्रेस को मजबूत करके फिर प्लेट-फार्म से भी प्रचार का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जायगा ।

जहाँ तक स्थायी साहित्य की बात है इसके सम्बन्ध में सेवक समाज मोक्षमार्ग प्रकाशक, पण्डित प्रवर और स्वामी जी की मान्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन की भूमिका के साथ, समयसार और कलश, मोक्षमार्ग प्रकाशक की तरह महर्षि कुन्द कुन्द और महर्षि अमृत चन्द की मान्यताओं का स्वामी जी को मान्यता से तुलनात्मक अध्ययन की भूमिका के साथ, खानिया चर्चा के निमित्तोपादान तथा व्यवहार निश्चय सम्बन्धी अध्याय, उचित भूमिका के साथ प्रकाशित करेगी ।

जैसा कि महामन्त्रीजो के स्पष्टीकरण में चर्चा है पुस्तको का प्रकाशन शुरू हो रहा है और सर्वप्रथम यह पहिली पुस्तक है ।

श्री ५० फूलचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री ने नवोदित वर्ग की मान्यताओं को तार्किक रूप देने के लिये जैनतत्त्वमीमासा के नाम

से एक पुस्तक लिखी है उसकी मीमांसा के रूप में व्याकरणाचार्य प० वशीधर की बीना एक पुस्तक लिख रहे हैं उस ही का यह प्रथम भाग है। मीमांसा की मीमांसा के सम्बन्ध में कुछ भी कहना मात्र अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना होगा अतः ऐसा न करके इसका उत्तरदायित्व हम पुस्तक के पाठकों पर छोड़ते हैं तथा उनसे साग्रह निवेदन करते हैं कि वे इसका मनन की दृष्टि से पढ़ने का कष्ट करें।

अब रह जाती है व्याकरणाचार्यजी की भावना एवं उनके प्रयत्नों की बात। इसके सम्बन्ध में कुछ भी लिखना व्याकरणाचार्य जी की भावना एवं उनके प्रयत्नों को हलका करना होगा व्याकरणाचार्यजी इन दिनों बीमार रहे हैं किन्तु ऐसी स्थिति में उनको बीमारी के कष्ट से भी अधिक कष्ट इस बात का रहा है कि परम्परा को बिगाड़ा जा रहा है और पण्डितजन भी किसी भी आनिवर्चनीय कारण से ऐसे वर्ग की सारहीन मान्यताओं को भी तार्किक रूप देने जा रहे हैं व्याकरणाचार्य जी की इस ही वेदना का परिणाम है जो उन्होंने ऐसे वर्ग की मूल मान्यताओं के सम्बन्ध में तर्क एवं शास्त्राधार से आचार्य मान्यताओं के समर्थन में अनेक पुस्तकें लिखी हैं यह उनमें पहली पुस्तक है उनकी शेष रचनायें भी निकट भविष्य में ही सामने आ जायेगी।

जहाँ तक दिगम्बर जैन सस्कृति सेवक समाज का सम्बन्ध है व्याकरणाचार्यजी उसके एक अभिन्न अंग हैं अतः यह हम

खुले शब्दों में कहते हैं कि उन्होंने यह कार्य कर्तव्यपालन एवं आत्म सन्तोष के लिए ही किया अतः उनके सम्बन्ध में हमारे लिए इससे अधिक कुछ भी लिखना एक अनुचित ही चर्चा होगी ।

जहाँ तक ग्रन्थमाला के सज्ञा करण की बात रही है कार्य समिति की भावना इसके साथ किसी ऐसे महापुरुष का नाम जोड़ने की थी कि जिसने योगत्रयसे जैन सस्कृति की सेवा एवं प्रचार का कार्य किया हो, ऐसे नामों में सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय गुरु गोपालदासजी वरैया का नाम ही रहा है अतः उनके नाम से ही ग्रन्थमाला का सज्ञा करण किया गया है । जहाँ तक ग्रन्थमाला से प्रकाशित पुस्तकों की बात है हम इनको भेंट स्वरूप सिर्फ त्यागी वर्ग एवं सेवक समाज के आजीवन सदस्य एवं सरक्षक सदस्यों को ही दे सकेंगे ।

यह कार्य इसलिए कि जिनकी सहायता से पुस्तकों का प्रकाशन होगा, उसको पुस्तकों को बिना मूल्य वितरण करके उसी प्रकाशन के साथ समाप्त न किया जाय । किन्तु जो भी पुस्तकें प्रकाशित होंगी उनके विक्री मूल्य से सहायता को सुरक्षित किया जाय—जिससे इस ही पुस्तक के प्रकाशन में दूसरी सहायता की जरूरत न पड़े । पुस्तकों का हिसाब नियमित रखा जायेगा जिससे कि भेंट में दी जाने वाली या विक्री से दी जाने वाली प्रत्येक पुस्तक की जाँच की जा सके ।



**किं**

(जहा तक अपनी भावना की बात है हम इसको तीर्थ रक्षा का एक प्रयत्न मानते है तथा यह कार्य किसी भी कार्य से कम महत्वशाली नही है ।)

विनीत—

कुंजीलाल जैन शास्त्री M. A.

मन्त्री—

चरैया ग्रन्थमाला—प्रकाशन विभाग

,दि० जैन सस्कृति सेवक समाज

# धार्मिक-सहयोग

३१ • १६

(१)

श्री सेठ प्रकाशचन्द जी जैन लुहाड्या सासनी का उत्तर भारत की समाज मे उच्च स्थान है, आप सासनी के प्रसिद्ध खण्डेलवाल ग्यास वर्क्स के मालिक है, आप धार्मिक भावना एव आचरण के व्यक्ति हैं ।

आप ही के अनुरूप आपकी धर्मपत्नी श्रीमती अमरो वाई जी जैन लुहाड्या हैं दिगम्बर जैन सस्कृति सेवक समाज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री प० इन्द्रमणि जी की प्रेरणा मे आपने सेवक समाज को तीस रिम कागज का अनुदान दिया है, इस ही का उपयोग इस पुस्तक के प्रकाशन मे हुआ है ।

इस सहयोगी के लिए वरैया ग्रन्थ-माला की तरफ से आपका हृदय से आभारी हूँ ।

(२)

श्री माणिकचन्द्र जी जैन कासलीवाल, कलकत्ता के एक उदीयमान नवयुवक है आप अपने जीवन में एक साधारण व्यापारी के स्थान से मिल मालिक हुए है यह सब आपके ही व्यक्तिगत परिश्रम एवं पुरुषार्थ का परिणाम है । आपकी उद्योगपति होने के साथ ही साथ धार्मिक भावना एवं रुचि भी उल्लेख योग्य हैं ।

हमारे महामन्त्री जी पर्युषण मे कई वर्ष हुए जब मैं कलकत्ता गया था आपसे जब उनको एक पुस्तक के प्रकाशन की सहायता स्वीकार की थी इसके बाद भी जब-जब उनसे आपके इस विषय की चर्चा हुई तब भी आपकी भावना उत्तरोत्तर प्रगतिशील ही मिली ।

जब वरैया-ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प के प्रकाशन का समय आया, इसके निमित्त कागज का सहयोग तो सासनी वालो से प्राप्त हो चुका था, सिर्फ छपाई आदि सम्बन्धी प्रेस के बिल के पेमेन्ट की बात ही शेष थी ।

आप दिगम्बर जैन सस्कृति सेवक समाज के सरक्षक सदस्य हैं तथा हमारे महामन्त्री जी से आपका व्यक्तिगतस्व है आपने ही अपनी पूज्य माता जी श्रीमती पतासी देवी जी जैन धर्म पत्नी श्री रमनलाल जी जैन कामली बाल अलनियावास

नागौर के स्मरणार्थ वरैया गन्धमाल को यह सहयोग दिया है इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ ।

प्रिरीडी }  
१२-१०-७२ }

दिनीत .  
कुञ्जीलाल जैन शास्त्री एम ए.  
मगी वरैया गन्ध-माला

# विषय-सूची



क्रम सं०	नाम	पृ० सं०
१	विषय प्रवेश	१
२	जैनतत्त्वमीमासा के लेखन में प० फूलचन्द्र जी की दृष्टि	७
	१- मतभेद कहाँ-कहाँ है ?	१३
	२- पुस्तक में कुछ अस्पष्ट, गलत और परस्पर विरोधी बातें	१६
३.	कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता	२२
	१- एक प्रश्न और उसका समाधान	२७
	२- दूसरा प्रश्न और उसका समाधान	२८
	३- निमित्तों की सार्थकता में एक अन्य युक्ति	२९
	४- वस्तु स्वरूप स्वतः सिद्ध है	३१
	५- वस्तुस्वरूप प्रतिनियत भी है	३५
	६- वस्तु और वस्तुस्वरूप में परिणामनशीलता भी है	३७

क्र० सं०	नाम	पृ० सं०
	७- परिणमनशीलता के अर्थ में उत्पाद और व्यय के साथ ध्रुव्य भी गभित है	३८
	८- परिणमन के भेद	४३
	९- परिणमन की स्वसापेक्षता और स्वपरसापेक्षता का अभिप्राय	४५
	१०- स्वसापेक्ष परनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष परिणमनो में भेद का कारण	४६
	११- दोनो प्रकार के परिणमनो का दायरा	४७
	१२- दोनो प्रकार के परिणमनो में कार्यकारण भाव की विवेचना का आधार	४९
	१३- निमित्तो की विविधता	५१
	१४- प० फूलचन्द्र जी का अपने अभिमत को गृष्ट करने का एक प्रयाग	५९
	१५- प० जी के प्रयाग की निरर्थकता	६०
	१६- स्वसापेक्ष परनिरपेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में विवेचन	६८
	१७- स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में विवेचन	७०
	१८- आकाश द्रव्य का उदाहरण	७१
	१९- दर्पण का उदाहरण	७३

क्रम सं०	नाम	पृ० सं०
२०-	आकाश और दर्पण के उदाहरणों में अन्तर	७४
२१-	दीपक का उदाहरण	७६
२२-	आत्मा का उदाहरण	८०
(क)	वस्तु विज्ञान की दृष्टि में आत्मतत्त्व	८०
१-	आत्मा की पदार्थ प्रतिबिम्बक शक्ति की आवश्यकता	८५
२-	आत्मा की पदार्थ प्रतिबिम्बक शक्ति ही दर्शन शक्ति है	८६
३-	दर्शन स्वभावतः अविस्वादी होता है	९२
४-	पदार्थ दर्शन का सद्भाव पदार्थ ज्ञान की प्रत्यक्षता का और असद्भाव परोक्षता का कारण है	९४
५-	प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्दों का अर्थ	९७
६-	पदार्थ दर्शन के भेद और उनका नियमन	९७
७-	पदार्थ ज्ञान की प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता का विभाजन	९८

क्रम सं०	नाम	पृ० सं०
	८- दर्शन के स्वतंत्रों की विवेचना	६६
	९- प्रकृत में आत्मा का उदाहरण के रूप में स्पष्टीकरण	१०२
(ग)	आध्यात्मिक विज्ञान की दृष्टि में आत्मतत्त्व	१०४
	१- समस्त जीवों का दो वर्गों में विभाजन	१०६
	२- मुक्त और ममारी जीवों का परिमाण	१०६
	३- ममारी जीवों के दो वर्ग—भव्य और अभव्य	१०८
	४- भव्यत्व और अभव्यत्व के अन्य प्रकार	१०९
	५- जीवों और पदार्थों में एक वैभाविक शक्ति भी है	११०
	६- जीव के भव्यत्व और अभव्यत्व का व्याख्यान	१११
	७- भव्यत्व और अभव्यत्व का शुद्धि शक्ति और अशुद्धि शक्ति के रूप में विवेचन	११५
	८- शुद्धि शक्ति और अशुद्धि शक्ति के प्रतिनिगम का आघार	११८



क्रम सं०	नाम	पृ० सं०
	९. जीवो का बद्ध स्पष्ट और अबद्ध स्पष्ट रूप मे विवेचन	१२६
	१०. पुद्गलो का भी बद्ध स्पष्ट और अबद्ध स्पष्ट रूप मे विवेचन	१३०
	११. जीवो और पुद्गलो मे बद्ध स्पष्टता और अबद्ध स्पष्टता के आधार पर विशेषता	१३०
	१२- आध्यात्मिक दृष्टि से बन्ध और उसके अभाव का विवेचन	१३४
	१३- बद्ध स्पष्टता और अबद्ध स्पष्टता का उपसंहार	१३८
२३-	द्रव्यो की अर्थपर्यायों और व्यजनपर्यायों	१४०
	१- अर्थपर्यायो का विवेचन	१४०
	२- व्यजन पर्यायो का विवेचन	१४२
२४-	जीवो का पुद्गल के साथ बद्धतारूप सयोग वास्तविक है	१४५

क्र० सं०	नाम	पृ० सं०
२५-	संश्लेष(बद्धता)रूप सयोग की उपचरितता का ग्राह्य अर्थ	१४७
२६-	दो आदि वस्तुओं पर आधारित सयोग, निमित्त-नैमित्तिक व आधाराधेय आदि सम्बन्ध वास्तविक हैं कल्पनामात्र नहीं हैं	१५४
२७-	निश्चय और व्यवहार के रूप	१८२
२८-	द्रव्यानुयोग की व्यवस्था में निश्चय और व्यवहार	१६१
२९-	करणानुयोग की व्यवस्था में निश्चय और व्यवहार	१६४
३०-	चरणानुयोग की व्यवस्था में निश्चय और व्यवहार	२०१
	१- जीव की भाववती और क्रियावती शक्तियाँ तथा उनके अर्थ	२०३
	२- पुरुषार्थ के विविध रूप	२२०
३१-	तत्त्वार्थसूत्र अ० १० सू० १ के आधार पर निमित्त की कार्यकारिता का समर्थन	२२३

क्र० स	नाम	पृ० स०
३२-	अन्य विवध प्रकार से निमित्त को कार्यकारिता का समर्थन	२३६
३३-	निमित्त की कार्यकारिता व व्यवहाररत्नत्रय की धर्म रूपता का समर्थन तथा व्यवहार रत्नत्रय का निश्चयरत्नत्रय के साथ साध्यसाधक भाव	२६४
३४-	(क) योगरूप परिणमन क्रियावती शक्ति का ही होता है	३०६
	(ख) योग कर्मों के आस्रवित होने या प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध होने में कारण है	३०६
	(ग) योगी का कषाय (राग-द्वेष) से अनुरजित होना स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध का कारण है	३०६
	(घ) मोह (ज्ञान की अज्ञानरूपता) कर्मबन्ध का साक्षात् कारण नहीं होता किन्तु कषाय को प्रभावित करता हुआ परपरया कारण होता है	३०६
३५-	पापाचरण, पुण्याचरण, व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म में अन्तर	३१५

क्र० स०	नाम	पृ० सं०
३६-	निश्चयधर्म और उपादान कारण की वास्तविकता व व्यवहारधर्म और निमित्त कारण की उपचरितता का अभिप्राय	३२२
३७-	उपचार का विवेचन	३२४
३८-	उपचार अर्थ में होता है शब्द उसका प्रतिपादक है	३३२
३९-	अर्थ और शब्द के प्रकार तथा शब्द द्वारा अर्थ प्रतिपादन का नियमन	३३६
४०	उपचरित अथ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ से भिन्न शब्द का अभिव्येयार्थ ही है	३४८
४१-	कार्योत्पत्ति में पंच कारण समवाय का अभिप्राय	३५२
४२-	“तादृशी जायते बुद्धि.” इत्यादि पद्यवत् स्पष्टीकरण	३६०
४३-	प० प्रवर टोडरमल के मोक्षमार्ग प्रकाशक के उद्धरण का अभिप्राय	३६७

---

# जैनतत्त्वमीमांसा की मीमांसा

भाग ३

---



# जैनतत्त्वमीमांसा की मीमांसा

( ले० बशीषर व्याकरणाचार्य बीना )

## ( १ ) विषय-प्रवेश

१—श्री प० फूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री वाराणसी ने 'जैनतत्त्वमीमांसा' नाम से एक पुस्तक स्वयं लिखकर और स्वयं संपादित कर अशोक प्रकाशन मंदिर २।३८ भद्रेनी वाराणसी से प्रकाशित कराई है। प० जी की गणना समाज के उच्चकोटि के विद्वानों में की जाती है। इनका जीवन साहित्य सेवा में ही व्यतीत हुआ है और हो रहा है। साहित्य सेवा में इनकी लगन और श्रम बेजोड़ माने जा सकते हैं। अतः इसमें सदेह नहीं, कि 'जैनतत्त्वमीमांसा' इनके अटूट परिश्रम का परिणाम है।

इस पुस्तक के विषय-प्रवेश, वस्तु-स्वभाव मीमांसा, निमित्त की स्वीकृति, उपादाननिमित्तमीमांसा, कर्तृकर्ममीमांसा, पट्टकारकमीमांसा, क्रमनियमितपर्यायमीमांसा, सम्यग्नियति-स्वरूपमीमांसा, निश्चयव्यवहारमीमांसा, अनेकान्तस्याद्वाद-मीमांसा, केवलज्ञानमीमांसा और उपादाननिमित्त सवाद—ये चारह अधिकार हैं। इन अधिकारों में जिन विषयों की मीमांसा

की गयी है ये विषय अधिकारों के नामकरण से ही ममत्व में आ जाते हैं अतः यहाँ पर उनका स्पष्टीकरण नहीं किया जा रहा है ।

पं. फूलचन्द्र जी ने पुस्तक प्रारम्भ करने में पूर्व अपने 'आत्मनिवेदन' प्रकरण में यह भी नकेन किया है कि वे अनुपलता रहने पर कविवर बनारसीदासजी, कविवर भूधरदासजी, कविवर दीलतरामजी, कविवर भैया भगवतीदासजी, कविवर भागलचन्द्रजी आदि प्रौढ अनुभवी विद्वानों के आध्यात्मिक साहित्य को भी सकलित और मपादित करके प्रकाशित करना चाहते हैं । हमारी धारणा है कि प० जी ने 'जैनतत्त्वमीमासा' के लिपि में अपनी जिम विचारधारा को आधार बनाया है उसी विचारधारा का अवलम्बन वे कविवर बनारसीदासजी आदि उक्त प्रौढ विद्वानों के आध्यात्मिक साहित्य के सकलन और मपादन में करेंगे । उसका अभिप्राय यह है कि अब वे अपनी विचारधारा को हृदय के साथ प्रसारित करने की तैयारी में लगेंगे और यह निश्चित है कि प० जी को अपने इस प्रयास में सफलता मिल जायगी क्योंकि प० जगन्मोहनलाल जी शास्त्री कटनी ने जिस ढंग से जैनतत्त्वमीमासा का प्राक्कथन लिखा है उससे स्पष्ट है कि वे प० जी की विचारधारा में पूर्णतः सहमत हैं । साथ ही इसमें सदेह नहीं कि प० जी बहुत से दूसरे विद्वानों को भी सरलता के साथ अपनी विचारधारा का अनुयायी बना लेंगे, कारण कि जैन-संस्कृति के तत्त्वज्ञान के विषय में विद्वद्वर्ग में भी साधारण समाज की तरह प्रायः चिन्तनशक्ति की न्यूनता और गतानुगतिकता पायी जाती है ।

२—आचार्य श्री कुन्दकुन्द स्वामी का समयसार उच्चकोटि का आध्यात्मिक ग्रन्थ है, परन्तु वह इतना गहन है कि



उसके रहस्य को समझकर हृदयङ्गम कर लेना उच्चकोटि के तर्कशास्त्रियों के लिये भी सरल नहीं है। अतः उसके पठन-पाठन से कोई भी व्यक्ति प्रायः प्रकाश न पाकर अन्धकार में ही भटक सकता है। यही कारण है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व तक इसके पठन-पाठन और स्वाध्याय के प्रति समाज के सभी वर्गों की रुचि एव प्रवृत्ति प्रायः नाममात्र की थी। परन्तु वर्तमान में एक ओर तो सोनगढ के सत कानजी स्वामी के प्रभावपूर्ण प्रवचनों को सुन कर सौराष्ट्र और गुजरात आदि प्रान्तों के गृहस्थ वर्ग की रुचि एव प्रवृत्ति समयसार के स्वाध्याय की ओर बढ़ी है व दूसरी ओर उत्तरभारत में श्री १०५ क्षुल्लक गणेश-प्रसादजी वर्णी के सपर्क से त्यागि-वर्ग का भुकाव भी समयसार के पठन-पाठन और स्वाध्याय की ओर हुआ है।

यहां यह बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है कि जहां कानजी स्वामी के अल्प सपर्क में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने को समयसार का वेत्ता एव सम्यग्दृष्टि समझने लगता है वहां पूज्यपाद वर्णी जी के सपर्क में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्तःकरण में तत्त्वजिज्ञासुता का ही भाव उत्पन्न करता है, परन्तु यह निश्चित है कि पूज्यपाद वर्णीजी का सपर्क समाज को अब अधिक समय के लिये प्राप्त रहने वाला नहीं है इसलिये इनके पश्चात् समयसारी त्यागि-वर्ग का भुकाव किस ओर हो जायगा? यह बतलाना आज कठिन है। प० फूलचन्द्र जी की 'जैनतत्त्वमीमासा' के प्रकाशन से इस समस्या का और भी जटिल बन जाना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त अब मुझे यह भी भान होने लगा है कि जैन समाज का विद्वद्वर्ग भी जैन-संस्कृति की सैद्धान्तिक मान्यता के विषय में बिना चिन्तन किये धीरे-धीरे सोनगढ से प्रवाहित विचारधारा का अनुयायी बन जाने वाला है।

यह सब मैं इस आधार पर लिख रहा हूँ कि 'जैनतत्त्व-मीमांसा' में प० फूलचन्द्रजी ने अपनी जिस विचारधारा की झलक दी है वह कानजी स्वामी की विचारधारा से मिलती हुई ही है।

३—माना, कि कानजी स्वामी जैनसंस्कृति के व्यावहारिक धर्म की कुछ-कुछ क्रियायें यथाशक्ति करते हैं और प० फूलचन्द्रजी ने भी 'जैनतत्त्वमीमांसा' में स्थान-स्थान पर निमित्त तथा व्यवहार की प्रतिष्ठा की है। इसलिये यद्यपि यह कहा जा सकता है कि कानजी स्वामी जो कुछ आर्प-विरुद्ध कहते हैं और प० फूलचन्द्र जी ने 'जैनतत्त्वमीमांसा' में जो आर्पविरुद्ध कथन किया है उसमें उनको प्रेरणा देने वाली दुर्भावनायें नहीं हैं परन्तु दोनों के कथनों में उनकी दार्शनिक वृद्धि की कमी का आभास अवश्य मिलता है।

४—यद्यपि कानजी स्वामी लम्बे समय से जैन-संस्कृति की सैद्धान्तिक मान्यता के सम्बन्ध में अपनी विचारधारा का प्रचार करते आ रहे हैं, परन्तु मेरा अब तक यह विचार रहा कि उनकी विचारधारा का प्रचार समाज में कितना भी क्यों न हो जावे ? फिर भी उसका असर जैन-संस्कृति की मूलसैद्धान्तिक मान्यता पर तब तक पडने वाला नहीं है, जब तक जैन-समाज का विद्वद्वर्ग उसकी पुष्टि नहीं करता है। अभी तक तो अ० भा० दि० जैन वि० परिषद् ने कानजी स्वामी का पूर्ण सम्मान करते हुए उनकी सैद्धान्तिक विचारधारा के प्रति अपनी असहमति ही प्रगट की है। इतना ही नहीं, उसने उनके साथ जैन-संस्कृति की सैद्धान्तिक मान्यता के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिये एक विद्वत्संगठन की भी स्थापना की है और यह एक कारण है कि मैं अभी तक कानजी स्वामी की विचारधारा के विषय में कुछ लिखने का लोभ सवरण करता

रहा हूँ। उक्त विषय में कुछ नहीं लिखने का दूसरा कारण यह है कि वि० परिषद् की उपेक्षा करके व्यक्तिगत रूप से आगे कदम बढ़ाना मेरे लिये उचित भी नहीं है, लेकिन अब प० फूलचन्द्रजी की 'जैनतत्त्वमीमासा' के प्रकाशित हो जाने से एक तो मेरा यह विचार स्थिर पड़ गया है कि कानजी स्वामी की विचारधारा का असर जैन-संस्कृति की मूल मान्यता पर पड़ने वाला नहीं है, दूसरे प० जी की विचारधारा का कानजी स्वामी की विचारधारा के साथ मेल हो जाने से वि० परिषद् उनके साथ विचार-विमर्श के लिये अपने निर्णीत मार्ग पर अग्रसर रहेगी—इसमें मुझे सदेह होने लगा है।

इन सब कारणों की वजह से मुझे उक्त विषय में कुछ लिखना आवश्यक हो गया है। यह सोच कर सर्वप्रथम मैं 'जैनतत्त्वमीमासा' की मीमासा लिखने जा रहा हूँ।

१—वैसे तो जैनतत्त्वमीमासा की मीमासा में सभी विषय विस्तार से सर्वांगीण लिखा जाना चाहिये परन्तु समय और शक्ति के अनुसार जितना संभव होगा मैं उतना ही लिखने का प्रयत्न करूँगा।

२—मैं 'जैनतत्त्वमीमासा' के सम्बन्ध में जितना भी सोचता हूँ उससे मुझे ऐसा लगता है कि प० फूलचन्द्रजी ने इसके लेखन में बहुत ही उतावली से काम लिया है क्योंकि प० जी की जैनतत्त्वमीमासा का परिणाम जैन-संस्कृति के लिये अच्छा होने वाला नहीं है। हो सकता है मेरा ऐसा लिखना भावुकता का कार्य समझा जावे, परन्तु यह मैं अपने अन्तःकरण की आवाज के रूप में ही लिख रहा हूँ।

३—मुझे इस बात का दुःख है कि जैनतत्त्वमीमासा की इस मीमासा के प्रकाशन में मुझे जैन-संदेश और जैन-मित्र इन

दोनों पत्रों से सहयोग नहीं मिल सका है। इस सम्बन्ध में एक सभावना तो यह है कि इन पत्रों के मालिकों ने जैनतत्त्वमीमासा से होने वाले दुष्परिणाम को गभीरता से नहीं समझा है। दूसरे यह भी कहा जा सकता है कि जैनतत्त्वमीमासा की भीमासा के प्रकाशन को इन्होंने अपने पत्रों के लिये आर्थिक घाटे का कारण समझ लिया हो। जैन-सदेश के विषय में तो यह भी सोचा जा सकता है कि इसके एक संपादक प० जगन्मोहनलालजी शास्त्री का समर्थन जैनतत्त्वमीमासा को प्राप्त है अतः वे स्वाभाविक रूप से अपने पत्र में जैनतत्त्वमीमासा के प्रतिकूल कुछ भी प्रकाशित करना नहीं चाहेंगे।

४—मुझे यह भी मालूम पडा है कि जैनतत्त्वमीमासा की भीमासा करने में बहुत से विद्वान सचेष्ट हैं जो यद्यपि प्रसन्नता की बात है, परन्तु इतना अवश्य है कि प्रत्येक लेखक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि उसको अपने लेखन कार्य में तत्त्वविमर्श की दृष्टि रखना ही उपयोगी होगा क्योंकि यदि कोई लेखक तत्त्वविमर्श की दृष्टि को ओझल करके व्यक्तिगत समालोचना में भटक गया अथवा भाषा की उग्रता को अपनाया तो इससे लाभ के बजाय हानि होने की ही सभावना रहेगी।

मुझे विश्वास है कि तत्त्वविमर्श की दृष्टि से लिखे गये ठोस तार्किक लेख अवश्य ही प० फूलचन्द्रजी का मार्गदर्शन करेंगे।



## (२) जैनतत्त्वमीमांसा के लेखन

में

### पं० फूलचन्द्र जी की दृष्टि !

जैनतत्त्वमीमांसा प्रारम्भ करने से पूर्व मुझे यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तत्त्वमीमांसा के लेखन में निहित पं० फूलचन्द्र जी की दृष्टि को समझ लिया जाय अतः सर्वप्रथम पं० जी की दृष्टि को ही यहाँ तत्त्वमीमांसा के आधार पर निबद्ध किया जा रहा है ।

(१) क—वस्तु में प्रतिक्षण यथायोग्य स्वभाव अथवा विभाव रूप जो भी परिणमन हो रहा है वह सब परनिरपेक्ष केवल वस्तु के स्वतः सिद्ध परिणमन स्वभाव के बल पर ही हो रहा है । यद्यपि वस्तु का परिणमन स्वभाव स्वतः सिद्ध होने से अनादि है, परन्तु उसके आधार पर होने वाला कोई भी परिणमन तभी होता है जब वह वस्तु उस परिणमन से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती परिणमन में पहुँच जाती है ।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु में उसकी त्रिकालवर्ती समस्त पर्याय ( परिणमन ) अनादिकाल से शक्ति ( अव्यक्त ) रूप में विद्यमान हैं इसे उपादान शक्ति कहते हैं । इस तरह प्रत्येक वस्तु में उसकी अपनी उक्त संपूर्ण पर्यायो की उपादानता

अनादि से है, परन्तु विवक्षित वस्तु मे विवक्षित परिणमन, जो कि कार्य कहलाता है, तभी उत्पन्न होना है जब वह वस्तु उस विवक्षित परिणमन की उत्पत्ति के क्षण से अव्यवहितपूर्वक्षणवर्ती परिणमन मे पहुँच जाती है।

(१) ख—कार्य से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती परिणमन मे वस्तु के पहुँच जाने पर वह वस्तु उस परिणमनरूप कार्य की समर्थ उपादान कहलाने लगती है क्योंकि तब उस वस्तु मे वह कार्य नियम से उत्पन्न होता है।

(१) ग—चूँकि वस्तु का यथायोग्य स्वभाव अथवा विभावरूप परिणमन प्रतिक्षण हुआ करता है अतः यह मानना उचित है कि काल के भूत, वर्तमान और भविष्यत् जितने अविभागी-क्षण सभव हो उतने ही परिणमन प्रत्येक वस्तु के नियत हैं और प्रत्येक वस्तु अपने परिणमन स्वभाव के बल पर परिणमन करती हुई अर्थात् भविष्यत् से वर्तमान होती हुई भूत का रूप धारण करती जा रही है तथा यह प्रवाह अनन्त काल तक इसी रूप मे चलता जायगा।

(१) घ—पर्यायो ( परिणमनो ) के उक्त प्रवाह मे जिस वस्तु की जो भविष्यत् पर्याय जिस क्षण मे वर्तमानता (व्यक्तता) को प्राप्त होती है उस वस्तु की वह पर्याय उस क्षण मे अपनी अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट उसी वस्तु का कार्य कहलाती है और कार्यरूप उस पर्याय से विशिष्ट वही वस्तु उसी क्षण मे उस कार्यरूप पर्याय से अव्यवहित उत्तरक्षणवर्ती पर्याय का उपादान कहलाती है।

इस प्रकार कार्योत्पत्ति के सम्बन्ध मे प० फुलचन्द्र की दृष्टि के अनुसार निम्नलिखित सिद्धान्त फलित होते हैं—

क—प्रत्येक वस्तु मे पर्याय या परिणमन रूप कार्य की

उत्पत्ति केवल उसकी स्वतः सिद्ध स्वभावभूत नित्य उपादान शक्ति और कार्योत्पत्तिक्षण से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायरूप अनित्य उपादानशक्ति के बल पर ही होती है ।

ख—अनित्य उपादान शक्ति का अपर नाम समर्थ-उपादान है । ये समर्थ उपादान प्रत्येक वस्तु में उतने ही माने जा सकते हैं जितने काल के त्रैकालिक समय है ।

ग—प्रत्येक वस्तु की अमुक पर्याय के अनन्तर ही अमुक पर्याय उत्पन्न होती है और वह नियम से होती है ।

घ—प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति का समय नियत है ।

इसका फलितार्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु की निश्चित त्रैकालिक पर्यायो में से प्रत्येक पर्याय नियत क्रम से अपने-अपने काल में अपने आप कार्यरूपता ( अव्यक्तरूपता से व्यक्तरूपता ) को प्राप्त होकर अर्थात् भविष्यद्रूपता से वर्तमान रूपता को प्राप्त होकर विनष्ट ( भूतरूपता को प्राप्त ) होती जा रही है । उपर्युक्त संपूर्ण कथन की पुष्टि प० फूलचन्द्र के निम्नलिखित कथनों से होती है । यथा—

“ इस प्रकार इतने विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक उपादान अपनी-अपनी स्वतंत्र योग्यता सम्पन्न होता है और उसके अनुसार प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति होती है तथा इससे यह भी सिद्ध हुआ कि प्रत्येक समय का उपादान पृथक्-पृथक् है इसलिये उनसे क्रमशः जो-जो पर्याय उत्पन्न होती है वे अपने-अपने काल में नियत हैं । वे अपने-अपने समय में ही होती हैं आगे पीछे नहीं होती । ” ( जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ १६२ )

“स्वभाव और समर्थ उपादान में फर्क है । स्वभाव सार्व-कालिक होता है । इसी का दूसरा नाम नित्य उपादान है और

समर्थ उपादान जिस कार्य का वह उपादान होता है उस कार्य के एक समय पूर्व होता है कार्य समर्थ उपादान के अनुसार ही होता है। " समर्थ उपादान प्रत्येक समय का अन्य होता है।" ( जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ४१ की टिप्पणी )

(२) यद्यपि प० फूलचन्द्रजी ने अपनी उल्लिखित दृष्टि के समर्थन में शास्त्रीय उद्धरणों का 'जैनतत्त्वमीमासा' पुस्तक में भण्डार भर दिया है परन्तु इसके साथ यह समस्या भी विचारणीय बन कर उनके सामने उपस्थित हुई मालूम देती है कि आगम ग्रन्थों में कार्योंत्पत्ति की पद्धति पर विचार करते समय निमित्तों की स्थिति को भी स्वीकार किया गया है। इसलिये आगम के साथ अपनी दृष्टि का सामंजस्य स्थापित करने के लिये उनका कहना है कि कार्य तो अपने स्वकाल में केवल उपादान की अपनी योग्यता के आधार पर ही उत्पन्न होता है फिर भी जब जो कार्य उत्पन्न होता है तब निमित्त भी वहाँ पर तदनुकूल विद्यमान रहते हैं। इसका आशय यह हुआ कि कार्य जब भी उत्पन्न होगा तब वह निमित्तों के सद्भाव में ही होगा। इस तरह यह समस्या कभी उत्पन्न नहीं होगी कि निमित्तों का अभाव होकर कार्योंत्पत्ति रुक जायगी क्योंकि उस अवसर पर निमित्तों का सद्भाव सदा बना ही रहेगा।

कार्योंत्पत्ति के अवसर पर निमित्तों की स्थिति के सम्बन्ध में प० फूलचन्द्र जी की उक्त दृष्टि का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार सिनेमा फिल्मों में मानव चित्रों में दिखाई देने वाली ओष्ठादि की हलन-चलन रूप क्रिया के साधन अन्य होते हैं और दर्शकों को श्रवण में आने वाली आवाज के साधन अन्य होते हैं, फिर भी एक ही साथ उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर दर्शक की समझ में एकाएक यह आता है कि मानव चित्रों में



दिखाई देने वाली ओष्ठादि की हलन-चलन रूप क्रिया मे से ही आवाज निकल रही है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु यद्यपि अपने-अपने स्वतः सिद्ध परिणमन स्वभाव के बल पर ही नियत समय मे नियत कार्यरूप परिणत होती है लेकिन साथ ही निमित्त भी अपने परिणमन स्वभाव के आधार पर नियत समय मे नियत कार्यरूप परिणत होते रहते हैं अतः निमित्तो का उपादान से जन्य कार्य के साथ अन्वयीपना समझ मे आने के कारण कार्य-कारणभाव न रहते हुए भी लोक मे ऐसा बोला जाता है कि अमुक कार्य मे अमुक निमित्त है। वस्तुतः कार्य तो सर्वदा केवल उपादानभूत वस्तु के स्वतः सिद्ध परिणमन स्वभाव के बल पर ही उत्पन्न होता है निमित्त वहा अकिञ्चित्कर ही बना रहता है। इस सम्बन्ध मे प० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमासा मे बहुत लिखा है उसमे से कुछ को यहा उद्धृत किया जा रहा है।

१—“रूढिवश जो जिस कार्य का निमित्त कहा जाता है उसके सद्भाव मे भी तब तक कार्य की सिद्धि नही होती जब तक जिस कार्य का वह निमित्त कहा जाता है उसके अनुरूप उपादान की तैयारी न हो। अतएव कार्य की सिद्धि मे निमित्तो का होना अकिञ्चित्कर है।”

( जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २५२ )

२—“उपादान के ठीक होने पर निमित्त मिलते ही हैं उन्हे मिलाना नही पडता। निमित्त स्वयं कार्यसाधक नही है किन्तु उपादान के कार्य के अनुकूल व्यापार करने पर जो बाह्य सामग्री उसमे हेतु होती है उसमे निमित्तपने का व्यवहार किया जाता है।”

( जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २५३ )

३—“इस प्रकार कार्योत्पत्ति के पूरे कारणो पर दृष्टिपात करने से ही यह फलित होता है कि जहा पर कार्य के अनुकूल

द्रव्य की स्ववीर्य और उपादान शक्ति होती है वहा अन्य साधन सामग्री स्वयमेव मिल जाती है ।” ( जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ६७ )

४—कार्योत्पत्ति मे निमित्त की अकिंचित्करता को प० फूलचन्द्रजी केवलज्ञान के आधार पर भी सिद्ध करते हैं<sup>१</sup> तथा वे यह तर्क भी उपस्थित करते हैं कि लोक मे मनुष्य जैसा सोचता है और उसके अनुसार जैसा प्रयत्न करता है वैसा कार्य न होकर बहुत बार उसके प्रतिकूल भी कार्य हो जाया करता है,<sup>२</sup> तीसरे उनका कहना है कि जब वस्तु परिणमनशील है तो निमित्तो के अभाव मे अथवा बाधक निमित्तो के सद्भाव मे उसका एक क्षण के लिये भी परिणमन रुक जाना असभव है अतः कार्योत्पत्ति मे निमित्तो को बल देना युक्ति सगत नहीं है । केवल इतना ही स्वीकार करना उचित है कि जब कार्य अपने उपादान के बल पर उत्पन्न हो रहा हो तब उसके अनुकूल निमित्त रहते ही हैं ।<sup>३</sup>

इस प्रकार मैने कार्यकारणभाव के सम्बन्ध मे प० फूलचन्द्रजी की दृष्टि को यहा आवश्यकतानुसार सक्षेप से सग्रहीत करने का प्रयत्न किया है । इसमे यदि अतिरेक या विपर्यास जैसी स्थिति पैदा होगयी हो तो मैं प० जी से व पाठको से निवेदन करता हू कि वे उसकी सूचना मुझे देने की कृपा करें मैं अपनी दृष्टि मे सशोधन कर लूंगा । भतभेद कहा-कहा है ?

१ इस सम्बन्ध में जैनतत्त्वमीमासा का 'केवलज्ञानस्वभावमीमासा' प्रकरण देखो ।

२ इसका समर्थन प० जगन्मोहनलालजी ने जैनतत्त्वमीमासा के प्राक्कथन में प्रारम्भिक पृष्ठ पर किया है ।

३ इसका भी समर्थन प० जगन्मोहनलालजी ने जैनतत्त्वमीमासा के प्राक्कथन में पृष्ठ १२ पर किया है ।

ऊपर जो प० फूलचन्द्रजी की दृष्टियों का संग्रह किया गया है उनमें कहा-कहा मतभेद है ? इसे स्पष्ट किया जा रहा है ।

(१) वस्तु में प्रतिक्षण जो यथायोग्य स्वभाव अथवा विभाव रूप परिणमन होता है वह वस्तु की अपनी स्वभावगत योग्यता के आधार पर ही होता है अर्थात् प्रत्येक वस्तु में होने वाला कोई भी परिणमन ऐसा नहीं है जो उस वस्तु की अपनी स्वभावगत योग्यता के अभाव में केवल पर द्वारा निष्पन्न किया जाता हो प० फूलचन्द्रजी की यह दृष्टि निर्विवाद है, परन्तु वस्तु के सभी परिणमन केवल उस वस्तु की स्वभावगत योग्यता के बल पर ही निष्पन्न होते हैं—ऐसा नहीं है क्योंकि आगे युक्ति, अनुभव और आगम के आधार पर यह बतलाया जायगा कि प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के परिणमन हुआ करते हैं । उनमें से एक प्रकार के परिणमन तो वे हैं जो केवल वस्तु की स्वभावगत योग्यता के बल पर ही निष्पन्न होते हैं । इन्हें आगम में 'स्वप्रत्यय परिणमन' नाम दिया गया है । दूसरे प्रकार के परिणमन वे हैं जो वस्तु की स्वभावगत योग्यता के आधार पर निष्पन्न होकर भी अनुकूल परवस्तु की सहायता से ही निष्पन्न होते हैं । इन्हें आगम में 'स्वपरप्रत्यय परिणमन' नाम दिया गया है । कोई भी परिणमन केवल परप्रत्यय नहीं होता—यह निर्विवाद है ।

(२) प० फूलचन्द्रजी की जो यह दृष्टि है कि वस्तु का परिणमन स्वभाव स्वतः सिद्ध होने से अनादि है यह दृष्टि भी निर्विवाद है और वे जो कहते हैं कि वस्तु में उस स्वतः सिद्ध ओर अनादि परिणमन स्वभाव के आधार पर होने वाला विवक्षित परिणमन तभी निष्पन्न होता है जब वह वस्तु उस विवक्षित परिणमन से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में पहुँच जाती है सो

उनका यह कहना भी निर्विवाद है, परन्तु जहा प० जी का यह कहना है कि वस्तु विवक्षित परिणमन से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय मे कालक्रम से अपने-आप पहुँच जाती है वहा अनुभव, युक्ति आर आगम के आधार पर आगे यह बतलाया जायगा कि उनका यह कथन केवल वस्तु के स्वप्रत्यय परिणमन के सम्बन्ध मे ही लागू होता है वस्तु के स्वपरप्रत्यय परिणमन के सम्बन्ध मे नही, क्योकि आगे स्पष्ट किया जायगा कि वस्तु का विवक्षित स्वपरप्रत्यय परिणमन भी यद्यपि स्वप्रत्यय परिणमन की तरह उससे अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय मे वस्तु के पहुँच जाने पर ही होता है, परन्तु वस्तु विवक्षित स्वपरप्रत्यय परिणमन से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय मे अनुकूल परवस्तु की सहायता से ही पहुँच सकती है स्वप्रत्यय परिणमन की तरह काल क्रम से अपने-आप नही और न उसके अनन्तर होने वाला वह कार्य भी अपने-आप होता है ।

यद्यपि प० फूलचन्द्रजी का कहना है कि जिस प्रकार वस्तु के त्रैकालिक स्वप्रत्ययपरिणमन केवलज्ञान मे युगपत् प्रतिभासित होते हैं उसी प्रकार वस्तु के त्रैकालिक स्वपरप्रत्यय परिणमन भी केवलज्ञान मे युगपत् प्रतिभासित होते है अत वस्तु के स्वप्रत्यय परिणमनो की तरह वस्तु के स्वपरप्रत्यय परिणमनो मे भी काल की नियत पर्याय से सम्बद्ध रहने के कारण नियतपना सिद्ध होता है, परन्तु प० जी ने स्वय ही जैनतत्त्वमीमासा मे इसके विरुद्ध कथन किया है जैसा कि वे जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ २९१ पर लिखते हैं—

“यद्यपि हम मानते है कि केवलज्ञान को सब द्रव्यो और उनकी सब पर्यायो का जानने वाला मान कर भी क्रमवद्ध

पर्यायों की सिद्धि मात्र केवल ज्ञान के अवलम्बन से न करके कार्यकारण परम्परा को ध्यान में रखकर की जानी चाहिये ।”

इसके अतिरिक्त जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ २६७ पर भी प० जी ने लिखा है—

“माना कि केवलज्ञान जानने वाला है और सकल पदार्थ उसके ज्ञेय है इसलिये केवलज्ञान से जैसा जानते हैं मात्र इसी कारण पदार्थों का वैसा परिणमन नहीं होता, क्योंकि उनका परिणमन अपनी कार्यकारणपरम्परा के अनुसार होता है । केवलज्ञान आकर उन्हें परिणमाता हो और तब वे परिणमन करते हो यह नहीं है । वह उनके परिणमन में निमित्त भी नहीं है ।”

इस तरह पं० फूलचन्द्रजी की दृष्टि में भी केवलज्ञान के आधार पर जहाँ जैसा कार्यकारणभाव है उसका निषेध नहीं होता है । अतः कार्य की उत्पत्ति अपने अनुकूल कारणों से होती है यह बात निर्विवाद हो जाती है और तब यह प्रश्न खड़ा होता है कि सभी कार्य क्या स्वप्रत्यय ही होते हैं ? इस सम्बन्ध में प० फूलचन्द्रजी का कहना तो यही है कि सभी कार्य स्वप्रत्यय ही होते हैं परन्तु उनसे मतभेद रखने वालों का अनुभव, युक्ति और आगम के आधार पर यह कहना है कि सभी कार्यों में से कोई कार्य तो स्वप्रत्यय कार्यों की कोटि में आते हैं और कोई कार्य स्वपरप्रत्यय कार्यों की कोटि में आते हैं जैसा कि आगे स्पष्ट किया जायगा ।

(३) इसी प्रसंग में प० फूलचन्द्रजी ने नित्य उपादान और अनित्य उपादान की भी चर्चा की है और कहा है कि नित्य उपादान तो वस्तु के स्वतः सिद्ध तथा अनादिस्वभावरूप होता है व अनित्य उपादान वस्तु की कार्यरूप पर्याय से अव्यव-

हित पूर्वक्षणवर्ती पर्यायरूप होता है नो उनका यह कथन भी निर्विवाद है परन्तु जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि विवाद इस बात का है कि स्वपरप्रत्यय कार्य की कारणभूत कार्याव्यवहितपूर्वक्षणवर्ती पर्याय रूप अनित्य उपादान की उत्पत्ति को जहा भी प० फूलचन्द्रजी स्वप्रत्यय कार्य की तरह अपने-आप मानते हैं वहा उनसे मतभेद रखने वाले उसकी उत्पत्ति को स्वप्रत्यय कार्य की तरह अपने-आप न मानकर परवस्तु के सहयोग से मानते हैं। इसे भी आगे स्पष्ट किया जायगा।

(४) प० फूलचन्द्रजी का यह कथन भी विवादपूर्ण है कि जब वस्तु कार्याव्यवहितपूर्वक्षणवर्ती पर्याय में पहुँच जाती है तब वह वस्तु नियम से उसी कार्य की उत्पादक होती है। यह कथन विवादपूर्ण इसलिये है कि प० जी से भिन्न रखने वालो का कहना है कि उस समय भी उसमें नाना उपादान शक्तियो का सम्झाव रहा करता है अत जिस कार्य के अनुकूल निमित्तो का योग होगा उसी कार्य की उत्पत्ति होगी अन्य की नही। इस मतभेद का आधार यह है कि जहा प० फूलचन्द्रजी का यह कहना है कि जैसा कार्य होता है वैसा ही निमित्तो का योग मिलता है वहा उनसे मतभेद रखने वालो का कहना है कि जैसा निमित्तो का योग मिलता है वैसा ही उपादान शक्ति के आधार पर कार्य होता है।

(५) यद्यपि प० फूलचन्द्र जी ने अपने उक्त मत की पुष्टि में कार्यान्वृत्ति के लिये वस्तु में उतनी योग्यतायें मान्य की हैं जितने काल के त्रैकालिक समय है परन्तु उनकी यह मान्यता उनसे भिन्न मत रखने वालो को मान्य नही है क्योंकि उनका कहना है जब वस्तु की कार्यान्वृत्ति सम्बन्धी नित्य उपादानशक्ति स्वभावसिद्ध है तो उसे किसी भी दशा में सीमाबद्ध नही किया

जा सकता है और अनित्य उपादान शक्तियों के विषय में प० जी से भिन्न मत रखने वालों का कहना है कि वे अनित्य उपादान शक्तियाँ निमित्तों की अधीनता में ही उत्पन्न हुआ करती हैं अतः उन्हें नियत मानने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है कारण कि ऐसा मानने पर भी निमित्त की अकिञ्चित्करता सिद्ध नहीं होती है। स्वयं प० फूलचन्द्र जी ने भी वस्तु की नित्य उपादान शक्ति को सीमाबद्ध नहीं माना है क्योंकि उन्होंने जैनतत्त्वमीमांसा के केवलज्ञानस्वभाव मीमांसा प्रकरण में पृष्ठ २६६ पर निम्नलिखित कथन किया है—

“लोक-अलोक में जितने पदार्थ और उनकी पर्यायें हैं उनसे भी अनन्तगुरो पदार्थ और उनकी पर्यायें यदि हो तो उन्हें भी उसमें जानने की सामर्थ्य है।”

इतना अवश्य है कि प० फूलचन्द्र जी चूँकि यह मानते हैं कि जब जैसा कार्य होता है तब निमित्त भी तदनुकूल ही मिला करते हैं इसीलिये उनके मतानुसार यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु में कार्य की अनित्य उपादान शक्तियाँ उतनी ही संभव हैं जितने काल के त्रैकालिक समय हैं। परन्तु प० जी से भिन्न मत रखने वालों को यह इसलिये मान्य नहीं है कि उनके मतानुसार प० जी का यह सिद्धान्त ही गलत है कि जब जैसा कार्य होता है तब निमित्त भी तदनुकूल ही मिला करते हैं। उनके मत से तो यह सिद्धान्त ही सत्य है कि जब जैसे निमित्त मिलते हैं तब कार्य भी उपादानगत योग्यता के आधार पर उन्हीं के अनुसार होता है। इस तरह कार्यव्यवहित पूर्वक्षण के अवसर पर वस्तु में कार्यरूपपरिणत होने योग्य नाना उपादान शक्तियों का सद्भाव सिद्ध हो जाता है लेकिन प्राप्त निमित्तों की अनुकूलता और बाधक कारणों के अभाव के आधार पर एक

ही उपादान शक्ति कार्य रूप परिणत हुआ करती है । इसका स्पष्टीकरण आगे अनुभव, युक्ति और आगम के आध्यात्म पर किया जायगा ।

(६) कार्योत्पत्ति में निमित्त की अकिञ्चित्करता को सिद्ध करने के लिये प० फूलचन्द्रजी का एक तर्क यह भी है कि निमित्त-भूत वस्तु भी अनादि काल से अपनी क्रमवद्ध पर्यायो में परिणत होती चली आ रही है और उपादानभूत वस्तु भी अनादिकाल से अपनी क्रमवद्धपर्यायो में परिणत होती चली आ रही है । ऐसी दशा में निमित्त को कार्य की उत्पत्ति में कार्यकारी मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती है वात केवल यह है कि निमित्तभूत वस्तु में कार्योत्पत्ति के अवसर पर चू कि कार्य के प्रति अनुकूलता समझ में आती है अतः उसमें कार्य के प्रति निमित्तता का व्यवहार मात्र ( कथन मात्र ) किया जाता है । प० जी का यह तर्क भी उनसे भिन्न मत रखने वालों को मान्य नहीं है इसका कारण यह है कि प० जी का तर्क उनके इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जब उपादान कार्यरूप परिणत होता है तब तदनुकूल निमित्त भी वहाँ रहा करते हैं जब कि उनसे भिन्न मत रखने वालों का कहना है कि जब जैसे निमित्त मिलते हैं तब तदनुकूल ही उपादान स्वयोग्यतानुसार कार्यरूप परिणत होता है । इसे भी आगे स्पष्ट किया जायगा ।

(७) मूलतः विवाद प० फूलचन्द्रजी के साथ जैनतत्त्व-भोमासा को लेकर इस बात का है कि आगम में जिस प्रकार कार्योत्पत्ति के विषय में उपादानपरक कथन मिलते हैं उसी प्रकार निमित्तपरक कथन भी मिलते हैं इसलिये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या दोनों कथनों में से एक को सत्य और दूसरे को असत्य माना जाय ? इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि



पं० फूलचन्द्रजी और उनसे मतभेद रखने वाले दोनो ही आगम के उक्त दोनो कथनो को प्रमाण मानते है । यही कारण है कि प० फूलचन्द्र जी ने भी कार्योत्पत्ति के विषय मे उपादान की स्वीकृति के साथ निमित्त की स्वीकृति की घोषणा जैनतत्त्व-मीमासा मे की है, परन्तु उन्होने आगम के उपादानपरक और निमित्तपरक कथनो मे समन्वय करने का जो प्रयास किया है वह उनसे मतभेद रखने वालो को अनुभव और युक्ति से गलत जान पडता है । इसे भी आगे स्पष्ट किया जायगा ।

### पुस्तक में कुछ अस्पष्ट गलत और परस्पर विरोधी बातें

(१) जैनतत्त्वमीमासा पुस्तक मे कही-कही निमित्त के विषय मे यह भी लिखा है कि वह बलाघान मे निमित्त होता है ।<sup>१</sup> एक स्थान पर यह लिखा है कि अपने-अपने उपादान के अनुसार कार्योत्पत्ति होने के समय निमित्त बलाघान मे हेतु होता है ।<sup>२</sup> परन्तु जब पं० फूलचन्द्रजी निमित्तभूत वस्तु को कार्योत्पत्ति मे अकिञ्चित्कर ही मानते है तो उनका उक्त प्रकार के लिखने मे क्या अभिप्राय है ? इसे स्पष्ट करने का पुस्तक मे कही भी प्रयत्न नही किया गया है ।

(२) प० फूलचन्द्रजी जैनतत्त्वमीमासा मे प्रयुक्त निमित्त तथा हेतु इन दोनो शब्दो के अर्थ मे क्या अन्तर समझते है ? यह मेरी समझ मे नही आया है । लेकिन यह निश्चित है कि दोनो शब्दो का प्रयोग उन्होने अलग-अलग अर्थो मे ही किया है ।<sup>३</sup>

१ देखो जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ८४ पक्ति २-३ ।

२ देखो जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ३२ की टिप्पणी ।

३. यह अभिप्राय जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ३२ की टिप्पणी से निकलता है ।

(३) आगम सम्बन्धी जो उद्धरण प० फूलचन्द्रजी ने अपने पक्ष के समर्थन में दिये हैं उनका अर्थ करने में उन्होंने बहुत सी भूलें भी की हैं। उदाहरण के रूप में जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ४१ पर नियमसार गाथा १८३ का अर्थ उन्होंने अपनी दृष्टि के अनुसार जीव की लोकान्तगमन योग्यता की पुष्टि के रूप में किया है जबकि गाथा १८४ को ध्यान में रखकर उसका अर्थ जीव की ऊर्ध्वगमन योग्यता की पुष्टि के रूप में ही होना है।

(४) इसी प्रकार प० जी कही तो यह लिखते हैं कि कार्य की सिद्धि में निमित्तों का होना अकिञ्चित्कर है<sup>१</sup> और कही इससे विपरीत आशय को प्रगट करने वाला ऐसा कथन करते हैं कि उत्पादान के ठीक होने पर निमित्त मिलते ही हैं उन्हें मिलाना नहीं पडता।<sup>२</sup> एक जगह<sup>३</sup> तो उन्होंने निमित्त की कार्यकारिता को सिद्ध करने वाला यह कथन भी किया है कि उनकी ईरण ( गति ) क्रिया की प्रकृष्टता अन्य द्रव्यों के क्रिया व्यापार के समय उनके बलाघान में निमित्त होती है।

(५) प० फूलचन्द्र जी की मान्यता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता यानि एक द्रव्य के परिणमन में दूसरा द्रव्य सहायक भी नहीं होता है। इसी मान्यता के आधार पर उनका कहना है कि उत्पादान के कार्य के अनुकूल व्यापार करने पर जो बाह्य सामग्री उसमें हेतु होती है उसमें निमित्तपने का व्यवहार किया जाता है।<sup>४</sup> परन्तु प० जी के इस कथन का उनके ऊपर उद्धृत इस कथन से विरोध आता है कि उनकी

१ जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २५२ । २ जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २५३ ।

३ जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ८४ । ४ जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २५३ ।

ईरण (गति) क्रिया की प्रकृष्टता अन्य द्रव्यों के क्रिया व्यापार के समय उनके बलाघान में निमित्त होती है ।

(६) यद्यपि प० फूलचन्द्र जी की यह मान्यता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में सहायक नहीं होता है यानि प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक परिणमन उस वस्तु की स्वतः सिद्ध योग्यता के आधार पर निमित्त की अपेक्षा किये बिना अपने-आप ही होता है फिर भी उन्होंने अपनी इस मान्यता की पुष्टि के लिये कार्योत्पत्ति में निमित्तों की सार्थकता को सिद्ध करने वाले आदि लौकिक पद्यों का सहारा लिया है ।<sup>१</sup>

“तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायश्च तादृशः ।  
सहायास्तादृशा सन्ति यादृशी भवितव्यता ॥”

वास्तविक बात यह है कि प० फूलचन्द्र जी ने निमित्तों के विषय में अपनी जैनतत्त्वमीमासा पुस्तक में पूर्वोक्त प्रकार जो अस्पष्ट, गलत और परस्पर विरोधी विचार प्रगट किये हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निमित्तों के विषय में उनकी कोई निश्चित विचारधारा नहीं है और चू कि कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता को वे स्वयं नहीं समझ सके हैं इसलिये उन्हें प्रत्येक वस्तु में उपादानशक्तिरूप उतनी योग्यतायें स्वीकार करनी पड़ी हैं जितना काल के आधार पर भूत, वर्तमान और भविष्यत् रूप में उस वस्तु के परिणमनों का विभाग भव्य है । इसी आधार पर उन्होंने क्रम नियमित पर्याय शब्द का अर्थ करने में भी भूल की है और प्रत्येक कार्य का समय नियत है यह सिद्धान्त भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा है ।

१. जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ६६ ।

यद्यपि केवलज्ञान के आधार पर उक्त कल्पना की जा सकती है, परन्तु यह ऐकान्तिक कल्पना है तथा इससे ससारी जीवों में पुरुषार्थहीनता का भी दोष आता है, कारण कि केवलज्ञान में कार्यकारणभाव की व्यवस्था ही नहीं बनती है कार्यकारणभाव की व्यवस्था तो श्रुतज्ञान में ही सम्भव है तथा श्रुतज्ञानी जीवों को मुक्ति प्राप्त करने के लिये केवलज्ञान की व्यवस्था उपयोगी न होकर पुरुषार्थ को जाग्रत करने वाली श्रुतज्ञान द्वारा प्रस्थापित अनेकान्तमयी कार्यकारणभाव की व्यवस्था ही उपयोगी होती है जिसमें न तो वस्तु में उतनी योग्यतायें स्वीकार करने की आवश्यकता है जितने परिमाण भूत, वर्तमान और भविष्यत् रूप में काल के समयों का विभाग सम्भव है और न इस बात को मानने की आवश्यकता है कि वस्तु में होने वाले प्रत्येक परिणामन का समय नियत है। इसी प्रकार निमित्त अकिंचित्कर है इस अनर्थकारी व्यवस्था को भी मानने की आवश्यकता नहीं है।

मुझे अपनी इस पुस्तक में प० फूलचन्द्र जी की ऊपर निर्दिष्ट मान्यताओं की ही मुख्य रूप से मीमांसा करनी है क्योंकि जैनतत्त्वमीमांसा के अन्य सभी विषयों की भूमिका इन्हीं मान्यताओं पर आधारित है। वैसे आवश्यकतानुसार इसमें जैनतत्त्वमीमांसा के सभी विषय चर्चित किये जावेंगे। इसके लिये सर्वप्रथम कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

### (३) कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता

लोक में कार्यकारणभाव को लक्ष्य में रखकर निमित्तों का उपयोग किया जाता है, जैन आगम ग्रन्थों में भी कार्योंत्पत्ति के अवसर पर निमित्तों की स्थिति को स्वीकार किया गया है और प० फूलचन्द्र जी ने भी जैनतत्त्वमीमांसा पुस्तक में

कार्यकारणभाव पर विचार करते समय निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध को मान्यता दी है। इन सब बातों के आधार पर इतना निष्कर्ष तो निकल ही आता है कि कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्त नाम की वस्तु का अस्तित्व विवाद का विषय नहीं है किन्तु विवाद इस बात का है कि कार्य के प्रति निमित्तों की क्या कुछ सार्थकता है अथवा वे वहाँ पर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही बने रहते हैं ?

इस प्रश्न पर यदि गभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है क्योंकि इसके समाधान से यदि निमित्तों की कार्य के प्रति अकिञ्चित्करता सिद्ध होती है तो जैनतत्त्वमीमासा की स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ हो जाती है और उसमें प्रतिपादित सभी विषय निर्विवाद सिद्ध हो जाते हैं। यदि उक्त प्रश्न के समाधान स्वरूप निमित्तों की कार्य के प्रति सार्थकता सिद्ध होती है तो फिर जैनतत्त्वमीमासा का समूचा आधार ही समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि मैंने सर्वप्रथम कार्योत्पत्ति में निमित्तों की सार्थकता के विषय में ही विचार करने का निर्णय किया है।

मैं ऊपर बतला आया हूँ कि प० फूलचन्द्रजी और उनसे मतभेद रखने वालों के मध्य प्रकृत विषय में मतभेद इस बात का है कि प० जी कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तों की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी कार्य की उत्पत्ति को केवल उपादान के बल पर ही मानते हैं तथा निमित्त को वहाँ सर्वथा अकिञ्चित्कर मान लेते हैं और इसका कारण वे यह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के त्रैकालिक परिणमन निश्चित है तथा वे परिणमन अपनी-अपनी नियत उपादान शक्ति के बल पर अपने-अपने नियत समय में विकास को प्राप्त होकर विनष्ट हो जाते हैं।

प० जी से मतभेद रखने वालो का कहना है कि प० जी की उक्त मान्यता सही नहीं है क्योंकि प्रत्येक वस्तु मे परिणमन दो प्रकार से उत्पन्न हुआ करते है । उनमे से एक परिणमन तो वह है जिसका विकास केवल स्व (उपादान) की अपनी योग्यता के बल पर ही हुआ करता है और दूसरा परिणमन वह है जिसका विकास स्व ( उपादान ) और पर ( निमित्त ) दोनों के बल पर ही हुआ करता है । केवल स्व ( उपादान ) के बल पर होने वाले परिणमन को तो स्वसापेक्ष (स्वप्रत्यय) परिणमन और स्व (उपादान) तथा पर (निमित्त) दोनों के बल पर होने वाले परिणमन को स्वपरसापेक्ष (स्वपरप्रत्यय) परिणमन कहते है । स्वसापेक्ष परिणमन का अपरनाम परनिरपेक्ष परिणमन भी है और स्वपरसापेक्ष परिणमन का अपरनाम परसापेक्ष परिणमन भी है । इस प्रकार जो परिणमन अपनी उत्पत्ति मे स्वपरसापेक्ष अर्थात् उपादान के साथ निमित्त की भी अपेक्षा रखते हैं उनकी उत्पत्ति के प्रति उपादान के बल के साथ-साथ निमित्तों के बल को भी स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है ।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वस्तु मे यदि विवक्षित रूप से परिणमित होने की योग्यता नहीं है तो लाखो निमित्त मिल कर भी उसमे उस परिणमन को उत्पन्न नहीं कर सकते है । उसी प्रकार विवक्षितरूप से परिणमित होने की योग्यता सपन्न वस्तु मे उस रूप परिणमित होने के लिये यदि स्वभावतः निमित्तों की अपेक्षा अपेक्षित हो तो जब तक निमित्तों का सहयोग उसे प्राप्त नहीं होगा तब तक वह वस्तु केवल अपनी परिणमित होने की योग्यता के बल पर कदापि उस रूप परिणमित नहीं होगी । इस विषय को समझने के लिये समयसार वन्धाधिकार की निम्नलिखित गाथाओ पर ध्यान देना चाहिये ।

“जह फलिहमणी सुद्धो एण सय परिणमइ रायमाईहि ।  
 राइज्जदि अण्णोहि दु सो रत्तादीहि दव्वेहि ॥३०१॥  
 एव एणणी सुद्धो ण सय परिणमइ रायमाईहि ।  
 राइज्जदि अण्णोहि दु सो रागादीहि दोसेहि ॥३०२॥”

इन गाथाओं का अर्थ यह है कि जिस प्रकार शुद्ध (स्वत - सिद्ध निज निर्मल स्वभाव का धारक) स्फटिकमणि परिणमन स्वभाव वाला होते हुए भी स्वय ( अपने आप अर्थात् निमित्तभूत परवस्तु के सहयोग के विना) रक्तादि रूपता को प्राप्त नहीं होता किन्तु अन्य रक्तादि वस्तुओं का सहयोग पाकर ही वह रक्तादि रूपता को प्राप्त होता है उसी प्रकार शुद्ध (स्वत सिद्ध निज ज्ञान स्वभाव का धारक) आत्मा परिणमन स्वभाव वाला होते हुए भी स्वय (अपने-आप अर्थात् निमित्तभूत परवस्तु के सहयोग के विना) रागादिरूपता को प्राप्त नहीं होता किन्तु अन्य रागादि पुद्गल कर्मों का सहयोग पाकर ही वह रागादि रूपता को प्राप्त होता है ।

ये गाथाये हमें इस बात का निर्णय करने का उपदेश देती हैं कि वस्तु में परिणमन करने की स्वत सिद्ध योग्यता रहते हुए भी उसमें किसी-किसी परिणमन के उत्पन्न होने में स्व के साथ-साथ पर की अपेक्षा भी स्वभावतः रहा करती है । इस विषय को विस्तार से समझने के लिये उक्त गाथाओं की आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा कृत टीका को भी ध्यान से पढ़ना चाहिये । उस टीका में निबद्ध निम्नलिखित कलश पद्य भी उक्त विषय को समझने में बड़े उपयोगी है ।

“रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ता ।  
 आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुना पुनरेवमाहु ॥१७४॥

न जानु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककान्तः ।  
तस्मिन्निमित्त परसग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥१७५॥”

यहाँ पर प्रथम कलश पद्य में आचार्य श्री ने यह प्रश्न प्रस्तुत किया है कि आत्मा की जिन रागादि परिणतियों को कर्मबन्ध का कारण माना गया है वे जब आत्मा के स्वतः सिद्ध निजस्वरूप चैतन्य तेज से पृथक् हैं तो उनकी उत्पत्ति में क्या आत्मा स्वयं निमित्त है अथवा कोई अन्य वस्तु उसमें निमित्त होती है ?

इस प्रश्न का उत्तर दूसरे कलश पद्य में यह दिया गया है कि सूर्यकान्तमणि की तरह आत्मा भी अपने अन्दर रागादिरूप परिणति की उत्पत्ति में स्वयं निमित्त नहीं होता है किन्तु उसमें परवस्तुभूत रागादि पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ सञ्ज्ञेशरूप सयोग ही निमित्त होता है क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है ।

इससे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि सूर्यकान्तमणि अथवा आत्मा की तरह प्रत्येक वस्तु अपनी किन्ही-किन्ही पर्यायो की उत्पत्ति में अन्य वस्तुभूत निमित्तों की स्वभावतः अपेक्षा रखती है । इसका फलितार्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु में स्वसापेक्ष अर्थात् परनिरपेक्ष परिणमनो की तरह स्वपरसापेक्ष अर्थात् परसापेक्ष परिणमन भी उत्पन्न हुआ करते हैं । नियमसार में आचार्य श्री कुन्दकुन्द ने आत्मा के स्वपरसापेक्ष परिणमनो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है ।

“पञ्जाभो द्विविद्यप्पो सपरावेवलो य णिरवेवलो ।”

( गा० १४ का उक्त० )



इसका अर्थ स्वयं प० फूलचन्द्रजी ने यह किया है कि पर्याये दो प्रकार की होती हैं—एक स्वपरसापेक्ष और दूसरी परनिरपेक्ष ।

इस प्रकार ऊपर किये गये विवेचन से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु के कोई-कोई परिणमन उस वस्तु की स्वतः सिद्ध परिणमनशीलतारूप योग्यता के कार्य होते हुए भी जब तक निमित्तो का सहयोग वस्तु को प्राप्त नहीं होता तब तक वे परिणमन उत्पन्न नहीं होते हैं ।

### एक प्रश्न और उसका समाधान

यद्यपि प० फूलचन्द्र ने जैनतत्त्वमीमासा में कार्यकारण-भाव की उक्त निमित्तनैमित्तिक स्थिति को स्वीकार किया है, परन्तु उनका कहना है कि वस्तु के जिस परिणमन का जब स्वकाल आ जाता है तब वह परिणमन उस काल में नियम से होता है । इसलिये वे “जब तक अनुकूल निमित्तो का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक स्वतः सिद्ध परिणमनशीलतारूप योग्यता का सद्भाव रहते हुए भी वस्तु का स्वपरसापेक्षपरिणमन नहीं होगा” इस कथन पर यह प्रश्न उपस्थित करना चाहेंगे कि यदि निमित्तो के अभाव में स्वतः सिद्ध परिणमनशील वस्तु का परिणमन रुक सकता है तो फिर उसकी स्वतः सिद्ध परिणमनशीलता का क्या उपयोग रह जायगा ?

इसके उत्तर में मेरा कहना यह है कि उस समय भी एक तो वहाँ पर उस वस्तु का परनिरपेक्ष परिणमन होता रहेगा, दूसरे उस समय जो अन्य अन्य निमित्तो का सहयोग उस वस्तु को प्राप्त रहेगा उनके बल पर उसके स्वपरसापेक्ष परिणमन के

होने में भी कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी, केवल इतना अवश्य होगा कि अनुकूल निमित्तों का अभाव रहने के कारण उस वस्तु का विवक्षित परिणमन नहीं होगा ।

### दूसरा प्रश्न और उसका समाधान

यद्यपि उक्त उत्तर के पश्चात् भी प० फूलचन्द्र जी यह कहना चाहेंगे कि प्रत्येक वस्तु का भूत, वर्तमान और भविष्यत् समयों में से प्रत्येक समय में होने वाला परिणमन निश्चित है और प्रत्येक समय में निश्चित प्रत्येक परिणमन की योग्यता भी वस्तु में विद्यमान है इसलिये उस योग्यता का स्वकाल आने पर वह परिणमन अवश्य होगा अन्यथा उस काल में अन्य योग्यता का अभाव रहने के कारण वह वस्तु उस काल में अपरिणामी ही ठहर जायगी जिससे वस्तु के स्वतः सिद्ध परिणमन स्वभाव का घात हो जायगा, अतः यही मानना श्रेयस्कर है कि वस्तु का स्वपरसापेक्ष परिणमन भी परनिरपेक्ष परिणमन की तरह केवल उसकी अपनी परिणमनशीलतारूप योग्यता के बल पर ही होता है निमित्तों को उसको उत्पत्ति में कोई उपयोगिता नहीं है वह तो वहा पर अकिञ्चित्कर ही है ।

इसके उत्तर में भी मेरा यह कहना है कि प० जी की यही सबसे बड़ी भूल है कि वे प्रत्येक वस्तु में काल के भूत, वर्तमान और भविष्यत् समयों में से प्रत्येक समय में होने वाले परिणमन की निश्चित योग्यता मानते हैं । वास्तव में तो प्रत्येक वस्तु में स्वसापेक्ष अर्थात् परनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष अर्थात् परसापेक्ष ऐसी दो ही परिणमन योग्यताएँ विद्यमान हैं । इनमें से स्वसापेक्ष अर्थात् परनिरपेक्ष परिणमनयोग्यता के बल पर होने वाला परिणमन तो क्रमशः एक के बाद एक के रूप में

सतत ही होता रहता है लेकिन स्वपरसापेक्ष अर्थात् परसापेक्ष परिणमनयोग्यता के बल पर होने वाला परिणमन प्राप्त होने वाले निमित्तो के अनुसार बदली हुई धारा मे भी मानना युक्ति-सगत है । इसलिये यह कहना उचित ही है कि जब तक विवक्षित स्वपरसापेक्ष परिणमन की उत्पत्ति के लिये वस्तु को तदनुकूल निमित्तो का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक उस वस्तु का वह विवक्षित परिणमन उत्पन्न नहीं होगा किन्तु वही स्वपरसापेक्ष परिणमन उत्पन्न होगा जिसके अनुकूल निमित्तो का सहयोग उस समय उस वस्तु को प्राप्त रहेगा । प० फूल-चन्द्रजी अपनी इस विषय सम्बन्धी व्यवस्था की सगति जो केवलज्ञान के आधार पर कर लेना चाहते है उसका निराकरण पूर्व मे किया हो जा चुका है ।

### निमित्तो की सार्थकता में एक अन्य युक्ति

कार्य के प्रति निमित्तो की सार्थकता सिद्ध करने मे एक युक्ति यह भी है कि यदि कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तो का सद्भाव रहते हुए भी कार्य केवल उपादान शक्ति के बल पर ही होता है निमित्त वहा पर उपादान की सहायता नहीं करता है तो फिर कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तो के सद्भाव को बतलाने की उसी प्रकार आवश्यकता नहीं रह जाती है जिस प्रकार कि घडे की उत्पत्ति के अवसर पर घडे की उत्पत्ति मे सहायक न होने के कारण गधे की उपस्थिति को निमित्त रूप बतलाना आवश्यक नहीं माना गया है । चूकि स्वपरसापेक्ष कार्यो की उत्पत्ति के अवसर पर निमित्तो के सद्भाव को आगम मे आवश्यक बतलाया गया है और लोक मे भी कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तो के सद्भाव पर बल दिया जाता है तथा

पूर्वोक्त प्रकार प० फूलचन्द्रजी ने भी निमित्तों को कार्योत्पत्ति के अवसर पर उपादान का बलाघायक स्वीकार किया है अतः यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि जितने स्वपरसापेक्ष कार्य होते हैं उन सब की उत्पत्ति में उपादान को निमित्तों के सहयोग की नियम से आवश्यकता रहा करती है ।

इस तरह कार्यकारणभाव के सम्बन्ध में प० फूलचन्द्रजी का यह सिद्धान्त समाप्त हो जाता है कि प्रत्येक वस्तु में कार्य-रूप से परिणत होने की उतनी ही उपादान शक्तियाँ विद्यमान हैं जितने काल के अकालिक समय सभव है तथा यह सिद्धान्त भी समाप्त हो जाता है कि वस्तु के प्रत्येक परिणमन का समय निश्चित है । इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त भी समाप्त हो जाता है कि कार्योत्पत्ति में निमित्तों का होना अकिञ्चित्कर है । एक बात पूर्व में यह बतलायी ही जा चुकी है कि कार्योत्पत्ति के सम्बन्ध में निमित्तों को स्थान देने में जैन आगम का यही अभिप्राय है कि जब जैसे निमित्तों का सहयोग उपादान को प्राप्त होता है तब उपादान अपनी योग्यतानुसार तदनुकूल कार्य के रूप में ही परिणत होता है । कार्योत्पत्ति के सम्बन्ध में निमित्तों को स्थान देने में जैन आगम का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि उपादान अपनी स्वकालगत योग्यता के अनुसार जब जिस कार्यरूप परिणत होता है तब तदनुकूल निमित्त भी वहाँ उपस्थित रहा करते हैं जैसा कि प० फूलचन्द्र जी स्वीकार करते हैं ।

आग कार्योत्पत्ति में निमित्तों की सार्थकता सिद्ध करने के लिये क्रमवद्ध विचार करने की आवश्यकता है अतः सर्वप्रथम यहाँ पर वस्तु की स्थिति के विषय में विचार किया जाता है ।

## वस्तु स्वरूप स्वतःसिद्ध है

जैन-संस्कृति में वस्तुओं की संख्या इस प्रकार निर्धारित की गयी है—एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाश द्रव्य, असंख्यात काल द्रव्य, अनन्तानन्त जीव द्रव्य और अनन्तानन्त पुद्गल द्रव्य। इन सब द्रव्य रूप वस्तुओं को स्वतःसिद्ध माना गया है अतः इनके सम्बन्ध में निम्नलिखित चार बातें फलित होती हैं।

प्रत्येक वस्तु की सत्ता अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहने वाली है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु आत्मनिर्भर तथा स्वरूप के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर रह रही है। पचाध्यायी प्रथम अध्याय में वस्तु के सम्बन्ध में इन्हीं चार बातों का समर्थन किया गया है। यथा—

तत्त्वं सल्लाक्षणिकं सन्मात्रं वा यत् स्वतः सिद्धम् ।

तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च ॥ ८ ॥

अर्थ—स्वरूप और स्वरूपवान में भेद दृष्टि अपनाने से 'सत्' जिसका लक्षण है और अभेद दृष्टि अपनाने से जो स्वयं 'सत्' है वही तत्त्व है—वस्तु है और क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है अतः वह अनादि ( उत्पत्ति रहित ), अनिधन (विनाश रहित), स्वसहाय ( आत्मनिर्भर ) और निर्विकल्प ( स्वरूप के साथ तादात्म्य को लिये हुए ) है।

इन चार बातों में से यदि किसी भी एक बात की उपेक्षा करके वस्तु को स्वीकार करने का प्रयत्न किया जायगा तो वस्तु व्यवस्था में जो गड़बड़ी होगी उसका संकेत पचाध्यायी में वही पर आगे निम्न प्रकार किया गया है।

इत्थ नो चेदसत् प्रादुर्भूतिरिच्छा भवति ।  
परत प्रादुर्भावो युतसिद्धत्व सतो विनाशो वा ॥ ६ ॥

अर्थ—यदि वस्तु को अनादि नहीं माना जायगा तो जिन वस्तुओं का आज अस्तित्व नहीं है उन नवीन वस्तुओं की निराबाध उत्पत्ति होने लगेगी, यदि वस्तु को अनिघन नहीं माना जायगा तो जिनका आज अस्तित्व है उनके विनाश का प्रसंग उपस्थित हो जायगा, यदि वस्तु को स्वसहाय नहीं माना जायगा तो अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति होने लग जायगी और यदि वस्तु को निर्विकल्प नहीं माना जायगा तो स्वरूप और स्वरूपवान दोनों की स्वतन्त्रता सिद्ध हो जाने से दो के मेल से बनी हुई वस्तु मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा ।

इस गडबडी का जो अन्तिम परिणाम होगा उसको भी पचाध्यायी में उसी स्थान पर आगे पढिये ।

### (१) असत् की उत्पत्ति के प्रसंग में

असत् प्रादुर्भवे द्रव्याणामिह भवेदनन्तत्वम् ।  
को वारयितुं शक्तं कुम्भोत्पत्तिं मृदाद्यभावेऽपि ॥ १० ॥

अर्थ—असत् की उत्पत्ति स्वीकार करने से एक तो वस्तुओं की सख्या बतलायी हुई सख्या से इतनी आगे बढ़ जायगी जिनका कहीं अन्त नहीं होगा, दूसरे मिट्टी आदि घटोत्पत्ति के साधनों के अभाव में घट की उत्पत्ति का निवारण करना अशक्य हो जायगा ।

## (२) अन्य से अन्य की उत्पत्ति के प्रसंग में

परत सिद्धत्वे स्यादनवस्था लक्षणो महान् दोषः ।  
सोऽपि पर परतः स्यादन्यस्मादिति यतश्च सोऽपि परः ॥११॥

अर्थ—वस्तु को अपने अस्तित्व में आत्म-निर्भर नहीं मानने से अन्य से अन्य की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जाने पर अनवस्था नाम का महान दोष हो जायगा। अर्थात् जब एक वस्तु का अस्तित्व दूसरी वस्तु पर निर्भर होगा तो स्वतः ही उस दूसरी वस्तु के अस्तित्व को तीसरी वस्तु पर निर्भर मानना होगा। इस तरह प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व के लिये अपनायी गयी परावलम्बन की इस धारा का कही भी पहुँचने पर अन्त नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि कारणभूत वस्तु के अभाव में कार्यभूत वस्तु का अभाव हो जाने पर सम्पूर्ण वस्तुओं का अभाव हो जायगा।

## (३) वस्तु को युतसिद्ध मानने के प्रसंग में

युतसिद्धत्वेऽप्येव गुणगुणिनो स्यात्पृथक् प्रदेशत्वम् ।  
उभयोरात्मसमत्वात्लक्षण भेदः कथं तयोर्भवति ॥१२॥

अर्थ—वस्तु को स्वरूप के साथ तदात्मक नहीं मानने से उसमें युतसिद्धता अर्थात् गुण और गुणी दोनों के मेल से वस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जाने पर गुण और गुणी दोनों को पृथक्-पृथक् प्रदेशवत्ता स्वीकार करनी होगी इस तरह दोनों में समानता आ जाने से गुण गुणी के आश्रित हैं और गुणों गुणों का आश्रय है यह लक्षणभेद गुण और गुणी में कैसे सम्भव होगा ?

### (४) सत् वस्तुओं के विनाश के प्रसंग में

अथवा सतो विनाश स्यादिति पक्षोऽपि बाधितो भवति ।  
नित्यं यतः कथञ्चिद् द्रव्यं सुज्ञैः प्रतीयतेऽध्यक्षात् ॥१३॥

अर्थ—सत् का विनाश स्वीकार करने का पक्ष भी इस-  
लिये गलत है कि ज्ञानी जनो को प्रत्येक वस्तु में कथञ्चित्  
स्थायीपने का सतत अनुभव होता रहता है ।

अन्त में विषय का उपसंहार करते हुए पचाध्यायीकार  
ने वही पर कहा है—

तस्मा दनेकदूषण दूषित पक्षान् निच्छेत्ता पु सा ।  
अनवद्यमुक्त लक्षणं मिह तत्त्वं चानुभन्तव्यम् ॥१४॥

अर्थ—इसलिये उल्लिखित अनेक दोषो से दूषित पक्षों  
को न चाहने वाले व्यक्ति को वस्तु का जो निर्दोष लक्षण ऊपर  
बतलाया गया है उसका ही अनुमोदन करना चाहिये ।

इस प्रकार जब किसी भी वस्तु का अस्तित्व स्वीकार  
करने के लिये उस वस्तु को अनादि, अनिघन, आत्मनिर्भर  
और अखण्ड मानना आवश्यक है तो यह स्थिति वस्तु को  
स्वतः सिद्ध मानने के लिये बाध्य कर देती है और जब वस्तु को  
इस तरह स्वतः सिद्ध मान लिया जाता है तो इसका निष्कर्ष यही  
होता है कि वस्तु का अपना निजी स्वरूप स्वतः सिद्ध है कारण  
कि वस्तुस्वरूप की स्वतः सिद्धता को छोड़कर वस्तु की स्वतः-  
सिद्धता और कुछ नहीं है ।



## वस्तु स्वरूप प्रतिनियत भी है

अब आगे यह बतलाया जा रहा है कि जिस प्रकार वस्तु का स्वरूप स्वतः सिद्ध है उसी प्रकार वह प्रतिनियत भी है क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्व को छोड़ कर अन्य किसी भी वस्तु में नहीं पाये जाने वाले स्वरूप के आधार पर ही दूसरी सभी वस्तुओं से अपनी भिन्नता सुरक्षित रखती है। इस तरह प्रत्येक वस्तु के स्वरूप के प्रतिनियत होने (स्व को छोड़ कर अन्य किसी भी वस्तु में नहीं पाया जाने) के कारण ही विश्व की वस्तुओं की सख्यानियत परिमाण में अनन्त सिद्ध होती है। समयसार में वस्तु के स्वरूप को प्रतिनियत ही स्वीकार किया गया है।

“एतत्तन्निच्छद्यगओ समओ सव्वत्थ सु दरो लोए ॥”

(गाथा ३ का पूर्वार्ध)

**टीका**—समय शब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोऽभिधीयते । समयत एकीभावेन स्वगुणपर्यायान् गच्छतीति निरुक्ते । तत सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावन्त केऽप्यर्थास्ते सर्व एव स्वकीयद्रव्यान्तर्मग्नानन्तस्वधर्म-चक्रचुम्बिनोऽपि परस्परमचुम्बन्तोऽत्यन्तप्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपाद पतन्तः पररूपेणापरिणमवादविनष्टानन्त व्यक्तित्वाद् - कोत्कीर्णा इव तिष्ठन्तः समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्वदेव विश्वमनुगृह्णन्तो नियतमेकत्व निश्चयगतत्वेनैव सौन्दर्य मा पद्यन्ते, प्रकारान्तरेण सर्व सकरादिदोषापत्तोः ।

**गाथार्थ**—एकत्व और निश्चय को प्राप्त अर्थात् अखण्ड एकत्व को प्राप्त समय (पदार्थ) ही लोक में सर्वत्र सुन्दरता को प्राप्त हो रहा है। अर्थात् वस्तु की कोटि में गिना जाता है।

टीकार्थ—गाथा मे समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थों को ग्रहण किया गया है, क्योंकि जो अखण्ड रूप से अपने गुण और पर्यायो मे रह रहा है वह समय कहलाता है ऐसी ही निरुक्ति यहा समय शब्द की स्वीकार की गयी है। इसलिये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव द्रव्यो के रूप मे अवस्थित सम्पूर्ण लोक मे जितनी सख्या मे जो कोई पदार्थ विद्यमान हैं वे सब पदार्थ एक तरफ तो अपने-अपने द्रव्य मे अन्तर्मग्न और अनन्त सख्याक स्वकीय धर्मो के समूह से अभिन्न हो रहे हैं तथा दूसरी ओर वे सभी पदार्थ एक-दूसरे पदार्थ से विल्कुल भिन्नता को प्राप्त हो रहे है, इसके अतिरिक्त यद्यपि वे सभी पदार्थ एकक्षेत्रावगाही हो रहे हैं फिर भी वे कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते और चूकि पररूपता को वे कभी प्राप्त नहीं होते, इसलिये अपना-अपना पृथक्-पृथक् व्यक्तित्व कायम रखते हुए वे सब पदार्थ मिलकर अपनी अनन्त सख्या को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। अर्थात् उल्लिखित धर्मादि सभी पदार्थ जितनी सख्या मे अनादि काल से अवस्थित होकर चले आ रहे है अनन्त काल तक उनकी उतनी ही सख्या अक्षुण्ण बनी रहने वाली है। इस तरह जैसे टाकी से ही उत्कीर्ण कर दिये गये हो—ऐसे रहते हुए तथा सम्पूर्ण विरुद्ध और अविरुद्ध कार्यों मे हेतु बन कर विश्व को सहायता पहुँचाते हुए वे सब पदार्थ नियम से अपने आप मे अखण्ड और अपने अस्तित्व मे आत्म-निर्भर होकर ही सौदर्य को प्राप्त हो रहे है। अर्थात् प्रत्येक पदार्थ अपने-अपने पृथक्-पृथक् स्वरूप के आधार पर सत्ता को प्राप्त होकर लोक मे अवस्थित हो रहे हैं। यदि इस प्रकार से पदार्थों की व्यवस्था स्वीकार नहीं कि जाती है तो सम्पूर्ण पदार्थों मे परस्पर सकर हो जाने का तथा आदि पद से नवीन पदार्थों की

उत्पत्ति और विद्यमान पदार्थों के विनाश का प्रसंग उपस्थित होता है ।

इस प्रकार पचाध्यायी और समयसार के उल्लिखित उद्धरण हमें स्पष्ट बतला रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपना-अपना स्वरूप जैसा स्वतःसिद्ध है वैसा प्रतिनियत ( स्व को छोड़ कर अन्य किसी भी वस्तु में नहीं पाया जाने वाला ) भी है ।

### वस्तु और वस्तुस्वरूप में परिणमनशीलता भी है

जिस प्रकार वस्तुस्वरूप स्वतःसिद्ध और प्रतिनियत है उसी प्रकार वह परिणमनशील भी है । परिणमनशीलता का अर्थ वस्तु की उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यात्मकता है । पचाध्यायी के प्रथम अध्याय के निम्नलिखित पद्यों द्वारा इस बात का समर्थन होता है ।

वरत्त्वस्ति स्वतःसिद्ध यथा तथा तत्स्वतश्चपरिणामि ।  
 तस्मादुत्पादस्थितिभगमय तत्तदेतदिह नियमात् ॥८६॥  
 वस्तु यथा परिणामि तथैव परिणामिनो गुणाश्चापि ।  
 तस्मादुत्पादव्ययद्वयमपि भवति हि गुणानां तु ॥११२॥

पहले पद्य में वस्तु को स्वतःसिद्ध और उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यरूप में परिणामी बतलाया गया है तथा दूसरे पद्य में वस्तु के गुणों अर्थात् स्वरूप को उसी प्रकार परिणामी स्वीकार किया गया है ।

पहले पद्य का अर्थ है कि वस्तु जिस प्रकार स्वतःसिद्ध है उसी प्रकार वह परिणामी भी है इसलिये वह उत्पाद, व्यय और ध्रुवता को प्राप्त हो रही है ।

दूसरे पद्य का अर्थ है कि जिस प्रकार वस्तु परिणामी है उसी प्रकार उसके गुण भी परिणामी है इसलिये गुणों में भी उत्पाद तथा व्यय सिद्ध हो जाते हैं ।

तत्त्वार्थसूत्र के पचम अध्याय में भी “सद्द्रव्यलक्षणम् ॥२६॥” तथा “उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सत् ॥३०॥” इन दोनों सूत्रों द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन किया गया है । उक्त दोनों सूत्रों का अभिप्राय यह है कि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य के रूप में जो परिणमनशील हो उसे सत् नाम से पुकारा जाता है और जो उक्त प्रकार से सत् हो उसे ही द्रव्य नाम से पुकारा जाता है । चूँकि पूर्वोक्त एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाश-द्रव्य, असख्यात कालद्रव्य, अनन्तानन्त जीवद्रव्य और अनन्तानन्त पुद्गलद्रव्य ये सब वस्तुयें अपने-अपने पृथक्-पृथक् स्वतः सिद्ध और प्रतिनियत स्वरूप के आधार पर ‘सत्’ की कोटि में समाविष्ट होती हैं अतः इन सब वस्तुओं को उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य के रूप में परिणमनशील स्वीकार किया गया है ।

**परिणमनशीलता के अर्थ में उत्पाद और व्यय के साथ ध्रौव्य भी गर्भित है**

परिणमनशीलता के अर्थ में उत्पाद और व्यय के साथ ध्रौव्य को भी गर्भित किया गया है इसका कारण यह है कि प्रत्येक वस्तु के स्वभाव में जो पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद रूप परिणमन होता है वह परिणमन वस्तु स्वभाव के साथ प्रतिनियत रहता है अर्थात् वह परिणमन वस्तु-स्वभाव की परिधि में हुआ करता है वस्तुस्वभाव की परिधि के बाहर त्रिकाल में कभी किञ्चिन्मात्र परिणमन नहीं होता है ।

इस तरह प्रत्येक वस्तु के अपने-अपने स्वभाव में होने वाले उत्पाद और व्यय की यह प्रतिनियतता उस उस स्वभावकी ध्रुवता की निशानी है क्योंकि उत्पाद तथा व्यय रूप परिणमन होते हुए भी उल्लिखित प्रतिनियतता का सद्भाव रहने के कारण उस परिणमन में कभी भी स्वभावरूपता का अभाव नहीं होता है ।

जैसे रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पुद्गल द्रव्य के स्वतःसिद्ध और प्रतिनियत स्वभाव है । इन चारों ही स्वभावों में परिणमित होने की अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् स्वतःसिद्ध योग्यता पायी जाती है जिसके आधार पर उक्त चारों स्वभावों में सतत उत्पाद और व्यय रूप परिणमन होता रहता है । चूँकि प्रत्येक स्वभाव में होने वाला उनका अपना अपना वह परिणमन उस उस स्वभाव के साथ प्रतिनियत रूप में ही हुआ करता है यानि वह परिणमन उस उस स्वभाव की अपनी-अपनी परिधि में ही होता है अतः उनमें प्रतिक्षण उत्पाद और व्यय रूप से परिणमन होते हुए भी उनका अपना रूपना, रसपना, गन्धपना और स्पर्शपना सतत बना ही रहा करता है ।

इसी प्रकार जायकपनेरूप देखने व जानने की शक्ति के रूप में स्वतःसिद्ध और प्रतिनियत दो स्वभाव आत्मा के हैं तथा इन दोनों ही स्वभावों में परिणमित होने की अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् स्वतःसिद्ध योग्यता है जिसके आधार पर उन स्वभावों में सतत उत्पाद और व्यय रूप परिणमन होता रहता है । चूँकि उन स्वभावों में होने वाला अपना-अपना परिणमन उन स्वभावों के साथ प्रतिनियत रूप में ही हुआ करता है यानि वह परिणमन उस उस स्वभाव की अपनी अपनी परिधि में ही होता है अतः उनमें प्रतिक्षण उत्पाद और व्ययरूप परिणमन

होते हुए भी उनका अपना दर्शनपना और ज्ञानपना सतत बना ही रहा करता है ।

समयसार गाथा ३७२ की टीका में आचार्य अमृतचन्द्र के निम्नलिखित कथन द्वारा उल्लिखित बात का ही समर्थन होता है ।

“सर्वद्रव्याणां स्वभावेनैवोत्पादात् । तथा हि मृत्तिका कुम्भभावेनोत्पद्यमाना किं कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते किं मृत्तिका स्वभावेन ? यदि कुम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा कुम्भकरणा-हकारनिर्भरं पुरुषाधिष्ठितव्यापृतकरपुरुषशरीराकारं कुम्भः स्यात्, न च तथास्ति, द्रव्यान्तरं स्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पाद-स्यादर्शनात् । एव च एति मृत्तिकायां स्वस्वभावानतिक्रमात् कुम्भकारं कुम्भस्योत्पादकं एव मृत्तिकैव कुम्भकारं स्वभावमस्पृशन्ती स्वस्वभावेन कुम्भभावेनोत्पद्यते ।”

अर्थ—समस्त द्रव्यो का उत्पाद स्वभाव से (स्वभाव की परिधि में) ही होता है । अर्थात् द्रव्य के अपने किसी भी उत्पाद में उस द्रव्य का अपना स्वभाव नष्ट नहीं होता है । जैसे मृत्तिका जब घट रूप से उत्पन्न होती है तो प्रश्न खडा होता है कि वह क्या कुम्भकार के स्वभाव रूप से घट बनती है अथवा मृत्तिका के अपने स्वभाव रूप से घट बनती है ? यदि कुम्भकार स्वभावरूप से घट बनती है—ऐसा माना जावे तो फिर घट के उत्पादन के अहकार से परिपूर्ण पुरुष से अधिष्ठित और हस्तो के व्यापार से युक्त शरीर के आकार का ही घट बनना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता है । अर्थात् घट की उत्पत्ति कुम्भकार के उल्लिखित स्वभावरूप से नहीं हुआ करती है क्योंकि एक द्रव्य का परिणामन कभी भी दूसरे द्रव्य के स्वभावरूप से नहीं हुआ करता है । इस प्रकार मृत्तिका जब अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं तो फिर

कुम्भकार कुम्भ का उत्पादक न होकर मृत्तिका ही कुम्भकार के स्वभाव को नहीं छूती हुई अपने स्वभावरूप से कुम्भरूपता को प्राप्त होती है ।

इसका आशय यही है कि जब मृत्तिका घटरूप से उत्पन्न होती है तो वह घट सतत मृत्तिका के स्वभाव में ही रहता है । इस तरह प्रत्येक वस्तु का परिणमन कभी भी उस वस्तु के स्वभाव का अतिक्रमण नहीं करता है । अर्थात् परिणमन होते हुए भी उसमें वस्तु की स्वभावरूपता सतत बनी ही रहती है । इस तरह उत्पाद तथा व्यय के अवसर पर इस स्वभावरूपता का बना रहना ही ध्रौव्य कहलाता है ।

आप्त मीमासा की निम्नलिखित कारिका का भी यही अभिप्राय है ।

न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात् ।

व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत् ॥५७॥

अर्थ—वस्तु अपने सामान्य स्वभाव से न उत्पन्न होती है और न विनष्ट होती है विशेष स्वभाव से ही उत्पन्न और विनष्ट होती है । इस तरह उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य तीनों की एक वस्तु में एक साथ स्थिति रहा करती है ।

इस कारिका में विशेष (उत्पाद और व्यय रूप अंशों) के साथ वस्तु के सामान्य (ध्रौव्य) की स्थिति को स्वीकार किया गया है जो इस बात का सूचक है कि उत्पाद और व्यय बिना ध्रौव्य के नहीं रहते । अतः परिणमन का अर्थ उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों की वस्तु में एक साथ स्थिति अथवा एकरूपता ही ग्रहण करना युक्त है ।

उपर के उदाहरणों द्वारा गीने पद्वयल और आत्मा दोनों वस्तुओं के स्वभावों में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप में परिणमन की विवेचना की है । स्वामी नमन्तभद्र ने आप्त मीमांसा में वस्तु की द्रव्यपर्यायों ( व्यजन पर्यायों ) को लेकर भी उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप में परिणमन की विवेचना की है जो निम्न प्रकार है—

घटमीलितुघर्णार्थो नाशोत्पादस्यतिष्यथम् ।

शोकप्रसोदमाव्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम् ॥५६॥

पयोव्रतो न दध्यति न पयोति दधिव्रत ।

भगो रस व्रतो नोभे तस्मात्तत्त्व प्रयात्मकम् ॥६०॥

अर्थ—स्वर्णकार द्वारा सोने के घड़े को मिटाकर उसका मुटुट बना देने पर जो घड़े के खरीददार को विपाद, मुकुट के खरीददार को हर्ष और सोने के खरीददार को विपाद या हर्ष न होकर साम्यभाव उदित होता है ये तीनों व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न प्रकार को मानसिक वृत्तियाँ बिना कारण के सम्भव नहीं हैं, इसलिये समझ में आता है कि वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप से त्रयात्मक ही है अथवा देखने में आता है कि जिन व्यक्ति ने सम्पूर्ण गोरसों में से केवल दुग्ध सेवन का व्रत ले रखा है वह व्यक्ति दधि का सेवन नहीं करता है क्योंकि वह समझता है कि गोरस की दुग्ध पर्याय न रह कर दधि पर्याय बन जाने के कारण उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वह उसके लिये अभक्ष्य हो चुका है, ऐसे ही जिसने समस्त गोरसों में से केवल दधि सेवन का व्रत ले रखा है वह दुग्ध का सेवन नहीं करता है क्योंकि वह समझता है कि दुग्धपर्याय दधिपर्याय नहीं है इसलिये उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार वह उसके लिये अभक्ष्य है और ऐसे ही जिस व्यक्ति ने अगोरस सेवन का व्रत ले रखा है वह दुग्ध और दधि



दोनो का ही सेवन नही करता है क्योकि वह समझता है कि दुग्ध पर्याय मे दधिपर्याय का अभाव व दधिपर्याय मे दुग्धपर्याय का अभाव रहने पर भी दुग्ध और दधि दोनो पर्यायो मे गोरस-पना तो है ही, इसलिये वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुग्ध और दधि दोनो को ही अभक्ष्य मानता है । इस तरह इस उदाहरण से भी समझ मे आता है कि वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप से त्रयात्मक ही है ।

प्रत्येक वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव मे उपर्युक्त प्रकार से परिणमित होने की योग्यता स्वत सिद्ध ही मानी गयी है यह वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव की लब्धि या शक्तिरूप अप्रकट विशेषता है तथा इसके आधार पर वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव मे होने वाला परिणमन उपयोग या व्यक्ति रूप प्रकट विशेषता है । वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव मे विद्यमान परिणमित होने की वह योग्यता ही उपादान शक्ति कहलाती है और उसके आधार पर होने वाला परिणमन उसका कार्य कहलाता है । आगे परिणमन के भेदो पर विचार किया जाता है ।

### परिणमन के भेद

परिणमन के भेदो की विवेचना करने से पूर्व मैं यह बतला देना चाहता हू कि ऊपर के कथन से निम्नलिखित बातें फलित होती हैं—

( १ ) वस्तु और उसका स्वभाव दोनो ही स्वत सिद्ध हैं तथा स्वत सिद्ध होने से दोनो ही अनादि काल से अनन्त्रकाल तक रहने वाले है ।

( २ ) दोनो ही परिणमनशील है और दोनो का वह परिणमन उनकी अपनी परिधि मे ही हुआ करता है अर्थात्

दोनों परिणमन करते हुए भी अपने सामान्य रूप को नहीं छोड़ते हैं। इस तरह दोनों ही उत्पाद, व्यय और ध्रुवता को लिये हुए हैं।

( ३ ) परिणमन कार्य कहलाता है और जिसमें या जिसका वह परिणमन होता है अर्थात् जो परिणमित यानि कार्यरूप परिणत होता है वह कारण कहलाता है। इस तरह वस्तु के परिणमन में वस्तु कारण है और वस्तु के स्वभाव के परिणमन में वस्तु का स्वभाव कारण है तथा दोनों में होने वाला अपना-अपना वह परिणमन कार्य कहलाता है।

( ४ ) चूँकि वस्तु के परिणमन में वस्तु स्वयं ( आप ) परिणमित यानि कार्यरूप परिणत होती है और वस्तु स्वभाव के परिणमन में वस्तु स्वभाव स्वयं ( आप ) परिणमित यानि कार्यरूप परिणत होता है अतः दोनों अपने-अपने परिणमन के उपादान कारण माने गये हैं तथा दोनों में विद्यमान परिणमित होने की योग्यता उपादानशक्ति कहलाती है।

( ५ ) वस्तु में होने वाला परिणमन द्रव्यपरिणमन कहलाता है और वस्तु के स्वभाव में होने वाला परिणमन गुणपरिणमन कहलाता है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव में विद्यमान परिणमित होने की योग्यता (उपादान-शक्ति) के आधार पर होने वाला वह परिणमन क्या स्वयं ( अपने आप ) ही हुआ करता है ? तो इसका समाधान यह है कि वस्तु में उसकी अपनी स्वतः सिद्ध योग्यता (उपादानशक्ति) के आधार पर जो परिणमन होता है वह परिणमन उसके

अनुकूल अन्य पदार्थ का सहयोग मिलने पर ही होता है और वस्तु के स्वभाव में उसकी अपनी स्वतः सिद्ध योग्यता (उपादान-शक्ति) के आधार पर जो परिणमन होता है वह दो प्रकार से हुआ करता है। अर्थात् वस्तु स्वभाव का कोई परिणमन तो उसके अनुकूल अन्य पदार्थ का सहयोग प्राप्त होने पर ही होता है और कोई परिणमन स्वतः (अपने-आप अर्थात् अन्य पदार्थ के सहयोग की अपेक्षा के बिना) ही हुआ करता है। इस तरह परिणमन के दो भेद हो जाते हैं—एक स्वसापेक्ष परिणमन और दूसरा स्वपरसापेक्ष परिणमन। स्वसापेक्ष परिणमन को आगम में स्वसापेक्ष परनिरपेक्ष अथवा परनिरपेक्ष परिणमन भी कहा गया है और स्वपरसापेक्ष परिणमन को परसापेक्ष परिणमन भी कहा गया है। स्वसापेक्ष परिणमन को स्वप्रत्यय और स्वपरसापेक्ष परिणमन को स्वपरप्रत्यय अथवा परप्रत्यय परिणमन भी आगम में कहा गया है। इनमें से ऊपर कहे अनुसार वस्तु के द्रव्यपरिणमन तो स्वपरसापेक्ष ही हुआ करते हैं और वस्तु के गुणपरिणमनो में से कोई परिणमन तो स्वसापेक्ष होते हैं और कोई परिणमन स्वपरसापेक्ष हुआ करते हैं। यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिये कि वस्तु अथवा वस्तु के स्वभाव का कोई भी परिणमन स्वनिरपेक्ष परसापेक्ष नहीं होता, जैसा कि आगे स्पष्ट किया जायगा।

### परिणमन की स्वसापेक्षता और स्वपरसापेक्षता का अभिप्राय

जिसमें या जिसका परिणमन होता है यानि जो परिणत होता है वह 'स्व' कहलाता है। इसे उपादानकारण भी कहते हैं। इसकी अपेक्षा स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष दोनों ही प्रकार के परिणमनो में रहा करती है। जो परिणमित तो न

हो परन्तु परिणमित होने वाली वस्तु को परिणमित होने में सहायक अवश्य हो अर्थात् जिसकी सहायता के बिना परिणमित होने वाली वस्तु परिणमित न हो वह 'पर' कहलाता है इसे निमित्त अर्थात् सहायक कारण भी कहते हैं । इसकी अपेक्षा स्वपरसापेक्ष परिणमन में ही रहा करती है स्वसापेक्ष पर-निरपेक्ष परिणमन में नहीं ।

### स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष परिणमनों में

#### भेद कारण

ऊपर के कथन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष दोनों परिणमनों में भेद का कारण उस उस परिणमन में पायी जाने वाली परनिरपेक्षता और परसापेक्षता ही है क्योंकि परिणमन के प्रतिनियत रहने (स्वभाव की परिधि में होने) के कारण स्व की अपेक्षा तो दोनों परिणमनों में समान रूप से रहा करती है । इससे यह भी निष्कर्ष निकला कि वस्तु में अथवा वस्तु के स्वभाव में कोई परिणमन स्व की अपेक्षारहित केवल परसापेक्ष नहीं होता है । अर्थात् वस्तु में अथवा वस्तु के स्वभाव में जिस प्रकार के परिणमन की योग्यता विद्यमान नहीं है उस प्रकार का परिणमन वस्तु में अथवा वस्तु के स्वभाव में केवल पर के बल पर त्रिकाल में कभी भी नहीं हो सकता है । यही कारण है कि आगम में स्वनिरपेक्षपरसापेक्ष परिणमन का विधान नहीं पाया जाता है प्रत्युत स्वनिरपेक्षपरसापेक्ष परिणमन का आगम में दृढता के साथ निषेध ही किया गया है । इस सम्बन्ध में समयसार की ११६ से १२० तक की व १२१ से १२५ तक की गाथाओं तथा गाथा १०३ का गहराई के साथ अवलोकन करना चाहिये ।

क्योंकि इनमें स्वनिरपेक्षपरसापेक्ष परिणमन का स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है ।

स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष परिणमनो के सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखना चाहिये कि दोनों प्रकार के परिणमनो में से प्रत्येक परिणमन में विद्यमान अपनी अपनी परनिरपेक्षता और परसापेक्षता स्वयं सिद्ध समझना चाहिये, इसलिये परनिरपेक्ष परिणमन हमेशा परनिरपेक्ष ही हुआ करता है और परसापेक्ष परिणमन हमेशा परसापेक्ष ही हुआ करता है । इसी प्रकार दोनों ही परिणमनो में समान रूप से विद्यमान स्वसापेक्षता को भी स्वयं सिद्ध समझना चाहिये ।

### दोनों प्रकार के परिणमनों का दायरा

स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन की विवेचना करते हुए आचार्य श्री पद्मप्रभमलधारिदेव ने आचार्य श्री कुन्दकुन्द द्वारा विरचित नियमसार के जीवाधिकार सम्बन्धी गाथा १४ की टीका में निम्नलिखित कथन किया है—

“अत्र स्वभावपर्याय. षड्द्रव्यसाधारण अर्थ पर्याय अवाङ्मानसगोचर अतिसूक्ष्म आगमप्रामाण्यादभ्युपगम्योऽपि च षड्ढानिवृद्धिविकल्पयुत । अनन्तभागवृद्धि, असख्यात भागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि, अनन्तगुणवृद्धि. तथा हानिश्च नीयते ।”

अर्थ—स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष दोनों प्रकार की पर्यायो ( परिणमनो ) में से स्वभाव पर्याय ( स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन ) छह प्रकार के सभी द्रव्यों ( एकधर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य, असख्यात कालद्रव्य, अनन्तान्त जीवद्रव्य और अनन्तान्त पुद्गलद्रव्य इन सब द्रव्यों ) में

समान रूप से अपने-अपने प्रतिनियतरूप में पायी जाती है। इसे अर्थ पर्याय भी कहते हैं। यह छद्मस्थो के वचन और मन के अगोचर है, अत्यन्त सूक्ष्म है, आगम प्रमाण से (सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट होने से) गम्यमान है और हानि तथा वृद्धि के निम्नलिखित छह छह भेदों द्वारा क्रमशः धारावाही रूप से प्रवर्तमान है। अनन्त भागवृद्धि, असख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यात गुण वृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि इस क्रम से वृद्धि के छह विकल्प हैं तथा अनन्त भागहानि, असख्यात भागहानि, सख्यात भागहानि, सख्यात गुणहानि, असख्यात गुणहानि और अनन्तगुणहानि इस क्रम से हानि के भी छह विकल्प हैं।

तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ५ के “निष्क्रियाणि च ॥७॥” सूत्र की सर्वाथसिद्धिटीका में भी स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन पाया जाता है।

“द्विविध उत्पाद स्वनिमित्त परप्रत्ययश्च । स्वनिमित्त-स्तावदनन्तानामगुरुलघुगुणानामागमप्रामाण्यादभ्युपगम्यमानाना पट्स्थानपतितया वृद्ध्या हान्या च प्रवर्तमानानां स्वभावादेतेषामुत्पादो व्ययश्च ।”

अर्थ—उत्पाद दो प्रकार का है—स्वनिमित्त (स्वसापेक्ष-परनिरपेक्ष) और परप्रत्यय (स्वपरसापेक्ष) । स्वनिमित्त (स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष) उत्पाद वह है जो अनन्त अगुरुलघुगुणों (अगुरुलघुगुण के अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदरूप शक्त्यशो) में पट्स्थानपतित हानि और वृद्धि के रूप में स्वभाव से (परनिरपेक्ष होकर) होता है तथा जो आगम प्रमाण के आधार पर ही स्वीकृत करने योग्य है।

यह स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन की विवेचना है। यह उक्त सभी वस्तुओं में अगुरुलघुगुण के शक्त्यशो की उक्त क्रम सहित छह भेद रूप हानि, इस हानि के पश्चात् छह भेदरूपवृद्धि, इस वृद्धि के पश्चात् फिर हानि और इस हानि के पश्चात् भी फिर वृद्धि इस प्रकार सदा काल स्वतः प्रतिनियत रूप में प्रवर्तमान है। इसका फलितार्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु के उक्त प्रकार से होने वाले इस परिणमन के परनिरपेक्ष अर्थात् केवल निजी स्वतःसिद्ध प्रतिनियत स्वभाव के आधार पर स्वतः होते रहने के कारण यह सतत समान क्रम से ही हुआ करता है किसी भी वस्तु के अनादि से अनन्त काल तक इसके उक्त क्रम में कभी न तो वैषम्य हुआ और न ही सकता है। इसके अतिरिक्त जितने भी गुण परिणमनरूप स्वभाव परिणमन होते हैं वे तथा सभी प्रकार के द्रव्यपरिणमन इन्हें स्वपरसापेक्ष परिणमन जानना चाहिये।

### दोनों ही परिणमनों में कार्यकारणभाव की विवेचना का आधार

वस्तु स्वभावगत उक्त स्वसापेक्ष परनिरपेक्ष परिणमन में कार्यकारणभाव की विवेचना का आधार केवल वस्तुस्वभाव और उसका उक्त षड्गुणहानि वृद्धिरूप परिणमन इन दोनों में पाया जाने वाला उपादानोपादेय भाव ही है क्योंकि इस परिणमन में पायी जाने वाली परनिरपेक्षता की वजह से कार्यकारणभाव का दूसरा आधार निमित्तनैमित्तिकभाव यहाँ पर सम्भव नहीं है। इसलिये कर्तृकर्मभाव और अधाराधेयभाव आदि सम्बन्धों को बतलाने वाले कारक व्यवस्था भी यहाँ पर केवल उपादानोपादेयभाव के आधार पर ही स्वीकृत करने योग्य है। इस तरह जब स्वसापेक्ष परनिरपेक्ष परिणमन में

उपादानोपादेयभाव के आधार पर कर्तृकर्मभाव और कारक-व्यवस्था स्वीकार कर ली जाती है तो कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण का आरोप विवक्षित एक उपादानभूत वस्तु में ही किया जाता है ।

स्वपरसापेक्ष परिणमन में कार्यकारणभाव की विवेचना का आधार उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव दोनों ही सिद्ध होते हैं, इसलिये वहाँ पर जो कार्यकारणभाव, कर्तृ-कर्मभाव और कारक व्यवस्था स्वीकार की जाती है उसमें निमित्तनैमित्तिकभाव और उपादानोपादेयभाव दोनों ही आधार हो जाते हैं । इस तरह स्वपरसापेक्ष परिणमन में कर्ता और कर्म को छोड़कर करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण कारको का आरोप विवक्षित उपादानभूत वस्तु से भिन्न उन वस्तुओं में भी पृथक्-पृथक् यथायोग्य रूप से किया जाता है जो वस्तुयें वहाँ पर उपादान की कार्यरूप परिणति में अपने-अपने ढंग से सहायक हुआ करती हैं । कर्मकारक का आरोप उपादान की कार्यपरिणति में ही वहाँ पर भी हुआ करता है क्योंकि उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव का कर्म-रूप विषय एक और वह भी उपादान की कार्यरूप परिणति ही हुआ करती है । कर्ताकारक का आरोप वहाँ पर उपादानोपादेयभाव के आधार तो उपादान स्वयं में और निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर उपादान से भिन्न उस वस्तु में किया जाता है जो वस्तु उपादान की उस कार्यरूप परिणति में स्वतन्त्र रूप से सहायक हुआ करती है ।

इस प्रकार जो कार्य अथवा परिणमन अपनी उत्पत्ति में स्व ( उपादान ) के साथ-साथ पर (निमित्त) की अपेक्षा रखने वाले होते हैं उनमें उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव



इन दोनों के आधार पर उक्त प्रकार से कार्यकारणभाव, कर्तृ-कर्मभाव और कारक व्यवस्था बनती है—ऐसा जानना चाहिये तथा जो कार्य अथवा परिणमन अपनी उत्पत्ति में पर (निमित्त) की अपेक्षा रहित केवल स्व (उपादान) की अपेक्षा रखने वाले हैं उनमें कार्यकारणभाव, कर्तृकर्मभाव और कारक व्यवस्था उक्त प्रकार से केवल उपादानोपादेयभाव के आधार पर बनती है ऐसा जानना चाहिये ।

### निमित्तों की विविधता

जो स्वयं (आप) विवक्षित कार्यरूप परिणत होता है उसे उपादान कहते हैं क्योंकि उपादान शब्द 'उप' उपसर्गपूर्वक आदानार्थक 'आ' उपसर्गविशिष्ट 'दा' धातु से निष्पन्न हुआ है जिसका व्युत्पत्त्यर्थ परिणमन को स्वीकार या ग्रहण करने वाला अर्थात् कार्यरूपपरिणत होने वाला होता है । इसी प्रकार जो स्वयं (आप) विवक्षित कार्यरूप तो परिणत न हो परन्तु उपादान की उस विवक्षित कार्यरूप परिणति में सहायक अवश्य हो अर्थात् जिसके सहयोग के बिना उपादान कार्यरूप परिणत न हो उसे निमित्त कहते हैं क्योंकि निमित्त शब्द 'नि' उपसर्ग पूर्वक स्नेहार्थक 'मिद्' धातु से निष्पन्न हुआ है जिसका व्युत्पत्त्यर्थ उपादान की कार्य परिणति में स्नेहन करने वाला अर्थात् सहायता पहुँचाने वाला होता है । ऐसे निमित्त उपादान को विवक्षित कार्यरूप से परिणत होने में यथायोग्य भिन्न-भिन्न रूप में होते हुए विविध प्रकार के हुआ करते हैं । अर्थात् जितने भी स्वपरसापेक्ष कार्य हुआ करते हैं उनकी उत्पत्ति में अपने-अपने ढंग से यानि यथावश्यक और यथासम्भव कर्ता, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण रूप से सहयोग प्रदान करती हुई पर (अन्य) वस्तुयें निमित्तकारण कही जाती हैं । ऐसी

वस्तुये कार्योत्पत्ति मे साक्षात् निमित्त होती है तथा स्वस्वाभिभावादि सम्बन्ध विशेष वस्तु भी कदाचित् परम्परया निमित्त हुआ करती है । इस सम्बन्ध मे उदाहरण के रूप मे निम्नलिखित वाक्य उपस्थित किया जा सकता है—

“आचार्य श्री कुन्दकुन्द ने अमुक समय मे अमुक स्थान पर बैठकर भव्य जीवो के लिये अथवा भव्य जीवो के कल्याण के लिये ताडपत्र पर लोहे की शलाका द्वारा समयसार ग्रन्थ की रचना की ।”

इस उदाहरण मे समयसार नामक ग्रन्थ ( विवक्षित अक्षरो, पदो, वाक्यो और महावाक्यो का विवक्षित क्रम से ताड पत्र पर उत्कीर्ण हो जाना ) ही कार्य है, इसका उपादानकारण ताडपत्र है क्योंकि ताडपत्र की ही उस रूप परिणति हुई है, ताडपत्र के उक्त रूप से परिणमनरूप कार्य मे आचार्य श्री कुन्दकुन्द कर्ता रूप से निमित्त बने हुए हैं, लोहे की शलाका करण रूप से और भव्य जीव अथवा भव्य जीवो का कल्याण सम्प्रदान रूप से निमित्त बने हुए है । “अमुक स्थान पर बैठकर” इस वाक्यांश के ‘बैठकर’ शब्द से गमन क्रिया को निवृत्ति का बोध होता है अतः जहा से गमन करके अमुक स्थान पर आया गया वह अपादान रूप से तथा वह स्थान जहाँ बैठकर आचार्य श्री ने समयसार की रचना की और वह काल जिस काल मे वह रचना की वे दोनो अधिकरण रूप से निमित्त बने हुए है । इसी प्रकार जब भेद विवक्षा से भव्य जीवो का कल्याण इस वाक्यांश मे से केवल कल्याण शब्द के अर्थ मे ही सम्प्रदानता स्वीकार की जाती है तो वह कल्याण भव्य जीवो का ही हो सकता है इस तरह कल्याण के साथ भव्य जीवो का स्वस्वामि-

भाव सम्बन्ध विशिष्टता भी परम्परया ग्रन्थरचना मे निमित्तता को प्राप्त हो जाती है ।

इस प्रकार किसी भी स्वपरसापेक्ष कार्य की उत्पत्ति के विषय मे कार्यकारणभाव का विचार करने पर यह फलित होता है कि विवक्षित कार्यपरिणतियोग्यता सम्पन्न उपादान कों उसकी उस कार्यरूप परिणति मे कर्तारूप निमित्तकारण यथा-सम्भव करण आदि उल्लिखित निमित्तकारणों का सहयोग प्राप्त कर अपना सहयोग प्रदान करता है और तब उपादान को आदि देकर यथावश्यक सम्पूर्ण निमित्तों की अनुकूलता यदि हो जाती है तो विवक्षित कार्य की उत्पत्ति हो जाती है या फिर उपादान अथवा उल्लिखित निमित्तों में से एक अथवा अनेक या सभी की अपनी-अपनी योग्यता में जिस प्रकार की हीनाधिकरूप विशेषता पायी जाती है उसी प्रकार से कार्य के रूप मे भी अन्तर हो जाया करता है अथवा यदि उपादान विवक्षित कार्य परिणति योग्यता सम्पन्न नहीं होता है तो सम्पूर्ण निमित्तों का सहयोग प्राप्त रहने पर भी कार्योत्पत्ति नहीं होती है या उपादान के विवक्षित कार्यपरिणति योग्यता सम्पन्न होते हुए भी यदि उल्लिखित निमित्तों मे कमी अथवा उनका अभाव या बाधक निमित्तों का सद्भाव कार्योत्पत्ति में प्रतिकूल बन कर उपस्थित हो जाता है तो भी उस कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाती है ।

उपर्युक्त प्रक्रिया पर यदि सूक्ष्मता के साथ विचार किया जाय तो समझ में आ सकता है कि वह प्रक्रिया अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और युक्ति से संगत है । इसमें एक द्रव्य की दूसरे द्रव्यरूप परिणति अथवा एक द्रव्य के गुणों का दूसरे द्रव्य में प्रवेश होने की आशंका करना व्यर्थ है क्योंकि उपादान और

कर्ता, करण आदि रूप में निमित्तभूत वस्तुओं का सर्वदा अपने अपने स्वभाव में रहते हुए अपना-अपना व्यापार अपने-अपने में हुआ करता है निमित्तों का केवल सहयोग मात्र उपादान को उसकी कार्यरूप परिणति में होता है ।

जिस प्रकार ऊपर ताडपत्र की विवक्षित अक्षरात्मक परिणति को कार्य मानकर उसकी उपादानता ताडपत्र में स्वीकार की गयी है उसी प्रकार यदि पुद्गलात्मक शब्द वर्गणा की विवक्षित अक्षरात्मक परिणति को कार्य माना जाय तो फिर वहा पर उपादानभूत वस्तु ताडपत्र न होकर पुद्गलात्मक शब्द वर्गणा होगी तथा यदि श्री कुन्दकुन्दाचार्य की आत्मा के स्वभाव यकपने की भावात्मक समयसाररूप परिणति को कार्य माना जाय तो उपादानभूत वस्तु अभेद विवक्षा में श्रीकुन्दकुन्दाचार्य की आत्मा तथा भेद विवक्षा में आत्मा का स्वभाव जायकपना ही होगा । इतना अवश्य है कि उक्त प्रकार से उपादान को भिन्न-भिन्न रूपता प्राप्त हो जाने पर भी कार्य की परसापेक्षता में कुछ अन्तर नहीं पडता है अतः यहा पर भी कार्यकारणभाव की विवेचना का आधारभूत निमित्तनैमित्तिकभाव उपादानोपादेयभाव के साथ सतत बना ही रहता है अन्तर सिर्फ यह है कि जहा ताडपत्र समयसार का उपादान था वहा करण लोहे की शलाका थी, जहा पुद्गलात्मक शब्दवर्गणा उपादान बन गयी वहा आचार्य श्री कुन्दकुन्द का पौद्गलिकमुख अथवा मुख के सहारे पर आत्म प्रदेशपरिस्पन्दात्मक वचन योग को करणता प्राप्त हो गयी और जहा कुन्दकुन्दाचार्य की आत्मा का स्वभावभूत जायकपना उक्त भाव समयसाररूप कार्य का उपादान बना तो वहा आचार्य श्री कुन्दकुन्द के पौद्गलिक मस्तिष्क को अथवा कार्यानुकूल ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को करणता प्राप्त होगयी ।

उपर्युक्त विवेचन से यह समझ में आ जाता है कि स्वपरसापेक्ष कार्य की उत्पत्ति के लिये उपादानगत कार्योत्पत्ति की योग्यता के साथ-साथ यथावश्यक कर्ता, करण आदि अनुकूल निमित्तो का सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है । इस प्रकार स्वपरसापेक्ष कार्य में जितना बल उपादान को प्राप्त है उतना ही बल उपादान द्वारा अपेक्षित निमित्तो को भी मिल जाता है केवल भेद यह है कि उपादान तो कार्यरूप परिणत होता है और निमित्त उपादान की उस कार्यरूप परिणति में अपनी सहायता प्रदान करके ही कृतकृत्य हो जाते हैं । निमित्त उपादान के बलाधान में सहायता करता है इसका भी यही आशय है ।

निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर बनने वाली कार्य-कारणभाव की व्यवस्था का वर्णन समयसार में प्रचुरता के साथ पाया जाता है । यहाँ हम “जह सिप्पिओ दु कम्म” आदि ३४६ से ३५२ तक की गाथाओं के अर्थ के रूप में आचार्य श्री अमृतचन्द्र की टीका का उद्धरण दे रहे हैं—

“यथा खलु शिल्पी सुवर्णकारादि कुण्डलादिपरद्रव्य परिणामात्मक कर्म करोति । हस्त कुट्टकादिभि परद्रव्यपरिणामात्मकै करणै करोति । हस्त कुट्टकादीनि परद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति । ग्रामादि परद्रव्य परिणामात्मक कुण्डलादिकर्मफल भुक्ते च, न त्वनेक द्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति । ततो निमित्तनैमित्तिकभाव मात्रेणैव तत्र कर्तृ-कर्म भोक्तृ भोग्यत्व व्यवहार । तथात्मा पि पुण्यपापादिपुद्गल-परिणामात्मक कर्म करोति । काय वाङ्मनोभि पुद्गल परिणामात्मकै करणै करोति । कायवाङ्मनासि पुद्गल परिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति । सुख दुखादि पुद्गलद्रव्य परिणामात्मक पुण्य पापादिकर्मफलं भुक्ते च, न त्वनेकद्रव्यत्वेन

ततो अन्यत्ये मति तन्मयो भवति । ततो निमित्तनैमित्तिकभाव मात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृ भोग्यत्व व्यवहार ।”

अर्थ—जिस प्रकार सुवर्णकारादि शिल्पी अपने से भिन्न परद्रव्यात्मक कुण्डल आदि बनाता है, इन्हें हथौडा आदि अपने से भिन्न परद्रव्यात्मक करणों का सहारा लेकर बनाता है तथा परद्रव्यात्मक हथौडा आदि को वह उक्त कार्य को सम्पन्न करने के लिये ग्रहण करता है और कुण्डल आदि का निर्माण हो जाने पर पारिश्रमिक अथवा पारितोषक रूप में प्राप्त होने वाले ग्राम-वनादिक वस्तुओं का उपभोग भी करता है किन्तु भिन्न-भिन्न द्रव्य होने से उन सबसे भिन्न ही रहता है तन्मय नहीं होता, अतः यहाँ पर निमित्तनैमित्तिकभाव मात्र से ही कर्तृकर्मभाव व भोक्तृ भोग्यभाव व्यवहार में आता है । इसी प्रकार आत्मा भी अपने से भिन्न पौद्गलिक पुण्य-पाप आदि कर्म करता है, पौद्गलिक काय, वचन और मनरूप करणों द्वारा करता है, पौद्गलिक काय, वचन और मनरूपकरणों को ग्रहण करता है और पुण्य-पापादिरूप कर्म के पौद्गलिक सुख-दुःखादिरूप फल को भोगता है । किन्तु भिन्न-भिन्न द्रव्य होने से उन सबसे भिन्न ही रहता है तन्मय नहीं होता । अतः यहाँ पर भी निमित्त-नैमित्तिकभाव मात्र से कर्तृकर्मभाव और भोक्तृ भोग्यभाव व्यवहार में आता है ।

तात्पर्य यह है कि सुवर्णकार अपने से भिन्न हथौडा के द्वारा सुवर्ण से कुण्डल बनाने की आकांक्षा के साथ बनाने की क्रिया भी करता है और बन जाने पर उसके फलस्वरूप प्राप्त धनादिक का उपभोग भी करता है फिर भी जैसे सोना कुण्डल बन जाता है वैसे सुवर्णकार, कुण्डल, हथौडा अथवा धन ये सब परस्पर एक दूसरे रूप परिणत होते नहीं देखे जाते हैं अलग-

अलग ही रहते हैं और इतने पर भी सोने की कुण्डलरूप परिणति, सुवर्णकार की उसको बनाने की आकांक्षा व बनाने की क्रिया, हथौड़ा आदि को ग्रहण करना और उसके जरिये कुण्डल का निर्माण होना तथा उसके निर्माणस्वरूप धनादि की प्राप्ति होना व उसका उपभोग सुवर्णकार द्वारा किया जाना ये सब बातें अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और युक्ति से असंगत नहीं समझ में आती हैं इसलिये इन सब में अपने-अपने स्वभावानुसार निमित्तनैमित्तिकभाव की स्वीकृति कल्पना मात्र नहीं है और इस दृष्टान्त के आधार पर जो आत्मा को दृष्टान्त बना कर कथन किया गया है वह भी कल्पनामात्र न रह कर निमित्तो की तथा निमित्तनैमित्तिकभाव के आश्रित कार्यकारणभाव की सार्थकता को ही सिद्ध करता है।

पहले भी बतलाया जा चुका है कि आत्मा अपने राग, द्वेष और मोह रूप अज्ञान से कर्मों से बधता है और बद्धकर्मों के परिपाक से आत्मा में राग, द्वेष और मोह रूप अज्ञान पैदा होता है। अब यदि निमित्तो की सार्थकता न मानी जावे और निमित्तो की उपेक्षा करके केवल उपादान की अपने आप ही कार्यरूप परिणति मान ली जावे तो राग, द्वेष और मोह रूप अज्ञान से आत्मा कर्मबन्धन को प्राप्त होती है तथा बद्ध कर्मों के परिपाक से आत्मा में पुनः राग, द्वेष मोह रूप अज्ञान पैदा होता है—यह कथन निरर्थक ही हो जायगा।

इस प्रकार यह बात निर्विवाद हो जाती है कि जितने स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष कार्य होते हैं उनमें केवल उपादानोपादेयभाव के आश्रय से कार्यकारणभाव की व्यवस्था निश्चित होती है और जितने स्वपरसापेक्ष कार्य होते हैं उनमें उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव दोनों के आश्रय से कार्यकारणभाव की व्यवस्था सिद्ध होती है क्योंकि स्वपरसापेक्ष कार्य में निमित्तनैमित्तिकभाव के आश्रय से जो कार्यकारणभाव बनता

है उसमे उपादान के साथ-साथ उससे भिन्न कर्ता, करण आदि के रूप मे परवस्तुयें भी कार्य के प्रति निमित्तरूप से करण होती हैं और चूंकि निमित्ताधीन कार्यकारणभाव स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष कार्यो मे नही पाया जाता है क्योकि वहा उपादान से भिन्न वस्तुयें कर्ता, करण आदि के रूप मे निमित्तरूप से कारण नहीं होती हैं अतः वहा पर केवल उपादानोपादेयभाव के आश्रय से ही कार्यकारणभाव बनता है। इस विषय को पूर्व मे स्पष्ट किया ही जा चुका है।

समयसार ३४५ से ३४८ गाथाओ की टीका के अन्त मे भी आचार्य अमृतचन्द्र ने निम्नलिखित कलश काव्य लिखा है—

“व्यावहारिकदृशैव केवल कर्तृकर्म च विभिन्नमिष्यते ।  
निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्तृकर्म च सदैकमिष्यते ॥२१०॥”

इसका अर्थ यही है कि व्यावहारिक दृष्टि अर्थात् निमित्तनैमित्तिकभावरूप पराश्रितपने की दृष्टि से कर्ता और कर्म भिन्न-भिन्न ही रहते हैं और निश्चयदृष्टि अर्थात् उपादानोपादेयभावरूप स्वाश्रितपने की दृष्टि से कर्ता और कर्म सतत एक रूप ही रहा करते हैं। इसका आशय यह है कि निमित्तरूप कर्ता कभी विवक्षित कार्यरूप परिणत नहीं होता अतः निमित्तकर्ता और कर्म सदा भिन्न ही रहा करते हैं और उपादानरूप कर्ता ही कार्यरूप परिणत होता है अतः उपादान कर्ता और कर्म सदा एकरूप ही रहा करते हैं।

यहा पर यदि कोई कहे कि पराश्रित होने से निमित्त-नैमित्तिकभाव हेय है और स्वाश्रित होने से उपादानोपादेयभाव उपादेय है इसलिये निमित्तनैमित्तिकभाव के ऊपर से दृष्टि



हटा कर उपादानोपादेयभाव पर दृष्टि रखना श्रेयस्कर है, तो इस विषय मे मेरा कहना यह है कि कहा पर किस रूप से कैसा कार्यकारणभाव बना हुआ है मात्र इसका ही यहा पर निर्णय करना है। हेय और उपादेय का प्रश्न इससे अलग है जिस पर आगे विचार किया जायगा। इस विषय मे यहा पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हू कि निमित्ताश्रित कार्यकारणभाव से दृष्टि हटाने का अर्थ यही है कि निमित्त प्रधान कार्यों की तरफ से हमें मुख मोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यदि हम पाप करते हैं तो वह स्वभावतः (अपने आप) होता है, यदि हम पुण्य करते हैं तो वह भी स्वभावतः (अपने आप) होता है और यदि हम पुण्य तथा पाप से निवृत्त होते हैं तो वह भी स्वभावतः (अपने आप) होता है। वास्तविक बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वाश्रित बनने के लिये पाप प्रवृत्ति से हटने का और पुण्य प्रवृत्ति करने का प्रयत्न करना चाहिये और फिर पुण्य प्रवृत्ति में न रम कर अपनी स्वाश्रित प्रवृत्ति में आना चाहिये। केवल इस मान्यता से काम चलने वाला नहीं है कि निमित्त कुछ नहीं करता जो कुछ होता है वह उपादान के केवल अपने ही बल पर होता है, क्योंकि जब तक हमारे निमित्ताश्रित कार्य हो रहे हैं तब तक उनकी निमित्ताश्रितता का लोप कौन कर सकता है ?

पं० फूलचन्द्रजी का अपने अभिमत को पुष्ट करने में  
एक प्रयास

समयसार मे निम्नलिखित गाथा पायी जाती है—

अण्णदवियेण अण्णदवियस्स णो कोरदे गुण विधादो ।

तह्मा दु सव्वदव्वा उप्पज्जते सहावेण ॥ ३७७॥

अर्थ—अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जाती है इस कारण से सम्पूर्ण द्रव्य अपने स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ करते हैं ।

इस गाथा का उल्लेख प० पूनचन्द्रजी ने जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ ६५ पर किया है तथा इसके द्वारा उन्होंने निमित्तों को कार्य के प्रति अकिंचित्कर बनाने का प्रयास भी किया है जिसकी निरर्थकता पर आगे विचार किया जाता है ।

### पं० जी के उक्त प्रयास की निरर्थकता

उक्त गाथा का भाव यह है कि निमित्तभूत अन्य द्रव्य उपादानभूत द्रव्य में ऐसी विशेषता पैदा नहीं कर सकता है जिसकी योग्यता (उपादानशक्ति) उसमें विद्यमान न हो । जैसे मिट्टी में घटरूप परिणत होने की उपादान शक्ति पायी जाती है तो वह मिट्टी कुम्हार आदि यथायोग्य निमित्त का सहयोग मिलने पर घटरूप परिणत हो जाया करती है और चूँकि उस मिट्टी में पटरूप से परिणत होने की योग्यता (उपादान शक्ति) नहीं पायी जाती है इसलिये पटरूप परिणति के निमित्तभूत जुलाहा आदि का सहयोग प्राप्त होने पर भी वह पटरूप कदापि परिणत नहीं होती है ।

गाथा का दूसरा भाव यह है कि उपादानभूत वस्तु ही विवक्षित कार्यरूप परिणत होती है निमित्तभूत वस्तु नहीं । जैसे मिट्टी का स्वभाव ही घटरूप परिणत होने का है अतः मिट्टी ही घटरूप परिणत होती है कुम्हार, चक्र आदि कभी घटरूप परिणत नहीं होते ।

गाथा का तीसरा भाव यह है कि कोई भी कार्य हमेशा अपने उपादान के रूप में ही प्रगट होता है निमित्त के रूप में कदापि प्रगट नहीं होता। जैसे उपादान होने के कारण घट हमेशा मिट्टी के रूप में ही प्रगट होता है निमित्तभूत कुम्हार, चक्र आदि के रूप में कभी प्रगट नहीं होता।

गाथा का चौथा भाव यह है कि यदि उपादान में विवक्षित कार्यरूप से परिणत होने की स्वाभाविक योग्यता विद्यमान हो तो निमित्तों का सहयोग मिलने पर उससे उस विवक्षित कार्य की उत्पत्ति हो सकती है अन्यथा नहीं। जैसे वालुका मिश्रित मिट्टी में घट निर्माण की स्वाभाविक योग्यता विद्यमान नहीं है तो कुम्हार, चक्र आदि निमित्त उसमें घट निर्माण की योग्यता को कदापि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं वे तो केवल मिट्टी को घटरूप से परिणत होने में सहयोग मात्र दे सकते हैं।

इस प्रकार देखने में आता है कि उक्त गाथा से यह अर्थ ध्वनित नहीं होता कि कार्य की उत्पत्ति उपादान में अपने आप ( निमित्त के सहयोग की अपेक्षा के बिना ) ही हो जाया करती है निमित्त वहाँ अकिंचित्कर ही बना रहता है।

इसलिये प० फूलचन्द्रजी उक्त गाथा द्वारा जो कार्य की उत्पत्ति में निमित्तों की अकिंचित्करता सिद्ध करना चाहते हैं सो उनका यह प्रयास निरर्थक ही समझा जाना चाहिये क्योंकि यदि मिट्टी कुम्हार आदि निमित्तों के सहयोग के बिना अपने आप ही घटरूप परिणत हो सकती है तो फिर इसके लिये कुम्हार आदि निमित्तों को जुटाने की क्या आवश्यकता रह जाती है ? इसी प्रकार निमित्तों के सहयोग के बिना ही उपादान यदि विवक्षित कार्यरूप परिणत होता है तो आगम में परिणमन

रूपकार्य के जो स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष ऐसे दो भेद स्वीकार किये गये हैं इस दो भेदरूप स्वीकृति का क्या प्रयोजन रह जाता है ? क्योंकि प० जी के मतानुसार वे दोनों ही परिणमन समान रूप से निमित्तों के सहयोग के बिना ही उत्पन्न हो सकते हैं ।

वास्तविक बात यह है कि निमित्तों के सहयोग के बिना स्वपरसापेक्ष कार्य की उत्पत्ति अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष, युक्ति और आगम के विरुद्ध है अतः प० फूलचन्द्रजी की उक्त मान्यता मिथ्या ही मानी जायगी और ऐसी दशा में उनकी यह मान्यता भी मिथ्या मानी जायगी कि कार्यात्पत्ति में निमित्त अकिञ्चित्कर है ।

श्री आचार्य जयसेन ने भी समयसार की उल्लिखित गाथा का अर्थ करते हुए अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में लिखा है—

“अण्णदविण्ण अण्णदवियस्स णो कीरदे गुणविघादो ।  
तह्मा दु सव्वदव्वा उप्पज्जते सहावेण ॥”

टीका—अन्य द्रव्येण वहिरग निमित्तभूतेन कुम्भकारादि-नाऽन्य द्रव्यस्योपादान रूपस्य मृत्तिकादेर्न क्रियते, स क ? चेत-नस्याचेतनरूपेण, अचेतनस्यचेतनरूपेण वा चेतना चेतनगुणघातो विनाशो न क्रियते यस्मात् तस्मात् कारणात् मृत्तिकादिसर्व-द्रव्याणि कर्तृणि घटादि रूपेण जायमानानि स्वकीयोपदानकारणेन मृत्तिकादिरूपेण जायन्ते न च कुम्भकारादिवहिरगनिमित्त-रूपेण । कस्मादिति चेत्, उपादानकारणसदृश कार्य भवतीति यस्मात् । तेन किं सिद्धम् ? यद्यपि पचेन्द्रियविषयरूपेण शब्दादीना वहिरगनिमित्तभूतेनाज्ञानिजीवस्य रागादयो जायन्ते तथापि जीवरूपा एव चेतना न पुन शब्दादिरूपा अचेतना भवन्तीति भावार्थः ।

अर्थ—बहिरग निमित्तभूत कुम्भकारादि अन्य द्रव्य द्वारा उपादानभूत मृत्तिका आदि अन्य द्रव्य का चेतन का अचेतनरूप से और अचेतन का चेतन रूप से गुणघात क्योकि नही किया जाता है अतः कर्त्तारूप मृत्तिका आदि सम्पूर्ण द्रव्य घटादिरूप से उत्पन्न होते हुए अपने उपादानकारण मृत्तिका आदिरूप ही उत्पन्न होते है कुम्भकार आदि बहिरग निमित्तरूप नही उत्पन्न होते है । क्योकि “उपादानसदृश ही कार्य उत्पन्न होता है” यह नियम है । इससे यह सिद्ध होता है कि पाचो इन्द्रियो के विषय-भूत शब्दादि निमित्तो के सहयोग से यद्यपि अज्ञानी जीव के रागादि उत्पन्न होते है तो भी वे रागादि जीवरूप से चेतन ही होते है शब्दादिरूप से अचेतन नही होते है ।

इसमे इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कार्य तो उपादान-रूप ही उत्पन्न होता है परन्तु वह निमित्तो के सहयोग से ही उत्पन्न होता है ।

श्री आचार्य अमृतचन्द ने भी पुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रन्थ मे निम्न गाथाओ द्वारा उक्त अर्थ की पुष्टि की है—

“जीव कृत परिणाम निमित्त मात्र प्रपद्य पुनरन्ये ।  
स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥१२॥  
परिणममानस्य चित्तश्चिदात्मकं स्वयमपि स्वकं भवे ।  
भवति हि निमित्तमात्र पौद्गलिक कर्म तस्यापि ॥१३॥”

इन गाथाओ मे बतलाया गया है कि जीव के परिणामो का मात्र निमित्त ( सहयोग ) पाकर अन्यद्रव्यरूपपुद्गल अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्मरूप परिणत हो जाया करते है तथा इसी प्रकार अपने चिदात्मक भावो के रूप परिणत होने वाले

आत्मा को पौद्गलिक कर्म भी निमित्त मात्र ( महायक मात्र ) हुआ करते हैं ।

स्वयं आचार्य कुन्दकुन्द ने भी समयसार के कर्तृकर्म-  
धिकार में यही लिखा है—

“जीवपरिणामहेतु कम्मत्त पुगला परिणमत्ति ।  
पुगलकम्मणमित्तं तहेव जीवो वि परिणमइ ॥  
ण वि कुब्बइ कम्मगुरो जीवो कम्म तहेव जीवगुरो ।  
अण्णोण्णणमित्तेण तु परिणाम जाण दोण्हि ॥”

अर्थ—जीव के परिणामो का निमित्त (सहयोग) पाकर पुद्गल कर्मरूप परिणत होते हैं और पुद्गल कर्मों का निमित्त (सहयोग) पाकर जीव रागादि रूप परिणत होता है । जीव पुद्गल में कर्मरूप से परिणत होने की योग्यता को उत्पन्न नहीं करता और इसी तरह कर्म भी जीव में रागादिरूप से परिणत होने की योग्यता उत्पन्न नहीं करता केवल उस उस प्रकार की स्वाभाविक योग्यता सम्पन्न दोनों वे परिणाम एक दूसरे के निमित्त (सहयोग) से हुआ करते हैं ।

इस प्रकार इन सब उद्धरणों के आधार पर यह निर्णीत हो जाता है कि प० फूलचन्द्रजी समयसार की उक्त ३७२ वीं गाथा में पठित “सहावेण” पद का जो यह अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वभाव से अर्थात् निमित्तों की सहायता की अपेक्षा के बिना अपने आप ही हुआ करता है सो यह उनका मिथ्या प्रयास है । क्योंकि उक्त उद्धरणों से उपादानभूत वस्तु के परिणमन में निमित्तभूत वस्तु के सहयोग का निषेध नहीं होता है प्रत्युत उसका तो समर्थन ही होता है बात सिर्फ इतनी है कि कोई भी परिणमन उपादान की स्वभावगत

योग्यता के अनुसार उस स्वभाव के दायरे में ही हुआ करता है उसमें अन्य द्रव्य तो केवल सहायक मात्र हुआ करता है। इसलिये उक्त गाथा ३७२ में पठित 'सहावेण' पद का यही अर्थ ग्रहण करना चाहिये कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उसके अपने स्वभावानुसार अर्थात् स्वभाव के दायरे में ही हुआ करता है स्वभाव के अभाव में अन्य निमित्तभूत द्रव्य अन्य उपादानभूत द्रव्य में उस परिणमन को उत्पन्न कर देता हो अथवा उसमें उस परिणमन का स्वभाव उत्पन्न कर देता हो—ऐसी बात नहीं है।

प० फूलचन्द्र जी पुरुषार्थसिद्ध्युपाय की उल्लिखित गाथाओं में पठित 'स्वयमेव' और 'स्वयमपि' पदों का जो "निमित्तों की सहायता के बिना अपने आप" अर्थ कर लेना चाहते हैं वह भी मिथ्या ही है क्योंकि इन पदों का अर्थ वही है जो समयसार गाथा ३७२ में पठित 'सहावेण' पद का होता है।

यहाँ पर हम इतना और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एक तरफ तो प० फूलचन्द्रजी ऊपर लिखे प्रकार स्वपरसापेक्ष-परिणमन में निमित्तों को अकिञ्चित्कर सिद्ध करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वस्तु के स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन में काल की निमित्तता का समर्थन भी करते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने 'जैनतत्त्वमीमांसा' के पृष्ठ ४२ पर निम्नलिखित कथन किया है।

“यदि प्रति समय पर्यायरूप से द्रव्य का जो परिणमन होता है फिर चाहे वह द्रव्य का शुद्ध परिणमन हो और चाहे द्रव्य का अशुद्ध परिणमन हो, उसके इस परिणमन में कालद्रव्य निमित्त है।”

आगे फिर व लिखते हैं—

“यद्यपि नियमसार मे आचार्य कुन्दकुन्द ने स्वपरसापेक्ष और परनिरपेक्ष इन दो प्रकार की पर्यायो का निर्देश किया है पर वहा उनके उक्त कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि द्रव्यों की शुद्ध पर्यायो मे काल द्रव्य निमित्त नहीं है किन्तु वहा उनके उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि जीवो और पुद्गलो की अशुद्ध अवस्था मे प्रत्येक पर्याय के निमित्तनैमित्तिकभाव से प्राप्त हुए जो अलग-अलग निमित्त होते हैं ऐसे निमित्त द्रव्यो की शुद्ध पर्यायो मे नहीं पाये जाते है इसलिये द्रव्य की शुद्ध पर्यायों परनिरपेक्ष होती है।”

प० जी के इस कथन से यह सकेत मिलता है कि उन्हे भी परिणमन के स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय ऐसे दो भेद स्वीकार हैं और यही कारण है कि परिणमन के परनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष ऐसे दो भेद स्वीकार करते समय उनके सामने यह समस्या उपस्थित हुई है कि काल द्रव्य को आगम मे वस्तु के परनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष दोनो प्रकार के परिणमनो मे निमित्तरूप से स्वीकार किया गया है इसलिये इस आधार पर यदि काल द्रव्य को परनिरपेक्ष परिणमन मे निमित्तरूप से स्वीकार किया जाता है तो फिर उसकी परनिरपेक्षता ही समाप्त हो जायगी। इस प्रकार इस समस्या का समाधान करने के लिये प० जी ने वह कथन किया है जिसमे उन्होने यह बतलाया है कि निमित्तनैमित्तिकभाव से प्राप्त होने वाले अन्य निमित्तों की निमित्ताता और कालद्रव्य की निमित्ताता मे अन्तर पाया जाता है। हम नहीं कह सकते हैं कि प० जी की दृष्टि मे वह अन्तर क्या है ? इसलिये आवश्यक जान कर यहा पर वह अन्तर दिखलाया जा रहा है।



आगम मे विश्व की समस्त वस्तुओ के प्रति आकाश द्रव्य का उपकार उन्हे अपने अन्दर समा लेने का बतलाया है तथा जीव और पुद्गल द्रव्यो के प्रति धर्मद्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार क्रमश उन दोनो की गति और स्थिति मे अवलम्बन रूप से सहायक होने का बतलाया है । इसी प्रकार आगम मे समस्त वस्तुओ के प्रति काल द्रव्य का उपकार वर्तना के रूप मे बतलाया गया है और व्यवहार काल का उपकार वस्तुओ के यथायोग्य परिणाम, क्रिया तथा परत्वापरत्व के रूप मे स्वीकार किया गया है । अब प्रकृत मे विचारणीय बात यह है कि यदि काल द्रव्य वस्तु के परिणमन मे उसी प्रकार निमित्त होता है जिस प्रकार कि दूसरी वस्तुये निमित्त होती है तो परिणमन विशेषरूप जीव और पुद्गल द्रव्यो की गति मे भी कालद्रव्य को निमित्तता प्राप्त हो जायगी जिससे धर्मद्रव्य की निरर्थकता का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । इसलिये वास्तविक बात यह है कि प्रत्येक परिणमन अपने-अपने यथायोग्य स्वत सिद्ध स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष और स्वपरसापेक्ष परिणमन स्वभाव के अनुसार क्रमश स्वत और निमित्तभूत पर की सहायता से हुआ करता है इसमे कालद्रव्य निमित्त नही हुआ करता है परन्तु वस्तु का कोई उत्पाद अथवा व्ययरूप परिणमन जो एक क्षण अथवा आवती मुहूर्त, घडी, घन्टा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष आदि की मर्यादा लिये हुए होता है इसका व्यवस्थापक व्यवहार काल होता है और उसकी प्रवर्तमानरूपता का व्यवस्थापक कालद्रव्य होता है ।

तात्पर्य यह है कि वस्तु का परिणमन या तो स्वत होता है अथवा परिणमन के अनुकूल निमित्तो के सहयोग से होता है परन्तु कोई भी परिणमन कब प्रारब्ध हुआ और कब समाप्त हुआ इसको बतलाने वाला व्यवहार काल होता है ।

जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को हम जाते हैं तो हमारे उस गमन में धर्मद्रव्य अवलम्बनरूप से निमित्त होता है, तागा आदि वाहन करणरूप से निमित्त होते हैं और भी अपने-अपने ढंग से निमित्त हुआ करते हैं लेकिन हमने गमन कब प्रारब्ध किया और कब विवक्षित स्थान पर पहुँचे इसकी व्यवस्था व्यवहार काल के द्वारा की जाती है और गमन क्रिया की जो प्रवर्तमानता है उसका व्यवस्थापक काल द्रव्य होता है। परिणमन में पायी जाने वाली प्रवर्तमानरूपता और उसकी काल मर्यादा से हमें कालद्रव्य और व्यवहार काल का भेद भी समझ में आ जाता है। इतना ही नहीं वर्तना और परिणाम ( परिणमन ) में क्या अन्तर है ? यह बात भी समझ में आ जाती है।

काल द्रव्य और व्यवहार काल की स्थिति, उनके स्वरूप तथा उनके वर्तना, परिणाम, क्रिया और परत्व तथा अपरत्व रूप कार्यों का विवेचन एवं उनमें पाये जाने वाले अन्तर का यद्यपि विस्तार से कथन आवश्यक है परन्तु यहाँ पर मुझे केवल प्रसंगवश इतना ही बतलाना है कि स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन में उक्त प्रकार से कालद्रव्य और व्यवहार काल की अवलम्बन-रूप निमित्तता रहते हुए भी उस परिणमन की परनिपेक्षता पर कोई आच नहीं आती है।

### अभी तक के विवेचन का सार

अभी तक मैंने कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता सिद्ध करने के प्रसंग में जो कुछ लिखा है उसका सार यह है कि यथायोग्य धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल नामों से पुकारी जाने वाली जितनी अनन्तानन्त वस्तुयें विश्व में हैं उन सभी वस्तुओं का अपना-अपना पृथक्-पृथक् निजी स्वयसिद्ध

और प्रतिनियत (स्व के अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तु में नहीं पाया जाने वाला) स्वरूप है। ये सभी वस्तुयें विश्व में अनादि-काल से रहती आयी और अनन्तकाल तक रहने वाली हैं तथा इनमें से प्रत्येक वस्तु अपने आप में तथा स्वरूप के साथ अखण्ड तथा अपने अस्तित्व में पराश्रितता से रहित आत्मनिर्भरता को धारण किये हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक वस्तु स्वतःसिद्ध परिणमन स्वभाव वाली है अर्थात् प्रत्येक वस्तु में परिणमित होने की स्वतः सिद्ध योग्यता (उपादान शक्ति) विद्यमान है। परिणमन भी प्रत्येक वस्तु में जब जैसा होता है वह उस-उस वस्तु के अपने-अपने स्वभाव की सीमा में ही हुआ करता है किसी भी वस्तु का कोई भी परिणमन उसके अपने स्वभाव के बाहर त्रिकाल में कदापि नहीं होता है। इतना अवश्य है कि प्रत्येक वस्तु का कोई परिणमन तो स्वसापेक्षपरनिरपेक्षरूप में और कोई परिणमन स्वपरसापेक्षरूप में हुआ करता है। अर्थात् यद्यपि कोई परिणमन परनिरपेक्षरूप में और कोई परिणमन परसापेक्षरूप में हुआ करता है लेकिन स्वसापेक्षता दोनों ही प्रकार के परिणमनों में रहा करती है। परिणमनों की यह स्वसापेक्षता और परनिरपेक्षता तथा स्वपरसापेक्षता उस-उस वस्तु में स्वयंसिद्ध रूप में ही विद्यमान है। इस प्रकार यह सब प्रत्येक वस्तु की स्वाभाविक स्थिति है इसमें विवाद करने की "स्वभावोऽतर्कगोचर" के न्याय के अनुसार कुछ भी गुंजाइश नहीं है। इसके आगे यहाँ अब मैं उक्त दोनों स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष तथा स्वपरसापेक्ष परिणमनों का आवश्यकतानुसार विशेष विवेचन करना उचित समझता हूँ।

स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में विवेचन

स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में मैं यह बातला चुका हूँ कि विश्व के सभी पदार्थों के अगुरुलघुगुण के

शक्त्यशो मे जो अनन्तभागवृद्धि, असख्यातभागवृद्धि, सख्यात-  
भागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुणवृद्धि और अनन्त-  
गुणवृद्धि इन छह भेदरूपवृद्धि तथा अनन्तभागहानि, असख्यात-  
भागहानि, सख्यातभागहानि, सख्यातगुणहानि, असख्यात-  
गुणहानि और अनन्तगुणहानि इन छह भेदरूपहानि सतत हुआ  
करती है इसो का नाम स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन है क्योंकि  
यह परिणमन परवस्तु को सहायता के विना अपने आप ही  
सतत होता रहता है ।

अब यदि इस पङ्गुणहानिवृद्धि रूप परिणमन मे कार्य-  
कारणभाव व्यवस्था को स्थान दिया जाय तो उसकी सगति  
इसमे स्वसापेक्षता विद्यमान रहने के कारण यद्यपि उपादानो-  
पादेयभाव के आधार पर विठलाई जा सकती है, परन्तु कार्य-  
कारणभाव व्यवस्था की उपयोगिता यहा पर कुछ भी नहीं है  
क्योंकि प्रत्येक वस्तु के इन पङ्गुणहानिवृद्धिरूप परिणमनो मे  
ऐसी कोई भी विलक्षणता नहीं पायी जाती है जिसको लक्ष्य मे  
रख कर कार्यकारण व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक हो  
जाय । इसलिये इस सम्बन्ध मे अधिक विचार न करके अब  
स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध मे विचार किया जाता है ।

### स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में विवेचन

प्रत्येक वस्तु के स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध मे  
विचार करने से पूर्व मैं यह बतला देना चाहता हू कि इन  
परिणमनो को कार्यकारणभाव व्यवस्था की उपयोगिता और  
अनुपयोगिता के आधार पर दो भागो मे विभक्त किया जा  
सकता है । अर्थात् एक प्रकार का स्वपरसापेक्ष परिणमन ऐसा  
होता है जिसमे परसापेक्षता के विद्यमान रहने के कारण

निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर कार्यकारणभाव व्यवस्था की सगति हो जाने पर भी उसका कुछ उपयोग नहीं होता है अतः इसमें भी स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष परिणमन की तरह कार्यकारण व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी स्वपरसापेक्ष परिणमन होता है जिसमें निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर विद्यमान कार्यकारणभाव व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। स्वपरसापेक्ष परिणमन में उपादानोपादेयभाव के आधार पर विद्यमान कार्यकारणभाव की व्यवस्था भी जहाँ उपयोगी होती है वहाँ उस पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है जैसे बालुका के मिश्रण से रहित मिट्टी से ही घट का निर्माण हो सकता है बालुका मिश्रित मिट्टी से नहीं, इसी तरह भव्य ही मुक्ति पा सकता है अभव्य नहीं—इत्यादि रूप से लोक में और आगम में विचार किया जाता है। इस पर विशेष विचार न करके निमित्ताश्रित कार्यकारणभाव व्यवस्था पर ही यहाँ विचार किया जा रहा है।

इसके सम्बन्ध में सर्वप्रथम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ जिसमें परसापेक्षता विद्यमान रहने के कारण यद्यपि निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर कार्यकारण व्यवस्था का संद्भाव रहता है परन्तु उसकी कुछ उपयोगिता नहीं है। इनमें प्रथमतः आकाश द्रव्य का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

### आकाश द्रव्य का उदाहरण

आकाश द्रव्य का स्वभाव आत्मा के स्वपरप्रकाशक स्वभाव की तरह स्व और विश्व के अन्य सभी पदार्थों को अवगाहित करने का (अपने अन्दर समा लेने का) है और चूँकि

इस तरह परपदार्थों को अवगाहित करने का उसका स्वभाव परसापेक्ष होकर ही परिणमनशील है अतः जब जैसा परिणमन उन अवगाह्यमान पर पदार्थों का परिणमन के अनुकूल कारणों के आधार पर होता है तब उसी रूप से वे पदार्थ आकाश में अवगाहित होते हैं इसका आशय यह हुआ कि तब आकाश के अवगाहक स्वभाव में अवगाह्यमान उन पदार्थों के निमित्त से परिणमन स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है । अर्थात् जिस पर वस्तु को आकाश पहले जिस रूप से अवगाहित कर रहा था उस पर वस्तु का कालान्तर में रूप बदल जाने पर उसको आकाश द्रव्य तब उस बदले हुए रूप से ही अवगाहित करने लगता है । इससे सिद्ध होता है कि आकाश का परपदार्थों को अपने अन्दर अवगाहित करने का स्वभाव अपने परिणमन में परपदार्थसापेक्ष है ।

इस तरह आकाश के अवगाहक स्वभाव के परिणमन में परसापेक्षता होने के कारण निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर कार्यकारणभाव व्यवस्था की सगति हो जाती है तथा यह बात पहले ही बतलायी जा चुकी है कि कोई भी स्वपरसापेक्षपरिणमन वस्तु स्वभाव के प्रति प्रतिनियत रहने के कारण स्वापेक्ष तो रहता ही है अतः इसमें उपादानोपादेयभाव के आधार पर भी कार्यकारणभाव की सगति हो जाती है । इस तरह आकाश के अवगाहक स्वभाव के परिणमन में निमित्तनैमित्तिकभाव और उपादानोपादेयभाव दोनों आधारों पर कार्यकारणभाव व्यवस्था की सगति हो जाने से ही कहा जाता है कि आकाश के अवगाहकस्वभाव में होने वाले परिणमनरूप कार्य का आकाश अथवा उसका अवगाहकस्वभाव उपादानकर्ता है और अवगाह्यमान पदार्थों का परिणमन उसमें उदासीन निमित्त है ।

इतना होने पर भी आकाश द्रव्य चूँकि कभी विभाव परिणति को प्राप्त नहीं होता अतः इसमें कार्यकारणभाव व्यवस्था की कुछ उपयोगिता नहीं रह जाती है ।

स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में आकाश जैसी स्थिति अपने अपने स्वभाव के अनुरूप परद्रव्यों से भिन्न स्वावलम्बन पूर्ण स्थिति को प्राप्त धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और समस्त कालद्रव्यों को भाँ जान लेना चाहिये ।

यद्यपि स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में आकाश जैसी स्थिति अपने स्वभाव के अनुरूप परद्रव्यों से भिन्न स्वावलम्बन पूर्ण स्थिति को प्राप्त सिद्धो अर्थात् मुक्त जीवों की भी हुआ करती है, परन्तु जीव का उदाहरण प्रकृत विषय में मैं आगे इसी प्रकरण में पृथक् से देने वाला हूँ अतः आकाश और धर्मादि उल्लिखित द्रव्यों के साथ यहाँ पर सिद्ध जीवों को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

### दर्पण का उदाहरण

उक्त स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में एक उदाहरण यहाँ पर दर्पण का भी उपस्थित किया जा सकता है । यथा—

दर्पण का स्वभाव परपदार्थों को अपने अन्दर प्रतिविम्बित करने का है और उसका यह स्वभाव चूँकि परसापेक्ष होकर ही परिणमनशील है अतः जब जैसा परिणमन उन प्रतिविम्बित होने वाले पदार्थों का अपने अनुकूल कारणों के आधार पर होता है उसके अनुसार वैसा ही परिणमन तब दर्पण के प्रतिविम्बक स्वभाव का भी हो जाता है । अर्थात् दर्पण में प्रतिविम्बित होने वाले पदार्थ जब जैसा अपना रूप

वदलते जावेंगे तो वे पदार्थ अपने उम वदले हुए रूप से ही दर्पण में प्रतिबिम्बित होंगे अथवा उन पदार्थों के हटने पर दूसरा पदार्थ दर्पण के सामने उपस्थित हो जायगा तो वह पदार्थ अपने रूप से ही दर्पण में प्रतिबिम्बित होगा। इसका फलितार्थ यह हुआ कि प्रतिबिम्बित होने वाले पदार्थ जिस रूप से दर्पण में प्रतिबिम्बित होंगे या जो पदार्थ दर्पण में प्रतिबिम्बित होंगे उनके अनुसार दर्पण का प्रतिबिम्बक स्वभाव भी परिणत होता जायगा।

इस कथन से यह बात निश्चित होती है कि दर्पण का परपदार्थों को अपने अन्दर प्रतिबिम्बित करने का स्वभाव अपने परिणमन में परसापेक्ष है। इसलिये दर्पण के प्रतिबिम्बक स्वभाव के उस परिणमन में आकाश द्रव्य की तरह निमित्त-नैमित्तिकभाव और पूर्वोक्त प्रकार उपादानोपादेयभाव इन दोनों के आधार पर कार्यकारणभाव व्यवस्था सगत हो जाती है। इस तरह कहा जा सकता है कि दर्पण के प्रतिबिम्बक स्वभाव में होने वाले परिणमन रूप कार्य में दर्पण अथवा दर्पण का प्रतिबिम्बक स्वभाव उपादान कर्ता है और प्रतिबिम्बित होने वाले पदार्थों का उस उस समय का परिणमन उसमें उदासीन निमित्त है। दर्पण के इस परसापेक्ष परिणमन में भी आकाश की तरह कार्यकारण व्यवस्था की कुछ उपयोगिता नहीं है।

### आकाश और दर्पण के उदाहरण में अन्तर

यहां पहला उदाहरण मैंने आकाश द्रव्य का दिया है और दूसरा उदाहरण दर्पण का दिया है। ये दोनों उदाहरण यद्यपि एक ही विषय की पुष्टि के लिये दिये गये हैं परन्तु दोनों की स्थिति में निम्न प्रकार का अन्तर पाया जाता है।



आकाश एक अखण्ड द्रव्य है लेकिन दर्पण समान परिणमन करने वाले अनेक अणुरूप पुद्गल द्रव्यों का पिण्ड (स्कन्ध) है। आकाश के परपदार्थ व गाहक स्वभाव के परिणमन में परपदार्थ केवल उदासीन रूप से ही निमित्त होते हैं जब कि दर्पण के परपदार्थ प्रतिविम्बक स्वभाव के परिणमन में परपदार्थ कहीं तो उदासीन रूप से निमित्त होते हैं और कहीं प्रेरकरूप से भी निमित्त होते हैं। दर्पण की इन दोनों प्रकार की स्थितियों में से ऊपर मैंने दर्पण की उस स्थिति को दृष्टान्तरूप से लिया है जिसके अनुसार दर्पण के प्रतिविम्बक स्वभाव के परिणमन में परपदार्थ उदासीन निमित्त बने हुए हैं। दूसरी स्थिति के अनुसार दर्पण के परपदार्थ प्रतिविम्बक स्वभाव के परिणमन में परपदार्थ प्रेरक निमित्त भी हुआ करते हैं, इसलिये जहाँ दर्पण के परपदार्थ प्रतिविम्बक स्वभाव में परपदार्थ प्रेरक निमित्त होते हैं वहाँ उल्लिखित कार्यकारणभाव व्यवस्था की उपयोगिता हो जाती है।

इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ दर्पण के परपदार्थ प्रतिविम्बक स्वभाव के केवल परिणमन मात्र पर दृष्टि हो वहाँ तो परपदार्थ उस परिणमन में उदासीन रूप से ही निमित्त होते हैं लेकिन जहाँ दर्पण के परपदार्थ प्रतिविम्बक स्वभाव के परिणमन की उपयोगिता हो वहाँ उस परिणमन में परपदार्थ प्रेरक निमित्त भी हो जाया करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि दर्पण का स्वभाव परपदार्थों को प्रतिविम्बित करने का है इसलिये यदि हम अपना मुख दर्पण में प्रतिविम्बित करना चाहते हैं तो हमें अपना मुख-दर्पण के सामने ले जाना होगा या दर्पण को अपने मुख के सामने लाना होगा। इस तरह हमारे मुख का जो प्रतिविम्ब दर्पण में पड़ेगा वह प्रतिविम्ब दर्पण के प्रतिविम्बक स्वभाव का परिणमन ही तो होगा। चूँकि इसमें हमारा दर्पण के सामने अपने मुख

को ले जाने अथवा दर्पण को अपने मुख से सामने लाने रूप पुरुषार्थ अपेक्षित हो जाता है अतः उस समय हम दर्पण के उस प्रति-विम्बक स्वभाव के परिणमन में कर्ता रूप से निमित्त हो जाते हैं तथा हमारे द्वारा व्यापारित मुख अथवा मुख का उस समय का परिणमन उसमें करणरूप से निमित्त होता है। इसी प्रकार उसमें हमारा जो उद्देश्य रहता है वह सम्प्रदान रूप से निमित्त होता है और इसी प्रकार आवश्यकतानुसार कोई अपादानरूप से और कोई अधिकरणरूप से भी निमित्त होता है।

### दीपक का उदाहरण

स्वपरसापेक्ष परिणमन के सम्बन्ध में आकाश और दर्पण के अनन्तर तीसरा उदाहरण दीपक का उपस्थित किया जा रहा है।

लोक में तेल, वत्ती और पात्र (वर्तन) विशेष के सहारे पर प्रज्वलित अग्नि को ही दीपक नाम से पुकारा जाता है। पूर्व कथनानुसार जिस प्रकार दर्पण का स्वभाव परपदार्थों को अपने अन्दर प्रतिविम्बित करने का है उसी प्रकार दीपक का स्वभाव स्व को (अपने को) और परपदार्थों को प्रकाशित करने का है और पूर्वकथनानुसार ही जिस प्रकार दर्पण का वह प्रतिविम्बक स्वभाव परसापेक्ष होकर परिणमनशील है उसी प्रकार दीपक का परपदार्थों को प्रकाशित करने का वह स्वभाव भी परसापेक्ष होकर परिणमनशील है। अर्थात् जिस प्रकार जब जो पदार्थ जिस रूप में दर्पण के सामने आता है तब उस पदार्थ को उसी रूप से दर्पण अपने में प्रतिविम्बित करता है उसी प्रकार जब जो पदार्थ जिस रूप में दीपक के समक्ष उपस्थित होता है तब उस पदार्थ को उसी रूप में ही दीपक प्रकाशित करता है।

इस प्रकार दर्पण और दीपक दोनों के अपने-अपने पर-सापेक्ष परिणमन में स्वभाव और उसके परिणमनरूप कार्य का भेद होने पर भी कार्यकारणभावव्यवस्था की दृष्टि से दोनों में समानता पायी जाती है। अर्थात् जिस प्रकार पहले उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर कार्यकारणभावव्यवस्था का प्रतिपादन दर्पण में किया गया है उसी प्रकार उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव के आधार पर कार्यकारणभाव व्यवस्था का प्रतिपादन दीपक में भी किया जा सकता है। यानि दर्पण की तरह दीपक के विषय में भी यह कहा जा सकता है कि दीपक के परपदार्थप्रकाशक स्वभाव के परपदार्थ प्रकाशन रूप परिणमन में दीपक अथवा दीपक का परपदार्थ प्रकाशक स्वभाव उपादान कर्ता है और अपने अपने रूप से प्रकाशित होने वाले परपदार्थ अथवा उनका अपना अपना उस समय का परिणमन निमित्त कर्ता है।

देखने में आता है कि दीपक के समक्ष जब घट आता है तो दीपक घट का ही प्रकाशन करता है और उससे घट ही प्रकाशित होता है उस समय दीपक के समक्ष न आने वाले अन्य पदार्थों का प्रकाशन न तो दीपक करता है और न वे पदार्थ उस समय प्रकाशित ही होते हैं। इसी प्रकार दीपक के समक्ष घट के आने पर घट का प्रकाशन होते हुए भी भिन्न-भिन्न समय में घट की प्रतिनियत विविध कारणों के आधार पर जैसी-जैसी अवस्थायें बदलती रहती हैं वैसा-वैसा बदलाव दीपक के प्रकाशकपने रूप स्वभाव में और घट के प्रकाशितपने रूप स्वभाव में भी होता जाता है। यदि इस अनुभवपूर्ण स्थिति को नहीं स्वीकार किया जाय तो घट के प्रकाशन के समय अन्य पदार्थों का और घट की एक अवस्था के प्रकाशन के

समय उसकी अन्य अवस्थाओं का भी प्रकाशन होना चाहिये लेकिन चूँकि ऐसा प्रकाशन होता नहीं है अतः यही माना जायगा कि घटादि पदार्थ अथवा उनके भिन्न-भिन्न समयों में होने वाले अपने-अपने परिणमन दीपक के प्रकाशक स्वभाव के प्रतिनियत परिणमन में निमित्त होते हैं। दीपक के परपदार्थ प्रकाशक स्वभाव की यही परसापेक्षता है।

दीपक के परपदार्थ प्रकाशक स्वभाव के इस प्रकार के परिणमन की यह परसापेक्षता दर्पण की तरह ही दो प्रकार की होती है। अर्थात् उसका एक प्रकार का परसापेक्ष परिणमन तो ऐसा होता है जिसमें परपदार्थ उदासीन रूप से निमित्त होता है और दूसरे प्रकार का परसापेक्ष परिणमन ऐसा होता है जिसमें प्रेरकता के आधार पर परपदार्थ निमित्त होते हैं।

पहले प्रकार के परसापेक्ष परिणमन में तो यह स्थिति रहती है कि दीपक के समक्ष जो घटादि पदार्थ अनायास आते रहते हैं उन्हें दीपक अनायास ही प्रकाशित करता है और वे पदार्थ अनायास ही प्रकाशित होते रहते हैं। दीपक के प्रकाशक स्वभाव की और उन पदार्थों के प्रकाशित होने रूप स्वभाव की उक्त परिणति में कोई पदार्थ प्रेरक नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर दीपक के प्रकाशक स्वभाव की परिणति में दीपक उपादानोपादेयभाव से और घटादि पदार्थ निमित्त-नैमित्तिकभाव से कारण होते हैं तथा इसी प्रकार घटादि पदार्थों के प्रकाशित होने रूप स्वभाव की परिणति में घटादि पदार्थ उपादानोपादेयभाव से और दीपक निमित्तनैमित्तिकभाव से कारण होते हैं।

दूसरे प्रकार के परसापेक्ष परिणमन में ऊपर बतलायी गयी पहले प्रकार की परसापेक्ष परिणमन की स्थिति से भिन्न

ही स्थिति रहा करती है। अर्थात् एक व्यक्ति जब यह जानता है कि दीपक में घटादि पदार्थों को प्रकाशित करने की योग्यता है और घटादि पदार्थों में दीपक से प्रकाशित होने की योग्यता है यानि उक्त प्रकाशनरूप कार्य में दीपक और घटादि पदार्थों में अपने-अपने ढग की उपादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिक-भाव पर आधारित कार्यकारणभाव व्यवस्था विद्यमान है तो इस प्रकार की जानकारी रखने वाला वह व्यक्ति यदि अपने विवक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिये दीपक के जरिये घटादि विवक्षित पदार्थों को प्रकाशित करना चाहता है तो उस समय वह व्यक्ति या तो घटादि विवक्षित पदार्थों को दीपक के समक्ष लाता है अथवा दीपक को उन पदार्थों के समक्ष ले जाता है। इस प्रकार इस प्रकाशनरूप कार्य में उस व्यक्ति का पुरुषार्थ प्रेरक निमित्त होता है और तब इस प्रेरक निमित्तता के आधार पर वह व्यक्ति कर्तारूप से निमित्त होता है तथा दीपक के प्रकाशक स्वभाव की घटादि प्रकाशनरूप परिणति में घटादि पदार्थ और घटादि पदार्थों के प्रकाशित होने की योग्यता रूप स्वभाव की प्रकाशित होने रूप परिणति में दीपक करणरूप से निमित्त होते हैं।

समस्त विश्व का कार्यकारणभाव इसी ढग से चल रहा है तथा यह व्यवस्था प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के लिये अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और युक्ति से गम्यमान है। मुझे आशा है कि प० फूलचन्द्रजी इससे वस्तु के स्वपरसापेक्ष परिणमन की परसापेक्षता, उसमें पायी जाने वाली निमित्तनैमित्तिकभाव पर आधारित कार्यकारणभाव की व्यवस्था, निमित्तों की यथायोग्य उदासीनतारूप व प्रेरकतारूप कार्यकारिता और उदासीन तथा प्रेरक निमित्तों में पायी जाने वाली विशेषता ( विलक्षणता ) को आकने का प्रयत्न करेंगे।

## आत्मा का उदाहरण

स्वपरसापेक्ष परिणमन के विषय में विशेष प्रतिपादन को दृष्टि से यहाँ चौथा उदाहरण आत्मा का दिया जा रहा है परन्तु आत्मा को उदाहरण रूप से प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकरण के लिये उपयोगी आत्मतत्त्व पर दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है अतः सर्वप्रथम यहाँ आत्मतत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है। आत्मतत्त्व पर दो दृष्टियों से विचार किया जा सकता है—एक तो वस्तु विज्ञान की दृष्टि से और दूसरे अध्यात्म-विज्ञान की दृष्टि से। इनमें से प्रथमतः वस्तु विज्ञान की दृष्टि से आत्मस्वरूप पर विचार किया जाता है।

### वस्तु विज्ञान की दृष्टि में आत्मतत्त्व

वस्तु विज्ञान की दृष्टि में आत्मा का स्वरूप चेतना है। चेतना में ज्ञातृत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये तीन शक्तियाँ गभित हैं। इनको क्रमशः ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल-चेतना नामों से भी पुकारा जा सकता है। यद्यपि जैनागम में सम्यग्दृष्टि के ज्ञान को ज्ञान चेतना, सम्यग्दर्शनरहित सञ्जीवचेन्द्रिय जीवों के ज्ञान को कर्मचेतना और सभी असञ्जीव जीवों के ज्ञान को कर्मफल चेतना कहा गया है परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जैनागम का यह कथन अध्यात्मविज्ञान की दृष्टि से है वस्तु विज्ञान की दृष्टि से नहीं, अतः मेरे उक्त कथन का जैनागम के इस कथन से कोई विरोध नहीं समझना चाहिये।

वस्तु विज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण चेतन और अचेतन पदार्थों में कर्तृत्व और

भोक्तृत्व दोनो शक्तिया पायी जाती है। इनमे से प्रत्येक पदार्थ मे कर्तृत्व शक्ति के दो रूप पाये जाते है—एक उपादानकर्तृत्व का और दूसरा निमित्तकर्तृत्व का।

प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का उपादानकर्ता है क्योंकि वह स्वय ( आप ) उस परिणमनरूप परिणत होता है और वही पदार्थ अपने से भिन्न पदार्थों के परिणमन का अपने ढग से निमित्तकर्ता होता है क्योंकि उस परिणमनरूप वह स्वय (आप) परिणत न होकर अपने से भिन्न पदार्थों के उस परिणमन मे सहायक मात्र होता है। इस सम्बन्ध मे आकाश, घर्म, अधर्म, काल, दर्पण और दीपक के उदाहरण पूर्व मे दिये जा चुके है तथा आत्मा का विवेचन किया ही जा रहा है।

सम्पूर्ण चेतन और अचेतन पदार्थों मे भोक्तृत्व की सिद्धि इस प्रकार होती है कि वे सभी पदार्थ अपने अपने परिणमन के साथ तन्मय होकर ही रहा करते है अर्थात् प्रत्येक चेतन अथवा अचेतन पदार्थ का जब जो परिणमन होता है तब वह पदार्थ स्वय ( आप ) उस रूप परिणत हो जाया करता है। प्रत्येक पदार्थ का भोक्तृत्व यही है।

वर्तृत्व और भोक्तृत्व मे यह विशेषता है कि जहा प्रत्येक चेतन और अचेतन पदार्थ का कर्तृत्व उपादान कर्तृत्व और निमित्तकर्तृत्व के रूप मे दो प्रकार का है वहा प्रत्येक चेतन और अचेतन पदार्थ का भोक्तृत्व दो प्रकार का नही है क्योंकि वस्तु विज्ञान की दृष्टि से जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन के साथ तन्मय होकर रहता है उस प्रकार वह दूसरे पदार्थ के परिणमन के साथ कभी तन्मय होकर नही रहता है। यह बात अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और युक्ति से सिद्ध है और यही कारण है जैनागम मे यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि

एक पदार्थ कभी दूसरे पदार्थ रूप नहीं होता और न एक पदार्थ के गुणधर्म भी कभी दूसरे पदार्थ के गुणधर्म होते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी पदार्थ का एक गुण कभी उसका दूसरा गुण नहीं होता और न एक गुण की पर्याय कभी दूसरे गुण की पर्याय होती है।

इसका तात्पर्य यह है कि आकाश जब अपने स्वभाव के अनुसार स्वपरावगाहक है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार अपने परिणमन का उपादानकर्ता और पर के परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्तु दोनों का परिणमन अपना अपना ही है। इसी प्रकार धर्मद्रव्य जब अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं निष्क्रिय रह कर जीव और पुद्गल की गति में सहायक होता है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार अपने परिणमन का उपादानकर्ता और जीव और पुद्गल के गतिरूप परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्तु धर्मद्रव्य का तथा जीव और पुद्गल का परिणमन अपना अपना ही है। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी जब अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं निष्क्रिय रह कर जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक होता है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार अपने परिणमन का उपादानकर्ता और जीव और पुद्गल के स्थिति रूप परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्तु अधर्म द्रव्य का तथा जीव और पुद्गल का परिणमन अपना अपना ही है। इसी प्रकार कालद्रव्य भी जब अपने स्वभाव के अनुसार स्व और पर का वर्तयिता है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार अपने वृत्तिरूप परिणमन का उपादानकर्ता और पर के वृत्तिरूप परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्तु परिणमन दोनों का अपना अपना ही है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव भी जब अपने स्वभाव के अनुसार स्वपरावभासक



है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार अपने अवभासनरूप परिणमन का उपादानकर्ता और पर के अवभासनरूप परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्तु परिणमन दोनों का अपना अपना ही है। इसी प्रकार प्रत्येक पुद्गल भी जब अपने स्वभाव के अनुसार अपने मे और दूसरे पुद्गलों मे पूरण और गलनरूप परिणमन करने वाला है तो वह अपने इस स्वभाव के अनुसार भेद, और सघात के आधार पर अपने पूरण और गलनरूप परिणमन का उपादानकर्ता और दूसरे पुद्गलो के पूरण और गलनरूप परिणमन का निमित्तकर्ता तो है परन्तु प्रत्येक पुद्गल का पूरण और गलनरूप परिणमन अपना अपना ही है।

ऊपर मैने वस्तुविज्ञान की दृष्टि से आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण किया है और इस प्रसंग से आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल द्रव्यो के स्वरूप का भी वस्तु विज्ञान की दृष्टि से आवश्यक समझकर विश्लेषण किया है। साथ ही समस्त चेतन और अचेतन द्रव्यो के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भी वस्तु विज्ञान की दृष्टि से विवेचन किया है। अब आगे वस्तुविज्ञान की दृष्टि से ही आत्मतत्त्व का विस्तार से विवेचन किया जा रहा है।

ऊपर कहा गया है कि आत्मा का स्वरूप चेतना है। चेतना शब्द का अर्थ अनुभव करना भी होता है। इस तरह यद्यपि विश्व के पूर्वोक्त समस्त पदार्थों मे जैन मान्यता के अनुसार अपने अपने स्वभाव के अनुकूल अर्थक्रियाकारिता विद्यमान है परन्तु आकाश, धर्म, अधर्म काल और पुद्गल इन सभी अचेतन द्रव्यो मे चेतना शक्ति की अविद्यमानता के कारण इनको अपनी अर्थक्रिया का अनुभवन नहीं होता है जब कि

समस्त जीव चेतना शक्ति के सद्भाव के आधार पर अपनी अपनी अर्थक्रियाकारिता का सतत अनुभव करते रहते हैं ।

चेतना का अपरनाम ज्ञायक स्वभाव है और इस स्वभाव के आधार पर ही प्रत्येक जीव पदार्थों का हृष्टा और ज्ञाता बना हुआ है । अर्थात् प्रत्येक जीव में ज्ञायकस्वभाव के रूप में दर्शन और ज्ञान नाम की दो शक्तियाँ विद्यमान हैं । इनमें से दर्शनशक्ति के आधार पर तो प्रत्येक जीव पदार्थ का दर्शन करता है और ज्ञानशक्ति के आधार पर वह पदार्थ का ज्ञान करता है । यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि जीव का पदार्थ को दर्पण की तरह अपने अन्दर प्रतिबिम्बित करने का नाम दर्शन है और उसका पदार्थ को दीपक की तरह प्रतिभासित करने का नाम ज्ञान है ।

आत्मा में दर्पण की तरह पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं इस विषय में आचार्य श्री अमृतचन्द्र द्वारा विरचित पुरुषार्थ-सिद्ध्युपाय का निम्नलिखित पद्य ध्यान देने योग्य है—

तज्जयति पर ज्योति सम समस्तेरनन्तपर्यायै ।  
दर्पणतल इव सकला प्रति फलनि पदार्थमालिका यत्र ॥१॥

अर्थ—सर्वोत्कर्ष को प्राप्त वह चैतन्य विश्व में जयवन्त ( प्रभावशाली ) रहे जिसमें विश्व के समस्त पदार्थ अपनी अनन्त पर्यायों के साथ युगपत् प्रतिबिम्बित हो रहे हैं ।

रत्नकरण्डश्रावकाचार में आचार्य श्री समन्तभद्र ने भी कहा है—

नम श्री वर्द्धमानाय निर्धुतकलिलात्मने ।

सा लोकाना त्रिलोकाना यद्विधा दर्पणाद्यते ॥१॥

अर्थ—जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्टकर अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया है अतएव जिनका ज्ञान अलोक सहित

तीनों लोकों के सम्बन्ध में दर्पण की तरह हो रहा है अर्थात् जिनके ज्ञान में अलोक सहित तीनों लोक प्रतिबिम्बित हो रहे हैं उन वर्द्धमान भगवान को नमस्कार हो ।

जिस प्रकार आत्मा में पदार्थों के प्रतिबिम्बित होने के निम्ने आगम में उपर्युक्त प्रकार दर्पण का उदाहरण दिया गया है उसी प्रकार आत्मा में पदार्थों के प्रतिभासित होने के निम्ने आगम में दीपक का उदाहरण दिया गया है ।

एक प्रकार यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो जाती है कि आत्मा में परस्पर भिन्न दो शक्तियाँ विद्यमान हैं । उनमें से एक शक्ति के आधार पर आत्मा अपने अन्दर दर्पण की तरह पदार्थों को प्रतिबिम्बित करता है और दूसरी शक्ति के आधार पर वही आत्मा अपने अन्दर प्रतिबिम्बित पदार्थों को दीपक की तरह प्रतिभासित करता है । जिस शक्ति के आधार पर आत्मा अपने अन्दर पदार्थों को प्रतिबिम्बित करता है वह दर्शनशक्ति है और जिस शक्ति के आधार पर आत्मा अपने अन्दर प्रतिबिम्बित पदार्थों को प्रतिभासित करता है वह ज्ञानशक्ति है ।

दोनों शक्तियाँ परस्पर भिन्न हैं—इसका आधार यह है कि आत्मा की जो प्रतिबिम्बक शक्ति है वह पदार्थों को प्रतिभासित करने में असमर्थ है क्योंकि दर्पण पदार्थों का प्रतिबिम्बक तो है लेकिन प्रतिभासक नहीं है । इसी तरह जो आत्मा की प्रतिभासक शक्ति है वह पदार्थों को प्रतिबिम्बित नहीं करती है क्योंकि दीपक पदार्थों का प्रतिभासक तो है लेकिन प्रतिबिम्बक नहीं है ।

**आत्मा में पदार्थप्रतिबिम्बक (दर्शन) शक्ति की आवश्यकता**

आत्मा में पदार्थ प्रतिभासक (ज्ञान) शक्ति तो निर्विवाद है क्योंकि आत्मा सत्त्व पदार्थों का प्रतिभासक शक्ति करता है

परन्तु पदार्थ प्रतिविम्बक (दर्शन) शक्ति विवादरहित नहीं है अतः इसकी आवश्यकता क्यों है ? इस पर विचार किया जाता है ।

जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि विना पदार्थ दर्शन के पदार्थ ज्ञान नहीं हुआ करता है अतः वहाँ पर आत्मा में दर्शन और ज्ञान को समान शक्ति-सम्पन्न जोड़े के रूप में स्वीकार किया गया है । तात्पर्य यह है कि जैन-दर्शन की मान्यता के अनुसार जब पदार्थ आत्मा में प्रतिविम्बित होगा तभी आत्मा को पदार्थज्ञान होगा, अन्यथा नहीं । इसका कारण यह है कि जिस प्रकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थ के क्षेत्र में दीपक विद्यमान रहता है उस प्रकार प्रतिभासित होने वाले पदार्थ के क्षेत्र में आत्मा की पहुँच नहीं है लेकिन जिस प्रकार दीपक और पदार्थ का सम्बन्ध स्थापित हुए विना पदार्थ प्रतिभासित नहीं होता उसी प्रकार आत्मा और पदार्थ का सम्बन्ध स्थापित हुए विना भी पदार्थ प्रतिभासित नहीं होता । इसी आधार पर जैन-दर्शन में आत्मा में पदार्थ को प्रतिभासित करने वाली ज्ञान शक्ति के साथ-साथ पदार्थ को प्रतिविम्बित करने वाली दर्शन शक्ति की सत्ता स्वीकार की गयी है । इस प्रकार जब पदार्थ अपने प्रतिविम्ब द्वारा आत्मा से सम्बन्ध स्थापित कर लेता है तब आत्मा उसका ज्ञान करती है अतः पदार्थज्ञान के लिए पदार्थ-दर्शन की अनिवार्य आवश्यकता है ।

**आत्मा को पदार्थ प्रतिविम्बक शक्ति ही दर्शन शक्ति है**

बौद्ध दर्शन में वर्णित प्रत्यक्ष और जैन दर्शन में वर्णित दर्शनोपयोग दोनों के स्वरूप में करीब-करीब समानता पायी है लेकिन बौद्ध दर्शन में जहाँ उसके द्वारा माने गये प्रत्यक्ष को

प्रमाण मान लिया गया है वहाँ जैन-दर्शन में दर्शनोपयोग को प्रमाणता और अप्रमाणता की परिधि से बाहर रखा गया है। इसका कारण यह है कि जैनदर्शन में स्वपरव्यवसायी ज्ञान को प्रमाण माना गया है और जो ज्ञान स्वव्यवसायी होते हुए भी परव्यवसायी नहीं होता उसे अप्रमाण माना गया है। इस तरह ये दोनों अवस्थायें ज्ञानोपयोग की ही हुआ करती हैं अतः ज्ञानोपयोग तो प्रमाण और अप्रमाण रूप होता है लेकिन दर्शनोपयोग चूँकि स्वपरव्यवसायी नहीं होता इसलिये तो प्रमाणरूप नहीं है और वह केवल स्वव्यवसायी भी नहीं होता अतः अप्रमाण रूप भी नहीं है। इतना अवश्य है कि ज्ञानोपयोग की उत्पत्ति में अनिवार्य कारण होने की वजह से उसका (दर्शनोपयोग का) जैनदर्शन में कम महत्व नहीं आँका गया है।

विश्व को जैन-दर्शन में, जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है, छह प्रकार के द्रव्यों में विभक्त कर दिया गया है— (१) अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता वाले अनन्त जीव द्रव्य (२) अणु और स्कन्ध रूप पुद्गल द्रव्य, (३) एक धर्म द्रव्य (४) एक अधर्म द्रव्य, (५) एक आकाश द्रव्य और (६) अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता वाले असख्यात काल द्रव्य। इन सब द्रव्यों को समुदाय रूप से विश्व नाम से पुकारा गया है क्योंकि विश्व शब्द का अर्थ 'सर्व' होता है और उक्त सब द्रव्यों के अतिरिक्त विश्व में कुछ शेष नहीं 'नहीं' रह जाता है। विश्व को जगत भी कहते हैं क्योंकि ये सभी द्रव्य अपने-अपने स्वरूप को न छोड़ते हुए परिणमनशील हैं।

उक्त सभी द्रव्य प्रति समय अपने-अपने नियत स्वभाव के अनुरूप कार्य करते रहते हैं—यह भी पूर्व में बतलाया जा

चुका है। अर्थात् आकाश द्रव्य समस्त द्रव्यों को सतत अपने अन्दर समाये हुए हैं, सभी काल द्रव्य समस्त द्रव्यों को प्रतिक्षण उनकी अपनी-अपनी सभाव्य पर्यायो के रूप में वर्णन करा रहे हैं, धर्म द्रव्य जीवों और पुद्गलों को हलन-चलन रूप क्रिया करते समय उस क्रिया में सतत सहायक हो रहा है, अधर्म द्रव्य जीवों और पुद्गलों को उस हलन-चलन रूप क्रिया के रुकने के समय उममें सतत सहायक हो रहा है, सभी पुद्गल द्रव्य अशुद्ध जीव द्रव्यों के साथ और परस्पर एक-दूसरे पुद्गल के साथ सतत मिलते और विच्छुडते रहते हैं तथा सभी जीव द्रव्य सपूर्ण द्रव्यों को अपनी-अपनी योग्यता के विकास के अनुसार सतत देखते और जानते रहते हैं। जीवों की इस देखने और जानने रूप प्रवृत्ति को ही जैन-दर्शन में क्रमशः दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग कहा गया है। इसका ही तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है, यह है कि प्रत्येक जीव को देखने और जानने रूप दो पृथक्-पृथक् शक्तियाँ हैं और यही कारण है कि दोनों शक्तियों को ढकने वाले दर्शनावरण और ज्ञानावरण दो पृथक्-पृथक् कर्म जैनकर्म सिद्धान्त में स्वीकार किये गये हैं। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग आत्मा की इन्हीं दोनों शक्तियों के पृथक्-पृथक् विकास रूप परिणमन हैं।

अब विचारणीय बात यह है कि आत्म प्रदेशों में पदार्थ के प्रतिविम्ब पडने से अतिरिक्त दर्शनोपयोग और क्या होसकता है ? तो विचार करने पर ऊपर के कथन से अर्थात् दर्शनोपयोग के प्रमाणता और अप्रमाणता की परिधि से बाहर होने पदार्थ ज्ञान में पदार्थ प्रतिविम्ब की अनिवार्य आवश्यकता होने व पदार्थज्ञान तथा पदार्थ प्रतिविम्ब में अन्तर होने आदि से यही निर्णीत होता है कि आत्म-प्रदेशों में पदार्थ का प्रतिविम्बित होना ही दर्शनोपयोग है—ऐसा जानना चाहिये। इस प्रकार जब

दर्शनोपयोग के आधार पर ही ज्ञानोपयोग होता है तो कहा जा सकता है कि सर्वज्ञ के समस्त दर्शनावरण और समस्त ज्ञानावरण कर्मों का एक साथ क्षय हो जाता है इसलिए समस्त प्रतिक्षण स्वभावतः उसके आत्म-प्रदेशो में प्रतिविम्बित होते रहते हैं और तब स्वभावतः ही उसे प्रतिक्षण समस्त पदार्थों का ज्ञान सतत होता रहता है। मति ज्ञानी जीव के आत्म प्रदेशो में पदार्थ का प्रतिविम्बित होना दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के साथ ही इन्द्रियाधीन है अर्थात् उसके आत्म-प्रदेशो में पदार्थ का प्रतिविम्ब इन्द्रियो द्वारा ही पहुँचता है और यह नियम है कि एकेन्द्रिय जीव के एकस्पर्शन इन्द्रिय का, द्वीन्द्रिय जीव के स्पर्शन और रसना इन दो इन्द्रियो का, त्रीन्द्रियजीव के स्पर्शन, रसना और नासिक इन तीन इन्द्रियो का, चतुरिन्द्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, नासिका और नेत्र इन चार इन्द्रियो का असंज्ञी पचेन्द्रिय जीव के स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाँचों इन्द्रियो का और संज्ञी पचेन्द्रिय जीव के उक्त पाँचों इन्द्रियो के साथ मन का भी सद्भाव अपने-अपने दर्शनावरण और मति ज्ञानावरण कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार रहा करता है और यह भी नियम है कि स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा स्पर्श के रूप में, रसनेन्द्रिय द्वारा रस के रूप में, नासिकेन्द्रिय द्वारा गन्ध के रूप में, नेत्रेन्द्रिय द्वारा वर्ण के रूप में, कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द के रूप में और मन के द्वारा अपने सामान्य रूप में पदार्थ आत्म-प्रदेशो में प्रतिविम्बित होता है तथा यह भी नियम है कि मति ज्ञानी जीव के उपर्युक्त नाना इन्द्रियो का सद्भाव एक साथ रहते हुए भी क्रमिक होने के कारण जिस अवसर पर किसी एक इन्द्रिय द्वारा पदार्थ आत्मप्रदेशो में प्रतिविम्बित होता है उस अवसर पर किसी अन्य इन्द्रिय द्वारा पदार्थ आत्म-प्रदेशो में प्रतिविम्बित नहीं होता अतः कहा जा सकता है कि मतिज्ञानी जीव के जिस

अवसर पर जिस इन्द्रिय द्वारा अपने प्रतिनियत रूप से पदार्थ आत्मप्रदेशो मे प्रतिविम्बित होता है उस अवसर पर उसी इन्द्रिय द्वारा प्रतिनियत रूप मे ही पदार्थ प्रतिभासित होता है । श्रुत ज्ञान मतिज्ञानपूर्वक ही हुआ करता है अतः श्रुतज्ञान से होने वाले पदार्थज्ञान मे आत्मा के प्रदेशो मे पदार्थ के प्रतिविम्बित होने की आवश्यकता आगम मे नहीं बतलायी गयी है । अवधि ज्ञानी जीव के अवधि दर्शनावरण और अवधि ज्ञानावरण कर्मों का एक साथ क्षयोपशम रहा करता है इसलिए उसके आत्मप्रदेशो मे उसी रूप से यथासमय प्रतिनियत पदार्थ प्रतिविम्बित होते हैं और तब उसी रूप से प्रतिनियत पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञानी को हुआ करता है । मन पर्ययज्ञान यद्यपि ईहामति ज्ञानपूर्वक होता है परन्तु जिस प्रकार श्रुतज्ञान मे मतिज्ञान साक्षात् कारण होता है उस प्रकार ईहामतिज्ञान मन पर्ययज्ञान मे साक्षात् कारण नहीं होता है अतः मेरी समझ के अनुसार यहाँ ऐसा मानना चाहिये कि ईहामतिज्ञान के लिए आत्मप्रदेशो मे जो पदार्थ प्रतिविम्ब कारण होता है वही पदार्थ प्रतिविम्ब मन पर्ययज्ञान मे कारण होता है । यहाँ प्रसंगानुसार इतना विशेष समझ लेना चाहिये कि सर्वज्ञ के आत्मप्रदेशो मे जो पदार्थ प्रतिविम्ब पडता है उसे केवल दर्शन नाम से मति ज्ञानी के आत्मप्रदेशो मे जो पदार्थ प्रतिविम्ब पडना है उसे इन्द्रियापेक्ष होने के कारण यथायोग्य चक्षुर्दर्शन और अचक्षुर्दर्शन नामो से तथा अवधिज्ञानी के आत्मप्रदेशो मे जो पदार्थ प्रति विम्ब पडता है उसे अवधिदर्शन नाम से आगम मे पुकारा गया है ।

यदि आत्मप्रदेशो मे पडे हुए पदार्थ प्रतिविम्ब को ही दर्शन मान लिया जाता है तो आगम मे दर्शन को जो सामान्य ग्रहण, निराकार, अव्यवसायात्मक और निर्विकल्पक शब्दो से



पुकारा गया है इसकी भी सगति हो जाती है जिसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है ।

ऊपर दर्शन का जैसा स्वरूप निर्धारित किया गया है उसमें ज्ञान की तरह प्रमाणता अथवा अप्रमाणता का रूप नहीं पाया जाता है और यह बात मैं पहले ही बतला चुका हूँ कि स्वपरव्यवसायात्मकता प्रमाणता का तथा स्वव्यवसायात्मकता के सद्भाव में परव्यवसायात्मकता का अभाव अप्रमाणता का चिन्ह है जिनका कि दर्शन के पूर्वोक्त स्वरूप में अभाव पाया जाता है । तात्पर्य यह है कि दर्शन के पूर्वोक्त स्वरूप में पदार्थ का अवलम्बन होने के कारण वह पदार्थ ग्रहणरूप तो है परन्तु वह न तो स्वपरव्यवसायात्मक है और न केवल स्वव्यवसायात्मक ही है अतः उसे सामान्यग्रहण शब्द से पुकारना उचित ही है चूँकि प्रमाणज्ञान स्वपरव्यवसायी होता है और अप्रमाणज्ञान परव्यवसायी न होकर भी स्वव्यवसायी तो होता ही है अतः प्रमाणज्ञान और अप्रमाणज्ञान दोनों को विशेषग्रहण शब्द से पुकारना उचित है । दर्शन को आगम में जो निराकार कहा गया है वह भी उचित है क्योंकि ऊपर दर्शन का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है उसमें स्वपरव्यवसायात्मकता का अभाव रहने के कारण प्रमाणता का और परव्यवसायात्मकता के अभाव के साथ स्वव्यवसायात्मकता का भी अभाव रहने के कारण अप्रमाणता का भी आकार नहीं पाया जाता है । आगम में दर्शन को जो अव्यवसायात्मक कहा गया है वह भी इस आधार पर उचित है कि ऊपर दर्शन को जो स्वरूप निर्धारित किया गया है उसमें न तो प्रमाणज्ञान की तरह स्वपरव्यवसायात्मकता पायी जाती है और न अप्रमाणज्ञान की तरह केवल स्वव्यवसायात्मकता ही पायी जाती है । इसी प्रकार

आगम के दर्शन को जो निर्विकल्पक कहा गया है वह भी उचित है क्योंकि ऊपर दर्शन का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है उसमें स्वपरव्यवसायात्मकता का अभाव रहने के कारण न तो प्रमाणता का विकल्प पाया जाता है और परव्यवसायात्मकता के अभाव के साथ स्वव्यवसायात्मकता का भी अभाव रहने के कारण अप्रमाणता का भी विकल्प नहीं पाया जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा की पदार्थ प्रतिबिम्बक शक्ति ही दर्शन शक्ति है और आत्मप्रदेशो में पदार्थ का प्रतिबिम्बित हो जाना ही दर्शन या दर्शनोपयोग है। इसी प्रकार आत्मा की पदार्थ प्रतिभासक शक्ति ही ज्ञानशक्ति है और आत्मा को पदार्थ का प्रतिभास न होना ही ज्ञान या ज्ञानोपयोग है तथा यह ज्ञान या ज्ञानोपयोग उपर्युक्त प्रकार के दर्शन या दर्शनोपयोग के आधार पर ही होता है अन्यथा नहीं।

### दर्शन स्वभावतः अविस्वादी होता है

यतः पूर्वकथनानुसार पदार्थ का आत्मप्रदेशो पर प्रतिबिम्ब पडना ही दर्शन है अतः दर्शन स्वभावतः अविस्वादी अर्थात् विवादरहित है इसका तात्पर्य यह है कि पदार्थ जिस रूप में विद्यमान होता है उसका दर्शन उसी रूप में होता है ऐसा कभी नहीं होता कि पदार्थ विद्यमान न होते हुए भी पदार्थ-दर्शन हो जाय अथवा एक पदार्थ के विद्यमान रहते हुए दूसरे पदार्थ का दर्शन हो जाय। अतः दर्शन में किसी को भी और कभी भी विवाद करने की गुंजाइश नहीं रहा करती है। दर्शन के स्वभावतः अविस्वादी होने के कारण ही बौद्धदर्शन में उसे

प्रमाणरूप से स्वोकार किया गया है। जैन-दर्शन में दर्शन को अविसवादी रहते हुए जो प्रमाण नहीं माना गया है इसका कारण यह है कि वह स्वपरव्यवसायी नहीं है और ज्ञान तू कि स्वपरव्यवसायी होता है अतः उसे जैन-दर्शन में प्रमाण माना गया है व जो ज्ञान स्वव्यवसायी होकर भी परव्यवसायी नहीं होता उसे जैन-दर्शन में अप्रमाण माना गया है।

जैसे घट के सदभाव में यह तो निश्चित समझना चाहिये कि दर्शन घट का ही होगा कारण कि जब आत्मप्रदेशों में पदार्थ का प्रतिविम्ब पडने को दर्शन पूर्व में निर्णित किया जा चुका है तो यह तो हो नहीं सकता कि घट के सदभाव में आत्मप्रदेशों में प्रतिविम्ब घट का न पडकर किसी अन्य पदार्थ का पड जावे। अब यदि उस अवसर पर ज्ञान भी घट का होता है तो वह ज्ञान स्वपरव्यवसायात्मक होने से प्रमाणरूप ही होगा। इसी प्रकार शीप के सद्भाव में भी यह निश्चित है कि दर्शन उपर्युक्त प्रकार शीप का ही होगा परन्तु उस अवसर पर यदि चाँदी का ज्ञान हो जावे तो उस ज्ञान में स्वव्यवसायात्मकता रहते हुए भी तू कि परव्यवसायात्मकता का अभाव है अतः वह ज्ञान भ्रमरूप में अप्रमाण कहा जायगा। इसी प्रकार शीप के सद्भाव में उपर्युक्त प्रकार यह तो निश्चित है कि दर्शन शीप का ही होगा परन्तु उस अवसर पर यदि “शीप है या चाँदी” इस प्रकार दुलमिल ज्ञान हो जावे तो उस ज्ञान में भी स्वव्यवसायात्मकता रहते हुए भी तू कि परव्यवसायात्मकता का अभाव है अतः वह ज्ञान भी सशय रूप में अप्रमाण कहा जायगा। इसी प्रकार किसी वस्तु के सद्भाव में यह तो निश्चित है कि दर्शन उसी वस्तु का होगा जिसका वहाँ सद्भाव होगा परन्तु वहाँ पर यदि ऐसा ज्ञान होता है कि “यहाँ मुझे किसी वस्तु का

आभास हो रहा है" तो इस ज्ञान में भी स्वव्यवसायात्मकता रहते हुए भी चूँकि परव्यवसायात्मकता का अभाव है अतः यह ज्ञान भी अनध्यवसायरूप में अप्रमाण कहा जायगा। तात्पर्य यह है कि चाहे प्रमाणज्ञान हो चाहे अप्रमाणज्ञान हो दोनों प्रकार के ज्ञान दर्शनपूर्वक ही हुआ करते हैं और उस अवसर पर दर्शन भी उसी पदार्थ का होता है जिसका वहाँ सद्भाव रहता है परन्तु यदि ज्ञान उस पदार्थ का हो रहा है जिसका दर्शन हो रहा है तो वह ज्ञान स्वपरव्यवसायात्मक होने से प्रमाण रूप है। यदि ज्ञान, जिस पदार्थ का दर्शन हो रहा है उससे भिन्न पदार्थ का हो रहा है, तो वह स्वव्यवसायात्मक होते हुए भी परव्यवसायात्मक न होने के कारण भ्रमरूप अप्रमाण है, यदि ज्ञान जिस पदार्थ का दर्शन हो रहा है उसका और उससे भिन्न पदार्थ का दुर्लभ रूप में हो रहा है तो वह स्वव्यवसायात्मक होते हुए भी परव्यवसायात्मक न होने के कारण सशयरूप अप्रमाण है और यदि ज्ञान पदार्थ का दर्शन होते हुए भी किसी विशेष पदार्थ को विषय करने वाला न हो तो वह ज्ञान स्वव्यवसायात्मक होते हुए भी परव्यवसायात्मक न होने के कारण अनध्यवसायरूप अप्रमाण है।

**दर्शन का सद्भाव पदार्थ ज्ञान की प्रत्यक्षता का और असद्भाव परोक्षता का कारण है**

जैनदर्शन में ज्ञान के दो भेद स्वीकार किये गये हैं—एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। अब इस विषय में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि एक ज्ञान प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष क्यों है? इसके सम्बन्ध में जैनागम में जो कुछ कहा गया है उसका सार यह है कि सब जीवों में पदार्थों के जानने की शक्ति पायी जाती है। उसके द्वारा प्रत्येक जीव पदार्थ बोध किया गया है।

पदार्थ बोध मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान के भेद से पाच प्रकार होता है। मतिज्ञान में स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाच इन्द्रियो में से किसी भी इन्द्रिय अथवा मन की सहायता अपेक्षित रहा करती है, श्रुतज्ञान सिर्फ मन की सहायता से हुआ करता है और अवधि, मन पर्यय और केवल ये तीनों ज्ञान इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के बिना केवल आत्मसापेक्ष ही हुआ करते हैं। यथायोग्य इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होने के कारण मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को परोक्ष कहते हैं तथा इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही उत्पन्न होने के कारण अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। जैनागम में इससे भी आगे यह कथन और पाया जाता है कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ये चारों प्रकार के मतिज्ञान और श्रुतज्ञान सर्वथा परोक्ष हैं, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान सर्वथा प्रत्यक्ष हैं तथा शेष अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारों प्रकार के मतिज्ञान इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होने के कारण जहा परोक्ष है वहा लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष माने जाने के कारण प्रत्यक्ष भी है।

यहा पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा इन चारों मतिज्ञानों को लोक व्यवहार में जो प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है उसका कारण क्या है? इसके समाधान में मेरा कहना यह है कि जैनागम में इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होने वाले ज्ञानों को परोक्ष और इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही उत्पन्न होने वाले ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहने का आशय उन उन ज्ञानों की पराधीनता और स्वाधीनता बतलाना है इसे स्वरूप कथन नहीं समझना

चाहिये । इस प्रकार कहा जा सकता है कि उक्त ज्ञानों के उक्त लक्षण करणानुयोग की विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि में कहे गये हैं । लेकिन स्वरूप का कथन करने वाला जो द्रव्यानुयोग है उसकी दृष्टि से प्रत्यक्षज्ञान वह है जिसमें पदार्थ का साक्षात्कार रूपबोध होता है और परोक्षज्ञान वह है जो जिसमें पदार्थ का बोध तो हो लेकिन वह बोध साक्षात्काररूप न हो । पदार्थ का साक्षात्काररूप बोध वह है जो पदार्थदर्शन के सद्भाव में होता है और पदार्थ का असाक्षात्काररूप बोध वह है जो पदार्थदर्शन का सद्भाव न रहते हुए होता है । इस प्रकार पदार्थदर्शन के सद्भाव में जो बोध होता है उसे प्रत्यक्ष और पदार्थदर्शन के असद्भाव में जो बोध होता है उसे परोक्ष समझना चाहिये । प्रत्यक्ष और परोक्ष के इन लक्षणों के अनुसार पदार्थदर्शन के सद्भाव में होने के कारण अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारो मतिज्ञान तथा अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान और केवलज्ञान ये सब प्रत्यक्ष-ज्ञान हैं शेष स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ये चारो मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान ये सब चू कि पदार्थदर्शन के असद्भाव में होते हैं अतः परोक्ष हैं ।

इसका तात्पर्य जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है यह है कि प्रत्येक जीव में पदार्थों को जानने की योग्यता की तरह पदार्थों को देखने की भी योग्यता विद्यमान है इसलिये जिस प्रकार प्रत्येक जीव जानने की योग्यता का सद्भाव रहने के कारण पदार्थों को जानता है उसी प्रकार वह देखने की योग्यता का सद्भाव रहने के कारण पदार्थों को देखता भी है । चू कि पदार्थदर्शन का सद्भाव पदार्थ के प्रत्यक्षज्ञान में कारण होता है अतः जो जीव पदार्थ का प्रत्यक्षज्ञान करना चाहता है उसमें पदार्थदर्शन का सद्भाव अवश्य होना चाहिये ।

## प्रत्यक्ष और परोक्ष शब्दों का व्युत्पत्थ

प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ “अक्षं=आत्मानं प्रति” इस व्युत्पत्ति के अनुसार पदार्थ की आत्मावलम्बनता के सद्भाव में होने वाला पदार्थ ज्ञान होता है और परोक्ष शब्द का अर्थ “अक्षात्=आत्मान. परम्” इस व्युत्पत्ति के अनुसार पदार्थ की आत्मावलम्बनता के असद्भाव में होने वाला पदार्थ ज्ञान होता है तथा इस प्रकरण में पदार्थ की आत्मावलम्बनता का अर्थज्ञान के आधारभूत पदार्थ का आत्म प्रदेशों में प्रतिविम्बित हो जाना ही है इसी को पदार्थ का दर्शन या दर्शनोपयोग समझना चाहिये ।

## पदार्थदर्शन के भेद और उनका नियमन

उपर्युक्त पदार्थदर्शन कही-कही तो स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पाँच इन्द्रियों में किसी इन्द्रिय द्वारा अथवा मन द्वारा यथासम्भव यथायोग्यरूप में हुआ करता है और कही-कही इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही यथायोग्यरूप में हुआ करता है । इस तरह जैनागम में पदार्थदर्शन के चार भेद माने गये हैं—चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन ।

नेत्रेन्द्रिय द्वारा पदार्थ के नियत आकार का नियत आत्म प्रदेशों में प्रतिविम्बित हो जाने को चक्षुर्दर्शन, नेत्रेन्द्रिय को छोड़कर शेष स्पर्शन, रसना, नासिका और कर्ण इन चार इन्द्रियों में से किसी भी इन्द्रिय द्वारा अथवा मन द्वारा अपने-अपने अनुरूप पदार्थ के नियत आकारों का नियत आत्म प्रदेशों में प्रतिविम्बित हो जाने को अचक्षुर्दर्शन, इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही रूपी पदार्थ आकार का नियत आत्म-

प्रदेशों में प्रतिबिम्बित हो जाने को अवधिदर्शन और इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही विश्व के समस्त पदार्थों के आकारों का समस्त आत्म प्रदेशों में प्रतिबिम्बित हो जाने को केवलदर्शन समझना चाहिये ।

नेत्रेन्द्रिय से होने वाले अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप मतिज्ञानों में चक्षुर्दर्शन का सद्भाव कारण होता है, स्पर्शन, रसना, नासिका और कर्ण इन्द्रियो में से किसी भी इन्द्रिय अथवा मन से होने वाले अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप मतिज्ञानों में उस-उस इन्द्रिय अथवा मन से होने होने वाले अक्षुर्दर्शन का सद्भाव कारण होता है तथा अवधिज्ञान में अवधिदर्शन का केवलज्ञान में केवलदर्शन का सद्भाव कारण होता है । मन पर्ययज्ञान में भी मानसिक अक्षुर्दर्शन का सद्भाव कारण होता है ।

### पदार्थज्ञान की प्रत्यक्षता और अप्रत्यक्षता का विभाजन

इस प्रकार अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलज्ञान तीनों सर्वथा प्रत्यक्ष हैं अर्थात् इन्द्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही उत्पन्न होने के कारण ये तीनों ज्ञान चूकि स्वाधीन हैं अतः करणानुयोग की विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रत्यक्ष हैं और चूकि ये तीनों ज्ञान चूकि उक्त प्रकार से पदार्थदर्शन के सद्भाव में ही उत्पन्न होते हैं अतः स्वरूप का कथन करने वाले द्रव्यानुयोग (वस्तुविज्ञान) को दृष्टि से भी प्रत्यक्ष हैं तथा स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ये चारों मतिज्ञान व श्रुतज्ञान ये सब ज्ञान सर्वथा परोक्ष हैं अर्थात् यथासम्भव इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होने के कारण चूकि ये ज्ञान पराधीन हैं अतः करणानुयोग की विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से भी परोक्ष



हैं और चूँकि ये ज्ञान उक्त प्रकार पदार्थदर्शन का सद्भाव रहते ही उत्पन्न हुआ करते हैं अतः स्वरूप का कथन करने वाले द्रव्यानुयोग ( वस्तुविज्ञान ) की दृष्टि से भी परोक्ष है। लेकिन अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारो मतिज्ञान कथञ्चित् प्रत्यक्ष और कथञ्चित् परोक्ष है अर्थात् ये चारो इन्द्रिय अथवा मन की सहायता से उत्पन्न होने के कारण करणानुयोग की विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से तो परोक्ष है और उक्त प्रकार से पदार्थदर्शन के सद्भाव में होने के कारण स्वरूप का कथन करने वाले द्रव्यानुयोग ( वस्तुविज्ञान ) की दृष्टि से प्रत्यक्ष है।

इस प्रकार इस विवेचन के साथ आगम के पूर्वोक्त इस कथन का भी सामञ्जस्य स्थापित हो जाता है कि अवधि, मन - पर्यय और केवल ये ज्ञान सर्वथा प्रत्यक्ष है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान रूप मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान सर्वथा परोक्ष है तथा अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणारूप मतिज्ञान कथञ्चित् प्रत्यक्ष और कथञ्चित् परोक्ष है।

### दर्शन के स्थलो की विवेचना

यहा इतना विशेष समझना चाहिये कि जिस प्रकार अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप मति तथा अवधि, मन - पर्यय और केवल ये सभी ज्ञान पदार्थदर्शन के सद्भाव में ही होते हैं उस प्रकार स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान रूप-मति तथा श्रुत इन सब ज्ञानों के होने में पदार्थदर्शन के सद्भाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्मृति हमेशा धारणापूर्वक ही हुआ करती है, प्रत्यभिज्ञान स्मृति और प्रत्यक्षपूर्वक ही होता है, तर्क प्रत्यभिज्ञानपूर्वक ही होता है, अनुमान तर्कपूर्वक ही होता है और श्रुतज्ञान अनुमानपूर्वक ही होता है लेकिन स्मृति आदि उक्त ज्ञानों को मूल कारणभूत धारणा तो

पदार्थदर्शन के सद्भाव में ही होती है अतः इन ज्ञानों में भी परम्परया पदार्थदर्शन कारण होता ही है। दूसरी बात यह है कि आगम के कथन पर यदि वारीकी के साथ ध्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि स्मृति में धारणा सामान्यरूप से कारण नहीं होती है किन्तु धारणा का उद्बोध कारण होता है और धारणा का यह उद्बोध मस्तिष्क द्वारा आत्म प्रदेशों में धारणा का प्रतिविम्बित होना ही है इस तरह कहना चाहिये धारणा की दर्शनरूप स्थिति ही स्मृति में कारण हुआ करती है। यही बात प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानों के विषय में भी जानना चाहिये। इस तरह प्रत्येक ज्ञानदर्शन के सद्भाव में ही होता है यह सिद्धान्त अखण्डित है। विशेषता इतनी है कि जो ज्ञान पदार्थदर्शन के सद्भाव में उत्पन्न होते हैं वे तो प्रत्यक्ष कहलाते हैं और जो पदार्थदर्शन के सद्भाव में न होकर पदार्थज्ञान के दर्शन के सद्भाव में होते हैं वे परोक्ष हैं। इससे यह निर्णीत होता है कि अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा तथा अवधि, मन पर्यय और केवल ये सभी ज्ञान चूकि पदार्थ दर्शन के सद्भाव में होते हैं अतः प्रत्यक्ष हैं और स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और श्रुत ये सभी ज्ञान चूकि पदार्थदर्शन के सद्भाव में न होकर पदार्थज्ञान के दर्शन के सद्भाव में होते हैं अतः परोक्ष हैं।

प्रश्न—जिस प्रकार धारणापूर्वक होने वाले स्मृतिज्ञान को, स्मृतिपूर्वक होने वाले प्रत्यभिज्ञान को, प्रत्यभिज्ञानपूर्वक होने वाले तर्कज्ञान को, तर्कपूर्वक होने वाले अनुमान ज्ञान को और अनुमानपूर्वक होने वाले श्रुतज्ञान को द्वयानुयोग (वस्तु विज्ञान) की दृष्टि से परोक्षज्ञान कहा गया है उसी प्रकार अवग्रहपूर्वक होने वाले ईहाज्ञान को, ईहापूर्वक होने वाले अवाय ज्ञान को और अवायपूर्वक होने वाले धारणाज्ञान को भी

द्विधानुयोग (वस्तु विज्ञान) की दृष्टि से परोक्षज्ञान क्यों नहीं कहना चाहिये ? अथवा जिस प्रकार ईहा आदि ज्ञानों को प्रत्यक्षज्ञान कहा गया है उसी प्रकार स्मृति आदि ज्ञानों को भी प्रत्यक्षज्ञान क्यों नहीं कहना चाहिये ?

उत्तर—यह ठीक है कि जिस प्रकार धारणा आदि ज्ञान-पूर्वक स्मृति आदि ज्ञान होते हैं उसी प्रकार अचग्रह आदि ज्ञान-पूर्वक ईहा आदि ज्ञान होते हैं परन्तु स्मृति आदि ज्ञानों को जो प्रत्यक्षज्ञान न कहकर परोक्षज्ञान कहा गया है वह इसलिये नहीं कहा गया है कि वे ज्ञान धारणा आदि ज्ञानपूर्वक होते हैं किन्तु इसलिये कहा गया है कि वे पदार्थदर्शन के असद्भाव में होते हैं। चूँकि ईहा आदि ज्ञान पदार्थदर्शन के असद्भाव में न होकर पदार्थदर्शन के सद्भाव में ही होते हैं अतः उन्हें परोक्ष न कहकर प्रत्यक्ष कहा गया है। यही बात मन पर्ययज्ञान के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिये। अर्थात् मन पर्ययज्ञान यद्यपि ईहा-ज्ञानपूर्वक होता है परन्तु पदार्थदर्शन के सद्भाव में होता है अतः उसे प्रत्यक्षज्ञान कहा गया है।

यहाँ पर प्रसंग पाकर मैं इतना और कह देना चाहता हूँ कि अचग्रह ज्ञान के पश्चात् ईहाज्ञान होना ही चाहिये ऐसा नियम नहीं है। ईहाज्ञान वही पर ही सकता है जहाँ अचग्रह के पश्चात् उस ज्ञान में सशय उत्पन्न हो जावे। यदि अचग्रह स्वयं अवायात्मक रूप से उत्पन्न हुआ हो अथवा अचग्रह होकर तत्काल ज्ञान समाप्त हो जावे तो सशय उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार सशय के पश्चात् भी ज्ञान ईहारूप भी हो सकता है, अवायरूप भी हो सकता है या सयसरूप ही बना रह सकता है। इसी प्रकार ईहाज्ञान के पश्चात् भी ज्ञान अवायरूप भी हो सकता है, ईहारूप भी बना रह सकता है अथवा पुनः सशय की

कोटि में आ सकता है। अवाय के पश्चात् ज्ञान धारणा का रूप ले सकता है या समाप्त हो सकता है। इसी प्रकार धारणा होकर भी कालान्तर में वह धारणा भी समाप्त हो सकती है।

इस प्रकार आत्मतत्त्व पर वस्तुविज्ञान की दृष्टि से विस्तार के साथ प्रकाश डालने के अनन्तर प्रकृत में आत्मा का उदाहरण के रूप में स्पष्टीकरण किया जा रहा है।

### प्रकृत में आत्मा का उदाहरण के रूप में स्पष्टीकरण

ऊपर के कथन से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि आत्मा के स्वभाव दर्शन का कार्य पदार्थों का दर्पण के समान आत्म प्रदेशों में प्रतिबिम्बित करना है और आत्मा के स्वभाव ज्ञान का कार्य आत्म प्रदेशों में प्रतिबिम्बित उन पदार्थों को दीपक की तरह प्रकाशित करना है। आत्म प्रदेशों में पदार्थों के प्रतिबिम्बित होने से जो परिणति आत्मा की या आत्मा के स्वभाव दर्शन की होती है उसमें आत्मा का स्वतः सिद्ध दर्शन स्वभाव ही उपादानशक्ति है और उनको प्रतिभासित करने में आत्मा का स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वभाव ही उपादानशक्ति है। अर्थात् आत्मा के ये दोनों स्वभाव ही परपदार्थ का अवलम्बन लेकर क्रमशः देखने व जानने रूप परिणमन करते रहते हैं। इसलिये जब जैसा परिणमन दृश्यता व ज्ञेयता को प्राप्त होने वाले पदार्थों का होता जायगा उसके आधार पर वैसा ही परिणमन आत्मा के दर्शन और ज्ञानरूप स्वभावों का भी होता जायगा। इसका तात्पर्य यह है कि दृश्य और ज्ञेय पदार्थ अपने उस परिवर्तित रूप से ही उस समय आत्मा में स्वतः अथवा इन्द्रियो या मन की सहायता से यथायोग्य रूप में प्रतिबिम्बित होकर आत्मा द्वारा जाने जावेंगे। इस प्रकार आत्मा के दर्शन

और ज्ञान दोनों प्रकार के ज्ञायक स्वभाव के उपयोगाकार परिणमन में उल्लिखित प्रकार से चूकि आत्मा स्वयं अथवा उसके उक्त दोनो स्वतः सिद्ध स्वभाव उपादान है व देखने और जानने के विषयभूत पदार्थ निमित्त हैं । इसलिये यहां पर भी आकाश, दर्पण और क्षीपक की तरह उपादानोपादेयभाव तथा निमित्तनैमित्तिकभाव दोनो के आधार पर कार्यकारणभाव की सगति को असगत नहीं माना जा सकता है । इतना अवश्य है कि आकाश के अवगाहकस्वभाव के अवगाह्यमान पदार्थों को अवगाहित करने रूप परिणमन में अवगाह्यमान पदार्थों की तरह मुक्तात्मा के दर्शन और ज्ञानरूप ज्ञायक स्वभाव के उपयोगाकार परिणमन में उनके विषयभूत दृश्य और ज्ञेय पदार्थ केवल उदासीन रूप से ही निमित्त होते हैं । इसी प्रकार जीवन्मुक्त ( अर्हन्त ) अवस्था को प्राप्त संसारी जीवो के दर्शन और ज्ञान रूप ज्ञायकस्वभाव के उपयोगाकार परिणमन में भी उनके विषयभूत दृश्य और ज्ञेय पदार्थ उदासीनरूप से निमित्त ही होते हैं क्योंकि इन मुक्त और जीवन्मुक्त संसारी जीवो को दर्शन और ज्ञान के विषयभूत पदार्थों को देखने व जानने की आकाक्षा एवं प्रयत्न नहीं करने पडते हैं । उक्त मुक्त और जीवन्मुक्त संसारी जीवो को छोड़ कर शेष समस्त संसारी जीवो में से जिनमें पदार्थों का ज्ञान करने के लिये आकाक्षा और प्रयत्न हो रहे हो उनके ज्ञायकस्वभाव के देखने व जानने रूप परिणमन में उदासीन निमित्तों के अलावा प्रेरक निमित्तों की भी उपयोगिता स्वीकार करनी पडती है ।

यहां प्रसंगवश पुद्गलद्रव्य के सम्बन्ध में भी मैं इतना कह देना चाहता हू कि पुद्गलद्रव्य के स्वभाव रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के परिणमनों का कथन पूर्व में किया जा चुका है ।

उनके विषय में प्रकृत में मैं इतना और कह देना चाहता हूँ कि यदि गहराई से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि वे परिणमन भी स्वपरसापेक्ष अर्थात् उत्पादान और निमित्त दोनों कारणों के बल पर ही हुआ करते हैं। जैसे आम्रफल के स्वभाव रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का अपना-अपना जो परिणमन उसकी कच्ची और पकी अवस्था में हुआ करता है वह सब स्वपर-सापेक्ष ही हुआ करता है।

इस तरह मैंने अब तक वस्तु विज्ञान की दृष्टि से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि पूर्वोक्त प्रकार जितनी अनन्तानन्त वस्तुये स्वतः सिद्ध अर्थात् अनादि, अविनश्य, स्वाश्रित और अखण्डता के लिये हुए विश्व में विद्यमान हैं उन सब वस्तुओं के स्वतः सिद्ध और प्रतिनियत स्वभाव में पूर्वोक्त प्रकार से स्वसापेक्ष परनिरपेक्ष अर्थात् केवल उत्पादानोपादेयभाव के आधार पर तथा स्वपरसापेक्ष अर्थात् उत्पादानोपादेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव दोनों के आधार पर परिणमन सतत हो रहे हैं। आगे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आत्मतत्त्व पर विचार किया जाता है।

### अध्यात्मविज्ञान को दृष्टि में आत्मतत्त्व

पूर्व में ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि आकाशद्रव्य एक है, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्रव्य एक है, कालद्रव्य असंख्यात हैं, जीवद्रव्य अनन्तानन्त हैं और पुद्गलद्रव्य भी अनन्तानन्त हैं। इस तरह कुल मिलाकर विश्व की सम्पूर्ण वस्तुओं की सत्या अनन्तानन्त है। पूर्व में ऐसा भी प्रतिपादन किया गया है कि इन सब अनन्तानन्त वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु अपने स्वतः सिद्ध, स्वाश्रित और प्रतिनियत स्वरूप के आधार पर परस्पर एक-

दूसरी वस्तु से सतत भिन्नता को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार स्वरूप दृष्टि से पृथक्-पृथक् विद्यमान अर्थात् अपना-अपना अलग-अलग स्वरूप धारण करती हुई उक्त सभी वस्तुओं में से एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अपने से भिन्न अन्य वस्तु से विलकुल अस्पृष्ट होकर रह रही हो। अर्थात् सभी वस्तुयें यथा-सम्भव एक दूसरी वस्तु से स्पृष्ट होकर ही रही हैं।

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि उक्त सभी वस्तुयें जब आकाश के अन्दर समायी हुई हैं तो वे आकाश को स्पर्श करती हुई ही रह रही हैं। इसके अलावा अनन्तानन्त प्रदेश वाले अखण्ड आकाश द्रव्य के मध्य उसके असख्यात प्रदेशों पर असख्यात प्रदेशी अखण्ड धर्मद्रव्य विराजमान है और जहाँ धर्मद्रव्य विराजमान है वही पर समान असख्यात प्रदेशी अखण्ड अधर्मद्रव्य भी विराजमान है। आकाश के जिन और जितने प्रदेशों पर धर्म और अधर्म द्रव्य स्थित है उनमें से प्रत्येक एक-एक प्रदेश पर एक-एक कालद्रव्य स्थित है। इतना ही नहीं, सम्पूर्ण अनन्तानन्त जीवद्रव्य और सम्पूर्ण अनन्तानन्त पुद्गल-द्रव्य भी अपनी-अपनी छोटी-बड़ी अथवा स्थूल-सूक्ष्म आकृति को लेकर आकाश के यथायोग्य इन्हीं असख्यात प्रदेशों पर स्थित हो रहे हैं अथवा विचर रहे हैं।

इतना होने पर भी आकाश, धर्म, अधर्म और सम्पूर्ण काल नाम की वस्तुयें परस्पर अथवा जीव और पुद्गल नाम की वस्तुओं के साथ कभी बद्धता (मिश्रण) को प्राप्त नहीं होती हैं इसलिये इन चारों प्रकार की वस्तुओं को मैं अवद्वस्पृष्ट कहना चाहता हूँ। अर्थात् उक्त चारों प्रकार की वस्तुयें यद्यपि अपने से भिन्न वस्तुओं के साथ स्पृष्ट होकर ही रह रही हैं फिर

भी ये सभी वस्तुये परस्पर मिलकर एक पिण्ड का रूप नहीं धारण करती है। उक्त चारो प्रकार की वस्तुओ को छोडकर शेष जीव और पुद्गल नाम की जितनी वस्तुये विश्व मे विद्यमान है उनके विषय मे जैन-संस्कृति के आगम ग्रन्थो मे निम्न प्रकार की व्यवस्था बतलायी गयी है।

### समस्त जीवो का दो वर्गों में विभाजन

स्वरूप दृष्टि से अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् सत्ता को प्राप्त सम्पूर्ण अनन्तान्त जीव यद्यपि अनादिकाल से ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप पुद्गलो से और मन, वचन तथा कायरूप तीन नोकर्मरूप पुद्गलो से बद्धता ( मिश्रण ) को प्राप्त होकर रहते आये हैं, परन्तु आगे चलकर ये सब जीव मुक्त और ससारी दो वर्गों मे विभक्त हो गये है।

जो जीव उक्त ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप और मन, वचन और काय इन तीन नोकर्मरूप पुद्गलो के साथ अनादिकालीन परम्परा से चली आ रही बद्धता को सर्वथा समाप्त कर चुके है वे सब जीव मुक्त कहलाते हैं और जो जीव उक्त कर्म तथा नोकर्मरूप पुद्गलो के साथ अनादिकालीन परम्परा से चली आ रही बद्धता को अभी तक सर्वथा समाप्त नहीं कर सके है अर्थात् उस बद्धता मे ही रह रहे है वे सब जीव ससारी कहलाते है इस तरह मुक्त जीवो को अबद्धस्पृष्ट और ससारी जीवो को बद्धस्पृष्ट कह सकते है।

### मुक्त और ससारी दोनो प्रकार के जीवों का परिमाण

मुक्त और ससारी दोनो प्रकार के जीवो की यदि परिगणना की जाय तो वे दोनो ही प्रकार के जीव पृथक्-पृथक्



गणना में अनन्तानन्त ठहरते हैं फिर भी मुक्त जीवों की संख्या ससारी जीवों की संख्या से अनन्तवैभाग है और इसी तरह ससारी जीवों की संख्या मुक्त जीवों की संख्या से अनन्तगुणी है। मुक्त और ससारी जीवों का इस प्रकार का परिमाण आगामी अनन्तकाल में अनन्तान्त ससारी जीवों द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेने के अनन्तर भी बना रहने वाला है क्योंकि जैनागम में अनन्तानन्त के अनन्तानन्त भेद स्वीकार किये गये हैं। इसलिये उक्त प्रकार मुक्ति की प्रक्रिया चालू रहने के कारण मुक्त जीवों के परिमाण में अनन्तानन्त जीवों की वृद्धि हो जाने पर भी उनकी संख्या सर्वदा ससारी जीवों की संख्या की अपेक्षा अनन्तवैभाग ही बनी रहने वाली है। इसी प्रकार ससारी जीवों के परिमाण में अनन्तानन्त जीवों की कमी हो जाने पर भी उनकी संख्या मुक्त जीवों की संख्या की अपेक्षा अनन्तगुणी बनी रहने वाली है क्योंकि जैन-संस्कृति में यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि जब ससारी जीव अनादिकाल से अब तक नियत-क्रम से सतत मुक्ति को प्राप्त करते जा रहे हैं और मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात् कोई भी मुक्त जीव कभी ससारी नहीं बनता है तो ससारी जीवों में अनादिकाल से कमी होते रहते यदि अभी तक अनन्तानन्त काल बीत जाने पर भी उनकी संख्या समाप्त नहीं हो सकी तो आगे अनन्तानन्त काल में अनन्तानन्त ससारी जीवों द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेने के अनन्तर भी उनकी उस संख्या की समाप्ति होने वाली नहीं है। इसके आधार पर ही यह निश्चित होता है कि मुक्त जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर भी उनका परिमाण हमेशा ससारी जीवों के परिमाण की अपेक्षा अनन्तवैभाग तथा ससारी जीवों की संख्या में कमी हो जाने पर भी उनका परिमाण हमेशा मुक्त जीवों के परिमाण

की अपेक्षा अनन्तगुणा बना रहने वाला है। ससारी जीव मुक्त होते हैं और मुक्ति प्राप्त जीव कभी पुनः ससारी नहीं बनते— यह सिद्धान्त एक तो आगम वचन होने से श्रद्धा की वस्तु है दूसरे जैन दर्शन ग्रन्थों में तर्क द्वारा भी इस सिद्धान्त की पुष्टि की गयी है। प्रकरण के लिये उपयोगी न होने के कारण मैं यही उक्त सिद्धान्त की तर्क द्वारा पुष्टि करना आवश्यक नहीं समझता हूँ।

### ससारी जीवों के दो वर्ग भव्य और अभव्य

संसारि जीवों के भी जैनागम में दो वर्ग निश्चित किये गये हैं। उनमें से एक वर्ग तो भव्य जीवों का है और दूसरा वर्ग अभव्य जीवों का है; जिन संसारि जीवों में मुक्ति या मुक्ति प्राप्ति के साधनभूत सम्यग्दर्शन आदि को प्राप्त करने की अथवा मीजुदा संसार के साधनभूत मिथ्यादर्शन आदि को नष्ट करने की योग्यता पायी जाती है वे सब भव्य जीव कहे गये हैं और जिन संसारि जीवों में उक्त प्रकार की योग्यता नहीं पायी जाती है अर्थात् भव्य जीवों से विपरीत योग्यता पायी जाती है वे सब अभव्य जीव कहे गये हैं।

आचार्य श्री उमास्वामी ने तत्त्वार्थसूत्र अध्याय दो के "जीवभव्याभव्यत्वानिच ॥ ७ ॥" सूत्र द्वारा उक्त प्रकार की योग्यता को भव्यत्व और उसके अभाव या उससे विपरीत योग्यता को अभव्यत्व नामों से ही पुकारा है। स्वामी समन्तभद्र ने आप्त मीमांसा में उसे शुद्धिशक्ति और उसके अभाव या विपरीत योग्यता को अशुद्धि शक्ति नाम दिये हैं।

तत्त्वार्थ सूत्र के उक्त सूत्र द्वारा ही उक्त भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों को जीवत्व भाव के साथ पारिणामिक भावों में

गिनाया गया है जिसका भाव यह है कि ये दोनों भाव जीवत्व-भाव की तरह जीव के स्वतः सिद्ध भाव हैं और स्वतः सिद्ध होने से जहाँ ये दोनों भाव अनादि हैं वहाँ परस्पर विरोधी होने से एक ही जीव में उन दोनों का पाया जाना असम्भव है। इतना ही नहीं, जिस जीव में भव्यत्व अनादि से है उसमें कभी अभव्यत्व नहीं आ सकता है और जिस जीव में अभव्यत्व अनादि से है उस जीव में कभी भव्यत्व नहीं आ सकता है। इसका भी भाव यह है कि भव्य कभी अभव्य नहीं होता भव्य ही रहता है और अभव्य कभी भव्य नहीं होता अभव्य ही रहता है।

### भव्यत्व और अभव्यत्व के अन्य प्रकार

प्रसंगवश यहाँ हम इतनी बात और कह देना चाहते हैं कि जीवों के जिन भव्यत्व और अभव्यत्व का ऊपर कथन किया है वे जीव के असाधारण भाव हैं अर्थात् जीवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में नहीं पाये जाते हैं। परन्तु इनके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी भव्यत्व और अभव्यत्व होते हैं जो सभी वस्तुओं में पाये जाते हैं। जैसे प्रत्येक द्रव्य में परस्पर एक-दूसरे द्रव्यरूप परिणत होने की योग्यता नहीं पायी जाती है अथवा एकद्रव्य के गुणों का परिणमन दूसरे द्रव्य में कदापि नहीं होता है जब कि प्रत्येक द्रव्य सतत अपनी द्रव्यपर्यायों और अपनी स्वभावपर्यायों में परिणमन करता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में अपनी द्रव्यपर्यायों और स्वभावपर्यायों की अपेक्षा भव्यत्व और अपने से भिन्न वस्तु की द्रव्यपर्यायों और स्वभावपर्यायों की अपेक्षा अभव्यत्व दोनों ही परस्पर अविरोधी होने के कारण सतत एक साथ रहा करते हैं।

## जीवों और पुद्गलों में एक वैभाविकी शक्ति भी है

समस्त जीवों में एक वैभाविकी शक्ति भी स्वतः सिद्ध रूप में विद्यमान है जिसके बल पर ही जीव अनादिकाल से पुद्गलद्रव्य के साथ बद्धता को प्राप्त होकर रहता आया है। ऐसी शक्ति पुद्गलद्रव्य में भी जैन दर्शन द्वारा स्वीकृत की गयी है क्योंकि उसके पुद्गलद्रव्य में स्वीकार किये बिना जीव का पुद्गल द्रव्य से बन्ध को प्राप्त होना असम्भव था। यही कारण है कि पचाध्यायीकार ने जीव और पुद्गल दोनों में उक्त वैभाविकी शक्ति के सद्भाव का स्पष्ट उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार है—

“अपस्कान्तोपलाकृष्टसूचीवत्तद्द्वयो पृथक् ।  
अस्ति शक्तिर्विभावाख्या मियो बन्धाधिकारिणी ॥२-४५॥

अर्थ—चुम्बक पत्थर द्वारा आकृष्ट सुई के समान जीव पुद्गल दोनों द्रव्यों में पृथक्-पृथक् विभाव नाम की शक्ति विद्यमान है जो जीव और पुद्गल के परस्पर बन्ध का कारण है।

यह विभाव शक्ति भी एक प्रकार का भव्यत्व भाव ही है क्योंकि शक्ति, योग्यता, भव्यत्व और उपादानता ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। इसलिये इस दृष्टि से प्रत्येक जीव और कर्मवर्गणा तथा नोकर्मवर्गणारूप पुद्गल ये सभी भव्यरूपता को प्राप्त हो रहे हैं।

एक भव्यत्व ऐसा है जो केवल पुद्गल द्रव्यों में ही रहता है और जिसके बल पर सभी पुद्गल द्रव्य यथा काल स्कन्धरूपता को प्राप्त होते रहते हैं और यथा काल विच्छुद्धते भी रहते हैं।

जीवो का विभाव शक्ति नाम का भव्यत्वभाव ऊपर वतलाये गये भव्य और अभव्य दोनो प्रकार के ससारी जीवो मे और स्वत सिद्ध होने के कारण विनाश रहित होने से मुक्त जीवो मे भी समान रूप से विद्यमान रहता है ।

### जीवो के भव्यत्व और अभव्यत्व का व्याख्यान

यहा प्रकरण उन भव्यत्व और अभव्यत्व भावो का है जो जीवद्रव्य के अलावा किसी अन्य द्रव्य मे नही पाये जाते है तथा जिनके विषय मे ऊपर कहा गया है कि मुक्ति या मुक्ति के साधनभूत सम्यग्दर्शन आदि को प्राप्त करने अथवा ससार या ससार के साधनभूत मिथ्यादर्शन आदि को विनष्ट करने की योग्यता का नाम भव्यत्व है और इस प्रकार की योग्यता का अभाव अथवा इससे विपरीत योग्यता का नाम अभव्यत्व है ।

इनमे से अभव्यत्व जिन ससारी जीवो मे है उनमे वह अनादि काल से तो चला ही आ रहा है साथ ही अनन्तकाल तक रहने वाला भी है । लेकिन जिन ससारी जीवो मे भव्यत्व भाव है उनमे वह यद्यपि अनादिकाल से विद्यमान चला आ रहा है परन्तु किन्ही-किन्ही जीवो मे तो वह अनन्तकाल तक अपने रवाभाविक भव्यत्वरूप मे ही रहने वाला है और किन्ही-किन्ही जीवो मे वह निमित्त मिलने पर परिवर्तित हो जाने वाला है अथवा यो कहिये कि विनष्ट हो जाने वाला है ।

पूर्व मे वतलाया जा चुका है कि जिन ससारी जीवो मे अभव्यत्व है वे अभव्य कहे जाते है और जिन ससारी जीवो मे भव्यत्व हैं वे भव्य कहे जाते है चूकि अभव्यत्व स्थायी है अत अभव्य हमेशा अभव्य ही रहने वाले हैं परन्तु भव्यत्व मे उक्त

प्रकार की विशेषता रहने के कारण भव्यो मे भी विशेषता हो जाती है। अर्थात् जिन ससारी जीवो का भव्यत्व अनन्तकाल तक अपने स्वाभाविक भव्यत्वरूप मे ही रहने वाला है वे तो हमेशा भव्य ही रहने वाले है और जिनका भव्यत्व परिवर्तित होने वाला है वे मुक्त हो जाने वाले है। इस प्रकार जिनका भव्यत्व परिवर्तित हो चुका है वे भव्य तो मुक्त हो चुके है और जिनका भव्यत्व परिवर्तित होने वाला है वे भी यथा काल मुक्त हो जावेंगे।

तात्पर्य यह है कि “भविष्यतीति भव्य” इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो ससारी जीव अभी तक नहीं प्राप्त हुई मुक्ति या मुक्ति की साधनभूत सम्यग्दर्शनादिरूप पर्याय को आगामीकाल मे अनुकूल निमित्तो के प्राप्त होने पर प्राप्त कर सकते हैं अथवा जो ससारी जीव अभी तक नहीं नष्ट हुए ससार या ससार के साधनभूत मिथ्यादर्शन आदि को आगामीकाल मे अनुकूल निमित्तो के प्राप्त होने पर नष्ट कर सकते हैं उन्हे ही भव्य सज्ञा दी गयी है। इससे सिद्ध होता है कि मुक्ति या मुक्ति के साधन-भूत सम्यग्दर्शन आदि की प्राप्ति का अथवा ससार या ससार के साधनभूत मिथ्यादर्शन आदि के नाश का भविष्यत्पना ही यहा भव्यत्व शब्द का अर्थ लिया गया है लेकिन जिस प्रकार काल के भविष्यत् समय एक-एक करके अपनी भविष्यता को समाप्त करके वर्तमान होकर भूत होते जाते हैं फिर भी भविष्यत् समयो का कभी अन्त नहीं होने वाला है उसी प्रकार भव्य जीव भी मुक्ति या मुक्ति के साधनभूत सम्यग्दर्शन आदि की प्राप्ति के अनुकूल निमित्त मिलने पर मुक्ति या सम्यग्दर्शन आदि को प्राप्त करते जाते हैं अथवा ससार या ससार के साधनभूत मिथ्यादर्शन आदि के नाश के अनुकूल निमित्त मिलने पर ससार

या मिथ्यादर्शन आदि का नाश करते जाते हैं फिर भी भव्य जीवों का कभी अन्त होने वाला नहीं है ।

**प्रश्न**—जो भव्यजीव भव्य होकर भी कभी मुक्ति या सम्यग्दर्शनादिक को प्राप्त नहीं होंगे अथवा ससार या मिथ्यादर्शनादिक का नाश नहीं करेंगे उन्हें भव्य कहना असंगत क्यों नहीं है ?

**उत्तर**—भविष्यत् शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार काल के जिन समयों में भविष्यत् से वर्तमान होकर भूत होने की योग्यता है उन्हें ही भविष्यत् सज्ञा प्रदान की गयी है तो जो भविष्यत् समय कभी भी वर्तमान होकर भूत होने वाले नहीं हैं उन्हें जिस प्रकार भविष्यत् कहना असंगत नहीं है उसी प्रकार जो भव्य जीव भव्य होकर भी कभी मुक्ति या सम्यग्दर्शनादिक को प्राप्त नहीं होंगे अथवा ससार या मिथ्यादर्शनादिक का नाश नहीं करेंगे उन्हें भव्य कहना भी असंगत नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि “भविष्यतीति भव्य ” इस व्युत्पत्त्यर्थ के गर्भ में दो अर्थ समाये हुए हैं—एक तो “भवितु योग्य भव्य” इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो मुक्ति या सम्यग्दर्शन प्राप्त करने अथवा ससार या मिथ्यादर्शन का नाश करने की योग्यता रखता है वह भी भव्य है और दूसरा “भवितु शक्य भव्य ” इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो मुक्ति या सम्यग्दर्शन प्राप्त करने अथवा ससार या मिथ्यादर्शन का नाश करने की सामर्थ्य रखता है वह भी भव्य है । व्याकरणशास्त्र में योग्यता और सामर्थ्य दोनों के अर्थ में निम्न प्रकार से अन्तर बतलाया गया है ।

व्याकरणशास्त्र में क्रयार्थक कृ धातु के दो रूप पाये जाते हैं—एक ‘क्रोय’ और दूसरा ‘क्रय्य’ । इन दोनों की व्युत्पत्ति

अलग-अलग वहा बतलायी गयी है । अर्थात् "क्रेतुं शक्यं क्रय्यम्" यह क्रय्य शब्द की व्युत्पत्ति है जिसका अर्थ होता है खरीदी के लिये दुकान में रक्खी हुई वस्तु और "क्रेतु योग्यम्" यह क्रय शब्द की व्युत्पत्ति है जिसका अर्थ होता है जो खरीद तो की जा सकती है पर खरीदी के लिये दुकान में नहीं रक्खी गयी है जैसे घरेलू सामान । घरेलू सामान ऐसा नहीं होता कि वह कभी खरीदा ही नहीं जा सकता हो । परन्तु वह तब तक नहीं खरीदा जाता है जब तक उसे बेचने का उसके स्वामी ने सकल्प न किया हो । इस तरह एक भव्य वह है जिसमें मुक्त होने की योग्यता तो है परन्तु शक्यता नहीं है और एक भव्य वह है जिसमें मुक्त होने की शक्यता भी है । जो भव्य जीव अनादिकाल से अभी तक कभी सम्यग्दृष्टि नहीं हुए हैं उनमें भव्यत्व योग्यता रूप से ही रहा करता है तथा जिनको एक बार भी सम्यग्दर्शन प्राप्त होगया उनमें शक्यता रूप से भव्यत्व रहा करता है । यही प्रक्रिया सम्यग्दर्शन प्राप्ति या मिथ्यादर्शन के विनाश में समझ लेना चाहिये । अर्थात् जिन भव्य जीवों को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति या मिथ्यादर्शन के विनाश के अनुकूल करणलब्धि प्राप्त हो गयी हो उनमें भव्यत्व शक्यता रूप से रहता है और जिनको अनादिकाल से अभी तक कभी भी करणलब्धि प्राप्त न हुई उनमें योग्यता रूप से ही भव्यत्व रहा करता है।

## भव्यत्व और अभव्यत्व का शुद्धि शक्ति और

### अशुद्धि शक्ति के रूप में विवेचन

स्वामी समन्तभद्र ने अपनी आत्ममीमासा में बन्ध और मोक्ष के कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है—



कामादिप्रभवश्चित्रः कर्मबन्धानुरूपत ।

तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्ध्यशुद्धित ॥ ६६ ॥

अर्थ—ससारी जीवो मे काम-क्रोध-मोहादि विविध प्रकार के विकारो का जो उद्भव हुआ करता है उसमे उनके द्वारा पूर्व मे बद्धकर्म कारण होते है और उन कर्मों के बन्ध मे इस कर्मबन्ध से पूर्व उद्भूत जीवो के काम-क्रोध-मोहादि विकार कारण होते हैं। वे ससारी जीव शुद्धि शक्ति और अशुद्धि शक्ति के भेद से दो प्रकार के है।

इसका भाव निम्न प्रकार है

( १ ) ससारी जीवो के कर्मबन्ध और कामादि विकारो की उत्पत्ति मे पायी जाने वाली कार्यकारणभाव की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है।

( २ ) ससारी जीवो मे जो कामादि भाव उत्पन्न होते है वे सब उनकी अपनी चैतन्य शक्ति मे उत्पन्न होने वाले विभाव ( विकारी ) परिणमन है। अर्थात् प्रत्येक जीव मे अनादिकाल से पायी जाने वाली स्वत सिद्ध वैभाविक शक्ति के आधार पर उनकी चैतन्य शक्ति का कर्म के सहयोग से काम-क्रोधादि रूप परिणमन सतत हो रहा है।

यहा प्रश्न उठता है कि जब प्रत्येक जीव की चैतन्यशक्ति का कर्म के सहयोग से काम-क्रोधादिरूप परिणमन अनादिकाल से सतत होता आ रहा है तो फिर उन समस्त जीवो मे कोई जीव मुक्ति प्राप्त करलें और कोई जीव हमेशा ससारी बने रहे—इस भेद का कारण क्या है ?

इस प्रश्न का समाधान स्वामी समन्तभद्र ने प्रकृत पद्य के चतुर्थ चरण “जीवास्ते शुद्ध्यशुद्धित ” द्वारा दे दिया है ।

जिसका आशय यह है कि प्रत्येक जीव में जो अनादिकालीन स्वतः सिद्ध वैभाविक शक्ति विद्यमान है उसके आधार पर प्रत्येक जीव की चैतन्यशक्ति का वृद्धकर्मों के सहयोग से यद्यपि काम-क्रोधादि विकाररूप परिणमन अनादिकाल से होता आ रहा है, फिर भी उस वैभाविक-शक्ति के साथ-साथ किन्हीं जीवों में तो भव्यता नाम की शुद्धि शक्ति और किन्हीं जीवों में अभव्यता नाम की अशुद्धि शक्ति भी अनादिकाल से स्वतः सिद्ध रूप में विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ससारी जीव अनादिकाल से कर्म के सहारे पर अपनी उक्त वैभाविक शक्ति के आधार पर यद्यपि अशुद्ध हो रहा है ( काम-क्रोधादिरूप परिणमन कर रहा है ) परन्तु इस तरह से अशुद्ध होते हुए इन समस्त ससारी जीवों में से किन्हीं ससारी जीवों में ऐसी स्वतः सिद्ध अनादिकालीन योग्यता पायी जाती है जो योग्यता भविष्य में अनुकूल निमित्त प्राप्त होने पर उनके शुद्ध हो जाने का संकेत देती है और चूँकि यह योग्यता उक्त प्रकार से अशुद्ध हुए समस्त ससारी जीवों में नहीं पायी जाती है तो जिन ससारी जीवों में यह योग्यता नहीं पायी जाती है उनके विषय में यह निष्कर्ष अनायास ही निकल आता है कि वे कभी शुद्ध होने वाले नहीं हैं।

इस प्रकार वैभाविक शक्तिरूप उपादानशक्ति और कर्मरूप निमित्त के बल पर चित् शक्ति के विभाव परिणमन-स्वरूप काम-क्रोधादि स्वरूप अशुद्धि को प्राप्त समस्त ससारी जीवों में से कोई जीव तो उक्त प्रकार की शुद्धि शक्ति के धारक भव्य होते हैं और कोई जीव उक्त शुद्धिशक्ति के अभाव में अभव्य होते हैं। इनमें से कर्मबन्धन की समानता रहने पर भी जो अशुद्ध जीव शुद्ध होने की योग्यता रखने वाले भव्य हैं वे कभी भी अनुकूल निमित्तों का सहयोग प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त कर

लेते हैं और जो अशुद्ध जीव शुद्ध होने की योग्यता के अभाव के कारण अभव्य है वे कभी भी, चाहे निमित्तो का सहयोग उन्हें मिल भी जावे, मुक्ति के पात्र नहीं होते हैं ।

प्रकृत पद्य के चतुर्थचरण का व्याख्यान अष्टशती और अष्टसहस्री में निम्न प्रकार किया गया है ।

ननु यदि कर्मबन्धानुरूपतः ससारं स्यान्न तर्हि केषाचिन्मुक्तिरितरेषां ससारञ्च, कर्मबन्धनिमित्ताविशेषादिति चेन्न, तेषां शुद्ध्यशुद्धितः प्रतिमुक्तीतरसभवादात्मनाम् । न हि जीवाः शश्वदशुद्धित एव व्यवस्थिता स्याद्वादिना याज्ञिकानामिव, कामादि स्वभावत्वं निराकरणात् । तत्स्वभावत्वे कदाचिदौदासीन्योपलम्भः विरोध्यत् । नापि शुद्धित एवावस्थिता कापिलनामिव, प्रकृतिः ससर्गोऽपि तत्र कामाद्युपलम्भे पुरुषकल्पनावैयर्थ्यात्, तदुपभोगस्यापि तत्रैव सभवात् । न ह्यन्यः कामयतेऽन्यः काममनुभवतीति युक्तम् । नापि सर्वे सभवद्विशुद्धय एव जीवाः प्रमाणतः प्रत्येतुं शक्याः ससारशून्यत्वप्रसंगात् । किं तर्हि ? शुद्ध्यशुद्धिभ्यां व्यवतिष्ठन्ते “जीवास्ते शुद्ध्यशुद्धितः” इति वचनात् । ततः शुद्धिभाजायात्मना प्रतिमुक्तिरशुद्धिभाजं ससारम् ।”

अर्थ—यहाँ यह समस्या पैदा होती है कि “यदि कर्मबन्ध के अनुरूप ही जीवों के ससार का निर्माण होता है तो समस्त ससारी जीवों में से किन्हीं जीवों को मुक्ति प्राप्त हो और उनसे भिन्न अन्य जीव ससारी बने रहे यह बात नहीं बनती है क्योंकि कर्मबन्ध तो मुक्ति प्राप्त करने योग्य और ससारी बने रहने योग्य दोनों ही प्रकार के ससारी जीवों में समान रूप से ही हुआ करता है ।” इस समस्या का निराकरण इस प्रकार है कि सम्पूर्ण जीव शुद्धिशक्ति वाले और अशुद्धिशक्ति वाले इस

तरह दो भेदों में विभक्त है। अतः जो ससारी जीव शुद्धशक्ति वाले हैं उनको तो मुक्ति प्राप्त होने की सम्भावना है और जो अशुद्धि शक्ति वाले ससारी जीव हैं वे हमेशा ससारी ही बने रहते हैं। इसका आधार यह है कि स्याद्वादी जैनियों ने सम्पूर्ण ससारी जीवों को मीमांसकों की तरह हमेशा अशुद्ध रहने वाले नहीं स्वीकार किया है। इसका कारण यह है कि उन्होंने समस्त ससारी जीवों में पायी जाने वाली कामादि रूप अशुद्धि को जीव का स्वतःसिद्ध भाव मानने का निषेध किया है। इसका भी कारण यह है कि उनमें कभी-कभी जो कामादिक से विरक्ति भाव देखा जाता है वह कामादिकों जीव का स्वतःसिद्ध भाव मानने के विरुद्ध है। इसी प्रकार जैनियों ने सम्पूर्ण जीवों को साख्य की तरह हमेशा शुद्ध रहने वाले भी नहीं स्वीकार किया है क्योंकि जो जीव हमेशा शुद्ध रहने वाला होगा उसमें प्रकृति का ससर्ग होने पर भी कामादि की उपलब्धि होना असम्भव होगा। यदि कामादि की उपलब्धि प्रकृति में ही मानी जाय तो फिर पुरुष (जीव) को मानना ही व्यर्थ हो जायगा। इसका कारण यह है कि तब प्रकृति में कामादि की उपलब्धि की तरह कामादि के फल का उपभोग भी स्वीकार करना अनिवार्य हो जायगा। इसका भी कारण यह है कि अन्य (प्रकृति) में तो भोगाभिलाषा उत्पन्न हो और अन्य (पुरुष) भोग का उपभोक्ता हो—ऐसा मानना युक्ति सगत नहीं है। मीमांसक और साख्य मतवादियों को मान्य उक्त दोनों विकल्पों के अलावा तीसरा यह विकल्प भी जैनियों को प्रमाण रूप से मान्य नहीं है कि सम्पूर्ण ससारी जीव भविष्य में कभी भी मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले अर्थात् शुद्धि शक्ति के धारक भव्य ही होते हैं। क्योंकि इस विकल्प को स्वीकार करने से ससार की

शून्यता का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । तो फिर इन तीनों विकल्पो को छोड़ कर कौनसा विकल्प जैनियों का मान्य है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि स्वामी समन्तभद्र के “जोवास्ते शुद्ध्यशुद्धित” इस वचन के अनुसार जैनियों ने जीवों को शुद्धि शक्ति वाले और अशुद्धि शक्ति वाले इस तरह दो भेदरूप स्वीकार किया है । इस तरह शुद्धिशक्ति वाले जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है और अशुद्धि शक्ति वाले का ससार बना रहता है ।

### शुद्धिशक्ति और अशुद्धिशक्ति के प्रतिनियम का आधार

ऊपर जो अष्टशती और अष्टसहस्री का उद्धरण दिया गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त ससारी जीव समान रूप से अशुद्ध हैं अर्थात् समस्त ससारी जीवों की चैतन्य-शक्ति का वैभाविक शक्ति के आधार पर कर्मों के सहयोग से समान रूप से काम-क्रोधादिरूप रूपविकारी परिणामन हो रहा है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि उन समस्त ससारी जीवों में से बहुतों में तो स्वभावतः शुद्धि शक्ति (शुद्ध होने की योग्यता) विद्यमान है और उनसे अतिरिक्त शेष जीवों में स्वभावतः ही अशुद्धिशक्ति (शुद्ध होने की योग्यता का अभाव या विपरीत योग्यता का सद्भाव) विद्यमान है । अब यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि बहुत से ससारी जीवों में तो शुद्धिशक्ति विद्यमान है और शेष ससारी जीवों में अशुद्धिशक्ति विद्यमान है—इस प्रतिनियम का आधार क्या है इस प्रश्न का समाधान स्वामी समन्तभद्र ने ही आप्तमीमांसा में कारिका ६६ के आगे कारिका १०० में शुद्धिशक्ति और अशुद्धिशक्ति का स्पष्टीकरण करते हुए किया है । कारिका १०० निम्न प्रकार है—

शुद्धिशुद्धी पुन शक्ति ते पावयापावय शक्तिवत् ।  
साद्यनादी तयो व्यक्ती स्वभावोऽतर्कं गोचर. ॥१००॥

अर्थ—ससारो जीवो मे यथा सम्भव विद्यमान उपर्युक्त शुद्धि और अशुद्धि नाम की दोनो शक्तियो को मूग अथवा उडद मे यथा सम्भव विद्यमान पाक्य और अपाक्य—इन दोनो शक्तियो के समान समझना चाहिये । इन दोनो शुद्धि और अशुद्धि नाम की शक्तियो मे से शुद्धि शक्ति की व्यक्ति (विकास) तो सादि है तथा अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति (विकास) अनादि है और यह सब व्यवस्था स्वभावभूत होने से तर्क का विषय नही है ।

इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मूग अथवा उडद के किसी-किसी दाने मे तो स्वभावत पाक्य शक्ति और किसी-किसी दाने मे स्वभावत अपाक्य शक्ति पायी जाती है उसी प्रकार समस्त ससारी जीवो मे से किसी-किसी ससारी जीव मे तो स्वभावत शुद्धि शक्ति का सद्भाव और किसी-किसी ससारी जीव मे स्वभावत अशुद्धि शक्ति का सद्भाव जानना चाहिये तथा जिस प्रकार मूग अथवा उडद के जिस दाने मे स्वभावत पाक्य शक्ति पायी जाती है उस दाने मे अपाक्य शक्ति नही पायी जाती है और मूग अथवा उडद के जिस दाने मे स्वभावत अपाक्य शक्ति पायी जाती है उस दाने मे पाक्य शक्ति नही पायी जाती है उसी प्रकार जिस ससारी जीव मे स्वभावत शुद्धि शक्ति विद्यमान है उसमे अशुद्धि शक्ति का और जिस ससारी जीव मे स्वभावत अशुद्धि शक्ति विद्यमान है उसमे शुद्धिशक्ति का अभाव जानना चाहिये । इलना ही नही, जिस प्रकार नियत मूग अथवा उडद के दाने मे स्वभावत विद्यमान पाक्य शक्ति की व्यक्ति ( पकी हुई अवस्था मे पहुँच जाना ) सादि है व नियत मूग अथवा उडद के दाने मे स्वभावत

विद्यमान अपाक्य शक्ति की व्यक्ति ( अपक्व अवस्था मे ही बना रहना ) अनादि है उसी प्रकार नियत ससारी जीव मे स्वभावतः विद्यमान शुद्धिशक्ति की व्यक्ति ( शुद्ध अवस्था मे पहुँच जाना ) सादि जानना चाहिये व नियत ससारी जीव मे स्वभावतः विद्यमान अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति ( अशुद्ध दशा मे ही बना रहना ) अनादि जानना चाहिये ।

**भावार्थ**—उपर्युक्त पाक्य शक्ति और अपाक्य शक्ति तथा शुद्धि शक्ति और अशुद्धि शक्ति इन सबका अपने-अपने स्थान मे सद्भाव तो स्वभावतः होने से अनादि है व अपाक्य शक्ति तथा अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति ( विकास ) भी अनादि है लेकिन पाक्य शक्ति और शुद्धि शक्ति की व्यक्ति ( विकास ) सादि है ।

इस सब प्रतिनियत व्यवस्था को वस्तु स्वभाव का खेल ही समझना चाहिये इसमे तर्क का सहारा लेना व्यर्थ है—यह बात स्वामी समन्तभद्र के “स्वाभावोऽतर्कगोचर” वाक्य से स्पष्ट हो जाती है । अष्टशती और अष्टसहस्री मे इस वाक्य का जो अर्थ किया है वह निम्न प्रकार है ।

“कुत शक्ति प्रति नियम इति चेत् तथा स्वभावत्वादिति ब्रूम । नहि भावस्वभावा पर्यनुयोक्तव्या , तेषा मतर्कगोचरत्वात् ।”

**अर्थ**—अमुक जीव मे तो शुद्धिशक्ति है और अमुक जीव मे अशुद्धिशक्ति है—इत्यादि रूप से जो दोनो शक्तियो की प्रतिनियतता का प्रतिपादन किया गया है इसमे उन शक्तियो की प्रतिनियतता का कारण क्या है यह प्रश्न यदि उपस्थित किया जाय तो ग्रन्थकार कहते है कि उस-उस वस्तु का स्वभाव

शुद्धयशुद्धी पुनः शक्ति ते पाक्यापाक्य शक्तिवत् ।  
साद्यनादी तयो व्यक्ती स्वभावोऽतर्कं गोचर ॥१००॥

अर्थ—ससारो जीवो मे यथा सम्भव विद्यमान उपर्युक्त शुद्धि और अशुद्धि नाम की दोनो शक्तियो को मूग अथवा उडद मे यथा सम्भव विद्यमान पाक्य और अपाक्य—इन दोनो शक्तियो के समान समझना चाहिये । इन दोनो शुद्धि और अशुद्धि नाम की शक्तियो मे से शुद्धि शक्ति की व्यक्ति (विकास) तो सादि है तथा अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति (विकास) अनादि है और यह सब व्यवस्था स्वभावभूत होने से तर्क का विषय नही है ।

इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मूग अथवा उडद के किसी-किसी दाने मे तो स्वभावतः पाक्य शक्ति और किसी-किसी दाने मे स्वभावतः अपाक्य शक्ति पायी जाती है उसी प्रकार समस्त ससारी जीवो मे से किसी-किसी ससारी जीव मे तो स्वभावतः शुद्धि शक्ति का सद्भाव और किसी-किसी ससारी जीव मे स्वभावतः अशुद्धि शक्ति का सद्भाव जानना चाहिये तथा जिस प्रकार मूग अथवा उडद के जिस दाने मे स्वभावतः पाक्य शक्ति पायी जाती है उस दाने मे अपाक्य शक्ति नही पायी जाती है और मूग अथवा उडद के जिस दाने मे स्वभावतः अपाक्य शक्ति पायी जाती है उस दाने मे पाक्य शक्ति नही पायी जाती है उसी प्रकार जिस ससारी जीव मे स्वभावतः शुद्धि शक्ति विद्यमान है उसमे अशुद्धि शक्ति का और जिस ससारी जीव मे स्वभावतः अशुद्धि शक्ति विद्यमान है उसमे शुद्धिशक्ति का अभाव जानना चाहिये । इलना ही नही, जिस प्रकार नियत मूग अथवा उडद के दाने मे स्वभावतः विद्यमान पाक्य शक्ति की व्यक्ति ( पकी हुई अवस्था मे पहुँच जाना ) सादि है व नियत मूग अथवा उडद के दाने मे स्वभावतः



विद्यमान अपाक्य शक्ति की व्यक्ति ( अपक्व अवस्था में ही बना रहना ) अनादि है उसी प्रकार नियत ससारी जीव में स्वभावतः विद्यमान शुद्धिशक्ति की व्यक्ति ( शुद्ध अवस्था में पहुँच जाना ) सादि जानना चाहिये व नियत ससारी जीव में स्वभावतः विद्यमान अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति ( अशुद्ध दशा में ही बना रहना ) अनादि जानना चाहिये ।

**भावार्थ—**उपर्युक्त पाक्य शक्ति और अपाक्य शक्ति तथा शुद्धि शक्ति और अशुद्धि शक्ति इन सबका अपने-अपने स्थान में सद्भाव तो स्वभावतः होने से अनादि है व अपाक्य शक्ति तथा अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति ( विकास ) भी अनादि है लेकिन पाक्य शक्ति और शुद्धि शक्ति की व्यक्ति ( विकास ) सादि है ।

इस सब प्रतिनियत व्यवस्था को वस्तु स्वभाव का खेल ही समझना चाहिये इसमें तर्क का सहारा लेना व्यर्थ है—यह बात स्वामी समन्तभद्र के “स्वाभावोऽतर्कगोचर” वाक्य से स्पष्ट हो जाती है । अष्टशती और अष्टसहस्री में इस वाक्य का जो अर्थ किया है वह निम्न प्रकार है ।

“कुत शक्ति प्रति नियम इति चेत् तथा स्वभावत्वादिति ब्रूम । नहि भावस्वभावा पर्यनुयोक्तव्या , तेषा मतर्कगोचरत्वात् ।”

**अर्थ—**अमुक जीव में तो शुद्धिशक्ति है और अमुक जीव में अशुद्धिशक्ति है—इत्यादि रूप से जो दोनों शक्तियों की प्रतिनियतता का प्रतिपादन किया गया है इसमें उन शक्तियों की प्रतिनियतता का कारण क्या है यह प्रश्न यदि उपस्थित किया जाय तो ग्रन्थकार कहते हैं कि उस-उस वस्तु का स्वभाव

ही ऐसा है और स्वभाव कभी तर्क का विषय नहीं होता है इसलिये इसमें तर्क-वितर्क नहीं करना चाहिये ।

अशुद्धिशक्ति की व्यक्ति अनादि है और शुद्धिशक्ति की सादि है—इसका स्पष्टीकरण प्रकृत पद्य की अष्टसहस्री टीका की टिप्पणी में निम्न प्रकार पाया जाता है ।

“अशुद्धत्वमनादित एव मन्तव्य सादित्वे मते सति तत् पूर्व शुद्धे सभवापत्ते । शुद्धिस्तु न जीवाना पूर्वत, पूर्वत शुद्धि स्वीकारे पुनर्वन्धासभवापत्ते । न च बन्धो नास्तीति, प्रत्यक्षतो बन्धकृते शरीरादि पारतत्र्यम्यानुभावात् । इति बन्धस्याशुद्ध दशाया मेव सभवादनादिरशुद्धि । शुद्धिस्तु प्रयोग-जन्यत्वात्सादि । कनकपाषाणगत सुवर्णस्याशुद्धिरनादिस्त-च्छुद्धिस्तु सादिरिति दृष्टान्तोऽत्रभावनीय ।”

( अष्टसहस्री पृष्ठ २७५ टिप्पणी-५ )

अर्थ—अशुद्धशक्ति की व्यक्तिरूप अशुद्धि का सद्भाव अनादिकाल से ही मानना चाहिये क्योंकि यदि उसे सादि माना जाता है तो उससे पूर्व वहाँ हमें शुद्धि का सद्भाव स्वीकार करना होगा, लेकिन अशुद्धिशक्ति की व्यक्ति के पूर्व शुद्धि का सद्भाव जीवों में नहीं माना जा सकता है क्योंकि अशुद्धि शक्ति की व्यक्तिरूप अशुद्धि के पूर्व जीवों में शुद्धि के स्वीकार करने पर फिर बन्ध का होना असम्भव हो जायगा और ऐसा है नहीं, कि उनमें बन्ध का सर्वथा अभाव ही मान लिया जाय, कारण कि बन्ध के फलस्वरूप शरीरादि की परतत्रता का जीव में प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है । इस प्रकार बन्ध की उत्पत्ति अशुद्ध दशा में ही सम्भव होने से अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति रूप अशुद्धि अनादि ही सिद्ध होती है और चूँकि शुद्धि शक्ति की व्यक्तिरूप

शुद्धि प्रयोग ( प्रयत्न ) जन्य है अतः यह सादि ही सिद्ध होती है । यहा पर इस दृष्टान्त का समन्वय कर लेना चाहिये—कि स्वर्ण पाषाण मे रहने वाले स्वर्ण की अशुद्धि तो अनादि है और शुद्धि सादि है ।

ऊपर मैंने समस्त ससारी जीवो को भव्य और अभव्य इन दो वर्गों मे विभक्त करके भव्यत्व और अभव्यत्व को क्रमशः शुद्धि शक्ति और अशुद्धिशक्ति का नाम देकर शुद्धिशक्ति और अशुद्धिशक्ति के विषय मे आप्तमीमासा की कारिका ६६ और १०० तथा इनकी टीका अष्टशती और अष्टसहस्री के आधार पर विस्तार से विवेचन किया है । अब प्रकरण के लिये उपयोगी होने के कारण प० फूलचन्द्रजी की विचारधारा को लेकर इस सम्बन्ध मे थोडा और विचार किया जाता है ।

प० फूलचन्द्र जी ने आप्तमीमासा कारिका १०० का अर्थ करते हुए जो व्याख्यान किया है वह निम्न प्रकार है—

“यहा पर जो ये दो प्रकार की शक्तिया कही गयी है उन द्वारा प्रकारान्तर से उपादानशक्ति का ही प्रतिपादन कर दिया गया है । जीवों मे ये दो प्रकार की शक्तिया होती है । उनमे से अशुद्धि नामक शक्ति की व्यक्ति तो अनादिकाल से प्रति समय होती आ रही है जिसके आश्रय से नाना प्रकार के पुद्गल कर्मों का बन्ध होकर कामादि रूप भाव ससार की सृष्टि होती है । जो- अभव्य जीव है उनके इस शक्ति की व्यक्ति अनादि-अनन्त है और जो भव्यजीव हैं उनके इस शक्ति की व्यक्ति अनादि होकर भी सान्त है ।”

( जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ६८-६९ )

यद्यपि प० जी के इस व्याख्यान का मुझे यहाँ पर विरोध नहीं करना है परन्तु इतना निश्चित है कि उनके इस व्याख्यान से कारिका का स्वारस्य समाप्त हो जाता है। प० जी के ही निम्नलिखित कथन से यह बात ठीक तरह से पाठको की समझ में आ जायगी। वे लिखते हैं—

“इस विषय को स्पष्ट करने के लिये आचार्य महाराज (स्वामी समन्तभद्र) ने पाक्यशक्ति और अपाक्यशक्ति को उदाहरण के रूप में उपस्थित किया है। आशय यह है कि जिस प्रकार वही उडद अग्नि सयोग को निमित्त कर पकता है जो पाक्य शक्ति से युक्त होता है। जिसमें अपाक्य शक्ति पायी जाती है वह अग्नि सयोग को निमित्त कर त्रिकाल में नहीं पक सकता ऐसी वस्तु मर्यादा है उसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिये। यहाँ पर पाक्यशक्ति युक्त उडद और अपाक्य शक्ति युक्त उडद ऐसा भेद किया गया है जो सब जीवों पर पूर्ण तरह से लागू नहीं होता, क्योंकि भव्यजीवों में शुद्धिशक्ति और अशुद्धि शक्ति का सद्भाव समान रूप से उपलब्ध होता है सो प्रकृत में दृष्टान्त को एक देश रूप से ग्राह्य मान कर मुख्यार्थ को फलित कर लेना चाहिये। दृष्टान्त में दृष्टान्त के सब गुण उपलब्ध होते ही हैं, ऐसा है भी नहीं। वह तो मुख्यार्थ की सूचना मात्र करता है।”

( जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ६६-७० )

मालूम पड़ता है कि कारिका में विद्यमान शुद्धिशक्ति का ऊपर लिखे प्रकार अर्थ करने पर जब प० जी को यह भान हुआ कि उसका मेल दृष्टान्त रूप से उपस्थित पृथक्-पृथक् उडद में विद्यमान पाक्यशक्ति और अपाक्यशक्ति के साथ पूरा-

पूरा नहीं बैठता है तो उन्हें स्पष्ट करना पडा कि “दृष्टान्त मे दृष्टान्त के सब गुण उपलब्ध होते ही है ऐसा है भी नहीं, वह तो मुख्यार्थ को सूचना मात्र करता है” लेकिन स्वामी समन्तभद्र जैसे तार्किक महापुरुष यहां पर ऐसा दृष्टान्त उपस्थित करेगे जिसका दृष्टान्त के साथ पूरा मेल आवश्यक होने पर भी नहीं बैठता हो—ऐसी कल्पना करना अनुचित ही माना जायगा। अत कारिका मे विद्यमान शुद्धि शक्ति का अर्थ भव्यत्व और अशुद्धि शब्द का अर्थ अभव्यत्व करना ही सर्वथा उचित है। इस अर्थ के साथ पाक्य शक्ति और अपाक्य शक्ति का दृष्टान्त भी सर्वथा सगत हो जाता है तथा फिर प० जी को दृष्टान्त का दृष्टान्त के साथ समन्वय करने के लिये उक्त खीचातानी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

श्रीमद्भट्टाकलकदेव और स्वामी विद्यानन्दी ने कारिका का व्याख्यान करते हुए शुद्धिशक्ति का अर्थ भव्यत्व और अशुद्धि शक्ति का अर्थ अभव्यत्व ही किया है। यथा—

“शुद्धिस्तावज्जीवाना भव्यत्व केषाचित्सम्यग्दर्शनादि-योगान्तिश्चयिते । अशुद्धिरभव्यत्व तद्विपरीत्यात् प्रवर्तनादव-गम्यते छन्नस्थै, प्रत्यक्षतश्चातीन्द्रियार्थदर्शिभि । इति भव्येतर स्वभावौ शुद्ध्यशुद्धी जीवाना तेषा सामर्थ्या सामर्थ्ये शक्तशक्ती इति यावत् । ते माषादिपाक्यापरशक्तित्वत् सभाव्येते सुनिश्चि-तासभवद्वाचकप्रमाणत्वात् ।”

अर्थ—यहां पर शुद्धि शब्द का अर्थ भव्यत्व है जो किन्हीं के सम्यग्दर्शन आदि के आधार पर निश्चित होता है। इसी तरह अशुद्धि शब्द का अर्थ यहां पर अभव्यत्व है जो भव्यत्व से विपरीत प्रवर्तन के आधार पर तो छन्नस्थो द्वारा जाना जाता

है तथा अतीन्द्रिय पदार्थों का दर्शन करने वालों के द्वारा प्रत्यक्ष से जाना जाता है । इस तरह जीवों के भव्यत्व और अभव्यत्व स्वभाव ही क्रमशः शुद्धि और अशुद्धि है । इन्हें जीवों की सामर्थ्य और असामर्थ्य अथवा शक्ति और अशक्ति भी कह सकते हैं । इन्हें उदद आदि में पायी जाने वाली पाक्य और अपाक्य शक्तियों की तरह समझना चाहिये । चूँकि इनकी अस्तित्व सिद्धि में वाधक प्रमाणों का अभाव है अतः इनका सद्भाव पृथक्-पृथक् जीवों में सुनिश्चित समझना चाहिये ।

भट्टाकलकदेव ने इस व्याख्यान के साथ प० फूलचन्द्रजी का भी कोई विरोध नहीं है अतः वे लिखते हैं—

“यहा पर जीवों के सम्यग्दर्शनादिरूप परिणाम का नाम शुद्धि शक्ति है और मिथ्यादर्शनादिरूप परिणाम का नाम अशुद्धि शक्ति है । इस अभिप्राय को ध्यान में रखकर यह व्याख्यान किया है । वैसे शुद्धिशक्ति का अर्थ भव्यत्व और अशुद्धिशक्ति का अर्थ अभव्यत्व करके भी व्याख्यान किया जा सकता है । भट्टाकलकदेव ने अष्टशती में और आचार्य विद्यानन्दी ने अष्टसहस्री में सर्वप्रथम इसी अर्थ को ध्यान में रखकर व्याख्यान किया है । इसी अर्थ को ध्यान में रखकर आचार्य अमृतचन्द्र ने पचास्तिकाय गाथा १२० की टीका में यह वचन लिखा है—“ससारिणो द्विप्रकारा, भव्या अभव्याश्च । ते शुद्धस्वरूपोपलम्भशक्तिसद्भावासद्भावाम्या पाच्यापच्य मुद्गवदभिधीयन्त इति ।” (जैनतत्त्वमीमासा टिप्पणी पृष्ठ ६६)

प० फूलचन्द्रजी ने आचार्य अमृतचन्द्र का जो उक्त उद्धरण दिया है उसका अर्थ यह है कि ससारी जीव दो प्रकार के हैं—भव्य और अभव्य । जिन जीवों में अपने स्वरूप की उपलब्धि की योग्यता पायी जाती है वे भव्य और जिन जीवों

मे वह योग्यता नहीं पायी जाती है वे अभव्य कहे गये हैं । जीवो के ये दोनो प्रकार ऐसे जानना चाहिये जैसे पकने योग्य मूग और नहीं पकने योग्य मूग इस तरह मूगो के दो प्रकार पाये जाते है ।

इस प्रकार स्वामी समन्तभद्र द्वारा दिये गये पाक्य और अपाक्य शक्तियो के दृष्टान्त से, श्रीमद्भृङ्गाकलकदेव और स्वामी विद्यानन्दी द्वारा किये गये उल्लिखित व्याख्यान से, पचास्तिकाय गाथा १२० की टीका मे विद्यमान आचार्य अमृतचन्द्र के उल्लिखित वचन से और श्री प० फूलचन्द्र को भी उनके उल्लिखित वक्तव्य के आधार पर मान्य होने से यही मानना उचित है कि आप्तमीमासा कारिका ६६ व १०० मे पठित शुद्धि और अशुद्धि शब्दो से स्वामी समन्तभद्र को उडद अथवा मूग के पृथक्-पृथक् दानो मे पायी जाने वाली पाक्यशक्ति और अपाक्य शक्तियो की तरह ही भिन्न-भिन्न जीवो मे विद्यमान क्रमश भव्यत्व शक्ति और अभव्यत्वशक्ति हो अर्थ स्वीकार है ।

आप्तमीमासा कारिका १०० का व्याख्यान करते हुए श्रीमद्भृङ्गाकलकदेव ने अष्टशती मे और आचार्य विद्यानन्दी ने अष्टसहस्री मे शुद्धि और अशुद्धि शब्दो का निम्नलिखित व्याख्यान भी किया है—

“यदि वा जीवानामभिसन्धिनानात्व शुद्ध्यशुद्धी ।  
स्वनिमित्तवशात् सम्यग्दर्शनादिपरिणामात्मकोऽभि सन्धि-  
शुद्धि । मिथ्यादर्शनादि परिणामात्मकोऽशुद्धिर्दोषावरणहानी-  
तरलक्षणत्वात्तेषा शुद्ध्यशुद्धिशक्तयोरितिभेद माचार्यं प्राह ।  
ततोऽन्यत्रापि भव्याभव्याभ्या भव्येष्वेव साद्यनादिप्रकृतशक्तयो-  
र्व्यक्ती सम्यग्दर्शनाद्युत्पत्ते पूर्वमशुद्ध्यभिव्यवर्तेमिथ्यादर्शनादि  
सततिरूपाया पुन शक्त्यभिव्यक्ते सादित्वात् ।”

(अष्टसहस्री पृष्ठ - ७४-२७५)

अर्थ—अथवा जीवो मे विद्यमान अभिप्रायो की भिन्नता शुद्धि और अशुद्धि कहलाती है । जैसे अपने-अपने निमित्त से जीव के सम्यग्दर्शनादि परिणाम स्वरूप अभिप्राय को शुद्धि व मिथ्यादर्शनादि परिणाम स्वरूप अभिप्राय को अशुद्धि समझना चाहिये । क्योंकि जीवो की शुद्धिशक्ति तो दोषो (काम-क्रोधादि भाव कर्मो) तथा आवरणो (ज्ञानावरणादि पौद्गलिक द्रव्यकर्मो) की हानि (विनाश) स्वरूप है और उनको (जीवो की) अशुद्धिशक्ति उक्त दोषो तथा आवरणो के सद्भाव-रूप है । दोनो शक्तियो मे पाये जाने वाले इस भेद (अन्तर) को आचार्य समन्तभद्र ने “साद्यनादी तयोर्व्यक्ती” इस कारिकाश द्वारा कहा है । अत भव्य तथा अभव्य दोनो मे से केवल भव्यो मे प्रकृत शुद्धि और अशुद्धि शक्तियो की व्यक्ति क्रमश सादि और अनादि समझना चाहिये । क्योंकि भव्यो मे सम्यग्दर्शनादि को उत्पत्ति से पूर्व मिथ्यादर्शनादि की अनादिकाल से चली आ रही परम्परा स्वरूप अशुद्धि शक्ति की व्यक्ति मे कश्चित् अनादिपना पाया जाता है तथा सम्यग्दर्शनादि की अभिव्यक्ति मे सादिपना पाया जाता है ।

आप्तमीमासा को कारिका १०० के व्याख्यान के गर्भ मे अष्टशती और अष्टसहस्री मे जो उक्त व्याख्यान पाया जाता है, मालूम पडता है, कि प० फूलचन्द्र जी ने इसके आधार पर ही शुद्धि और अशुद्धि शब्दो का अर्थ अपने अभिप्रायानुसार किया है । लेकिन वास्तव मे कारिका का वही मुख्यार्थ (अभिव्येयार्थ) समझना चाहिये जिसका प्रतिपादन अष्टशती और अष्टसहस्री मे सर्वप्रथम किया गया है । पश्चात् किया गया अर्थ सूचित अर्थ ही समझना चाहिये ।



कथन का सार यह है कि सम्पूर्ण जीवों में पुद्गलद्रव्य के संयोग से विभावरूप परिणमन करने की योग्यता स्वरूप स्वतः सिद्ध अनादि-निधन विभाव शक्ति विद्यमान है। इस विभाव शक्ति के बल पर प्रत्येक जीव अनादिकाल से पुद्गल-द्रव्य के संयोग से विभावरूप परिणमन करता आया है व इसी आधार पर प्रत्येक जीवों को 'ससारी' सज्ञा प्राप्त हुई है। ये ही ससारी जीव अपनी-अपनी भव्यत्व या अभव्यत्व शक्तियों के आधार पर दो भागों में विभक्त हो गये हैं तथा इनमें से जो अभव्य जीव हैं वे सभी अनादिकाल से तो ससारी हैं ही, लेकिन अनन्तकाल तक ससारी ही बने रहने वाले हैं। भव्यजीवों में से अभी तक बहुत से भव्यजीव तो साधनों की अनुकूलता पाकर अपना ससार नष्ट कर चुके हैं तथा बहुत से भव्यजीव साधनों की अनुकूलता प्राप्त करते हुए अपना ससार नष्ट करते जा रहे हैं। इस तरह भव्य जीवों द्वारा अपना-अपना ससार नष्ट करने को यह प्रक्रिया अनादिकाल से चलती आयी है और अनन्तकाल तक चलती जायगी, कभी इसका अन्त होने वाला नहीं है।

### जीवों का बद्धस्पृष्ट और अबद्धस्पृष्ट रूप में विवेचन

जिन जीवों ने अपना ससार नष्ट कर दिया है उन्हें मुक्त सज्ञा जैनागम प्रदान की गयी है इस तरह अभी तक जितने जीव मुक्त हो चुके हैं उन सबको आकाश, धर्म, अधर्म और काल की तरह पूर्वोक्त प्रकार अबद्धस्पृष्ट जीवद्रव्य समझना चाहिये क्योंकि वे भी आकाश, धर्म, अधर्म और काल द्रव्यों की तरह दूसरी वस्तुओं के साथ स्पृष्ट होकर तो रह रहे हैं फिर भी मुक्त दशा को प्राप्त हो जाने के कारण वे अब कभी किसी वस्तु के साथ मिल कर एक पिण्ड का रूप धारण करने वाले नहीं हैं

जैसा कि ससारी जीव पुद्गलद्रव्य के साथ मिल कर एक पिण्ड का रूप धारण किये हुए हैं और यही कारण है कि जिन जीवों ने साधनो की अनुकूलता प्राप्त न होने से अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं की है उन भव्यजीवो और सभी अभव्य जीवो को पुद्गल-द्रव्य के साथ मिल कर एक पिण्डरूप स्थिति मे विद्यमान रहने के कारण वद्ध और आकाशादि सभी द्रव्यो के साथ स्पष्टरूप स्थिति मे रहने के कारण स्पृष्ट—इस तरह वद्धस्पृष्ट जीवद्रव्य मैने कहना उचित समझा है ।

### पुद्गलों का भी वद्धस्पृष्ट अवद्धस्पृष्ट रूप में विवेचन

पूर्व मे बतला दिया गया है कि जीवो मे वद्धता का कारण उनमे स्वत सिद्ध रूप से विद्यमान वैभाविकी शक्ति है और यह भी बतला दिया गया है कि यह शक्ति जिस प्रकार जीवो मे है उसी प्रकार पुद्गलो मे भी है । इस तरह जिस प्रकार जीवो को पुद्गलद्रव्य के साथ मिल कर एक पिण्डरूप स्थिति मे रहने के कारण वद्ध माना गया है उसी प्रकार पुद्गलद्रव्यो को भी जीवो के साथ अथवा अपने से भिन्न पुद्गलद्रव्यो के साथ मिलकर एक पिण्डरूप स्थिति मे रहने के कारण वद्ध माना गया है । इस तरह जिस प्रकार जीव वद्ध-स्पृष्ट और अवद्धस्पृष्ट दो भागो मे विभक्त है उसी प्रकार पुद्गलो को भी वद्धस्पृष्ट और अवद्धस्पृष्ट दो भागो मे विभक्त समझ लेना चाहिये ।

जीवों और पुद्गलों में वद्धस्पृष्टता और अवद्धस्पृष्टता के आधार पर विशेषता

जीवो और पुद्गलो मे वद्धस्पृष्टता और अवद्धस्पृष्टता के आधार पर इस प्रकार की विशेषता समझ लेनी चाहिये कि

सभी जीव अनादिकाल से पुद्गलो के साथ बद्धस्थिति को प्राप्त होकर ही रहते आये है लेकिन उनमे से जिन जीवो ने पुरुषार्थ द्वारा अपनी उस बद्धस्थिति को समाप्त कर अबद्धस्थिति को प्राप्त कर लिया है वे अब कभी बद्धस्थिति को प्राप्त नहीं होंगे । पुद्गलद्रव्यो मे यह विशेषता है कि कोई पुद्गल तो अनादिकाल से जीवो अथवा पुद्गलो के साथ बद्धस्थिति को प्राप्त हो रहे है और यदि उनकी वह बद्ध समाप्त भी हुई है तो पुनः बद्धस्थिति को प्राप्त हो गये है या हो सकते है । इसी प्रकार कोई पुद्गल अनादिकाल से अबद्धस्थिति को प्राप्त होकर भी रह रहे है परन्तु वे आगे चल कर यथायोग्य जीव अथवा पुद्गलो के साथ बद्धस्थिति को भी प्राप्त हुए है और आगे भी बद्धस्थिति को प्राप्त हो सकते है । इस प्रकार जीवो आर पुद्गलो मे परस्पर जो विशेषतायें सम्भव है वे नीचे प्रकार है ।

( १ ) सभी अनन्तानन्त जीव अनादिकाल से यथायोग्य पुद्गलो के साथ बद्ध होकर ही रहते आये है जबकि समस्त पुद्गलो मे से बहुत से पुद्गल तो अनादिकाल से जीवो अथवा दूसरे पुद्गलो के साथ बद्ध होकर रहते आये हैं और बहुत से अबद्ध होकर भी रहते आये है ।

( २ ) अनादिकाल से उक्त प्रकार से बद्धता प्राप्त सभी जीवो मे से बहुत से जीवो ने आगे चलकर अपनी बद्धस्थिति को समाप्त कर दिया है और बहुत से जीव अपनी उस बद्धस्थिति को समाप्त करते जा रहे है । इस तरह जीवो द्वारा अपनी बद्धस्थिति को समाप्त करने की इस प्रक्रिया का आगे चलकर कभी अन्त होने वाला नहीं है, लेकिन जिन जीवो ने अपनी बद्धस्थिति को समाप्त कर दिया है अथवा जो जीव अपनी बद्धस्थिति को समाप्त करते जा रहे हैं वे सब आगे चलकर

कभी पुन वृद्धस्थिति को न तो प्राप्त हुए हैं और न प्राप्त होंगे । पुद्गलद्रव्यों में वृद्धस्थिति की प्रक्रिया में जीवों की वृद्धस्थिति की प्रक्रिया से यह विशेषता है कि जो पुद्गल अनादिकाल से अवृद्धस्थिति को प्राप्त रहे हैं उन्होंने अपनी उस अवृद्धस्थिति को समाप्त कर वृद्धस्थिति को भी प्राप्त किया है व प्राप्त कर सकते हैं । इसी प्रकार जो पुद्गल अनादिकाल से वृद्धस्थिति को प्राप्त रहे हैं उन्होंने भी अपनी उस वृद्धस्थिति को समाप्त कर अवृद्धस्थिति को प्राप्त किया है व आगे प्राप्त कर सकते हैं । इस तरह सभी पुद्गल अपनी अवृद्धस्थिति को समाप्त कर वृद्धस्थिति को प्राप्त होते रहते हैं और वृद्धस्थिति को समाप्त कर अवृद्धस्थिति को प्राप्त होते रहते हैं ।

( ३ ) एक जीव कभी दूसरे जीव के साथ वृद्ध नहीं होता केवल पुद्गल के साथ ही वृद्ध होता है जब कि पुद्गल जीव और पुद्गल दोनों के साथ यथायोग्य वृद्धता को प्राप्त करता रहता है ।

( ४ ) अनादिकाल से वृद्धस्थिति को प्राप्त समस्त जीवों में से बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें अपनी वृद्धस्थिति को समाप्त करने की योग्यता तो पायी जाती है परन्तु वे कभी अपनी उस वृद्धस्थिति को समाप्त नहीं करेंगे, परन्तु बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिनमें अपनी वृद्धस्थिति को समाप्त करने की योग्यता ही नहीं है । सभी पुद्गलों में अपनी वृद्धस्थिति को समाप्त कर अवृद्धस्थिति प्राप्त करने की और अवृद्धस्थिति को समाप्त कर वृद्धस्थिति प्राप्त करने की योग्यता विद्यमान है ।

( ५ ) पुद्गलद्रव्यों का यह स्वभाव भी है कि जो पुद्गल अपनी वर्तमान स्थिति में जीवों अथवा अन्य पुद्गलों के

साथ बद्ध होने की योग्यता नहीं रखते हैं वे आगे चल कर उस योग्यता को भी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुरूप से परिणत पुद्गल अपनी वर्तमान स्थिति में यद्यपि एक दूसरे रूप परिणत नहीं हो सकते हैं परन्तु आगे चलकर उस योग्यता का सम्पादन कर वे परस्पर एक दूसरे रूप भी परिणत हो जाया करते हैं। यही कारण है कि जैन दर्शन में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप से परिणत होने वाले स्वतन्त्र स्वतन्त्र पुद्गल नहीं स्वीकार किये गये हैं। इसी प्रकार कोई भी पुद्गल कभी कर्मवर्गणा की और कभी नौकर्मवर्गणा की योग्यता सम्पादन कर जीव का निमित्त पाकर कर्मरूप और नोकर्मरूप परिणत हो जाया करते हैं।

पुद्गलद्रव्यो का जितना वस्तु विज्ञान की दृष्टि से विवेचन किया जा सकता है वह तत्त्वार्थ सूत्र के पचम अध्याय में निम्नलिखित सूत्रों के आधार पर किया गया है।

“स्पर्शरसगन्धवर्णवन्त पुद्गला ॥ २३ ॥, शब्दबन्ध-  
सौक्ष्म्य स्थौल्यसस्थानभेदतमश्छायातपोद्यतवन्तश्च ॥ २४ ॥,  
अणव स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥, भेदसघातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥,  
भेदादणु ॥ २७ ॥, भेदसघाताभ्याच्चाक्षुष ॥ २८ ॥, स्निग्धरू-  
क्षत्वाद्बन्ध ॥ ३२ ॥, न जघन्यगुणानाम् ॥ ३३ ॥, गुणसाम्ये  
सदृशानाम् ॥ ३४ ॥, द्व्यधिकदिगुणाना तु ॥ ३५ ॥ बन्धेऽधिकी  
पारिणाम कौ च ॥ ३६ ॥”

अर्थ—पुद्गल रूप, रस, गन्ध और वर्ण वाले होते हैं। शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप और उद्योत ये उनकी पर्यायें हैं। वे पुद्गल अणु और स्कन्ध के भेद से दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों प्रकार के पुद्गलों का

निर्माण क्रमशः भेद और सङ्घात में होता है ( अर्थात् पुद्गल स्कन्धों की गण्डन क्रिया अगुण्य पुद्गल के निर्माण में कारण है और अगुण्य, पुद्गलों का सङ्घात ( गण्डन ) स्कन्ध रूप पुद्गलों के निर्माण में कारण है। लेकिन यहाँ जتنا विशेष समझना चाहिये कि बड़े पुद्गल स्कन्धों ने गण्डन क्रिया (भेद) के आधार पर छोटे स्कन्धों का और छोटे स्कन्धों ने सङ्घात क्रिया (सङ्घात) के आधार पर बड़े स्कन्धों का भी निर्माण होता है।) अगुण्यों की उत्पत्ति भेद से होती है यवान में नहीं होती। चाक्षुष स्कन्धों की उत्पत्ति भेद और नघात दोनों के आधार पर होती है। बन्ध (सङ्घात) का कारण पुद्गलों में विद्यमान स्निग्धता और रुक्षता नाम के गुण हैं। लेकिन स्निग्धता और रुक्षता के जघन्य अथवा बन्ध के कारण नहीं होते हैं और स्निग्धता अथवा रुक्षता के समान अथवा बन्ध पुद्गल यदि सद्गुण अर्थात् स्निग्ध-स्निग्ध अथवा रुक्ष-रुक्ष भी हो तो भी बन्ध नहीं होना है। उन तरह स्निग्ध-स्निग्ध अथवा रुक्ष-रुक्ष या स्निग्ध रुक्ष पुद्गलों का यदि बन्ध हो रहा हो तो वहाँ एक स्निग्ध में दूसरे स्निग्ध के, एक रुक्ष से दूसरे रुक्ष के तथा स्निग्ध में रुक्ष के अथवा रुक्ष से स्निग्ध के दो गुण अधिक होना अधिक आवश्यक है। इस तरह बन्ध के अवसर पर जिसके दो गुण अधिक होंगे उस रूप दूसरा पुद्गल परिणत हो जाया करता है। यहाँ जتنا विशेष अवश्य समझना चाहिये कि बन्ध होने पर दोनों किसी एक रूप न होकर तीसरी अवस्था को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण वैज्ञानिक दृष्टि की अधिकाधिक अपेक्षा रखता है।

आध्यात्मिक दृष्टि से बन्ध और उसके अभाव का विवेचन—

पुद्गल स्कन्धों अथवा पुद्गलाणुओं के निर्माण की वस्तु-विज्ञान की दृष्टि से उपर्युक्त प्रक्रिया है। अध्यात्म विज्ञान

को दृष्टि में होने वाली बन्ध प्रक्रिया इससे भिन्न है कारण कि वहाँ पुद्गल पुद्गल के साथ बद्ध न होकर आत्मा पुद्गल के साथ अथवा पुद्गल आत्मा के साथ बद्ध होता है। इसी तरह अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बद्ध आत्मा और पुद्गल के पृथक्करण (भेद) की प्रक्रिया भी बद्ध पुद्गलों के पृथक्करण (भेद) की प्रक्रिया से भिन्न जानना चाहिये। गोम्मटसार कर्मकाण्ड आदि ग्रन्थों में इसका ही विवेचन किया गया है तथा बद्ध होने व पृथक् होने पर जो आत्मा और पुद्गल की अवस्थायें (परिणतियाँ) बनती हैं उनका विवेचन गोम्मटसार जीवकाण्ड आदि ग्रन्थों में किया गया है।

अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से होने वाले बन्ध में आत्मा काम्पणवर्गणा रूप और नोकर्मवर्गणा रूप पुद्गलों से अथवा काम्पणवर्गणा रूप और नोकर्मवर्गणा रूप पुद्गल आत्मा से बद्ध होते हैं—यह नियम है। काम्पणवर्गणारूप पुद्गलों का अर्थ है ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणत होने की योग्यता रखने वाले पुद्गल और नोकर्म वर्गणारूप पुद्गलों का अर्थ है शरीरादि नोकर्म रूप परिणत होने की योग्यता रखने वाले पुद्गल। यह भी नियम है कि काम्पणवर्गणारूप और नोकर्मवर्गणारूप पुद्गलों का क्रमशः कर्मरूप और नोकर्मरूप परिणमन आत्मा के प्रतिनियत परिणमन का निमित्त मिलने पर ही होता है और जब काम्पणवर्गणारूप पुद्गल कर्मरूप तथा नोकर्मवर्गणारूप पुद्गल नोकर्म परिणत हो जाते हैं तो यथाकाल होने वाले उनके प्रतिनियत परिणमन आत्मा के प्रतिनियत परिणमन के निमित्त होते हैं। जैसा कि समयसार गाथा ८६ में कहा गया है—

“जीवपरिणामहेतु कम्मत्त पुग्गला परिणमत्ति ।  
पुग्गल कम्मणिमत्त तहेव जीवो वि परिणमइ ॥”

अर्थात् जीव के परिणामो का निमित्त पाकर पुद्गल कर्म रूप परिणत होते है और पुद्गल कर्मों का निमित्त पाकर जीव भी अपनी योग्यतानुसार तदनुकूल परिणत हुआ करता है ।

यद्यपि ऊपर मैं यह वतला चुका हूँ कि कार्माण वर्गणा ही कर्म रूप परिणत होती है और नोकर्म वर्गणा ही नोकर्मरूप परिणत होती है परन्तु यहाँ मैं इतनी बात और वतला देना चाहता हूँ कि कार्माणवर्गणा मे स्थित पुद्गल कालान्तर मे नोकर्मवर्गणा का अथवा और दूसरे प्रकार का रूप भी धारण कर लिया करते हैं व नोकर्मवर्गणा मे स्थित पुद्गल भी कालान्तर मे कर्माणवर्गणा का अथवा और दूसरे प्रकार का रूप धारण कर लिया करते हैं, इसी प्रकार और दूसरे प्रकार के पुद्गल भी कालान्तर मे कार्माणवर्गणा का या नोकर्मवर्गणा का रूप धारण कर लिया करते हैं । इतना ही नहीं, एक प्रकार की कार्माणवर्गणा के पुद्गल कालान्तर मे दूसरी कार्माणवर्गणा का रूप धारणा कर लिया करते हैं और एक प्रकार की नोकर्मवर्गणा के पुद्गल भी कालान्तर मे दूसरी नोकर्मवर्गणा का रूप धारण कर लिया करते हैं । इस प्रसङ्ग मे प० फूलचन्द्रजी ने जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ १६६ पर निम्नलिखित कथन किया है—

“कर्मबन्ध होने के पहले सब कार्माणवर्गणाये एक प्रकार की होती है या सब कर्मों की अलग-अलग वर्गणायें होती हैं ? साथ ही यह भी देखना है कि कार्माणवर्गणाये ही कर्मरूप क्यो परिणत होती हैं अन्य वर्गणाये निमित्तो के द्वारा कर्मरूप परिणत क्यो नहीं हो जाती ? यद्यपि ये प्रश्न थोड़े जटिल तो प्रतीत होते हैं परन्तु शास्त्रीय व्यवस्थाओ पर ध्यान



देने से इनका समाधान हो जाता है। शास्त्रो मे बतलाया गया है कि योग के निमित्त से प्रकृति बन्ध और प्रदेश बन्ध होता है। अब थोडा इस कथन पर विचार कीजिये कि क्या योग सामान्य से कार्माणवर्गणाओ के ग्रहण मे निमित्त होकर ज्ञानावरणादिरूप से उनके विभाग मे निमित्त होता है या ज्ञानावरणादिरूप से जो कार्माणवर्गणाये पहले से अवस्थित हैं उनके ग्रहण मे निमित्त होता है ? इनमे से पहली बात तो मान्य नही हो सकती है क्योकि कार्माणवर्गणाओ मे ज्ञानावरणादिरूप स्वभाव पैदा करने मे योग की निमित्तता नही है। जो जिस रूप मे है उनका उसी रूप मे ग्रहण हो—इसमे योग निमित्त होता है।”

इस कथन से प० फूलचन्द्रजी ने यह सिद्ध किया है कि ज्ञानावरणादि आठो कर्मो की कार्माणवर्गणाये अलग-अलग है और योग के निमित्त से आठो प्रकार की वर्गणाये अपने-अपने ज्ञानावरणादि नियतरूप रूप से आत्मा के साथ सम्बन्ध कर लेती हैं। इसकी पुष्टि मे उन्होने वीरसेन आचार्य का वर्गणाखड बन्धन अनुयोग द्वार चूलिका वाला कथन भी वहाँ पर उद्धृत किया है।

प० फूलचन्द्रजी ने जो उक्त कथन किया है उसमे उनका अभिप्राय निमित्तभूत योग को ज्ञानावरणादि कर्मो की कार्माणवर्गणाओ का जीव के साथ बधने मे अकिचित्कर बतलाना है। परन्तु इस प्रकार वे अपने इस अभिप्राय की पुष्टि नही कर सके हैं। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

मै, जैसा कि ऊपर बतला दिया है, मानता हूँ कि ज्ञानावरण कर्म रूप परिणत होने की योग्यता रखने वाली कार्माणवर्गणा ही योग के निमित्त से आत्मा के साथ सम्बन्ध करके

ज्ञानावरण कर्मरूप परिणत होती है व दर्शनावरण कर्म रूप परिणत होने की योग्यता रखने वाली कार्माणवर्गणा ही योग के निमित्त से आत्मा के साथ सम्बन्ध करके दर्शनावरण कर्म रूप परिणत होती है इसलिए विवाद इस बात में नहीं है, परन्तु इससे ज्ञानावरणादि कर्मों की कार्माणवर्गणाओं का जीव के साथ बधने में योग अकिंचित्कर कैसे सिद्ध हो सकता है ? जबकि प्रत्येक कार्माणवर्गणा योग के सद्भाव में ही आत्मा के साथ बन्ध को प्राप्त होती है व योग के अभाव में कभी बन्ध को प्राप्त नहीं होती है । यह एक आश्चर्य की बात है कि एक ओर तो उपर्युक्त कथन में स्वयं प० फूलचन्द्रजी योग को कार्माणवर्गणाओं का आत्मा के साथ बधने में निमित्तरूपसे कारण स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर उस बन्ध में योग को अकिंचित्कर भी मानते हैं । इस विषय पर आगे विस्तृत रूप से विचार किया जायगा । यहाँ पर प० जी के उपर्युक्त कथन को उद्धृत करने में मेरा मुख्य अभिप्राय इतना ही है कि उनकी उक्त विचारधारा के आगे इतना और जोड़ना है कि एक जाति की वर्गणा के पुद्गल वहाँ से पृथक् होकर दूसरी जाति की वर्गणा में भी मिल जाते हैं तथा इस तरह पहली जाति की वर्गणा के रूप में छोड़कर उस दूसरी जाति की वर्गणा के रूप को धारण कर लेते हैं ।

### बद्ध स्पृष्टता और अबद्ध स्पृष्टता का उपसंहार

ऊपर किये गये कथन का सार यह है कि आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और सभी काल द्रव्य ये सब अनादि काल से अबद्ध स्पृष्ट स्थिति को धारण किये हुए हैं और आगे भी सतत इसी अबद्ध स्पृष्ट स्थिति में ही रहने वाले हैं । जीव नाम

के सभी द्रव्य अनादिकाल से यद्यपि बद्धस्पृष्ट स्थिति को धारण करते आये हैं परन्तु आगे चलकर उनमें से बहुत से जीव पुरु-पार्थ द्वारा अपनी बद्ध स्थिति को समाप्त कर अबद्ध स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं तथा बहुत से जीवों में अपनी बद्ध स्थिति को समाप्त कर अबद्ध स्थिति को प्राप्त करने की यह प्रक्रिया अभी भी चालू है और अनन्त काल तक बराबर चालू रहेगी। जीवों में बहुत से जीव ऐसे भी हैं, जिनमें अपनी अनादि कालीन बद्ध-स्थिति को समाप्त करने की योग्यता रहते हुये भी वे कभी अबद्ध स्थिति को प्राप्त नहीं होंगे तथा जिन जीवों में अपनी अनादि कालीन बद्धस्थिति को समाप्त करने की योग्यता ही नहीं है वे भी हमेशा बद्धस्थिति में रहेंगे। सभी पुद्गल द्रव्यों में व्यवस्था यह है कि अबद्धस्थिति को प्राप्त पुद्गल कालान्तर में बद्धस्थिति को प्राप्त हो जाता है और बद्धस्थिति प्राप्त पुद्गल कालान्तर में अबद्धस्थिति को भी प्राप्त हो जाता है। कोई भी जीव जो एक बार अपनी बद्धस्थिति को समाप्त कर अबद्धस्थिति को प्राप्त हो जाता है पुनः कभी बद्धस्थिति को प्राप्त नहीं होता।

इस प्रकार यह बात निश्चित हो जाती है कि विश्व में जितने पदार्थ हैं वे सब बद्धस्पृष्ट और अबद्धस्पृष्ट इस तरह दो वर्गों में विभक्त हैं। इन पदार्थों में यथासम्भव पायी जाने वाली बद्धता और स्पृष्टता दोनों ही पृथक्-पृथक् दो आदि पदार्थों की संयोग विशेष रूप अवस्थायें हैं। स्पृष्टता तो सब पदार्थों में एक दूसरे पदार्थों के साथ यथायोग्य रूप में सदा बनी रहती है परन्तु बद्धता केवल जीव और पुद्गल नाम के पदार्थों में ही सम्भव हुआ करती है। जीवों की बद्धता केवल पुद्गल द्रव्यों के साथ सम्भव है परन्तु पुद्गल द्रव्यों की बद्धता यथायोग्य जीवों तथा पुद्गलों दोनों के साथ सम्भव है।

## द्रव्यों की अर्थपर्यायों और व्यंजनपर्यायों

सभी द्रव्य परिणमन स्वभाव वाले हैं—यह बात पूर्व में बतलायी जा चुकी है यहाँ पर मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि द्रव्यों के परिणमन अर्थपर्यायो और व्यंजनपर्यायो के रूप में हुआ करते हैं । द्रव्यों की स्वभाव पर्यायो या गुणपर्यायो को आगम में अर्थपर्याय नाम दिया गया है और उनकी द्रव्यपर्यायो को व्यंजनपर्याय नाम दिया गया है । यथा—

“गुणपर्यायाणामिह केचिन्नान्तर वदन्ति ब्रुधाः ।  
 अर्थो गुण इति वा स्यादेकार्थादर्थपर्याया इति च ॥ ६२ ॥  
 अपि चोद्दिष्टानां मिह देशाशब्दव्य पर्यायाणां हि ।  
 व्यंजन पर्याया इति केचिन्नान्तर वदन्ति ब्रुधा ॥ ६३ ॥  
 ( पञ्चाध्यायो अध्याय १ )

अर्थ—विद्वानों ने गुणपर्यायो का ही अपरनाम अर्थपर्याय कहा है और द्रव्यपर्यायो का ही अपरनाम व्यंजनपर्याय कहा है । क्योंकि अर्थ तथा गुण एक से अर्थ के बोधक शब्द हैं तथा देशाशो पर ( द्रव्य के अशो ) को ही द्रव्यपर्याय कहते हैं ।

इस कथन से यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि स्वभावपर्यायों, गुणपर्यायों और अर्थपर्यायों एक हैं और द्रव्यपर्यायों व व्यंजनपर्यायों एक हैं ।

### अर्थपर्यायो का विवेचन

पूर्व कथनानुसार स्वभावपर्यायों या गुणपर्यायों दो प्रकार की होती हैं—एक स्वप्रत्यय और दूसरी स्वपरप्रत्यय । इस तरह स्वभाव अथवा गुणपर्यायाओं से अभिन्न होने के कारण

अर्थपर्यायों के भी स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय ऐसे दो भेद जानना चाहिये । पूर्व कथनानुसार यह भी जानना चाहिये कि अगुरुलघु गुण के शक्त्यशो ( अविभागि प्रतिच्छेदो ) में षड्गुण हानि वृद्धिरूप स्वभाव या गुणपर्याये ही स्वप्रत्यय अर्थपर्याये है तथा इन्हे छोड़ कर जितनी स्वभाव या गुणपर्याये है वे सब स्वपरप्रत्यय अर्थपर्याये है । जैसे आकाश उन सब पदार्थों को अवगाहित कर रहा है जो विश्व में विद्यमान है लेकिन आकाश का पदार्थों को अवगाहित करने का स्वभाव असीमित है अर्थात् विश्व में जितने पदार्थ विद्यमान हैं उनसे भी अनन्तगुरो पदार्थ यदि विद्यमान होते तो उन्हें भी आकाश अपने अन्दर अवगाहित कर सकता है । इससे जाना जाता है कि आकाश का पदार्थों को अवगाहित करने रूप / परिणमन पदार्थाधीन होने से स्वपरप्रत्यय है । यही बात धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य और जीवद्रव्य के स्वभाव के विषय में भी जान लेना चाहिये । मैं पूर्व में बतला चुका हूँ कि प० फूलचन्द्रजी केवलज्ञान के विषय में स्वयं यह बात स्वीकार करते हैं कि केवलज्ञान में विश्व के समस्त विद्यमान पदार्थों से अनन्तगुरो पदार्थों को जानने की योग्यता रहते हुए भी केवल उन्हीं पदार्थों को जानता है जो पदार्थ विद्यमान है । इस तरह अविद्यमान पदार्थ को न जानने का कारण केवलज्ञान में उस जाति की योग्यता का अभाव नहीं है किन्तु पदार्थों का असद्भाव ही उसमें कारण है । आगम भी यही बतलाता है ।

उपर्युक्त कथन के अनुसार यह निष्कर्ष निकल आता है कि प्रत्येक वस्तु का परिणमन करने का स्वभाव तो असीमित ही होता है परन्तु वे परिणमन यदि परसापेक्ष ही तो उनमें से उसका वही परिणमन होगा जिसके अनुकूल पर की सहायता

प्राप्त रहेगी। जैसे कुम्हार का घटनिर्माण का स्वभाव असीमित है लेकिन वह निर्माण उसी घट का करता है जिसके अनुकूल उसे उपादान सामग्री तथा अन्य सहायक सामग्री प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार मिट्टी की योग्यताये तो असीमित हैं परन्तु उससे वही कार्य निष्पन्न होना है जिसके अनुकूल निमित्त सामग्री की समग्रता उसे प्राप्त हो जाती है।

पूर्व में स्वप्रत्यय परिणमन को स्वसापेक्ष परनिरपेक्ष अथवा केवल परनिरपेक्ष परिणमन भी कहा गया है इसी प्रकार स्वपरप्रत्यय परिणमन को स्वपरसापेक्ष अथवा केवल परसापेक्ष परिणमन भी कहा गया है वैसे यहाँ भी समझना चाहिये तथा 'स्व' का अर्थ उपादान और 'पर' का अर्थ निमित्त पूर्व में जो कहा गया है वही बात यहाँ भी समझ लेना चाहिये।

### व्यंजनपर्यायो का विवेचन

उपर्युक्त प्रकार अर्थपर्यायो का विवेचन करने के अनन्तर अब यहाँ व्यंजनपर्यायो का विवेचन किया जा रहा है।

यह बात भी पूर्व में स्पष्ट हो चुकी है कि विश्व के समस्त पदार्थ बद्धस्पृष्ट और अबद्धस्पृष्ट दो भागों में विभक्त हैं अर्थात् विश्व के बहुत से पदार्थों में पर-पदार्थ के साथ बद्धता और स्पृष्टता दोनों बातें पायी जाती हैं और बहुत से पदार्थों में केवल स्पृष्टता ही पायी जाती है बद्धता नहीं पायी जाती। आकाश, धर्म, अधर्म ये तीनों द्रव्य और समस्त कालद्रव्य तथा समस्त जीवों में से केवल मुक्त जीव एवं समस्त पुद्गल द्रव्यों में केवल अणुरूप स्थिति को प्राप्त पुद्गलद्रव्य ये सब अबद्धस्पृष्ट पदार्थ हैं क्योंकि ये सब पदार्थ एक दूसरे पदार्थ के साथ बद्ध न

होकर केवल स्पृष्ट होकर ही रह रहे हैं। इन्हें छोड़ कर सम्पूर्ण ससारी जीव और सम्पूर्ण स्कन्धरूप पुद्गल ये सब बद्धस्पृष्ट पदार्थ हैं। क्योंकि ससारी जीव तो कर्म व नोकर्मरूप पुद्गलो के साथ तथा पुद्गल जीवो या दूसरे पुद्गलो के साथ बद्धता को भी प्राप्त हो रहे हैं और स्पृष्ट भी हो रहे हैं।

इस प्रकार आकाश, धर्म, अधर्म, समस्त काल, मुक्तजीव और अणुरूपता को प्राप्त पुद्गल इन सब पदार्थों की परस्पर एक दूसरे पदार्थ के साथ विद्यमान स्पृष्टता रूप सयोग के आधार पर जो पर्याये बनती रहती है वे सब स्पृष्टद्रव्य पर्याये हैं और पुद्गल के साथ बद्धजीवो तथा जीव व अन्य पुद्गलो के साथ बद्ध पुद्गलद्रव्यो की जितनी स्पृष्टतारूप सयोग के आधार पर द्रव्यपर्याये होती हैं वे सब तो स्पृष्ट द्रव्यपर्याये हैं तथा जितनी बद्धतारूप सयोग के आधार पर द्रव्यपर्याये होती हैं वे सब बद्धद्रव्यपर्याये हैं। ये स्पृष्टरूप और बद्धरूप दोनो ही प्रकार की सभी पर्याये व्यजनपर्याये कहलाती हैं और ये सभी स्वपरप्रत्यय ही हुआ करती हैं। क्योंकि ये पर्याये पर (निमित्त) का योग पाकर स्व (उपादान) में उत्पन्न हुआ करती हैं। अर्थात् जिस पदार्थ में वह पर्याय उत्पन्न होती है वह उसमें उपादान कारण होता है और जिन पदार्थों के योग से वह पर्याय उत्पन्न होती है वे उसमें निमित्तकारण होते हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह बात निर्णीत हो जाती है कि स्वभाव, गुण या अर्थरूपपर्याये तो स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय दोनो प्रकार की होती हैं लेकिन स्पृष्ट और बद्ध दोनो ही प्रकार की द्रव्य या व्यजनरूप पर्याये केवल स्वपरप्रत्यय ही हुआ करती हैं स्वप्रत्यय नहीं होती। द्रव्य या व्यजनपर्यायो

के स्वप्रत्यय न होने का कारण यह है कि प्रत्येक द्रव्य, के जितने अंश ( प्रदेश ) नियत है उनमें कभी घटा वढी नहीं होती है । इसका आशय यह है कि पुद्गल के दो अणु मिल कर द्व्यणुक नाम का एक मिला हुआ द्रव्य भले ही बन जावे परन्तु उम मिली हुई अवस्था में अणु सर्वदा एक प्रदेश वाला ही रहेगा जैसा कि अपनी पृथक् अवस्था में वह एक प्रदेश वाला रहता है । इसी प्रकार द्व्यणुक भी हमेशा दो प्रदेश वाला ही रहेगा । अर्थात् अणु कभी दो आदि प्रदेशों वाला नहीं होता हमेशा एक प्रदेश वाला ही रहा करता है । इसी प्रकार द्व्यणुक कभी एक प्रदेश वाला या तीन आदि प्रदेशों वाला नहीं होता हमेशा दो प्रदेश वाला ही रहा करता है । यहाँ इस कथन का यह आशय नहीं लेना चाहिये कि द्व्यणुक कभी विघटित नहीं होता अथवा मिलकर त्र्यणुक आदि नहीं बनता, किन्तु यही आशय लेना चाहिये कि जब तक दो अणु परस्पर बन्ध को प्राप्त हैं तभी तक वह द्व्यणुक है विघटित होने पर द्व्यणुक सज्ञा भी समाप्त हो जायगी । इसी प्रकार द्व्यणुक से त्र्यणुक बन जाने पर भी द्व्यणुक सज्ञा समाप्त हो जायगी । यही व्यवस्था आकाशादि द्रव्यों के विषय में भी जानना चाहिये । अर्थात् जंन-संस्कृति में आकाशद्रव्य को नियत परिमाण में अनन्त प्रदेशों, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य और प्रत्येक जीव द्रव्य को नियत परिमाण में असंख्यात प्रदेशों और प्रत्येक कालद्रव्य को नियत परिमाण में एक प्रदेशों जो स्वीकार किया गया है तो इनके प्रदेशों में कभी घटा वढी होने वाली नहीं है । जीवों में जो शरीर के आधार पर सकोच अथवा विस्तार उनके आकार का होता है तो वहाँ पर भी प्रदेशों की घटा वढी नहीं होती है ।

इस प्रकार यह निश्चित हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशों की घटा वढी के आधार पर कोई द्रव्यपर्याय नहीं बनती



है उनमें तो केवल परद्रव्य के साथ होने वाली स्पृष्टता अथवा बद्धता के आधार पर ही यथायोग्य द्रव्यपर्यायिणी बनती है और चूँकि उनकी वे पर्यायिणी परद्रव्य के स्पृष्टता अथवा बद्धतारूप सयोग के आधार पर ही बनती है अतः वे सभी द्रव्यपर्यायिणी स्वपरप्रत्यय ही है स्वप्रत्यय नहीं ।

बद्धजीवद्रव्यों की यथायोग्य पुद्गल द्रव्य के साथ विद्यमान बद्धतारूप सयोग का सर्वथा विच्छेद होने पर जो अबद्धपर्यायिणी होती है इसी प्रकार बद्धपुद्गल द्रव्यों की भी यथायोग्य जीवद्रव्यों अथवा अन्य पुद्गलद्रव्यों के साथ विद्यमान बद्धतारूप सयोग का विच्छेद होने पर जो अबद्धपर्यायिणी होती है उन सब पर्यायिणी को भी स्पृष्टद्रव्यपर्यायिणी के अन्तर्गत समझना चाहिये । क्योंकि बद्धतारूप सयोग का विच्छेद हो जाने पर भी स्पृष्टतारूप सयोग तो वहाँ पर बना ही रहता है । इस प्रकार इन सब द्रव्यपर्यायिणी को स्वपरप्रत्यय पर्यायिणी मानने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है । बद्धजीवों और पुद्गलों की बद्धपर्यायिणी का विच्छेद होने पर जो पर्यायिणी होती हैं उन्हें यदि अबद्धपर्यायिणी ही कहा जाय तो वह पर्यायिणी भी स्वपरप्रत्यय ही है क्योंकि उस पर्यायिणी में परद्रव्य के साथ पूर्व में विद्यमान बद्धतारूप सयोग का विच्छेद निमित्तकारण होता है ।

**जीव का पुद्गल के साथ बद्धतारूप संयोग वास्तविक है**

जीव का पुद्गलद्रव्य के साथ जो बद्धतारूप सयोग होता है वह वास्तविक है परन्तु प० फूलचन्द्रजी उसे अवास्तविक (उपचरित) मानते हैं जैसा कि उनके निम्नलिखित कथन से स्पष्ट होता है ।

“जीव को ससार और मुक्त अवस्था है और वह वास्तविक है इसमें सन्देह नहीं। पर इस आधार से कर्म और आत्मा के मश्लेप रूप सम्बन्ध को वास्तविक मानना उचित नहीं है। जीव का ससार उसकी पर्याय में है और मुक्ति भी उसी की पर्याय में ही है। ये वास्तविक हैं और कर्म तथा आत्मा का मश्लेप-सम्बन्ध उपचरित है। स्वयं मश्लेप-सम्बन्ध यह शब्द ही जीव और कर्म के पृथक्-पृथक् होने का ख्यापन करता है। इसीलिए यथार्थ अर्थ का ख्यापन करते हुये शास्त्रकारों ने यह वचन कहा है कि जिस समय आत्मा शुभ भावरूप से परिणत होता है उस समय वह स्वयं शुभ है, जिस समय अशुभ भावरूप से परिणत होता है उस समय वह स्वयं अशुभ है और जिस समय शुद्ध भावरूप से परिणत होता है उस समय वह स्वयं शुद्ध है। यह कथन एक ही द्रव्य के आश्रय से किया गया है दो द्रव्यों के आश्रय से नहीं, इसलिए परमार्थभूत है और कर्मों के कारण जीव शुभ या अशुभ होता है और कर्मों का अभाव होने पर वह शुद्ध होता है यह कथन उपचरित होने से अपरमार्थभूत है, क्योंकि जब दोनो द्रव्य स्वतन्त्र है और एक द्रव्य के गुण धर्म का दूसरे द्रव्य में सक्रमण होता नहीं, तब एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कारणरूप गुण और दूसरे द्रव्य में उसका कर्मरूप गुण कैसे रह सकता है ? अर्थात् नहीं रह सकता।”

( जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ १८-१९ विषय प्रवेश प्रकरण )

प० फूलचन्द्रजी का जो यह कथन मैंने उद्धृत किया है यदि उस पर ध्यान दिया जाय तो मालूम होगा कि उन्होंने उसमें जैनतत्त्वमीमासा पुस्तक की पूरी भूमिका बतलादी है।

लेकिन इसमें तथ्याश होते हुए भी मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ता है कि वस्तु तत्त्व का सही निर्णय करने के लिए यह कथन उपयोगी साधन नहीं है, क्योंकि इसमें अधूरापन विद्यमान है। यही कारण है कि जैनतत्त्वमीमासा में इसी के आधार पर एकांगी दृष्टिकोण का प्रतिपादन होने के कारण वह स्वयं मीमासा का विषय बन गई है।

मेरे इस कथन का तात्पर्य यह है कि प० फूलचन्द्रजी ने अपने उल्लिखित कथन में जो यह कहा है कि जीव की ससार और मुक्ति दो तो अवस्थाएँ वास्तविक हैं तथा कर्म और आत्मा का सश्लेषरूप सम्बन्ध उपचरित है—इसमें उपचरित शब्द से दो अर्थों का ग्रहण हो सकता है एक तो यह कि कर्म और आत्मा कभी सश्लिष्ट ही नहीं होते इसलिए इन दोनों में सश्लेष-सम्बन्ध का सद्भाव कल्पित है और दूसरा यह कि कर्म और आत्मा ये दोनों सश्लिष्ट तो होते हैं लेकिन यह सश्लेष दो आदि पदार्थों में होने के कारण इसमें एकाश्रयता का अभाव रहता है इसलिए उपचरित शब्द से पुकारा जाता है।

इन दोनों अर्थों में से प० जी को यदि पहला अर्थ अभीष्ट है तो इसमें निम्नलिखित आपत्तियाँ उपस्थित होती हैं—

(१) पहली आपत्ति यह है कि कर्म और आत्मा के सश्लेषरूप सम्बन्ध को कल्पित मानने से आगम का विरोध है क्योंकि आगम में कर्म और आत्मा के सश्लेषरूप सम्बन्ध को ऐसा उपचरित नहीं माना गया है कि वह असद्भावात्मक होकर बिल्कुल कल्पित हो। इस बात को मैं आचार्य अमृतचन्द्र की समयसार टीका के “न जातुरागादि निमित्ताभावम्” इत्यादि कलशपद्य के आधार पर पहले ही बतला चुका हूँ। इस कलश

पक्ष में यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई है कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि की उत्पत्ति कर्मरूप से परिणत पुद्गल का आत्मा के साथ होने वाला सश्लेषरूपसम्बन्ध ही निमित्त है। इस तरह कहा जा सकता है कि कर्म और आत्मा का संश्लेषरूप सम्बन्ध वास्तविक (सद्भावात्मक) ही है अतः उसे कल्पित (अभावात्मक) नहीं माना जा सकता है। स्वयं आचार्य कुन्दकुन्द ने भी समयसार सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार में सश्लेष सम्बन्ध को सद्भावात्मक ही स्वीकार किया है। यथा—

“चेदा दु पयडियट्ठ उप्पज्जइ विणस्सदि ।

पयडीवि च्चैययट्ठ उप्पज्जदि विणस्सदि ॥३३२॥

एव वधोदु दुण्हपि अण्णोण्णप्पच्चया ह्वे ।

अप्पणो पयडीए य ससारो तेण जायदे ॥३३३॥

अर्थ—चेतयिता ( आत्मा ) प्रकृति ( पुद्गलकर्म ) का निमित्त पाकर उत्पन्न विनष्ट होता है और प्रकृति भी आत्मा का निमित्त पाकर उत्पन्न और विनष्ट होती है। इस तरह आत्मा और प्रकृति दोनों ही एक-दूसरे के साथ बन्ध (सश्लेषणरूप सम्बन्ध) को प्राप्त हो रहे हैं तथा इस बन्ध से ही आत्मा और प्रकृति का ससार निर्मित होता है।

इसी तरह के और भी बहुत से प्रमाण आगम ग्रन्थों में मिलते हैं जिनसे उक्त बन्ध की सद्भावात्मकता ही सिद्ध होती है। इस तरह आगम का विरोध होने से प्रकृत में उपचरित शब्द से कर्म और आत्मा के सश्लेषरूप सम्बन्ध को अभावात्मक स्वीकार करके उसका कल्पित सद्भाव मानना उचित नहीं है।

(२) दूसरी आपत्ति यह है कि कर्म और आत्मा के संश्लेषरूप सम्बन्ध को अभावात्मक स्वीकार करके उसका

कल्पित सद्भाव मानने से उसके निमित्त से होने वाली जीव की ससार अवस्था को तथा पुद्गल की कर्मरूप अवस्था को कल्पित (अभावात्मक) ही मानना होगा जब कि प० फूलचन्द जी जीव की ससार अवस्था को वास्तविक (सद्भावात्मक) स्वीकार कर चुके हैं। ससार अवस्था विभावरूप है स्वभावरूप नहीं है—यह बात निर्विवाद है।

(३) तीसरी आपत्ति यह है कि यदि कर्म और आत्मा का सश्लेषरूप सम्बन्ध सद्भावात्मक न होकर कल्पित (अभावात्मक) है तो इसी के समान दो आदि पुद्गल-परमाणुओं के परस्पर सश्लेषरूप सम्बन्ध को भी कल्पित (अभावात्मक) मानने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा। ऐसी हालत में विश्व के घटादि पदार्थों की प्रत्यक्ष सिद्ध स्कन्धरूपता को भी कल्पित रूप देना होगा, तब एक ओर तो घटादि वस्तुओं द्वारा जलाहरणादि क्रियाओं का सम्पन्न होना असम्भव हो जाने से प्राणियों के जीवनयापन की समस्याये जटिल हो जावेगी तथा दूसरी ओर घात-प्रतिघात की स्थिति समाप्त हो जाने से नदियों में बाढ़ का आना, कहीं पर आग का लग जाना, बस व रेलगाड़ी आदि का गिर जाना आदि प्राणियों की सभी विपत्तियों के कारणों का एक साथ लोप हो जायगा जबकि ये सब बातें प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। इसलिए द्वयगुणादि स्कन्ध जिस प्रकार वास्तविक हैं उसी प्रकार कर्म तथा नोकर्म का आत्मा के साथ सश्लेषरूप सम्बन्ध भी वास्तविक (सद्भावात्मक) ही मानना उचित है कल्पित (अभावात्मक) नहीं।

इस सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपचरित शब्द का प्रकृत में कल्पित (अभावात्मक) अर्थ करना सङ्गत नहीं है।

अब यदि उपचरित शब्द का दूसरा अर्थ यह स्वीकार किया जाय कि कर्म और आत्मा ये दोनों परस्पर मङ्गलित तो है फिर भी यह मङ्गल्य चूँकि दो आदि पदार्थों में ही होता है अतः एकाश्रयता का अभाव रहने में इसे उपचरित माना गया है तो ऐसी उपचरिता को मानने में कोई विरोध नहीं है क्योंकि यह तो सभी मानते हैं कि ब्रह्मता आत्मा का स्वतः सिद्ध स्वभाव नहीं है किन्तु कर्म और आत्मा का जो एकमेक पनेच्छु भेल हो रहा है उसी का नाम ब्रह्मता है अतः उसमें एकाश्रयता कैसे आ सकती है ? फिर भी वह पूर्वोक्त आगम प्रमाणों के आधार पर आत्मा की ममारूप उस विकारी अवस्था निमित्त सिद्ध होती है जिसे प० फूलचन्द्रजी ने वास्तविक स्वीकार किया है। आगम के अलावा प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और तर्क भी यह बतलाते हैं कि उपादान की स्वपरप्रत्यय कार्य परिणति में निमित्त कारणभूत वस्तुओं का योगदान लेना आवश्यक होता है और ऐसा योगदान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपादान से होने वाली कार्योत्पत्ति के लिए लिया भी जाता है। प० फूलचन्द्रजी भी इससे परिचित हैं। इतना ही नहीं, वे स्वयं उपादान की कार्य परिणति में निमित्तभूत वस्तुओं का योगदान न लेते हो—यह बात नहीं है। वे अपनी जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन में प्रवृत्त होते हैं, वस्त्र पहिनते हैं, रुपया-पैसा लेते-देते हैं और कहीं जाने के लिए वाहनो का भी उपयोग करते हैं। इस तरह उनके सामने भी कार्य सिद्धि में निमित्तों की सार्थकता स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है।

यदि प० फूलचन्द्रजी यह कहते हैं कि कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्तों को उपस्थिति का निषेध वे नहीं करते हैं

केवल यह बतलाते हैं कि कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्त स्वयमेव मिल जाते हैं उन्हें जुटाना नहीं पड़ता है और तब उपादान भी अपने स्वकाल के अनुसार अपने आप ( निमित्तो के सहयोग के बिना ) कार्यरूप परिणत हो जाया करता है, तो इस विषय में मेरा कहना यह है कि निमित्तो को जुटाने न जुटाने की बात अलग है स्थान-स्थान उस पर तो आगे विचार किया जनयगा, यहा पर सिर्फ इस बात पर विचार करना है कि उपादान निमित्त के सहयोग के बिना स्वपरप्रत्यय कार्यरूप परिणत हो सकता है क्या ? इस प्रश्न के समाधान के प्रसंग में हमारे सामने उन घडो का दृष्टान्त उपस्थित हो जाता है जिनकी उत्पत्ति के लिए उपादानभूत मिट्टी का सद्भाव रहते हुए भी कुम्भकार के तदनुकूल व्यापार के अभाव मे वह मिट्टी अपना परिणमन घडो के रूप में करने मे असमर्थ रहा करती है तथा कुम्भकार की कुशलता और अकुशलता का तारतम्य उन घडो की सुन्दरता और असुन्दरता मे तारतम्य पैदा करता रहता है। इस तरह कार्यों और कारणो मे उपादानोपादेय-भाव की तरह यह प्रत्यक्ष सिद्ध निमित्त नैमित्तिक भाव की स्थिति रहते हुए भी जनसाधारण के लिए अनुपयोगी केवल ज्ञान की छाप लगाकर "जब जो होना होता है सो होता है" इत्यादि निमित्तों की अवहेलना करने वाला एकान्त रूप वचन का प्रयोग उचित नहीं है। केवलज्ञान द्वारा निमित्तो की समस्त पर्यायो की त्रैकालिक अनुस्यूतता एवं परिणतता मे क्षणिक उपादान आदि की व्यवस्था किस आगे प्रकाश डालूँगा, यहा पर तो प्र चढाया जा रहा है।

लोक में देखा जाना है कि दो द्रव्य परस्पर द्रव्य स्पृश्यात्म्य नयोंग को प्राप्त करते हैं तो उन दोनों में में एक के गतिमान होने पर उनमें साथ दूसरा भी गतिमान हो जाता है। जैसे एंजन के साथ जुड़े हुए रेलगाड़ी के टूथे में दहन के चलने पर चल पारने है। तो वही वदतात्म्य नयोंग दो द्रव्यों में निगमान हो वही एक द्रव्य की क्रिया का असर दूसरे द्रव्य पर पडना असम्भव नहीं है। यह बात दूसरी है कि वद अथवा स्पृश्ट वस्तुओं में जो भी क्रिया होगी वद उनकी अपनी अपनी वृत्त वृत्त ही होगी, यह नहीं होगा कि दोनों मिल कर एक क्रिया करने लगेंगे। इस प्रकार यद्यपि यह सही है कि "एक द्रव्य के गुणवर्ग का दूसरे द्रव्य में लक्ष्यण नहीं होता" इस सिद्धान्त के अनुसार आत्मा और कर्म का वदतात्म्य नयोंग होने पर भी आत्मा की मत्तात्म्य परिणति आत्मा में होगी और कर्म की अपनी उदयत्म्य परिणति कर्म में होगी, परन्तु जिस प्रकार एंजन की गति रेलगाड़ी के टूथों की गतिक्रिया में सहायक रूप में कारण होती है उसी प्रकार कर्म की उदयत्म्य परिणति आत्मा की मत्तात्म्य परिणति में सहायक रूप में कारण होती है।

इस प्रकार आत्मा की मत्तात्म्य परिणति कर्मनिमित्तक होने पर भी चूकि आत्मा की निजी परिणति है इसलिये यदि इस आधार पर उसे वान्तविक माना जाय और वदता चूकि कर्म और आत्मा दो द्रव्यगत है इसलिये उसे अवास्तविक (उपचरित) माना जाय तो उसमें किमी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। परन्तु इस तरह से जीव की तत्सार अवस्था को वान्तविक (सद्भावात्मक) और वदता को अवास्तविक



( अभावात्मक ) माना जाय तो यह मान्यता अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष एव युक्ति के विरुद्ध पडती है ।

यहा पर एक बात और ध्यान मे देने योग्य है कि आत्मा के ससार को वास्तविक और कर्म के साथ उसको वद्धता को उपचरित मानने मे प० जी का लक्ष्य यह है कि वे आत्मा के ससार का कर्मवद्धता के साथ निमित्तनैमित्तिक भावरूप कार्यकारणभाव को कार्यकारी मानने के लिये तैयार नही है वे केवल उपादानोपादेय भावरूप कार्यकारणभाव के आधार पर ही आत्मा की ससार दशा और मुक्ति दशा की सस्थापना कर लेना चाहते है । यही सबव है कि उन्होने अपने उक्त कथन मे आगम के आधार पर यह लिखा है कि “जिस समय आत्मा शुभ भावरूप परिणत होता है उस समय वह स्वय शुभ है और जिस समय आत्मा अशुभ भावरूप परिणत होता है उस समय वह स्वय अशुभ है तथा जिस समय आत्मा शुद्धभावरूप परिणत होता है उस समय वह स्वय शुद्ध है ।” प० जी के इस कथन के विषय मे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि “जिस समय आत्मा शुभ भावरूप परिणत होता है उस समय वह स्वय शुभ है’ इत्यादि कथन को तो सभी लोग सत्य मानते हैं परन्तु इस कथन मे सिर्फ इतनी बात बतलायी गयी है कि “आत्मा की शुभ भावरूप परिणति मे आत्मा शुभ होता है, अशुभ भावरूप परिणति मे अशुभ होता है और शुद्धभावरूप परिणति मे शुद्ध होता है” अब प्रश्न यह है कि ये परिणतिया आत्मा की किन कारणों से होती है ? तो इसके समाधान के लिये हमे आवश्यकतानुसार उपादान और निमित्त दोनो प्रकार के कारणो का प्रतिपादन करना जरूरी हो जायगा । इसलिये आगम के आधार पर किये गये “जिस समय आत्मा शुभ

भावरूप परिणत होता है उस समय वह स्वयं शुभ है” इत्यादि कथन का यह निष्कर्ष निकालना अयुक्त है कि “कार्य उपादान के बल पर ही उत्पन्न हो जाता है और निमित्त वहा अकिञ्चित्कर ही बना रहता है” अथवा यह निष्कर्ष निकालना अयुक्त है कि “कार्योत्पत्ति में उपादान ही मुख्य हेतु है निमित्त तो गौणरूप से ही हेतु होता है” इतना अवश्य है कि कार्यरूप परिणति उपादान की ही होती है निमित्त की नहीं, वह तो वहा पर उपादान की कार्यरूप परिणति नहायक मात्र होता है अतः इस दृष्टि में यदि उपादान को मुख्य और निमित्त को गौण माना जाता है तो फिर इसमें कोई विरोध की बात नहीं है । परन्तु कार्योत्पत्ति में जहा तक उपादान और निमित्त के बलावल का प्रश्न है तो यही कहा जायगा कि वस्तु में कार्य की उपादान-शक्ति के अभाव में जहा निमित्त कुछ नहीं कर सकता है वहा निमित्तों के अभाव में भी उपादान शक्ति समुप्त ही रहा करती है । उस तरह अपने अपने ढंग की शक्ति के धारक होने से उपादान और निमित्त दोनों ही शक्तिशाली हैं अर्थात् कार्योत्पत्ति में दोनों ही एक दूसरे का मुख ताकने वाले हैं । इतना होने पर भी यह बात अवश्य है कि जहा उपादानपरक कथन की विवक्षा होती है वहा उपादान को मुख्यता मिल जाती है और जहा निमित्तपरक कथन की विवक्षा होती है वहा निमित्त को मुख्यता मिल जाती है तथा एक की मुख्यता होने पर दूसरा अपने आप गौण हो जाता है ।

जिस प्रकार प० पूलचन्द्र जी ने जीव और कर्म के सश्लेष रूप सम्बन्ध को अपरमार्थभूत, अवास्तविक और उपचरित बतलाया है उसी प्रकार उन्होंने दो आदि वस्तुओं में पाये जाने वाले आधाराध्यभाव आदि सम्बन्धों को भी

अपरमार्थभूत, अवास्तविक और उपचरित बतलाने का प्रयत्न किया है। वे लिखते हैं—

“प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है। इसमें उसके गुण और पर्याय भी इसी प्रकार स्वतन्त्र है—यह कथन आ ही जाता है। इसलिये विवक्षित किसी एक द्रव्य का या, उसके गुणों और पर्यायों का अन्य द्रव्य या उसके गुणों और पर्यायों के साथ किसी प्रकार भी सम्बन्ध नहीं है। यह परमार्थ सत्य है। इसलिये एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो सयोग-सम्बन्ध या आधाराधेयभाव आदि कल्पित किया जाता है उसे अपरमार्थभूत ही जानना चाहिये। इस विषय को स्पष्ट करने के लिये कटोरी में रखा हुआ घा लीजिये। हम पूछते हैं कि उस घा का परमार्थभूत आधार क्या है? कटोरी या घा? आप कहोगे कि घा के समान कटोरी भी है तो हम पूछते हैं कि कटोरी को ओधा करने पर वह फिर गिर क्यों जाता है?” जो जिसका वास्तविक आधार होता है उसका वह कभी त्याग नहीं करता “इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कटोरी भी घा का वास्तविक आधार है तो उसे ( घा को ) कटोरी को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिये। परन्तु कटोरी को ओधा करने पर वह कटोरी को छोड़ ही देता है। इससे मालूम पड़ता है कि कटोरी घा का वास्तविक आधार नहीं है। उसका वास्तविक आधार तो घा है क्योंकि वह उसे व भी नहीं छोड़ता। वह चाहे कटोरी में रहे चाहे भूमि पर रहे या चाहे हवा में विलीन हो जावे। वह रहेगा घा ही। यहाँ दृष्टान्त घा रूप पर्याय को द्रव्य मान कर दिया गया है, इसलिये घा रूप पर्याय बदल जाने पर वह बदल जाता है यह कथन प्रकृत में लागू नहीं होता। यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार कल्पित किये गये जितने भी सम्बन्ध हैं उन सब के विषय में इसी दृष्टिकोण से विचार कर लेना

चाहिये । स्पष्ट है कि माने गये सम्बन्धो मे एकमात्र तादात्म्य सम्बन्ध ही परमार्थभूत है । इसके सिवा निमित्तादि की दृष्टि से अन्य जितने भी सम्बन्ध कल्पित किये गये हैं उन्हें उपचरित अतएव अपरमार्थभूत ही जानना चाहिये । बहुत से मनीषी यह मानकर कि इससे व्यवहार का लोप हो जायगा ऐसे कल्पित सम्बन्धो को परमार्थभूत मानने की चेष्टा करते हैं । परन्तु यही उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इस भूल के सुधारने से यदि उनके व्यवहार का लोप होकर परमार्थ की प्राप्ति होती है तो अच्छा ही है ऐसे व्यवहार का लोप भला किसे अभोष्ट नहीं होगा । इस ससारी जीव को स्वयं निश्चय रूप बनने के लिये अपने अनादिकाल से चले आ रहे इस अज्ञानमूलक व्यवहार का ही लोप करना है । उसे और करना ही क्या है ? वास्तव मे देखा जाय तो यही इसका परम ( सम्यक् ) पुरुषार्थ है, इसलिये व्यवहार का लोप हो जायगा इस भ्रान्तिवश परमार्थ से दूर रह कर व्यवहार को ही परमार्थभूत समझने की चेष्टा करना उचित नहीं है ।”

( जैनतत्वमीमासा पृष्ठ १७-१८ विषय प्रवेश प्रकरण )

आगे इस पर विचार किया जाता है

जैन-संस्कृति की मान्यता यह है कि वही वस्तु द्रव्यसज्ञा को प्राप्त होती है जिसकी अपनी स्वतः सिद्ध और प्रतिनियत स्वरूप सत्ता एव प्रदेश सत्ता हो, इसलिये यद्यपि प० फूलचन्द्र जी के इस कथन से मैं सहमत हूँ कि “प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र है और इस प्रकार उसके गुण और पर्याय भी स्वतन्त्र हैं” परन्तु इससे उनका ( प० फूलचन्द्र जी का ) यह निष्कर्ष निकालना कि “इसलिये विवक्षित किसी एक द्रव्य का या उसके गुणो और पर्यायो का अन्य द्रव्य या उसके गुणो और पर्यायो के साथ किसी प्रकार

का भी सम्बन्ध नहीं है” सही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य और गुणो तथा पर्यायो को स्वतन्त्रता के साथ दो आदि वस्तुओ मे पाये जाने वाले सयोग, आधाराधेयभाव, निमित्तनैमित्तिक भाव आदि सम्बन्धो का कुछ भी विरोध नहीं है ।

प्राय देखने मे आता है कि लोक व्यवहार मे प्रवृत्त जन जिस प्रकार दो आदि वस्तुओ एव उनके गुणो और पर्यायो को पृथक्-पृथक् अनुभव मे लाते हैं उसी प्रकार वे उनमे यथासम्भव विद्यमान सयोग, आधाराधेयभाव तथा निमित्तनैमित्तिक भाव आदि सम्बन्धो को भी सतत अनुभव मे लाते रहते है इसलिये जिस प्रकार लोक व्यवहार मे प्रवृत्त जनो के पहले प्रकार के अनुभव के आधार पर दो आदि वस्तुओ एव उनके गुणो और पर्यायो का पृथक्पना वास्तविक है उसी प्रकार उनके दूसरे प्रकार के अनुभव के आधार पर उन दो आदि वस्तुओ मे यथा सम्भवं विद्यमान सयोग, आधाराधेयभाव तथा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध आदि को भी वास्तविक ही समझना चाहिये'। यह बात दूसरी है कि तादात्म्य सम्बन्ध मे एकाश्रयता होने से वह जहा निश्चयनय का विषय है वहा सयोगादि सम्बन्धो मे अनेकाश्रयता होने से वह व्यवहारनय का विषय है । लेकिन व्यवहारनय का विषय कल्पित अर्थात् सर्वथा अभावात्मक है निश्चयनय का विषय ही सद् भावात्मक है ऐसा नहीं है । केवल दोनो मे इतना अन्तर है कि तादात्म्य सम्बन्ध निश्चयनय का विषय है इसलिये वह निश्चय रूप मे वास्तविक है और सयोगादि सम्बन्ध व्यवहारनय के विषय है इसलिये वे व्यवहार रूप मे वास्तविक है । जो लोग व्यवहारनय के विषय को कल्पित अर्थात् सर्वथा अभावात्मक मानते है वे भ्रम मे है तथा जो लोग व्यवहारनय के विषय को निश्चयनय का विषय मानते

है वे भी भ्रम में है अर्थात् व्यवहार विमूढ है। जो लोग व्यवहार नय के विषय को सर्वथा अभावात्मक अर्थात् कल्पित न मानकर व्यवहार रूप में सत्य मानते हैं वे मध्यजानी हैं। क्योंकि व्यवहार का अर्थ वस्तु का भेदाश्रित अथवा पराश्रित स्थिति ही होती है सर्वथा अभावात्मक स्थिति व्यवहार शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है जमे गधे के सींग सर्वथा अभावात्मक होने से व्यवहार रूप नहीं है अतएव ही वे व्यवहारनय के विषय नहीं हैं लेकिन जीव का समार स्वाभाविक न होकर वैभाविक है अर्थात् कर्मोदय जन्य होने से पराश्रित अर्थात् व्यवहार रूप है अतएव वह व्यवहारनय का विषय है। ऐसा तो नहीं है कि जीव को समार रूप परिणति होनी ही नहीं है। स्वयं प० फूलचन्द्र जी ने भी जीव की समार अवस्था को वास्तविक स्वीकार किया है लेकिन इसका यदि वे यह अर्थ लेना चाहते हैं कि वह सर्वथा निश्चयनय का विषय है तो वे भ्रम में हैं क्योंकि जहाँ जीव की तदात्मक परिणति होने के कारण वह निश्चय नय का विषय है वही कर्मोदयजन्य होने से वह व्यवहारनय का भी विषय है। जैन-संस्कृति की अनेकान्तात्मक तत्त्वावस्था को ध्यान में रखकर ही प० फूलचन्द्रजी को प्रकृत विषय पर विचार करना चाहिये क्योंकि तब कोई विरोध पैदा ही नहीं होगा।

जैन-संस्कृति में आकाश द्रव्य को आधार तथा विश्व को अन्य सभी वस्तुओं को आधेय स्वीकार किया गया है। आकाश शब्द का पारिभाषिक और व्युत्पत्तिपरक अर्थ आवारता अभिमत है इसलिये कहना चाहिये कि जैन-संस्कृति में जहाँ एक ओर आकाश द्रव्य को और उससे भिन्न अन्य सभी द्रव्यों को अपनी-अपनी स्वतः सिद्ध और प्रतिनियत स्वरूप सत्ता एवं

प्रदेश सत्ता की अपेक्षा पृथक्-पृथक् स्वीकार किया गया है वहा दूसरी ओर आकाश तथा अन्य सभी वस्तुओ मे विद्यमान आधाराधेयभाव की वास्तविकता को भी स्वीकार किया गया है । अब यदि दो आदि वस्तुओ मे यथासम्भव विद्यमान सयोग आधाराधेयभाव एव निमित्त नैमित्तिक आदि सम्बन्धो को वास्तविक न मानकर केवल कल्पना का ही विषय मान लिया जाता है तो इस तरह आकाश द्रव्य के साथ विद्यमान विश्व की अन्य सभी वस्तुओ के आधाराधेयभाव रूप सम्बन्ध को भी केवल कल्पनामात्र का विषय मानने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा । ऐसी दशा मे आकाश द्रव्य की निरर्थकता सिद्ध हो जाने से वह भी कल्पना मात्र का विषय रह जायगा । इतना ही नहीं, आकाश की तरह निरर्थक बन जाने की यह समस्या धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और समस्त काल द्रव्यो के विषय मे भी खडी हो जायगी ।

उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार आकाश शब्द का पारिभाषिक और व्युत्पत्तिपरक अर्थ अपनी-अपनी प्रदेशसत्ता के अनुसार अवगाह्यमान विश्व के सभी द्रव्यो को अपने अन्दर समा लेना है उसी प्रकार धर्म शब्द का पारिभाषिक और व्युत्पत्तिपरक अर्थ स्थिति प्राप्त जीव और पुद्गल द्रव्यो को अपने-अपने कारणो के आधार पर होने वाली उनकी गति परिणति मे अवलम्बन होना, अधर्म शब्द का पारिभाषिक और व्युत्पत्तिपरक अर्थ गति प्राप्त जीव और पुद्गल द्रव्यो को अपने-अपने कारणो के आधार पर होने वाली उनकी अवस्थिति मे अवलम्बन होना तथा काल शब्द का पारिभाषिक और व्युत्पत्तिपरक अर्थ विश्व के सभी पदार्थो मे स्वभावत एव कार्य कारणभाव के आधार पर ध्रौव्य तथा उत्पाद और व्यय

को स्थायीपनेरूप ( सार्वकालिक ) एव समय, आवलो, घडो, घण्टा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष आदि के रूप मे अस्थायीपनेरूप वृत्तिता मे अवलम्बन होता है। इसलिये जिस प्रकार आकाश और विश्व के अन्य सभी पदार्थों से आधाराधेय-भाव का सद्भाव स्वीकार किया गया है उसी प्रकार धर्म द्रव्य का स्थिति प्राप्त जीव और पुद्गल द्रव्यो की गति परिणति के के साथ, अधर्म द्रव्य का गति प्राप्त जीव और पुद्गल द्रव्यो की अवस्थिति रूप परिणति के साथ तथा कालद्रव्य का विश्व के समस्त पदार्थों की स्थायीपने और अस्थायीपनेरूप वृत्तिता के साथ अवलम्बन रूप से निमित्त नैमित्तिक भाव का भी सद्भाव स्वीकार किया गया है। इस तरह दो आदि वस्तुओ मे यथासम्भव विद्यमान, सयोग, आधाराधेयभाव एव निमित्त नैमित्तिकभाव रूप सम्बन्धो को वास्तविक न मानकर केवल कल्पनामात्र का विषय मान लेने से जैसे आकाश द्रव्य की निरर्थकता का प्रसंग मैं ऊपर बतला चुका हूँ वैसे ही धर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य और सम्पूर्ण काल द्रव्यो की निरर्थकता का भी प्रसंग उपस्थित हो जायगा और तब आकाश द्रव्य की तरह धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य तथा सम्पूर्ण काल द्रव्य ये सभी द्रव्य भी केवल कल्पना मात्र के ही विषय रह जावेंगे।

इसी प्रकार आत्मा के स्वभाव ज्ञान और विश्व के अन्य सभी पदार्थों मे पाये जाने वाले ज्ञेयज्ञायक भाव अथवा प्रमाण-प्रमेयभाव रूप सम्बन्धो की भी सयोग, आधाराधेयभाव एव निमित्त नैमित्तिकभाव आदि सम्बन्धो की तरह द्वयाश्रितता की वजह से अवास्तविकता सिद्ध हो जाने पर एक तरफ तो प० फूलचन्द्रजी का यह लिखना है कि "जैन धर्म मे तत्त्वप्ररूपण का मुख्य आधार केवल ज्ञान है" ( जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ २६०



केवल ज्ञान स्वभाव मीमासा प्रकरण ) निरर्थक हो जायगा तथा दूसरी तरफ जैन-संस्कृति में स्वीकृत सम्पूर्ण तत्त्वव्यवस्था ही छिन्न-भिन्न हो जायगी । यह सब कुछ न हो, इसके लिए यदि आत्मा के ज्ञान और अन्य सभी पदार्थों में विद्यमान ज्ञेय-ज्ञायक भाव तथा प्रमाणप्रमेयभाव आदि सम्बन्धों को पं० फूल-चन्द्रजी वास्तविक मान लेते हैं तो फिर दो आदि वस्तुओं में यथा सम्भव पाये जाने वाले सयोग, आधाराधेयभाव तथा निमित्त नैमित्तिक भाव आदि सम्बन्धों की वास्तविकता को कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है ? यह बात तो है कि तादात्म्य सम्बन्ध की निष्पत्ति एक वस्तु के आश्रय से होती है और अन्य सयोगादि सम्बन्धों की निष्पत्ति दो आदि वस्तुओं के आश्रय से हुआ करती है लेकिन इतने मात्र भेद के कारण एक को सद्भूत व वास्तविक और दूसरे को असद्भूत व अवास्तविक कह देना युक्ति सगत नहीं है दोनों ही अपने-अपने ढंग से सद्भूत हैं और वास्तविक हैं । इसको बात अवश्य है एक की सद्भूतता और वास्तविकता में एकाश्रयता रहने से निश्चयनय का विषय है और दूसरे की सद्भूतता और वास्तविकता में अनेकाश्रयता रहने से व्यवहारनय का विषय है । कथन मात्र या कल्पना मात्र दोनों में से कोई नहीं है ।

शब्द और अर्थ में वाच्यवाचक भाव रूप सम्बन्ध पाया जाता है लेकिन दोनों का यह सम्बन्ध यदि अवास्तविक है तो शब्दों द्वारा प्रतिपादन न हो सकने के कारण न कोई वक्ता रह जायगा और न कोई श्रोता रह जायगा इसी प्रकार न कोई लेखक रह जायगा न कोई पाठक रह जायगा । पाठक स्वयं विचार करे ।

प० फूलचन्द्र जी के जिस कथन का उद्धरण मैंने ऊपर दिया है उसमें उन्होंने बतलाया है कि “एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो सयोग सम्बन्ध या आधाराधेय भाव कल्पित किया जाता है उसे अपरमार्थभूत ही जानना चाहिये” साथ ही इसकी पुष्टि के लिये वहाँ पर उन्होंने कटोरी में रखे हुए घी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि घी का आधार घी ही है कटोरी उसका वास्तविक आधार नहीं है और इसमें उन्होंने वही पर यह तर्क उपस्थित किया है कि यदि कटोरी घी का वास्तविक आधार है तो कटोरी को ओधा करने पर वह फिर गिर क्यों जाता है ?

प० फूलचन्द्र जी के इस कथन के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि लोक व्यवहार में प्रवृत्तजन दो आदि वस्तुओं में आधाराधेय भाव की वास्तविकता (सद्भावात्मकता) को समझकर ही आवश्यकता पड़ने पर कटोरी में घी रखने की चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, कटोरी में घी रखते समय घी के परिमाण के अनुरूप कटोरी के छोटे-बड़े रूप पर भी उनका ध्यान दौड़ जाता है तथा इसके साथ ही उस समय वे घी को विकृति से बचाने के लिये कटोरी की प्रकृति व उसकी स्वच्छता आदि पर भी लक्ष्य रख लिया करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी उनके ध्यान में यह बात रहा करती है कि घी को कटोरी में रख देने पर भी घों हमेशा घी ही बना रहता है वह कदापि कटोरी नहीं बन जाता है और कटोरी हमेशा कटोरी ही बनी रहती है वह कभी घी नहीं बन जाती है क्योंकि घी और कटोरी दोनों वस्तुयें अपने स्वरूप और प्रदेशों की भिन्नता के कारण पृथक्-पृथक् ही हैं।

इस प्रकार घी और कटोरी के पृथक्-पृथक् अस्तित्व का ज्ञान रखते हुए भी लोक-व्यवहार में प्रवृत्तजनों की घी को कटोरी में बुद्धिपूर्वक रखने की प्रवृत्ति, घी के परिमाण के अनु-रूप कटोरी में छोटे-बड़े रूप पर उनका बराबर लक्ष्य बना रहना और घी को विकृति से बचाने के लिए कटोरी की प्रकृति एवं स्वच्छता की ओर उनका ध्यान जाना इत्यादि बातों से यह निष्कर्ष सहज ही निकल आता है कि दो आदि वस्तुओं में दिखने वाले सयोग, आधाराधेयभाव और निमित्त नैमित्तिक भाव आदि विविध प्रकार के जो भी सम्बन्ध जब और जहाँ सम्भव हो, वे सब सबध वास्तविक (सद्भूत) ही माने जाने योग्य हैं कल्पित (असद्भूत) नहीं, तथा ऐसा मान लेने पर भी उन दो आदि वस्तुओं की एवं उनके गुणों और पर्यायों की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है।

दो आदि वस्तुओं की स्वरूपसत्ता और प्रदेशसत्ता को पृथक्-पृथक् मानते हुए भी उनमें यथायोग्य पाये जाने वाले सयोग, आधाराधेयभाव और निमित्त नैमित्तिकभाव आदि सम्बन्धों को वास्तविक (सद्भूत) मानने वाले व्यवहार में प्रवृत्त जन प० फून्चन्द्र जी की दृष्टि में भले ही अज्ञानी रहें, लेकिन लोक में उन्हें अज्ञानी न मानकर तब तक ज्ञानी ही माना जाता है जब तक उनकी समझ और प्रवृत्ति में लोक विरुद्धता और तत्त्व विरुद्धता नहीं पायी जाती है।

तात्पर्य यह है कि अध्यात्म तथा लोक दोनों में ज्ञानी और अज्ञानी कहलाने की समान स्वरूप मर्यादाये हैं। जैसे अपने प्रतिनियत स्वरूप और प्रदेशों की अपेक्षा पृथक्-पृथक् विद्यमान कटोरी और घी में आधाराधेयभाव रूप सम्बन्ध की

वास्तविकता (सद्भूतता) को समझता हुआ कोई व्यक्ति यदि घी को कटोरी में रखता है तो उस व्यक्ति की इस चेष्टा को लोक में मिथ्या नहीं माना जाता है। परन्तु वही या अन्य व्यक्ति 'कटोरी तो घी का वास्तविक आधार नहीं है कल्पित आधार है उसका वास्तविक आधार तो घी ही है' ऐसा समझकर कटोरी और घी के आधारार्थेय सम्बन्ध की उपेक्षा करके यदि छोटी कटोरी में अधिक घी रखने की चेष्टा करने लगे या घी से भरी हुई कटोरी को ओघा करदे तो ऐसे व्यक्ति को—भले ही वह अपने को आध्यात्मिक मान रहा हो—लोक में पागल या मूर्ख ही मान जायगा। इतना ही नहीं, उक्त प्रकार की चेष्टा करता हुआ वह व्यक्ति घी को कटोरी से बाहर भूमि पर गिरता हुआ देखकर स्वयं भी अपनी समझ और चेष्टा पर हँसे बिना नहीं रहेगा। इसी प्रकार जिस कटोरी में घी रखने से वह विकृत हो सकता है उसमें यदि कोई व्यक्ति घी रखने की चेष्टा करे तो उसे भी लोग अज्ञानी ही कहेंगे।

इस प्रकरण में दूसरा उदाहरण यह दिया जा सकता है कि टोपी शिर पर ही रखी जाती है और जूता पैर में पहिना जाता है। अब यदि कोई व्यक्ति टोपी और शिर तथा जूता और पैर में विद्यमान सम्बन्ध को कल्पनामात्र का विषय मानकर जूता को शिर पर रख ले और टोपी को पैर में पहिन ले तो ऐसे व्यक्ति को लोक में निर्विवादरूप से पागल ही कहा जायगा, क्योंकि लोक में टोपी से शिर की ही और टोपी से ही शिर की तथा जूता से पैर की ही और जूता से ही पैर की शोभा एवं सुरक्षा का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, दाये पैर के जूता का सम्बन्ध दाये पैर से और बाये पैर के जूता का सबध बाये पैर से जुड़ा हुआ होने पर भी यदि कोई व्यक्ति बाये पैर के

जूता को दाये पैर में और दायें पैर के जूता को बाये पैर में कदाचित् पहिन लेता है तो ऐसा करने पर एक तो उस व्यक्ति को अपने दोनो पैरो में अटपटापन मालूम होगा, दूसरे दोनो ही जूते उस-उस पैर में काटने लगेंगे और तीसरे देखने वाले लोग उसे मूर्ख या पागल कहने लगेंगे ।

यह भी बात है कि प्रत्येक प्राणी के जीवन में दो आदि वस्तुओं के सहारे से निष्पन्न सयोग, आधाराधेयभाव और निमित्त नैमित्तिकभाव आदि सम्बन्धों की आवश्यकता सदा ही बनी रहती है क्योंकि उनकी सभी जीवन प्रवृत्तियाँ उक्त सम्बन्धों के आधार पर ही चला करती हैं । इसलिये इस विषय में यदि उदाहरणों का ताँता बाँधा जाय तो उसका कहीं अन्त नहीं होगा, फिर भी कुछ उदाहरणों द्वारा मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उक्त सम्बन्ध अज्ञानी जीवों को कल्पनामात्र न होकर वास्तविक ही है ।

जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के संरक्षण एवं क्षुधाजन्य कष्ट के निवारण के लिए बुद्धिपूर्वक भोजन में प्रवृत्ति करता है, भोजन थाली आदि आधारभूत वस्तु में रखकर ही किया जाता है, थाली आदि की स्वच्छता पर भी भोजन करने वाले व्यक्ति का ध्यान रखा करता है, विवेकीजन भोजन की शुद्धि-अशुद्धि का विचार कर ही भोजन किया करते हैं और इस तरह वे अशुद्धि पैदा करने वाले निमित्तों से भोजन का बचाव करना तथा शुद्धि पैदा करने वाले निमित्तों को जुटाना आदि प्रवृत्तियों को अपने परम कर्तव्यों में समाविष्ट कर लिया करते हैं । रसोई बनाने वाला व्यक्ति भोजन की प्रक्रिया में आटे को परात में अदिपूर्वक रखकर ही गँदता है ताल तथा चावल

आदि को बुद्धिपूर्वक ही पानी में धोकर पकाने की दृष्टि से आवश्यक पानी से भरी हुई बटलोई में रखकर आग जलते चूल्हे पर चढाता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने की दृष्टि से वह उसमें नमक आदि का आवश्यकतानुसार उपयोग करने का भी बुद्धिपूर्वक ध्यान रखता है, गीत आदि से वचाव के लिए कपड़े बुद्धिपूर्वक ही पहिने जाते हैं, रोग दूर करने के लिये औषधियों का निर्माण व सेवन बुद्धिपूर्वक ही किया जाता है, कहीं पर जल्दी पहुँचने की दृष्टि से यथायोग्य रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज आदि का बुद्धिपूर्वक ही उपयोग किया जाता है, अजीविका संचालन के लिए एक व्यक्ति व्यापार करता है, दूसरा नौकरी करता है, तीसरा कृषि करता है और चौथा विविध प्रकार की कलाओं में से किसी कला को अपनाता है। ये भिन्न-भिन्न तरीके बुद्धिपूर्वक ही लोक में अपनाये जाते हैं तथा साधनों की अनुकूलता या प्रतिकूलता होने पर प्राणियों को उसमें क्रमशः सफलता या असफलता भी प्राप्त होती है और इस तरह वे यथायोग्य सफलता मिलने पर सुखी तथा असफलता मिलने पर दुःखी होते देखे जाते हैं। इसी तरह कुन्दकुन्द आदि आचार्यों ने लोकहित भावना की दृष्टि से ही समयसार आदि ग्रन्थों की बुद्धिपूर्वक रचना की है और इसी तरह ५० फूलचन्द्रजी ने भी जैनतत्त्वमीमांसा अपनी दृष्टि से लोगों को जैन-संस्कृति का सही ज्ञान कराने के लिए बुद्धिपूर्वक ही लिखी है।

इन उदाहरणों से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि दो आदि वस्तुओं में पाये जाने वाले सयोगादि सभी सम्बन्ध कल्पित न होकर वास्तविक ही हैं। विचार कर देखा जाय तो यही स्थिति अध्यात्म में भी मिलेगी।

समयसार गाथा १४ की टीका में आचार्य अमृतचन्द्र ने

एक पदार्थ के साथ दूसरे पदार्थ के दृश्यमान स्पर्श आदि सयोगो को भूतार्थ ही प्रतिपादित किया है। यथा—

यथा खलु विसनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्व-पर्यायेणानुभूयमानताया सलिलस्पृष्टत्व भूतार्थमपि एकान्तत सलिलास्पृश्य विसनीपत्रस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम् ।

इसमे यह बात झलकती है कि जल में विद्यमान कमल-पत्र का जल के साथ दृश्यमान स्पर्श यद्यपि कमलपत्र का स्वत-सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव नहीं है फिर भी जल में डूबा हुआ तो वह है ही। अतः उसका वह जल में डूबा हुआ रहना भूतार्थ ही है।

आगे भी वे इस प्रकार लिखते हैं कि “यथा चापा समार्चि प्रत्ययौष्ठय समाहितत्व पर्यायेणानुभूयमानताया सयुक्त-त्व भूतार्थमपि एकान्तत शोतमप्स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम-भूतार्थम् ।”

इसमे भी यह बात झलकती है कि अग्नि के साथ सयोग को प्राप्त जल को उष्णता यद्यपि जल का स्वत सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव नहीं है उसका स्वत सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव तो शोतता ही है फिर भी अग्नि के साथ उसका सयोग तो है ही। अतः वह भी भूतार्थ ही है।

आचार्य अमृतचन्द्र ने उक्त दोनो उदाहरण उस प्रकरण में दिये हैं जहाँ आत्मा के स्वत सिद्ध प्रतिनियत चैतन्यस्वभाव का वर्णन किया है। अर्थात् वे यह कहना चाहते हैं कि यद्यपि आत्मा अनादिकाल से पुद्गल कर्म और नोकर्म के साथ स्पृष्ट एव बद्ध होकर चला आ रहा है यह नहीं समझना चाहिये कि वह उनके साथ स्पृष्ट एव बद्ध नहीं है, परन्तु इतना अवश्य है कि वह स्पृष्टता एव बद्धता उसका (आत्मा का) स्वत सिद्ध

प्रतिनियत स्वभाव नहीं है उसका स्वतः सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव तो चैतन्य भाव ही है ।

इस प्रकार उक्त दृष्टान्तों, समयमार टीका के कथना तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों व ग्रन्थों के विवेचनों से यही सिद्ध होता है कि एक वस्तु के साथ दृश्यमान सयोग, आधाराधेयभाव तथा निर्मित्तनैमित्तिकभाव आदि सम्बन्ध स्वतः सिद्ध प्रतिनियत रूप में भूतार्थ न होते हुए भी सद्भावात्मक रूप में भूतार्थ ही है कल्पना मात्र नहीं है । केवल इतना अवश्य है कि वे स्वाश्रित न होकर पराश्रित ही हैं । एक बात और है कि लोक व्यवहार में प्रवृत्त जनो का समस्त लोक व्यवहार पराश्रित होने के कारण यदि केवल कल्पित मान लिया जाय उसमें कुछ भी सद्रूपता न मानी जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि अपनी-अपनी रुचि, आवश्यकता और परिस्थितिवश लोक व्यवहार में प्रवृत्त रहने वाले प्रथम गुणस्थान से पष्ठ गुणस्थान तक के जीवों की उन प्रवृत्तियों को असद्भूत ही मानना होगा, ऐसी हालत में लोक में मिथ्यादृष्टि और सम्पद्दृष्टि का, विरत, अविरत और देशविरत का, मूर्ख और विद्वान का, विक्षिप्त और अविक्षिप्त का, धर्मात्मा और अधर्मात्मा का तथा पुण्यात्मा और पापात्मा का जीवों में पाया जाने वाला भेद समाप्त ही हो जायगा । इसी तरह प्रथम गुणस्थान से द्वादश गुणस्थान तक के ससारी जीवों के ज्ञान-दर्शन स्वभाव का जो उपयोगाकार परिणमन होता है उसमें उन्हें यथायोग्य पौद्गलिक हृदय, मरितप्लक, तथा स्पर्शन, रसना, नासिका, नेत्र और कर्णरूप इन्द्रियो व बाह्य प्रकाशादिक की जो अपेक्षा रहा करती है एव त्रयोदश गुणस्थान में जीवों की योगप्रवृत्ति में जो मन, वचन और काय की अपेक्षा रहा करती



है व चतुर्दश गुणस्थान मे जहा आत्म स्वभाव की पूर्णता के साथ योग प्रवृत्ति का पूर्णत अभाव भी हो चुका है—अघाती कर्मों और नोकर्मों का बद्धतारूप सयोग जो जीव को ससारी बनाये हुए है इन सब को या तो कथंचित् मानना होगा अथवा इनके आधार पर सयोग, आधाराधेयभाव व निमित्तनैमित्तिक-भाव आदि नयाश्रित सम्बन्धो को भी कथंचित् सद्भूत ही मानना होगा । इनमे से कौनसी मान्यता सत्य है इसका निर्णय पाठक स्वयं कर सकते हैं इस विषय मे अब अधिक विवेचन की आवश्यकता नही रह गयी है ।

ऊपर उद्धृत प० फूलचन्द्र जी के कथन मे जो यह लिखा है कि “जो जिसका वास्तविक आधार होता है वह उसका कभी भी त्याग नही करता । इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कटोरी घी का वास्तविक आधार है तो उमे कटोरी को कभी नही छोडना चाहिये परन्तु कटोरी को ओधा करने पर वह कटोरी को छोड ही देता है । इससे मालूम पडता है कि कटोरी घी का वास्तविक आधार नही है उसका वास्तविक आधार तो घी ही है क्योकि वह उसे कभी नही छोडता ।”

प० जी के इस कथन पर मैं यह कहना चाहता हू कि चूकि कटोरी घी का वास्तविक आधार है इसलिये ही कटोरी को ओधा करने पर घी उसे छोड देता है । लेकिन प० जी के मतानुसार यदि कटोरी घी का वास्तविक आधार नही है तो कटोरी को सीधा रखने पर भी उसमे से घी गिर क्यो नही जाता है ? अथवा कटोरी को ओधा करने पर वह घी गिर क्यो जाता है ? जबकि कटोरी को सीधा रखने पर वह नही गिरता है । प० फूलचन्द्र जी के पास इस प्रश्न का कोई युक्ति सगत समाधान नही है क्योकि वे कटोरी और घी मे विद्यमान

आधाराधेयभाव को कल्पित ही मानते हैं। आगम के अनुसार तो उसका समाधान यह है कि चूँकि कटोरी घी का वास्तविक आधार है इसलिये उसे जब तक कटोरी का सहारा मिल रहा है तब तक वह नहीं गिरता और जब उसे कटोरी का सहारा नहीं मिलता तब वह गिर जाता है।

घी का घी के साथ जो आधाराधेयभाव है वह भी वास्तविक है और घी का कटोरी के साथ जो आधाराधेयभाव है वह भी वास्तविक है तो इन दोनों प्रकार के आधाराधेयभावों में फिर अन्तर ही क्या रह जाता है?—यदि कोई ऐसा प्रश्न करे तो इसका समाधान यह है कि आधाराधेयभाव तो दोनों ही वास्तविक हैं परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि घी का घी के साथ जो आधाराधेयभाव है वह स्वाश्रित अर्थात् तादात्म्य को लिये हुए है और वह स्थायी है जब कि घी का कटोरी के साथ जो आधाराधेयभाव है वह पराश्रित अर्थात् पदार्थद्वयसयोगजन्य है और वह स्थायी भी नहीं है अर्थात् नष्ट होने वाला है। इस तरह यह निर्णीत हो जाता है कि जिस प्रकार घी का घी के साथ तादात्म्य सम्बन्ध के आधार पर निर्मित आधाराधेयभाव वास्तविक है उसी प्रकार घी का कटोरी के साथ सयोग सम्बन्ध के आधार पर निर्मित आधाराधेयभाव भी वास्तविक ही है गधे के सींग की तरह कल्पित नहीं है।

दूसरी बात यह है कि प० फूलचन्द्र जी को "जो जिसका वास्तविक आधार है वह उसका कभी त्याग नहीं करता" यह सिद्धान्त यदि मान्य है तो फिर आकाश द्रव्य भी अपने से भिन्न अन्य सभी वस्तुओं का वास्तविक आधार सिद्ध हो जाता है क्योंकि विश्व की कोई भी वस्तु कभी आकाश को नहीं छोड़ती है। लेकिन इस तरह प० जी द्वारा आकाश को विश्व की सभी

वस्तुओं का वास्तविक आधार मान लिये जाने पर उनकी यह मान्यता ही समाप्त हो जायगी कि “एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो सयोग सम्बन्ध या आधाराधेयभाव कल्पित किया जाता है उसे अपरमार्थभूत ही जानना चाहिये।”

यहां यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि प० फूलचन्द्र जी अपरमार्थभूत का अर्थ कल्पित ही करते हैं। लेकिन यदि वे अपरमार्थभूत का अर्थ पराश्रितरूप में लेते हैं तब कोई विरोध नहीं रह जाता है। इतना अवश्य है कि इस तरह पराश्रित सयोगादि सम्बन्धों की वास्तविकता सिद्ध हो जाती है जो उन्हें अभीष्ट नहीं है।

प० फूलचन्द्र जी दो आदि वस्तुओं के आश्रय से सत्ता प्राप्त सयोग, आधाराधेयभाव और निमित्तनैमित्तिकभाव आदि सम्बन्धों को केवल कल्पना का विषय मान कर एक वस्तु के आश्रय से सत्ता प्राप्त तादात्म्य सम्बन्ध को ही वास्तविक मानने का आग्रह करते हैं जैसा कि उन्होंने लिखा है—“माने गये सम्बन्धों में एक मात्र तादात्म्य सम्बन्ध ही परमार्थभूत है इसके सिवा निमित्तादि की दृष्टि से अन्य जितने भी सम्बन्ध कल्पित किये गये हैं उन्हें उपचरित अतएव अपरमार्थभूत ही जानना चाहिये।”

प० जी इस कथन द्वारा घी का घी के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्वीकार करके “घी का आधार घी ही है” ऐसा मान रहे हैं, परन्तु इसमें विचारणीय बात यह है कि जब घी स्वयं एक अखण्ड वस्तु है तो उसमें तादात्म्य सम्बन्ध भी कैसे बन सकता है? क्योंकि कोई भी सम्बन्ध, फिर भले ही वह तादात्म्य ही क्यों न हो, भेद के आधार पर ही बनता है। दो आदि वस्तुओं में जिन सम्बन्धों को स्वीकार किया गया है

आधाराधेयभाव को कल्पित ही मानते हैं तो उसका समाधान यह है कि चूँकि आधार है इसलिये उसे जब तक काटा नहीं है तब तक वह नहीं गिरता और जहाँ तक वह नहीं मिलता तब वह गिर जाता है।

घी का घी के साथ जो वास्तविक है और घी का कटोरी के भी वह भी वास्तविक है तो इन दोनों में फिर अन्तर ही क्या रह जाता है? यदि घी काटे तो इसका समाधान यह है कि घी ही वास्तविक है परन्तु दोनों में अन्तर साथ जो आधाराधेयभाव है वह स्थायी लिये हुए है और वह स्थायी है जहाँ जो आधाराधेयभाव है वह पराश्रित है और वह स्थायी भी नहीं है अतः तरह यह निर्णीत हो जाता है कि साथ तादात्म्य सम्बन्ध के आधार पर वास्तविक है उसी प्रकार घी का बर्तन के आधार पर निर्मित आधाराधेय गंध के सींग की तरह कल्पित नहीं है।

दूसरी बात यह है कि प० वास्तविक आधार है वह उसका वृत्त सिद्धान्त यदि मान्य है तो फिर अन्य सभी वस्तुओं का वास्तविक क्योकि विश्व की कोई भी वस्तु कल्पित है। लेकिन इस तरह प० जी द्वारा

अभेद दृष्टि रहा करती है तब तक वहाँ तादात्म्य सम्बन्ध की स्थापना भी अयुक्त है। तात्पर्य यह है कि तादात्म्य सम्बन्ध अभिन्न एक वस्तु में हमें भेद का दर्शन कराने वाला है। यही कारण है कि तादात्म्य का अर्थ आगम में भेदाभेद ही स्वीकार किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकल आता है कि तादात्म्य और सयोगादि सम्बन्ध भेद परक ही सिद्ध होते हैं और जब तादात्म्य सम्बन्ध सयोगादि सम्बन्धों की तरह भेदपरक ही सिद्ध होता है तब तादात्म्य सम्बन्ध ही वास्तविक है सयोगादि सम्बन्ध वास्तविक नहीं है कल्पित ही है—ऐसा मानना अयुक्त ही है। इतना अवश्य है जहाँ तादात्म्य सम्बन्ध अखण्ड एक वस्तु में स्वरूप और स्वरूपवान का तथा प्रदेश का प्रदेशवान का भेद करने पर निष्पन्न होता है वहाँ सयोगादि सम्बन्ध स्वभावतः प्रथग्भूत दो आदि वस्तुओं में निष्पन्न होते हैं अर्थात् तादात्म्य जहाँ अभेद में भेद का दर्शन कराता है वहाँ सयोगादि भेद में अभेद के दर्शन कराते हैं।

यद्यपि समयसार आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों में एक तादात्म्य सम्बन्ध को छोड़कर शेष दो आदि वस्तुओं के आश्रय से निष्पन्न सयोगादि सम्बन्धों का निषेध किया है परन्तु जहाँ जिन आध्यात्मिक ग्रन्थों में उक्त सयोगादि सम्बन्धों का निषेध किया है वहाँ उन्हीं आध्यात्मिक ग्रन्थों में उन सयोगादि सम्बन्धों की सत्ता भी स्वीकार की गई है उन्हें कल्पित नहीं माना गया है जैसा कि प० फूलचन्द्र जी मानना चाहते हैं। इसलिए विचारणीय बात केवल इतनी ही है कि आध्यात्मिक ग्रन्थों में क्यों तो सयोगादि सम्बन्धों का निषेध किया है और क्यों उन्हें स्वीकार किया है ? और इस पर विचार करने से यह बात समझ में आ जाती है कि समयसार आदि आध्यात्मिक

वहा तो भेद के दर्शन स्पष्ट होते है, परन्तु एक ही वस्तु मे जो तादात्म्य सम्बन्ध जैनागम मे स्वीकार किया गया है उसका आधार भी उस वस्तु मे स्वरूप और स्वरूपवान तथा प्रदेश और प्रदेशवान के भेद की स्वीकृति ही है ।

इस कथन से यह निष्कर्ष निकला कि घी का तादात्म्य घी के साथ न होकर उसके स्वरूप अथवा प्रदेशो के साथ ही है । “क्व भवानास्ते ? स्वात्मनि” इत्यादि स्थानो पर भी स्वात्मा का अर्थ उसका अपना स्वरूप अथवा उसके अपने प्रदेश ही ग्रहण किये गये हैं । इस तरह “आप कहा रह रहे हैं ?” इस प्रश्न का भेदपरक यही समाधान उपयुक्त माना गया है कि “हम अपने स्वरूप अथवा प्रदेशो मे ही रह रहे हैं” अभेदपरक यह समाधान उपयुक्त नहीं है कि “हम हमो मे रह रहे हैं ।” क्योंकि अभिन्न एक वस्तु मे आधार और आधेय इन दो अवस्थाओ की स्थिति बिना भेदस्थिति को स्वीकार किये नहीं बनती है । इसका कारण यह है कि जो आधार है वह आधेय नहीं है और जो आधेय है वह आधार नहीं है । तथा यह बात निश्चित है कि उक्त तादात्म्य सम्बन्ध मे भी आधाराधेयभाव का बोध होता है । इसलिये प० फूलचन्द्रजी का यह कथन कि “घी का वास्तविक आधार घी ही है” इसी रूप मे सगत होता है कि घी का वास्तविक आधार उसका स्वरूप अथवा उसके प्रदेश ही हैं ।

इस तरह यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि एक वस्तु मे भी जब स्वरूप और स्वरूपवान का अथवा प्रदेश और प्रदेशवान का भेद विवक्षित होता है तभी वहाँ पर तादात्म्य सम्बन्ध की स्थापना होती है । इसके अतिरिक्त जब तक उसमे

है। इसलिए प० फूलचन्द्रजी ने केवल तादात्म्य सम्बन्ध को ही वास्तविक बतलाते हुए शेष दो आदि वस्तुओं के आश्रय से निष्पन्न सयोगादि सम्बन्धों को जो अवास्तविक बतलाया है वह असत्य ही है।

वात वास्तव में यह है कि आत्मा नाम की अनादि-निधन, स्वतः सिद्ध प्रतिनियत चैतन्य स्वभाव वाली वस्तु का अनादिकाल से पुद्गल नाम की अन्य अचैतन्य स्वभाव वाली वस्तु के परिणमन ज्ञानावरणादि कर्मों और शरीरादि नोकर्मों के साथ बद्ध (मिला हुआ) एकत्व चला आ रहा है लेकिन आत्मा और कर्म तथा नोकर्म का यह मिला हुआ एकत्व सद्भूत होते हुए भी आत्मा का स्वतः सिद्ध निजी एकत्व नहीं है। अब यह बात है कि अज्ञानीजनों को इस मिले हुए एकत्व में मिलावट के दर्शन न होकर अखण्ड एकत्व के ही दर्शन हो रहे हैं। अर्थात् अनादिनिधन स्वतः सिद्ध प्रतिनियत उक्त स्वभाव वाले अखण्ड आत्मा के दर्शन उन अज्ञानी जीवों को उस मिले हुए एकत्व से पृथक् रूप में नहीं हो रहे हैं अतः समय-सार आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों में उन अज्ञानी जीवों के सबोधनार्थ यह प्रयास किया गया है कि भो ! ससारी प्राणियो ! तुम्हें अपनी इस कर्म और नोकर्म रूप पुद्गलों के साथ विद्यमान मिलावट में ही जो अनादिकाल से निजी एकत्व का दर्शन हो रहा है अर्थात् उसे तुम जो अपना स्वरूप समझ बैठे हो, वह तुम्हारा भ्रम है उसे तुम अपना निजी स्वतः सिद्ध प्रतिनियत स्वरूप नहीं समझो, तुम्हारी यह स्थिति तो कर्म तथा नोकर्मरूप पुद्गल द्रव्य के सयोग से बन रही है, इसे अपनी स्वतन्त्र स्वरूप स्थिति समझना मिथ्या है, तुम्हारा अपना स्वतः सिद्ध

ग्रन्थों में एक तादात्म्य सम्बन्ध के अलावा सयोगादि सम्बन्धों का जो निषेध किया है उसका कारण यह है कि कोई भी वस्तु उसी हालत में स्वतन्त्र रूप से वस्तु मानी जा सकती है जबकि उसका स्वतः सिद्ध अनादिनिघन प्रतिनियत अस्तित्व हो, इसलिए जब हम दूसरी वस्तुओं में मयुक्त अथवा अमयुक्त किसी भी वस्तु के निजी अस्तित्व की सिद्धि करना चाहते हैं तो यह सिद्धि एक तादात्म्य सम्बन्ध के आधार पर ही हो सकती है सयोगादि सम्बन्धों के आधार पर नहीं, क्योंकि सयोगादि सम्बन्ध अपने आप में वास्तविक होते हुए भी किसी भी वस्तु के निजी वस्तुत्व की सिद्धि में महायत्न नहीं होते हैं और इसका भी कारण यह है कि सयोगादि सम्बन्ध पहले में ही स्वतन्त्ररूप से सिद्ध वस्तुओं में ही हुआ करने है। समयसार आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों में सयोगादि सम्बन्धों का निषेध इसी दृष्टि से किया गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिये कि सयोगादि सम्बन्ध सर्वथा कल्पित ही हैं। क्योंकि समयसार ग्रन्थ के रचयिता आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार के सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार में “चेया दु पयधीयत्य” इत्यादि गाथाओं द्वारा स्वयं ही आत्मा और प्रकृति ( पुद्गल ) दोनों का सन्नारोत्पत्ति का कारणभूत बन्ध स्वीकार किया है। दो आदि पुद्गल परमाणुओं का स्कन्धरूप परिणमन यदि उनका एक क्षेत्रवगाहरूप सयोग नहीं है तो फिर क्या है ? इसी प्रकार दूध और जल का तथा सोना और चाँदी का एक क्षेत्रवगाहरूप सयोग प्रत्यक्ष ही देखने में आता है। इस प्रकार जिम तरह एक ही वस्तु में स्वरूप और स्वरूपवान का तथा प्रदेश और प्रदेशवान का भेद करके तादात्म्य सम्बन्ध की सत्ता सिद्ध होती है उसी तरह दो आदि स्वतन्त्र वस्तुओं में भी सयोगादि सम्बन्धों की सत्ता सिद्ध होती



अहमेदं एदमह अहमेदस्सेव होमि मम एद ।  
 अण्ण ज परदव्व सच्चित्ताचित्त मिस्स वा ॥२५॥  
 आसि मम पुव्वमेद अहमेद चावि पुव्वकालह्मि ।  
 होहिदि पुणोवि मज्झ अहमेद चावि होस्सामि ॥२६॥  
 एव तु असभूदं आदवियप्पं करेदि समूढो ।  
 भूदत्थ जाणन्तो ण करेदि दु त असमूढो ॥२७॥  
 अण्णणमोहिदमदो मज्झमिण भणदि पुग्गल दव्व ।  
 बद्धमबद्ध च तथा जीवो बहुभाव सजुत्तो ॥२८॥  
 सवण्हुणाणाविट्ठो जीवो उव भोगलक्खणोणिच्च ।  
 कह सो पुग्गलदव्वी भूदो ज भणसि मज्झमिण ॥२९॥  
 जदि सो पुग्गलदव्वी भूदो जीवत्तामागद इदर ।  
 तो सक्का वुत्तु जे मज्झमिण पुग्गल दव्व ॥३०॥

इन गाथाओ का भाव यह है कि जो जीव अपने से भिन्न  
 जितना भी सचित्त, अचित्त और सच्चित्ताचित्त (मिश्र) पदार्थ  
 समूह है उसके साथ 'मैं यह हूँ', 'यह मैं हूँ', 'ये मेरा है', 'मैं  
 इसका हूँ' इस प्रकार वर्तमान रूप और इसी प्रकार भूत तथा  
 भविष्यद्रूप असत्य विकल्प करता रहता है वह अज्ञानी है और  
 जो अपनी तथा पर की वास्तविक (स्वतन्त्र) स्वरूप स्थिति को  
 समझ लेता है वह ज्ञानी है । जब तक जीव की बुद्धि मोहकर्म  
 से आच्छादित रहती है तब तक ही वह बद्ध तथा अबद्ध पुद्गल  
 द्रव्य में अहभाव और ममभाव किया करता है । चूँकि सर्वज्ञ  
 के ज्ञान में जीव नित्य उपयोग स्वरूप ही प्रतिभासित हुआ है  
 अतः वह पुद्गल द्रव्यरूप कैसे हो सकता है ? यदि जीव  
 पुद्गल द्रव्यरूप हो जाता व पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य रूप हो  
 जाता तो कहा जा सकता था कि पुद्गल द्रव्य मेरा है ।

प्रतिनियत ज्ञायकत्वरूप स्वभाव इससे पृथक् ही है। इस प्रकार आत्मा और पीद्गलिक कर्म तथा नोकर्म की मिलावट से बने हुए एकत्व में भी अपने पृथक् एकत्व का ज्ञान अज्ञानीजनो को करा देना ही समयसार आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों का उद्देश्य है क्योंकि जब तक अज्ञानीजन इस मिलावट को मिलावट नहीं समझकर अखण्ड एकरूपता ही इसमें समझते रहेगे तब तक वे अपने कल्याण मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकते हैं। समयसार की निम्नलिखित गाथायें इसी अभिप्राय को प्रगट करती हैं।

सुदपरिच्छिदागुभूदा सव्वस्स वि कामभोगवन्धक्का ।

एयत्तरसुवलम्भो णवरि एण सलभो विहत्तस्स ॥४॥

त एयत्तविभत्त दाएह अप्पणो सविह्वेण ।

जदि दाएज्ज पमाण चुविक्कज्ज छल एण धित्तच्च ॥५॥

इन गाथाओं का भाव यह है कि ससारी प्राणी अपने इस कर्म-नोकर्म की मिलावट से बने एकत्व में अनादिकाल से रम रहे हैं इसलिये आचार्य कहते हैं कि आत्मा के स्वतन्त्र एकत्व का उन्हें भान करा देना ही इस ग्रन्थ-निर्माण में मेरा उद्देश्य है। इसके आगे अज्ञानी का लक्षण समयसार में निम्न प्रकार बतलाया है—

कम्मो णो कम्महि य अहमिदि अहक च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥२॥

अर्थ—जब तक जीव कर्म और नोकर्म में अपना और अपने में कर्म और नोकर्म का रूप देखता रहता है तब तक वह अज्ञानी है।

इसके आगे समयसार में ही ज्ञानो और अज्ञानी का भेद निम्न बतलाया गया है—

अहमेदं एदमह अहमेदस्सेव होमि मम एद ।  
 अण्ण ज परदव्व सच्चित्ताचित्त मिस्स वा ॥२५॥  
 आसि मम पुव्वमेद अहमेद चावि पुव्वकालह्मि ।  
 होहिदि पुणोवि मज्झ अहमेद चावि होस्सामि ॥२६॥  
 एव तु असभूदं आदवियप्प करेदि समूढो ।  
 भूदत्थ जाणन्तो ण करेदि दु त असमूढो ॥२७॥  
 अण्णणमोहिदमदो मज्झमिण भणदि पुग्गल दव्व ।  
 बद्धमबद्ध च तथा जीवो बहुभाव सजुत्तो ॥२८॥  
 सवण्हुणाणाविट्ठो जीवो उव भोगलक्खणोणिच्च ।  
 कह सो पुग्गलदव्वी भूदो ज भणसि मज्झमिण ॥२९॥  
 जदि सो पुग्गलदव्वी भूदो जीवत्तामागद इदर ।  
 तो सबका वुत्तु जे मज्झमिण पुग्गल दव्व ॥३०॥

इन गाथाओ का भाव यह है कि जो जीव अपने से भिन्न  
 जितना भी सचित्त, अचित्त और सच्चित्ताचित्त (मिश्र) पदार्थ  
 समूह है उसके साथ 'मैं यह हूँ', 'यह मैं हूँ', 'ये मेरा है', 'मैं  
 इसका हूँ' इस प्रकार वर्तमान रूप और इसी प्रकार भूत तथा  
 भविष्यद्रूप असत्य विकल्प करता रहता है वह अज्ञानी है और  
 जो अपनी तथा पर की वास्तविक (स्वतन्त्र) स्वरूप स्थिति को  
 समझ लेता है वह ज्ञानी है । जब तक जीव की बुद्धि मोहकर्म  
 से आच्छादित रहती है तब तक ही वह बद्ध तथा अबद्ध पुद्गल  
 द्रव्य में अहभाव और ममभाव किया करता है । चूँकि सर्वज्ञ  
 के ज्ञान में जीव नित्य उपयोग स्वरूप ही प्रतिभासित हुआ है  
 अतः वह पुद्गल द्रव्यरूप कैसे हो सकता है ? यदि जीव  
 पुद्गल द्रव्यरूप हो जाता व पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य रूप हो  
 जाता तो कहा जा सकता था कि पुद्गल द्रव्य मेरा है ।

इस विवेचन से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि समयसार आदि ग्रन्थो मे जितना भी विवेचन मिलता है उसमे यही दृष्टि रही है कि जो प्राणी अपने से पृथक् अथवा अपृथक् रूप मे विद्यमान परपदार्थो मे अहकार अथवा ममकार करता रहता है वह ससार मे ही भ्रमण करता रहता है उसके ससार का कभी विच्छेद होने वाला नही है और जो प्राणी उन पर-पदार्थो मे अपने अहकार और ममकार को समाप्त कर देता है वह ससार परिभ्रमण का उच्छेद करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।

इस प्रकार अखण्ड एक वस्तु मे स्वरूप और स्वरूपवान तथा प्रदेश और प्रदेशवान का भेद दिखलाकर जो तादात्म्य सम्बन्ध की स्थापना की जाती है वह तथा उसके आधार पर माने जाने वाले आधाराधेयभाव व उपादानोपादेयभाव आदि सम्बन्ध जिस प्रकार सद्भूतता को लिये हुए हैं उसी प्रकार दो आदि स्वतन्त्र वस्तुओ मे पाये जाने वाले आधाराधेयभाव व निमित्तनैमित्तिकभाव आदि सम्बन्ध भी सद्भूतता को लिये हुए ही है । इनमे केवल इतना ही अन्तर स्वतन्त्र अपने अस्तित्व (सद्भूतता) के निर्माण मे जो पदार्थ परस्पराश्रित है उनका तो तादात्म्य सम्बन्ध होता है और स्वतन्त्ररूप से अस्तित्व (सद्भूतता) को प्राप्त पदार्थो का सयोग सम्बन्ध हुआ करता है । इस तरह सयोग सम्बन्ध को कथन मात्र, असत्य या असद्भूत नही समझना चाहिये ।

प० फूलचन्द्र जी के पूर्वोद्धृत वचन मे और भी जो यह लिखा है कि “बहुत से मनीषी यह मानकर कि इससे व्यवहार का लोप हो जायगा, ऐसे कल्पित सम्बन्धो को परमार्थभूत मानने की चेष्टा करते हैं, परन्तु यही उनकी सबसे बडो भूल है

क्योंकि इस भूल के सुधरने से यदि उनको व्यवहार का लोप होकर परमार्थ की प्राप्ति होती है तो अच्छा ही है। ऐसा व्यवहार का लोप भला किसे इष्ट नहीं होगा। इस ससारी जीव को म्वय निश्चय स्वरूप बनने के लिये अपने मे अनादिकाल से चले आ रहे इस अज्ञानमूलक व्यवहार का ही तो लोप करना है उसे और करना ही क्या है ? वास्तव में देखा जाय तो यही उसका परम ( सम्यक् ) पुरुषार्थ है इसलिये व्यवहार का लोप हो जायगा इस भ्रान्तिवश परमार्थ से दूर रह कर व्यवहार को ही परमार्थ समझने की चेष्टा करना अनुचित है।”

प० फूलचन्द्र जी के इस कथन पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूर्व विवेचन के अनुसार सयोगादि सम्बन्धों के विषय में सद्व्यवहार और असद्व्यवहार को लेकर मेरी प० जी के साथ यद्यपि मतभिन्नता पायी जाती है तो भी प० जी के उक्त कथन की कई बातों में मेरा उनके साथ मतैक्य है। इसलिये मतभेद और मतैक्य की स्थिति को उपश्रोगी समझकर मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ।

( १ ) प० जी की तरह मैं भी यह मानता हूँ कि जो लोग परमार्थ से दूर रहकर व्यवहार को ही परमार्थ समझने की चेष्टा करते हैं वे अज्ञानी हैं। परन्तु इस विषय में मेरा प० जी के साथ मतैक्य का कारण यह नहीं है कि एक सद्व्यवहार और दूसरा असद्व्यवहार ( कथनमात्र, असत्य या काल्पनिक ) है बल्कि मतैक्य का कारण यह है कि प० जी ने अपने कथन में परमार्थ से निश्चय का अर्थ ग्रहण किया है और यह निर्विवाद है कि व्यवहार अपने आप में सद्व्यवहार होते हुए भी कभी निश्चयरूप नहीं होता है।

( २ ) पं० जी की इस बात को भी मैं मानता हूँ कि ससारी जीव को स्वयं निश्चय स्वरूप बनने के लिये अनादिकाल से चले आ रहे अपने अज्ञानमूलक व्यवहार का ही लोप करना है। परन्तु इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसके लिये ( ससारी प्राणी के लिये ) पराश्रित अशुभ प्रवृत्तिरूप व्यवहार तो सर्वथा हेय है, लेकिन पराश्रित शुभ प्रवृत्तिरूप व्यवहार हेय होते हुए भी किसी एक सीमा तक उन ससारी जीवों के लिये भी उपादेय है जो स्वयं ( आप ) निश्चयस्वरूप बनने की चेष्टा करने लगते हैं। अर्थात् धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों का अपने जीवन में समन्वय करते हुए अन्त में केवल धर्म पुरुषार्थों अर्थात् मोक्ष पुरुषार्थों बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक व्यवहार ऐसा भी होता है जो त्याज्य तो है लेकिन उसे छोड़ने के लिये जीव को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है वह अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होने पर स्वतः छूट जाता है तथा एक व्यवहार ऐसा भी होता है जो न तो त्याज्य है और न कभी छूटता ही है। इन सब प्रकार के व्यवहारों के विषय में मैं आगे विवेचन करूँगा।

( ३ ) प० जी की इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि जिन्हें व्यवहार के लोप का भय बना हुआ है वे अज्ञानों हैं परन्तु इस विषय में भी मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि विवक्षित व्यवहार का लोप करके निश्चयरूप बनना तो उत्तम है लेकिन व्यवहाराश्रित बने रह कर अपने को परमार्थवादी ( निश्चयस्वरूप ) समझने वाले जो लोग व्यवहाररूप प्रवृत्ति करते हुए भी अपनी परमार्थवादिता (निश्चयरूपता) को प्रगट करने के लिये पुण्यमय शुभ प्रवृत्ति और पापमय अशुभ प्रवृत्ति के मध्य पाये जाने वाले अन्तर को सर्वथा समाप्त कर देना

चाहते हैं तथा व्यवहार धर्म को भी अधर्म की तरह सर्वथा ससार का कारण बतलाकर उसके महत्व को समाप्त कर देना चाहते हैं उनकी इस तरह की मान्यता से विवेकीजनो का भयभीत होना उचित ही है। क्योंकि जनसाधारण “हेये स्वय सती बुद्धिर्यत्नेनाप्यसती शुभे” इस नीति वाक्य के अनुसार स्वभाव से ही पाप प्रवृत्तिरूप व्यवहार में सर्वदा रुचि रख रहा है। इसलिये उसकी दृष्टि में पाप प्रवृत्तिरूप व्यवहार में और पुण्य प्रवृत्तिरूप व्यवहार में तथा कषाय का क्षयोपशम हो जाने पर उत्पन्न कथञ्चित् निवृत्तिरूपव्यवहार जिसे व्यवहारधर्म नाम से आगम में पुकारा गया है— में यदि अन्तर समाप्त हो जाता है तो लोक में व्यवहारधर्माचरण के साथ-साथ शुभ प्रवृत्तिरूप पुण्याचरण की समाप्ति होकर केवल अशुभ प्रवृत्तिरूप पापाचरण का ही बोलवाला हो जायगा। क्योंकि जनसाधारण का इन सबसे युगपत् छुटकारा पाकर सर्वथा निवृत्त्यात्मक निश्चयधर्म में पहुँच जाना सम्भव नहीं है। अर्थात् आगम की व्यवस्था यह है कि पापप्रवृत्तिरूप व्यवहार के यथायोग्य त्याग के साथ पुण्यप्रवृत्तिरूप व्यवहार को अपनाता उत्तम है और आगे अशक्ति, आवश्यकता और वर्तव्यवश पाप और पुण्य प्रवृत्तिरूप व्यवहार को अपनाते हुए भी यथाशक्ति कथञ्चित् निवृत्तिरूप व्यवहारधर्म को स्वीकार करना उत्तम है, कारण कि इस क्रम से ही अन्त में सर्वथा निवृत्तिरूप निश्चयधर्म पर पहुँचा जा सकता है।

उपर्युक्त सभी बातों पर विस्तृत प्रकाश डालने की आवश्यकता है अतः निश्चय और व्यवहार की स्थिति क्या है?, किस प्रकार का व्यवहार सर्वथा हेय है?, किस प्रकार का व्यवहार हेय होकर भी कहाँ तक उपादेय है?, किस प्रकार का व्यवहार यथास्थान अपने आप दूट जाता है उसे छोड़ने का

प्रयत्न नहीं करना पड़ता है ? और किस प्रकार का व्यवहार न तो कभी छूटता है और न उसे छोड़ने की आवश्यकता ही है ? इन प्रश्नों पर यहाँ विचार किया जाता है। इनमें से मैं सर्व-प्रथम निश्चय और व्यवहार के रूपों का दिग्दर्शन करा रहा हूँ—

### निश्चय और व्यवहार के रूप

आगम में वस्तु को द्रव्य, गुण और पर्यायात्मक स्वीकार किया गया है जैसा कि पञ्चास्तिकाय के ज्ञेयाधिकार की गाथा १ में पाया जाता है—

अत्थो खलु दन्वमओ दन्वाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि ।  
तेहि पुणो पज्जाया पज्जयमूढा हि परसमया ॥१॥

अर्थ—वस्तु द्रव्यरूप है, द्रव्य गुण स्वरूप होता है और द्रव्य तथा गुण दोनों की पर्यायिणी होती हैं ! जितने परसमय हैं वे सब पर्यायि में विमूढ हो रहे हैं अर्थात् पर्यायि को ही सब कुछ मान रहे हैं ।

तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु यद्यपि अखण्ड एकरूपता को प्राप्त हो रही है फिर भी उसमें आवश्यकतानुसार द्रव्य, गुण और पर्यायरूप से विभाजन भी विद्यमान है। इस प्रकार वस्तु की अखण्ड एकरूपता का नाम निश्चय है और द्रव्य, गुण तथा पर्यायि के रूप में भेद स्थिति का नाम व्यवहार है ।

वस्तु के स्वतः सिद्ध और प्रतिनियत स्वरूप की अखण्डता निश्चय कोटि में आती है और उस स्वरूप की खण्डात्मक भेद स्थिति व्यवहार कोटि में आती है। इसी आधार पर समयसार में आत्मा के अखण्ड ज्ञायकत्वरूप स्वभाव को निश्चय कोटि में



और उसकी दर्शन, ज्ञान और चारित्रात्मक भेद स्थिति को व्यवहार कोटि में समाविष्ट किया गया है। यथा—

ण वि होदि अप्रमत्तो ण प्रमत्तो जाणओ तु जो भावो ।  
 एष भणति सुद्ध णाओ जो सो उ सो चेव ॥६॥  
 व्यवहारेषु वदिससइ णाणिस्स चरित्त दसणं णाणं ।  
 ण वि णाण ए चरित्तं ण दसणं जाणगो सुद्धो ॥७॥

अर्थ—आत्मा स्वरूप की दृष्टि (निश्चय दृष्टि) से प्रमत्तता और अप्रमत्तता से रहित ज्ञायकस्वरूप है और उसका यह ज्ञायक रूप स्वतः सिद्ध होने से स्वतन्त्र, अनादिनिधन और अखण्ड है। इस ज्ञायक रूप में यद्यपि व्यवहारदृष्टि से (भेद-दृष्टि से) दर्शन, ज्ञान और चारित्र की स्थिति को भी मान्य किया गया है परन्तु निश्चयदृष्टि में (अभेददृष्टि में) न दर्शन की स्थिति है, न ज्ञान की स्थिति है और न चारित्र की स्थिति है केवल सुद्ध (स्वतन्त्र, अनादिनिधन और अखण्ड) ज्ञायक रूप ही स्थिति है।

प्रथम और द्वितीय दोनो गाथाओ में पठित 'मुद्ध' शब्द को आत्मा के स्वरूप ज्ञायकत्व में विद्यमान अखण्ड एकत्व, अनादिनिधनत्व और आत्मनिर्भरता के रूप में निश्चयार्थ का बोधक जानना चाहिये। इस प्रकार प्रथम गाथा और द्वितीय गाथा का उत्तरार्ध दोनो आत्म स्वरूप की निश्चय स्थिति के प्रतिपादक है तथा दूसरी गाथा का पूर्वार्ध उसकी व्यवहार स्थिति का प्रतिपादक है।

यस्तु में उसके स्वतः सिद्ध स्वरूप सामान्य की अपेक्षा विद्यमान त्रैकालिक ध्रुवता का नाम निश्चय है और उसमें

प्रवर्तमान स्वप्रत्यय व स्वपरप्रत्यय परिणमनो की अपेक्षा विद्यमान उत्पाद तथा व्यय का नाम व्यवहार है ।

जैनदर्शन में वस्तु को जैसा उत्पाद, व्यय और धीव्यात्मक माना गया है वैसा ही सामान्य विशेषात्मक भी माना गया है । इस तरह वस्तु की या वस्तु स्वरूप की सामान्यरूपता का नाम निश्चय है और उनकी विशेषरूपता का नाम व्यवहार है ।

उसी तरह वस्तु की उसके अपने प्रदेशों के साथ विद्यमान अखण्डात्मकता का नाम निश्चय है और नाना प्रदेशों के रूप में विद्यमान खण्डात्मकता का नाम व्यवहार है ।

इस तरह प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में निश्चय और व्यवहार के अनेक विकल्प सिद्ध हो जाते हैं । जैसे—

द्रव्य और गुण में विद्यमान अभेदरूपता का नाम निश्चय है और भेदरूपता का नाम व्यवहार है । द्रव्य और पर्याय के विकल्पो में द्रव्यरूपता निश्चय है और पर्यायरूपता व्यवहार है । गुण और पर्याय के विकल्पो में गुणरूपता निश्चय है और पर्यायरूपता व्यवहार है । सहवर्तित्व और क्रमवर्तित्व, अन्वय और व्यतिरेक तथा योगपद्य और क्रम के विकल्प युगलो में पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चयरूप है और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहार रूप है । निर्विकल्पकता और सविकल्पकता, शक्तिरूपता और व्यक्तिरूपता प्रथा लब्धिरूपता और उपयोगरूपता के विकल्पयुगलो में पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चयरूप है और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहाररूप है । वास्तविकता और कल्पितरूपता, अनुपचरितता और उपचरितता, भावरूपता और अभावरूपता तथा स्वभावरूपता और विभावरूपता के विकल्प युगलो में पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चय रूप है और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहाररूप है । भावरूपता और द्रव्यरूपता तथा अन्तरङ्गरूपता और बहिरङ्गरूपता के विकल्पयुगलो में पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चयरूप है और उत्तर-उत्तर का

विकल्प व्यवहाररूप है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के विकल्पो मे भावरूपता निश्चय का और नाम, स्थापना तथा द्रव्यरूपता व्यवहार का विकल्प है। स्वतन्त्रता और परतन्त्रता, स्वाश्रयता और पराश्रयता तथा अबद्धता और बद्धता के विकल्प युगलो मे पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चय रूप है और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहाररूप है। इसी तरह ससार और मुक्ति के विकल्पो मे ससार व्यवहार का और मुक्ति निश्चय का विकल्प है। कार्य और कारण, साध्य और साधन तथा उद्देश्य और विधेय के विकल्पयुगलो मे पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चयरूप है और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहार रूप है। इसी तरह उपादेयता और नैमित्तिकता के विकल्पो मे उपादेयता निश्चय का और नैमित्तिकता व्यवहार का विकल्प है। उपादान और निमित्त के विकल्पो मे उपादानता निश्चय का और निमित्तता व्यवहार का विकल्प है। स्वप्रत्ययता और स्वपरप्रत्ययता के विकल्पो मे स्वप्रत्ययता निश्चय का और स्वपरप्रत्ययता व्यवहार का विकल्प है। स्वपरप्रत्यय परिणमन मे स्वप्रत्ययता निश्चय का और परप्रत्ययता व्यवहार का विकल्प है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि कार्य या तो स्वप्रत्यय होता है या स्वपरप्रत्यय होता है कोई भी कार्य केवल परप्रत्यय नहीं होता है। साक्षाद्रूपता और परम्परारूपता के विकल्पो मे पहला निश्चय का और दूसरा व्यवहार का विकल्प है। भूत, भविष्यत् और वर्तमान के विकल्पो मे वर्तमानता निश्चय का और भूतता तथा भविष्यत्ता व्यवहार का विकल्प है। सामान्य और विशेष, सग्रह और व्यवहार, सक्षेप और विस्तार तथा ओघ और आदेश के विकल्पो मे पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चय का और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहार का है। द्रव्यानुयोग को दृष्टि से विधिरूपता निश्चय का और निषेधरूपता व्यवहार

का तथा करणानुयोग को दृष्टि से निषेधरूपता निश्चय का और विधिरूपता व्यवहार का विकल्प है। द्रव्यानुयोग और करणानुयोग दोनों में से द्रव्यानुयोग का विषय निश्चयरूप और करणानुयोग का विषय व्यवहाररूप है। इसी तरह करणानुयोग चरणानुयोग दोनों में करणानुयोग का विषय निश्चयरूप और चरणानुयोग का विषय व्यवहाररूप है और इसी तरह चरणानुयोग और प्रथमानुयोग दोनों में चरणानुयोग का विषय निश्चयरूप व प्रथमानुयोग का विषय व्यवहाररूप है। दृष्टिप्रधान आध्यात्मिक दृष्टि से प्रवृत्ति व्यवहार का और निवृत्ति निश्चय का विकल्प है यथा समष्टि प्रधान लौकिक दृष्टि से प्रवृत्ति निश्चय का और निवृत्ति व्यवहार का विकल्प है। द्रव्यानुयोग की दृष्टि में सत् और असत्, तत् और अतत्, नित्य और अनित्य, एक और अनेक, अभिन्न और भिन्न तथा अवक्तव्य और वक्तव्य के विकल्पों में पूर्व-पूर्व का विकल्प निश्चय का और उत्तर-उत्तर का विकल्प व्यवहार का है। करणानुयोग की दृष्टि में कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के आधार पर होने वाली आत्मा की अवस्था व्यवहाररूप है और कर्म से अनपेक्ष आत्मा की स्वतः सिद्ध अवस्था निश्चयरूप है। इसी तरह कर्म के उदय के आधार पर होने वाली आत्मा की औदयिक रूपता विभावरूप व्यवहाररूपता है, कर्म के क्षयोपशम के आधार पर होने वाली आत्मा की क्षायोपशमिकरूपता विभाव और स्वभाव के मिश्रणरूप व्यवहाररूपता है तथा कर्म के उपशम या क्षय के आधार पर होने वाली आत्मा की औपशमिक रूपता और क्षायिकरूपता स्वभावरूप निश्चयरूपता है। चरणानुयोग की दृष्टि में आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की स्थिति मोहकर्म के उदय से प्रभावित होने के आधार पर मिथ्यादर्शन,

मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्ररूप पुरुषार्थ के रूप में व्यवहार रूप है और मोह कर्म के उपशम, क्षय या क्षयोपशम के आधार पर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप पुरुषार्थ के रूप में निश्चय रूप है। इसी तरह दर्शनमोह और अनन्तानुबन्धी रूप चारित्र मोह के उपशम, क्षय या क्षयोपम के आधार पर जीव में तत्त्वार्थ श्रद्धान का होना व्यवहार सम्यग्दर्शनरूप व्यवहार है और आत्मा कल्याण के प्रति उसका उन्मुख हो जाना निश्चय सम्यग्दर्शन रूप निश्चय है तथा व्यवहार और निश्चय रूप सम्यग्दर्शन के साथ ही जीव के आत्म ज्ञान में सम्यक्पन का आ जाना व्यवहार सम्यग्ज्ञान रूप व्यवहार है और आत्मज्ञान में सम्यक्पन का आ जाना निश्चय सम्यग्ज्ञानरूप निश्चय है। इसी तरह सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान हो जाने के पश्चात् शेष चारित्र मोह के यथासंभव क्षयोपशम के आधार पर पंचम गुणस्थान से दशम गुणस्थान तक अगुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ति, ध्यान आदि रूप जीव का पुरुषार्थ व्यवहार चारित्ररूप व्यवहार है और चारित्र मोह का सर्वथा उपशम अथवा क्षय हो जाने पर जीव का आत्मलीनता रूप पुरुषार्थ निश्चय चारित्र रूप निश्चय है।

इस विस्तृत विवेचन से वस्तु में पाये जाने वाले निश्चय और व्यवहार के विविध रूपों का सरलता से बोध हो जाता है और यह बात भी समझ में आ जाती है कि भिन्न-भिन्न स्थलों में अथवा प्रकरणों में निश्चय और व्यवहार के भिन्न-भिन्न रूप हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी समझ में आ जाता है कि जहाँ जिस प्रकार का निश्चय या व्यवहार का विकल्प वस्तु में विवक्षित किया जाय वहाँ उस से ठीक विपरीत ही व्यवहार या निश्चय का विकल्प वस्तु में निर्धारित करना

चाहिये। अर्थात् जहां निश्चय का विकल्प विरक्षित किया जाय वहां उसमें ही विपरीत व्यवहार का विचार निर्धारित करना चाहिये और जहां व्यवहार का विचार विरक्षित किया जाय वहां उसमें ही विपरीत निश्चय का विचार निर्धारित करना चाहिये। इनमें यह बात भी समझ लेना चाहिये कि निश्चय और व्यवहार के विकल्पों में से जहां जो विकल्पित होना है वहां वह तो मुख्य ही जाता है और जो अविरक्षित होना है वह गौण ही जाता है।

वस्तु में विद्यमान सब प्रकार के निश्चयस्य विकल्पों का मूल आधार उभेद या स्वाश्रयता है और सब प्रकार के व्यवहारस्य विकल्पों का मूल आधार भेद या पराश्रयता है। इनका अभिप्राय यह भा है कि वस्तु का जो रूप उभेद या स्वाश्रयता के आधार पर निश्चयस्य है वही रूप भेद और पराश्रयता के आधार पर व्यवहार रूप भी है। जैसे कार्य जहां उपादान की परिणति होने के आधार पर उपादेयस्य है निश्चयस्य है वही वह अन्य वस्तु के मूलयोग में उत्पन्न होने के आधार पर नैमित्तिकस्य से व्यवहारस्य भी है। उसी प्रकार मिट्टी रूप ( माप ) पदस्य परिणत होने के आधार पर जहां पदस्य कार्य का उपादान हो जाने के कारण कारणता के रूप में निश्चयस्य है वही वह मिट्टी नानापुद्गल परमाणुओं का पिट होने के आधार पर व्यवहारस्य भी है।

निश्चय और व्यवहार के ये सब रूप वस्तु के धर्म हैं और सभी वस्तुविक अर्थात् वस्तु में विद्यमान रहते हैं। इनमें से कोई भी कल्पित, मिथ्या या वधन मात्र नहीं है। इतना अवश्य है कि जो निश्चय धर्म है वे ता उभेद या स्वाश्रितता के आधार पर है और जो व्यवहार धर्म है वे भेद या पराश्रितता के आधार पर है।

इनका ज्ञान जीव को अपने स्वभावभूत ज्ञान द्वारा होता है और इनका प्रतिपादन जीव शब्दों द्वारा किया करता है। इस तरह जीव का वह ज्ञान निश्चयरूप है जिसके द्वारा वस्तु के निश्चय धर्म का ज्ञान होता है और जीव का वह ज्ञान व्यवहाररूप है जिसके द्वारा वस्तु के व्यवहार धर्म का ज्ञान होता है तथा जीव द्वारा बोला गया वह शब्द निश्चयरूप है जिसके द्वारा वस्तु के निश्चय धर्म का प्रतिपादन होता है और जीव द्वारा बोला गया वह शब्द व्यवहाररूप है जिसके द्वारा वस्तु के व्यवहार धर्म का प्रतिपादन होता है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि बोलना या ज्ञान करना स्वयं व्यवहाररूप है और बोलने अथवा ज्ञान करने रूप क्रिया न करते हुए अपने स्वरूप में ही स्थिर रहना निश्चयरूप है।

वस्तु के उक्त निश्चय व व्यवहाररूप धर्मों को आगम में ज्ञान तथा शब्द के विषयभूत नाम स्थापना, द्रव्य और भावरूप निक्षेपों में अन्तर्भूत किया गया है तथा उन धर्मों के ज्ञापक ज्ञान को व उनके प्रतिपादक शब्द को नयों में अन्तर्भूत किया गया है। इसी प्रकार इन ज्ञानरूप और शब्द रूप नयों के समूह को श्रुत प्रमाण नाम से पुकारा गया है।

यद्यपि आगम में प्रमाण के मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनपर्ययज्ञान और केवलज्ञान के रूप में पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं, परन्तु नय व्यवस्था केवल श्रुतज्ञानरूप प्रमाण में ही स्वीकार की गयी है। इसका कारण यह है कि मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मनपर्ययज्ञान और केवलज्ञान द्वारा उक्त धर्मों से विशिष्ट वस्तु का अखण्डरूप से ज्ञान होता है अतः इन चारों ज्ञानों में नयपरिकल्पना सम्भव नहीं है तथा श्रुतज्ञान में नयपरिकल्पना इसलिये सम्भव है कि श्रुतज्ञान उक्त धर्मों का

पृथक्-पृथक् ज्ञान करता हुआ ही वस्तु का ज्ञान करता है इसलिये वह नयरूप होकर ही प्रमाण रूप है । यही व्यवस्था शब्दरूप श्रुत प्रमाण में भी समझना चाहिये । प्रकृत में उपयोगी न होने से नय तथा प्रमाण की उक्त व्यवस्था पर यहाँ पर विशेष प्रकाश डालना मैंने आवश्यक नहीं समझा है ।

इस प्रकार वस्तु में और वस्तु के प्रतिपादक शब्दरूप तथा उसके ज्ञापक ज्ञानरूप श्रुत प्रमाण में निश्चय और व्यवहार के रूपों को सही रूप में समझ कर इनका यथास्थान समुचित उपयोग करने से ही वस्तु तत्त्व को समझा जा सकता है । वैसे तो समयसार की गाथा १४४ के अनुसार उपर्युक्त निश्चय और व्यवहार के विकल्पो से रहित स्वाश्रित, अनादि-निधन और अखण्ड स्वतः सिद्ध स्वरूप के साथ तन्मयता को प्राप्त आत्मा को विकल्पातीत स्थिति को ही समयसार के रूप में वस्तु तत्त्व समझना चाहिये ।

इस प्रकार वस्तु का व्यवहार धर्म भी जब निश्चय धर्म के समान वास्तविक ( सद्भूत ) सिद्ध हो जाता है तो इससे यह निर्णीत हो जाता है कि प० फूलचन्द्रजी ने व्यवहार के अर्थ को केवल कल्पित, मिथ्या या कथन मात्र के रूप में उपचरित मान कर जीव के साथ कर्म और नोकर्म के बद्धतारूप सयोग को जो उपचरित अर्थात् कल्पित, मिथ्या का कथन मात्र मान लिया है वह असंगत ही है । कारण कि जीव के साथ कर्म और नोकर्म का बद्धतारूप सयोग पराश्रितता के रूप में उपचरित होने पर भी सद्भूत ही है । इतना अवश्य है कि वह पराश्रित होने के कारण स्वाश्रित तादात्म्य के समान निश्चयरूप न होकर व्यवहाररूप ही है । अर्थात् प्रकृत में उपचार का अर्थ



पराश्रितता ही है कल्पित, मिथ्या या कथनमात्र रूपता उपचार का अर्थ नहीं है ।

आगे व्यवहार की हेयता और उपादेयता आदि वातो पर विचार किया जाता है । यह विचार उपर्युक्त प्रकार के निश्चय और व्यवहार धर्मों से विशिष्ट वस्तु के सम्बन्ध में आगम द्वारा अपनायी गयी द्रव्यानुयोग, करणानुयोग और चरणानुयोग की व्यवस्था के आधार पर किया जा रहा है ।

### द्रव्यानुयोग की व्यवस्था

द्रव्यानुयोग का सम्बन्ध वस्तु के द्रव्याश और पर्यायाश के रूप में निश्चय और व्यवहार धर्मों से है । अर्थात् पूर्व में बतलाया जा चुका है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उसके स्वतः सिद्ध और प्रतिनियत स्वरूप सामान्य की अपेक्षा द्रव्याश के रूप में विद्यमान त्रैकालिक ध्रुवता का नाम निश्चय है और उसमें सतत प्रवर्तमान स्वप्रत्यय व स्वपरप्रत्यय पर्यायाशों के रूप में विद्यमान उत्पाद और व्यय का नाम व्यवहार है ।

इसका फलितार्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु सर्वदा अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप को सुरक्षित रखकर अनादिकाल से स्वप्रत्ययता और स्वपरप्रत्ययता के आधार पर स्वकीय एकक्षणवर्ती और अनेकक्षणवर्ती पर्यायो के परिवर्तन के रूप में अनादिकाल से उत्पाद तथा व्यय का रूप धारण करती आ रही है और उत्पाद तथा व्यय की यह प्रक्रिया प्रत्येक वस्तु में अनन्तकाल तक चलती ही जायगी । प्रत्येक वस्तु के स्वप्रत्यय उत्पाद और व्यय का रूप पूर्व में स्वभावभूत अगुरु लघुगुण के अविभागी शक्त्यशो में षड्गुण हानिवृद्धि के रूप में बतलाया जा चुका है तथा स्वपरप्रत्यय उत्पाद और व्यय का रूप भी पूर्व में इस

प्रकार बतलाया गया है कि आकाश द्रव्य के स्वतः सिद्ध प्रतिनियत अवगाहक स्वभाव में उसके साथ सस्पृष्ट हो रहो विश्व की अन्य समस्त अवगाह्यमान वस्तुओं के अपने-अपने प्रतिनियत कारणों के आधार पर होने वाले परिणमनों के अनुसार विविध प्रकार के स्वपरप्रत्यय परिणमन ( उत्पाद और व्यय ) हो रहे हैं तथा धर्म, अधर्म और काल द्रव्यों के अपने-अपने स्वतः सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव में भी आकाश के समान ही अन्य यथायोग्य वस्तुओं के अपने-अपने प्रतिनियत कारणों के आधार पर होने वाले परिणमनों के अनुसार विविध प्रकार के स्वपरप्रत्यय परिणमन ( उत्पाद और व्यय ) हो रहे हैं । इसी प्रकार की उत्पाद और व्यय की प्रक्रिया जीवों और पुद्गलों के अपने-अपने स्वतः सिद्ध प्रतिनियत स्वभाव में भी अन्य वस्तुओं के अपने-अपने प्रतिनियत कारणों के आधार पर होने वाले परिणमनों के अनुसार विविध प्रकार के स्वपरप्रत्यय परिणमनों के रूप में चालू है । अर्थात् छद्मस्थ जीवों को पर-पदार्थों का ज्ञान करते समय कभी तो घटसापेक्ष घटज्ञान होता होता है और कभी पटसापेक्ष पटज्ञान होता है तथा जीवन्मुक्त और सर्वथामुक्त सर्वज्ञता प्राप्त जीवों को भी समस्त पदार्थ साक्षात्कार रूप बोध समस्त पदार्थसापेक्ष ही हुआ करता है । इसी प्रकार आम्रादि पुद्गल स्कन्धों में और अणुरूप पुद्गलद्रव्यों में भी रूपान्तर, रसान्तर, गन्धान्तर और स्पर्शान्तर रूप तथा पूरण-गलन स्वभाव के अनुसार उनमें अणु से स्कन्धरूप व स्कन्ध से अणुरूप परिणमन (उत्पाद और व्यय) स्वपरप्रत्ययरूप में ही होते रहते हैं ।

इस प्रकार अशुद्ध (परस्परवद्ध) और शुद्ध (पृथक्-पृथक् रूप में विद्यमान) वस्तुओं में सतत प्रवर्तमान स्वभावभूत

स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय परिणमन ( उत्पाद और व्यय ) भेदाश्रित अथवा पराश्रित होने के कारण व्यवहार कोटि में तो समाविष्ट होते हैं फिर भी वे काल्पनिक, मिथ्या या कथन मात्र नहीं हैं किन्तु सद्भूत ही हैं । प्रत्येक शुद्ध ( पृथक्-पृथक् रूप में विद्यमान ) और अशुद्ध ( परस्परबद्ध ) वस्तु के ऐसे सभी व्यवहाररूप परिणमन ( उत्पाद और व्यय ) न तो हेय हैं और न ये नष्ट ही होते हैं । अर्थात् प्रत्येक वस्तु में अनादिकाल से होते आ रहे हैं और अनन्तकाल तक होते जावेंगे । क्योंकि ये नष्ट हो जावें तो वस्तु का ही लोप हो जायगा ।

इस सम्बन्ध में एक तर्क यह भी है कि अशुद्ध अर्थात् पीद्गलिक कर्म तथा नोकर्म के साथ बद्धछद्मस्थ संसारी जीवों के स्वभावभूत ज्ञान और दर्शन में विकास की अल्पता और परावलम्बनता पायी जाने पर भी उनमें से जो जीव जब एकादश या द्वादश गुणस्थान में पहुँच कर ज्ञाता-दृष्टामात्र बने रहने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं तब उनमें नवीन कर्मों के स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध न होने का जो विधान आगम में है उसका आशय यही है कि देखने और जानने रूप परिणमन अल्पविकास और परावलम्बन की दशा में भी जीव के स्वभावभूत परिणमन होने के कारण उसके लिये उक्त बन्धों के कारण नहीं होते हैं । उस तरह केवल मन, वचन और कायरूप नोकर्म तथा मिथ्यात्व, अविरति और कषाय से यथासम्भव आवृत्त प्रथम गुणस्थान से दशम गुणस्थान तक के जीवों का योगात्मक प्रवर्तन और उपयोग की कल्पना—ये ही यथायोग्य कर्मों के प्रकृति बन्ध, और प्रदेशबन्ध तथा स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध के कारण होते हैं व एकादश द्वादश और त्रयोदश गुणस्थानों में जीवों का केवल योगात्मक प्रवर्तन ही मात्र प्रकृतिबन्ध और

प्रदेशबन्ध का कारण होता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वभावभूत व्यवहार न तो कभी छूटता ही है और न उसके छोड़ने की आवश्यकता ही है।

### करणानुयोग की व्यवस्था

करणानुयोग का सम्बन्ध पुद्गल के साथ बद्धजीव के यथायोग्य परिणमनो के निमित्त से होने वाली पुद्गल की कर्म रूप और नोकर्मरूप अवस्थाओं से तथा जीव के साथ बद्धपुद्गल की कर्म और नोकर्मरूप अवस्थाओं के निमित्त से होने वाले जीव की रागादिरूप अवस्थाओं से है। जीव और पुद्गल की अन्य अवस्थाओं से करणानुयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है और न आकाश, घर्म, अधर्म तथा कालद्रव्यो से ही इसका कोई सम्बन्ध है। चूँकि पुद्गलद्रव्य अचेतन होने के कारण अपनी उक्त बद्धदशा और उससे होने वाली कर्म तथा नोकर्मरूप अवस्थाओं का वेदन नहीं कर सकता है अतः उसकी वह बद्धदशा का चिन्ता का विषय नहीं है, परन्तु जीव चेतन होने के कारण अपनी उक्त बद्धदशा और उससे होने वाली रागादि-रूप अवस्थाओं का सतत वेदन किया करता है तथा इस वेदन के आधार पर वह कदाचित् सुखी और कदाचित् दुःखी भी होता रहता है अतः उसकी उक्त बद्धदशा चिन्ता का विषय है।

जीव की पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्मों और शरीरादि नोकर्मों के साथ विद्यमान बद्धता का नाम ससार है और उससे जीव का छुटकारा पा जाना मोक्ष है। इनमें से ससार निश्चय और व्यवहार के विकल्पों में से व्यवहार कोटि में समाविष्ट होता है क्योंकि इसमें विद्यमान जीव अपने अस्तित्व को कर्मों तथा नोकर्मों से पृथक् रूप में (अबद्धरूप में) नहीं रख पा रहा

है। इसके विपरीत मोक्ष निश्चय और व्यवहार के विकल्पो में से निश्चय की कोटि में समाविष्ट होता है क्योंकि इसमें विद्यमान जीव अपने अस्तित्व को कर्मों तथा नोकर्मों से सर्वथा पृथक् कर लेता है। इस तरह ससाररूप व्यवहार और मोक्षरूप निश्चय इन दोनों में से ससाररूप व्यवहार सर्वथा हेय है और मोक्षरूप निश्चय सर्वथा उपादेय है। जितना भी द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोगरूप जैनागम है वह सब ससाररूप व्यवहार की हेयता और मोक्षरूप निश्चय की उपादेयता के आधार पर ही निर्मित किया गया है। अर्थात् ससार क्या है? उसके कारण क्या है? और उसकी हेयता क्यों है? इसी तरह मोक्ष क्या है? उसके कारण क्या है? और उसकी उपादेयता क्यों है? इत्यादि आत्म सम्बन्धी बातों को ध्यान में रखकर ही द्रव्यानुयोग आदि उक्त प्रकार के आगम की रचना की गयी है। इतना ही नहीं, यहाँ तक समझना चाहिये कि आगम वही है जिसका सम्बन्ध ससार की हेयता और मोक्ष की उपादेयता से है। इसके विपरीत अर्थात् प्राणियों की अनर्थकारी प्रवृत्ति को पुष्ट करने वाला जितना भी आगम है वह सब आगम न होकर आगमाभास ही है।

यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जीव का उक्त बद्धतारूप ससार जिसे व्यवहार कोटि में समाविष्ट किया गया है—व्यवहार के रूप में उपचरित होकर भी कल्पित नहीं है जैसा कि प० फूलचन्द्र जी मानते हैं किन्तु सद्भूत ही है। केवल पराश्रित है इसलिए उपचरित है। यही कारण है कि जिस प्रकार ऐजन् के चलने पर उसके साथ सद्भूत सयोग को प्राप्त रेलगाड़ी के डब्बे उस ऐजन् के साथ ही चल पड़ते हैं और उसमें बैठे हुए व्यक्ति नहीं चलते हुए भी यथास्थान पहुँच जाते हैं उसी प्रकार कर्म-नोकर्म

के साथ सद्भूत बद्धतारूप मयोग को प्राप्त जीव भी अपने विविध प्रकार के परिणामन किया करते हैं। इसी तरह शरीर के साथ सद्भूतबद्धता मयोग की प्राप्त जीव शरीर में होने वाली विह्वलति के आधार पर गुण व दुःख का संवेदन किया करते हैं। यथा तक कि शीतलानु में ठण्डी वायु अथवा ठण्डे जल का शरीर के साथ सम्पर्क होने पर जीव को दुःख का संवेदन जग्निये हुआ करता है कि जीव का शरीर के साथ और शरीर का उक्त वायु या जल के साथ विद्यमान यथायोग्य बद्धता या स्पृष्टता रूप मयोग वास्तविक (सद्भूत) है। ऐसे ही शीतलानु में ठण्डी वायु या ठण्डे जल का शरीर के साथ सम्पर्क होने पर जीव को जो गुण का संवेदन हुआ करता है वह इसलिये हुआ करता है कि जीव का शरीर के साथ और शरीर का उक्त वायु या जल के साथ विद्यमान यथायोग्य बद्धता या स्पृष्टतारूप मयोग वास्तविक (सद्भूत) है। इसी तरह पौद्गलिक स्पर्शन, स्पर्श, नासिका, नेत्र और कर्ण इन पांच उन्द्रियो तथा पौद्गलिक हृदय और मस्तिष्क के साथ विद्यमान जीव का बद्धतारूप मयोग नूक्ति वास्तविक (सद्भूत) है इसलिये ही जीव इन उन्द्रियादिक के सहयोग में ज्ञेयभूत पदार्थों का ज्ञान किया करता है। और तो क्या ? अपना पृथक् अस्तित्व रखने वाले चग्मा और कर्णयन दोनों क्रमशः नेत्र और कर्ण के साथ वास्तविक (सद्भूत) प्रत्यासक्ति को प्राप्त होकर ही जीव के पदार्थज्ञान में विद्येपता पैदा कर दिया करते हैं। बद्धतारूप मयोग की वास्तविकता के सबब ही वचन (मुख) के सहयोग से जीव का बोलने रूप व्यापार देखा जाता है जिसके निमित्त से पौद्गलिक-भाषावर्गणा शब्दरूप परिणत हुआ करती है और गले की वनावट के अनुसार आवाज में सुरीलापन अथवा वकंशपन भी उक्त बद्धतारूप मयोग की वास्तविकता के सबब ही देखने में

आते हैं। हृदय के साथ विद्यमान बद्धतारूप सयोग की वास्तविकता के सबब ही जीव की राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अनुचित तथा दया, धृति, सतोष, सहृदयता, मृदुता, सरलता आदि उचित परिणतियां बुद्धिपूर्वक हुआ करती हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क के साथ विद्यमान बद्धतारूप सयोग की वास्तविकता के सबब ही जीव का ज्ञान स्वभाव स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और श्रुत का रूप धारण किया करता है। बद्धतारूप सयोग की वास्तविकता के सबब ही ज्ञानावरण कर्मजीव के ज्ञान को आवृत किये हुए है। इतना अवश्य है कि ज्ञानावरण कर्म का सभी छद्मस्थ जीवों में उदयरूप से सद्भाव न होकर सततक्षयोपगमरूप से ही सद्भाव रहता है फिर भी क्षयोपशम की तरतमता के आधार पर ही उन जीवों में ज्ञान के विकास की तरतमता पायी जाती है। इसी प्रकार छद्मस्थों के ज्ञान में जो इन्द्रियादिक को तरतमरूप सहायता अपेक्षित रहा करती है वह चौर्यान्तराय कर्म के तरतमरूप क्षयोपशम का ही परिणाम है। ज्ञान जैसी व्यवस्था दर्शनावरणकर्म के क्षयोपशम की तरतमता के आधार पर जीव के दर्शन गुण की समझ लेना चाहिये और ऐसी ही व्यवस्था वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा शेष अन्तराय कर्मों की यथायोग्य उदयादि अवस्थाओं के आधार पर जीव की विविध परिणतियों की प्रादुर्भूति के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये।

वास्तव में आगम की यह स्पष्ट घोषणा है कि कर्म और नोकर्म के साथ विद्यमान बद्धतारूप सयोग की वास्तविकता के सबब ही जीव, देव, नारकी, मनुष्य और तिर्यच तथा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, सञ्जी, असञ्जी, वादर,





को वे जो कल्पित, असत्य या कथनमात्र मानते है वह अयुक्त और आगम विरुद्ध ही है। जीव की ससारावस्था और पुद्गल की कर्म व नोकर्मरूप अवस्था की वे जो निमित्त की अपेक्षा के बिना ही अपने आप उत्पत्ति स्वीकार करते है इसका खण्डन विस्तार से किया ही जा चुका है तथा आगे भी किया जायगा। इतना अवश्य है कि वह बद्धता जीव और पुद्गल दो द्रव्यों के आश्रित होने से व्यवहार कोटि में ही समाविष्ट होती है निश्चय कोटि में नहीं।

जीव की कर्म तथा नोकर्म के साथ और पुद्गल कर्म व नोकर्म की जीव के साथ होने वाली उक्त बद्धता परस्पर की निमित्तता के आधार पर अनादि काल से चली आ रही है और जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है कि इसी का नाम ससार है तथा इसकी समाप्ति अर्थात् जीव तथा कर्म व नोकर्म का सर्वथा पृथक्-पृथक् हो जाने का नाम मुक्ति है। इस तरह जीव की यह सब ससाररूप अवस्था हेय है फिर भी इसमें इतनी विशेषता समझ लेनी चाहिये कि जीव तथा नोकर्मों की बद्धता जीव तथा अघाती कर्मों की बद्धता के समाप्त हो जाने पर अपने आप समाप्त हो जाती है इसे समाप्त करने के लिए जीव को पुरुषार्थ नहीं करना पडता है। लेकिन जीव तथा अघाती कर्मों की बद्धता को समाप्त करने के लिए जीव व्युपरत-क्रियानिर्वर्तिध्यान रूप पुरुषार्थ का सहारा लेता है।

जीव की मोह कर्म के उदय में मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्ररूप औदयिक परिणत हुआ करती है व यथायोग्य मोहनीय कर्म के क्षयोपशम में क्षयोपशमिक सम्यग्दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक् चारित्ररूप, उपशम में

औपशमिक सम्यग्दर्शन और औपशमिक सम्यक् चारित्ररूप तथा क्षय मे क्षायिक सम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यक् चारित्ररूप परिणतियाँ हुआ करती हैं। यहाँ इतना और जानना चाहिये कि यद्यपि ज्ञान का विकास ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से यथा-सम्भव मे अनादि काल से सभी जीवो मे पाया जाता है परन्तु इसमे दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्यापन और उसके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से सम्यक्पन हुआ करता है। सामान्यरूप से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यान्तराय कर्मों के क्षयोपशम से क्रमशः क्षायोपशमिक ज्ञान, क्षायोपशमिक दर्शन और क्षायोपशमिक वीर्य रूप जीव की परिणतियाँ हुआ करती हैं तथा इनके क्षय मे - क्षायिक ज्ञान, क्षायिक- दर्शन और क्षायिक वीर्य रूप परिणतियाँ जीव की हुआ करती है। जीव को ऐसी ही परिणतियाँ अन्तराय कर्म के भेद दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय कर्मों के क्षयो-पशम से व क्षय से भी हुआ करती हैं और इनके अतिरिक्त आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों के उदय मे औदयिक रूप व क्षय मे क्षायिकरूप परिणतिया भी जीव की हुआ करती हैं। विशेष रूप से अवधिज्ञानावरण, मन पर्ययज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्मों के उदय मे औदयिक अज्ञान रूप तथा अवधिदर्शनावरण और केवल दर्शनावरण कर्मों के उदय मे औदयिक अदर्शन रूप परिणतिया भी जीव की हुआ करती हैं।

जीव की ये सभी औदयिक, क्षायोपशमिक, औपशमिक क्षायिक परिणतियाँ चूँकि उस-उस कर्म के यथायोग्य उदय, क्षयोपशम, उपशम अथवा क्षय की अपेक्षा, रखती है अतः समान रूप से व्यवहार क्रीटि मे समाविष्ट होती है। लेकिन इनमे से औदयिक परिणतियाँ ससार की कारण यः जीव के

ससार रूप होने के कारण सर्वथा हेय है, औपशमिक और क्षायोपशमिक परिणतियाँ यथासम्भव मोक्ष की कारण होने से यद्यपि उपादेय है, परन्तु ये परिणतियाँ छूट जाती हैं। इस तरह केवल क्षायिक परिणतिया ही ऐसी परिणतियाँ हैं जो उपादेय भी हैं और एक बार होने के पश्चात् फिर कभी छूटती भी नहीं हैं।

### चरणानुयोग की व्यवस्था

चरणानुयोग का सम्बन्ध जीव के दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप पुरुषार्थ से है। जीव का यह पुरुषार्थ मोहनीय कर्म के उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के आधार पर ही हुआ करता है। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है।

जीव अनादिकाल से तो मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होता हुआ अपना पुरुषार्थ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप ही करता आ रहा है और इस पुरुषार्थ के आधार पर वह अनादिकाल से ही सतत ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय—इन आठ कर्मों से बद्ध होता आ रहा है जिसका परिणाम जीव को ससार भ्रमण के रूप में प्राप्त हो रहा है।

जीव का उक्त आठ कर्मों के साथ जो बन्ध होता है वह प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध के रूप में चार प्रकार का है। इनमें से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध तो नोकर्मवर्गणा के भेद मनोवर्गणा, वचनवर्गणा और कायवर्गणा के निमित्त (सहयोग) से होने वाली जीव के प्रदेशों की हलन-चलनरूप क्रिया—जिसे आगम में योग नाम से पुकारा गया

हे—के निमित्त ( सहयोग ) से होते हैं और चकि इन प्रकार के योग का सद्भाव जीव में प्रथम गुणस्थान में लेकर त्रयोदश गुणस्थान तक रहा करता है अतः इन गुणस्थानों में विद्यमान जीव सतत यथायोग्य पाप कर्मों या पुण्य कर्मों से प्रभावित योगों की अशुभरूपता या शुभरूपता की तरतमता के आधार पर उक्त कर्म प्रकृतियों में से यथासम्भव कर्म प्रकृतियों के प्रकृतिवन्ध और प्रदेशवन्ध किया करता है। इन दोनों प्रकार के वन्धों के अतिरिक्त वही जीव उक्त कर्म प्रकृतियों के जो स्थितिबन्ध और अनुभागवन्ध किया करता है वे स्थितिबन्ध और अनुभागवन्ध मोहनीय कर्म के यथायोग्य उदय के आधार पर जीव के स्वभावभूत दर्शन, ज्ञान और चरित्र को मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप परिणतियों के सहयोग से ही होते हैं। इस प्रकार मोहनीय कर्म के तरतमरूप प्रभाव के आधार पर यथासम्भव जिन-जिस गुणस्थान में जिन-जिन रूप में जीव का पुरुषार्थ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप हुआ करता है उसके अनुसार वह जीव उक्त प्रकार प्रकृति और प्रदेशरूप से बद्धज्ञानावरणादि कर्मों के स्थितिबन्ध और अनुभागवन्ध किया करता है। चकि मोहनीय कर्म का उदय जीव में यथासम्भव रूप में दशम गुणस्थान तक ही रहा करता है अतः कर्मों के उक्त स्थितिबन्ध और अनुभागवन्ध भी जीव में यथासम्भव रूप में दशम गुणस्थान तक ही हुआ करते हैं। इन सब बातों का विवेचन कर्म ग्रन्थों में विस्तार के साथ किया गया है।

जिस प्रकार मोहनीय कर्म के उदय के आधार पर जीव के स्वभावभूत दर्शन, ज्ञान और चरित्र की मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूप परिणति हुआ करती है

उसो प्रकार उसके ( मोहनीय कर्म के ) उपशम, क्षय और क्षयोपगम के आधार पर जीव के स्वभावभूत उक्त दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चरित्ररूप भी परिणति हुआ करती है। लेकिन यहा इतना ध्यान रखना चाहिये कि मोहनीय कर्म का उदय जिस प्रकार कर्मों के स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध मे कारण होता है उस प्रकार मोहनीय कर्म के क्षयोपशम मे रहने वाला उसके (मोहनीय कर्म के) अश का उदय तो उक्त कर्मों के स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध मे कारण होता है परन्तु मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय या मोहनीय कर्म के क्षयोपशम मे रहने वाला उसके ( मोहनीय कर्म के ) अश का अनुदय ( वर्तमान काल मे उदय आने योग्य अशो का उदयाभावी क्षय तथा आगामी काल मे उदय आने योग्य अशो का सदवस्थारूप उपशम ) उक्त स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध का कारण नही होता है।

इस विषय का विशेष विवरण इस प्रकार है कि जीव मे स्वभावरूप से दो प्रकार की शक्तिया अनादिकाल से विद्यमान रही है और अनन्तकाल तक विद्यमान रहेगी। उनमे एक तो भाववती शक्ति है और दूसरी क्रियावती शक्ति है।

उक्त दोनो प्रकार की शक्तियो मे से भाववती शक्ति के रूप तीन हैं एक दर्शन, दूसरा ज्ञान और तीसरा वीर्य तथा इन तीनों मे से दर्शनशक्ति को दर्शनावरण कर्म अनादिकाल से आवृत किये हुए है, ज्ञानशक्ति को ज्ञानावरण कर्म अनादिकाल से आवृत किये हुए है और वीर्यशक्ति को वीर्यान्तराय कर्म अनादिकाल से आवृत किये हुए है। इतना अवश्य है कि उक्त दर्शनावरण, ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्मों का जोव मे

अनादिकाल से ही समान क्षयोपशम रहता आया है इसलिये जोव मे इन शक्तियो का यथायोग्यरूप मे अनादिकाल से ही समान विकास रहता आया है । विकास को प्राप्त इन तीनों शक्तियो मे से ज्ञानशक्ति का जितना विकसित उपयुक्ताकाररूप अनादिकाल से जीव मे रहता आया है उसे दर्शन मोहनीय कर्म का उदय अनादिकाल से ही विकृत बनाये हुए चला आ रहा है जिसका परिणाम यह हुआ है कि विकास को प्राप्त उपयुक्ताकाररूप वह ज्ञानशक्ति मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान का रूप धारण किये हुए अनादिकाल मे हो रहती आयी है ।

भाववती शक्ति की तरह जीव की क्रियावती शक्ति भी अनादिकाल से यथासम्भव पौद्गलिक मन, वचन और काय की अधीनता मे क्रियाशील रहती आयी है ओर उमकी ( क्रियावती शक्ति की ) वह क्रिया भी अनादिकाल से चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होकर मिथ्याचारित्र का रूप धारण किये हुए रहती आयी है ।

तात्पर्य यह है कि जीव को यथायोग्य विकास को प्राप्त उपयुक्तकार ज्ञानरूप भाववती शक्ति तो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होकर अनादिकाल से मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान का रूप धारण किये हुए है और उसकी (जीव की) यथासम्भव मन, वचन तथा काय की अधीनता मे क्रियाशील होती हुई क्रियावती शक्ति भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होकर अनादिकाल से मिथ्याचारित्र का रूप धारण किये हुए है ।

जैन सिद्धान्त मे इसमे आगे की व्यवस्था यह है कि जिस जीव मे दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय अथवा

क्षयोपशम हो जाता है उस जीव की विकास को प्राप्त वह उपयुक्ताकार ज्ञानरूप भाववती शक्ति तो सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानरूप परिणत हो जाती है तथा साथ ही मन, वचन और काय की अधीनता में क्रियाशील होती हुई वह क्रियावती-शक्ति भी—जैसा-जैसा चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का यथा-योग्य रूप में अभाव होता जाता है—वैसी-वैसी निवृत्यश के रूप में सम्यक् चारित्र रूप परिणत होती जाती है।

इससे यह निर्णीत होता है कि जीव की विकास को प्राप्त उपयुक्ताकार ज्ञानरूप भाववती शक्ति का तो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानरूप व उसी दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम में सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूप परिणमन होता है तथा जीव की मन, वचन और काय की अधीनता में क्रियाशील होती हुई क्रियावतीशक्ति का चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में मिथ्याचारित्ररूप और उसी चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम में निवृत्यश के रूप में सम्यक् चारित्ररूप परिणमन होता है।

यद्यपि जीव की क्रियावती शक्ति की क्रियाशीलता स्वभावत ऊर्ध्वगमन के रूप में होना चाहिये परन्तु जीव जब तक ससारी बना हुआ है तब तक उसकी वह क्रियावतीशक्ति यथासम्भव मन, वचन और काय की अधीनता में ही क्रियाशील हो रही है।

जीव की क्रियावती शक्ति मन, वचन और काय की अधीनता में जो क्रियाशील हो रही है उसका नाम आगम में 'योग' कहा गया है। अर्थात् आगम में यह स्पष्ट वतलाया गया है कि मन, वचन और काय के सहयोग से आत्मप्रदेशों में जो

हलन-चलन क्रिया होती है उसका नाम योग है। यह दो प्रकार का होता है—एक शुभरूप और दूसरा अशुभरूप। योग की शुभता का कारण पापकर्मों का मन्दोदय और पुण्यकर्मों का तीव्रोदय तथा यथायोग्य कर्मों का उपशम, क्षय और क्षयोपशम है व योग की अशुभता का कारण पापकर्मों का तीव्रोदय और पुण्यकर्मों का मन्दोदय तथा यथायोग्य कर्मों का मन्द क्षयोपशम है।

जीव की क्रियावती शक्ति का मन, वचन और काय के आधार पर जो उपर्युक्त प्रकार के योग के रूप में परिणमन होता है वह योग ही वास्तव में कर्मबन्ध का कारण होता है लेकिन इसमें इतनी विशेषता है कि वह योग जब तक मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित (अनुरजित) रहता है तब तक तो जीव के साथ कर्मों का बन्ध प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग के रूप में चार प्रकार का होता है और जब योग में मोहनीय कर्म का अनुरजन समाप्त हो जाता है तब स्थितिवन्ध और अनुभागवन्ध समाप्त हो जाते हैं तथा सामान्य योग के आधार पर केवल प्रकृतिवन्ध और प्रदेशबन्ध ही हुआ करते हैं। इसी प्रकार जब योग का ही सर्वथा अभाव हो जाता है तब कर्मबन्ध का सर्वथा अभाव हो जाता है।

इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि जीव की विकास को प्राप्त उपयुक्ताकार ज्ञानरूप भाववती शक्ति की दशनमोह-कर्माधीनता के साथ योगरूप परिणत क्रियावती शक्ति को चारित्र्यमोहकर्माधीनता का जब तक सम्बन्ध रहता है तब तक तथा उनके क्रमशः होने वाले अभाव में कर्मबन्ध का रूप भिन्न-भिन्न प्रकार का ही होता है जिसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है।



सर्वप्रथम तो दर्शनमोहनीय कर्म के भेद मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति के अपने-अपने समय में होने वाले उदय में ही कर्मबन्ध का रूप पृथक्-पृथक् होता है। अर्थात् मिथ्यात्व कर्म के उदय के साथ नियम से अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय रहता है लेकिन सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति के अपने-अपने उदय के साथ अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय का नियम से अभाव रहता है इससे एक बात तो यह सिद्ध होती है कि जीव की ज्ञान शक्ति का प्रभाव उसकी क्रिया शक्ति पर पड़ता है और दूसरी यह बात सिद्ध होती है कि मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति की ज्ञान को विकृत करने की शक्ति में हीनाधिक रूप से तरतमता पायी जाती है। इस तरह मिथ्यात्व कर्म के उदय के साथ जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय रहता है उस समय के बन्ध में व सम्यग्मिथ्यात्व अथवा सम्यक् प्रकृति का उदय रहते हुए जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ के उदय का अभाव रहता है उस समय के बन्ध में अन्तर हो जाता है। इसी तरह मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व व सम्यक् प्रकृति के उदय का अभाव रहते हुए जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ के उदय का सद्भाव रहता है उस समय के बन्ध में भी अन्तर हो जाता है और इसी तरह दर्शन मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति—ये तीन तथा चारित्रमोहनीय कर्म की अनन्तानुबन्धी कषाय के भेद क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार इस—तरह सात प्रकृतियों के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के साथ अप्रत्यानावरणादि कषाय प्रकृतियों के उदय में जो बन्ध होता है उसमें भी अन्तर हो जाता है तथा आगे भी जैसा-जैसा अप्रत्याख्यावरण व

उसके आगे प्रत्याख्यानवरण कषायो का अनुदय होता जाता है वैसे-वैसे बन्ध मे भी अन्तर होता जाता है और अन्त मे जव सज्वलन की अनुभाग शक्ति मे कमी होते-होते अप्रत्याख्यानावरणादि सभी कषायो व नवनोकषायो का सर्वथा अभाव हो जाता है तो स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध दोनो ही समाप्त हो जाते है केवल योगस्थिति के आधार पर प्रकृति बन्ध और प्रदेश बन्ध ही हुआ करते हैं ।

ऊपर के कथन से यह भी सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण मोह कर्म के उदय मे जीव की क्रियावती शक्ति की जैसी क्रियाशीलता अर्थात् योग स्थिति रहती है वैसी दर्शनमोहनीय कर्म का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाने पर नही रहती है । इसो तरह आगे जैसी-जैसी चारित्र मोहनीय कर्म की शक्ति भी क्षीण होती जाती है वैसा-वैसा योगस्थिति मे भी परिवर्तन होता जाता है । इस तरह योगस्थिति मे परिवर्तन होते जाने से किस गुणस्थान मे किन-किन कर्मो का और उन कर्मो को किन-किन प्रकृतियो का बन्ध होता है—इसका भी नियमन हो जाता है । कर्म ग्रन्थो मे इस विषय का भी विस्तार से विवेचन पाया जाता है ।

इस प्रकार एक ओर तो दर्शनमोहनीय कर्म के आधार पर जीव का ज्ञान अनादि काल से विकृत होकर मिथ्यादर्शन व मिथ्याज्ञान रूप परिणत हो रहा है तथा दूसरी ओर दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के आधार पर जीव की क्रियावती शक्ति का योगात्मक परिणमन भी मिथ्याचारित्र रूप परिणत हो रहा है । लेकिन जिस जीव मे दर्शन मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व

और सम्यक् प्रकृति नाम की तीन व चारित्र्य मोहनीय कर्म की अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभरूप चार इन सात प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाता है उस जीव को सर्व प्रथम तत्त्वार्थ श्रद्धान रूप व्यवहार सम्यग्दर्शन और आगम ज्ञानरूप व्यवहार सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि साथ-साथ-साथ होती है और इसके पश्चात् आत्मतत्त्व के प्रति अपनत्व रूप निश्चय सम्यग्दर्शन व आत्मज्ञान रूप निश्चय सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि भी उस जीव को साथ-साथ होती है । यहाँ यह बात स्पष्ट करने की है कि जीव में आगमज्ञान और आत्मज्ञान तो सम्यग्दर्शन होने से पूर्व ही रहा करते हैं अन्यथा उसे सम्यादर्शन की उपलब्धि होना असंभव हो जायगा । अतः जीव को सम्यग्दर्शन के साथ में ही जो सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि होना आगम में बतलाया गया है उसका आशय यह है कि सम्यग्दर्शन होने पर ही जीव का आगमज्ञान व आत्मज्ञान सम्यक्पन का रूप धारण करता है इसके पूर्व नहीं ।

जीव को जब उक्त प्रकार के सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है तब अनन्तानुबन्धी कषाय का अभाव हो जाने से उसके साथ ही उस जीव की वृत्ति और प्रवृत्ति में हिंसादि पाँचों पापों की सकृत्परता समाप्त हो जाने पर अन्याय, अत्याचार, उच्छृङ्खलता, स्वार्थपरता और आसक्ति आदि दोषों का रूप समाप्त होकर न्याय, सदाचार, समता, परोपकार और अनासक्ति आदि सद्गुणों के रूप का प्रादुर्भाव हो जाता है । इस तरह तब उसकी प्रवृत्तियों में जो हिंसादि पापों की पुट दिखाई देती है उसका कारण उसकी जीवन सम्बन्धी अणक्ति पर आधारित आवश्यकता ही हुआ करता है । अर्थात् वह जीव यद्यपि हिंसादि पापों से छुटकारा नहीं पा पाता है

फिर भी उसकी वे हिंसादि पाप प्रवृत्तियाँ इसदत्तन ( सकल्प पूर्वक ) न होकर मजबूरीवश ही हुआ करती हैं । जैनागम मे हिंसादि पाँचो पापो'को जो सकल्पी और आरम्भी—ऐसे दो-दो भेदो मे विभक्त किया गया है वह इसी अभिप्राय से किया गया है ।

इस तरह जीवन की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए अशक्तिवश हिंसादि आरम्भी पापो को करता हुआ भी वह जीव पुण्य कर्मों के उदयानुसार देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप और दानरूप पुण्याचरण के भी कार्य किया करता है जिनके बल पर वह आगे चल कर क्रमशः अप्रत्याख्यानानावरण और प्रत्याख्यानानावरण कपायो का अनुदय ( उदयाभाव अर्थात् इनके वर्तमान मे उदय आने योग्य निषेको का उदयाभावो क्षय और आगामी काल मे उदय आने योग्य निषेको का सदवस्थारूप उपशम ) करता हुआ व इसके भी आगे सज्वलन कपाय के तीव्र अनुभाग को उत्तरोत्तर कृश करता हुआ अन्त मे उक्त अप्रत्याख्यानानावरणादि सभी कपायो और नव नोकपाओ का उपशम अथवा क्षय करने मे समर्थ हो जाता है ।

इसमे समझने की बात यह है कि प्रत्येक जीव की अनादि काल से ज्ञान रूप से विकसित उपयुक्ताकार रूप भाववती शक्ति का जो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के आधार पर मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञान रूप परिणमन हो रहा है तथा योगस्थिति को प्राप्त क्रियावती शक्ति का जो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के आधार पर मिथ्याचारित्र रूप परिणमन हो रहा है यही उसके (जीवके) लिए ससार का कारण बन रहा है । लेकिन जिस जीव मे थाक्रम से उक्त दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय

कर्म का उदय समाप्त हो जाता है अर्थात् यथाक्रम से दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय कर्मों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाता है उस जीव को ज्ञान रूप भाववती शक्ति का उगबृत्ताकाररूप परिणमन तो दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होने पर सम्प्रदर्शन और सम्यग्ज्ञानरूप होने लगता है व योगस्थिति को प्राप्त क्रियावती शक्ति का निवृत्त्यश के रूप में परिणमन चारित्र्य मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के आधार पर सम्यक् चारित्र्यरूप होने लगता है जो उस जीव के लिये मोक्ष का कारण होता है। उनका (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य का) विकास श्रम निम्न प्रकार है।

अनादिकाल से मोहनीय कर्म के उदय के अधीन होकर मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यरूप सप्तास मार्ग में प्रवृत्त जीव मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होने के लिये प्रथमतः गृहस्थ के छह आवश्यक कृत्य, देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सवम, तप और शन रूप पुरुषाचरण को करता हुआ दर्शन मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति रूप तीन तथा चारित्र्य मोहनीय कर्म की अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार—इन सात प्रकृतियों का क्षयोपशमनलब्धि, विद्वित्तलब्धि, देवनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि और करणलब्धि—इन पाँच लब्धियों के आधार पर यथायोग्य प्रकार उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम करके पूर्वोक्त प्रकार व्यवहार और निश्चय रूप में सम्यग्दृष्टि और सम्यग्ज्ञानी बन कर पहले तो हिंसादि पापों को छोड़ने का लक्ष्य रूपता को समाप्त कर उन पापों को केवल प्रारम्भी रूपता में परिणत करता है ज पश्चात् पूर्वोक्त

देवपूजा आदि पुण्याचरणरूप कार्यों के बल पर ही अप्रत्या-  
 ख्यानावरणादि कषायों की उदयस्थिति को समाप्त करने के  
 साधन उपलब्ध करके उन कषायों का क्रमशः अनुदय  
 (उदयाभाव) करता हुआ उक्त आरम्भी पापों का धीरे-धीरे त्याग  
 कर वह यथायोग्यरूप में अगुन्नत, महान्नत आदि व्यवहारचारित्र्य  
 की ओर बढ़ने लगता है साथ ही उसमें पुण्याचरण की विशदता  
 भी आती जाती है और इस तरह आरम्भी पापों के त्याग में  
 वृद्धि करता हुआ वह जीव समस्त बाह्य प्रवृत्तियों से द्युत्कारा  
 पाकर धर्म ध्यान में स्थित होकर सज्वलन कषाय की तीव्र  
 अनुभाग शक्ति को कृश करके क्रमशः अधकरण, अपूर्वकरण  
 और अनिवृत्तिकरण परिणामों को धारण करता हुआ अन्त में  
 उक्त सम्पूर्ण कषायों का व नव नोकषायों का उपशम या क्षय  
 करके औपशमिक या क्षायिक रूप में यथाख्यात चारित्र्य का  
 धारक निश्चय सम्यक् चारित्री हो जाता है ।

इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सकल्पी पापों  
 का त्याग हो जाने के पश्चात् जीव द्वारा आरम्भी पापों के  
 त्याग की प्रक्रिया को अपना लिया जाना ही यथायोग्य अगुन्नत,  
 महान्नत आदि व्यवहार आदि सम्यक्चारित्र्य का रूप है और  
 चकि आरम्भी पापों के त्याग की इस प्रक्रिया के आधार पर ही  
 जीव समस्त आरम्भी पापों का त्याग हो जाने पर अन्त में  
 आत्मलीनता रूप निश्चय चारित्र्य की प्राप्ति करने में समर्थ होता  
 है अन्यथा नहीं, अतएव इसे आगम में निश्चय सम्यक् चारित्र्य  
 का कारण बतलाया गया है । इस तरह जो व्यक्ति उक्त  
 अगुन्नत, महान्नत आदि रूप व्यवहार सम्यक् चारित्र्य को  
 पुण्याचरण का रूप देकर ससार का कारण मानते हुए उसमें

मोक्षमार्गता का निषेध करते हैं व इस तरह मोक्षमार्ग में उसको महत्ता को कम कर देना चाहते हैं वे भ्रम में है क्योंकि उपर्युक्त संकल्पी पापो को समाप्त करने के पश्चात् पूर्वोक्त ङग से समस्त आरम्भी पापो की समाप्ति करने रूप पुरुषार्थ का नाम ही व्यवहारचारित्र सिद्ध होता है। इससे दूसरी यह बात सिद्ध होती है कि जो व्यक्ति उपर्युक्त प्रकार के व्यवहार सम्यक् चारित्र को अपनाने के विना ही निश्चय सम्यक् चारित्र को प्राप्त करने के स्वप्न देखते हैं वे भी भ्रमरूपी पिशाच से अभिभूत हो रहे हैं कारण कि मन, वचन और काय की एकता (समन्वय) पूर्वक सकल्पी पापो का त्याग हो जाने अर्थात् जीव के इस तरह सम्यग्दृष्टि और सम्यग्ज्ञानी बन जाने के अनन्तर जब तक उसमें (जीव में) मन, वचन और काय की एकता (समन्वय) पूर्वक ही आरम्भी पापो के त्याग रूप व्यवहार सम्यक् चारित्र पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक उसको (जीव को) पूर्वोक्त आत्मलीनतारूप निश्चय सम्यक्चारित्र की प्राप्ति असम्भव है।

माना कि मिथ्यादृष्टि जीव भी मन, वचन और काय की एकता (समन्वय) पूर्वक आरम्भी पापो का त्यागी होकर वाह्य (द्रव्य) रूप में निर्दोष अणुव्रतो और महाव्रतो बन जाता है क्योंकि अभव्य जो नवमग्रवेयक तक पहुँचता है उसका कारण उक्त प्रकार निर्दोष महाव्रतो का पालन करना ही है। परन्तु वहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि मिथ्यादृष्टि जीव जो अणुव्रतो या महाव्रतो का उक्त प्रकार निर्दोष पालन करता है यह सब वह मोहनीय कर्म के मन्दोदय और पुण्यकर्मों के तीव्रोदय के आधार पर सासारिक अभ्युदय की प्राप्ति के लिये ही करता है अतः सांकेतिक पापो का त्याग न होने के कारण

उसका वह आरम्भी पापो का त्याग व्यवहार सम्यक् चारित्र्य नहीं कहला सकता है फिर भी यदि कोई व्यक्ति या दल इसे व्यवहारचारित्र्य कहने का आग्रह करता है तो यह पुण्याचरण के रूप में व्यवहारचारित्र्य हो सकता है और उसमें भी इतनी विशेषता होगी कि वह यदि अभव्य मिथ्यादृष्टि का पुण्याचरण है तो उसे कथनमात्र व्यवहारचारित्र्य माना जायगा, क्योंकि वास्तव में तो वह पूर्वोक्त प्रकार पुण्याचरण ही होगा। इसी प्रकार यदि वह भव्यमिथ्यादृष्टि का व्यवहारचारित्र्य है तो पुण्याचरण के रूप में सम्यग्दर्शन की कारणता के आधार पर उसे उपचरित व्यवहारचारित्र्य भी कहा जा सकेगा और यदि वह सम्यग्दृष्टि के सकल्पी पापो के त्यागपूर्वक अप्रत्याख्याना-वरणादि कपायो के अनुदय आदि के आधार पर निष्पन्न हुआ है तो उसे तब निश्चय सम्यक् चारित्र्य की कारणता के आधार पर वास्तविक (सद्भूत) व्यवहार सम्यक् चारित्र्य कहा जायगा। उसे उस हालत में कथनमात्र, निरर्थक, मिथ्या या कल्पित व्यवहार चारित्र्य कदापि नहीं कहा जा सकेगा। इससे यह बात भी फलित होती है कि जो व्रताचरण भले ही वह अगुव्रत या महाव्रत रूप ही क्यों न हो—यदि मन, वचन और काय की एकता (समन्वय) पूर्वक निर्दोषता लिये हुए न हो तो वह ढोंग या पाखण्ड के रूप में पापाचरण रूप मिथ्याचारित्र्य ही माना जायगा।

यह विवेचन इस बात को भी अच्छी तरह स्पष्ट कर देता है कि जो व्यक्ति व्यवहारसम्यग्दर्शन, व्यवहारसम्यग्ज्ञान और व्यवहार सम्यक् चारित्र्य में मोक्षमार्गता का निषेध करने पर तुले हुए हैं वे एकान्तपक्षी मिथ्यादृष्टि ही हैं। इसी तरह जो



व्यक्ति व्यवहार चारित्र्य को शरीर की क्रिया मानते हैं वे अज्ञानी और विपरीत मिथ्यादृष्टि हैं क्योंकि ऊपर कहा जा चुका है कि जीव की भाववती और क्रियावती नाम की दो शक्तियाँ हैं, इनमें से क्रियावती शक्ति की मन, वचन और काय की एकता (समन्वय) पूर्वक सकलपी पापों का त्याग हो जाने पर आरम्भी पापों के त्याग रूप जो परिणति होती है उसका नाम ही व्यवहार सम्यक् चारित्र्य है शरीर की क्रिया का नाम व्यवहार-सम्यक् चारित्र्य नहीं है। इसी तरह जिन व्यक्तियों का यह मत है कि जीव के निमित्त से होने वाली शरीर की क्रिया का नाम व्यवहार सम्यक् चारित्र्य है उन्हें भी अज्ञानियों को श्रेणी में ही गणित किया जायगा।

इस प्रकार पूर्वोक्त यह बात अच्छी तरह निर्णीत हो जाती है कि जीव की भाववती शक्ति पर अनादिकाल से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यान्तर कर्मों का प्रभाव पड़ रहा है लेकिन साथ में यह बात भी है कि प्रत्येक जीव में अनादिकाल से ही इन तीनों कर्मों का समान क्षयोपशम रहता आया है अतः वह भाववती शक्ति किन्हीं अंशों में अनादिकाल से ही समान रूप से ज्ञान, दर्शन और वीर्यरूप में विकसित रहती आयी है। इतनी बात अवश्य है कि प्रत्येक जीव की विकास को प्राप्त उपयुक्ताकाररूप ज्ञानशक्ति को दर्शनमोहनीय-कर्म का उदय अनादिकाल से ही प्रभावित कर रहा है अतः प्रत्येक जीव अनादिकाल से ही मिथ्यादृष्टि और मिथ्याज्ञानी बन रहा है। इसी तरह जीव की क्रियावती शक्ति भी अनादिकाल से यथायोग्य मन, वचन और काय के अधीन होकर योगरूप परिणत होती आयी है और इस तरह योगरूप परिणत उस

क्रियावती शक्ति पर चारित्र मोहनीयकर्म का उदय अनादिकाल से अपना प्रभाव जमा रहा है अतः प्रत्येक जीव की वह मानसिक, वाचनिक और कायिक योगरूप क्रिया अनादिकाल से मिथ्याचारित्र रूप परिणत होती आयी है। जिन जीवों में दर्शनमोहनीय कर्म की पूर्वोक्त तीन और चारित्रमोहनीय कर्म के एक भेद अनन्तानुबन्धी की पूर्वोक्त चार—इस तरह सात कर्म प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के रूप में अभाव हो जाता है उन जीवों में एक ओर तो विकास को प्राप्त उक्त ज्ञानशक्ति इन्द्रियो और मस्तिष्क की सहायता से अपना पदार्थ-ज्ञानरूप व्यापार करती हुई भी दर्शनमोहनीयकर्म का उक्त प्रकार अभाव हो जाने से निर्विकारता को प्राप्त हो जाती है अर्थात् अपनी मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानरूपता को समाप्त कर सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूपता को प्राप्त हो जाती है और दूसरी ओर मन, वचन और काय की सहायता से अपना व्यापार करती हुई अर्थात् योगरूपता को प्राप्त उक्त क्रियावती शक्ति भी अनन्तानुबन्धी कर्म का उक्त प्रकार अभाव हो जाने से अपने मिथ्याचारित्ररूप व्यापार में परिवर्तन ला देती है अर्थात् उस हालत में मिथ्याचारित्र की सकल्परूपता समाप्त होकर केवल आरम्भरूपता ही रह जाती है। इसी प्रकार उन जीवों में आगे जैसा-जैसा चारित्र मोहनीयकर्म के दूसरे भेद अप्रत्याख्यानावरणादि कषायों के उदय का यथायोग्य प्रकार से अभाव होता जाता है वैसा-वैसा आरम्भी पापों के त्यागरूप व्यवहार सम्यक्-चारित्र का रूप उस योगरूप क्रियावती शक्ति में आता जाता है जिसके बल पर उक्त ज्ञानशक्ति के विकास में भी वृद्धि होती जाती है तथा अन्त में जब दशम गुणस्थान के अन्त समय में चारित्रमोहनीयकर्म का सर्वथा उपशम या क्षयरूप से अभाव हो

जाता है तब आरम्भी पापो के सर्वथा त्यागरूप व्यवहार सम्यक् चारित्र की पूर्णता उस योगरूप क्रियावती शक्ति में आ जाती है जिसके बल पर जीव आत्मलीनतारूप निश्चय सम्यक् चारित्र को प्राप्त कर लेता है और यदि उक्त प्रकार जीवों में सम्पूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है तो वे जीव द्वादश गुणस्थान के अन्त समय में सम्पूर्ण ज्ञानावरण, सम्पूर्ण दर्शनावरण और सम्पूर्ण अन्तराय कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाने पर अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तवीर्य के धनी हो जाते हैं। उनमें तब केवल योगरूपता को प्राप्त क्रियावती शक्ति ही कर्मबन्ध का कारण रह जाती है जो कि केवल सातावेदनीय कर्म का मात्र प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध ही उन जीवों के साथ कराती है और आगे चल कर जब क्रियावती शक्ति की योगरूपता समाप्त हो जाती है तो बन्ध का सर्वथा अभाव हो जाता है तथा बद्धकर्मों का भी यथासमय अभाव हो जाने पर नोकर्मवद्धता से भी वे जीव छुटकारा पा लेते हैं।

मैंने यहाँ पर जीव की भाववती और क्रियावती दोनों शक्तियों के कार्यों का विश्लेषण किया है जिससे ज्ञात होता है कि वास्तव में ये दोनों शक्तियाँ ही अपने-अपने ढंग से कर्मों और नोकर्मों की यथायोग्य अधीनता में दर्शनमोहनीयकर्म और चारित्रमोहनीयकर्म के यथायोग्य सहयोग से विकृत होकर जीव को ससारी बनाये हुए हैं। इन दोनों शक्तियों के कार्यों का यह विश्लेषण जीव की ससार और मोक्ष की प्रक्रिया पर अच्छा प्रकाश डालता है तथा विद्वानों और जनसाधारण में जो व्यवहार और निश्चय के रूपों को लेकर परस्पर विवाद की अत्यन्त कटुस्थिति उत्पन्न होगयी है उसकी समाप्ति में भी यह

रन्त सहायक हो सकता है। मेरा विद्वानों से निवेदन है कि वे इस पर तर्क और आगम के आधार पर विचार करने का प्रयत्न करें। वर्तमान में विद्वानों का ध्यान आगम के रहस्यों का पता लगाने की ओर नहीं है यह बड़े दुःख की बात है।

इस प्रकरण में मेरा प्रयत्न जीव की कर्मों और नोकर्मों के साथ बद्धता तथा दो आदि वस्तुओं के संयोग सामान्य, निमित्त नैमित्तिक भाव और आधाराधेयभाव आदि की वास्तविकता (सद्भूतता) को बतलाने, व्यवहार और उपचार के अर्थों को स्पष्ट करने एवं व्यवहार की हेयता व उपादेयता तथा उसके छूटने न छूटने के उपायों पर प्रकाश डालने का रहा है। आशा है कि विद्वानों का ध्यान इस ओर अवश्य जायग।

करता हुआ दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होकर मिथ्यात्व ( मिथ्यादर्शन ) और अज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) के रूप में परिणमन कर रहा है ।

इसी प्रकार जीव की स्वभावभूत क्रिया शक्ति की जो मन, वचन और काय की अधीनता में योगात्मक स्थिति अनादि काल से बनी हुई है उसका भी चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय के प्रभाव से अविरत ( मिथ्या चारित्र्य ) रूप परिणमन हो रहा है । इस प्रकार जीव की ज्ञानोपयोगरूपता को प्राप्त भाववती शक्ति और योगरूपता को प्राप्त क्रियावती शक्ति दोनों ही जब यथायोग्य मिथ्यात्व ( मिथ्यादर्शन ), अज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) और अविरति ( मिथ्या चारित्र्य ) रूप परिणमन अनादिकाल से करती आ रहा है तो उनके इन परिणमनों के आधार पर जीव के साथ पौद्गलिक कार्माणवर्गणायें बद्ध होकर मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप परिणमन अनादि काल से सतत करती आ रही हैं । समयसार कर्तृकर्माधिकार की ८७, ८८ और ८९ सख्याक गाथाओं में जीव की स्वभावभूत भाववती तथा क्रियावती शक्तियों व कार्माणवर्गणों के इन्हीं परिणमनों का प्रतिपादन किया गया है ।

यद्यपि जीव की भाववती और क्रियावती शक्तियों व कार्माणवर्गणों का यथायोग्य उपर्युक्त मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरतिरूप परिणमन एक-दूसरे के सहयोग से अनादिकाल से होता आ रहा है परन्तु जीव की ज्ञानोपयोगरूप भाववती शक्ति का मिथ्यात्व और अज्ञान रूप तथा योगात्मक क्रियावती शक्ति का अविरति रूप परिणमन न हो तो इसके लिए जीव को आगम में यह उपदेश दिया गया है कि वह ऐसे साधन जुटाने

अत्यन्त सहायक हो सकता है। मेरा विद्वानों से निवेदन है कि वे इस पर तर्क और आगम के आधार पर विचार करने का प्रयत्न करें। वर्तमान में विद्वानों का ध्यान आगम के रहस्यों का पता लगाने की ओर नहीं है यह बड़े दुःख की बात है।

इस प्रकरण में मेरा प्रयत्न जीव की कर्मों और नोकर्मों के साथ बद्धता तथा दो आदि वस्तुओं के संयोग सामान्य, निमित्त नैमित्तिक भाव और आधाराधेयभाव आदि की वास्तविकता (सद्भूतता) को बतलाने, व्यवहार और उपचार के अर्थों को स्पष्ट करने एवं व्यवहार की हेयता व उपादेयता तथा उसके छूटने न छूटने के उपायों पर प्रकाश डालने का रहा है। आशा है कि विद्वानों का ध्यान इस ओर अवश्य जायगा।

जीव की वास्तविकता (सद्भूतता को प्राप्त) कर्मबद्धता और नोकर्मबद्धता में से नोकर्मबद्धता की समाप्ति—जैसा कि मैं पूर्व में बतला चुका हूँ—कर्मबद्धता के समाप्त हो जाने पर अपने आप ही जाती है क्योंकि नोकर्मबद्धता का अस्तित्व कर्मबद्धता की सत्ता पर ही निर्भर है। कर्मबद्धता की समाप्ति जीव तदनुकूल पुरुषार्थ द्वारा कर सकता है—इस बात को ऊपर बतला दिया गया है।

इस सब विवेचन का संक्षेप में सार यह है कि जीव अनादिकाल से विविध प्रकार के पौद्गलिक कर्मों के साथ बद्ध हो रहा है उनमें से ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के आधार पर उसकी स्वभावभूत भाववती शक्ति का ज्ञान के रूप में यथा-सम्भव विकास हो रहा है वह विकसित ज्ञान ही इन्द्रियादिक के सहयोग से अपना परिणामन पदार्थ ज्ञानरूप से उपयोगात्मक

करता हुआ दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित होकर मिथ्यात्व ( मिथ्यादर्शन ) और अज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) के रूप में परिणमन कर रहा है ।

इसी प्रकार जीव की स्वभावभूत क्रिया शक्ति की जो मन, वचन और काय की अधीनता में योगात्मक स्थिति अनादि काल से बनी हुई है उसका भी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के प्रभाव से अविरत ( मिथ्या चारित्र ) रूप परिणमन हो रहा है । इस प्रकार जीव की ज्ञानोपयोगरूपता को प्राप्त भाववती शक्ति और योगरूपता को प्राप्त क्रियावती शक्ति दोनों ही जब यथायोग्य मिथ्यात्व ( मिथ्यादर्शन ), अज्ञान ( मिथ्याज्ञान ) और अविरति ( मिथ्या चारित्र ) रूप परिणमन अनादिकाल से करती आ रहा है तो उनके इन परिणमनों के आधार पर जीव के साथ पौद्गलिक कार्माणवर्गणायें बद्ध होकर मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप परिणमन अनादि काल से सतत करती आ रही हैं । समयसार कर्तृकर्माधिकार की ८७, ८८ और ८९ सख्याक गाथाओं में जीव की स्वभावभूत भाववती तथा क्रियावती शक्तियों व कार्माणवर्गणायों के इन्हीं परिणमनों का प्रतिपादन किया गया है ।

यद्यपि जीव की भाववती और क्रियावती शक्तियों व कार्माणवर्गणों का यथायोग्य उपर्युक्त मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरतिरूप परिणमन एक-दूसरे के सहयोग से अनादिकाल से होता आ रहा है परन्तु जीव की ज्ञानोपयोगरूप भाववती शक्ति का मिथ्यात्व और अज्ञान रूप तथा योगात्मक शक्ति का अविरति रूप परिणमन न हो तो आगम में यह उपदेश दिया गया है ।

का प्रयत्न करे जिन साधनों के आधार पर उसकी भाववती क्रियावती शक्तियों का आगे चलकर उक्त मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप परिणमन होना रुक जाता है। जीव के इस प्रयत्न का नाम सम्यक् पुरुषार्थ है।

तात्पर्य यह है कि जीव का पुरुषार्थ दो तरह का होता है। उनमें से एक पुरुषार्थ तो वह है जिसके आधार पर उसकी जानोपयोग रूप भाववती शक्ति का मिथ्यात्व और अज्ञानरूप परिणमन होता है व योगात्मक क्रियावती शक्ति का अविरति रूप परिणमन होता है तथा दूसरा पुरुषार्थ वह है जिसके आधार पर उसकी जानोपयोगरूप भाववती शक्ति का मम्यग्दर्शन और मम्यग्ज्ञानरूप परिणमन होता है और योगात्मक क्रियावती शक्ति का निवृत्यश के रूप में मम्यक् चारित्र्यरूप परिणमन होता है। इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थों में से पहला पुरुषार्थ तो मोहनीय कर्म के तीव्रोदय, अन्तराय कर्मों के मन्द क्षयोपशम और पुण्य कर्मों के मन्दोदय के आधार पर अशुभ रूप होता है व दूसरा पुरुषार्थ मोहनीय कर्म के मन्दोदय और पुण्य कर्मों के तीव्रोदय तथा जानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मों के यथायोग्य सातिशय क्षयोपशम के आधार पर शुभरूप होता है। पहले पुरुषार्थ को पापाचरण कहा जाता है और दूसरे पुरुषार्थ को पुण्याचरण कहा जाता है जो देव पूजा, गुरु-पान्ति, स्वाध्याय, सयम, तप और दान आदि रूप होता है। इस पुण्याचरण को अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव अपनाता है तो उसे कथन के रूप में व्यवहार धर्म कह सकते हैं क्योंकि इसके बल पर अभव्य मिथ्यादृष्टि जीव यद्यपि क्रमशः क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्यलब्धि को प्राप्त कर लेता है और मरण के पश्चात् नवम गौवेयक तक भी पहुँच जाता है परन्तु वह



निश्चय धर्म का कदापि कारण नहीं होता है। यदि भव्य मिथ्यादृष्टि जीव इस पुण्याचरण को अपनाता है तो वह इसके बल पर क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करणलब्धि के प्राप्त कर सम्यग्दर्शन को भी प्राप्त कर सकता है। इस तरह इस पुण्याचरण को सम्यग्दर्शन की कारणता के आधार पर उपचरित व्यवहार धर्म भी कह सकते हैं। यद्यपि सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर जीव अनन्तानुबन्धी कषाय का उपशम या क्षय हो जाने के कारण सङ्कल्पी पापो का त्यागी हो जाता है परन्तु अशक्तिवश आरम्भी पापो का किञ्चिन्मात्र भी त्याग करने में वह असमर्थ रहता है अतः उसे अविरत सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। लेकिन यदि यही जीव अप्रत्याख्यानानावरणादि कषायो के अनुदय के आधार पर यथायोग्य आरम्भी पापो का भी त्याग कर देता है तो वह वास्तविक (सद्भूत) व्यवहार धर्मात्मा हो जाता है। वास्तविक व्यवहार धर्म के रूप में यह प्रक्रिया दशम गुणस्थान तक चला करती है क्योंकि कषाय का उदय यथासम्भव रूप में दशम गुणस्थान तक रहने के कारण वह जीव पूर्णरूप से आरम्भी पापो का त्यागी नहीं हो पाता है और चूँकि दशम गुणस्थान के अन्त समय में कषाय का पूर्णतया या उपशम या क्षय हो जाता है अतः वह एक ओर तो व्यवहार धर्म की पूर्णता प्राप्त कर लेता है व दूसरी ओर इसी व्यवहारधर्म के आधार पर एकादश व द्वादश गुणस्थान में वह क्रमशः औपशमिक व क्षायिक रूप में यथाख्यान चारित्र्य को प्राप्त होकर आत्मलीनता रूप निश्चय सम्यक् चारित्र्य का धारक बन जाता है।

इस तरह चरणानुयोग की दृष्टि से विचार किया जाय तो अशुभ पुरुषार्थ अर्थात् पापाचरण व्यवहार सर्वथा हेय है, शुभ

रूप पुरुषार्थ अर्थात् पुण्याचरण रूप व्यवहार तब तक उपादेय है जब तक जीव समस्त आरम्भी पापो से निवृत्तिरूप व्यवहार धर्म की पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता है और जब वह जीव यथास्थान चारित्ररूप निश्चय धर्म को प्राप्त कर लेता है तो व्यवहार धर्म को उपयोगिता समाप्त हो जाती है ।

यहाँ इतना विशेष समझ लेना चाहिये कि बाह्य में व्यवहार धर्म की उपयोगिता षष्ठ गुणस्थान तक ही दृष्टि में आती है लेकिन अन्तरगवृत्ति के आधार पर जीव में व्यवहार धर्म की पूर्णता दशम गुणस्थान के अन्त समय में जब सूक्ष्म लोभ का भी अभाव हो जाता है तभी हुआ करती है ।

यह जो विवेचन यहाँ किया गया है इससे स्पष्ट हो जाता है कि प० फूलचन्द्रजी को व्यवहार को या व्यवहार धर्म को सर्वथा हेय बतलाने से पूर्व इन सब बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिये था जबकि वे आगम के अच्छे विद्वान हैं । जैनतत्त्वमीमासा में एकागी वर्णन करके उन्होंने अपनी आगमज्ञता को तो बट्टा लगाया ही है साथ ही अपना और दूसरो का बड़ा भारो अहित किया है । अब भी उन्हें इस पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये ।

अब यहाँ पर आगे जैनतत्त्वमीमासा में वर्णित अन्य बातों पर विचार किया जाता है—

(१) प० फूलचन्द्र जी का मत है कि कार्योत्पत्ति में निमित्त सार्यक न होकर निरर्थक ही है । उन्होंने अपने इस मत की पुष्टि के लिए जैनतत्त्वमीमासा के विषय प्रवेश प्रकरण में

पृष्ठ १६ पर तत्त्वार्थ सूत्र का निम्नलिखित सूत्र उद्धृत किया है—

**मोहक्षयाज्ज्ञान दर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम् ।**

॥१०-१॥

अर्थ—मोहनीय कर्म के क्षय से तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान होता है ।

इसके अनन्तर ही वही पर प० जी ने उक्त सूत्र के अर्थ के विषय में अपना मन्तव्य निम्न प्रकार प्रगट किया है—

“वहाँ पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु क्या है ? इसका निर्देश करते हुए यह बतलाया गया है कि वह मोहनीय कर्म के क्षय के बाद ज्ञानावरणादि तीन कर्मों के क्षय से होता है । यहाँ पर क्षय का अर्थ प्रध्वसाभाव है अत्यन्ताभाव नहीं, क्योंकि किसी भी द्रव्य का पर्यायरूप से ही नाश होता है द्रव्य रूप से नहीं । अब विचार कीजिये कि ज्ञानावरणादि रूप जो कर्म पर्याय है उसके नाश से उसकी अकर्मरूप उत्तर पर्याय प्रगट होगी कि जीव की केवल ज्ञानपर्याय प्रगट होगी ? एक बात और है वह यह कि जिस समय केवलज्ञानपर्याय प्रगट होती है उस समय तो ज्ञानावरणादि कर्मों का अभाव ही है और अभाव को कार्योत्पत्ति में कारण माना नहीं जा सकता है । यदि अभाव को कार्योत्पत्ति में कारण माना जाय तो खरविषाण या आकाश कुसुम को भी कार्योत्पत्ति में कारण मानना पड़ेगा । यदि कहो कि यहाँ पर अभाव से सर्वथा अभाव नहीं लिया गया है किन्तु भावान्तर स्वभाव अभाव लिया गया है तो हम पूछते हैं कि वह भावान्तर स्वभाव अभाव क्या वस्तु है ? उसका नाम निर्देश होना चाहिये । यदि कहो कि यहाँ पर भावान्तर स्वभाव अभाव से ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्म रूप उत्तर पर्याय

ली गयी है तो हम पूछते हैं कि आप यह किस आधार पर कहते हैं ? उक्त सूत्र से तो यह अर्थ फलित नहीं होता । अतः इसे निमित्त कथन परक वचन न मानकर हेतु परक वचन मानना चाहिये । स्पष्ट है कि यहाँ पर जीव की केवलज्ञानपर्याय प्रगट होने का जो मुख्य हेतु उपादान कारण है उसे तो गौण कर दिया गया है और जो मतिज्ञान आदि पर्यायो का उपचरित हेतु था उसके अभाव को हेतु को बनाकर उसकी मुख्यता से यह कथन किया गया है । यहाँ दिखलाना तो यह है कि जब केवल ज्ञान अपने उपादान के लक्ष्य से प्रगट होता है तब ज्ञानावरणादि कर्म रूप उपचरित हेतु का सर्वथा अभाव रहता है । परन्तु इसे ( अभाव को ) हेतु बनाकर यो कहा गया है कि ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रगट होता है । यह व्याख्या की शैली है जिसके शास्त्रों में पद-पद पर दर्शन होते हैं ।”

यह तत्त्वार्थ सूत्र के उल्लिखित सूत्र वाक्य का प० फूलचन्द्रजी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष है । इसमें पंडित जी का “इसे निमित्त कथन परक वचन न मानकर हेतु परक वचन मानना चाहिये” यहाँ से लेकर “परन्तु इसे ( अभाव को ) हेतु बनाकर यो कहा गया है कि ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रगट होता है” यहाँ तक के कथन से क्या अभिप्राय है जो प्रकृत के लिए उपयोगी हो यह मेरो समझ में नहीं आया है । मुझे तो उनका यह कथन विसंगत ही जान पड़ता है तथा इसमें उन्होंने जो यह लिखा है कि “निमित्त कथन परक वचन न मानकर हेतु परक वचन मानना चाहिये” इस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें निर्दिष्ट “निमित्त कथन परक वचन” और “हेतु परक वचन” इन दोनों वाक्यांशों से

उनके उक्त मत की पुष्टि के लिए उपयोगी अलग-अलग कौन-कौन सा अभिप्राय सिद्ध होता है यह भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हेतु शब्द भी सामान्य रूप से कारणता का ही बोध कराता है। परन्तु इसी में अन्तिम निष्कर्ष के रूप में उन्होंने जो यह लिखा है कि “यहाँ पर दिखलाना तो यह है कि जब केवल ज्ञान अपने उपादान के लक्ष्य से प्रगट होता है तब ज्ञानावरणादि उपचरित हेतु का सर्वथा अभाव रहता है परन्तु इसे (अभाव को) हेतु बनाकर यो कहा गया है कि ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय होने से केवल-ज्ञान प्रगट होता है” इस लेख से वे यह बतलाता चाहते हैं कि केवलज्ञान सिर्फ अपने उपादान के बल पर ही प्रगट होता है उसके प्रगट होने में निमित्तों के सहयाग की आवश्यकता नहीं रहा करती है। यही कारण है कि “ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय से केवलज्ञान प्रगट होता है” इसे उन्होंने शास्त्रकारों द्वारा अपनायी गयी व्याख्यान की शैली मात्र कहा है। अर्थात् प० फूलचन्द्र जी के मत से इस बात में कुछ भी तथ्याश नहीं है कि ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान प्रगट होता है केवल यह कथन की शैली मात्र है।

पण्डित जी के उक्त कथन के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति में उपादान कारण के अलावा ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय रूप निमित्त कारण भी होता है। यह बात मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि केवल ज्ञान अपने आप में जीव की स्वपरप्रत्यय पर्याय है इसलिए वह जीव के स्वभावभूत ज्ञायकभाव की पूर्ण विकास रूप परिणति होने के कारण अपने उपादान में प्रगट होकर भी तब तक प्रगट नहीं

होता है जब तक ज्ञानावरणादि कर्मों का सर्वथा क्षय नहीं हो जाता है ।

तात्पर्य यह है कि आगम में पदार्थों की पर्यायों के स्व-प्रत्यय और स्वपरप्रत्यय ऐसे दो भेद बतलाये गये हैं तथा इन दोनों में अन्तर भी सिर्फ इस बात का बतलाया गया है कि जहाँ स्वप्रत्यय पर्याय परनिरपेक्ष होकर ही अपने उपादान में प्रगट हो जाती है वहाँ स्वपरप्रत्यय पर्याय यद्यपि प्रगट तो अपने उपादान में ही होती है फिर भी उसकी प्रगटता में पररूप निमित्त की सहायता अपेक्षित रहा करती है ।

मुझे विश्वास है कि प० फूलचन्द्र जी भी केवलज्ञान को जीव की स्वपरप्रत्यय पर्याय मानने में मेरे साथ होंगे और फिर भले ही वे इसे जीव की स्वपरप्रत्यय पर्याय न मानें लेकिन आगम में तो वस्तु स्वभाव के शक्त्यशो में (अविभागी प्रतिच्छेदो में) होने वाली पद्गुणहानि वृद्धि रूप पर्यायों को ही सिर्फ स्वप्रत्यय पर्यायों स्वीकार किया गया है अतः इनके अतिरिक्त वस्तु में पायी जाने वाली सभी पर्यायों का अन्तर्भाव स्वपर प्रत्यय पर्यायों में ही होता है क्योंकि स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय के अलावा पर्यायों के अन्य किसी प्रकार के भेदों का कथन आगम में नहीं पाया जाता है । अतः यह बात निश्चित समझना चाहिये कि जीव की केवल ज्ञान पर्याय का समावेश उसकी स्वपरप्रत्यय पर्यायों में ही होता है और इसलिए यह बात भी निश्चित हो जाती है कि केवल ज्ञान अपने उपादान में प्रगट होकर भी तब तक प्रगट नहीं होता है जब तक ज्ञानावरणादि उक्त तीन कर्मों का सर्वथा क्षय नहीं हो जाता है । इस तरह मैं दृढ़ता के साथ यह कह सकता हूँ कि

“ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान प्रगट होता है” कथन के तथ्याश को सिर्फ शास्त्रकारों द्वारा अपनायी गई व्याख्यान की शैली मात्र कह कर टाला नहीं जा सकता है ।

मेरे इस विवेचन से प० फूलचन्द्र जी का यह कथन कि “यहाँ पर जीव की केवल ज्ञान पर्याय प्रगट होने का जो मुख्य हेतु उपादान कारण है उसे तो गौण कर दिया गया है और जो जीव की मतिज्ञान आदि पर्यायों का उपचरित हेतु था उसके अभाव को हेतु बनाकर उसकी मुख्यता से यह कथन किया गया है” सुतराम् खण्डित हो जाता है । दूसरी बात यह है कि ज्ञानावरणादि कर्मों को मतिज्ञान आदि पर्यायों का उपचरित हेतु मानकर व उसके अभाव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु बनाकर उसकी मुख्यता से कथन करने का यहाँ पर प्रयोजन क्या है ? और पण्डित का ऐसा लिखना क्या सगत है ? यह बात मैं पण्डित से पूछना चाहता हूँ । हालांकि उन्होंने जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ २१ पर यह सकेत किया है कि “सुगमता से इष्टार्थ का ज्ञान कराने के लिए ही यहाँ पर सूत्रकार ने उल्लिखित ढग से कथन करना उचित समझा है” फिर भी सूत्रकार के कथन में इस प्रकार की असगत द्रावडी प्राणायाम की कल्पना करके प० फूलचन्द्र जी द्वारा सन्तोष कर लिए जाने पर भी मैं कहूँगा कि सूत्रकार ने उल्लिखित सूत्र वाक्य में ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय और केवलज्ञान में निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं बतलाकर सिर्फ सुगमता के साथ इष्टार्थ का ज्ञान कराने के लिए ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय केवलज्ञान की प्रगटता के अवसर पर मौजूद रहने के कारण इन दोनों में कार्य-कारणभाव का आरोप मात्र करके कथन भर कर दिया है—

इसका नियामक क्या है ? यद्यपि प० फूलचन्द्र जी ने अपने उक्त पक्ष की पुष्टि के लिये उक्त मन्तव्य में कुछ तर्क उपस्थित किये हैं लेकिन उनसे उनके पक्ष की पुष्टि नहीं होती है । प० जी के वे तर्क निम्न प्रकार हैं—

(१) ज्ञानावरणादि रूप कर्म पर्याय के नाश से उसकी अकर्म रूप उत्तर पर्याय ही प्रगट होती है जीव की केवल ज्ञान पर्याय उससे प्रगट नहीं हो सकती है ।

(२) ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय प्रध्वसाभाव रूप ही है और अभाव को कार्योत्पत्ति में कारण मानने से खर विषाण या आकाश कुसुम का भी कार्योत्पत्ति में कारण मानना होगा ।

(३) यदि खर विषाण या आकाश कुसुम की कार्योत्पत्ति में प्रसक्त कारणता को समाप्त करने के लिए अभाव को भावान्तर स्वभाव मान कर ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्म रूप उत्तर पर्याय को ही जीव की केवल ज्ञान पर्याय की उत्पत्ति में कारण माना जाय तो यह भी एक निराधार कल्पना है क्योंकि उक्त सूत्र से यह अर्थ फलित नहीं होता है कि ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्म रूप उत्तर पर्याय से जीव की केवल ज्ञान पर्याय प्रगट होता है ।

यद्यपि मुझे पण्डित जी के प्रथम तर्क के इस कथन में सामान्य रूप से कोई विवाद नहीं है कि ज्ञानावरणादि रूप कर्म पर्याय के नाश से उसकी अकर्म रूप उत्तर पर्याय प्रगट होती है, परन्तु इसके साथ ही मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि ज्ञानावरणादि कर्मों की इस अकर्म रूप उत्तर पर्याय की प्रगटता जीव केवल ज्ञान पर्याय के प्रगट होने में उपादान कारण न होकर निमित्त (सहायक) कारण होती है क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्म पर्याय का क्षय उसकी अकर्म रूप उत्तर पर्याय



की उत्पत्ति के अलावा और कोई वस्तु नहीं है। इस आधार से पण्डित जी के इस कथन का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है कि “अभाव को कार्योत्पत्ति में निमित्त मानने से अभावात्मक खरविषाण या आकाश कुसुम को भी कार्योत्पत्ति में निमित्तता प्रसक्त हो जायगी,” क्योंकि मेरे उक्त कथन से केवल ज्ञान की उत्पत्ति में ज्ञानावरणादि कर्मों की कर्मपर्याय के नाश से प्रगट होने वाली उनकी अकर्मरूप सत्तात्मक उत्तर पर्याय ही निमित्त (सहायक) सिद्ध होती है। यहाँ पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्मरूप उत्तर-पर्याय जीव के साथ वद्धता रूप स्थिति की समाप्ति होकर पृथक् स्थिति का निर्माण हो जाना ही है क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्म कर्मरूप तभी तक रहते हैं और तब तक नियम से रहते हैं जब तक वे जीव के साथ बंधे रहते हैं इसलिये जब उनका जीव के साथ विद्यमान बन्ध का विच्छेद होता है तो वे अपनी कर्म-रूपता को नियम से छोड़ देते हैं।

पण्डित जी का यह तर्क कि “अभाव को कार्योत्पत्ति में निमित्त मानने से अभावात्मक खरविषाण या आकाश कुसुम को भी कार्योत्पत्ति में निमित्त मानना पड़ेगा” गलत है कारण कि जैनदर्शन में प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव—इन चारों प्रकार के अभावों को समान रूप से भावान्तर स्वभाव ही माना गया है। अर्थात् जैन-दर्शन की मान्यता में ऐसा एक भी अभाव नहीं है जिसमें भावान्तर स्वभाव रूपता न पायी जाती हो। जिन खरविषाण और आकाश-कुसुम रूप अभावों का उल्लेख पण्डित जी ने अपने मन्तव्य में इस प्रसंग में किया है उनमें से खरविषाण रूप अभाव खर की विषाणरहित स्थिति तथा आकाश कुसुम रूप अभाव भी

आकाश की कुसुम रहित स्थिति के अलावा और क्या हो सकते हैं ? इस तरह इस कथन से यह निष्कर्ष सहज हो निकल आता है कि केवल भावात्मक पदार्थों को कार्योत्पत्ति में कारण मानने पर भी उक्त आपत्ति का निराकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि भावात्मक पदार्थों को कार्योत्पत्ति में कारण मानने पर भी यदि यह प्रश्न पण्डित जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय कि “इस तरह से भावान्तर स्वभाव रूप खरविपाण और आकाश-कुसुम को भी कार्य के प्रति कारणता की प्रसक्ति हो जायगी” तो फिर उनके पास क्या समाधान है ?

दूसरी बात यह है कि अभाव में भी जो कारणता का निषेध किया जाता है वह निषेध अभाव के अमत्तात्मक होने के सबब नहीं किया जाता है किन्तु वहा पर भी उक्त निषेध भाव पदार्थ की तरह कार्य के साथ अन्वय-व्यतिरेक घटित न होने के आधार पर ही किया जाता है। अर्थात् वस्तु चाहे भावात्मक हो या चाहे अभावात्मक हो वह तब तक कार्य के प्रति कारण नहीं मानी जा सकती है जब तक कार्य के साथ उसका अन्वय-व्यतिरेक घटित नहीं होता है और यदि कार्य के साथ भावात्मक वस्तु के समान अभावात्मक वस्तु का भी अन्वय-व्यतिरेक घटित हो जाय, जैसा कि जीव की केवलज्ञान पर्याय और ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय के मध्य घटित होता है, तो इस हालत में उसे (अभाव को) भी जैनदर्शन की मान्यता के अनुसार कार्य के प्रति कारण मानना अयुक्त नहीं है।

मैं पण्डित फूलचन्द्र जी से यह पूछना चाहूँगा कि वे क्या अन्वय-व्यतिरेक के अभाव में भी केवल भावात्मकता के आधार पर किसी भी भावात्मक वस्तु को किसी भी कार्य के प्रति कारण मानने के लिये तैयार हैं ? यदि ऐसा है तो फिर घट

की उत्पत्ति के प्रति कुम्भकार की तरह तन्तुवाय को तथा पट की उत्पत्ति में तन्तुवाय की तरह कुम्भकार को भी कारण मानने का उनके मत से प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा । इसलिए यदि वे घट की उत्पत्ति तन्तुवाय के अभाव में और पट की उत्पत्ति कुम्भकार के अभाव में देखी जाने के कारण घट की उत्पत्ति में तन्तुवाय की और पट की उत्पत्ति में कुम्भकार की कारणता का निषेध करने के लिए अन्वय-व्यतिरेक के इस सिद्धान्त को मान्यता देते हैं कि वही भावात्मक पदार्थ उस कार्य के प्रति कारण होता है जिसका जिसके साथ अन्वय—व्यतिरेक पाया जाता है तो फिर इसी प्रकार अभावात्मक पदार्थों का भी विवक्षित कार्य के साथ कार्यकारणभाव निश्चित करने के लिये अन्वय-व्यतिरेक के उक्त सिद्धान्त को मानने में भी उन्हें क्या आपत्ति रह जाती है ?

इस प्रकार भावात्मक पदार्थों के समान अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ही अभावात्मक पदार्थों की कार्य के प्रति कारणता स्वीकृत हो जाने पर उसकी (अन्वय-व्यतिरेक की) अविद्यमानता के सबब ही खरविषाण और आकाशकुसुम को कार्य के प्रति कारण मानने का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं हो सकता है । आगम भी इस बात का विरोधी नहीं है कि जिस जीव में जब तक ज्ञानावरणादि उक्त कर्मों का क्षय नहीं हो जाता है तब तक उसमें केवलज्ञान प्रगट नहीं होता है और जिस जीव में जब ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय हो जाता है तो उसी समय उसमें केवलज्ञान प्रगट हो जाता है । इस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय का केवलज्ञान की प्रगटता के साथ जब अन्वय-व्यतिरेक विद्यमान है तो केवल ज्ञानरूप कार्य के प्रति ज्ञानावरणादि

कर्मों के क्षय को कारण स्वीकार करना अयुक्त नहीं है। फिर भी ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय उनकी अकर्मरूप पर्याय के अलावा और कुछ नहीं है, उमलिये उसे जीव की केवलज्ञान पर्याय से अत्यन्त पृथक् स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय माना गया है। यही कारण है कि ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षय तथा जीव के केवलज्ञान की प्रकटता में विश्रमान कार्यकारणभाव को उपादानोपादेय भावरूप कार्यकारणभाव न मान कर निमित्त-नेमित्तिकभावरूप कार्यकारणभाव ही माना गया है और इस प्रकार यह नयो के निष्चय और व्यवहार रूप विकल्पो में से यद्यपि व्यवहार रूप विकल्प की कोटि में ही समाविष्ट होता है फिर भी व्यवहार रूप विकल्प की कोटि में आ जाने से वह अवास्तविक ( अनृत्य या कल्पित ) हो जाता हो—सो बात भी नहीं है क्योंकि व्यवहार भी अपने ढग से वास्तविक होता है—यह बात में पूर्व में सिद्ध कर चुका हूँ। दूसरे यह बात भी है कि ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय जब उनकी अकर्मरूप भावात्मक उत्तरपर्याय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो फिर उसे अवास्तविकता का रूप कैसे दिया जा सकता है ?

एक बात और है कि निमित्त में यदि कोई अवास्तविकता पायी जाती है तो वह यही है कि वह स्वयं ( आप ) कार्यरूप परिणत नहीं होता है। अर्थात् कार्य में जिस प्रकार उपादान की स्थिति उसके निष्पन्न हो जाने पर भी बनी रहती है उस प्रकार उसमें निमित्त की स्थिति नहीं रहा करती है क्योंकि निमित्त तो तभी तक अपेक्षित रहा करता है जब तक कार्य निष्पन्न नहीं होता है यानि कार्यरूप ही बना रहता है। लेकिन वह जब अपनी कार्यरूपता को समाप्त कर निष्पन्नरूपता को प्राप्त कर

लेता है तब उसके लिये निमित्त की अपेक्षा समाप्त हो जाती है। जैसे कुम्भकार घटरूप कार्य में तभी तक उपयोगी है जब तक घट निष्पन्न नहीं होता है। और जब घट निष्पन्न हो जाता है तो फिर वहाँ पर कुम्भकार की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार घट के निष्पन्न हो जाने पर कुम्भकार की उपयोगिता नहीं रह जाती है उस प्रकार उसकी उपादानभूत मिट्टी की भी उपयोगिता समाप्त हो जाती है—सो बात नहीं है कारण कि कुम्भकार के अभाव में तो घट अपनी सत्ता बनाये रखता है परन्तु घट के निष्पन्न हो जाने पर भी मिट्टी की स्थिति में यदि घट के प्रतिकूल कोई विकृति पैदा होती है तो उस समय घट भी अपनी स्थिति को सम्हालने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार निमित्त और उपादान में अन्तर पाया जाने पर भी कोई व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता है कि घट कुम्भकार के अभाव में भी बन कर तैयार हो सकता है। इसलिये यह निष्कर्ष निकला कि निमित्त कार्य में तब तक उपयोगी है जब तक कार्य निष्पन्न नहीं हो जाना है यानि कार्य के निष्पन्न हो जाने पर निमित्त की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। लेकिन उपादान की उपयोगिता चूँकि कार्य निष्पन्न होने से पूर्व और पश्चात् सतत बनी रहती है अतः उपादान सर्वदा उपयोगी ही रहा करता है।

तीसरे तर्क में प० फूलचन्द्र जी का कहना यह है कि “सूत्र में विद्यमान ‘क्षय’ शब्द से ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्मरूप उत्तरपर्याय को ग्रहण करने की बात सूत्र से फलित नहीं होती है इसलिये ‘क्षय’ शब्द से ज्ञानावरणादि कर्मों की अकर्मरूप उत्तरपर्याय का ग्रहण करना सूत्रकार के आशय के विरुद्ध है।”

इसके विषय में मेरा कहना है कि जब जैन दर्शन में प्रत्येक अभाव को भवान्तर स्वभाव ही माना गया है तो प्रकृत में ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयरूप प्रध्वसाभाव को उनकी अकर्मरूप उत्तरपर्याय के रूप में ग्रहण करना सूत्रकार के आशय के कदापि विरुद्ध नहीं हो सकता है ।

दूसरी बात यह है कि उस-उस जाति की कार्माणवर्गणा अर्थात् ज्ञानावरणादि कार्यरूप परिणत होने की योग्यताविशिष्ट पुद्गल अनुकूल निमित्तों की सहायता से जीव के साथ अपना विशिष्ट सश्लेष स्थापित कर लेते हैं । इस सश्लेष को आगम में प्रकृतिबन्ध नाम से पुकारा गया है और यह प्रकृतिबन्ध ही कार्माणि वर्गणारूप पुद्गलों की ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणति है । इस तरह ज्ञानावरणादि कर्मों के जीव के साथ विद्यमान उक्त सश्लेष सम्बन्ध की समाप्ति हो जाना, उक्त कर्मों का जीव से सर्वथा प्रथक् हो जाना, व ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय या उनकी अकर्मरूप उत्तरपर्याय आदि कोई भी अर्थ सूत्र में पठित 'क्षय' शब्द से ग्रहण किया जाय—तो यह सूत्रकार के आशय के विरुद्ध नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि आगम में वर्णित उक्त प्रकार की कार्माणवर्गणा में अनुकूल निमित्तों के सहयोग से जीव के साथ संयुक्त होकर उसी क्षण ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणत हो जाया करती हैं तथा इन ज्ञानावरणादि कर्मों का आगे चलकर जब जीव से सम्बन्ध विच्छेद होता है तो वे कर्म उस समय अपनी ज्ञानावरणादि कर्मरूप स्थिति को बदल कर अकर्मरूप किसी दूसरी स्थिति को प्राप्त हो जाया करते हैं । अब विचारना चाहिये कि सूत्र में पठित 'क्षय' शब्द का इसके अलावा—कि

ज्ञानाधरणादि कर्मरूप स्थिति को प्राप्त पुद्गल उस स्थिति को बदल कर अकर्मरूप अन्य किसी भी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं—दूसरा कौनसा अर्थ ग्रहण किया जा सकता है ? कारण कि द्रव्य का द्रव्यरूप से तो कभी नाश होता नहीं है केवल पर्याय रूप से ही नाश होता है—यह बात प० जी ने भी अपने मन्तव्य में कही है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि पहले जो कार्माण-वर्गणारूप पुद्गल था वह जीव का सयोग पाकर अपने उस रूप को छोड़कर कर्मरूप परिणत हुआ और पश्चात् जीव से पृथक् हो जाने पर अपनी उस कर्मरूप अवस्था को भी समाप्त कर दूसरी कोई भी अकर्मरूप अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी पुद्गलरूपता को उसने पूर्वा पर किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ा। इस तरह जैनदर्शन में प्रत्येक द्रव्य के उत्पाद और विनाश को अवस्थाओं के परिवर्तन के रूप में ही स्वीकार किया गया है व द्रव्य स्वयं त्रिकालवर्ती ध्रुवता को लिये हुए बना ही रहता है। इस प्रकार सूत्र में पठित 'क्षय' शब्द से ऊपर लिखे प्रकार कोई भी अर्थ स्वीकार किया जाना सूत्रकार के आशय के विरुद्ध नहीं है।

अन्त में मैं इतना और कह देना चाहता हूँ कि प० जी ने अपने मन्तव्य में जो यह लिखा है "यहाँ पर क्षय का अर्थ प्रध्वसाभाव है अत्यन्ताभाव नहीं" इसमें तो मैं सहमत हूँ, परन्तु इसके समर्थन में दिये गये उनके इस तर्क को—कि "क्योंकि किसी भी द्रव्य का पर्याय रूप से ही नाश होता है द्रव्यरूप से नहीं" मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ क्योंकि ऐसा कोई भी अत्यन्ताभाव नहीं हो सकता है जिसका प्रादुर्भाव किसी द्रव्य के नाश से होना सम्भव हो। तात्पर्य यह है कि एकद्रव्य में दूसरे द्रव्य के गुणपर्यायों के अभाव रूप विविध प्रकार के

शैकालिक मत्ता रखने वाले अनायों को ही अत्यन्ताभाव की कोटि में रखा गया है और यदि द्रव्य का नाग मम्मव ही हाता तो भी वह प्रध्यमाभाव में ही गर्भित होता अत्यन्ताभाव में नहीं।

( २ ) प० पूनचन्द्रजी ने जैनतत्त्वमीमांसा के विषय प्रवेश प्रकरण में ही पृष्ठ १५-१६ पर जो यह कथन किया है कि "यह तो स्पष्ट बात है कि प्रत्येक द्रव्य परिणमनस्वभाव है, इसलिए वह अपने इस परिणमनस्वभाव के कारण ही परिणमन करता है अन्य कोई परिणमन करावे तब वह परिणमन करे अन्यथा न करे ऐसा नहीं है।"

प० जी के इस कथन में मैं इस आधार पर सहमत हूँ कि सम्पूर्ण द्रव्यो में होने वाले उनके अपने-अपने स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय सभी प्रकार के परिणमनो में जो स्व की अपेक्षा पायी जाती है वह हमें इस बात का संकेत देती है कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमनस्वभाव के कारण ही परिणमन करता है। अर्थात् किसी भी द्रव्य में ऐसा एक भी परिणमन सम्भव नहीं है जो स्व की अपेक्षा के बिना केवल पर के आधार पर ही हो जाता हो। स्वपरप्रत्यय परिणमन में जो पर की अपेक्षा पायी जाती है वह स्व की अपेक्षा के साथ ही पायी जाती है। तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण द्रव्यो में प्रतिक्षण पङ्गुण हानि वृद्धिरूप एक परिणमन तो ऐसा सतत् होता रहता है जो पर की अपेक्षा रहित केवल द्रव्य के अपने परिणमन स्वभाव के आधार पर ही हुआ करता है परन्तु दूसरे परिणमन सम्पूर्ण द्रव्यो में एक क्षणवर्ती अथवा अनेक क्षणवर्ती ऐसे भी हुआ करते हैं जिनमें यद्यपि पर की अपेक्षा रहा करती है, परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि



ऐसा परिणमन स्व की अपेक्षा रहित केवल पर की अपेक्षा-मात्र से हो हो जाता हो, क्योंकि ऐसे परिणमनो मे पर की अपेक्षा के साथ-साथ स्व की अपेक्षा तो रहा ही करती है। आगम मे भी द्रव्यो के उक्त स्वप्रत्यय और स्वपर प्रत्यय ऐसे दो भेद ही परिणमन के बतलाये गये हैं। इनके अलावा परिणमन के स्व की अपेक्षा रहित केवल पर प्रत्यय रूप भेद की स्वीकृति आगम मे उपलब्ध नहीं होती है प्रत्युत ऐसा कथन वहाँ अवश्य पाया जाता है जिससे इस बात की ही पुष्टि होती है कि प्रत्येक द्रव्य मे स्व की अपेक्षा रहित केवल पर की अपेक्षा से कोई भी परिणमन नहीं होता है। इसमे मैं समयसार को निम्नलिखित गाथाश को प्रमाण के रूप मे उपस्थित करता हूँ—

ते सयमपरिणमत कह तु परिणामयदि पाणी

॥गा० १२५ का उत्तरार्ध॥

यह गाथाश पुद्गल के कमरूप परिणमन के सिलसिले मे लिखा गया है। इसमे यह बतलाने का प्रयत्न किया गया है कि जिस पुद्गल द्रव्य मे कर्मरूप परिणत होने की योग्यता (उपादान शक्ति) नहीं है यानि जो पुद्गल द्रव्य कार्माणवर्गणारूप नहीं है उसे जीव कर्मरूप परिणत करने मे कदापि समर्थ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार का कथन जीव की क्रोधादिरूप विभाव परिणति के सम्बन्ध मे भी वही पर (समयसार मे) निम्नलिखित रूप मे पाया जाता है—

तं सयमपरिणमत कह परिणामएदि क्रोहत्तं

॥गा० १२८-उत्तरार्ध॥

अर्थात् जिस जीव में क्रोधादिविभाव रूप परिणमन करने की निजी योग्यता नहीं है उसे उस रूप परिणमन कराने की सामर्थ्य पुद्गल के परिणमन क्रोध (द्रव्य क्रोध) में नहीं है ।

आचार्य अमृतचन्द्र ने भी “स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्ति” पद्याश द्वारा पुद्गल की स्वभाव भूत परिणाम शक्ति का और “स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणाम शक्ति” पद्याश द्वारा जीव की स्वभाव-भूत परिणाम शक्ति का वही पर उल्लिखित गाथाशो के व्याख्यान के अवसर पर समर्थन किया है । स्वामी समन्तभद्र ने भी स्वय-भूस्तोत्र में प्रत्येक वस्तु में स्वभावभूत परिणमन शक्ति का सद्भाव स्वीकार किया है । यथा—

अलघ्यशक्तिर्भवितव्य तेय हेतुद्वयाविष्कृत कार्यलिङ्गा ।  
अनीश्वरो जन्तुरहक्रियार्त्तः सहत्य कार्येष्विति साध्ववादीः ॥३३॥

अथ—हेतुद्वय अर्थात् अन्तरग (अनित्य उपादान) और बहिरग (निमित्त) दोनों कारणों के आधार पर निष्पन्न होने वाला कार्य जिसका अनुमापक होता है—ऐसो भवितव्यता अर्थात् वस्तु की स्वभावभूत योग्यता (नित्य उपादान शक्ति) अलघ्य शक्ति है अर्थात् वस्तु में कार्योत्पत्ति सम्बन्धी स्वभावभूत योग्यता के अभाव में कार्योत्पत्ति सम्भव नहीं है अतः कार्योत्पत्ति में असमर्थ होता हुआ भी ससारी प्राणी व्यर्थ ही कार्य-कर्त्तव्य के अहकार से पीडित हो रहा है—हे भगवन् आपने यह ठीक ही कहा है ।

इन उद्घरणों से यह निष्कर्ष सहज ही निकल आता है कि प्रत्येक वस्तु में स्वप्रत्यय अथवा स्वपरप्रत्यय कोई भी

परिणमन (कार्योत्पत्ति) उसको अपनी स्वभाव भूतयोग्यता के अभाव में नहीं होता है अर्थात् कार्य जिस प्रकार स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय होते हैं उस प्रकार पर प्रत्यय नहीं होते हैं ।

इस प्रकार उपर्युक्त आगम प्रमाणों के आधार पर प० फूलचन्द्र जी के जैनतत्त्वमीमासा के 'विषय प्रवेश' प्रकरण में पृष्ठ १५-१६ पर निर्दिष्ट उपर्युक्त कथन से सहमत होते हुए भी अर्थात् प्रत्येक वस्तु में स्वभावभूत कार्योत्पत्ति की योग्यता का अभाव रहने पर अन्य द्वारा कार्योत्पत्ति की असम्भवता को स्वीकार करते हुए भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा एकांत नियम नहीं है कि प्रत्येक वस्तु के सभी परिणमन पर की अपेक्षा रहित उस उस वस्तु में पायी जाने वाली केवल स्वभाव-भूत योग्यता के आधार पर ही निष्पन्न हो जाया करते हैं क्योंकि यह नियम सिर्फ पर (निमित्त) की अपेक्षा रहित केवल वस्तु की स्वकीय परिणमन स्वभावरूप उपादान शक्ति के आधार पर होने वाले षड्गुण हानिवृद्धि रूप स्वप्रत्यय परिणमनो में ही लागू होता है इसके अतिरिक्त निमित्तों की सहायता पूर्वक उक्त उपादान शक्ति के आधार पर होने वाले जितने स्वपर प्रत्यय परिणमन प्रत्येक वस्तु में उत्पन्न होते हैं उनमें उक्त नियम उक्त प्रकार रूप में लागू नहीं होता है । यही कारण है कि समयसार में ही पुद्गल के कर्मरूप परिणमन में जीव की क्रोधादिभावरूप वैभाविक परिणति को तथा जीव की क्रोधादिभावरूप वैभाविक परिणति में पुद्गल की कर्मरूप परिणति को निमित्त रूप से हेतु स्वीकार किया गया है । यथा—

जीवपरिणामहेतु कम्मत्तं पुग्गला परिणमति ।

पुग्गलकम्मणिमित्तं तद्देव जीवो वि परिणमइ ॥८६॥

इस गात्र का यह अर्थ है कि जीव के परिणामो के सहयोग से पुद्गल कर्मरूप परिणत होते हैं और पुद्गल कर्म के सहयोग से जीव क्रोधादि रूप परिणत होता है ।

और तो क्या जीव के ज्ञान और दर्शन गुणो का विविध रूप उपयोगाकार परिणमन ज्ञेय और दृश्य पदार्थों के परिणमन के अनुसार तथा आकाश के अवगाहक स्वभाव का प्रतिक्षण होने वाला परिणमन अवगाह्यमान पदार्थों के परिणमन के अनुसार ही हुआ करता है तथा इसी प्रकार की व्यवस्था धर्मादि द्रव्यो मे भी जान लेना चाहिये ।

इस प्रकार आगम ग्रन्थो मे कार्यकारणभाव को लेकर जैसे उपादानोपादेयभाव के समर्थक प्रमाण पाये जाते हैं उसी प्रकार निमित्त नैमित्तिक भाव के भी समर्थक प्रमाण पाये जाते हैं अत उपादानोपादेय भाव रूप कार्यकारण भाव ही वास्तविक है निमित्त नैमित्तिक भाव रूप कार्यकारण भाव वास्तविक नहीं है केवल उपचरित अर्थात् कल्पित या कथन मात्र है—ऐसा प० फूलचन्द्र जी का मत मिथ्या ही है । क्योंकि उपर्युक्त विवेचन से यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के कोई भी परिणमन उस उस द्रव्य के उस उस परिणमन के अनुकूल उपादान शक्ति के अभाव मे केवल निमित्तो के आधार पर नहीं होते हैं उसी प्रकार अनुकूल उपादान शक्ति का सद्भाव रहने पर भी प्रत्येक द्रव्य के परस्पर विरोधी और अविरोधी सभी प्रकार के स्वपरप्रत्यय परिणमन भी अनुकूल निमित्त सामग्री के समागम के अभाव मे नहीं हुआ करते हैं ।

इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्य के स्वपर प्रत्यय परिणमन उस-उस द्रव्य की परिणमन स्वभावभूत उपादान शक्ति

के साथ निमित्त सामग्री के समागम पूर्वक ही हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, परिणमन के अनुकूल उपादान शक्ति विशिष्ट द्रव्य को जब और जहा जैसा निमित्त सामग्री का समागम प्राप्त होता है वैसा ही परिणमन उस द्रव्य का हुआ करता है। जैसे खानि मे पडी हुई मिट्टी मे यदि घडा आदि के निर्माण के अनुकूल पिंड का रूप धारण करने की स्वभावतः योग्यता विद्यमान है तो उसकी जानकारी होने पर कुम्भकार उस मिट्टी को खानि से अनुकूल निमित्तो के सहयोग से घर लाकर अनुकूल निमित्तो के सहयोग से ही उसे पिंड रूप मे परिवर्तित करता है और तब वह कुम्भकार अपनी इच्छा से अथवा दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा से उस पिंडरूप परिणत मिट्टी से स्व और पर की आवश्यकतानुसार घडा, सकोरा आदि विविध प्रकार की वस्तुयें उसमे पायी जाने वाली स्वभावभूत उपादान शक्ति के आधार पर अनुकूल साधनो के सहयोग से बनाता चला जाता है। अर्थात् कुम्भकार तो घडा, सकोरा आदि के निर्माण के अनुरूप स्वकीय व्यापार करता जाता है और उसके सहारे से घडा, सकोरा आदि वस्तुये अपने रूप मे मिट्टी मे पायी जाने वाली योग्यता के अनुसार बनती चली जाती है।

वास्तव मे यह बात अनुभवसिद्ध भी है कि निमित्तो की अनुकूलता के अनुसार अपनी अपनी उपादान शक्ति के बल पर प्रत्येक द्रव्य का एक क्षणवर्ती अथवा अनेक क्षणवर्ती स्वपर-प्रत्यय परिणमन सतत हुआ करता है। इतना ही नहीं, जैसा-जैसा परिवर्तन जब-जब निमित्त सामग्री मे होता जाता है तब-तब वैसा ही परिवर्तन द्रव्यो के स्वपर-प्रत्यय परिणमन मे भी उनकी उपादान शक्ति के बल पर होता जाता है।

मे प० पूननन्द्र जा य उक्त विषय मन्वन्वा लघन का मोमागा करते हुए पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी वस्तु में जो किसी भी प्रकार का परिणमनरूप कार्य उत्पन्न होता है वह उस वस्तु में पायी जाने वाली उस कार्य के अनुकूल उपादान शक्ति के आधार पर ही उत्पन्न होता है। यह बात नहीं है कि कोई अन्य वस्तु जिसे निमित्त नाम से पुकारा जाता है— किसी अन्य वस्तु में ऐसा भी परिणमनरूप कार्य उत्पन्न

कर सकती है जिसके उत्पन्न होने की योग्यता (नित्य उपादान शक्ति) उस अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है, फिर भी यह बात निश्चित है कि उक्त परिणामरूप कार्य यदि स्वपरप्रत्यय स्वभाव वाला है तो वह कभी भी अनुकूल निमित्तों के सहारे के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है। जैसे घटरूप परिणाम की योग्यता (नित्य उपादान शक्ति) मिट्टी में विद्यमान है तो कुम्भकार के द्वारा उस मिट्टी से घट का निर्माण किया जाता हुआ देखा जाता है, लेकिन जब उस मिट्टी में घटरूप परिणाम करने की योग्यता विद्यमान नहीं है तो तन्तुवाय के द्वारा उस मिट्टी से पट का निर्माण किया जाता हुआ कभी नहीं देखा जाता है। इतना अवश्य है कि घट मिट्टी की स्वपरप्रत्यय पर्याय होने के कारण जब तक कुम्भकार दण्ड, चक्र आदि आवश्यक साधन सामग्री के सहयोग से मिट्टी के घटरूप परिणाम के अनुकूल अपना पुरुषार्थ (व्यापार) नहीं करता है तब तक उस मिट्टी से घट का निर्माण होना असंभव ही बना रहता है। इसी प्रकार मनुष्य में पढ़ने की योग्यता विद्यमान है तो दीपक के प्रकाश में वह पढ़ता है, लेकिन किसी मनुष्य में यदि पढ़ने की योग्यता ही विद्यमान नहीं है तो दीपक का प्रकाश रहते हुए भी वह मनुष्य हमेशा पढ़ने में असमर्थ ही रहा करता है। इतना अवश्य है कि पढ़ना उस मनुष्य की स्वपरप्रत्यय पर्याय होने के कारण जब तक पढ़ने के अनुकूल प्रकाश का सहयोग पढ़ने की योग्यता रखने वाले उस मनुष्य को प्राप्त नहीं होगा तब तक वह मनुष्य पढ़ने में असमर्थ ही रहेगा। यही कारण है कि प० जगन्मोहन लाल जी को भी अपने उल्लिखित लेख में मनुष्य के पढ़ने रूप कार्य में दीपक की निमित्तता का समर्थन करना पड़ा है। लेकिन उन्हें मालूम

होना चाहिये कि उनमें हम समर्थन से उनकी मान्य निमित्त की अतिनिष्कामता का महत्त्व हो जाना है ।

यहाँ यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि मिट्टी में घट निर्माण होने के प्रति पुम्भकार के निमित्त होने पर भी यदि पुम्भकार के मन में घटनिर्माण के अथवा पुरस्कार करने की प्रेरणा देना जैसे तभी इच्छा जाग्रत नहीं होती है या घटनिर्माण के अनुकूल अन्य कोई आवश्यक निमित्त सामग्री वहाँ उपलब्ध नहीं रहती है अथवा घटनिर्माण के प्रतिफल वास्तव सामग्री उपस्थित रहती है तो ऐसी हानत में उस समय घटनिर्माण की योग्यता विशिष्ट मिट्टी में घट का निर्माण करापि नहीं होगा । इसी प्रकार पत्थर की योग्यता विशिष्ट मनुष्य के पठन कार्य के प्रति दीर्घ के प्रयास में निमित्त होने पर भी यदि मनुष्य की इच्छा पठने की नहीं है या पठने के अनुकूल अन्य कोई आवश्यक निमित्त सामग्री उपलब्ध नहीं है अथवा पठन रूप व्यापार के प्रतिफल वास्तव सामग्री वहाँ उपस्थित है तो ऐसी हानत में मनुष्य का पठन रूप व्यापार नहीं होगा ।

सात्वयं यह है कि उपादान कारण और किसी एक या अनेक निमित्त कारणों के सद्भाव में भी यदि एक या अनेक अन्य कारणों की निमित्तों का अभाव रहता है अथवा उपादान कारणता विशिष्ट वस्तु को सम्पूर्ण निमित्त सामग्री की अनुकूलता प्राप्त रहने पर भी यदि कोई बाधक सामग्री का संयोग प्राप्त हो जाता है तो उस हानत में भी कारणों की समग्रता विद्यमान न रहने के कारण अथवा सम्पूर्ण साधन सामग्री के सद्भाव के साथ-साथ बाधक सामग्री का भी सद्भाव रहने के कारण



कार्योत्पत्ति का होना असंभव ही रहेगा । अर्थात् यह बात अनुभव सिद्ध है कि कार्य के प्रति उपादान और उसके सहयोगी संपूर्ण निमित्त मिलकर जब परस्पर अनुकूलता को प्राप्त हो जाते हैं तथा किसी भी प्रकार की बाधक सामग्री की उपस्थिति वहाँ नहीं रहती है तभी कार्य की निष्पत्ति देखी जाती है अन्यथा नहीं ।

इस तरह यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कार्योत्पत्ति में उपादान कारण व निमित्त कारणों का सद्भाव और बाधक कारणों का अभाव से सभी कार्यकारी हैं कोई भी अकिंचित्कर नहीं । इतना अवश्य है कि यद्यपि कार्य इन सबके सहयोग से ही होता है पर कार्य सब अपना-अपना ही करते हैं ऐसा नहीं है एक दूसरा एक दूसरे के कार्य को करने लगता हो । अर्थात् उपादान का कार्य कार्यरूप परिणत होना है अतः वह कार्यरूप परिणत होता है और निमित्त के सद्भाव तथा बाधक सामग्री के अभाव का कार्य उपादान की कार्यपरिणति में सहयोग देना ही है अतः वे सहयोगी बन कर ही कृतार्थ हो जाते हैं ।

५० जगन्मोहनलाल जी ने अपने प्राक्कथन में आगे चल कर पृष्ठ १३ पर “कार्योत्पत्ति में निमित्तों का स्थान है इसका निषेध नहीं” इस वाक्य द्वारा कार्य के प्रति उपादान की तरह निमित्तों की उपयोगिता का भी समर्थन किया है, इसलिये निमित्त कारणों के विषय में उनका यह लिखना कि “यह सब कथन उपचरित ही मानना चाहिये” अयुक्त ही समझ में आता है कारण कि मेरे ऊपर लिखे कथन के अनुसार कार्योत्पत्ति में निमित्तों की स्थिति उपचरित अर्थात् असत्य या कल्पित न होकर वास्तविक ही सिद्ध होती है । ऐसी स्थिति में निमित्तों की कार्यो-

त्पत्ति के प्रति यदि किसी प्रकार उपचरितता स्वीकार की जाती है तो वह उपचरितता इसी रूप में स्वीकार की जा सकती है कि जिस तरह उपादान कारण कार्यरूप परिणत होता है उस तरह निमित्त कारण उस कार्यरूप परिणत नहीं होता है केवल उपादान की कार्य परिणति से सहयोगी-मात्र होता है। लेकिन इसमें यह तो सिद्ध नहीं होता कि निमित्त वहाँ सर्वथा अकिंचित्कर ही बना रहता है। इस विषय को पूर्व में विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जा चुका है।

प० जगन्मोहनलाल जी ने अपने कथन का जो यह निष्कर्ष निकाला है कि “चूँकि दीपक मनुष्य को बलात् (जबर-दस्ती) पढाता नहीं, इसलिए वह मनुष्य के पढने में निमित्त माना गया है।” सो उनका यह निष्कर्ष निकालना भी अयुक्त है क्योंकि आगम में निमित्तों का एक भेद प्रेरक भी माना गया है और निमित्तों की प्रेरकता अनुभव गम्य भी है। जैसे कुम्भकार घटोत्पत्ति में प्रेरक निमित्त ही तो है कारण कि जब तक कुम्भकार अपना व्यापार घटोत्पत्ति के अनुकूल नहीं करता है तब तक घटोत्पत्ति का होना असम्भव ही रहता है। इसी तरह ऐन्जन के चलने पर उससे सयुक्त रेलगाड़ी के डिब्बे भी चल पडते हैं तो ऐन्जन भी उन डिब्बों के चलने में प्रेरक निमित्त हो जाता है और इसी तरह ड्राईवर भी ऐन्जन के चलने में प्रेरक निमित्त होता है। मालूम पडता है पण्डित जगन्मोहन लाल जी व प० फूलचन्द्रजी आदि प्रेरकता का अर्थ कार्य रूप परिणत होना मान लेना चाहते हैं अथवा अन्य वस्तु में कार्योत्पत्ति की निजी योग्यता न रहते हुए भी अन्य वस्तु द्वारा उस कार्य की उत्पत्ति करा देना मान लेना चाहते हैं, लेकिन यह उन लोगों की भ्रान्ति ही है क्योंकि कार्योत्पत्ति की निजी

योग्यता के अभाव में किसी वस्तु को अन्य कोई वस्तु कार्यरूप परिणत नहीं करा सकती है। यह बात पूर्व में बतलायी जा चुकी है तथा कार्यरूप परिणति होना तो उपादान का ही कार्य है और उपादान की उस कार्यरूप परिणति में प्रेरणारूप सहायता देना प्रेरक निमित्त का कार्य है। यही कारण है कि लोक में और आगम में जहाँ उपादान का कार्य चलना, बनना, पढ़ना आदि के रूप में माना गया है वहाँ उसकी सहायता के रूप में ही निमित्त का कार्य, चलाना, बनाना, पढ़ाना आदि माना किया गया है। अब यदि चलाना, बनाना, पढ़ाना आदि रूप क्रिया प्रेरणारूप है तो वह प्रेरक निमित्त का कार्य है और यदि उदासीनता रूप है तो वह उदासीन निमित्त का कार्य है लेकिन दोनों ही निमित्त कार्यरूप परिणति के प्रति उपादान में सक्षमता आने के लिए सहायक होते हैं। निमित्त को जो बलाधायक कहा जाता है वह इसी रूप में कहा जाता है। अर्थात् निमित्त कार्यरूप परिणत तो नहीं होता, फिर भी उपादान में कार्य रूप परिणत होने की योग्यता रहते हुए भी वह जो कार्य रूप परिणत नहीं हो पा रहा है वह उसकी अक्षमता है उस अक्षमता का विनाश तदनुकूल निमित्तों की सहायता से ही होता है। आचार्य विद्यानन्दी के द्वारा अष्टसहस्री में लिखित “तद सामर्थ्यं म खण्ड यदाकचित्करं किं सहकारी कारण स्यात्” वचन का यही अभिप्राय है जिसका अर्थ यह है कि सहकारी कारण ( निमित्त कारण ) उपादान कारण की कार्योत्पत्ति की योग्यता रहते हुए भी कार्योत्पत्ति न हो सकने रूप अक्षमता का यदि खण्डन नहीं करता है तो वह सहकारी कारण ( निमित्तकारण ) कहा जा सकता है क्या ?

मेरे इस स्पष्टीकरण से यह भली-भाँति सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य के पठन रूप व्यापार के प्रति दीपक की निमित्त-कारणता इसलिए नहीं समझना चाहिए कि वह मनुष्य में पढ़ने की योग्यता न रहते हुए भी मनुष्य को पढ़ाता है अथवा पढ़ने में उसे मजबूर करता है और अथवा अपना गुण-धर्म उसमें प्रविष्ट करा देता है प्रत्युत मनुष्य में पढ़ने की योग्यता हो और उसकी इच्छा पढ़ने की हो तथा अन्य सहायक सामग्री भी विद्यमान हो व बाधक कारणों का अभाव हो तो वह दीपक के सहारे पर पढ़ सकता है और यदि दीपक का सहारा उसको प्राप्त न हो तो वह नहीं पढ़ सकता है। इसी प्रकार दीपक स्वयं पढ़ने रूप व्यापार करने लग जाता है—सो यह भी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि न तो दीपक स्वयं पढ़ता है और न वह पढ़ने की योग्यता रहित मनुष्य को पढ़ने में सहायक ही होता है। इसी तरह पढ़ने की योग्यता विशिष्ट मनुष्य पढ़ता तो स्वयं (आप) ही है परन्तु दीपक के अभाव में जो वह पढ़ने में असमर्थ हो रहा था सो दीपक का सहारा प्राप्त होते ही वह पढ़ने लगता है। इस तरह मनुष्य ही पढ़ता है इसलिए तो वह पठन कार्य के प्रति उपादान कारण है और दीपक की सहायता से वह पढ़ता है इसलिए दीपक उसमें निमित्त या सहायक कारण है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निमित्त कारण स्वयं कार्य-रूप परिणत न होते हुए भी अकिञ्चित्कर नहीं है किन्तु उपादान कारण की कार्यरूप परिणति में सहायक होने के आधार पर कार्यकारी ही है।

(४) प० फूलचन्द्रजी और प० जगन्मोहनलालजी दोनों ही विद्वान् उपादान के नित्य और अनित्य (क्षणिक) ऐसे दो भेद

स्वीकार करते हैं तथा अनित्य ( क्षणिक ) उपादान को समर्थ उपादान की सज्ञा देकर वे यह कहते हैं कि कार्य की उत्पत्ति समर्थ उपादान से ही होती है। दोनो ही विद्वान नित्य उपादान-भूत वस्तु की कार्य से अव्यवहित पूर्व पर्याय विशिष्टता को समर्थ उपादान का लक्षण कहते हैं। इसके समर्थन में मैं यहा पर पण्डित फूलचन्द्र जी का निम्नलिखित कथन उद्धृत कर रहा हूँ।

“स्वभाव और समर्थ उपादान में फरक है। स्वभाव सार्वकालिक होता है इसी का दूसरा नाम नित्य उपादान है और समर्थ उपादान जिस कार्य का वह उपादान होता है उस कार्य के एक समय पूर्व होता है। कार्य समर्थ उपादान के अनुसार होता है, मात्र स्वभाव या नित्य उपादान उसमें अनुस्यूत रहता है इतना अवश्य है। समर्थ उपादान प्रत्येक समय का अन्य-अन्य होता है इसलिये इसे क्षणिक उपादान भी कहते हैं।” (जैनतत्त्वमीमांसा के “निमित्त कारण की स्वीकृति” प्रकरण पृष्ठ ४१ की टिप्पणी)।

अपनी इस मान्यता के आधार पर ही दोनो विद्वानो का कहना है कि उपादानभूत वस्तु जब समर्थ उपादान की स्थिति में पहुँच जाती है तब कार्य नियम से हो जाया करता है। निमित्तो का अभाव अथवा निमित्तो के सद्भाव के साथ ही बाधक-सामग्री का सद्भाव जैसी कोई परिस्थिति उस समर्थ उपादान के नियत कार्यरूप परिणत होने में बाधक नहीं होती है प्रत्युत जो कार्यरूप परिणति विवक्षित समय में होती है उसकी उसे साधक ही समझना चाहिये। इसका समर्थन पण्डित जगन्मोहन लाल जी के निम्नलिखित कथन से हाता है।

“जब समर्थ उपादान और लोक मे निमित्त रहते हुए भी कार्य की लोक मे कही जाने वाली बाधक सामग्री आ जाती है तब विवक्षित द्रव्य उसके कारण क्या अपने परिणमन स्वभाव को छोड़ देता है ? यदि कहो कि द्रव्य का परिणमन तो तब भी होता रहता है । यह तो उसका स्वभाव है उमे वह कैसे छोड़ सकता है ? तो हम पूछते हैं कि जिसे आप बाधक सामग्री कहते हो वह किस कार्य की बाधक मानकर कहते हो ? आप कहोगे कि जो कार्य हम उसमे उत्पन्न करना चाहते थे वह कार्य नहीं हुआ, इसलिए हम ऐसा कहते है, तो विचार कीजिये कि वह सामग्री विवक्षित द्रव्य के आगे होने वाले कार्य की बाधक ठहरो या आपके सकल्प की ? विचार करने पर । वदित होता है कि वस्तुतः विवक्षित द्रव्य के कार्य की बाधक तो वह त्रिकाल मे नहीं है । हा आगे उस द्रव्य का जैसा परिणमन चाहते थे वैसा नहीं हुआ, इसलिये आप उसे कार्य की बाधक कहते हो । सो भाई ! यही तो भ्रम है । इसी भ्रम को दूर करना है । वस्तुतः उस समय द्रव्य का परिणमन ही आपके सकल्पानुसार न होकर अपने उपादान के अनुसार होने वाला था, इसलिये जिमे आप अपने मन से बाधक सामग्री कहते हो वह उस समय उस प्रकार के परिणमन मे निमित्त हो गयी । अतः इन तर्कों के समाधान स्वरूप यही समझना चाहिये कि प्रत्येक समय मे कार्य तो अपने उपादान के अनुसार ही होता है और उस समय जो बाह्य सामग्री उपस्थित होती है वही उसमे निमित्त हो जाती है । निमित्त स्वयं अन्य द्रव्य के किसी कार्य को करता हो ऐसा नहीं है ।” (जैनतत्त्वमीमासा का प्राक्-कथन पृष्ठ १२) ।

इस प्रकार दोनो ही विद्वान इन तथा इसी प्रकार के

और भी दूसरे कथनों द्वारा यही सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्येक समय में कार्य तो अपने समर्थ उपादान के अनुसार ही हुआ करता है और इस तरह दोनों ही विद्वान् निमित्तों की कार्य के प्रति वास्तविक स्थिति न मानते हुए उन्हें केवल उपचरित स्थिति में पटक देना चाहते हैं। अर्थात् वे कहते हैं कि उपादान से होने वाली कार्योत्पत्ति के अवसर पर निमित्त नाम से पुकारी जाने वाली सामग्री चूँकि वहाँ नियम से विद्यमान रहा करती है इसलिये लोक में मात्र ऐसा बोला जाता है कि अमुक कार्य के प्रति अमुक निमित्त होता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि कार्य अपने क्षणिक या समर्थ उपादान के बल पर ही नियम से उत्पन्न हो जाया करता है।

उक्त उभय विद्वानों की इस उल्लिखित मान्यता की मीमांसा के प्रसंग में मैं यह सकेत कर देना चाहता हूँ कि कार्योत्पत्ति में नित्य उपादान अर्थात् वस्तु की कार्यरूप परिणति में कारणभूत स्वभावगत योग्यता तथा क्षणिक उपादान अर्थात् वस्तु की कार्यरूप परिणति से अव्यवहित पूर्व समयवर्ती पर्याय विशिष्टता की नियामकता के विषय में कोई विवाद नहीं है। यानि विवक्षित वस्तु में उसी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है जिसकी स्वभावगत योग्यता उस वस्तु में हो तथा वह कार्य तभी उत्पन्न हो सकता है जब वह वस्तु उस कार्य की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्व समयवर्ती पर्याय में पहुँच गयी हो। विवाद केवल इस बात का है कि जहाँ उक्त उभय विद्वान् यह मानते हैं कि प्रत्येक कार्य अपने उपादान के अनुसार ही होता है उसमें निमित्त की कुछ भी अपेक्षा नहीं रहा करती है वहाँ मेरा कहना यह है कि स्वप्रत्यय कार्य तो निमित्त की अपेक्षा रहित केवल अपने उपादान के अनुसार ही होता है लेकिन स्वपरप्रत्यय कार्य

होता तो अपने उपादान के अनुसार ही है फिर भी निमित्तो के सहयोग पूर्वक ही हुआ करता है और उममे यकायक जो विलक्षण परिवर्तन होता हुआ देखा जाता है वह परिवर्तन उपादान के अनुसार होकर भी परिवर्तित निमित्तो के आधार पर ही हुआ करता है। जैसे जीव मे क्रोध कषाय और मान-कषाय दोनो रूप से परिणमन करने की योग्यता (उपादानशक्ति) विद्यमान है तो वह जीव तभी और तब तक क्रोधी बनता है जब और जब तक उसमे क्रोध कर्म का उदय उसके क्रोधी बनने मे सक्षम रहता है लेकिन उसमे जब क्रोध कर्म के उदय की कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है और मान कर्म के उदय की कार्य क्षमता अस्तित्व मे आ जाती है तो तब उसकी क्रोधरूप परिणति समाप्त होकर मान रूप परिणति होने लग जाती है। इसमे दूसरा उदाहरण भव्य और अभव्य जीवो का है। अर्थात् अभव्य जीव कभी मुक्त नहीं होता है क्योंकि उसमे मुक्त होने की स्वभावगत योग्यता ( उपादानशक्ति ) ही नहीं है और भव्यजीव इसलिये मुक्त हो सकता है कि उसमे मुक्त हाने की स्वभावगत योग्यता ( उपादानशक्ति ) विद्यमान है। परन्तु भव्यजीव मुक्त होता है तो उसके पूर्व उसकी अशुद्ध पर्याय ही राह करती है इसलिये उसका अशुद्ध पर्याय से शुद्ध पर्याय मे पहुँचने का परद्रव्य सम्बन्ध त्रिच्छेद के अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है ? इस पर उक्त उभय विद्वानो को ध्यान देना चाहिये। मेरे इस कथन से यह निष्कर्ष सहज ही निकल आता है कि भव्यजीव मे मुक्त होने की स्वभावगत योग्यता ( उपादानशक्ति ) रहते हुए भी तभी मुक्त होता है जब उसके पक्ष मे सम्पूर्ण निमित्त सामग्री रहा करती है। इतना ही नहीं, उसके पक्ष मे अनुकूल निमित्त सामग्री के रहते हुए भा यदि



कदाचित् बाधक सामग्री उपस्थित हो तो तब उक्त भव्यजीव का मुक्त होना तब तक असम्भव रहेगा जब तक वह बाधक सामग्री नहीं हट जायगी। इसके लिये निम्नलिखित दृष्टान्त पर ध्यान देना चाहिये।

सूर्यकान्तमणि को यदि सूर्य के सन्मुख रख दिया जावे और उस पर से सूर्य की किरणों को यथायोग्य वस्तु पर फेंका जावे तो उस वस्तु में अग्नि प्रज्वलित हो जाया करती है लेकिन सूर्यकान्त मणि के हटा देने पर जिस प्रकार उक्त वस्तु में उपादानशक्ति रहते हुए भी अग्नि के प्रज्वलित होने की सम्भावना जाती रहती है उसी प्रकार सूर्यकान्तमणि के सद्भाव में भी यदि बाधक कारण स्वरूप चन्द्रकान्तमणि की उपस्थिति वहा पर हो जावे तो भी उस वस्तु में अग्नि का प्रज्वलित होना असम्भव हो जाता है।

इस प्रकार यह बात निश्चित हो जाती है कि यद्यपि उपादानभूत वस्तु ही अपनी योग्यता (उपादानशक्ति) के अनुसार कार्यरूप परिणत हुआ करती है परन्तु यदि उसकी वह कार्यरूप परिणति स्वपरप्रत्यय हो, तो उसका होना अनुकूल निमित्तों के सहयोग और बाधक कारणों के वियोग पर ही निर्भर रहा करता है। यही कारण है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति विवक्षित कार्य की उत्पत्ति के लिये उपादानोपादेय भावरूप कार्यकारणभाव के साथ-साथ निमित्तनैमित्तिक भावरूप कार्यकारणभाव पर भी दृष्टि रखता हुआ उपादान के साथ कार्य के अनुकूल निमित्त सामग्री को जुटाने का भी प्रयत्न किया करता है। यह प्रक्रिया लौकिक और पारमार्थिक दोनों

तरह के कार्यों की उत्पत्ति के विषय में अनुभव और इन्द्रिय-प्रत्यक्षगम्य, अनुमान सिद्ध और आगम समर्थित है और इस प्रकार इस प्रक्रिया के अनुसार प्रयत्न करने पर भी यदि कदाचित् कार्य निष्पत्ति नहीं होती है तो उसका कारण या तो वस्तु में उपादानशक्ति का अभाव होगा या फिर कार्योत्पत्ति के अनुकूल निमित्त सामग्री का सर्वथा अभाव या उसकी पूर्णता का अभाव उसका कारण होगा अथवा ये सब कारण विद्यमान रहते हुए भी यदि कार्य निष्पन्न नहीं होगा तो उसका कारण फिर बाधक सामग्री का सद्भाव होगा ।

हमें आश्चर्य होता है कि प० फूलचन्द्रजी और जगन्मोहनलाल जी तथा उनके समपक्षीजन कार्यकारणभाव की इस प्रक्रिया को अपनाते हुए भी इसे मानने से कतराते हैं ।

ऊपर मैं कह आया हूँ कि कार्योत्पत्ति में नित्य उपादान अर्थात् वस्तु की कार्यरूप परिणति में कारणभूत स्वभावगत योग्यता तथा क्षणिक उपादान अर्थात् वस्तु की कार्यरूप परिणति से अव्यवहित पूर्व समयवर्ती पर्याय विशिष्टता की नियामकता के विषय में कोई विवाद नहीं है, परन्तु इतनी बात अवश्य है कि नित्य उपादानभूत वस्तु जो कार्य से अव्यवहित पूर्व समयवर्ती पर्याय रूप क्षणिक उपादानता को प्राप्त होती है वह स्वपरप्रत्यय कार्य में निमित्त सामग्री की सहायता से ही पहुँचती है अपने आप नहीं । इसका समर्थन प्रमेयकमलमार्तण्ड के निम्नलिखित कथन से होता है—

“यच्चोच्यते-शक्तिनित्या अनित्याचेत्यादि, तत्र किमय द्रव्यशक्तौ पर्यायशक्तौ वा प्रश्न स्यात् भावानां द्रव्यपर्याय शक्त्यात्मकत्वात् । तत्र द्रव्यशक्तिनित्यैव, अनादिनिघन-स्वभावत्वाद् द्रव्यस्य । पर्यायशक्तिस्त्वनित्यैव, सादिसपर्यवसान-

त्वात्पर्यायागाम् । न च शक्तेर्नित्यत्वे सहकारिकारणानपेक्षयै-  
वार्थस्य कार्यकारित्वानुषंग, द्रव्यशक्ते केवलाया कार्यकारि-  
त्वानभ्युपगमात् । पर्यायशक्ति समन्विता हि द्रव्यशक्ति कार्य-  
कारिणी, विशिष्टपर्याय परिणतस्थैव द्रव्यस्य कार्यकारित्व  
प्रतीते । तत्परिणतिश्चास्य सहकारिकारणापेक्षयैव—इति  
पर्यायशक्तेस्तदैवभावान्न सर्वदा कार्योत्पत्ति प्रसंग सहकारि-  
कारणापेक्षावैयर्थ्यं वा ।” (प्रमेयकमलभार्तण्ड २-१ पृष्ठ १८७)

अर्थ—यह जो कहा जाता है कि शक्ति नित्य है या  
अनित्य है—इत्यादि । सो यह प्रश्न क्या द्रव्यशक्ति के विषय मे  
है अथवा पर्यायशक्ति के विषय मे है क्योंकि पदार्थ द्रव्य और  
पर्याय उभयशक्ति सम्पन्न होते हैं । उन दोनो शक्तियो मे से  
द्रव्यशक्ति नित्य ही है क्योंकि द्रव्य अनादि निधन स्वभाव वाला  
होता है । पर्यायशक्ति तो अनित्य ही है क्योंकि पर्याय सादि-  
सान्त होती है । यह कहा जाय कि जब शक्ति नित्य है तो  
सहकारी कारण की अपेक्षा किये बिना ही कार्यकारित्व की  
प्रसक्ति हो जायगी—सो ऐसा नही है क्योंकि केवल द्रव्यशक्ति  
का कार्यकारित्व नहो स्वीकार किया गया है, किन्तु पर्यायशक्ति  
से समन्वित द्रव्य ही कार्य करने मे समर्थ हुआ करती है ।  
इसका कारण यह है कि विशिष्ट पर्याय से परिणत द्रव्य मे ही  
कायकारित्व की प्रतीति होती है और द्रव्य की उस विशिष्ट-  
पर्यायरूप परिणति सहकारी कारण की अपेक्षा से ही हुआ  
करती है अत पर्यायशक्ति तभी उत्पन्न होती है जब सहकारी  
कारण का समागम द्रव्य को प्राप्त होता है इस तरह न तो  
सर्वदा कार्योत्पत्ति की प्रसक्ति होती है और न कार्योत्पत्ति मे  
सहकारण की अपेक्षा ही व्यर्थ होती है ।

इसमे स्पष्ट बतला दिया गया है कि वस्तु मे अनित्य

उपादान शक्ति का प्रादुर्भाव सहकारीकारण के सहयोग से होता है और इसी आधार पर यह भी बतला दिया गया है कि कार्योत्पत्ति में सहकारीकारण अकिञ्चित्कर नहीं होता है।

जिस तरह कार्योत्पत्ति में नित्य उपादान और क्षणिक उपादान की नियामकता में कोई विवाद नहीं है उसी तरह अनित्य उपादान को समर्थ उपादान मानने में भी कोई विवाद नहीं है, परन्तु इसमें भी यह ध्यान रखना है कि समर्थ उपादान से किसी एक नियत कार्य की ही उत्पत्ति होती है—ऐसा नहीं है, किन्तु उसी कार्य की उत्पत्ति होती है जिसके अनुकूल निमित्त सामग्री का सहयोग उस समर्थ उपादान को प्राप्त रहता है। तात्पर्य यह है कि कार्य का समर्थ उपादान उसकी अव्यवहित पूर्व समयवर्ती पर्याय कहलाती है और वह पर्याय प्रमेय कमल-मार्तण्ड के उपर्युक्त कथन के अनुसार सहकारिकारण सापेक्ष उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जो कार्य है वह भी प्रमेय कमल-मार्तण्ड के उसी कथन के अनुसार उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में उत्पन्न होने वाली पर्याय का समर्थ उपादान हो जाता है अतः वह भी सहकारी कारण सापेक्ष ही उत्पन्न होता है—ऐसा जानना चाहिए। इस तरह वस्तु की पूर्व और उत्तर सभी पर्यायों पूर्व पर्याय की कार्य होते हुए भी उत्तर पर्याय की जब कारण सिद्ध हो जाती हैं तो उनकी सहकारिकारण सापेक्षता निर्विवाद सिद्ध हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तु की त्रिकालवर्ती सभी पर्यायों सहकारिकारण सापेक्ष होकर ही उत्पन्न होती हैं अतः यह सिद्धान्त फलित होता है कि कार्याव्यवहित पूर्वपर्याय में कार्यरूप परिणत होने योग्य नाना योग्यतायें विद्यमान हैं लेकिन उसी कार्यरूप पर्याय की उत्पत्ति उत्तर क्षण में होती है

जिसके अनुकूल निमित्त सामग्री का सहयोग उस पूर्वपर्याय को प्राप्त होता है तथा इसके साथ ही यदि बाधक कारण की उपस्थिति वहाँ हो जाती है तो वह पर्याय भी उत्पन्न न होकर वही पर्याय उत्पन्न होती है जिसके अनुकूल निमित्त सामग्री का सद्भाव और बाधक कारण का अभाव वहाँ उपस्थित रहता है अतः इसमें वस्तु के परिणमन के रुकने की सम्भावना ही नहीं है।

प० फूलचन्द्र जी और प० जगन्मोहनलाल जी का कहना है कि समर्थ उपादान से एक नियत कार्य की उत्पत्ति होती है। इसके लिए जैनतत्त्वमीमासा में स्वामी कार्तिकेय की निम्नलिखित गाथा को प्रमाण रूप से उद्धृत किया गया है—

पुंस्वपरिणामजुतं कारणभावेण वदुदे दव्व ।

उत्तरपरिणामजुदं त चिय कज्ज हवे णियमा ॥२३०॥

इसका अर्थ प० फूलचन्द्र जी ने यह किया है कि अनन्तर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य कारणरूप से प्रवर्तित होता है और अनन्तर उत्तर परिणाम से युक्त द्रव्य वही द्रव्य नियम से कार्य होता है।

यद्यपि इस अर्थ में कोई विवाद नहीं है, परन्तु इसका अभिप्राय प० फूलचन्द्र जी यह लेते हैं कि वस्तु जिस समय कार्याव्यवहितपूर्व पर्याय में पहुँच जाती है तब उसमें एक नियत कार्य के उत्पन्न होने की योग्यता आ जाती है तब वही कार्य नियम से उत्पन्न होना है। इस तरह उसके लिए न तो निमित्त सामग्री की अपेक्षा रहती है और न वहाँ पर बाधक कारण ही

कोई रहता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ ४६-५० पर लिखा है —

“ इस प्रकार इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो अनन्तर पूर्वपर्याय विशिष्ट द्रव्य है उसकी उपादान सज्ञा है और जो अनन्तर उत्तर पर्याय विशिष्ट द्रव्य है उसकी कार्य सज्ञा है। उपादान-उपादेय का यह व्यवहार अनादिकाल से इसी प्रकार चला आ रहा है और अनन्तकाल तक चलता रहेगा।”

आगे वे लिखते हैं --

“ इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हम पहले एक उदाहरण घट कार्य का दे आये हैं। उससे स्पष्ट है कि खान से प्राप्त हुई मिट्टी से यदि घट बनेगा तो उसे क्रम से उन पर्यायों से जाना होगा जिनका निर्देश हम पूर्व में कर आये हैं। कितना ही चतुर निमित्त कारण रूप से उपस्थित कुम्हार क्यों न हो वह खान की मिट्टी से घट पर्याय तक की निष्पत्ति का जो क्रम है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। खान से लाई गई मिट्टी जैसे-जैसे एक-एक पर्याय रूप से निष्पन्न होती जाती है तदनुकूल कुम्हार के हस्त-पादादि का भी परिवर्तन होता जाता है। अन्त में मिट्टी से घट पर्याय की निष्पत्ति इसी क्रम से होती है और जब मिट्टी में से घट पर्याय की निष्पत्ति हो जाती है तो कुम्हार का योग-उपयोग रूप क्रिया व्यापार भी रुक जाता है। उपादान-उपादेय सम्बन्ध के साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध की यह व्यवस्था है जो अनादिकाल से इसी क्रम से एक साथ चली आ रही है और अनन्त काल तक इसी क्रम से चलती रहेगी।”

इस कथन से प० जी वस्तु की अनादि से अनन्तकाल तक की त्रैकालिक पर्यायों की उत्पत्ति को एक नियत स्थिति में

पटक कर निमित्त की अकिंचित्करता को सिद्ध करना चाहते हैं। यानि वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्येक वस्तु मणि-माला के समान नियत स्थिति को प्राप्त अपने त्रैकालिक पर्यायो मे से क्रमश एक-एक पर्याय की भविष्यद्रूपता से वर्तमानरूपता और वर्तमानरूपता से भूत रूपता के रूप मे अनादि काल से अपने आप गुजरती हुई चली आई है और अनन्तकाल तक इसी तरह गुजरती हुई चली जायगी। निमित्त इसमे जब किसी प्रकार का उलट-फेर नही कर सकता है तो फिर निमित्त की उपयोगिता इसमे क्या रह जाती है? इस सम्बन्ध मे वे केवलज्ञान का भी सहारा लेते हैं और समर्थन मे स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा की गाथाओ को प्रमाण रूप से उपस्थित करते है जो निम्न प्रकार है —

ज जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि ।

णाद जिणेण णियद जम्म वा अहव मरण वा ॥३२१॥

त तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि ।

को सक्कइ चालेदु इ दो वा अह जिणियो वा ॥३२२॥

अर्थ—जिस जीव के जिस जन्म अथवा मरण को जिस देश मे जिस वा न मे जिस कारण से होते हुए जिनेन्द्र भगवान ने नियत रूप मे जाना है उस जाव के उस जन्म अथवा मरण के उस देश मे उस काल मे उस कारण से होने को इन्द्र अथवा जिनेन्द्र कौन टाल सकता है? आगे इस पर विचार किया जाता है ।

माना कि केवलज्ञान द्वारा पदार्थों को जानने की यही प्रक्रिया है, परन्तु विचारणीय बात यह है कि अल्पज्ञता को

प्राप्त ससारी जीवो के लौकिक व पारमार्थिक सभी कार्य क्या इस प्रक्रिया को एकान्त रूप से अपनाते से सम्पन्न हो सकते हैं ? या उन्हें उक्त कार्यों की सम्पन्नता के लिए कार्य-कारणभाव का सहारा लेने की अनिवार्य आवश्यकता है ?

सर्वाधिक महत्त्व की बात यह है कि प० फूलचन्द्र जी, प० जगन्मोहनलाल जी और उनके सपक्षी सभी जन कार्य सम्पन्नता के लिए पुरुषार्थ करने का न केवल उपदेश देते हैं प्रत्युत स्वयं भी इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो उनका ऐसा करना क्या स्ववचन बाधित नहीं है ?

वास्तविकता यह है कि केवलज्ञान में तो त्रिकालवर्ती पर्यायों के पिण्डरूप वस्तु युगपत् प्रति समय समान रूप से प्रति-भासित होती रहती है अतः उसमें कार्यकारणभाव का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता है क्योंकि उसमें वस्तु की प्रत्येक पर्याय अपने-अपने नियत समय के साथ स्थित रहती हुई ही प्रतीत होती है। इसका फलितार्थ यह हुआ कि केवलज्ञान की अपेक्षा जिस प्रकार निमित्त नैमित्तिकभावरूप कार्यकारणभाव की अपेक्षा नहीं हो सकती है उसी प्रकार उपादानोपादेयभावरूप कार्यकारणभाव की अपेक्षा भी नहीं होती है। एक बात और है कि जिस प्रकार आँखों द्वारा मणिमाला को देखते हुए भी उसको विविध रूप में विभाजित करना आँखों का कार्य नहीं है मस्तिष्क का कार्य है। अर्थात् जीव आँखों की सहायता से होने वाले मति ज्ञान से मणिमाला के सभी गुरियों को देखता है, उनके रूप-रंग को तथा उनके छोटे-बड़े परिमाण और आकारों को भी देखता है परन्तु गुरियों की सख्या कितनी है, कौन गुरिया का क्या रूप है और कौन गुरिया कितना बड़ा या छोटा है तथा



किसका क्या आकार है ? इत्यादि बातों को वह मस्तिष्क के सहारे पर होने वाले श्रुतज्ञान से ही जानता है यही कारण है कि जब तक बालक का श्रुतज्ञान अल्प विकसित रहा करता है तब तक वह देखते हुए भी यह नहीं जान पाता है कि मणिमाला में कितने गुरिया हैं, क्या उनका रूप है, कौन गुरिया कितना छोटा या बड़ा है और किसका कैसा आकार है ? इसी प्रकार केवल-ज्ञानी जीव वस्तु की त्रैकालिक पर्यायों को जान रहा है परन्तु वह पर्यायों को भूतता, वर्तमानता व भविष्यत्ता का विश्लेषण करके नहीं जानता है वह तो सभी पर्यायों से विशिष्ट वस्तु का प्रतिभासन मात्र करता है। यही कारण है कि उसके ज्ञान को विकल्पात्मक रूप नहीं प्राप्त होता है और यही कारण है कि पाँचों प्रकार के ज्ञानों में मति, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञानों में विकल्पात्मक रूप न होने से नय व्यवस्था सम्भव नहीं है केवल श्रुत ज्ञान में ही विकल्पात्मक रूप होने से नय व्यवस्था सम्भव है। यही स्थिति कार्यकारणभाव के जानने में भी समझना चाहिए। अर्थात् कार्यकारणभाव विकल्पात्मक श्रुत-ज्ञान का ही विषय होता है मतिज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्याय-ज्ञान और केवलज्ञान का विषय नहीं होता है क्योंकि कौन कारण है और कौन कार्य है—यह विकल्प श्रुतज्ञान में ही सम्भव है अन्य ज्ञानों में नहीं। इसलिए कार्य कारणभाव के विकल्प जब श्रुतज्ञानी जीव में ही सम्भव है तो केवल ज्ञान के आधार पर श्रुतज्ञान की स्थिति का माप करना असंगत है।

इस तरह कार्यकारणभाव को जब श्रुतज्ञान में ही स्थान प्राप्त है और श्रुतज्ञान अल्पता तथा पराधीनता के लिए हुए है तो स्वपरप्रत्यय कार्योत्पत्ति में उपादानोपादेय भाव और निर्मित्त नैमित्तिकभाव दोनों को स्थान प्राप्त हो जाता है। यही

कारण है कि जब तक श्रुतज्ञान पूर्ण निर्विकल्पात्मक स्थिति को नहीं प्राप्त होता है तब तब कार्यकारणभाव में यथासम्भव उपादानोपादेयभाव और निमित्त नैमित्तिकभाव दोनों के विकल्प जीव के होते ही रहते हैं और कार्य सम्पन्नता के लिए वह उपादान और निमित्त दोनों का अपने-अपने ढंग से सहारा लिया करता है। कार्योत्पत्ति में हमारा अनुभव और प्रवर्तन इसी ढंग से चल रहा है। प० फूलचन्द्रजी, प० जगन्मोहनलाल जी और उनके सपक्षीजन भले ही इस बात की रट लगाते रहे कि निमित्त अकिंचित्कर है, फिर भी उनका अनुभव और उनका कार्योत्पत्ति में प्रवर्तन उपादानोपादेयभाव और निमित्त नैमित्तिकभाव दोनों को लेकर ही चल रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि “ज जस्स जम्मि देसे”—आदि गायत्रियों का उपयोग कार्यसिद्धि के लिए किंचिन्मात्र नहीं है केवल वस्तु स्थिति को समझने के लिए ही उनका उपयोग हो सकता है जिससे न तो आगम का विरोध है और न कार्योत्पत्ति में उपादानोपादेयभाव के साथ-साथ निमित्त नैमित्तिकभाव को स्थान देने वाले हम लोगो का ही विरोध है। इतना अवश्य है कि यदि कोई कार्योत्पत्ति में उपादानोपादेयभाव की उपेक्षा करके केवल निमित्त नैमित्तिकभाव को ही महत्व देता है तो उसका विरोध आगम भी करता है और कार्योत्पत्ति में उपादानोपादेयभाव के साथ-साथ निमित्त नैमित्तिकभाव को स्थान देने वाले हम लोग भी करते हैं क्योंकि केवल परप्रत्यय कार्य का निषेध आगम भी करता है और हम लोग भी करते हैं। प० फूलचन्द्र जी आदि के साथ आगम का ओर हम लोगो का जो विरोध है वह कार्य की केवल परप्रत्ययता को लेकर नहीं है और न केवल स्वप्रत्ययता को लेकर है क्योंकि प० फूलचन्द्र जी आदि भी

और हम लोग भी परप्रत्यय कार्य का निषेध और स्वप्रत्यय कार्य का समर्थन करते हैं केवल मतभेद इस बात में कि प० फूलचन्द्र जी आदि स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय सभी कार्यों को जहाँ निमित्त को अकिञ्चित्कर मानकर केवल स्वप्रत्यय ही मानते हैं वहाँ हम लोग स्वप्रत्यय कार्यों से पृथक् ही स्वपरप्रत्यय कार्यों को स्वोकार करते हैं जैसा कि आगम से भी समर्थन होता है। अर्थात् आचार्य कुन्दकुन्द ने 'नियमसार की गाथा' १४ में पर्यायो (कार्यों) के दो भेद स्पष्ट स्वीकार किये हैं—एक स्वपरसापेक्ष और दूसरा निरपेक्ष। यहाँ निरपेक्ष का अर्थ परनिरपेक्ष या केवल स्वसापेक्ष ही लिया गया है। इस तरह स्वपरसापेक्ष का ही अर्थ स्वपरप्रत्यय और निरपेक्ष परनिरपेक्ष या केवल स्वसापेक्ष का ही अर्थ स्वप्रत्यय होता है। सर्वार्थ सिद्धि अध्याय ५ सूत्र<sup>२</sup> ७ की टीका में आचार्य पूज्यपाद ने भी कहा है कि उत्पाद दो प्रकार का होता है—एक स्वप्रत्यय और दूसरा परप्रत्यय। इसमें भी परप्रत्यय से स्वपरप्रत्यय ही अर्थ ग्रहण किया गया है।

इस विवेचन का प्रयोजन यह है कि श्रुतज्ञानी जीव केवल ज्ञान में प्रतिभासित वस्तु पर्यायो की नियत स्थिति पर जब तक टिक नहीं जाता है अर्थात् उसका श्रुतज्ञान जब तक पूर्ण निर्विकल्पक दशा को प्राप्त नहीं हो जाता है जो कि ग्यारहवें और बारहवें गुण स्थानों में ही संभव है तब तक उसको कार्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करने का उपदेश आगम में दिया गया है। छठवें गुणस्थान तक तो श्रुतज्ञानी जीव में कार्य-

१—पञ्जाओ दुविषण्यो सपरावेक्खो या णिरवेक्खो ॥

२—द्विविध उत्पाद —स्वनिमित्त परप्रत्ययश्च ।

सिद्धि के लिए पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट देखने में आता है और उसका यह पुरुषार्थ कार्यकारणभाव के आश्रित ही हुआ करता है। वैसे तो पुरुषार्थ को प्रक्रिया सजी पचेन्द्रिय जीवों से लेकर एकेन्द्रिय तक के सभी जीवों में पाई जाती है परन्तु कार्यसिद्धि का सकल्प और उसकी सिद्धि के लिए कार्यकारणभाव का विकल्प सजी पचेन्द्रिय जीवों में ही हुआ करता है कारण कि असजी पचेन्द्रिय जीवों से लेकर एकेन्द्रिय तक के जीवों में मन का अभाव होने से कार्यसिद्धि के सङ्कल्प का अभाव पाया जाता है और इस सकल्प का अभाव रहने के कारण उनमें कार्यकारणभाव के विकल्प का भी अभाव रहा करता है।

प० फूलचन्द्र जी, प० जगन्मोहनलाल जी और उनके समपक्षी जनों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि उनकी अदृष्ट आस्था एकान्त रूप से केवलज्ञान में प्रतिभासित वस्तु की त्रैकालिक पर्यायों की नियत स्थिति पर है तो क्या वे इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि उनके मन में कार्यसिद्धि का सकल्प और मस्तिष्क में कार्यकारणभाव का विकल्प पैदा ही नहीं होता है। यदि वे इस बात से इन्कार करते हैं तो उनका जो कार्यसिद्धि के लिए पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक होता है वह नहीं होना चाहिए था। लेकिन तब वे कार्यसिद्धि के लिए पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक करते देखे जा रहे हैं तो यह निश्चित हो जाता है कि उनके मन में कार्यसिद्धि का सकल्प और मस्तिष्क में कार्यकारणभाव का विकल्प नियम से पैदा होता है और यह तर्क सगत बात है कि एकान्त नियतवाद में सकल्प, विकल्प और पुरुषार्थ को कोई स्थान ही नहीं रह जाता है।

इस प्रकार यह बात निश्चित हो जाती है कि श्रुत-ज्ञानी जीव केवलज्ञान की असीमित ज्ञापन शक्ति को तो

स्वीकार करता है और उसमें अटूट आस्था भी रखता है परन्तु इसके साथ ही वह यह भी जानता है कि कार्य की सिद्धि एकांत नियतवाद की मान्यता के आधार पर नहीं हो जायगी, इसके लिए तो उसे कार्यसिद्धि के सकल्प और कार्यकारणभाव के विकल्पो के आधार पर पुरुषार्थ करना होगा। मुझे आश्चर्य और दुःख होता है कि प० फूलचन्द्रजी आदि एक ओर तो एकान्त नियतवादो बने हुए हैं और इसी का वे प्रचार भी करते हैं तथा कथञ्चित् अनियतवाद की मान्यता का इस आधार पर निषेध करते हैं कि इससे सर्वज्ञता की हानि हो जायगी, लेकिन दूसरी ओर अपने कार्य की सिद्धि का सङ्कल्प, उसकी सिद्धि के लिए कार्यकारणभाव के विकल्प तथा सकल्प और विकल्प के आधार पर पुरुषार्थ भी वे करते हैं, साथ ही यह भी कहते फिरते हैं कि किसी के करने से कुछ नहीं होगा किन्तु जब होना होगा तभी होगा।

तात्पर्य यह है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तु में स्वप्रत्यय परिणमन (कार्य) तो स्वतः ही होते रहते हैं परन्तु स्वपरप्रत्यय परिणमन (कार्य) जो होते हैं वे निमित्त सापेक्ष ही होते हैं। एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय तक के जीवों का पुरुषार्थ भी उस-उस इन्द्रिय से जन्य ज्ञान के स्वसवेदन रूप श्रुतज्ञान के आधार पर उसमें कारण हुआ करता है। संज्ञी पचेन्द्रिय जीवों का पुरुषार्थ कार्यसिद्धि के सङ्कल्प और कार्यकारणभाव के विकल्प के आधार पर उसमें कारण होता है, इसलिए वह जैसी कार्यसिद्धि का सङ्कल्प करता है उसके अनुरूप वह अपनी बुद्धि के अनुसार कार्यकारणभाव का भी निर्णय किया करता है और तब वह कार्यसिद्धि के लिए पुरुषार्थ करता है। यह बात ठूँसरी है कि पुरुषार्थ कार्यसिद्धि के अनुकूल हो, उपादान

पूर्णता हो और बाधक सामग्री का अभाव हो वही कार्योत्पत्ति होती है और जहाँ वे सब अनुकूल वाते न हो वहाँ कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे स्थलो मे इस प्रकार की मान्यता से कार्य नहीं चल सकता है कि कार्योत्पत्ति होना होगी तो हो जायगी अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि जो सजी पचेन्द्रिय जीव जब तक श्रुतज्ञान को निर्विकल्पक समाधि को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसके सामने कार्य की सिद्धि करने का ही प्रश्न रहता है कार्यसिद्धि होना होगी तो हो जायगी ऐसी स्थिति वहाँ नहीं रहा करती है।

माना कि जिसे लोक मे या आगम मे कार्यसिद्धि की बाधक सामग्री कहा जाता है वह भी स्व के अनुकूल कार्यसिद्धि की साधक ही है परन्तु जिस कार्य की सिद्धि वह श्रुतज्ञानी जीव करना चाहता था उसकी तो वह बाधक ही है।

इस प्रकार प० फूलचन्द्र जी आदि के और हम लोगो के मध्य मतभेद केवल इस बात का है कि प० फूलचन्द्र जी आदि कहते है कि जो कार्य होना होगा वही होगा उसी के अनुकूल वहाँ निमित्त सामग्री उपस्थित होगी और हम लोगो का आगम, अनुभव, इन्द्रियप्रत्यक्ष और तर्क के आधार पर यह कहना है कि अनुकूल उपादानगत योग्यता और उसकी कार्यव्यवहितपूर्व पर्याय विशिष्टता विद्यमान रहने पर ही कार्योत्पत्ति होगी लेकिन उपादान के इस स्थिति मे पहुच जाने पर भी उसमे नाना कार्यों की उत्पत्ति संभव रहने के कारण वही कार्य उत्पन्न होगा जिसके अनुकूल निमित्त सामग्री का सद्भाव अर बाधक सामग्री का अभाव होगा। श्रुतज्ञानी जीव को कार्यो-

त्पत्ति के लिये केवलज्ञान पर आधारित नियतवाद का सहारा उपयोगी नहीं होगा क्योंकि नियतवाद में जब कार्योत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं रहता है तो उसमें कार्यकारण भाव को स्थान कैसे प्राप्त हो सकता है ? और यह निर्विवाद बात है कि जब वस्तु उत्पाद, व्यय और ध्रुव्यात्मक है तो कार्योत्पत्ति और उसके कार्यकारण भाव को स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है यही कारण है कि स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा को “ज जस्स जम्मि देसे-आदि” उपर्युक्त गाथाओं में कार्योत्पत्ति के सम्बन्ध में “जेणवि हाणेण” और “तेण विहारणेण” पदों द्वारा कार्यकारणभाव को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार जब वस्तु व्यवस्था में कार्योत्पत्ति और उसके कार्यकारण भाव को स्थान मिल जाता है तो केवल त्रान के आधार पर नियतवाद की स्थिति निर्णीत होने पर भी श्रुतज्ञान के आधार पर अनियतवाद को भी स्थान मिल जाता है तथा जब तक श्रुत ज्ञानी जीव श्रुत ज्ञान की निर्विकल्पक स्थिति को नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक उसे कार्य सिद्धि के लिये पूर्वोक्त प्रकार से सकल्प और विकल्प के आधार पर पुरुषार्थ करने में प्रवृत्त होना अनिवार्य ही रहता है तथा इसमें उपादानगत योग्यता, उपादान की कार्याव्यवहित पूर्व पर्यायविशिष्टता, निमित्त सामग्री का सद्भाव और बाधक सामग्री का अभाव ये सभी बातें समाविष्ट हो जाती हैं। प्रमेय कमल मार्तण्ड का पूर्वोक्त “यच्चो च्यते”— इत्यादि कथन हमें इसी अभिप्राय की सूचना देता है।

इस प्रकार उपादान में कार्य सिद्धि की योग्यता रहते हुए भी और उसके कार्याव्यवहित पूर्वपर्याय में पहुँच जाने पर भी वह कार्योत्पत्ति जब निमित्त सामग्री के सद्भाव और बाधक सामग्री के अभाव की अपेक्षा रखती है तो उस हाल में भी

उपादान में नाना प्रकार की कार्योंत्पत्ति की सभावना सिद्ध हो जाती है। इस तरह तब वही कार्य उसमें उत्पन्न होता है जिसके अनुकूल निमित्त सामग्री का सञ्जाव और वाचक कारणों का अभाव वहाँ पर रहा करता है। पूर्व में मैं बतला चुका हूँ, कि जीव में जब तक क्रोध कर्म का उदय रहता है तब तक उसकी क्रोध रूप परिणति होती है और जब मान कर्म का उदय हो जाता है तो क्रोध रूप परिणति न होकर मानरूप परिणति उसकी होने लगती है। इसका फलितार्थ यह है कि जीव में क्रोध रूप परिणत होने की और मान रूप परिणत होने की दोनों ही योग्यतायें विद्यमान हैं परन्तु उसमें दोनों परिणतियाँ एक साथ उत्पन्न नहीं होती हैं अर्थात् क्रोध कर्म का उदय हो तो क्रोध रूप परिणति होती है और मान कर्म का उदय हो तो मान रूप परिणति होती है। लोक में देखा जाता है कि महिलायें गूँदे हुए आटे में से अशो को तोड़-तोड़ कर पुड़ी, रोटी, वाटी आदि आवश्यकतानुसार बनाती चली जाती हैं। इसी तरह गूँदी हुई मिट्टी में से भी अशो को तोड़-तोड़ कर कुम्भकार घड़ा, सकोरा आदि आवश्यकतानुसार विविध प्रकार की वस्तुयें बनाता चला जाता है। ऐसे स्थलों में यह सोचना कि आटे के सभी परमाणु अनादि काल से क्रमवद्ध परिणमन करते हुए चले आ रहे थे उनमें से जिनके क्रमवद्ध परिणमनों में जिस काल में पुड़ी का रूप आना था उनमें पुड़ी का रूप आया, जिनमें रोटी का रूप आना था उनमें रोटी का रूप आया और जिनमें वाटी का रूप आना था उनमें वाटी का रूप आ गया यह विविध प्रकार का परिवर्तन निमित्ताधार पर नहीं हुआ यह सब पागलपन की निशानी है। मिट्टी के अशो से कुम्भकार के व्यापार के आधार पर जो घड़ा, सकोरा, आदि बनते चले



जाते हैं उनके सम्बन्ध में भी उक्त प्रकार का सोचना पागलपन को ही निशानी है क्योंकि इस प्रकार के सोचने से अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम सभी का अपलाप होता है और कार्य सिद्धि की सभावना ही समाप्त हो जाती है। इसलिये जो सजी पचेन्द्रिय जीव लौकिक अथवा पारमार्थिक जिस प्रकार की कार्य सिद्धि करना चाहता है उसे उसकी सिद्धि के लिये “जब जो होना होगा सो होगा” इस मान्यता के झमेले में न पड़ कर उसके अनुकूल उपादान और निमित्तों के सद्भाव व बाधक कारणों के अभाव पर ही दृष्टि रखना चाहिये तथा इसी आधार पर अनुकूल पुरुषार्थ करने का ही प्रयत्न करना चाहिये और यदि इन सब बातों का समन्वय हो जाता है तो कार्य सिद्धि नियम से होगी तथा उसी प्रकार के कार्य की सिद्धि होगी जिसके अनुकूल इन सब बातों का समन्वय हो जायगा।

पूर्व में मैंने जो यह कहा है कि स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा को “पुण्ड्रपरिणामजुता” इत्यादि गाथा का प० फूलचन्द्र जो ने अर्थ तो ठीक किया है परन्तु उसके अभिप्राय में अन्तर पाड दिया है। अर्थात् उन्होंने उसका यह अभिप्राय लिया है कि वस्तु जिस समय कार्याव्यवहित पूर्व पर्याय में पहुँच जाती है तब उसमें एक नियत कार्य के उत्पन्न होने की योग्यता आ जाती है और तब वही कार्य नियम से उत्पन्न होता है। लेकिन यह अभिप्राय गलत है क्योंकि “यच्चोच्यते”—इत्यादि प्रमेय-कमल मार्तण्ड के पूर्वोक्त उद्धरण से व उपर्युक्त विवेचन से यही फलित होता है कि उस समय भी उसमें नाना योग्यताओं का सद्भाव सिद्ध होता है और जिस कार्य के अनुकूल वहा पर निमित्त सामग्री का सद्भाव और बाधक कारणों का अभाव

रहता है वही कार्य उत्पन्न होता है। २२२ मग्याक उक्त गाथा की आचार्य शुभ चन्द्राचार्य जी टीका में स्पष्ट लिखा है कि जिस कार्य के अनुकूल निमित्त मामगी का सद्भाव और बाधक कारणों का अभाव होगा वही कार्य उससे उत्पन्न होगा। कल्पना कीजिये कि मिट्टी की घट कार्य की उत्पत्ति के क्षण से पूर्व क्षण-क्षणवर्ती पर्याय ने घट को उत्पत्ति होना चाहिये परन्तु उस समय यदि दण्ड का प्रयास उस पर हो जावे तो घटोत्पत्ति न होकर मिट्टी का चूरा बन जायेगा। इस बात को ध्यान में रखकर गाथा का अभिप्राय यही निकलता है कि कार्य में अव्यवहित पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण कहलाती है और इस पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ने उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य कहलाती है लेकिन कार्य वही उत्पन्न होगा जिसके अनुकूल निमित्त मामगी का सद्भाव और बाधक सामगी का अभाव वहाँ पर होगा। उस तरह इन आधार पर कार्योत्पत्ति में प० फूलचन्द्र जी, प० जगन्मोहन लाल और उनके गमक्षी जनो का निमित्त को अतिचिक्कर सिद्ध करने व एक निश्चित कार्य की उत्पत्ति स्वीकार कर उसे नियतवाद का जामा पहिनाने का प्रयास अकुद्विमत्तापूग ही है।

---

१-द्रव्य जीवादि वस्तु पूर्वपरिणाम युक्त पूर्व पर्याया विष्ट कारणभावेन उपादानकारणत्वेन चतते, तदेव द्रव्य जीवादि वस्तु उत्तर परिणाम युक्त उत्तर पर्यायाविष्ट तदेव द्रव्य पूर्वपर्यायाविष्ट कारणभूत गणिमप्रादिना अप्रति उद्ध सामर्थ्य कारणान्तरा वैकल्पेन उत्तर क्षणे कार्य निष्पादयत्येव। यथा आत्मान-वितानात्मकास्तन्तव अप्रतिबद्धमा-मर्थ्या कारणान्तरावै कत्याश्च अन्त्यक्षण प्राप्ता पदस्य कारण, उत्तर क्षणे तु कार्यम्।

५—“प० जगन्मोहनलाल जी ने जैनतत्त्वमीमासा के प्राक्कथन में पृष्ठ १३ पर यह भी लिखा है कि निमित्त चाहे क्रियावान् द्रव्य हो या चाहे निष्क्रिय द्रव्य हो, कार्य होगा अपने उपादान के अनुसार ही। अतः निमित्त का विकल्प छोड़ कर प्रत्येक ससारी जीव को अपने उपादान की ही सम्हाल करनी चाहिये। जो ससारी जीव अपने उपादान की सम्हाल करता है वह अपने मोक्ष रूपी इष्ट प्रयोजन की सिद्धि में सफल होता है और जो ससारी जीव उपादान की उपेक्षा कर अपने अज्ञान के कारण निमित्तों को मिलाने के विकल्प करता रहता है वह अज्ञानी हुआ ससार का पात्र बना रहता है।”

प० जी के इस कथन के विषय में पहले बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब प० फूलचन्द्र जी और प० जगन्मोहनलाल जी दोनों ही विद्वानों की मान्यता के अनुसार प्रत्येक वस्तु की त्रैकालिक पर्यायें उस-उस समय के साथ नियत होकर ही विराजमान हैं और उन त्रैकालिक पर्यायों में जैसा भी कार्यकारणभाव सम्भव हो, वह भी उसी प्रकार उस-उस समय के साथ नियत होकर अपना स्थान जमाये हुए है तो ऐसी हालत में जीव को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने उपादान की सम्हाल करने की प्रेरणा देना आवश्यक नहीं है। अलावा इसके प० जगन्मोहन लाल जी द्वारा उपादान की सम्हाल करने की बात करना निमित्त के महत्त्व को प्रस्थापित करना नहीं है तो फिर क्या है ? क्योंकि इस तरह प० जी दूसरो को अपने उपादान की सम्हाल करने की प्रेरणा ही तो दे रहे हैं। दूसरी बात उक्त कथन के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वस्तु में उसकी अपनी त्रैकालिक पर्यायों की उपादान शक्ति जिसे प० फूलचन्द्र जी

तक तो जीव की उसमें पायी जाने वाली योग्यता के आधार पर क्रोध कषायरूप परिणति होती रही और जिस क्षण क्रोध-कर्म का उदय विनष्ट होकर मानकर्म का उदय जीव के होगया उस क्षण से उसकी उसमें पायी जाने वाली योग्यता के ही आधार पर मान कषाय रूप परिणति होने लगी और यदि लोभ या माया कर्मों में से किसी एक का उदय होगया तो यथायोग्य लोभ या माया कषायरूप परिणति उस जीव की होने लगी। इस तरह जीव की क्रोध कषायरूप परिणति मान, लोभ या माया कषायरूप उसकी परिणति की कारण सिद्ध नहीं होती है। इसी प्रकार जीव की ससार रूप परिणति के अनन्तर क्षण में होने वाली मोक्षरूप परिणति की कारण उससे विलक्षण अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती ससार रूप परिणति को कदापि नहीं माना जा सकता है प्रत्युत ससार के कारणभूत द्रव्यकर्मों, नोकर्मों और भाव कर्मों के अभाव को ही उसमें कारण मानना उपयुक्त है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव के जब तक कर्मों और नोकर्मों का सयोग विद्यमान रहता है तब तक तो उसकी ससार रूप परिणति रहा करती है और जिस क्षण उसका कर्मों और नोकर्मों के साथ सयोग विच्छिन्न हो जाता है उस क्षण से उसकी मोक्षरूप परिणति होने लगती है। इस तरह वस्तु में अनादिकाल से उपादानशक्ति के विद्यमान रहते हुए भी विवक्षित कार्य की उत्पत्ति का यथासमय होना निमित्त सामग्री की अनुकूलता पर ही निर्भर रहा करता है उस कार्य की अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय उसकी नियामक कदापि नहीं होती है। जैसे जीव की क्रोधपर्याय के अनन्तर क्रोधपर्याय भी हो सकती है अथवा मान, माया लोभ पर्यायों में से कोई भी पर्याय हो सकती है वहा ऐसा नियम नहीं है कि क्रोधपर्याय के

पश्चात् अमुक पर्याय ही होना चाहिये । इससे यह सिद्ध होता है कि जिस पर्याय के अनन्तर वस्तु की निजी उपादानशक्ति के आधार पर जो पर्याय उत्पन्न होगी वह उसके अनुकूल निमित्त सामग्री के आधार पर ही होगी केवल उपादानशक्ति के आधार पर नहीं ।

माना कि मिट्टी की कुशूलपर्याय के अनन्तर ही घटपर्याय होगी इसलिये कुशूलपर्याय घटपर्याय की कारण है परन्तु यहाँ यह बात भी है कि कुशूलपर्याय के अनन्तर घटपर्याय होगी ही—ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि यदि कुशूल पर दण्ड प्रहार हो जावे तो घटपर्याय उत्पन्न न होकर एक अन्य पर्याय ही उत्पन्न हो जायगी अथवा उस समय कुम्भकार की इच्छा घटपर्याय के निष्पन्न करने की नहीं रही तो भी घटपर्याय निष्पन्न नहीं होगी । एक बात और इसमें विचारणीय है कि कार्य के प्रति उपादान कारण वही होता है जो कार्य में अनुस्यूत रहता है । यही कारण है कि आगम में पूर्व पर्याय विशिष्टद्रव्य को ही कार्य के प्रति उपादान कारण माना गया है पूर्व पर्याय को नहीं । इसका आधार यह है कि पूर्व पर्याय विनष्ट होकर ही उत्तरपर्याय की उत्पत्ति होती है इसलिये पूर्वपर्याय उत्तरपर्याय में अनुस्यूत नहीं रहती है ।

ऊपर मैंने कहा है कि जीव की क्रोधपर्याय के अनन्तर क्रोध, मान, माया और लोभ में से कोई भी पर्याय उत्पन्न हो सकती है इसलिये पूर्व क्रोध पर्याय को उत्तर क्रोधादिपर्याय का कारण मानना अयुक्त है किन्तु क्रोधादि कर्मों के उदय को ही कारण मानना युक्त है—इसी प्रकार जीव की नारकपर्याय के अनन्तर और देवपर्याय के अनन्तर या तो मनुष्य पर्याय होगी

या तिर्यग्पर्याय होगी एव मनुष्य अथवा तिर्यग्पर्यायो के अनन्तर मनुष्य, तिर्यग्, देव तथा नारक इन चारो मे से कोई भी पर्याय होगी नियम से एक पर्याय नहीं होगी अतः उनमे से कोई भी पूर्वपर्याय उत्तरपर्याय की कारण नहीं मानो जा सकती है किन्तु उस-उस आयु कर्म का और उस-उस गतिनाम कर्म का उदय ही उस-उस पर्याय की उत्पत्ति मे कारण माना जा सकता है ।

इस सब विवेचन का सार यह है कि विवक्षित कार्य की उत्पत्ति से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय उस विवक्षित कार्य की नियामक कदापि नहीं हो सकती है किन्तु उसकी नियामक निमित्त सामग्री ही होती है । इस सम्बन्ध मे और भी स्पष्टीकरण किया जाय तो यो किया जा सकता है कि मिट्टी अनादिकाल से खानि मे पडी चली आरही है, तो जब तक उसमे उसके अपने नियत परिणमन स्वभाव के आधार पर यथायोग्य समान और कदाचित् असमान भी परिणमन होते रहते हैं वे सभी परिणमन क्रमशः अनायास प्राप्त समान और असमान निमित्तो के सहयोग से ही हुआ करते हैं । यद्यपि ये सभी परिणमन एक-एक के रूप मे उत्तरोत्तर समयो मे ही हुआ करते हैं परन्तु यहा पर पूर्व परिणमन उत्तर परिणमन का नियामक होता हो—ऐसी बात नहीं है क्योकि पूर्व परिणमन को यदि उत्तर परिणमन का नियामक माना जायगा तो समान परिणमन होते-होते जो यकायक असमान परिणमन होने लगता है उसकी असगति हो जायगी । खानि मे पडी हुई उस मिट्टी को कुम्भकार द्वारा खोद कर घर लाने पर उसमे जो स्थास, कोश, कुशूल और घट आदि विविध प्रकार के परिणमन होते देखे जाते हैं वे सब तो स्पष्ट ही कुम्भकार, चक्र, दण्ड और

जलादि निमित्त सामग्री के सहयोग से होते हुए देखे जाते हैं। यद्यपि यह बात ठीक है कि मिट्टी से स्थूल रूप में स्थास के अनन्तर कोश और कोश के अनन्तर कुशूलपर्याय की उत्पत्ति हो जाने पर ही घट की उत्पत्ति होने का नियम देखा जाता है परन्तु यह बात निर्विवाद ही मानी जानी चाहिये कि दो पर्यायों के मध्य पाया जाने वाला आन्तर्य कभी भी कार्यकारणभाव का नियामक नहीं हो सकता है। जैसे कृत्तिका नक्षत्र के उदय के पश्चात् शकट नक्षत्र का उदय नियम से हुआ करता है और यही कारण है कि कृत्तिका नक्षत्र का उदय आगे शकट नक्षत्र के उदय का ज्ञापक है परन्तु इससे यह निष्कर्ष तो नहीं निकाला जा सकता है कि कृत्तिका नक्षत्र का उदय शकट नक्षत्र के उदय में कारण होता है। इसी प्रकार यद्यपि मिट्टी की स्थास, कोश, कुशूल और घटपर्यायों की उत्पत्ति में उत्तरोत्तर आन्तर्य पाया जाता है परन्तु इन सबकी उत्पत्ति निमित्तभूत कुम्भकार, दण्ड, चक्र व जलादि सामग्री के सहयोग से ही होती है। यही कारण है कि स्थास के पश्चात् ही कोश, कोश के पश्चात् ही कुशूल और कुशूल के पश्चात् ही घट की उत्पत्ति होने का नियम रहने पर भी ऐसा नियम नहीं है कि स्थास के पश्चात् कोश की, कोश के पश्चात् कुशूल की और कुशूल के पश्चात् घट की उत्पत्ति होती ही है।

इस तरह प० जगन्मोहनलालजी ने जो यह लिखा है कि 'निमित्त का विकल्प छोड़कर प्रत्येक ससारी जीव को अपने उपादान की ही सम्हाल करनी चाहिये' सो इसमें उपादान की सम्हाल करने की बात तो ठीक है परन्तु ऊपर के कथन से उपादान की सम्हाल करने का सहारा तो निमित्त सामग्री ही सिद्ध होती है अतः निमित्त का विकल्प छूट कैसे सकता है ?

दूसरी बात यह है कि “उपादान की सम्हाल करनी चाहिये” इस वाक्य का अर्थ परावलम्बनवृत्ति और प्रवृत्ति को समाप्त करके स्वावलम्बनवृत्ति और प्रवृत्ति को अपनाने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? लेकिन इस अर्थ का एक तो उक्त उभय विद्वानो के इस मत के साथ विरोध आता है कि “प्रत्येक वस्तु की त्रैकालिक पर्याये अपने-अपने समय में नियत होकर बैठी हुई हैं” दूसरे इससे यह भी सिद्ध होता है कि परावलम्बनवृत्ति को उक्त उभय विद्वान उपचरित अर्थात् कथन मात्र मानने का भले ही आग्रह करते रहे लेकिन यह बात निश्चित है कि वह परावलम्बनवृत्ति जब जीव के वास्तविक ससार का कारण है तो ऐसी स्थिति में उसे उपचरित ( कथनमात्र ) कैसे माना जा सकता है ? तीसरे इससे जीव के ससार की सृष्टि में निमित्तो की आश्रितता सिद्ध हो जाने से “कार्य केवल उपादान के बल पर ही उत्पन्न होता है” इस सिद्धान्त का व्याघात हो जाता है ।

यदि कहा जाय कि जीव का ससार उसकी पर्यायो में ही रहता है इसलिये वह स्वभावत ही जीव में विद्यमान रहता है इस तरह उसमें निमित्तो की आश्रितता सिद्ध नहीं होती है तो ऐसा स्वीकार करने पर “परावलम्बनवृत्ति अपनाने से जीव ससार का पात्र बना रहता है” यह सिद्धान्त व्याहृत हो जाता है । एक बात और है कि जब जीव का ससार स्वभावत ही है तो एक तो उसका कभी नाश नहीं होना चाहिये, दूसरे यदि नाश होता ही है तो उसका वह नाश स्वभावत ही हो जायगा इसलिये उसके नाश के लिये परावलम्बनवृत्ति छोड़कर स्वावलम्बनवृत्ति को अपनाने की बात करना असंगत ही है,



तीसरे उक्त उभय विद्वानो की दृष्टि मे प्रत्येक वस्तु वास्तव मे जब सर्वदा स्वतन्त्र ही रह रही है क्योंकि उनकी मान्यता के अनुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य मे कुछ भी परिवर्तन नही कर सकता है जो कुछ भी वस्तु मे परिवर्तन होता है वह स्वभावतः ही होता है तो ऐसी स्थिति मे भी परावलम्बनवृत्ति छोडने की बात करना बेकार है। यदि ऋहा जाय कि समयसार मे भी एक द्रव्य मे दूसरे द्रव्य द्वारा परिणमन कराने का निषेध किया गया है तो मैं कहूंगा कि इसका आशय यह नही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन मे निमित्त भी नही होता है किन्तु उसका आशय यह है कि एकद्रव्य के गुणधर्म दूसरे द्रव्य मे प्रविष्ट नही होते हैं अर्थात् एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कभी तादात्म्य सम्बन्ध नही हो सकता है लेकिन सयोग तो होता है और यही कारण है कि जहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ तादात्म्य सम्बन्ध न हो सकने के कारण केवल परप्रत्यय परिणमन का आगम मे निषेध किया गया है वहाँ एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ सयोग होने से स्वपरप्रत्यय परिणमन का वही पर ( आगम मे ) समर्थन भी किया गया है। तात्पर्य यह है कार्य के प्रति उपादानकारणता तादात्म्य सम्बन्ध के आश्रित है इसलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का उपादानकारण तो नही होता है क्योंकि उन दो द्रव्यो मे तादात्म्य सम्बन्ध का अभाव है परन्तु कार्य के प्रति निमित्तकारणता सयोग सम्बन्ध के आश्रित है इसलिये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य के प्रति निमित्तकारण तो हो ही सकता है क्योंकि उन दो द्रव्यो मे तादात्म्य सम्बन्ध का अभाव होने पर भी सयोग सम्बन्ध का सद्भाव तो हो ही सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि वस्तु का स्वभाव परिणमन करना है क्योंकि यदि वस्तु का

स्वभाव परिणमन करना न हो तो न तो उसमें स्वभावतः ही परिणमन हो सकता है और न पर वस्तु ही उसे परिणमित करा सकती है, परन्तु उम परिणमनशील वस्तु का एक परिणमन न तो ऐसा होता है जो स्वभावतः ही हुआ करता है जिसे स्वप्रत्यय परिणमन कहते हैं और एक परिणमन ऐसा होता है जो अन्य वस्तु का सहयोग मिलने पर होता है जिसे स्वपरप्रत्यय परिणमन कहते हैं। इस तरह स्वपरप्रत्यय परिणमन में स्व अर्थात् उपादानकारण के साथ पर अर्थात् निमित्त कारण की भी नियामकता सिद्ध हो जाती है। अर्थात् परिणमन स्वप्रत्यय अथवा स्वपर प्रत्यय तो होता है लेकिन परप्रत्यय कदापि नहीं होता है।

६-प० जमन्मोहनलाल जी ने अपने प्राक्कथन के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है कि “यह तो आगम, अनुभव और युक्ति से ही सिद्ध है कि ससार में जड़ और चेतन जितने भी पदार्थ हैं वे सब स्वतंत्र हैं। जो शरीर ससारी जीव के साथ बाह्य दृष्टि से एक क्षेत्रावगाही हो रहा है वह भी पृथक है। वस्तुतः इस सनातन सत्य का बोध न होने के कारण ही यह जीव अपने को भूला हुआ है। उसके दुःख का निदान भी यही है। यद्यपि यह ससारी जीव दुःख से मुक्ति चाहता है, परन्तु जब तक आत्मा-अनात्मा का भेद विज्ञान होकर इसे ठीक तरह से अपने आत्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं होती तब तक इसका दुःख से निवृत्त होना असंभव है। सब से पहले इसे यह जानना जरूरी है कि मेरे ज्ञान-दर्शन स्वभाव आत्मा से भिन्न अन्य जितने जड़-चेतन पदार्थ हैं वे पर हैं। उनका परिणमन उनमें होता है और आत्मा का परिणमन आत्मा में होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बलात् नहीं परिणमा सकता है। यद्यपि वाक्यालीयन्याय से कभी

ऐसा भी प्रसंग उपस्थित हो जाता है कि हम पदार्थ का जैसा परिणमन चाहते हैं और उसके लिये प्रयत्न करते हैं, पदार्थ का वैसा परिणमन होता हुआ देखा जाता है, इसलिये हम मान लेते हैं कि इसे हमने परिणमाया, अन्यथा इसका ऐसा परिणमन न होता। किन्तु यह मानना कोरा भ्रम है और यही भ्रम ससार की जड है। अतएव सबसे पहले इस ससारी जीव को अपने आत्मस्वरूप को पहिचान के साथ इसी भ्रम को दूर करना है। इसके दूर होते ही इसके स्वावलम्बन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। स्वावलम्बन का मार्ग कहो या मुक्ति मार्ग कहो, दोनों कथनों का एक ही अभिप्राय है। अतीत काल में जो तीर्थंकर सन्त महापुरुष हो गये हैं वे स्वयं इस मार्ग पर चल कर मुक्ति के पात्र तो हुए ही, दूसरे ससारी प्राणियों को भी उन्होंने अपनी चर्चा और उपदेश द्वारा इस मार्ग के दर्शन कराये।”

प० जगन्मोहन लाल जी ने यह जो कुछ लिखा है वह वहाँ तक ठीक लिखा है जहाँ तक दृष्टि भेद नहीं है परन्तु दृष्टि भेद के कारण इसका महत्व समाप्त हो जाता है। आगे इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है।

इसमें सदेह नहीं कि ससार में जड और चेतन जिसने पदार्थ हैं वे सब स्वतंत्र हैं परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि पदार्थ में परतंत्रता का अभाव है। आगम, अनुभव और युक्ति से जिस प्रकार पदार्थ की स्वतंत्रता सिद्ध होती है उसी प्रकार उसकी परतंत्रता भी सिद्ध होती है इसलिये विचारणीय बात यह है कि पदार्थ क्यो तो स्वतंत्र है और क्यो परतंत्र है।

मैं पूर्व में बतला चुका हू कि ससार में छै प्रकार के पदार्थ हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । इनमें भी जीव नाम के पदार्थ अनन्तानन्त सख्या में है, पुद्गल नाम के पदार्थ भी अनन्तानन्त हैं, धर्म, अधर्म और आकाश नाम के पदार्थों की सख्या एक-एक है तथा काल नाम के पदार्थों की सख्या अख्यात है । इन सब पदार्थों की स्वतन्त्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थ में अपने-अपने पृथक्-पृथक् स्वत सिद्ध अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व अगुरुलघुत्व, प्रदेशवत्व और प्रभेद्यत्व नाम के छै गुण पाये जाते हैं । ये गुण जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में तो पृथक्-पृथक् हैं ही, परन्तु अनन्तानन्त जीवों में से प्रत्येक जीव में, अनन्तानन्त पुद्गलों में से प्रत्येक पुद्गल में और असख्यात कालों में से प्रत्येक काल में भी पृथक्-पृथक् ही हैं । इसका फलितार्थ यह है कि इन अनन्तान्त पदार्थों में से कोई भी पदार्थ कभी दूसरे पदार्थ का रूप धारण नहीं करता है और न कर सकता है इसलिये इनकी सख्या में न तो कभी कमी हो सकती है और न बढ़ोत्री ही हो सकती है । इसी तरह उपर्युक्त गुणों की स्वत सिद्धता के कारण न तो किसी पदार्थ की कभी उत्पत्ति हुई है और न किसी पदार्थ का कभी नाश ही हो सकता है । अर्थात् सभी पदार्थ अनादिकाल से ससार में विद्यमान हैं और अनन्त काल तक विद्यमान रहेगे ।

प्रत्येक पदार्थ में अपने-अपने पृथक्-पृथक् स्वत सिद्ध उक्त छै गुण पाये जाते हैं—इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थ का अपना निजी अस्तित्व अर्थात् स्वरूप है । प्रत्येक पदार्थ का अपना निजी वस्तुत्व अर्थात् सार्थकत्व है यानि कोई भी पदार्थ निरूपयोगी नहीं है । प्रत्येक पदार्थ में अपनी निजी

द्रव्यत्व है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। प्रत्येक पदार्थ में अपना निजी अगुरुलघुत्व है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील तो है परन्तु वह परिणमन प्रत्येक पदार्थ के अपने निजी स्वभाव के दायरे में ही हुआ करता है यानि कोई भी पदार्थ परिणमन करते हुए भी अपने रूप अथवा स्वरूप को न तो सर्वथा समाप्त ही करता है और न अपने रूप अथवा स्वरूप को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ के रूप अथवा स्वरूप को ही प्राप्त होता है। प्रत्येक पदार्थ का अपना निजी प्रदेशवत्त्व है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ अपने निजी कुछ न कुछ आकार वाला है। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में अपना निजी प्रमेयत्व अर्थात् प्रमाण-विषयत्व है यानि ऐसा ससार में एक भी पदार्थ नहीं है जो प्रमाण द्वारा जाना न जाता हो।

उपर्युक्त विवेचन पदार्थ की स्वतन्त्रता का है। प्रत्येक पदार्थ में परतन्त्रता भी पायी जाती है। अर्थात् उपर्युक्त सभी पदार्थों में ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जो दूसरे पदार्थों के साथ सयुक्त न हो। आकाश दूसरे सभी पदार्थों के साथ सयुक्त हो रहा है। यही कारण है कि उसमें दूसरे सभी पदार्थों के साथ अवगाह्य-अवगाहकभाव और व्याप्य-व्यापकभाव पाया जाता है। अर्थात् आकाश दूसरे सभी पदार्थों का अवगाहक और उनको व्याप्त कर रहने वाला है तथा दूसरे सभी पदार्थ आकाश के अवगाह्य और व्याप्य हैं। इसी तरह सभी पदार्थों की प्रदेशवत्ता (आकृति) का सीमितरूप आकाश पर आधारित है और चूँकि आकाश की प्रदेशवत्ता (आकृति) को सीमित रूप देने वाला कोई अन्य पदार्थ नहीं है इसलिये वह असीमित है। काल नाम के पदार्थों की वृत्ति (मौजूदगी) स्वतः सिद्ध है लेकिन अन्य

सभी पदार्थों को वृत्ति (मौजूदगी) के आधार काल नाम के पदार्थ है। प्रत्येक पदार्थ में जो भूतता, वर्तमानता और भविष्यता पायी जाती है उसके आधार कालद्रव्य ही हैं। यह विभाजन जीवों और पुद्गलों में ही संभव है कारण कि पुद्गल तो अणुरूप हैं और सक्रिय हैं तथा जीव यद्यपि समस्त काल पदार्थों के बराबर असंख्यात प्रदेशी हैं परन्तु यथायोग्य छोटे-बड़े शरीरों के आधार पर सकोच विस्तार वाले हैं और सक्रिय हैं इसलिये ये नियत काल द्रव्यों से कभी संयुक्त नहीं रहते हैं तो जब जिन काल पदार्थों से ये पुद्गल और जीव संयुक्त रहते हैं उनकी अपेक्षा उनमें वर्तमानता रहती है, जिन काल पदार्थों से उनका संयोग विच्छिन्न होता है उनकी अपेक्षा उनमें भूतता रहती है और जिन काल पदार्थों के साथ उनका आगे संयोग होने वाला हो उनकी अपेक्षा उनमें भविष्यता रहती है। चूँकि आकाश, धर्म और अधर्म निष्क्रिय पदार्थ हैं और काल भी निष्क्रिय पदार्थ है तथा आकाश, धर्म और अधर्म का सतत सभी काल पदार्थों के साथ संयोग रहता है अतः इनमें भूतता, वर्तमानता और भविष्यता का उक्त प्रकार का विभाजन नहीं होता है अर्थात् इनमें काल पदार्थों के संयोग के आधार पर सतत वृत्ति (मौजूदगी) ही रहा करती है। चूँकि सभी पदार्थ परिणमनशील हैं और काल पदार्थ भी परिणमनशील है, लेकिन काल पदार्थों की पर्यायों का विभाजन अणुरूप पुद्गल की अत्यन्त मन्दगति के आधार पर होता है और अन्य सभी पदार्थों को पर्यायों का विभाजन काल पदार्थों की पर्यायों के आधार पर होता है, इसलिये यदि पर्यायों के आधार पर भूतता, वर्तमानता और भविष्यता को ग्रहण किया जाय तो सभी पदार्थों की पर्यायों में भूतता, वर्तमानता और भविष्यता सिद्ध होती है।

काल पदार्थों की अखण्ड एक पर्याय को समय कहते हैं और नाना समयों के समूह को आवली, घड़ी मुहूर्त, सेकड, मिनट, घण्टा, प्रहर, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष आदि कहते हैं। इस तरह पदार्थों की पर्यायों को दो भागों में विभक्त कर दिया है—एक अति सूक्ष्म पर्याय और दूसरी स्थूल पर्याय। अति सूक्ष्म पर्याय का नाम अर्थपर्याय है और स्थूल पर्याय का नाम व्यञ्जन पर्याय है। जैसे जीव की मनुष्य पर्याय तो स्थूल पर्याय है और उसमें जो क्षण-क्षण का परिणमन है वह अति सूक्ष्म पर्याय है। प्रत्येक पदार्थ के ये परिणमन स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं लेकिन उन परिणमनों का विभाजन एक के पश्चात् एक के रूप में काल पदार्थों की पर्यायों के आधार पर होता है। ठहरे हुए क्रियाशील जीवों और पुद्गलों का जो गमन होता है उसके लिए धर्म पदार्थ अवलम्बन देता है और वे जीव और पुद्गल उस धर्म पदार्थ के अवलम्बन पर गमन करते हैं। इसी तरह चलते हुए वे जीव और पुद्गल जब ठहरते हैं तब उनके उस ठहरने के लिये अधर्म पदार्थ अवलम्बन होता है और वे जीव और पुद्गल उस अधर्म द्रव्य के अवलम्बन पर ही ठहरते हैं। जीव पदार्थ सभी पदार्थों को जानने वाले हैं और सभी पदार्थ जीव पदार्थों के ज्ञेय हैं। इसी प्रकार सभी पुद्गल एक दूसरे पुद्गल के साथ मिलते और विद्युद्धते रहते हैं यानि अणु में स्कन्ध और स्कन्ध से अणु का रूप धारण करते रहते हैं। इस तरह सभी पदार्थ परतन्त्र भी सिद्ध होते हैं।

जिस प्रकार पुद्गल पुद्गल के साथ मिलते हैं उसी प्रकार जीव भी अनादिकाल से पुद्गलों के साथ मिलकर

( बद्ध होकर ) रहते आये है । जीवो और पुद्गलो के बन्ध मे पुद्गलो और पुद्गलो के बन्ध की अपेक्षा यह विशेषता पायी जाती है कि पुद्गल परस्पर जहाँ हमेशा मिलते और विच्छुडते रहते हैं वहाँ जीवो की पुद्गलो के साथ मिलावट है तो अनादिकाल से, परन्तु जिस जीव की पुद्गल के साथ विद्यमान वह मिलावट एकवार समाप्त हो जाती है तो फिर कभी नही होती है और न हो ही सकती है । जीव और पुद्गल की मिलावट का नाम ससार कहलाता है और उसके नष्ट हो जाने यानि जीव और पुद्गल के पृथक्-पृथक् हो जाने का नाम मोक्ष है ।

जड और चेतन सम्पूर्ण पदार्थ परिणमन स्वभाव वाले होने के कारण जहाँ अपनी स्वतन्त्रता के आधार पर क्षणमात्रवर्ती स्वप्रत्यय परिणमन सतत करते रहते हैं वहाँ वे सभी पदार्थ परिणमन स्वभाव वाले होने के कारण ही यथासम्भव स्पृष्टता या बद्धता के आधार पर यथायोग्य क्षणमात्रवर्ती और नानाक्षणवर्ती स्वपरप्रत्यय परिणमन भी सतत करते रहते हैं । इसी आधार पर नाना वस्तुओ मे आधारार्थेयभाव व निमित्तनैमित्तिकभाव की सिद्धि होती है । ये सम्बन्ध यद्यपि नाना वस्तुओ के आधार पर होने के कारण व्यवहारनय के विषय सिद्ध होते हैं फिर भी ये वास्तविक हैं गद्य के सीग या बन्ध्या पुत्र के समान अवास्तविक, असत्य या कथनमात्र नही हैं ।

यद्यपि प्रत्येक पदार्थ के अपने-अपने उक्त स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय परिणमन उल्लिखित उभय विद्वानो के समान आगम समर्थित होने के कारण हम लोगो की मान्यता के



अनुसार भो उस-उस पदार्थ के अन्दर ही हुआ करते हैं, अर्थात् जो परिणमन जिस पदार्थ में होता है वह उसी पदार्थ का है ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ का कोई परिणमन किसी अन्य पदार्थ में प्रविष्ट हो जाता हो, फिर भी प्रत्येक पदार्थ के स्वपरप्रत्यय परिणमन में स्व के साथ परपदार्थ की सहायता की अपेक्षा रहने के कारण परपदार्थ की कारणता का निषेध किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है।

माना कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को बलात् नहीं परिणमा सकता है अर्थात् परिणमन करने वाले पदार्थ का वह परिणमन स्व की योग्यता के अभाव में परपदार्थ द्वारा नहीं कराया जा सकता है जैसा कि पूर्व में घटादि दृष्टान्तों के आधार पर विस्तार के साथ कहा जा चुका है, परन्तु क्या यह निर्विवाद नहीं है कि मिट्टी का घटरूप परिणमन मिट्टी में तदनुकूल योग्यता के रहते हुए भी कुम्भकार, दण्ड, चक्र आदि के सहयोग से हुआ करता है अन्यथा नहीं। इसलिये “एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को बलात् नहीं परिणमा सकता” इस वाक्य का यह अर्थ—कि एक पदार्थ में जो भी परिणमन होता है वह केवल उसके अपने परिणमन स्वभाव के आधार पर ही हो जाया करता है उसमें अन्य पदार्थ का सहयोग अपेक्षित नहीं रहा करता है वह तो वहाँ अकिंचित्कर ही बना रहता है स्वीकार करना भ्रान्त धारणा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसमें घटादि दृष्टान्तों के साथ यह दृष्टान्त भी जोड़ा जा सकता है कि गाड़ द्वारा हरी झण्डी बताने पर ही ड्राइवर रेलगाड़ी का चलाता है और सिगनल के जरिये जब तक उसे सकेन प्राप्त नहीं होता तब तक वह उसे स्टेजन के क्षेत्र में नहीं

ले जाता है। यदि कदाचित् कोई ड्राइवर जाने-अनजाने उक्त व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो भयकर दुर्घटनायें भी हो जाया करती हैं। यह सब एक पदार्थ के सहयोग से दूसरे पदार्थ में परिणमन होने की बात नहीं तो फिर क्या है ?

बात वास्तव में यह है कि एक पदार्थ के परिणमन में दूसरे पदार्थ के साथ निमित्तनैमित्तिक भावरूप कार्यकारणभाव की आवश्यकता लोक में प्रत्येक व्यक्ति के सामने सतत रहा करती है। क्या यह कहा जा सकता है कि जितनी लोक संचालन और जीवन संचालन की व्यवस्थायें बनी हुई हैं या बनायी जाती हैं या जो परमार्थ से सम्बन्ध रखने वाली धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप, नीति-अनीति आदि की व्यवस्थायें बनायी गयी हैं वे सब उपादानकारण के अधीन होकर भी निमित्तकारण के अधीन नहीं हैं ? मैं प० फूलचन्द्रजी और पं० जगन्मोहनलालजी से पूछना चाहता हूँ कि जीव की परिणति जो क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि रूप हुआ करती है अथवा उसकी जो हिंसा आदि पापरूप प्रवृत्ति हुआ करती है इन सब में क्या पुद्गल कर्म तथा नोकर्म निमित्त नहीं हुआ करते हैं ? और क्या इन्हे जीव की केवल स्वाभाविक अर्थात् केवल स्वप्रत्यय परिणतियों का रूप ही मान लिया जावे ? यदि दोनों विद्वान इन्हे केवल स्वप्रत्यय परिणतियाँ ही मानते हैं तो उनकी यह भ्रान्त धारणा है। एक बात यह भी विचारणीय है कि जीव का सचेतन-अचेतन विविध प्रकार के पदार्थों में जो अहंकार या ममकार होता है उसका अवलम्बन ये सब पदार्थ ही हुआ करते हैं। उक्त दोनों विद्वानों का इन बातों पर लक्ष्य नहीं पहुँच रहा है—यह महान आश्चर्य और दुःख की बात है।

प० जगन्मोहनलालजी ने अपने उपर्युक्त कथन में जो यह लिखा है कि “एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बलात् नहीं परिणमना सकता । यद्यपि काकतालीयन्याय से कभी ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाता है कि हम पदार्थ का जैसा परिणमन चाहते हैं और उसके लिये प्रयत्न करते हैं पदार्थ का वैसा परिणमन होता हुआ देखा जाता है इसलिये हम मान लेते हैं कि इसे हमने परिणमाया, अन्यथा इसका ऐसा परिणमन नहीं होता, किन्तु यह मानना कोरा भ्रम है ।”

इस विषय में मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ कि मिट्टी आदि पदार्थों से घट आदि पदार्थों का निर्माण कुम्भकार आदि के तदनुकूल व्यापार करने पर ही होता हुआ देखा जाता है, अब यदि ऐसी घटनाओं को काकतालीयन्याय के अनुसार होती हुई ही माना जाय तो घट निर्माण के उद्देश्य से कुम्भकार द्वारा खानि से बुद्धिपूर्वक मिट्टी को खोदकर लाया जाना, उसे घटनिर्माण के योग्य बनाया जाना, फिर दण्ड, चक्र आदि साधन सामग्री के सहारे पर बुद्धिपूर्वक किये गये अपने व्यापार से ही मिट्टी में घटनिर्माण की क्रिया उत्पन्न होने सम्बन्धी अनुभव के आधार पर उस प्रकार का व्यापार किया जाना आदि सब प्रकार का प्रयत्न क्या मूर्खता का ही कार्य समझ लिया जाना चाहिये ? और यदि ऐसा है तो फिर प्रत्येक बुद्धिमान और विवेकी-व्यक्ति का घट प्राप्ति के लिये कुम्भकार के घर दौड़ा जाना कहाँ तक बुद्धि सगत माना जा सकेगा ? जब कि इस प्रकार के प्रयत्न से कुम्भकार के घर पर घट की प्राप्ति हाने की अनुभूत बात लोक में सगत मानी जाती है । इसी तरह प० फूलचन्द्र जी के अन्तःकरण में ‘जैनतत्त्वमीमांसा’ पुस्तक लिखने की भावना जाग्रत होना, तदनुसार उसके लिखने

मे उनके द्वारा अपनी बुद्धि का उपयोग किया जाना तथा स्याही, कागज, कलम आदि के सहारे पर हस्त द्वारा लेखन कार्य किया जाना आदि यदि पुस्तक निर्माण में अनपयोगी ही रहे, उनके सहयोग से पुस्तक का निर्माण होते हुए भी इसके बिना पुस्तक अपने उपादान से अपने आप ही काकतालीयन्याय से निर्मित हो गयो व प० जगन्मोहनलालजी का प्राक्कथन भी उनके सकल्प, बुद्धि के प्रयोग तथा हस्तादि के व्यापार करने पर भी काकतालीयन्याय से अपने आप लेख के रूप में तैयार हो गया तो ऐसी समझ रखने वाले उक्त दोनो विद्वानो का उक्त प्रकार का सकल्प, बुद्धि का प्रयोग तथा हस्तादि का व्यापार आदि सब उनके अज्ञान का ही कार्य माना जाना चाहिये तथा ऐसी हालत में प० जगन्मोहनलालजी द्वारा प० फूलचन्द्रजी की प्रशंसा किया जाना व इसके लिये प० फूलचन्द्र जी द्वारा प० जगन्मोहनलाल जी के प्रति कृतज्ञता प्रगट किया जाना आदि सब केवल बातूनी जमा-खर्च ही माना जाना चाहिये । क्या दोनो विद्वान समयसार को आचार्य श्री कुन्दकुन्द की रचना नहीं मानते हैं ? और वे कानजी स्वामी को अभूतपूर्व तत्त्व का उपस्कर्ता व लोकोपकार नहीं मानते हैं ? यदि ऐसा है तो फिर वे अपने लेखन में तथा भाषणों में यह सब प्रगट करते हुए क्यों नहीं अघाते हैं ? मैं तो उनके ऐसे आचरणों को देखकर इसी निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वे दोनो ही विद्वान “हाथी के खाने के दात और व दिखाने के और” वाली कहावत को ही चरितार्थ कर रहे हैं । इस तरह मैं यही कहूँगा कि दोनो ही विद्वान सत्य को समझते हुए भी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं और यदि उनकी विचारधारा को ही तत्त्वप्ररूपक विचारधारा मान लिया जाय तो फिर लोक में बुद्धिमान व समझदार व्यक्ति

अपने जीवन को दृष्टि से, सार्वजनिक दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से भी जो सकल्प करता है, उसकी प्रति के लिये जो मार्ग निश्चित करता है तथा जो उस पर चलता है—तो इन सब बातों का औचित्य कैसे सिद्ध हो सकता है ? इतना ही नहीं, एक बात यह भी है कि सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों ही प्रकार के जीव कार्य के लिये सकल्प करते हैं, मार्ग निश्चित करते हैं और मार्ग पर चलते हैं और उनके वे सकल्प समान रूप से मन के सहारे पर होते हैं, निणय समान रूप से मस्तिष्क के सहारे पर होता है और चलना समान रूप से शरीर के सहारे पर होता है—उम तरह सम्यग्दृष्टि को इन बातों का भी औचित्य कैसे सिद्ध हो सकता है ?

इस प्रकार उपर्युक्त सभी विवेचन हमें इस निर्णय पर पहुँचा देता है कि विप्रक्षित स्थलो पर निमित्त को अकिंचित्कर मान कर निमित्त नैमित्तिक भाव रूप कार्यकारणभाव की उपेक्षा करना अशक्य ही है, लेकिन इतने पर भी यदि कोई व्यक्ति उसकी उपेक्षा करता है तो उसे कृतघ्न ही माना जा सकता है, साथ में यह भी कहा जा सकता है कि वह अपने अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष, तर्क और आगम—सभी का अपलाप करता है। प० फूलचन्द्र जी और प० जगन्मोहनलाल जी को इस पर ध्यान देना चाहिये।

यदि कहा जाय कि लौकिक कार्यो ने विद्यमान निमित्त नैमित्तिक भाव रूप कार्यकारणभाव का निषेध जैनतत्त्वमीमांसा में नहीं किया गया है केवल इतनी बात है कि मुक्ति पाने के लिये जोत्र को निमित्त नामों की आवश्यकता नहीं है और न निमित्त नामों की अपेक्षा रखने वाला जीव कभी मुक्ति पा

ही सकता है इस तरह केवल मुक्ति पाने की दृष्टि में ही जैनतत्त्व-मीमांसा पुस्तक लिखी गई है, तो इस सम्बन्ध में भी मेरा यह कहना है कि निमित्त को अकिञ्चित्कार सिद्ध करने के विषय में जो कुछ जैनतत्त्वमीमांसा में लिखा गया है उसमें लौकिक और पारमार्थिक दृष्टियों का भेद दिखलाने का वही प्रयत्न नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि मुक्ति के सम्बन्ध में निमित्त नैमित्तिक भाव रूप कार्यकारणभाव के विचार की आवश्यकता नहीं है—इस बात का निषेध पूर्व में किया जा चुका है और आगे भी किया जायगा। इसलिये यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुक्ति भी जीव की स्वप्नप्रत्यय पर्याय है अतः उमकी प्राप्ति के लिये भी निमित्त नैमित्तिक भाव रूप कार्यकारणभाव पर दृष्टि रखना अनिवार्य हो जाता है। तीसरी बात यह है कि जहाँ तक कार्यकारणभाव की व्यवस्था का सम्बन्ध है वहाँ तक उसमें लौकिक और पारमार्थिक कार्यों का भेद नहीं किया जा सकता है, अन्यथा पारमार्थिक मान्यताओं के सम्बन्ध में सर्वत्र जो लौकिक दृष्टान्तों का उपयोग आगम में किया गया है उसका फिर क्या प्रयोजन रह जायगा ? इस तरह उपादान की कार्य रूप परिणति में निमित्त के सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता रहा करती है—इस सिद्धान्त को प० फूलचन्द्र जी और प० जगन्मोहनलाल जी द्वारा भ्रम पूर्ण बतलाया जाना दोनों विद्वानों की भूल ही है, अन्यथा पाच लब्धियों को सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में कारण मानना भी असंगत हो जायगा।

७—प० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमांसा के निश्चय व्यवहारमीमांसा प्रकरण में पृष्ठ २५२ पर लिखा है—

“इस जीव को निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति होने पर व्यवहाररत्नत्रय होता ही है। उसे प्राप्त करने के लिये अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। व्यवहाररत्नत्रय स्वयं धर्म नहीं है। निश्चयरत्नत्रय के सद्भाव में उसमें धर्म का आरोप होता है—इतना अवश्य है। इसी प्रकार रूढिवश जो जिस कार्य का निमित्त कहा जाता है उसके सद्भाव में भी तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती जब तक जिस कार्य का वह निमित्त कहा जाना है उसके अनुकूल उपादान की तैयारी न हो। अतएव कार्य सिद्धि में निमित्तों का होना अकिञ्चित्कर है।”

प० जी के उक्त कथन से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि निमित्त को कार्य सिद्धि के प्रति अकिञ्चित्कर सिद्ध करने के लिये ही उन्होंने उक्त कथन में निश्चयरत्नत्रय के साथ तैयार उपादान की अर्थात् कार्य से अव्यवहित पूर्व समयवर्तीपर्याय विशिष्ट द्रव्य समर्थ उपादान की तथा व्यवहाररत्नत्रय के साथ निमित्त की तुलना की है और इस तरह वे बतला देना चाहते हैं कि मुक्ति रूप कार्य में कारणता की दृष्टि से जो स्थिति निश्चयरत्नत्रय की होती है वही स्थिति प्रत्येक कार्य में कारणता की दृष्टि से समर्थ उपादान की होती है तथा मुक्ति रूप कार्य में कारणता की दृष्टि से जो स्थिति व्यवहार रत्नत्रय की होती है वही स्थिति प्रत्येक कार्य में कारणता की दृष्टि से निमित्त की होती है। वह स्थिति क्या है? उसे उन्होंने अपने उक्त कथन में स्वयं ही स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय स्वयं धर्म नहीं है केवल निश्चयरत्नत्रय के सद्भाव में उसमें धर्म का आरोप होता है। इसी प्रकार की बात वे निमित्त के विषय में भी कहना चाहते हैं कि कार्य के प्रति निमित्त में कारणता तो नहीं है लेकिन कार्य सिद्धि के अनुकूल उपादान की तैयारी होने पर

उसमे कारणता का आरोप मात्र किया जाता है। इस प्रसंग मे उन्होने एक बात यह भी उक्त कथन मे प्रतिपादित की है कि निश्चयरत्नत्रय को प्राप्ति हो जाने पर वहा व्यवहाररत्नत्रय होता ही है उसे प्राप्त करने के लिये अलग से प्रयत्न नही करना पडता है। इसी प्रकार निमित्त के विषय मे भी वे कहना चाहते है कि उपादान की कार्य सिद्धि के अनुकूल तैयारी होने पर निमित्त वहाँ उपस्थित रहता ही है उसे जुटाने के लिये अलग से प्रयत्न नही करना पडता है। आगे इसकी मीमासा की जा रही है।

कार्य सिद्धि के प्रति निमित्त की अकिंचित्करता के विरोध और कार्यकारिता के समर्थन मे पर्याप्त लिखा जा चुका है। इसी प्रकार व्यवहाररत्नत्रय की धर्मरूपता या मोक्ष कारणता के समर्थन मे भी लिखा जा चुका है फिर भी प्रसंगवश पुन लिख रहा हू।

निमित्तकारण की अकिंचित्करता के विरोध और कार्यकारिता के समर्थन मे मैंने लिखा है कि आचार्य विद्यानन्दी ने अष्ट सहस्री मे “तदसामर्थ्यमखण्यद किंचित्करं किं सहकारिकारण स्यात्” वचन द्वारा तथा आचार्य प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल मार्तण्ड मे “यच्चोच्यते शक्तिर्नित्या अनित्याचेत्यादि, तत्र किमय द्रव्यशक्तौ पर्याय शक्तौ वा प्रश्न. स्यात्” इत्यादि वचन द्वारा निमित्त कारण की अकिंचित्करता के विरोध और कार्यकारिता के समर्थन मे ही अपना अभिमत प्रगट किया है। इससे यह बात निर्णीत होती है कि कार्य यद्यपि उपादानगत योग्यता के आधार पर ही होता है परन्तु निमित्त कारण के



सहयोग से ही होता है। अतएव कार्योत्पत्ति मे निमित्त अकि-  
चित्कर न होकर कार्यकारी ही होता है। इस कथन से मैं यह  
भी स्पष्ट कर देना चाहता हू कि प० जगन्मोहन लाल जी अपने  
पूर्वोद्धृत “एक कार्य के लिये जो निमित्त सामग्री बाधक हो वह  
दूसरे कार्य के लिये साधक हो जाती है” इस कथन के आधार  
पर यदि यह बात स्वीकार कर लें कि स्वपरप्रत्यय कार्य  
उपादानगत निजी योग्यता के आधार पर होते हुए भी निमित्त  
कारण के सहयोग से होता है तो फिर उनके उक्त कथन का  
आगम के साथ कोई विरोध नहीं रह जाता है।

व्यवहाररत्नत्रय की धर्म रूपता या मोक्ष कारणता के  
समर्थन मे भी मेरा यह कहना है कि यद्यपि निश्चय रत्नत्रय से  
ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, परन्तु उसे निश्चयरत्न-  
त्रय की प्राप्ति व्यवहाररत्नत्रय के आधार पर ही होती है  
जैसा कि पूर्व मे स्पष्ट किया जा चुका है। इस तरह मोक्ष के  
साक्षात् कारणभूत निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति का  
कारण होने से व्यवहाररत्नत्रय मे भी परम्परया मोक्ष कार-  
णता सिद्ध हो जाती है। अत मोक्ष कार्य के प्रति व्यवहार  
रत्नत्रय भी अकिचित्कर न होकर कार्यकारी ही सिद्ध होता  
है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार निश्चयरत्नत्रय  
मोक्ष का कारण होने से धर्म है उसी प्रकार व्यवहाररत्नत्रय  
भी मोक्ष का कारण होने से धर्म है। केवल यह विशेषता है कि  
निश्चयरत्नत्रय मोक्ष का साक्षात् कारण होने से जहाँ निश्चय  
धर्म है वहाँ व्यवहाररत्नत्रय मोक्ष का परम्परया अर्थात् निश्चय-  
रत्नत्रय का कारण होकर कारण होने से व्यवहार धर्म है।

इस विवेचन के आधार पर मेरा कहना है कि प० फूल-  
चन्द्र जी, प० जगन्मोहनलाल जी और उनके सपक्षीजन

उपादान मे उत्पन्न होने वाले कार्य मे निमित्त को तथा निश्चय-रत्नत्रय मे प्राप्त होने वाले मोक्ष मे व्यवहाररत्नत्रय को जो अकिञ्चित्कर मानते है और इसके आधार पर ही वे जो निमित्त कारण को कार्योत्पत्ति मे उपचरित कारण तथा व्यवहाररत्नत्रय को मोक्ष प्राप्ति मे उपचरित धर्म मानते है सो उनकी ये दोनो मान्यताये भ्रमपूर्ण ही है । इन लोगो के ऐसा मानने से तो यह समझ मे आता है कि ये लोग निमित्तकारण और व्यवहाररत्नत्रय के स्वरूप से ही अनभिज्ञ हो रहे ३ । अत यहाँ पर निमित्तकारण और उपादानकारण तथा व्यवहाररत्नत्रय और निश्चयरत्नत्रय के स्वरूप को बतलाया जा रहा है ।

निमित्त कारण के स्वरूप को समझने मे पूर्वोद्धृत अष्ट-सहस्री का “तदसामर्थ्यमखण्डयत्” इत्यादि वचन और प्रमेय कमल मार्तण्ड का “यच्चोच्यते” इत्यादि वचन ही पर्याप्त सहायक होते हैं क्योंकि इनका आशय यह है कि जो उपादान की कार्य परिणति मे उपादान का सहायक होता है वह निमित्त कहलाता है । उपादान कारण का स्वरूप समयसार की निम्न-लिखित गाथा मे प्रतिपादित है ।

ज भाव सुहमसुह करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता ।

त तस्स होदि कम्म सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥१०६॥

अर्थ—जिस शुभ या अशुभ भाव रूप आत्मा परिणत होता है उस भाव का वह कर्ता (उपादान कर्ता) कहलाता है और वह भाव उसका कर्म कहलाता है तथा उसका वेदक (अनु-भोक्ता) वही (आत्मा) होता है ।

आचार्य अमृतचन्द्र ने समयसार के कलश पद्य ५१ में भी उपादान कर्त्तारूपकारण का यही स्वरूप बतलाया है। यथा—

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।  
या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्न न वस्तुतया ॥

इसमें स्पष्ट बतलाया गया है कि जो कार्य रूप परिणत होता है वह कर्ता (उपादान कर्ता) कहलाता है।

उपादान और निमित्त शब्दों के व्युत्पत्त्यर्थ पर यदि ध्यान दिया जाय तो इससे भी समझ में आ जाता है कि जो कार्यरूप परिणत होता है वह उपादान कहलाता है और जो उपादान की कार्य परिणति में उस उपादान की सहायता करता है वह निमित्त कहलाता है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि 'उप' उपसर्गपूर्वक आदानार्थक 'आ' उपसर्ग विशिष्ट 'दा' धातु से 'ल्युट्' प्रत्यय होकर उपादान शब्द निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ यही होता है कि जो परिणमन को ग्रहण करे अर्थात् जो कार्यरूप परिणत हो वह उपादान है। इसी तरह 'नि' उपसर्गपूर्वक स्नेहार्थक 'मिद्' धातु से 'क्त' प्रत्यय होकर निमित्त शब्द निष्पन्न हुआ है। मित्र शब्द भी इसी 'मिद्' धातु से 'क्र' प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है। इस प्रकार जो मित्र के समान उपादान के कार्यरूप परिणत होने में उस उपादान का स्नेहन करता है अर्थात् उसको (उपादान को) सहायता पहुंचाना है वह निमित्त है।

व्यवहाररत्नत्रय और निश्चयरत्नत्रय के स्वरूप को समझने के लिये श्रद्धेय प० दौलतराम जी कृत छहढाला की

तीसरी ढाल से छठी ढाल तक का अवलोकन करना चाहिये । निश्चयरत्नत्रय का स्वरूप तीसरी ढाल में निम्न प्रकार बतलाया गया है—

परद्रव्येण तँ भिन्न आप मे रुचि सम्यक्त्व भला है ।  
 आप रूप कौ जानपनो सो सम्यग्ज्ञान कला है ॥  
 आप रूप मे लीन रहे थिर सम्यक् चारित सोई ।  
 अव व्यवहार मोरवमग सुनिये हेतु नियत को होई ॥३-२॥

इसका अर्थ स्पष्ट है । इसमें ऊपर के तीन चरणों में प० जी ने निश्चयरत्नत्रय का स्वरूप बतलाया है तथा चतुर्थ चरण में सकेत किया है कि इससे आगे सम्पूर्ण तीसरी ढाल में व चौथी, पाचवी और छठी ढालों में व्यवहाररत्नत्रय का स्वरूप बतलाया जायगा । इस तरह उन्होंने उक्त सभी ढालों में व्यवहाररत्नत्रय विस्तार से स्वरूप बतला दिया है ।

पञ्चास्तिकाय की १६१ वी गाथा<sup>१</sup> में निश्चयरत्नत्रय का और १६० वी गाथा<sup>२</sup> में व्यवहाररत्नत्रय का स्वरूप छह-ढाला के अनुरूप ही बतलाया गया है । इसी पञ्चास्तिकाय की १६० वी गाथा की टीका<sup>३</sup> में आचार्य जयसेन ने निश्चय और व्यवहार दोनों ही प्रकार के रत्नत्रयों में मोक्ष की कारणता का

- (१) णिच्छयणयेण मणि दो तिहिं तेहि समाहि दो डु जो अप्पा ।  
 ण कुणदि किच्चिचि अण्ण ण मुयदि सो मोक्ख मग्गोत्ति ॥१६१॥
- (२) धम्मदादी सद्दहण सम्मत्त णाणभगपुव्वगद ।  
 चेट्ठा तव हि चरिया व्यवहारो मोक्खमग्गोत्ति ॥१६॥
- (३) निश्चय व्यवहार मोक्ष कारणे सति मोक्षकार्यं स भवति ।

समर्थन किया है तथा इसी १६० वीं गाथा की टीका<sup>१</sup> में आचार्य अमृतचन्द्र ने उक्त दोनो रत्नत्रयो में साध्य साधक भाव बतला कर १६२ और १६३ वीं गाथाओं की टीकाओं<sup>२</sup> में उस साध्य साधक भाव को इस प्रकार घटित किया है कि व्यवहाररत्नत्रय साधक है और निश्चयरत्नत्रय साध्य है ।

इस प्रकार उक्त आगम वचनों के आधार पर निश्चय और व्यवहार रत्नत्रयो का इस प्रकार स्वरूप निर्धारित होता है कि जीव की वस्तुतत्त्व व्यवस्था के प्रति “यह ऐसा ही है” इस तरह की आस्था हो जाना ही व्यवहार सम्यग्दर्शन है और इसके आधार पर उसकी आत्मकल्याण में रुचि जाग्रत हो जाना निश्चय सम्यग्दर्शन है । इसी तरह जीव को वस्तुतत्त्व के प्रतिपादक आगम का ज्ञान हो जाना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है और इसके आधार पर आत्मा को ज्ञान हो जाना निश्चय सम्यग्ज्ञान है और इसी तरह उक्त सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानपूर्वक<sup>३</sup> निश्चय सम्यक्चारित्र के कारणभूत परालम्बन के त्यागरूप पुरुषार्थ की प्रक्रिया को जीव द्वारा अपना लिया जाना व्यवहार

(१) निश्चय व्यवहारयो साध्य साधन भावत्वात् ।

(२) निश्चय मोक्ष मार्गं साधन भावेन पूर्वं द्विष्ट

व्यवहार मोक्षमार्गं निर्देशोऽयम् ।

व्यवहार मोक्ष मार्गं साध्य भावेन निश्चय

मोक्ष मार्गो पन्यासोऽयम् ॥

(३) मोहितमरापहरणे दर्शन लाभदवाप्त सज्ञान ।

रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु ॥४७॥

(रत्नकरण्ड श्र०)

सम्यक् चारित्र्य है और परावलम्बन के त्याग की पूर्णता हो जाने पर जीव में स्वावलम्बन की स्थिति का विकास हो जाना निश्चय सम्यक्चारित्र्य है ।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि सम्यग्दृष्टि और सम्यग्ज्ञानी वही जीव कहलाता है जिसने अनन्तानुबन्धी कषाय का उपशम या क्षय अथवा उसके वर्तमानकाल में उदय आने योग्य निषेको का उदयाभावी क्षय और आगामी काल में उदय आने योग्य निषेको का सदवस्थारूप उपशम हो जाने पर क्रोधादि कषायरूपवृत्ति और हिंसादि सकल्पी पापरूप प्रवृत्ति को अपने जीवन से निकाल दिया हो—जैसा कि पूर्व में बतला दिया गया है । इस तरह जो जीव सकल्पी पापों के त्याग के अनन्तर आरम्भी पापों के त्याग की प्रक्रिया अपना लेता है वह व्यवहार सम्यक् चारित्र्यी कहलाने लगता है तथा ऐसा जीव धीरे-धीरे आरम्भी पापों के उस त्याग में वृद्धि करता हुआ अन्त में जब सम्पूर्ण आरम्भी पापों का त्याग हो जाता है तब उसके व्यवहार सम्यक्चारित्र्य की पूर्णता होती है और उसके अनन्तर ही उसे स्वावलम्बन की स्थितिरूप निश्चय सम्यक्-चारित्र्य की प्राप्ति होती है । यह सब भी पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है तथा आगे भी स्पष्ट किया जायगा ।

निमित्तकारण और उपादानकारण तथा व्यवहाररत्नत्रय और निश्चयरत्नत्रय के स्वरूप का विवेचन करने वाले इस कथन से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि आगम में निमित्तकारण को जो उपचरित कारण बतलाया है वह कार्य के प्रति अकिञ्चित्कर होने के आधार पर नहीं बतलाया है प्रत्युत उपादान की कार्य परिणति में उपादान का सहायक होने के आधार पर ही बतलाया है । इसी प्रकार आगम में व्यवहाररत्नत्रय को जो उपचरित धर्म बतलाया है वह मोक्षरूप

कार्य के प्रति अकिञ्चित्कर होने के आधार पर नहीं बतलाया है प्रत्युत मोक्षकार्य के प्रति साक्षात् कारणभूत निश्चयरत्नत्रय का कारण होने से परम्परया मोक्ष का कारण होने के आधार पर ही बतलाया है । इस तरह प० फूलचन्द्रजी का यह सब कथन कि “व्यवहाररत्नत्रय स्वयं धर्म नहीं है । निश्चयरत्नत्रय के सद्भाव में उसमें धर्म का आरोप होता है—इतना अवश्य है । इसी प्रकार रूढिवश जो जिस कार्य का निमित्त कहा जाता है उसके सद्भाव में भी तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती है जब तक जिस कार्य का वह निमित्त कहा जाता है उसके अनुकूल उपादान की तैयारी न हो, अतएव कार्यसिद्धि में निमित्तों का होना अकिञ्चित्कर है ।” मिथ्या सिद्ध हो जाता है ।

अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष और तर्क भी इस बात को सूचित करते हैं कि कार्यसिद्धि के लिये प्रत्येक व्यक्ति उपादान पर तो लक्ष्य रखता है परन्तु यदि निमित्त पर लक्ष्य नहीं रक्खा जावे अर्थात् उपादान की विवक्षित कार्यरूप परिणति के लिये निमित्त सामग्री का उपयोग नहीं किया जावे तो वह उपादान उस कार्यरूप परिणत होने में तब तक असमर्थ ही रहेगा जब तक तदनुकूल निमित्त सामग्री का उपयोग नहीं किया जायगा । जैसे किसी व्यक्ति को यदि भवन का निर्माण करना है तो वह व्यक्ति भवन की उपादानभूत ईंट, पत्थर, लकड़ी, चूना, सीमेंट, लोहा आदि का संग्रह करने के साथ निमित्तभूत मिस्त्री, बेलदार, रेजा आदि को व अन्य निमित्त सामग्री को भी जुटाने का प्रयत्न करता है क्योंकि वह जानता है कि उक्त उपादान सामग्री स्वयं ( अपने आप ) ही भवनरूप परिणत नहीं होगी किन्तु उक्त निमित्त सामग्री का सहयोग प्राप्त होने पर ही वह भवनरूप परिणत होगी । यही बात

निम्नव्य और व्यवहाररत्नत्रयों के विषय में भी समझ लेनी चाहिये। अर्थात् निम्नव्यरत्नत्रय पर आहृत तथा जीव ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है—यह तो शीक है, परन्तु निम्नव्यरत्नत्रय पर आहृत होने के विषय उमें जो भी तन्मुक्तान् पुरुषार्थं करना पड़ता है वह पुरुषार्थं व्यवहाररत्नत्रयमें ही होता है फिर भले ही प० पूतचन्द्रजी, प० जगन्मोहननाथजी और उमें गणेशीजन इन बातों की स्वीकार करने के विषये तैयार न हों।

निमित्तकारण और व्यवहाररत्नत्रय की कार्यकारिणा के सम्बन्ध में एक बात यह भी कही जा सकती है कि कार्यसिद्धि के सम्बन्ध में आगम में जो निमित्तपन्त कथन मिलते हैं वे लोक में कार्यसिद्धि के विषये जो निमित्तों का अन्विषय रूप से उपयोग किया जाता है तथा प० पूतचन्द्रजी आदि भी जो कार्यसिद्धि की इस प्रक्रिया से अहृते नहीं हैं, इन्हीं तरह मोक्ष प्राप्ति के सम्बन्ध में भी आगम में जो व्यवहाररत्नत्रय का विचार के साथ सर्वथा उल्लेख मिलता है वे लोक में उपकार्य-पकारकनायक, ग्रन्थों के लेखन और पठन-पाठन का तथा गण-द्वेषमय वृत्ति और हिंसादि पापद्वय प्रवृत्ति के त्याग का जो महत्त्व प्रस्थापित है वे प० पूतचन्द्रजी आदि भी जो इस प्रक्रिया को अपनाये हुए हैं, तो क्या यह सब मिथ्या ही है? अथवा इनका कोई अनुभव, इन्द्रिय प्रत्यक्ष, तर्क और आगम सम्मत आधार है—इस पर भी प० पूतचन्द्रजी आदि को विचार करना चाहिये।

व्यवहाररत्नत्रय की उपयोगिता के सम्बन्ध में इस तरह भी विचार किया जा सकता है और जैसा विचार पूर्व में किया भी जा चुका है कि जीव अनादिकाल से काम, क्रोध, मोह आदि रूप जो परिणति कर रहा है वह उसकी विभावपरिणति



हो है और इमका कारण जीव की अनादि काल से ही पौद्गलिक कर्म-नोकर्म के साथ बद्धता व इसका भी कारण मोहकर्म के साथ बद्धता है । समयसार मे निम्नलिखित गाथा द्वारा मोहकर्म बद्धता को ही इसका कारण प्रतिपादित किया गया है ।

उवधोगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहजुत्तम्स ।  
मिच्छत अण्णाण अविरदि भावो य णादव्वो ॥६६॥

अर्थ—पौद्गलिक मोहकर्म के साथ सयुक्त (बद्धता को प्राप्त) हुए जीव के उपयोग का अनादि काल से तीन रूप परिणामन हो रहा है और उसे मिथ्यात्व, अज्ञान तथा अविरति रूप समझना चाहिये ।

जीव मोहकर्म बद्धता के कारण ही ज्ञानावरणादि कर्मों और शरीरादि नोकर्मों से अनादि काल से बद्ध रहता आया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि वह अपने से स्पष्ट पृथक् दिखने वाली भोजनादि पर वस्तुओं का अवलम्बी भी अनादि काल से ही हो रहा है । अतएव इस तरह की स्थिति को प्राप्त जीव के सामने मुख्य प्रश्न उक्त कर्मों तथा नोकर्मों से छुटकारा पाना ही है । तत्त्वार्थ सूत्र के दशवे अध्याय के “बन्धहेत्व भावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्म विप्रमोक्षो मोक्ष ” सूत्र द्वारा मुक्ति का यही लक्षण प्रतिपादित किया गया है । अर्थात् आगामी कर्म बन्ध के कारणों का प्रतिरोध यानि सवर और बद्ध कर्मों की निर्जरा होने से जो जीव की कर्मों तथा नोकर्मों के साथ बद्धता समूल नष्ट हो जाती है उसी का नाम मोक्ष (मुक्ति) है ।

इस मुक्ति की प्राप्ति के लिये जीव को पहले तो दर्शन मोहनीय कर्म की पूर्वोक्त तीन और अनन्तानुबन्धी चारित्र

मोहनीय कर्म की पूर्वोक्त चार प्रक्रियाओं के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के आधार पर उत्पन्न पूर्वोक्त व्यवहार सम्यग्दर्शन-पूर्वक निश्चय सम्यग्दर्शन तथा पूर्वोक्त व्यवहार सम्यग्ज्ञान-पूर्वक निश्चय सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है व इनके पश्चात् श्रमण, अप्रत्याग्यानावरण, प्रत्याग्यानावरण और मज्जनन कपायों और नव नोक्तपायों के यथासम्भव अनुदय, उपशम और क्षय के आधार पर उत्पन्न व्यवहार सम्यक्चारित्र्यपूर्वक निश्चय सम्यक्चारित्र्य की प्राप्ति आवश्यक है क्योंकि इस प्रक्रिया के आधार पर ही जीव बन्ध योग्य कर्मों का सवर और बद्ध कर्मों की निर्जंग किया करता है ।

पूर्व में बतलाया जा चुका है कि जीव में स्वभावतः भाववती और क्रियावती नाम की दो शक्तियाँ विद्यमान हैं । उनमें से भाववती शक्ति के अनादि काल से तीन रूप हो रहे हैं—एक तो वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम के आधार पर वीर्यरूप, दूसरा दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के आधार पर दर्शनरूप और तीसरा ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के आधार पर ज्ञानरूप । उपयुक्ताकार भाववती शक्ति की दर्शन मोहनीय कर्म के उदय के आधार पर अनादिकाल में ही मिथ्यात्व और अज्ञानरूप विकृत स्थिति बनी हुई है । इसी तरह क्रियावती शक्ति भी अनादिकाल से मन, वचन और काय की अधीनता में क्रियाशील होती हुई चारित्र्य मोहनीयकर्म के उदय के आधार पर राग तथा द्वेष रूप विकार को प्राप्त हो रही है । क्रियावती शक्ति का मन, वचन और काय की अधीनता में होने वाला क्रिया रूप परिणमन ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का अनादि काल से ही जीव में आस्रव कराता चला आ रहा है तथा उस क्रिया रूप परिणमन में यथासम्भव चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय के आधार पर जो राग

तथा द्वेष रूप विकार अनादि काल से ही रहा है उसके आधार पर उन ज्ञानावरणादि आठो कर्मों का जीव के साथ स्थिति और अनुभागरूप बन्ध होता आ रहा है ।

मन, वचन और काय की अधीनता में होने वाले क्रिया-वती शक्ति के क्रियारूप परिणमन का नाम योग<sup>१</sup> है । इसे आगम में आस्रव<sup>२</sup> नाम दिया गया है क्योंकि इससे कर्मों का आस्रव (आना) होता है । यह दो प्रकार का है—एक तो शुभ रूप और दूसरा अशुभ रूप । शुभ योग वह है जो दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय कर्मों का सातिशय क्षयोपशम तथा पुण्य कर्मों का उदय रहने पर होता<sup>३</sup> है और अशुभयोग वह है जो दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय कर्मों के मन्द क्षयोपशम तथा पाप कर्मों का उदय रहने पर होता है ।<sup>४</sup> ये दोनों ही प्रकार के योग जब तक यथासम्भव कपायो के उदय से अनुरजित रहते हैं तब तक रागात्मक और द्वेषात्मक मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति (पुरुषार्थ) रूप हुआ करते हैं, लेकिन दोनों में इतनी विशेषता है कि यदि शुभ योग कपायो के उदय से अनुरजित होने के आधार पर रागात्मक और द्वेषात्मक मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति (पुरुषार्थ) रूप होता है तो उसका नाम पुण्याचरण है तथा यदि अशुभयोग यथासम्भव कपायो के उदय से अनुरजित होने के आधार पर रागात्मक और द्वेषात्मक मान-

१. कायवाङ्मन कर्म योग ॥ ६-१ ॥ त० सू० ।

२ स आस्रव ॥ ६-२ ॥ त० सू० ।

३, ४ शुभ परिणाम निर्वृत्तो योग शुभः । अशु परिणाम निर्वृत्तो योगः अशुभः । तत्त्वार्थ सूत्र के सूत्र ६-३ की सर्वार्थ सिद्धि ।

मित, यान्त्रिक और तांत्रिक प्रवृत्ति (पुरुषार्थ) रूप होता है तो उनका नाम पापान्तरण है। उनमें से पापान्तरण तो सामान्यतया पापकर्मों के बन्ध का कारण होता है<sup>१</sup> और पुण्यान्तरण सामान्यतया पुण्यकर्मों के बन्ध का कारण होता है।<sup>२</sup> यहाँ पर 'सामान्यतया' शब्द हमें हमें ज्ञान की सूचना देता है कि पापान्तरण मुख्य रूप से यद्यपि पाप कर्मों के ही बन्ध का कारण होता है परन्तु पापान्तरण रहते हुए भी जीव के यथायोग्य पुण्य कर्मों का भी बन्ध हुआ करता है और पुण्यान्तरण मुख्य रूप से पुण्य कर्मों के ही बन्ध का कारण होता है परन्तु पुण्यान्तरण रहते हुए भी जीव के यथायोग्य पाप कर्मों का भी बन्ध हुआ करता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि योग का कार्य ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का आसन्न करना है। पूर्ण योग जीव में प्रथम गुणस्थान से लेकर त्रयोदश गुणस्थान तक अपनी सत्ता रखता है अतः जीव के त्रयोदश गुणस्थान तक ज्ञानावरणादि कर्मों में से यथासम्भव कर्मों का आसन्न हुआ करता है और वह योग पूर्ण प्रथम गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक यथासम्भव कर्मायु के उदय से अनुरजित होकर उपर्युक्त प्रकार की प्रवृत्ति (पुरुषार्थ) का रूप पाता है अतः जीव के दशम गुणस्थान तक उन आसन्नित कर्मों का यथायोग्य प्रकार का स्थिति बन्ध और अनुभागबन्ध हुआ करता है। यही कारण कि आगम में कर्मायु

१ इस विषय को तत्त्वार्थसूत्र के छठे अध्याय में विस्तार से प्रतिपादित किया गया है।

२ इस विषय को भी तत्त्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय में विस्तार से प्रतिपादित किया गया है।

को ही स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध का कारण स्वीकार किया गया है। यथा—

पयडिडिदि अणुभागपदेस भेदा दु चडु विहो बन्धो ।

जोगा पयडिपदेसा ठिदि अणुभागा कषाय दो होति ॥३३॥

द्रव्य सग्रह

अर्थ—प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति के भेद से बन्ध चार प्रकार का होता है। इनमें से प्रकृति और प्रदेश रूप बन्ध तो योगो के आधार पर होता है और स्थिति तथा अनुभाग रूप बन्ध कषाय के आधार पर होता है।

यहाँ पर कषाय शब्द विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है जिसका आशय यह होता है कि बन्ध का कारण मोहनीय कर्म दो प्रकार का होता है—एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। इनमें से वास्तव में देखा जाय तो चारित्र मोहनीय कर्म ही कषाय रूप होने से स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध का साक्षात् कारण होता है तथा दर्शन मोहनीय कर्म कषाय को प्रभावित करता हुआ ही उपर्युक्त बन्धों का कारण होता है। इस तरह वह परस्परथा कारण होता है। यह आश्रय पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय के निम्नलिखित पद्यों से भी प्रगट होता है।

येनाशेन सुदृष्टिस्तेनाशेनास्य बन्धन नास्ति

येनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बन्धन भवति ॥२१२॥

येनाशेन ज्ञान तेनाशेनास्य बन्धन नास्ति ।

येनाशेन तु रागरतेनाशेनास्य बन्धन भवति ॥२१३॥

येनाशेन चरित्र तेनाशेनास्य बन्धन नास्ति ।

येनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बन्धन भवति ॥२१४॥

इन गाथाओं में राग शब्द द्वेष का उपलक्षण है इस तरह राग शब्द का अर्थ राग और द्वेष रूप कपाय होता है और इस तरह गाथाओं का अर्थ भी यह होता है कि जिस रूप से जीव में सम्यग्दर्शन है उस रूप से उसके बन्ध नहीं होता है और जिस रूप से जीव में राग तथा द्वेष रूप कपाय है उस रूप से उसके बन्ध होता है। इसी प्रकार जिस रूप से जीव में सम्यग्ज्ञान है उस रूप से उसके बन्ध नहीं होता है और जिस रूप से जीव में राग तथा द्वेष रूप कषाय है उस रूप से उसके बन्ध होता है तथा इसी तरह जिस रूप से जीव में सम्यक्चारित्र है उस रूप से उसके बन्ध नहीं है और जिस रूप से जीव में राग तथा द्वेष रूप कषाय है उस रूप से उसके बन्ध होता है।

द्रव्य सग्रह और पुरुषार्थसिद्धयुपाय के उपर्युक्त उल्लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सासादन सम्यग्दृष्टि, औपशमिक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवों के जो स्थिति और अनुभाग रूप से कर्म बन्ध होता है उसमें तो कषाय कारण है ही, परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्यात्व कर्म का, सम्यग्मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यग्मिथ्यात्व कर्म का और क्षायो-पशमिक सम्यग्दृष्टि जीव के सम्यक् प्रकृति कर्म का उदय रहते हुए भी जो स्थिति और अनुभाग रूप से कर्म बन्ध होता है उसमें भी कपाय ही कारण होती है।

तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति ये तीनों दर्शन मोहनीय कर्म के भेद हैं और दर्शन मोहनीय कर्म उपयुक्ताकार ज्ञान को ही सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रूप से विकृत करता है—यह बात पूर्व में बतलायी जा

चुकी है। अब इस बात पर ध्यान देना है कि वह उपयुक्ताकार ज्ञान उपर्युक्त प्रकार से विकृत होने पर भी अपने आप में बन्ध का कारण नहीं होता है किन्तु चारित्र मोहनीय कर्म से प्रभावित अर्थात् राग व द्वेष रूपता को प्राप्त जीव की मानसिक, वाचनिक और कायिक क्रिया ही बन्ध का कारण होती है। इसका अर्थ है कि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से विकार को प्राप्त वह उपयुक्ताकार ज्ञान उस क्रिया में प्रेरक हुआ करता है। जैसे किसी व्यक्ति ने विष को यदि अमृत (औषधि) समझ लिया तो ऐसा समझ लेने मात्र से तब तक उस व्यक्ति को हानि नहीं होती है जब तक वह व्यक्ति औषधि के रूप में उसका उपयोग नहीं करता है लेकिन इतनी बात अवश्य है कि विष को औषधि समझने वाला व्यक्ति उस ज्ञान के आवार पर तत्काल या कभी न कभी उसका औषधि के रूप में उपयोग कर सकता है। इस तरह जिस प्रकार विष को अमृत (औषधि) समझना परम्परया हानिकर है उसी प्रकार दर्शन मोहनीय कर्म से विकृत हुआ ज्ञान भी परम्परया बन्ध का कारण होता है लेकिन साक्षात् कारण तो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित अर्थात् राग तथा द्वेष रूपता को प्राप्त जीव की मानसिक, वाचनिक और कायिक क्रिया ही हुआ करती है।

तात्पर्य यह है और जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि मन, वचन और काय की अधीनता में होने वाली जीव की क्रिया (योग) तो कर्मों के प्रकृति बन्ध और प्रदेश बन्ध में अथवा यो कहिये कि आस्रव में कारण होती है और वह क्रिया जब तक चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से प्रभावित रहती है यानि राग तथा द्वेष रूपता को प्राप्त रहती है तब तक वह उन अस्रवित

कर्मों के स्थिति और अनुभाग रूप से बन्ध में कारण होती है। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि जीव की क्रिया ज्ञान के अनुसार ही हुआ करती है। इसका आशय यह हुआ कि यदि ज्ञान दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से विकृत हो रहा हो तो क्रिया भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती है, इसलिये जब दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के आधार पर ज्ञान में से उक्त प्रकार का विकार समाप्त हो जाता है तो जीव की उक्त क्रिया में भी अन्तर आ जाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान के प्रादुर्भाव में दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के साथ ही अनन्तानुबन्धी कपाय के उपशय या क्षय को अथवा उपशम और क्षय दोनों ही को कारण स्वीकार किया गया है। इससे यह निष्कर्ष भी सहज ही निकल आता है कि जो जीव दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के आधार पर ज्ञान की निर्विकारता को प्राप्त हो जावे उसमें सम्यग्दृष्टि बनने के लिये अनन्तानुबन्धी कपाय के उपशम या क्षय अथवा उपशम और क्षय दोनों के आधार पर सकल्पी पापों का त्याग अवश्य हो जाना चाहिये क्योंकि जीव सकल्पी पाप भी करता रहे और सम्यग्दृष्टि भी हो जावे यह व्यवस्था आगम की नहीं है। इसलिये जो विद्वान् या साधारणजन गोम्मट-सार जीवकाण्ड की “णो इन्द्रियेसुविरदो” इत्यादि गाथा २९ का विपरीत अर्थ करके यह बतलाते हैं कि अविरत सम्यग्दृष्टि जीव अन्याय, अत्याचार, उच्छृङ्खल या अनुचित सकल्पी पाप रूप प्रवृत्ति करते हुए भी सम्यग्दृष्टि बना रहता है वे अपने आगम सम्बन्धी अज्ञान को ही प्रगट करते हैं, क्योंकि जीव की उक्त सकल्पी पाप रूप प्रवृत्ति अनन्तानुबन्धी कपाय के उदय में ही



हुआ करती है अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन कषायो के उदय में नहीं, क्योंकि इनका कार्य तो क्रमशः देशव्रत, महाव्रत तथा यथाख्यात चारित्र को घात करना ही है। अर्थात् अप्रत्याख्यानावरणादि उक्त कषायें यथायोग्य रूप में अनिवार्यता को प्राप्त आरम्भी पापों में ही जीव की प्रवृत्ति कराती है।

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जीव की क्रियावती शक्ति का मन, वचन (मुख) और काय की अधीनता में होने वाला पूर्वोक्त प्रकार का शुभ या अशुभरूप क्रियात्मक (योगात्मक) परिणमन तो यथासंभव ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के प्रकृति-बन्ध और प्रदेश बन्ध का अर्थात् आस्रव का कारण होता है और उसमें जो अनन्तानुबन्धी आदि कषायों का राग अथवा द्वेष रूप अनुरञ्जन रहा करता है वह उन कर्मों के स्थिति बन्ध और अनुभागबन्ध का कारण होता है। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय यद्यपि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से विकास को प्राप्त जीव की भाववती शक्ति के उपयोगात्मक ज्ञानरूप परिणमन को ही विकारी बनाता है तथापि उसके साहचर्य में यथासंभव कषायों का उदय अवश्य रहा करता है इसलिए उक्त कर्म बन्ध में उसे भी कारण माना जाता है।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि मिथ्यात्व कर्म के उदय के साहचर्य में अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन इन चारों ही कषायों का उदय रहा करता है, सम्यग्मिथ्यात्व कर्म के उदय के साहचर्य में अनन्तानुबन्धी कषाय को छोड़कर शेष तीन कषायों का उदय रहा करता

हे तथा सम्यक् प्रकृति कर्म के उदय के साहचर्य में चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के तो सम्यग्मित्यात्व कर्म के समान अनन्तानुवन्वी कपाय को छोड़कर जेप तीनों ही कपायों का उदय रहा करता है, पचम गुणस्थानवर्ती जीव के अनन्तानुवन्वी और अप्रत्याख्यानावरण कपायों को छोड़कर जेप दो कपायों का उदय रहा करता है व छठे प्रमत्तविरत तथा सातवें स्वस्थानाप्रमत्त—इन दोनों गुणस्थानों में रहने वाले जीवों के अनन्तानुवन्वी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याम्यानावरण—इन तीनों कपायों को छोड़ कर केवल सज्वलन कपाय का ही उदय रहा करता है। यद्यपि सम्यक् प्रकृति कर्म का उदय समाप्त हो जाने पर अर्थात् सम्पूर्ण दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम अथवा क्षय हो जाने पर ही जीव श्रेणी माडता है यानि क्रमशः अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप आत्म परिणामों में जीव प्रवृत्त होता है लेकिन अधकरण परिणामों के स्थानभूत सातवें सातिशय अप्रमत्त नामक गुणस्थान में, अपूर्वकरण परिणामों के स्थानभूत आठवें अपूर्वकरण नामक गुणस्थान में और अनिवृत्तिकरण परिणामों के स्थानभूत नववें अनिवृत्तिकरण नामक गुणस्थान में तथा सूक्ष्मसापराय नामक दशम गुणस्थान में रहने वाले जीवों के भी सज्वलन कपाय का उत्तरोत्तर मन्द, मन्दतर और मन्दतम उदय रहा करता है। इस तरह यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि उक्त चारों कपायों ही यथायोग्य गुणस्थानों में उदय की प्राप्त होती हुई यथासम्भव कर्मों के स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध की कारण होती हैं तथा दर्शन मोहनीय कर्म उक्त कर्म बन्धों का साक्षात्करण न होकर यथास्थान उक्त कपायों को प्रभावित करता हुआ परम्परया ही कारण होता है।

-- पूर्व में आत्मा की क्रियावती शक्ति की मानसिक, वाचनिक और कायिक क्रिया रूप योग के शुभ व अशुभ दो भेद और उनके लक्षण बतलाते हुए मैं कह आया हूँ कि यदि शुभ योग यथासम्भव कषायो के उदय से अनुरजित होने के आधार पर रागात्मक और द्वेषात्मक मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति (पुरुषार्थ) रूप हो तो उसका नाम पुण्याचरण है व यदि अशुभयोग यथासम्भव कषायो के उदय से अनुरजित होने के आधार पर रागात्मक और द्वेषात्मक मानसिक, वाचनिक और कायिक प्रवृत्ति (पुरुषार्थ) रूप हो तो उसका नाम पापाचरण है। इनमें से पापाचरण दो प्रकार का होता है—एक तो सकल्पी पाप रूप और दूसरा आरम्भी पाप रूप। सकल्पी पाप रूप पापाचरण अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय में होता है और आरम्भी पाप रूप पापाचरण अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन कषायो के उदय में होता है। इस तरह प्रथम और द्वितीय गुणस्थानों में तो अप्रत्याख्यानावरणादि तीनों कषायो के साथ अनन्तानुबन्धी कषाय का भी उदय रहा करता है अतः इन गुणस्थानों में रहने वाला जीव अविरत तथा उच्छृङ्खल प्रवृत्ति वाला होता है लेकिन तृतीय गुणस्थान में अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय न रहने के कारण जीव उच्छृङ्खल प्रवृत्ति वाला तो नहीं होता फिर भी अप्रत्याख्यानावरणादि तीन कषायो का उदय रहने के आधार पर अविरत सम्यग्मिथ्यादृष्टि हुआ करता है। इसी तरह चतुर्थ गुणस्थान में दर्शनमोहनीयकर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के साथ अनन्तानुबन्धी कषाय का भी उपशम या क्षय अथवा क्षय और उपशम दोनों रहने के कारण जीव उच्छृङ्खल प्रवृत्ति वाला न होता हुआ अप्रत्याख्यानावरणादि कषायो का उदय रहने के

आधार पर अविरत सम्यग्दृष्टि रहा करता है। तात्पर्य यह है कि प्रथम और द्वितीय गुणस्थानों में रहने वाले जीवों के अनन्तानुबन्धी आदि चारों कषायों का उदय रहा करता है इसलिए उन जीवों के अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय रहने के कारण तो सकल्पी पाप रूप पापाचरण होता है और अप्रत्याख्यानावरणादि कषायों का उदय रहने के कारण आरम्भी पाप रूप पापाचरण होता है। इन दोनों गुणस्थानवर्ती जीवों में विशेषता यह है कि प्रथम गुणस्थानवर्ती जीव तो मिथ्यात्व कर्म का उदय रहने के कारण मिथ्यादृष्टि कहलाता है जब कि द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव दर्शनमोहनीयकर्म की किसी भी प्रकृति का उदय न रहने के कारण सासादनसम्यग्दृष्टि कहलाता है। इसी तरह तृतीय और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों के अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय न रहने के कारण सकल्पी पाप रूप पापाचरण तो नहीं होता है लेकिन अप्रत्याख्यानावरणादि तीनों कषायों का उदय रहने के कारण आरम्भी पाप रूप पापाचरण तो होता ही है। इन दोनों गुणस्थानवर्ती जीवों में भी यह विशेषता है कि तृतीय गुणस्थानवर्ती जीव तो सम्यग्मिथ्यात्व कर्म का उदय रहने के कारण सम्यग्मिथ्यादृष्टि कहलाता है लेकिन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव दर्शनमोहनीयकर्म का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम रहने के कारण सम्यग्दृष्टि कहलाता है।

पञ्चम गुणस्थान से लेकर आगे के सभी गुणस्थानों में रहने वाले जीव दर्शन मोहनीय कर्म का यथायोग्य रूप में अभाव रहने के कारण सम्यग्दृष्टि और अनन्तानुबन्धी कषाय का अभाव रहने के कारण सकल्पी पाप रूप पापाचरण रहित तो होते ही

है साथ में पञ्चम गुणस्थानवर्ती जीव के चूँकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय (आगामी काल में उदय आने योग्य निषेको का सदवस्थारूप उपशम और वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेको का उदयाभावी क्षय) भी हो जाता है अतः वह जीव आरम्भी पाप रूप पापाचरण का भी एक देश त्याग हो जाने के कारण देशव्रती कहलाने लगता है। इसी तरह षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीव के अप्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय के साथ चूँकि प्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अनुदय हो जाता करता है अतः आरम्भी पाप रूप पापाचरण का नियमित विशेष रूप में त्याग हो जाने के कारण वह जीव सर्वव्रती या महाव्रती कहलाने लगता है।

षष्ठ गुणस्थानवर्ती जीव की जो सर्वव्रत या महाव्रत रूप स्थिति हो जाती है वह आगे के गुणस्थानों में रहने वाले जीवों के भी रहा करती है लेकिन उन जीवों में इतनी विशेषता समझना चाहिये कि सप्तम गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक के जीवों के सज्वलन कषाय का उत्तरोत्तर मन्द, मन्दतर और मन्दतम उदय रहने के कारण आरम्भी पाप रूप पापाचरण के त्याग की विशेषता होती जाती है और दशम गुणस्थान के अन्त समय में तो सज्वलन कषाय का भी पूर्णतया उपशम या क्षय हो जाने के कारण समस्त आरम्भी पाप रूप पापाचरण का सर्वथा अभाव हो जाता है अतः एकादश गुणस्थान से लेकर चतुर्दश गुणस्थान तक के जीव यथाख्यात चारित्र के धारक निश्चय सम्यक्चारित्री हुआ करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एकादश गुणस्थान से पूर्व यानि पञ्चम गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक के जीव

आरम्भी प पक्ष पापाचरण के त्याग रूप में व्यवहार सम्यक् चारित्र्यो हुआ करते हैं। क्योंकि उपर्युक्त कथन में एक तो यह बात निर्णीत होती है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के दर्शन-मोहनीय कर्म के साथ अनन्तानुबन्धी कपाय का भी यथायोग्य रूप में अभाव रहने के कारण यद्यपि सकल्यो पापरूप पापाचरण का अभाव हो जाता है परन्तु अप्रत्याख्यानानावरणादि तीनों कपायों का उदय रहने के कारण उसके आरम्भी पापरूप पापाचरण का अणुमात्र भी त्याग नहीं हो पाता है अतएव वह अविरत सम्पद्दृष्टि कहलाता है। दूसरी बात यह निर्णीत होती है कि दशम गुणस्थान के अन्त समय तक कपाय का उदय रहने के कारण यथारथात् चारित्र्यरूप निश्चय चारित्र्य का अभाव ही रहा करता है। इस तरह आरम्भी पापरूप पापाचरण का त्याग अप्रत्याख्यानानावरण कपाय के अनुदय के साथ पचम गुणस्थान से ही प्रारब्ध होता है अत व्यवहार सम्यक्चारित्र्य का प्रारम्भ भी पचम गुणस्थान से ही स्वीकार किया गया है। व्यवहार सम्यक्चारित्र्य को निश्चय सम्यक्चारित्र्य का कारण मानने का भी यही अभिप्राय है कि दशम गुणस्थान तक तो जीवों के पूर्वोक्त प्रकार व्यवहार सम्यक्चारित्र्य ही रहा करता है व दशम गुणस्थान के अनन्तर पश्चात् ही जीव को निश्चय सम्यक्चारित्र्य की उपलब्धि होती है।

उपर्युक्त कथन से यह बात भी निर्णीत होती है कि पापाचरण सकल्पी और आरम्भी पापों के रूप में प्रथम और द्वितीय दोनों गुणस्थानों में ही रहा करता है व तृतीय गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक वह केवल आरम्भी पाप के रूप में ही रहा करता है। वह वर्णन कपायों के तीनों उदय,

मन्दादय, मन्दतरोदय और मन्दतमोदय के आधार पर किया गया है। इसमें विशेषता इतनी है कि प्रथम गुणस्थान से लेकर षष्ठ गुणस्थान तक पापाचरण यथासभव अन्तरग और बहिरग प्रवृत्तियों के रूप में रहा करता है, लेकिन सप्तम गुणस्थान से दशम गुणस्थान तक कषायोदय के आधार पर केवल अन्तरग प्रवृत्ति के रूप में ही रहा करता है। इसमें यदि पुण्याचरण की दृष्टि से विचार किया जाय तो वास्तव में पापाचरण षष्ठ गुणस्थान तक ही रहा करता है आगे के गुणस्थानों में तो पुण्याचरण का रूप ही रहा करता है। यद्यपि आरम्भी पाप रूप पापाचरण का सद्भाव आगम में पंचम गुणस्थान की आरम्भ त्याग प्रतिमा के पूर्व तक ही बतलाया गया है परन्तु जब षष्ठ गुणस्थान में भी जीव भोजनादिक में व कमण्डलु व पीछी आदि के उठाने-धरने में प्रवृत्त होता है तो यह भी तो एक प्रकार की आरम्भ क्रिया ही है। इस तरह इस कथन का समन्वय उस उस दृष्टि से कर लेना चाहिये।

पुण्याचरण देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप और दान के रूप में ही आगम में प्रतिपादित किया गया है। यह भी प्रथम गुणस्थान से लेकर षष्ठ गुणस्थान तक अन्तरग और बहिरग प्रवृत्तियों के रूप में यथासभव दोनों प्रकार का होता है तथा सप्तम गुणस्थान से दशम गुणस्थान तक केवल अन्तरग प्रवृत्ति के रूप में ही हुआ करता है। यद्यपि एकादश गुणस्थान से त्रयोदश गुणस्थान में जब तक योग का निरोध नहीं हो जाता, तब तक भी पुण्याचरण का सद्भाव मानना चाहिये परन्तु वह कषाय रहित केवल योग के रूप में ही वहाँ रहा करता है। तात्पर्य यह है कि कषाय सहित शुभ योगमय प्रवृत्ति (पुरुषार्थ) का नाम ही पुण्याचरण है और कषाय सहित

अशुभ योगमय प्रवृत्ति ( पुरुषार्थ ) का नाम ही पापाचरण है उस तरह इस रूप में उनका सद्भाव यथासंभव दशम गुणस्थान तक ही रहा करता है। उसलिये दशम गुणस्थान के आगे शुभ रूप में केवल योग का ही सद्भाव रहा करता है।

सप्तम गुणस्थान से लेकर दशम गुणस्थान तक जो पुण्याचरण रहता है वह केवल धर्म ध्यान के रूप में ही रहा करता है और यही कारण है कि दशम गुणस्थान तक धर्म ध्यान का सद्भाव आगम में स्वीकार किया गया है। इसका भी कारण यह है कि यदि पुण्याचरण का सद्भाव दशम गुणस्थान तक नहीं माना जाय तो फिर वहाँ कर्मबन्ध का होना असंभव ही हो जायगा। यद्यपि सप्तम गुणस्थान की सातिशय अप्रमत्त अवस्था में शुभल ध्यान का सद्भाव आगम में स्वीकार किया गया है परन्तु इसका आधार आत्म विशुद्धि की अध करणादि परिणाम रूपता को ही माना गया है जो कि कर्मों के उपशम अथवा क्षय का कारण होती है क्योंकि धर्म ध्यान पुण्याचरण रूप होने से बन्ध का ही कारण होता है। आत्म विशुद्धि की यह अध करणादि परिणामरूपता दर्शन मोहनीय कर्म व अनन्तानुबन्धी कर्म के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के लिये आवश्यक होने से सातिशय मिथ्यादृष्टि जीव के भी हुआ करती है।

इस तरह पापाचरण और पुण्याचरण दोनों ही यथायोग्य प्रकार से बन्ध के कारण होते हैं और दोनों बन्ध के ही कारण होते हैं। इन दोनों में विशेषता यह है कि पापाचरण तो जीव को ब्राह्मरूप में छोड़ना पड़ता है लेकिन अन्तरंग रूप में जैसा-जैसा कर्मायो का अनुदय अथवा उपशम या क्षय होता जाता है वैसा-वैसा छूटता जाता है। पुण्याचरण



छोड़ने की यद्यपि जीव को आवश्यकता नहीं है परन्तु वह जैसा-जैसा दर्शन मोहनीय और चारित्र्य मोहनीय कर्मों के यथासंभव उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम के आधार पर सकल्पी पापों के साथ आरम्भी पापों का भी त्याग करता हुआ आगे-आगे के गुणस्थानों की ओर बढ़ता जाता है वैसा-वैसा उसका रूप परिवर्तित होता जाता है और अन्त में वह जब संपूर्ण मोहनीय-कर्म का सर्वथा उपशम अथवा क्षय हो जाने पर पापों की आरम्भ रूपता को सर्वथा समाप्त करता हुआ क्रियावती शक्ति के केवल योगात्मक रूप को प्राप्त हो जाता है तब क्रमशः मनो-वर्गणा, वचनवर्गणा और कायवर्गणा में होने वाली निष्क्रिया के आधार पर वह स्वयमेव छूट जाता है ।

इस विवेचन से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि व्यवहार रत्नत्रय को उपचरित रत्नत्रय, उपचरित धर्म या उपचरित मोक्षमार्ग इसलिये नहीं कहा जाता है कि वह केवल पुण्याचरण रूप ही होता है या मोक्षरूप कार्य की उत्पत्ति में वह अकिंचित्कर बना रहा है किन्तु इसलिये कहा जाता है कि एक तो वह सकल्पी पापरूप पापाचरण के समाप्त हो जाने पर आरम्भी पापरूप पापाचरण के त्याग के आधार पर होता है और दूसरे मोक्षकार्य की उत्पत्ति में साक्षात् कारण न होकर भी मोक्ष के साक्षात् कारणभूत निश्चय रत्नत्रय, निश्चय धर्म या निश्चय मोक्षमार्ग का कारण होकर कारण होता है ।

इसी तरह इस विवेचन से यह बात भी अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि कार्योत्पत्ति में निमित्तकारण को जो उपचरित कारण कहा जाता है वह इसलिये नहीं कहा जाता है कि वहाँ पर वह अकिंचित्कर ही रहा करता है किन्तु इसलिये कहा जाता है कि वह वहाँ पर उपादानकारण की तरह कार्यरूप

परिणत न होकर भी उपादानकारण की कार्यरूप परिणति में उसकी ( उपादानकारण की ) सहायता करता है ।

इस तरह प० फूलचन्द्रजी का “निश्चयरत्नत्रय की प्राप्ति जीव को होने पर व्यवहाररत्नत्रय होता ही है उसे उसकी प्राप्ति के लिये अलग में प्रयत्न नहीं करना पड़ता है” इत्यादि कथन निरर्थक सिद्ध हो जाता है ।

यहाँ पर मैं प्रसंगवश इतना और कह देना चाहता हूँ कि आगम में निश्चयरत्नत्रय, निश्चयधर्म या निश्चय मोक्षमार्ग को जो निश्चय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तविक, अन्तरंग और मुख्य आदि नामों से पुकारा जाता है उसका अभिप्राय यही है कि वह मोक्ष की प्राप्ति में साक्षात् कारण होता है और व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्षमार्ग को जो व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरंग और उपचरित आदि नामों से पुकारा जाता है उसका भी अभिप्राय यही है कि वह मोक्ष की प्राप्ति में साक्षात् कारण न होकर उक्त प्रकार परपर्या कारण होता है । इस प्रकार आगम में उपादानकारण को जो उपादान, निश्चय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तविक, अन्तरंग और मुख्य आदि नामों से पुकारा जाता है उसका अभिप्राय यही है कि वह कार्यरूप परिणत होता है और निमित्तकारण को जो निमित्त, व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरंग और उपचरित आदि नामों से पुकारा जाता है उसका भी अभिप्राय यही है कि वह कार्यरूप परिणत न होकर उपादान के कार्यरूप परिणत होने में उसकी सहायता करता है ।

इस प्रकार प० फूलचन्द्र जी, प० जगन्मोहनलालजी और

उनके सपक्षीजनो का व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्षमार्ग को अकिंचित्कर रूप में व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग, और उपचरित आदि नामो से तथा निमित्तकारण को भी अकिंचित्करूप में निमित्त, व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग और उपचरित आदि नामो से पुकारना मिथ्या है ।

वास्तविक बात यह है कि प० फूलचन्द्र जी, प० जगन्मोहनलाल जी और उनके सपक्षीजनो को निमित्त, व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग और उपचरित आदि शब्दो का अर्थ समझने में भ्रम उत्पन्न हो गया है जिसके कारण हो उन्हें व्यवहाररत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्षमार्ग को मोक्षरूप कार्य की उत्पत्ति में तथा निमित्त कारण को उपादान की परिणतिरूप कार्य की उत्पत्ति में अकिंचित्कर मानने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं रह गया है ।

यहा इतना ध्यान रखना चाहिये कि निश्चय रत्नत्रय, निश्चय धर्म या निश्चय मोक्षमार्ग में निश्चय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तविक, अन्तरग और मुख्य आदि शब्द एकार्थक शब्द है तथा व्यवहाररत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्षमार्ग में व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग और उपचरित आदि शब्द भी एकार्थक है । इसी तरह उपादान कारण में भी उपादान निश्चय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तविक, अन्तरग और मुख्य आदि शब्द एकार्थक हैं तथा निमित्तकारण में भी निमित्त, व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ अवास्तविक

बहिरंग और उपचरित्र आदि शब्द एकार्थक हैं अतः यहाँ पर केवल उपचार को लेकर प० फूलचन्द्र जी आदि की प्रकृत विषय सम्बन्धी मान्यता की मीमासा की जा रही है।

प० फूलचन्द्र जी जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ २ पर उपचार के विषय में लिखते हैं—

“इस प्रसंग में प्रकृत में विचार यह करना है कि तीर्थ-चारो का जो उपदेश चारो अनुयोगो में सकलित है उसे वचन व्यवहार की दृष्टि से कितने विभागो में विभक्त किया जा सकता है ? विविध प्रमाणो के प्रकाश में विचार करने पर मालूम होता है कि उसे हम मुख्य रूप से दो भागो में विभक्त कर सकते हैं—उपचरित कथन और अनुपचरित कथन। जिस कथन का प्रतिपाद्य अर्थ तो असत्यार्थ है ( जो कहा गया है पदार्थ वंसा नहीं है ) परन्तु उससे परमार्थभूत अर्थ का ज्ञान हो जाता है उसे उपचरित कथन कहते हैं और जिस कथन से जो पदार्थ जैसा है उसका उसी रूप में ज्ञान होता है उसे अनुचरित कथन कहते हैं।”

आगे जैनतत्त्वमीमासा के पृष्ठ ८ पर भी प० जी लिखते हैं—

“यहाँ पर कोई प्रश्न करता है कि यदि भिन्न कर्तृ-कर्म आदि रूप व्यवहार उपचरित ही है तो शास्त्रो में उसका निर्देश क्यों किया गया है ? समाधान यह है कि एक तो निमित्त (व्यवहार हेतु) का ज्ञान कराना इसका मुख्य प्रयोजन है इसलिये यह कथन किया गया है। आलाप पद्धति में कहा भी है—

सति निमित्ते प्रयोजने च उपचार प्रवर्तते ।

निमित्त और प्रयोजन के होने पर उपचार प्रवृत्त होता है।

दूसरे उपचरित अर्थ के प्रतिपादन द्वारा अनुपचरित अर्थ का बोध हो जाता है इसलिये उसका कथन किया गया है । नयचक्र मे कहा भी है—

तह उपयारो जाणह साहणहेऊ अणुवयारे ॥८८॥

उसी प्रकार अनुपचार की सिद्धि का हेतु उपचार को जानो ।

प० जी के इन दोनों कथनों द्वारा ऐसा मालूम पडता है कि वे उपचार को केवल वचन परक मानते हैं जिसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे वचन से अर्थ का प्रतिपादन तो नहीं होता है क्योंकि पदार्थ जैसा है वैसा प्रतिपादन ऐसे कथन से हो नहीं सकता है परन्तु अनुपचरित (पदार्थ जैसा है वैसे) अर्थ की सिद्धि का वह हेतु होता है । आगे इसकी मीमासा की जाती है ।

इस सम्बन्ध मे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि प० जी की मान्यता के अनुसार यदि उपचरित कथन अनुपचरित अर्थ की सिद्धि का कारण है तो वह निरर्थक या कथनमात्र कैसे हो सकता है ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आगम मे उपचार प्रवृत्ति एक वस्तु या धर्म मे अन्य वस्तु या धर्म की स्वीकृत की गयी है तथा लोक मे भी यही बात प्रचलित है—जैसा कि आगे प्रगट हो जायगा । इसका आशय यह है कि उपचार पदार्थ मे होता है और शब्द उस उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करता है । इस तरह उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करने के आधार पर शब्द भी उपचरित माना जाता है वह केवल निरर्थक या कथनमात्र नहीं रहा करता है । लथात् उपचरित कथन ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई अर्थ ही न हो । जैसे 'बन्ध्या का पुत्र' 'आकाश के फूल' या 'गधे के सींग' आदि वचन न तो वास्तविक

(अनुपचरित) ही हैं और न उपचरित ही है क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं है अर्थात् ये वचन निरर्थक या कथन मात्र ही है। चूँकि उपचरित वचन ऐसे निरर्थक या कथनमात्र न होकर उपचरित अथ का प्रतिपादन करते हैं इसलिये ही उन्हें उपचरित कहा जाता है।

उपचरित अर्थ क्या है ? इस प्रश्न का समाधान हा आलाप पद्धति के निम्नलिखित वचन द्वारा होता है। यथा—

“मुख्याभावे सति निमित्ते प्रयोजने च उपचार. प्रवर्तते ।”

अर्थात् मुख्य अर्थ का अभाव रहने पर यदि निमित्त और प्रयोजन का सद्भाव हो तो उपचार की प्रवृत्ति होती है।

तात्पर्य यह है कि लोक में अथवा आगम में प्रयुक्त वचन का प्रतिपाद्य अर्थ यदि मुख्यार्थ नहीं है तो ऐसे सभी वचनों को क्या 'बन्ध्या का पुत्र', 'आकाश के फूल' या 'गधे के सींग' आदि वचनों की तरह निरर्थक ही मान लेना चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि ऐसे सभी वचन निरर्थक नहीं होते हैं। अर्थात् ऐसे वचनों में से उन वचनों को ही निरर्थक वचन कहा जा सकता है जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे 'बन्ध्या का पुत्र' आदि वचन, इनके अतिरिक्त कोई-कोई वचन ऐसे भी होते हैं जिनके प्रतिपाद्य अर्थ की निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर सद्गति बैठ जाती है। इस तरह उन वचनों द्वारा प्रतिपादित अर्थ उपचरित कहलाता है और उस उपचरित अर्थ प्रतिपादक होने के आधार पर वे वचन भी उपचरित कहलाने लगते हैं। जैसे “अन्न वै प्राणा” (अन्न ही प्राण है) इस वचन द्वारा प्रतिपादित अन्न शब्द का प्राण अर्थ मुख्यार्थ नहीं

है क्योंकि अन्न और प्राण दोनों प्रथक्-पृथक् पदार्थ हैं लेकिन लोक में अन्न को प्राण कहा तो जाता है इसलिए आलाप पद्धति के उल्लिखित कथन द्वारा यह निर्णीत होता है कि “अन्न वै प्राणा” ( अन्न ही प्राण है ) इस वचन में अन्न शब्द का प्राण अर्थ उपचरित अर्थ है और इसका आधार यह है कि एक तो अन्न प्राणों के संरक्षण में कारण होता है दूसरे इस तरह प्राणों के संरक्षण में अन्न के उपयोग की महत्ता प्रस्थापित हो जाती है। इस तरह मुख्यार्थ का अभाव रहते हुए निमित्त और प्रयोजन के सद्भाव के आधार पर अन्न का प्राण अर्थ उपचरित सिद्ध होता है और अर्थ के उपचरित सिद्ध हो जाने पर उस अर्थ का प्रतिपादक “अन्न वै प्राणा” ( अन्न ही प्राण है ) यह वचन भी उपचरित सिद्ध हो जाता है।

इस विवेचन के आधार पर प्रकृत में उपचार का समन्वय इस प्रकार करना चाहिए कि कुम्भकार व्यक्ति को घटोत्पत्ति के सम्बन्ध में निमित्तकारण, व्यवहारकारण, अपरमार्थकारण, अयथार्थकारण, असत्यार्थकारण, अभूतार्थकारण, अवास्तविककारण, वहिरङ्गकारण और उपचरितकारण आदि नामों से इसलिए पुकारते हैं कि वह कुम्भकार व्यक्ति एक ओर तो घटकार्यरूप परिणत नहीं होता अतः उसमें मुख्यार्थता का अभाव है व दूसरी ओर मिट्टी से घट का निर्माण होने में कुम्भकार व्यक्ति की सहायता की अपेक्षा रहा करती है अतः वह निरर्थक ( अकिञ्चित्कर ) भी नहीं है अतएव ही कुम्भकार व्यक्ति को कुम्भकार शब्द से पुकारा जाता है। इस प्रकार तत्त्वार्थ श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन, अपरमार्थ सम्यग्दर्शन, अयथार्थ सम्यग्दर्शन, असत्यार्थसम्यग्दर्शन, अभूतार्थ सम्यग्दर्शन,

अवास्तविक सम्म्यग्दर्शन, वहिरङ्गसम्म्यग्दर्शन और उपचरित सम्म्यग्दर्शन आदि नामों से, आगमज्ञान को व्यवहार सम्म्यग्ज्ञान, अपरमार्थ सम्म्यग्ज्ञान, अयथार्थ सम्म्यग्ज्ञान, अमत्यार्थ सम्म्यग्ज्ञान, अभूतार्थसम्म्यग्ज्ञान, अवास्तविक सम्म्यग्ज्ञान, वहिरङ्ग सम्म्यग्ज्ञान और उपचरित सम्म्यग्ज्ञान आदि नामों से तथा अणुव्रत-महाव्रत आदि को व्यवहार सम्म्यक्चारित्र्य, अपरमाय सम्म्यक्चारित्र्य, अयथार्थ सम्म्यक्चारित्र्य, अमत्यार्थ सम्म्यक्चारित्र्य, अभूतार्थ सम्म्यक्चारित्र्य, अवास्तविक सम्म्यक्चारित्र्य, वहिरङ्ग सम्म्यक्चारित्र्य और उपचरित सम्म्यक्चारित्र्य आदि नामों से इसलिये पुकारते हैं कि तत्त्वायं श्रद्धान्, आगमज्ञान और अणुव्रत-महाव्रत आदि में एक ओर तो मोक्ष की साक्षात् कारणत्वरूप मुक्त्यर्थता का अभाव है व दूसरी ओर मोक्ष के साक्षात् कारणभूत और पूर्वोक्त निश्चय सम्म्यग्दर्शन, परमार्थ सम्म्यग्दर्शन, यथार्थ सम्म्यग्दर्शन, सत्यार्थ सम्म्यग्दर्शन, भूतार्थ सम्म्यग्दर्शन, वास्तविक सम्म्यग्दर्शन, अन्तरङ्गसम्म्यग्दर्शन और मुख्य सम्म्यग्दर्शन आदि नामों से पुकारे जाने वाले आत्म कल्याण की रुचि जागत होने रूप सम्म्यग्दर्शन में तत्त्वार्थ श्रद्धान् कारण होता है, इसी तरह मोक्ष के साक्षात् कारणभूत और पूर्वोक्त निश्चय सम्म्यग्ज्ञान, परमार्थ सम्म्यग्ज्ञान, यथार्थसम्म्यग्ज्ञान, सत्यार्थसम्म्यग्ज्ञान, भूतार्थ सम्म्यग्ज्ञान, वास्तविक सम्म्यग्ज्ञान, अन्तरगसम्म्यग्ज्ञान और मुख्य सम्म्यग्ज्ञान आदि नामों से पुकारे जाने वाले आत्मज्ञानरूप सम्म्यग्ज्ञान में आगमज्ञान कारण होता है तथा इसी तरह मोक्ष के साक्षात् कारणभूत और निश्चय सम्म्यक् चारित्र्य, परमार्थ सम्म्यक्चारित्र्य, यथार्थ सम्म्यक्चारित्र्य, सत्यार्थ सम्म्यक्चारित्र्य, भूतार्थ सम्म्यक्चारित्र्य, वास्तविक सम्म्यक्चारित्र्य, अन्तरग सम्म्यक्चारित्र्य और मुख्य-



सम्यक्चारित्र आदि नामो से पुकारे जाने वाले आत्मलीनता रूप सम्यक्चारित्र मे अगुव्रत-महाव्रत आदि कारण होते है— इस तरह मोक्ष की परम्परया कारणता का तत्त्वार्थ श्रद्धान, आगमज्ञान व अगुव्रत-महाव्रत आदि मे सद्भाव है अत वे निरर्थक ( अकिञ्चित्कर ) भी नही है अतएव ही तत्त्वार्थ श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन, आदि नामो से, आगमज्ञान को व्यवहार सम्यग्ज्ञान आदि नामो से और अगुव्रत-महाव्रत आदि को व्यवहार सम्यक्चारित्र आदि नामो से व तीनों को सामूहिक रूप मे व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म का व्यवहार मोक्षमार्ग आदि नामो से पुकारा जाता है। प० फूलचन्द्रजी, प० जगन्मोहनलालजी और उनके सपक्षीजन कहते है कि “कुम्भकार मिट्टी से निर्मित होने वाले घट के निर्माण मे अकिञ्चित्कर है इसलिए निमित्तकारण आदि नामो से पुकारा जाता है। इसी तरह तत्त्वश्रद्धान, आगमज्ञान और अगुव्रत-महाव्रत आदि मोक्ष की उपलब्धि मे अकिञ्चित्कर है इसलिए तत्त्व श्रद्धान को व्यवहार सम्यग्दर्शन आदि नामो से, आगमज्ञान को व्यवहार सम्यग्ज्ञान आदि नामो से और अगुव्रत-महाव्रत आदि को व्यवहार सम्यक्चारित्र आदि नामो से तथा सामूहिक रूप मे व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्ष मार्ग आदि नामो से पुकारा जाता है” परन्तु उनका ऐसा मानना मिथ्या है क्योंकि मिट्टी से उत्पन्न होने वाले घट के निर्माण मे कुम्भकार के और निश्चय स्वरूप उपर्युक्त रत्नत्रयो से उत्पन्न होने वाले मोक्ष की प्राप्ति मे व्यवहार स्वरूप उपर्युक्त रत्नत्रयो के प० फूलचन्द्रजी की मान्यता के अनुसार अकिञ्चित्कर हो जाने से उनमे उपचार का ऊपर बतलाया गया लक्षण घटित नही होता है।

मैंने ऊपर बतलाया है कि आगम के अनुसार उपचार एक वस्तु या धर्म में अन्य वस्तु या धर्म का होता है और “अन्न वै प्राणा” (अन्न ही प्राण हैं) के उदाहरण द्वारा उसे स्पष्ट भी किया है, परन्तु इस विषय में आगम के दृष्टिकोण से भिन्न ही प० फूलचन्द्र जी आदि का दृष्टिकोण है अतः इस विषय में प० फूलचन्द्र जी का दृष्टिकोण क्या है ? इस बात को आगे बतलाया जा रहा है ।

प० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमांसा के विषय प्रवेश प्रकरण में पृष्ठ ६ पर लिखा है कि “जो वचन स्वयं असत्यार्थ होकर भी इष्टार्थ का ज्ञान कराने में हेतु है वह लोक व्यवहार में असत्य नहीं माना जाता” तथा अपने इस कथन का चन्द्रमुखी शब्द के उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि “यह शब्द ऐसी नारी के लिये प्रयुक्त होता है जिसका मुख मनोज्ञ और आभायुक्त होता है । यह इष्टार्थ है । चन्द्रमुखी शब्द से इस अर्थ का ज्ञान हो जाता है इसलिये लोक व्यवहार में ऐसा वचन प्रयोग होता है तथा इसी अभिप्राय से शास्त्रों में भी इसे स्थान दिया गया है, परन्तु इसके स्थान में यदि कोई इस शब्द के अभिधेयार्थ को ग्रहण कर यह मानने लगे कि अमुक स्त्री का मुख चन्द्रमा ही है तो यह असत्य ही माना जायगा क्योंकि किसी भी स्त्री का मुख न तो कभी चन्द्रमा हुआ है और न हो सकता है ।”

प० फूलचन्द्र जी के उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि “लोक व्यवहार में और शास्त्रों में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग देखा जाता है जिनके अभिधेयार्थ को स्वीकार करना असंगत है ।

इसलिये अपने अभिधेयार्थ को प्रगट नहीं कर सकने के कारण ऐसे शब्दों को चन्द्रमुखी शब्द की तरह असत्य ही मानना उचित है फिर भी लोक में ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। इस का कारण यह है कि इस तरह के प्रयोग से इष्टार्थ का ज्ञान हो जाया करता है। इस तरह प० जी कहना चाहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय में रत्नत्रयरूपता, धर्मरूपता या मोक्ष कारणता का अभाव रहते हुए भी तथा निमित्त कारणभूत वस्तु में कारणता का अभाव रहते हुए भी इनके प्रतिपादक जो वचन शास्त्रों में पाये जाते हैं वे सब वचन अपने अभिधेयार्थ का प्रतिपादन करने में असमर्थ होने के कारण यद्यपि सत्य नहीं है फिर भी उनको जो शास्त्रों में प्रयुक्त किया गया है उसका कारण यह है कि इस तरह के प्रयोगों से इष्टार्थ का ज्ञान हो जाया करता है।” इस अभिप्राय को प० जी ने स्वयं निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है।

“इसमें सदैह नहीं कि आगम में व्यवहारनय की अपेक्षा एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता स्वीकार किया गया है, परन्तु यह कथन यहाँ पर अभिधेयार्थ को ध्यान में रखकर किया गया है या लक्ष्यार्थ को ध्यान में रखकर किया गया है—इसे समझकर ही इष्टार्थ का निर्णय करना चाहिये। प्रकृत में इष्टार्थ (लक्ष्यार्थ) दो हैं ऐसे वचन द्वारा निश्चयार्थ का ज्ञान कराना यह मुख्य इष्टार्थ है क्योंकि यह वास्तविक है और इसके द्वारा निमित्त (व्यवहार हेतु) का ज्ञान कराना यह उपचरित इष्टार्थ है क्योंकि इस कथन द्वारा कहीं कौन निमित्त है—इसका ज्ञान हो जाता है। यदि इन दो अभिप्रायों को ध्यान में रखकर इस प्रकार का वचन प्रयोग किया जाता है तो उसका अभिधेयार्थ

असत्य होने पर भी व्यवहार में (लक्ष्यार्थ की दृष्टि से) यह असत्य नहीं माना जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द प्रभृति आचार्यों ने ऐसे शब्द प्रयोगों को असत्य शब्द द्वारा व्यवहृत न कर जो उपचरित कहा है वह इसी अभिप्राय से कहा है।” (जैनतत्त्व-मीमांसा विषय प्रवेश प्रकरण पृष्ठ १०-११)

आगे प० जी द्वारा उपचार के विषय में अपनाये गये इस दृष्टिकोण में आगम के दृष्टिकोण से क्या अन्तर है ? इसे स्पष्ट किया जाता है।

उपचार के सम्बन्ध में मैंने ऊपर जो कुछ लिखा है और जैनतत्त्वमीमांसा के उद्धरण दिये हैं इससे स्पष्ट है कि आगम में जहाँ एक वस्तु या धर्म का अन्य वस्तु या धर्म में निमित्त और प्रयोजन के आधार पर उपचार (आरोप) करके उस उपचरित अर्थ को प्रयोग में आये हुए शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ माना गया है वहाँ प० फूलचन्द्र जी आदि उसको प्रयोग में आये हुए शब्द का प्रतिपाद्य अर्थ मानने के लिये तैयार नहीं हैं क्योंकि उनके मत से उस प्रकार के शब्द प्रयोग का नाम उपचार है जो किसी भी प्रकार के अर्थ का प्रतिपादक तो नहीं होता केवल वह इष्टार्थ का ज्ञान कराने में हेतु मात्र होता है। इस प्रकार (आगम में उपचार को जहाँ अर्थगत स्वीकार करके शब्द को उसका प्रतिपादक स्वीकार किया गया है वहाँ प० फूलचन्द्र जी उसको केवल शब्दगत यानि जवानी जमा-खर्च मानकर सन्तुष्ट हो जाना चाहते हैं कारण कि वे यही तो कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता केवल वचन द्वारा उसका कथन मात्र किया जाता है जब कि इस विषय में आगम का अभिप्राय

यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, यह एकान्त नियम नहीं है। अर्थात् एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता—यह भी सत्य है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता है—यह भी सत्य है। इतनी बात अवश्य है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता—यह कथन तो निश्चय कर्तृत्व, परमार्थ कर्तृत्व, यथार्थ कर्तृत्व, सत्यार्थ कर्तृत्व, भूतार्थ कर्तृत्व, वास्तविक कर्तृत्व, अन्तरग कर्तृत्व व मुख्य कर्तृत्व रूप उपादान कर्तृत्व की दृष्टि से सत्य है क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप त्रिकाल मे कभी परिणत नहीं होता है तथा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता है—यह कथन व्यवहार कर्तृत्व, अपरमार्थ कर्तृत्व, अयथार्थ कर्तृत्व, असत्यार्थ कर्तृत्व, अभूतार्थ कर्तृत्व, अवास्तविक कर्तृत्व, बहिरग कर्तृत्व व उपचरित कर्तृत्व रूप निमित्त कर्तृत्व की दृष्टि से सत्य है क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य रूप परिणत होने मे आवश्यकतानुसार सहायक अवश्य होता है। जैसे मिट्टी मे जिस प्रकार कुम्भ निर्माण का कर्तृत्व विद्यमान है उसी प्रकार कुम्भकार व्यक्ति मे भी कुम्भ निर्माण का कर्तृत्व विद्यमान है, परन्तु दोनो मे अन्तर यह है कि मिट्टी कुम्भ की कर्ता इस दृष्टि से है कि वह कुम्भ रूप परिणत होती है और कुम्भकार व्यक्ति कुम्भ का कर्ता इस दृष्टि से है कि वह मिट्टी के कुम्भ रूप परिणत होने मे सहायक होता है।

प० फूलचन्द्रजी आदि कहते हैं कि “कुम्भकार व्यक्ति मे कुम्भ निर्माण का सहायक होने रूप कर्तृत्व भी विद्यमान नहीं है केवल उसे (कुम्भकार व्यक्ति को) कुम्भ निर्माण का कर्ता कहा मात्र जाता है। अर्थात् मिट्टी स्वयं (अपने आप) ही स्वकाल आने पर कुम्भ रूप परिणत हो जाया करती है कुम्भ-

कार व्यक्ति तो वहाँ पर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही बना रहता है।" परन्तु उनका ऐसा कहना मिथ्या है क्योंकि यदि प० फूलचन्द्रजी आदि को इस मान्यता को स्वीकार कर लिया जाय तो मिट्टी से उत्पन्न होने वाले कुम्भ के निर्माण में कुम्भकार व्यक्ति की तरह तन्नुवाय ( जुलाहे ) को भी कुम्भकार शब्द से कहने का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। इसलिए वास्तविक बात यह है कि कुम्भकार व्यक्ति में कुम्भ-निर्माण का कर्तृत्व तो है परन्तु उसका वह कर्तृत्व मिट्टी की तरह कुम्भरूप से परिणत होने रूप निश्चय कर्तृत्व, परमार्थ कर्तृत्व, यथार्थ कर्तृत्व, सत्यार्थ कर्तृत्व, भूतार्थ कर्तृत्व, वास्तविक कर्तृत्व, अन्तरग कर्तृत्व या मुख्यकर्तृत्व अर्थात् उपादान कर्तृत्व नहीं है अपितु उसका वह कर्तृत्व मिट्टी से निर्मित होने वाले कुम्भ-निर्माण में सहायक होने रूप व्यवहार कर्तृत्व, अपरमार्थ कर्तृत्व, अयथार्थ कर्तृत्व, असत्यार्थ कर्तृत्व, अभूतार्थकर्तृत्व, वरिणगकर्तृत्व या उपचरित कर्तृत्व अर्थात् निमित्त कर्तृत्व है।

इस कथन का आशय यह है कि कर्तृत्व दो प्रकार का होता है—एक तो निश्चय कर्तृत्व आदि नामों से कहा जाने वाला कार्यरूप से परिणत होनेरूप उपादान कर्तृत्व और दूसरा व्यवहारकर्तृत्व आदि नामों से कहा जाने वाला कार्यरूप से परिणत होने वाली वस्तु के उस परिणामन में सहायक होने रूप निमित्त कर्तृत्व। इनमें से मिट्टी में तो कुम्भ निर्माण का पहला कर्तृत्व रहता है और कुम्भकार व्यक्ति में कुम्भ निर्माण का दूसरा कर्तृत्व रहता है। इस तरह मिट्टी और कुम्भकार दोनों शब्द कुम्भ निर्माण के प्रति क्रमशः मिट्टी और कुम्भकार व्यक्ति में विद्यमान उस-उस कर्तृत्व का ही प्रतिपादन करते हैं।

प० फूलचन्द्र जी आदि कहते हैं कि “मिट्टी शब्द तो कुम्भ निर्माण के प्रति मिट्टी के कर्तृत्व का प्रतिपादन करता है क्योंकि मिट्टी में कुम्भरूप से परिणत होनेरूप कर्तृत्व विद्यमान रहता है परन्तु कुम्भकार शब्द कुम्भ निर्माण के प्रति कुम्भकार व्यक्ति के कर्तृत्व का प्रतिपादन नहीं करता है क्योंकि कुम्भकार व्यक्ति में मिट्टी से निर्मित होने वाले कुम्भ के निर्माण में सहायक होनेरूप कर्तृत्व विद्यमान ही नहीं रहता है। अर्थात् मिट्टी स्वयं (अपने आप) ही स्वकाल आने पर कुम्भरूप परिणत हो जाया करती है कुम्भकार व्यक्ति तो वहाँ पर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही बना रहता है।” परन्तु उनका ऐसा कहना पूर्वोक्त प्रकार मिथ्या है।

इस कथन से यह निष्कर्ष भी निकल आता है कि प्रकृत में उपादानकारण को जो निश्चय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तविक, अन्तरग और मुख्य आदि शब्दों से पुकारा जाता है वह इसलिए पुकारा जाता है कि उपादानकारण कार्यरूप परिणत होता है और निमित्तकारण को जो व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग और उपचरित आदि शब्दों से पुकारा जाता है वह इसलिए पुकारा जाता है कि निमित्तकारण स्वयं (आप) कार्यरूप परिणत न होते हुए भी उपादान के कार्यरूप परिणत होने में सहायक होता है। प० फूलचन्द्र आदि का कहना है कि “निमित्तकारण उपादानकारण की कार्यरूप परिणति में सहायक भी न होकर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही बना रहता है इसलिए व्यवहार आदि उक्त शब्दों से पुकारा जाता है।” परन्तु उनका ऐसा कहना पूर्वोक्त प्रकार मिथ्या है।

इस विवेचन का समन्वय निश्चय रत्नत्रय, निश्चय धर्म या निश्चय मोक्ष मार्ग में तथा व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्षमार्ग में भी अनुकूलता के साथ कर लेना चाहिये। अर्थात् आत्मकल्याण के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाने रूप सम्यग्दर्शन, आत्मज्ञान रूप सम्यग्ज्ञान और आत्मलीनता रूप सम्यक्चारित्र्य को जो निश्चय आदि शब्दों से पुकारा जाता है वह इसलिए पुकारा जाता है कि ये सब मोक्ष के साक्षात् कारण होते हैं और तत्प्रथमद्वारूप सम्यग्दर्शन, आगम ज्ञानरूप सम्यग्ज्ञान और अगुव्रत-महाव्रत आदि सम्यक्चारित्र्य को जो व्यवहार आदि शब्दों से पुकारा जाता है वह इसलिए पुकारा जाता है कि ये सब मोक्ष के परम्परया अर्थात् उक्त निश्चय रत्नत्रय, निश्चय धर्म या निश्चय मोक्षमार्ग के कारण होकर कारण होते हैं। प० फूलचन्द्रजी आदि का कहना है कि “जैसे व्यवहाररत्नत्रय, व्यवहार धर्म या व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति में निश्चय रत्नत्रय, निश्चय धर्म या निश्चय मोक्ष मार्ग का भी कारण न होकर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही बना रहता है इसलिये व्यवहार आदि शब्दों से पुकारा जाता है।” परन्तु उनका ऐसा कहना पूर्वोक्त प्रकार मिथ्या है।

वात वास्तव में यह है कि अर्थ पांच प्रकार का होता है—एक मुख्यार्थ, दूसरा उपचरित अर्थ, तीसरा लक्ष्यार्थ, चौथा व्यंग्यार्थ और पाँचवा मिथ्या अर्थ। इनमें से मुख्यार्थ वह है जो अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हुए शब्दनिष्ठ अभिधावृत्ति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है। जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आम,



नीम, इमली, नीबू, वख आदि अर्थ । उपचरित अर्थ वह है जो अपनी पराश्रित सत्ता रखते हुए अर्थात् निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर आरोपित होकर अभिधावृत्ति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है । जैसे कुम्भकार अध्यापक, पाचक (रसोइया) आदि रूप अर्थ । ये अर्थ उपचरित इसलिये हैं कि ये स्वयं तो कार्य रूप परिणत नहीं होते परन्तु अन्य पदार्थ की कार्य रूप परिणति में सहायक अवश्य होते हैं । अर्थात् मिट्टी ही कुम्भरूप परिणत होती है कुम्भकार तो मिट्टी की उस परिणति में सहायक मात्र होता है, इसी तरह विद्यार्थी ही पढता है अध्यापक तो पढाता है अर्थात् उसके पढने में सहायक मात्र होता है और इसी तरह आटा, दाल, चावल आदि ही रसोई रूप परिणत होते हैं पाचक (रसोइया) तो रसोई को बनाता है अर्थात् आटा आदि के रसोई रूप परिणतन में सहायक मात्र होता है । लक्ष्यार्थ वह है जो उपचार प्रवृत्ति का निमित्त होता है और शब्दनिष्ठ लक्षणावृत्ति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है । जैसे “मञ्चा क्रोशन्ति” यहाँ पर मञ्च और मञ्चो पर बैठे पुरुषों में विद्यमान आधाराधेय सम्बन्ध तथा ‘धनुर्धावति’ यहाँ पर धनुर् और धनुर्धारी पुरुष में विद्यमान सयोग सम्बन्ध या स्वस्वामिभाव सम्बन्ध । व्यग्यार्थ वह है जो उपचार प्रवृत्ति का प्रयोजन होता है और शब्द निष्ठ व्यजनावृत्ति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है । जैसे “अन्न वै प्राणा” यहाँ पर प्राणों के सरक्षण के लिये अन्न को उपयोग की महत्ता की प्रस्थापना तथा “गगायाँ घोष” यहाँ पर शैत्य व पावनत्वादि की प्रतीति । मिथ्या अर्थ वह है जो सशय, विपर्यय या अनध्यवसित रूप मिथ्या अभिधेय के रूप में शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है । जैसे शीप में “यह शीप है या

चाँदी” इस वचन से प्रतिपादित सशय रूप अर्थ, शीप मे “यह चाँदी है” इस वचन से प्रतिपादित विपर्यय रूप अर्थ और किसी भी वस्तु मे “कुछ है” इस वचन से प्रतिपादित अनध्यवसित रूप अर्थ । यत अर्थ उपर्युक्त प्रकार से पाँच प्रकार का होता है अतः उस-उस अर्थ का प्रतिपादन करने के आधार पर शब्द भी पाँच प्रकार का हो जाता है । अर्थात् मुख्यार्थ का प्रतिपादन करने वाला मुख्य शब्द, उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करने वाला उपचरित शब्द, लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन करने वाला लाक्षणिक शब्द, व्यग्यार्थ का प्रतिपादन करने वाला व्यञ्जक शब्द और सशय, विपर्यय या अनध्यवसित रूप मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन करने वाले क्रमशः सशय, विपर्यय या अनध्यवसित रूप मिथ्या शब्द ।

यहाँ पर इतना विशेष जानना चाहिये कि जिस प्रकार उपर्युक्त पाँच प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन करने के आधार पर शब्द पाँच प्रकार का होता है उसी प्रकार एक शब्द ऐसा भी होता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है अर्थात् शब्द निरर्थक भी हुआ करते हैं । जैसे “वन्द्या का पुत्र”, “आकाश के फूल” और “गधे के सींग” आदि । ये वचन न तो मुख्यार्थ का प्रतिपादन करते हैं, ओर न उपर्युक्त उपचरित, लक्ष्य, व्यग्य या सशय, विपर्यय अथवा अनध्यवसित रूप मिथ्या अर्थों मे से किसी भी अर्थ का प्रतिपादन करते हैं क्योंकि न तो वन्द्या का पुत्र होता है, न आकाश के फूल होते हैं और न गधे के सींग होते हैं तथा न तो यहाँ पर कोई लक्ष्यार्थ है और न व्यग्यार्थ ही है । इसी तरह निमित्तभूत लक्ष्यार्थ और प्रयोजन भूत व्यग्यार्थ का अभाव होने से उपचरित अर्थ का भी अभाव यहाँ

पर है। इतना ही नहीं सशय, विपर्यय या अनध्यवसित रूप मिथ्या अर्थ का भी अभाव यहाँ पर है। इस तरह उक्त पाँच प्रकार के अर्थों में से किसी भी प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन न कर सकने के कारण “बन्ध्या का पुत्र”, “आकाश के फूल” तथा “गधे के सींग” ये तीनों वचन निरर्थक ही सिद्ध होते हैं।

यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिये कि यदि कोई बन्ध्या किसी अन्य के पुत्र को गोद ले ले, इसी प्रकार सभी वस्तुएँ आकाश पर आधारित होने से आकाश को फूलों का भी आँधार मान लिया जावे तथा इसी प्रकार गधे के सिंग पर सींग बाँध दिये जाँवे तो निमित्त तथा प्रयोजन का सद्भाव सिद्ध हो जाने से “बन्ध्या का पुत्र”, “आकाश के फूल” तथा “गधे के सींग” ये तीनों वचन फिर निरर्थक न रहकर उपचरित अर्थ के प्रतिपादक सिद्ध हो जाते हैं।

प० फूलचन्द्र जी का कहना है कि “जो वचन अपने अभिधेय अर्थ का प्रतिपादन करता है वह तो सत्यार्थ है और जो वचन अपने अभिधेय अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता वह असत्यार्थ है”, परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि उपचरित शब्द की असत्यार्थता इसलिये नहीं है कि वह अपने अभिधेयार्थ का प्रतिपादन नहीं करके निरर्थक ही है अपितु उसकी असत्यार्थता इसलिये है कि वह मुख्य अभिधेय का प्रतिपादन करके उपचरित अभिधेय का ही प्रतिपादन करता है। इसी तरह लाक्षणिक शब्द को भी इसलिए असत्यार्थ मानना चाहिये कि उसका प्रतिपाद्य अर्थ अभिधेय न होकर

उपचार में कारणभूत लक्ष्यार्थ होता है और इसी तरह व्यञ्जक शब्द को भी इसलिए असत्यार्थ मानना चाहिये कि उसका प्रतिपाद्य अर्थ भी अभिधेय न होकर उपचार का प्रयोजनभूत व्यङ्ग्यार्थ होता है तथा इसी तरह सशय, विपर्यय अनव्यवसित रूप शब्दों को भी असत्यार्थ इसलिए मानना चाहिये कि उनका प्रतिपाद्य अर्थ सम्यक् अभिधेय न होकर सशय, विपर्यय और अनव्यवसित रूप मिथ्या अभिधेय होता है। इनके अतिरिक्त "वन्ध्या का पुत्र" आदि निरर्थक शब्दों की असत्यार्थता इसलिए मानना चाहिये कि वे उपयुक्त पाच प्रकार के अर्थों में से किसी भी प्रकार के अर्थ का प्रतिपादन न करने के कारण निरर्थक माने गये हैं। इस प्रकार प० फूलचन्द्र जी आदि का उपचरित अर्थ को सर्वथा असत्यार्थ तथा उसके प्रतिपादक शब्द को भी सर्वथा असत्यार्थ अर्थात् निरर्थक या कथन मात्र मानना मिथ्या है।

यह बात मैं पूर्व में बतला चुका हूँ कि यदि उपचरित शब्द निरर्थक ही होता है तो फिर उससे इष्टार्थ का बोध कैसे हो सकता है। यही कारण है कि "अन्न वै प्राणा." इम वचन के प्रतिपाद्य रूप से निमित्त और प्रयोजन के आधार पर अन्न में प्राण रूप अभिधेय अर्थ की स्थापना की गयी है जैसी कि पत्थर की मूर्ति में निमित्त और प्रयोजन के आधार पर भगवान की स्थापना की जाती है। इससे भी यह आशय निकलता है कि उपचार अर्थगत ही होता है शब्द तो उपचरित अर्थ का प्रतिपादक होने के कारण उपचरित कहलाता है।

यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उपचरित अर्थ की सिद्धि के लिये निमित्तों और प्रयोजनों की विविधता पायी जाती है इसलिये उपचरित अर्थ भी विविध प्रकार के हो जाते

हैं। जैसे "अन्नं वै प्राणा" यहाँ पर अन्न का प्राणरूप जो उपचरित अर्थ है वह अन्न में प्राण संरक्षण की कारणता का सद्भाव रहने के आधार पर है, कुम्भकार शब्द का कुम्भ-निर्माण कर्तृत्व रूप जो उपचरित अर्थ है वह कुम्भ निर्माण में मिट्टी का सहायक होने के आधार पर है, यही व्ययस्था अध्यापक, पाचक (रसोइया) आदि शब्दों के उपचरित अर्थ के विषय में भी समझ लेना चाहिये। इसी प्रकार व्यवहार रत्नत्रय, व्यवहार धर्म और व्यवहार मोक्ष मार्ग शब्दों से कहे जाने वाले व्यवहार-सम्यग्दर्शनादि का मोक्ष कारणता रूप जो उपचरित उपचरित अर्थ हैं वह परम्परया कारण होने के आधार पर है और इसी प्रकार "ओ लकडी" व "ओ तागा" आदि स्थलो में लकडी शब्द का लकडीवाला व ताँगा शब्द का तागावाला रूप जो उपचरित अर्थ है वह आधाराधेयभाव व स्वस्वामिभाव आदि सम्बन्धों के आधार पर है। यही वात "गगाया घोष.", "मञ्चा क्रोशन्ति" और "धनुर्धावति" आदि स्थलो में भी जान लेना चाहिये। अर्थात् "गगाया घोष" यहाँ पर गङ्गा शब्द का गङ्गा तट रूप उपचरित अर्थ गङ्गा और घोष में विद्यमान समीपतारूप सम्बन्ध के आधार पर है, "मञ्चा क्रोशन्ति" यहाँ पर मञ्च शब्द का मञ्चस्थ पुरुष रूप उपचरित अर्थ मञ्च और पुरुष में विद्यमान आधाराधेयभाव सम्बन्ध के आधार पर है और "धनुर्धावति" यहाँ पर धनुर् शब्द का धनुर्धारी रूप उपचरित अर्थ धनुर् और पुरुष में विद्यमान संयोग सम्बन्ध के आधार पर है। इन सब स्थलो में निमित्तों के आधार पर उपचरित अर्थ का स्पष्टीकरण किया है इसी तरह प्रयोजन के आधार पर उपचरित अर्थ का स्पष्टीकरण यथासम्भव इन्हीं स्थलो में तथा अन्य स्थलो में भी समझ लेना चाहिये।

यहाँ इतनी विशेषता समझ लेनी चाहिये कि कहीं-कहीं तो उपचरित अर्थ की सिद्धि के लिए निमित्त और प्रयोजन-दोनों ही उपयोगी होते हैं लेकिन कहीं-कहीं केवल निमित्त ही उपचरित अर्थ की सिद्धि के लिए उपयोगी होता है। जैसे—“गङ्गाया घोष” यहाँ पर तो उपचरित अर्थ की सिद्धि के लिए निमित्त और प्रयोजन दोनों ही उपयोगी हैं लेकिन “मञ्चा, क्रोशन्ति” व “घनुर्घावति” इन स्थलों में उपचरित अर्थ की सिद्धि के लिये केवल निमित्त ही उपयोगी है। निमित्त और प्रयोजन दोनों में से निमित्त तो शब्द का लक्ष्यार्थ होता है और वह शब्द निष्ठ लक्षणावृत्ति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है लेकिन प्रयोजन शब्द का व्यंग्यार्थ होता है और वह शब्द निष्ठ व्यञ्जना वृत्ति के आधार पर शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है। इससे यह बात निश्चित होती है कि लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ही उपचरित अर्थ की स्थापना (सिद्धि) में कारण होते हैं। इस तरह आलाप पद्धति के “मुख्याभावे सति निमित्ते प्रयोजने च उपचार प्रवर्तते” वचन का क्या अभिप्राय है? यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है।

प० फूलचन्द्र जी का कहना है कि जो वचन अपने अभि-  
धेय अर्थ का प्रतिपादन नहीं करता है वह असत्यार्थ माना जाता है और इस प्रकार असत्यार्थ होकर भी जो वचन इष्टार्थ का ज्ञान कराने में हेतु होता है उसे उपचरित वचन कहना चाहिये। इसकी मीमांसा में यह बात तो ऊपर बतला दी गयी है कि आगम के अनुसार उपचरित वचन वही कहलाता है जो उप-  
चरित अर्थ का प्रतिपादन करता है इसलिये उपचरित वचन इस रूप में असत्यार्थ नहीं होता है कि उसका कोई अर्थ ही नहीं

हो केवल कथनमात्र रूप ही वह हो, अपितु इस रूप में ही वह असत्यार्थ होता है कि वह मुख्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं करके उपचरित अर्थ का ही प्रतिपादन करता है।

यहाँ पर अब प० जी के इस अभिप्राय की मीमांसा की जाती है कि वे उपचरित अर्थ को शब्द का प्रतिपाद्य अभिधेय रूप में नहीं मानना चाहते हैं जब कि आगम में शब्द के प्रतिपाद्य मुख्य अर्थ को जिस प्रकार अभिधेय रूप में स्वीकार किया गया है उसी प्रकार शब्द के प्रतिपाद्य उपचरित अर्थ को भी अभिधेय रूप में ही स्वीकार किया गया है। मैं प० जी से पूछना चाहूँगा कि कुम्भकार, अध्यापक और पाचक शब्दों का प्रतिपाद्य कोई अर्थ है या नहीं? यदि नहीं है तो क्या ये शब्द बन्ध्यापुत्र, आकाशकुसुम व शशशृङ्ग के समान सर्वथा निरर्थक या कथन मात्र हैं? तो कहना पड़ता है कि प० जी कुम्भकार, अध्यापक और पाचक शब्दों को बन्ध्यापुत्र आदि शब्दों की तरह सर्वथा निरर्थक तो नहीं मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये शब्द इष्टार्थ का बोध कराते हैं इसलिये उपचरित शब्द से व्यवहृत किये जाते हैं। अब मेरा करना यह है कि प० फूलचन्द्र जी को यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कुम्भकार शब्द का अर्थ कुम्भ कर्तृत्व है, अध्यापक शब्द का अर्थ शिक्षण कर्तृत्व है और पाचक शब्द का अर्थ पाक कर्तृत्व है ऐसा तो वे कह नहीं सकते कि ये शब्द निरर्थक ही हैं अर्थात् इनका कोई अर्थ ही नहीं है। केवल वे इतना ही कह सकते हैं कि कुम्भकार शब्द का कुम्भकर्तृत्व, अध्यापक शब्द का शिक्षण कर्तृत्व और पाचक शब्द का पाककर्तृत्व ये तीनों अर्थ उपचरित अर्थ हैं मुख्य अर्थ नहीं है। अब मैं उनसे यह भी पूछना चाहूँगा कि ये तीनों अर्थ जो

क्रमशः कुम्भकार, अध्यापक और पाचक शब्द से प्रतिपादित होते हैं तो वे शब्दनिष्ठ कौन सी वृत्ति के आधार पर प्रतिपादित होते हैं ? लक्षणा और व्यजना वृत्ति के आधार पर तो प्रतिपादित होते नहीं हैं क्योंकि कुम्भ कर्तृत्व, शिक्षण कर्तृत्व और पाककर्तृत्व इन तीनों में से कोई भी अर्थ न लक्ष्यार्थ है और न व्यग्यार्थ ही है क्योंकि पूर्व में उपचरित अर्थ से भिन्न ही लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ को सिद्ध किया जा चुका है इतना ही नहीं वह पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ उपचरित अर्थ की सिद्धि के कारण होते हैं । यत शब्द में अर्थ प्रतिपादन की दृष्टि से अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति और व्यजनावृत्ति नाम की तीन ही वृत्तियाँ मानी गयी हैं अतः यही मानना होगा कि उपचरित अर्थ का प्रतिपादन शब्दनिष्ठ अभिधावृत्ति के आधार ही होता है । इतना ही नहीं, जितना भी सशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रूप मिथ्या अर्थ है वह भी शब्द निष्ठ अभिधावृत्ति के आधार पर ही शब्द द्वारा प्रतिपादित होता है । क्या यह मानना उचित होगा कि उपचरित या सशय, विपर्यय या अनध्यवसाय रूप मिथ्या अर्थ कोई अर्थ ही नहीं है ? यदि ऐसा माना जायगा तो कुम्भकार, अध्यापक और पाचक रूप उपचरित शब्दों और सशय विपर्यय तथा अनध्यवसित रूप मिथ्या शब्दों में बन्ध्यापुत्र आदि शब्दों से क्या भेद रह जायगा ? इसलिये यही मानना पड़ता है कि कुम्भकार आदि उपचरित तथा सशय आदि मिथ्या शब्द भी बन्ध्यापुत्र आदि शब्दों की तरह निरर्थक नहीं हैं किन्तु अर्थ का प्रतिपादन करने वाले हैं । क्या कोई यह कह सकता है कि कि शीप के विषय में “यह शीप है या चादी” अथवा “यह चाँदी है” या “यह कुछ है” इस प्रकार के शब्द प्रयोगों का कोई



अर्थ ही नहीं है ? यह बात दूसरी कि पहला शब्द प्रयोग सशय रूप मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन करता है, दूसरा शब्द प्रयोग विपर्ययरूप मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन करता है और तीसरा शब्द प्रयोग अनध्यवसित रूप मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन करता है। इनमे से कोई शब्द प्रयोग 'बन्ध्यापुत्र' शब्द प्रयोग की तरह निरर्थक या कथन मात्र नहीं है। यही बात उपचरित शब्द प्रयोग के विषय में भी जान लेना चाहिये। इस तरह अर्थ प्रतिपादन की दृष्टि से यदि विचार किया जाय तो निरर्थक बन्ध्यापुत्र आदि शब्दों को छोड़कर उपचरित और सशयादि रूप सभी शब्द अपने-अपने अभिधेयार्थ का प्रतिपादन करने के कारण सत्यार्थ (सार्थक) ही सिद्ध होते हैं असत्यार्थ (निरर्थक) नहीं। यह बात दूसरी है कि उपचरित शब्द उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करते हैं और सशय आदि शब्द अपने-अपने मिथ्या अर्थ का प्रतिपादन करते हैं व मुख्यार्थ का प्रतिपादन नहीं करते हैं इसलिये असत्यार्थ है।

इससे यह सिद्ध हुआ कि अभिधेयरूप अर्थ तीन प्रकार का होता है—एक तो मुख्यरूप, दूसरा उपचरित रूप और तीसरा मिथ्यारूप। और इन सब का प्रतिपादन उस-उस शब्द द्वारा उस-उस शब्द निष्ठ उस-उस प्रकार की अभिधावृत्ति के आधार पर होता है।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि मुख्य रूप जो अभिधेय है वह भी विवक्षित और अविवक्षित के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। जैसे "सैन्धवमानय" इस वचन में सैन्धव का अर्थ भोजन के समय नमक रूप ही विवक्षित है और घोडारूप अविवक्षित है। इसी तरह युद्ध की तैयारी में या कही

वाहर जाने की तैयारी मे घोडा रूप अर्थ ही विवक्षित है तथा नमक रूप अर्थ अविवक्षित है लेकिन सैन्धव शब्द के दोनो ही अर्थ अभिधेय है। इसी तरह एक ही शब्द नाना भाषाओ मे भिन्न-भिन्न अर्थो मे प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर भी भाषा भेद के आधार विवक्षित और अविवक्षित का भेद अभिधेय मे कर लेना चाहिये।

इस तरह प० फूलचन्द्र जी का उपचरित अर्थ को शब्द द्वारा अनभिधेय मान कर असत्यार्थ मानना मिथ्या है इसी तरह उपचरित शब्द को निरर्थकता के आधार पर असत्यार्थ मानना भी मिथ्या है तथा आगमानुसार उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करने के आधार पर असत्यार्थ मानना ही सम्यक् है। असत्यार्थता की यही स्थिति सशय आदि मिथ्या अर्थ के प्रतिपादक शब्दो मे भी समझ लेना चाहिये।

आगम मे जो नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप निक्षेप बतलाये गये हैं उन्हें अर्थगत ही स्वीकार किया गया है तथा अर्थगत उस-उस निक्षेप का प्रतिपादन करने के आधार पर शब्द को भी नामादि रूप मे विभक्त कर दिया गया है। इनमे से नाम, स्थापना और द्रव्य रूप निक्षेप तो उपचरित अर्थ है तथा भावरूप निक्षेप अनुपचरित अर्थ है। इसी तरह जो शब्द नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप निक्षेपो मे से भावरूप निक्षेप का प्रतिपादन करता है-वह तो अनुपचरित शब्द है और जो नाम, स्थापना और द्रव्य रूप निक्षेपो मे से किसी एक निक्षेप का प्रतिपादन करता है वह उपचरित शब्द है।

इन चारो को इस तरह समझा जा सकता है कि जैन शब्द का अर्थ यदि मोक्षमार्गी जीव माना जाय तो जो सम्यग्-

दर्शनादि मोक्षमार्गरूप परिणत हो रहा है वह जीव भावनिक्षेप स्वरूप निश्चय, परमार्थ, यथार्थ, सत्यार्थ, भूतार्थ, वास्तविक, अन्तरग या अनुपचरित जैन है तथा जो सम्यग्दर्शनादि-मोक्षमार्ग रूप परिणत न होता हुआ भी आगे उस रूप परिणत होने वाला हो वह जीव द्रव्य निक्षेप स्वरूप व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग या उपचरित जैन है। इसी प्रकार जो सम्यग्दर्शनादि मोक्षमार्ग रूप परिणत न होता हुआ भी उस जैसा निर्दोष वाह्य रूप धारण किये हुए हो वह जीव स्थापना निक्षेप स्वरूप व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग या उपचरित जैन है और इसी प्रकार जो जैन कुल में उत्पन्न होकर उम. कुल के अनुकूल आचरण कर रहा हो वह जीव नाम निक्षेप रूप व्यवहार, अपरमार्थ, अयथार्थ, असत्यार्थ, अभूतार्थ, अवास्तविक, बहिरग या उपचरित जैन है।

इससे भी सिद्ध होता है कि उपचार तो अर्थगत ही होता है तथा उसके प्रतिपादन के आधार पर शब्द को भी उपचरित मानना श्रेयस्कर है जिसका तात्पर्य यह होता है कि उपचरित शब्द निरर्थक नहीं होता और उसका जो भी अर्थ होता है वह अभिधेय रूप में ही उस शब्द का प्रतिपाद्य होता है।

प० फूलचन्द्र जी ने अपने कथन में 'चन्द्रमुखी' शब्द को जो मुख्यार्थ का प्रतिपादक न मानकर उपचरित अर्थ का प्रतिपादक माना है वह भी मिथ्या है कारण कि 'चन्द्रमुखी' शब्द समस्त शब्द है। अर्थात् मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास होकर ही इस शब्द की निष्पत्ति हुई है इस तरह "चन्द्र इव

मुख यस्या सा” इस विग्रह के आधार पर चन्द्रमा के समान मनोज्ञ और आभायुक्त मुखवाली नारी चन्द्रमुखी शब्द का मुख्यार्थ ही निश्चित होता है। इसे उपचरित, लक्ष्य या व्यंग्य अर्थ किसी भी हालत में नहीं माना जा सकता है। इतना अवश्य है कि उत्प्रेक्षा लकार में “अमुक नारी का मुख मानो चन्द्रमा ही है” या रूपकालकार में “निरखत मुखचन्द्र” इत्यादि शब्द प्रयोग भी देखे जाते हैं, तो इन स्थलों में निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर मुख में चन्द्रमा का आरोप करके उसे उपचरित अर्थ मानना भी असंगत नहीं है। यहाँ पर मुख में चन्द्रमा का आरोप करने के लिये मुख और चन्द्रमा दोनों में विद्यमान मनोज्ञता और आभायुक्तता का सादृश्यरूप लक्ष्यार्थ तो निमित्त है तथा मुख के देखने वालों का आकृष्ट होते रूप व्यंग्यार्थ उसका प्रयोजन है।

प० फूलचन्द्रजी ने आरोप के विषय में “गगाया घोष”, “मञ्चा क्रोशन्ति” और “धनुर्वावति” इन तीन उदाहरणों को उपस्थित करके जो इन्हें उपचरित कहा है—यह तो ठीक है परन्तु यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि आरोपित ( उपचरित ) अर्थ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ से अलग ही अपना अस्तित्व रखता है। लक्ष्यार्थ व व्यंग्यार्थ के साथ आरोपित अर्थ का भेद दिखलाने के लिये यह भी कहा जा सकता है कि आरोप के उद्भव में लक्ष्यार्थ को निमित्त का व व्यंग्यार्थ को प्रयोजन का ही स्थान मिला हुआ है। एक अन्य बात यह भी कही जा सकती है कि एक वस्तु या धर्म में अन्य वस्तु या धर्म का आरोप होने पर उसके अभिधेय बन जाने पर शब्द निष्ठ अभिधावृत्ति के आधार पर ही उसका प्रतिपादन होता है जब कि शब्द निष्ठ

लक्षणा और व्यजना वृत्तियों के आधार पर ही क्रमशः लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ का प्रतिपादन हुआ करता है। इसके भी अतिरिक्त एक अन्य बात यह भी कही जा सकती है कि जहाँ निमित्त और प्रयोजन आरोप प्रवृत्ति के आधार के रूप में विद्यमान रहेगे वही पर आरोप प्रवृत्ति का उद्भव हो सकता है अन्यत्र नहीं। लेकिन इसमें इतनी विशेषता समझ लेनी चाहिये कि आरोपित अर्थ की सिद्धि के लिये कही तो लक्ष्यार्थ और व्यग्यार्थ दोनों ही उपयोगी रहा करते हैं तथा कही केवल लक्ष्यार्थ ही उपयोगी रहा करता है। जैसे 'गगाया घोष.' यहाँ पर तो आरोपित अर्थ की सिद्धि के लिये निमित्तभूत लक्ष्यार्थ और प्रयोजन भूत व्यग्यार्थ दोनों ही उपयोगी हैं लेकिन "मञ्चा क्रोशन्ति" व "धनुर्घावति" स्थलो में केवल निमित्तभूत लक्ष्यार्थ ही उपयोगी है, क्योंकि प्रयोजनभूत व्यग्यार्थ का वहाँ पर अभाव ही है।

प० फूलचन्द्र जी ने जो यह लिखा है कि "इसमें सदेह नहीं कि आगम में व्यवहारनय की अपेक्षा एक द्रव्य का कर्ता आदि कहा गया है परन्तु वहाँ पर यह कथन अभिधेयार्थ को ध्यान में रख कर किया गया है या लक्ष्यार्थ को ध्यान में रखकर किया गया है इसे समझकर ही इष्टार्थ का निर्णय करना चाहिये" और इसके अनन्तर जो यह लिखा है कि "प्रकृत में इष्टार्थ (लक्ष्यार्थ) दो हैं—ऐसे कथन द्वारा निश्चयार्थ का ज्ञान कराना यह मुख्य इष्टार्थ है, क्योंकि यह वास्तविक है और इस द्वारा निमित्त (व्यवहार हेतु) का ज्ञान कराना यह उपचरित इष्टार्थ है, क्योंकि इस कथन द्वारा कहाँ कौन निमित्त है इसका ज्ञान हो जाता है।"

इस विषय में मेरा कहना है कि और जैसा पूर्व में बतलाया भी चुका है कि मुख्यार्थ की तरह उपचरित अर्थ भी शब्द का अभिधेय हुआ करता है केवल बात यह है कि 'मुख्यार्थ' तो स्वतः सिद्ध रहता है और उपचरित अर्थ निमित्तभूत लक्ष्यार्थ के आधार पर निष्पन्न होता है। जैसे कुम्भकार व्यक्ति में जो कुम्भकर्तृत्व है वह कुम्भकार शब्द का अभिधेय तो है परन्तु उपचरित रूप में अभिधेय है, क्योंकि कुम्भकार व्यक्ति में कुम्भ कर्तृत्व की सिद्धि उसके घटोत्पत्ति में सहायक होने 'रूप लक्ष्यार्थ' के आधार पर ही होती है। इस तरह कुम्भकार शब्द दो अर्थों का प्रतिपादन करता है एक तो अभिधावृत्ति के आधार पर कुम्भ कर्तृत्व रूप उपचरित अर्थ का प्रतिपादन करता है और दूसरे लक्षणावृत्ति के आधार पर घटोत्पत्ति में सहायक होने रूप लक्ष्यार्थ का भी प्रतिपादन करता है।

मेरे इस विवेचन से प० फूलचन्द्र जी का यह लिखना कि "प्रकृत में इष्टार्थ (लक्ष्यार्थ) दो हैं—ऐसे कथन द्वारा निश्चयार्थ का ज्ञान कराना यह मुख्य इष्टार्थ है, क्योंकि यह वास्तविक है और इस द्वारा निमित्त (व्यवहार हेतु) का ज्ञान कराना उपचरित इष्टार्थ है, क्योंकि इस कथन द्वारा कहा कौन निमित्त है इसका ज्ञान हो जाता है" व्यर्थ हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि कुम्भकार शब्द से कुम्भकार व्यक्ति में जो कुम्भकर्तृत्व का बोध होता है यह भी अनुभवगम्य है और उसका वह कर्तृत्व उसके घटोत्पत्ति में सहायक होने के आधार पर निर्णीत होता है यह भी अनुभवगम्य है। यद्यपि इस बात को अस्वीकृत करते हुए प० फूलचन्द्र जी का कहना है कि

“ऐसे कथन द्वारा निश्चयार्थ का ज्ञान कराना यह मुख्य इष्टार्थ है, क्योंकि यह वास्तविक है और इस द्वारा निमित्त (व्यवहार हेतु) का ज्ञान कराना यह उपचरित इष्टार्थ है क्योंकि इस कथन द्वारा कहा कौन निमित्त है इसका ज्ञान हो जाता है” परन्तु इससे वे क्या अभिप्राय लेना चाहते हैं इसे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। यदि कहा जाय कि ऐसे कथन से निश्चय स्वरूप उपादान कर्ता रूप इष्टार्थ का बोध होता है तो यह भी असंगत है क्योंकि यह अनुभवगम्य नहीं है और यदि इस तरह उपादान कर्ता का बोध होने लग जावे तो फिर उपादान का अलग से कथन करने की क्या आवश्यकता रह जाती है? दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि उक्त प्रकार निमित्त परक कथन से निश्चय स्वरूप उपादान कर्ता-रूप इष्टार्थ का बोध कराना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस प्रकार यही मानना श्रेयस्कर है कि कुम्भकार शब्द लक्ष्यार्थ से समन्वित निमित्त कर्तृत्व (सहायक कर्तृत्व) रूप अपने अभिधेयार्थ का ही प्रतिपादन करता है और बोध भी इसी का होता है। इस प्रकार कुम्भ के निर्माण में कुम्भकार के निमित्त कर्तृत्व की उतनी उपयोगिता सिद्ध हो जाती है जितनी कि मिट्टी के उपादान कर्तृत्व की सिद्धि होती है कारण कि कुम्भकार के निमित्त हुये बिना मिट्टी का घटरूप परिणमन होना असम्भव ही रहा करता है और यह अनुभवगम्य ही है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कुम्भकार में मिट्टी की तरह घट का उपादान कर्तृत्व तो नहीं है फिर भी घट के निर्माण में सहयोग रूप निमित्त कर्तृत्व तो है ही। इस तरह प० फूलचन्द्र जी का निमित्त कर्तृत्व को कल्पित अर्थात् अभावरूप मानकर उसके प्रतिपादक वचन को निरर्थक (कथनमात्र) मानना असंगत ही है।

एक बात और है कि प० फूलचन्द्र जी एक ओर तो यह कहते हैं कि “व्यवहार रत्नत्रय स्वयं धर्म नहीं है निश्चय रत्न-त्रय के सद्भाव में उसमें धर्म का आरोप होता है—यह बात अवश्य है। इसी प्रकार रुद्धिबश जो जिस कार्य का निमित्त कहा जाता है उसके सद्भाव में भी तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती है जब तक जिस कार्य का वह निमित्त कहा जाता है उसके अनुरूप उपादान की तैयारी न हो अतएव कार्य की सिद्धि में निमित्त अकिञ्चित्कर है।” (जैनतत्त्वमीमांसा पृष्ठ २५२) व दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि “साधारण नियम यह है कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में ये पाँच कारण नियम से होते हैं—स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म (परपदार्थ व्यवस्था)” (जैनतत्त्वमीमांसा पृष्ठ ६५)।

प० फूलचन्द्र जी के इन दोनों कथनों पर एक साथ दृष्टि डालने से स्पष्ट मालूम होता है कि कार्योत्पत्ति में निमित्तों की कारणता के विषय में उनकी परस्पर विरुद्ध दो मान्यताएँ हैं। अर्थात् जहाँ पहले कथन से वे यह प्रगट करना चाहते हैं कि कार्य की सिद्धि केवल उपादान के तैयार हो जाने पर यानि उपादानकारणभूत वस्तु के कार्य से अव्यवहित पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में पहुँच जाने पर नियम से हो जाया करती है निमित्तों का कार्य की सिद्धि में कोई उपयोग नहीं होता वे तो सदा अकिञ्चित्कर ही बने रहते हैं वहाँ दूसरे कथन से पहली मान्यता के ठीक विपरीत वे यह भी प्रगट कर रहे हैं कि कार्य की सिद्धि स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म इन पाँचों का सम-वाय हो जाने पर ही हुआ करती है। इतना ही नहीं, उक्त



दूसरे कथन के प्रसंग में आगे वही पर वे गोम्मटसार कर्मकाण्ड के आधार का उल्लेख करते हुए यह भी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन पाँचों कारणों में से किसी एक से ही कार्य की उत्पत्ति मानता है वह मिथ्यादृष्टि है और जो इन पाँचों के समवाय से कार्योत्पत्ति मानता है वह सम्यग्दृष्टि है। अपने इस कथन में पं० जी ने कार्योत्पत्ति में जिन स्वभाव आदि पाँचों के समवाय को कारण माना है उनमें पठित कर्म शब्द का अर्थ भी उन्होंने निमित्त किया है। जैसे वे लिखते हैं कि “यहाँ स्वभाव से द्रव्य की स्वशक्ति या नित्य उपादान लिया गया है, पुरुषार्थ से उसका बल-वीर्य लिया गया है, काल से स्वकाल का ग्रहण किया है, नियति से समर्थ उपादान या निश्चय की मुख्यता घतलाई गई है और कर्म से निमित्त का ग्रहण किया है।” (जैनतत्त्वमीमासा पृष्ठ ६५) इस तरह देखने में आ रहा है कि एक जगह निमित्तों को कार्य सिद्धि में अकिञ्चित्कर मानते हुए भी दूसरी जगह पं० फूलचन्द्र जी कार्य सिद्धि के प्रति उन्हीं निमित्तों की अनिवार्य कारणता को आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं।

पं० जी ने कार्योत्पत्ति में निमित्तों की अकिञ्चित्करता के विषय में जैनतत्त्वमीमासा में जो कुछ लिखा है उसकी मीमासा पूर्व में विस्तार के साथ की जा चुकी है, इसलिये इस विषय में कुछ न लिखकर यहाँ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि कार्य की उत्पत्ति में पं० जी ने जो स्वभाव आदि पाँचों के समवाय को कारण माना है उनकी इस मान्यता के विषय में तो मेरा साधारणतया कोई विरोध नहीं है, फिर भी जो विरोध है वह यह है कि सभी कार्यों की उत्पत्ति में पं० फूलचन्द्र जी द्वारा

उक्त स्वभाव आदि सभी के समवाय को कारण मानना असंगत है क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का प्रतिक्षण जो षड्गुण हानि वृद्धि रूप स्वप्रत्यय परिणमन हो रहा है उसमें निमित्तों को कारणता प्राप्त नहीं है। यदि उस परिणमन में भी निमित्तों को कारण माना जाय तो फिर उसका स्वप्रत्ययपना ही समाप्त हो जायगा जिससे आगम में प्रदर्शित परिणमन के स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय दो भेदों की व्यवस्था ही भंग हो जायगी। अर्थात् तब सभी परिणमन स्वपरप्रत्यय ही सिद्ध होंगे कोई भी परिणमन स्वप्रत्यय सिद्ध नहीं होगा।

यद्यपि प० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमासा के निमित्त कारण की स्वीकृति नामक प्रकरण में पृष्ठ ४२ पर यह बतलाया है कि “वस्तु की शुद्ध पर्याय परनिरपेक्ष (केवल स्वप्रत्यय) होते हुए भी काल निमित्ताक तो वह है ही” परन्तु इस विषय में मैं पहले बतला चुका हूँ कि काल किसी भी वस्तु के किसी भी परिणमन में निमित्त नहीं होता है। अर्थात् परिणमन तो वस्तु का अपने-अपने प्रतिनियत कारणों के बल पर ही होता है केवल इतना अवश्य है कि काल उस परिणमन का समय, आवली, मुहूर्त, घड़ी, घण्टा, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष आदि के रूप में विभाजन मात्र करता रहता है और यदि किसी कार्य के साथ काल का अन्वय व्यतिरेक घटित होता हो तो उस कार्य की उत्पत्ति में काल को निमित्त मानने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु स्वप्रत्यय परिणमन में काल के अन्वय-व्यतिरेक के घटित होने की कभी सम्भावना नहीं है। इस विषय पर आगे विस्तार के साथ प्रकाश डाला जायगा।

गोम्मटसार कर्मकाण्ड में क्रियावादी मिथ्या दृष्टियों की गणना करते हुए आचार्य श्री नेमिचन्द्र ने काल, ईश्वर, आत्मा, नियति और स्वभाव इनमें से एक-एक आधार से कार्योत्पत्ति मानने वाले मिथ्यादृष्टियों का कथन किया है। इस पर से प० फूलचन्द्र जी द्वारा यह सिद्धान्त स्थिर किया गया मालूम होता है कि यदि ईश्वर आदि पाँच में से एक-एक से कार्योत्पत्ति मानने वाले मिथ्यादृष्टि है तो इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानने का सिद्धान्त सत्य है क्योंकि उन्होंने उक्त स्वभाव आदि के समवाय को कार्योत्पत्ति में कारण माना है और चू कि जैन-दर्शन में ईश्वर को कर्ता नहीं माना गया है अतः उन्होंने ईश्वर के स्थान पर कर्म को कारण मानकर उसका अर्थ निमित्त कर दिया है तथा आत्मा समस्त वस्तुओं के समस्त परिणमनों में जैन-दर्शन के अनुसार कारण नहीं होता है अतः उसके स्थान पर पुरुषार्थ को कारण मानकर उसका अर्थ प्रत्येक वस्तु का बल-वीर्य कर दिया है, परन्तु एक तो मैं पूर्व में बतला चुका हूँ कि वस्तु के स्वप्रत्यय परिणमनों में निमित्त की कारणता अपेक्षित नहीं रहा करती है, दूसरे अब मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि प० फूलचन्द्र जी कर्म का अर्थ भले ही निमित्त मान लें व पुरुषार्थ का अर्थ भी वस्तु का बल-वीर्य मान ले, तो भी प० प्रवर बनारसी दास जी के—

“पद स्वभाव पूरव उदै निहचं उद्यम काल ।  
पच्छपात मिथ्यात तज सरवगी शिव चाल ॥”

इस पद्य में पठित “पूरव उदै” शब्द का वे सामान्य रूप में निमित्त अर्थ कैसे करेंगे ? इसी तरह उद्यम भी चित्शक्ति

विशिष्ट आत्मा मे ही सम्भव है अचेतन पदार्थों मे उद्यम की कल्पना करना असम्भव है। तीसरी बात इस विषय मे मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि गोम्मटसार कर्मकाण्ड से कथन के आधार पर ५० फूलचन्द्र जी स्वभाव आदि पाँच के समवाय को कारण मानते हैं तो फिर गो० कर्मकाण्ड मे ही अलग से पौरुषवाद, दैववाद, सयोगवाद, तथा लोकवाद का कथन करते हुए नेमिचन्द्राचार्य ने अन्त मे गाथा ८१४ द्वारा जो यह कहा है कि “जितने वचन के प्रकार सम्भव हो उतने ही नयवाद हैं और जितने नयवाद हों उतने ही पर समय हैं” इसके रहते हुए केवल स्वभावादि पाँच के समवाय मे कार्योत्पत्ति के प्रति कारणता को सीमित करना कहाँ तक तर्क सगत है ?

इस विवेचन का सार यह है कि उक्त कथन मे आचार्य श्री नेमिचन्द्र की दृष्टि यह नहीं रही है कि ईश्वर आदि एक-एक के आश्रय से कार्योत्पत्ति मानने वाले मिथ्यादृष्टि हैं और इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानने वाले सम्यग्दृष्टि हैं। उनकी दृष्टि तो उसमे केवल इतनी ही रही है कि कौन परसमयवादी किस आधार पर कार्योत्पत्ति मानता है और उसकी वह मान्यता सत्य है अथवा असत्य है। एक बात और है कि यदि आचार्य नेमिचन्द्र की दृष्टि ईश्वर आदि के समवाय से कार्योत्पत्ति स्वीकार करने की होती तो वे अपने उक्त कथन मे ईश्वरवाद या आत्मवाद को किसी भी प्रकार स्थान नहीं दे सकते थे क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि जैन दर्शन मे न तो ईश्वर को कार्योत्पत्ति का कर्ता माना गया है और न समस्त कार्यो मे आत्मा को ही कारण माना गया है। इसके अतिरिक्त इस विषय मे मेरा कहना यह भी है कि स्वभाव आदि पाच मे

स्वभाव से नित्य उपादान और नियति से क्षणिक उपादान का अर्थ ग्रहण करने का कोई आधार पं० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमासा में नहीं प्रस्तुत किया है जब कि आचार्य श्री नेमिचन्द्र ने स्वभाववाद का अर्थ कर्मकाण्ड गाथा ८८३ में और नियतिवाद का अर्थ गाथा ८८२ में पं० फूलचन्द्र के अभिप्राय से भिन्न ही किया है। इसी प्रकार पुरुषार्थ का अर्थ भी गाथा ८६० में आचार्य श्री ने आत्मा द्वारा अपने में उत्पन्न उत्साह के सहारे प्रयत्न करने रूप ही किया है। पुरुषार्थ का अर्थ करने में उनकी दृष्टि वस्तु सामान्य के बल-वीर्य की ओर नहीं रही है। इतना ही नहीं, काल शब्द का अर्थ स्वकाल करके भी पं० जी ने यह बतलाने का प्रयत्न नहीं किया है कि वह स्वकाल क्या है ? और फिर मैं उनसे (पं० जी से) यह भी कहना चाहूँगा कि कर्मकाण्ड में स्थित नियति का लक्षण देखते हुए उसमें आपके द्वारा स्वीकृत काल का अन्तर्भाव क्यों नहीं हो सकता है ? इसका भी स्पष्टीकरण उन्हें करना चाहिये था।

मैं कह आया हूँ कि कार्य के प्रति स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म ( निमित्त ) के समवाय को कारण मानने में मेरा साधारणतया विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्वभाव से मेरा अभिप्राय आगमानुसार वस्तु की स्वतःसिद्ध परिणमन शक्ति का है अर्थात् परिणमन के लिये वस्तु में परिणमन करने की स्वतःसिद्ध योग्यता का अस्तित्व होना आवश्यक है। यदि यह योग्यता वस्तु में स्वतःसिद्ध न हो तो फिर अन्य कोई वस्तु उसमें परिणमन नहीं करा सकती है। इसी प्रकार वस्तु के परिणमन प्रतिनियत ही हुआ करते हैं। यह असम्भव है कि मिट्टी से कभी जुलाहा आदि के सहयोग से

घट भी तैयार हो सकता है। अर्थात् मिट्टी में जड़ भी परिणमन होगा तो वह अनुकूलन निमित्तों के सहयोग से घट अथवा सकोरा आदि प्रक्षिनियत रूप ही होगा। इतना ही नियति का अभिप्राय गहरा नेता चाहिये। काल के विषय में भी मेरा कहना यह है कि मिट्टी में अनुकूलन निमित्तों के सहयोग में जड़ भी घट की उत्पत्ति लायी तो वह स्थान, कोश, कुशूल आदि के क्रम से ही होगी। यह नहीं हो सकता है कि इस क्रम में कभी व्यतिक्रम भी हो जावे। उस तरह इस नियत क्रम की सूचना देने वाला काल की मानना चाहिये। इसी तरह वस्तु में जितने स्वपरप्रत्यय परिणमन होते हैं साधारणतया अनुकूलन निमित्तों के सहयोग में ही हुआ करते हैं और उनमें भी कोई परिणमन ऐसे भी हुआ करते हैं जिनमें साधारण निमित्तों के साथ-साथ प्राणियों द्वारा किया गया प्रयत्न ( पुरुषार्थ ) भी कारण होता है। इस प्रकार यह व्यवस्था निश्चित होती है कि जितने भी स्वप्रत्यय परिणमन हैं वे सब वस्तु में पाये जाने वाले स्वभाव, नियति और क्रमानुसार होते हैं तथा जो स्वपरप्रत्यय परिणमन हैं वे सब स्वभाव, नियति और क्रमानुसार होते हुए भी सामान्य अनुकूलन निमित्तों के सहयोग से अथवा इनके साथ-साथ पुरुषकृत प्रयत्न से हुआ करते हैं।

प० फूलचन्द्र जी कहते हैं कि उपादान की तैयारी हो जाने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है और मैं भी कह देना चाहता हूँ कि प० जी को इस मान्यता से मेरा कोई विरोध नहीं है क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्थास के अनन्तर ही कोश बनता है और कोश के अनन्तर ही कुशूल बनता है तब कहीं कुशूल के अनन्तर ही घट की उत्पत्ति होती है, परन्तु साथ में यह

भी बात है कि घट का उपादान जो स्थूल रूप से कुशूल है उसकी उत्पत्ति भी तो अनुकूल निमित्तो के सहयोग से ही हुआ करती है। इसी प्रकार कुशूल का उपादान जो कोश है और कोश का उपादान जो स्थास है इनकी उत्पत्ति भी अनुकूल निमित्तो के सहयोग से ही हुआ करती है। यही व्यवस्था क्षण-वर्ती पर्यायों के विषय में भी समझना चाहिये। तात्पर्य यह है कि स्वपरप्रत्यय परिणमनो में जो एक का उपादान है वही दूसरे का कार्य है। अर्थात् प्रत्येक वर्तमान पर्याय जहाँ पूर्ववर्ती अनुकूल पर्याय का कार्य है वही वह उत्तरवर्ती अनुकूल पर्याय का कारण भी है। इसलिए उपादान की तैयारी में भी निमित्तो का सहयोग अपेक्षणीय रहा करता है—यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है। उपादान की तैयारी सम्बन्धी इस कथन का प० फूलचन्द्र जी की विचार धारा के साथ कहा तक मेल बिठलाया जा सकता है—इस दृष्टि से यह विवेचन किया है, परन्तु वास्तविकता यही है कि उपादान हमेशा द्रव्य ही हुआ करता है। वह पर्याय विशिष्ट ही होता है—यह बात दूसरी है लेकिन पर्याय तो कार्य में ही अन्तर्भूत होती है वह उपादान कभी नहीं होती। इसका कारण यह है कि पूर्व पर्याय का विनाश होने पर ही उत्तर पर्याय उत्पन्न हाती है जब कि उपादान को कार्य में हमेशा अनुस्यूत ही रहना चाहिये। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि जहाँ भी कार्यकारण भाव का निर्धारण करना हो तो वहाँ पर अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ही करना चाहिए।

श्रीमद्भट्टाकलङ्क देव ने अपने ग्रन्थ अष्टशती में आप्त-मीमांसा की ८६ वीं कारिका की टीका करते हुए निम्नलिखित

पद्य का उद्धरण दिया है—

“तादृशी जायते बुद्धि र्व्यवसायश्च तादृश ।  
सहायास्तदृश. सन्ति यादृशी भवितव्यता ॥”

श्रीमद्भट्टाकलङ्क देव का बल पाकर इम पद्य का उद्धरण प० फूलचन्द्र जी ने भी अपने “कार्य की सिद्धि केवल समर्थ उपादान से ही हो जाया करती है निमित्त तो वहा पर अकिंचित्कर हो रहा करते हैं।” इस पक्ष की पुष्टि के लिये जैनसत्त्वमीमासा के पृष्ठ ६६ पर दिया है और इसका अर्थ भी उन्होंने वही पर यह किया है कि “जिस जीव की जैसी भवितव्यता (होनहार) होती है उसकी वैसी ही बुद्धि हा जाया करती है, वह प्रयत्न भी उसी प्रकार का करता है और उसे सहायक भी उसी प्रकार के मिलते हैं।”

इस पद्य को लेकर मुझे यहाँ पर इन बातों का विचार करना है कि श्रीअकलङ्क देव ने उक्त पद्य का उद्धरण अपने ग्रन्थ मे किस आशय से दिया है तथा जैन-दर्शन मे मान्य कारण व्यवस्था के साथ उसका एक तो मेल बैठता ही नहीं है और यदि मेल बैठता भी है तो किस तरह बैठता है ? इतना ही नहीं, इसके साथ मुझे इस बात का भी विचार करना है कि उसकी सहायता से प० फूलचन्द्र जी कारण व्यवस्था सम्बन्धी अपने पक्ष की पुष्टि करने मे कहाँ तक सफल हो सके है ?

स्वामी समन्तभद्र ने अपनी कृति आप्तमीमासा मे आप्त की मीमासा के प्रसङ्ग को लेकर जिनशासन मे मान्य अनेकान्तात्मक तत्त्व व्यवस्था की पुष्टि की है। और इसी प्रसङ्ग मे



उन्होंने यह बात भी मान्य की है कि प्राणियों की अर्थ सिद्धि दैव और पुरुषार्थ दोनों कारणों के परस्पर सहयोग से ही हुआ करती है ।

अर्थ सिद्धि के विषय में इसके अतिरिक्त परस्पर विलक्षण विविध प्रकार की ऐकान्तिक मान्यताये भी लोक में प्रचलित हैं जो निम्न प्रकार हैं—

कोई दर्शन प्राणियों की अर्थ सिद्धि पुरुषार्थ के बिना केवल दैव से ही मानता है । इसके विपरीत कोई दर्शन यह कहता है कि प्राणियों की अर्थ सिद्धि दैव के बिना केवल पुरुषार्थ से ही हो जाया करती है । यही नहीं, कोई दर्शन यह भी कहता है कि प्राणियों की कोई अर्थ सिद्धि तो पुरुषार्थ-विहीन केवल दैव से होती है और कोई अर्थ सिद्धि दैवविहीन केवल पुरुषार्थ से होती है । एक चौथा दर्शन भी लोक में पाया जाता है जो कहता है कि प्राणियों की अर्थ सिद्धि न तो केवल दैव से होती है, न केवल पुरुषार्थ से होती है और न पृथक्-पृथक् अथवा संयुक्त रूप से दैव और पुरुषार्थ दोनों से होती है—इस तरह अर्थ सिद्धि के विषय में कारणता की दृष्टि से अवक्तव्य विकल्प को छोड़ कर अन्य कोई विकल्प उसके मत में स्वीकृत करने योग्य नहीं है ।

इन सब अथवा इसी तरह के ऐकान्तिक पक्षों के प्रति अनास्था प्रगट करते हुये आप्त मीमांसा की ८८ से ९१ तक की कारिकाओं द्वारा स्वामी समन्तभद्र ने यह सिद्ध किया है कि प्राणियों की अर्थ सिद्धि न केवल दैव से होती है, न केवल पुरुषार्थ से होती है और न पृथक्-पृथक् दैव और पुरुषार्थ से ही होती है

तथा न देव और पुरुषार्थ दोनों के बिना ही अर्थ सिद्धि होती है, अपितु देव और पुरुषार्थ दोनों के परस्पर सहयोग से ही अर्थ सिद्धि हुआ करती है ।

इसमे यह निर्णीत होता है कि यदि कोई व्यक्ति कार्य सिद्धि के लिये पुरुषार्थ कर रहा हो और वहाँ पर देव की अनुकूलता रहने के कारण कार्य की सिद्धि भी हो रही हो लेकिन देव दुर्लक्षित हो रहा हो तो यह नहीं समझना चाहिये कि वह काय सिद्धि केवल पुरुषार्थ द्वारा ही हो गयी है । इसी प्रकार किसी व्यक्ति की कार्य सिद्धि के लिये देव की अनुकूलता हो और पुरुषार्थ की अनुकूलता के कारण कार्य की सिद्धि भी हो रही हो लेकिन पुरुषार्थ दुर्लक्षित हो रहा हो तो यह नहीं समझना चाहिये कि वह कार्य सिद्धि केवल देव द्वारा ही हो गयी है किन्तु ऐसा समझना चाहिये कि वह कार्य सिद्धि देव और पुरुषार्थ दोनों के परस्पर सहयोग से ही हुई है । इस प्रकार कारणों की खोज किये जाने पर यही फलित होता है कि प्राणियों की अर्थ सिद्धि देव और पुरुषार्थ दोनों के परस्पर सहयोग से ही हुआ करती है । इसकी पुष्टि स्वामी समन्तभद्र के श्रीमद्भक्तकलकदेव के और आचार्य विद्यानन्दी के उन कथनों से होती है जो उन्होंने क्रमशः आप्त मीमांसा मे अष्टशती मे और अष्ट सहस्रों मे किये है । आचार्य विद्यानन्दी ने अष्ट सहस्री पृष्ठ २५८ पर भी लिखा है—

“तथापेक्षानपाये परस्पर सहायत्वेन  
देव पुरुषार्थामर्थं सिद्धिं”

इसका अर्थ यह है कि चूँकि प्राणियों की अर्थ सिद्धि मे कारणभूत देव पुरुषार्थ की अपेक्षा रखता है और प्रप्राय

देव की अपेक्षा रखता है अतः परस्पर की अपेक्षा रखने के कारण देव और पुरुषार्थ दोनों ही अर्थ सिद्धि के कारण हुआ करते हैं। इस तरह इससे ऊपर के कथन की पुष्टि होती है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि “तादृशी जायते बुद्धि.” इत्यादि रूप में ग्रथित उक्त पद्य प० फूलचन्द्र जी द्वारा प्रतिपादित (उल्लिखित अर्थ के आधार पर प्राणियों की अर्थ सिद्धि के विषय में जैन-दर्शन द्वारा मान्य देव और पुरुषार्थ की सम्मिलित कारणता का प्रतिरोध ही करता है, कारण कि उक्त पद्य के उक्त अर्थ से यही ध्वनित होता है कि “प्राणियों की अर्थ सिद्धि केवल भवितव्य के अधीन है और यदि उस अर्थ सिद्धि में प्राणियों की बुद्धि, व्यवसाय तथा अल्प सहायक कारणों की अपेक्षा रहती भी हो तो वे बुद्धि, व्यवसायादि सभी कारण भी उक्त पद्य के उक्त अर्थ के अनुसार भवितव्यता की अधीनता में ही प्राप्त हुआ करते हैं।” यत यह व्यवस्था जैन-दर्शन में मान्य नहीं की गयी है क्योंकि जैन-दर्शन की मान्यता के अनुसार प्राणियों के अर्थ की सिद्धि में देव और पुरुषार्थ दोनों ही परस्पर सहयोगी बनकर समान रूप में कारण हुआ करते हैं अतः उक्त पद्य की जैन-दर्शन की मान्यता के साथ विरोध की स्थिति निर्विवाद हो जाती है। इससे यह बात भी अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि जैन दर्शन की मान्यता के विरुद्ध होने के कारण इस पद्य को प० फूलचन्द्र जी द्वारा अपने पक्ष की पुष्टि में प्रमाण रूप से उपस्थित किया जाना अनुचित ही है। श्री मदकालकदेव ने उक्त पद्य का जो उद्धरण आत्ममीमांसा की ८६ वीं कारिका की अष्ट शती में दिया है उसमें उनका आशय इससे साक्षान् अपने पक्ष की पुष्टि का न होकर केवल पुनर्पार्थ से अर्थ सिद्धि मानने

वाले दर्शन के खण्डन करने मात्र का ही है। यही कारण है कि उक्त पद्य को उन्होंने जैन-दर्शन का अग न मानकर केवल लोकोक्ति के रूप में ही स्वीकार किया है। यह बात उनके (श्री मदकलक देव के) द्वारा उक्त पद्य के पाठ के अनन्तर पठित “इति प्रसिद्धे” वाक्यांश द्वारा ज्ञात हो जाती है। तात्पर्य यह है कि श्रीमदकलङ्क देव उन लोगों से—जो दैव की उपेक्षा करके केवल पौरुषमात्र से प्राणियों को अर्थ सिद्धि स्वीकार करते हैं—यह कहना चाहते हैं कि एक ओर तो तुम दैव के बिना केवल पुरुषार्थ से ही अर्थ की सिद्धि मानते हो और दूसरी ओर यह भी कहते हो कि अर्थ सिद्धि में कारणभूत बुद्धि, व्यवसायादि की उत्पत्ति या संप्राप्ति भवितव्यता से ही हुआ करती है। इस तरह बुद्धि, व्यवसायादि की उत्पत्ति या संप्राप्ति में दैव (भवितव्यता) को कारणता प्राप्त हो जाने से परस्पर विरोधी मान्यताओं को प्रश्रय प्राप्त हो जाने के कारण “केवल पुरुषार्थ से ही अर्थ सिद्धि होती है” यह मान्यता खण्डित हो जाती है।

एक बात और है कि उक्त पद्य का जो अर्थ प० फूलचन्द्र जी ने किया है वह स्वयं ही एक तरह से उनकी इस मान्यता का विरोधी है कि “कार्य केवल भवितव्यता (समर्थ उपादान शक्ति) से ही निष्पन्न हो जाया करते हैं निमित्त तो वहाँ पर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही बने रहते हैं।” क्योंकि उक्त पद्य से यही ध्वनित होता है कि कोई भी काय भवितव्यता के साथ-साथ बुद्धि, व्यवसायादि कारणों का सहयोग प्राप्त हो जाने पर ही निष्पन्न होता है। केवल इनकी विशेषता जानना चाहिये कि वे बुद्धि, व्यवसायादि सभी दूसरे कारण भवितव्यता के अनुसार

हां प्राप्त हुआ करते हैं । इसलिये उस पद्य को बुद्धि, व्यवसायादि मे अर्थ सिद्धि की विद्यमान कारणता का निषेधक कदापि नहीं कहा जा सकता है ।

यदि कहा जाय कि उक्त पद्य जब उक्त प्रकार से भवितव्यता के साथ-साथ बुद्धि-व्यवसायादि को भी कार्य के प्रति कारण बतलाता है तो फिर इसे जैन-दर्शन मे मान्यकारण व्यवस्था का विरोधी कहना असत्य है तो इस विषय मे मेरा कहना यह है कि पद्य मे कार्य के प्रति भवितव्यता के साथ-साथ जिन बुद्धि, व्यवसायादि की कारणता का समर्थन किया गया है उनकी उत्पत्ति अथवा प्राप्ति को उसी भवितव्यता की दया पर छोड़ दिया गया है जो कार्य की जननी है और यह बात अयुक्त है कि जो भवितव्यता कार्य की जननी है वही भवितव्यता उस कार्य की कारणभूत बुद्धि आदि की भी जननी है क्योंकि यदि ऐसा माना जायगा तो इस तरह अनवस्था दोष की प्रसक्ति होगी । इसका कारण यह है कि कार्य की कारणभूत बुद्धि आदि को भी यदि कार्य की कारणभूत भवितव्यता का ही कार्य माना जायगा तो उनकी उत्पत्ति के लिये अन्य बुद्धि आदि कारणो की आवश्यकता होगी और उनके भी भवितव्यता का कार्य हो जाने से उनकी उत्पत्ति के लिये भी 'अन्य बुद्धि आदि कारणो की आवश्यकता होगी—इस तरह अनवस्था दोष को टालना असभव हो जायेगा । इसलिये इस अनवस्था दोष को टालने के लिये यदि यह माना जाय कि कार्य मे कारणभूत बुद्धि आदि की उत्पत्ति के लिये अन्य बुद्धि आदि कारणो की अपेक्षा नहीं रहा करती है—उनकी उत्पत्ति तो केवल कार्य मे कारणभूत भवितव्यता से ही हो जाया

करतो है इसलिये अनवस्था दोष की प्रसक्ति नही होगी, तो इसका परिणाम यह होगा कि ऐसी दशा मे कार्य की उत्पत्ति को भी केवल भवितव्यता से मानने की प्रसक्ति हो जायगी तब इसका भी परिणाम यह होगा कि कार्य की उत्पत्ति मे बुद्धि आदि की अर्किचित्करता प्रसक्त हो जायगी । इस पर यदि प० फूलचन्द्र जी यह कहे कि कार्य तो केवल भवितव्यता के आधार पर ही उत्पन्न हुआ करता है बुद्धि आदि उसमे अर्किचित्कर ही रहा करते हैं तो इस विषय मे भी मेरा कहना यह है कि कार्योत्पत्ति के प्रति बुद्धि आदि को अर्किचित्कर मान लेने पर “तादृशी जायते बुद्धि” इत्यादि पद्य ही निरर्थक हो जायगा । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूर्व मे कार्योत्पत्ति के प्रति निमित्त कारणो की अर्किचित्करता का खण्डन और कार्यकारिता का समर्थन विस्तार से किया गया है उससे यह निर्णीत हो जाता है कि प० फूलचन्द्र जी का कार्य की उत्पत्ति को केवल भवितव्यता के आधार पर स्वीकार कर उसमे बुद्धि आदि की अर्किचित्करता को मानना मिथ्या है ।

इस तरह जैन-दशन की मान्यता के अनुसार तो यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि स्वपरप्रत्यय कार्योत्पत्ति मे जिस प्रकार उपादानकारणरूप से स्वत सिद्ध भवितव्यता कारण होती है उसो प्रकार निमित्त कारण रूप से अपने-अपने कारणो से निष्पन्न बुद्धि आदि भी कारण हुआ करते हैं । अपनी-अपनी सत्ता मे भवितव्यता और बुद्धि आदि दोनो ही एक दूसरे के अधीन नही है । इतना अवश्य है कि कार्योत्पत्ति मे दोनो ही एक दूसरे की अधीनता स्वीकार किये हुए है । अर्थात् वस्तु मे कार्योत्पत्ति की योग्यता हो लेकिन बुद्धि आदि का सहयोग उसे प्राप्त न हो

तो कार्योत्पत्ति नहीं होगी व इसी तरह बुद्धि आदि का सहयोग प्राप्त हो लेकिन भवितव्यता न हो तो भी वस्तु में कार्योत्पत्ति नहीं होगी। इसका फलितार्थ यह हुआ कि “तादृशी जायते बुद्धि” इत्यादि पद्य जैन-दर्शन की मान्यता के प्रतिकूल ही है क्योंकि जिस भवितव्यता से कार्य की उत्पत्ति होती है उसी भवितव्यता से उस कार्य की उत्पत्ति में कारणभूत बुद्धि आदि की उत्पत्ति अथवा संप्राप्ति मानना पूर्वोक्त प्रकार जैन-दर्शन की मान्यता के साथ समन्वय को प्राप्त नहीं होती है।

प० फूलचन्द्र जी ने जैनतत्त्वमीमासा के ‘उपादान निमित्त मीमासा’ प्रकरण में पृष्ठ ६७ पर अपने मन्तव्य की पुष्टि के लिये प० प्रवर टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ के अधिकार ३ पृष्ठ ८१ का उद्धरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि “तादृशी जायते बुद्धि” इस पद्य में प्रतिपादित कारण व्यवस्था को जैन-दर्शन में इसी ढंग से मान्य किया गया है। उनका वह कथन निम्न प्रकार है—

“सो इनकी सिद्धि होय तौ कपाय उपशमनेतै दुख दूरि होइ जाइ सुखी होइ। परन्तु इनकी सिद्धि इनके किये उपायनि के आधीन नाही, भवितव्य के आधीन है। जातै अनेक उपाय करते देखिये है अर सिद्धि न हो है। वहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाही, भवितव्य के आधीन है। जातै अनेक उपाय करना विचारै और एक भी उपाय न होता देखिये है। वहुरि काकतालीय न्यायकरि भवितव्य ऐसी ही होइ जैसा आपका प्रयोजन होइ तैसा ही उपाय होइ अर तातै कार्य की सिद्धि भी होइ जाइ तौ जिस कार्य सम्बन्धी कोई कपाय का उपशम होइ।”

प० फूलचन्द्र जो 'ने प० प्रवर टोडरमल जी के इस कथन के विषय में अपना मन्तव्य भी वही पर यह लिखा है कि "यह पण्डित प्रवर टोडरमल जी का कथन है मालूम पड़ता है कि उन्होंने "तादृशी जायते बुद्धि." इत्यादि श्लोक में प्रतिपादित तथ्य को ध्यान में रखकर ही यह कथन किया है इसलिये इसे उक्त अर्थ के समर्थन में ही जानना चाहिये ।

इस विषय में मेरा कहना यह कि प० फूलचन्द्र जी प० प्रवर टोडरमल जी के उल्लिखित कथन से जो अर्थ फलित कर रहे हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि मैं बतला आया हूँ कि जैन-दर्शन में केवल भवितव्य से कार्य सिद्धि न मानकर भवितव्य और पुरुषार्थ दोनों के परस्पर सहयोग से कार्य सिद्धि मानी गयी है । इसलिये जैन-दर्शन की इस मान्यता को ध्यान में रखकर ही प० प्रवर टोडरमल जी के कथन का आशय निकालना चाहिये ।

बात यह है कि प० प्रवर टोडरमल जी के उक्त कथन से यह तो प्रगट होता नहीं कि कार्य की सिद्धि केवल भवितव्य से ही हो जाती है उसमें पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं रहता है । वे तो अपने उक्त कथन से इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि कितने ही उपाय करते जावो यदि भवितव्य अनुकूल नहीं है तो कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है । लेकिन इससे यह निष्कर्ष तो कदापि नहीं निकाला जा सकता है कि यदि भवितव्य अनुकूल है तो बिना पुरुषार्थ के ही कार्य की सिद्धि हो सकती है । जैसे मैं पहले कई स्थलों पर स्पष्ट कर चुका हूँ कि मिट्टी में पट बनने की योग्यता नहीं है तो जुलाहा आदि निमित्त सामग्री का कितना ही योग मिलाया जावे उससे पट का निर्माण नहीं होगा, फिर



भी इससे यह निष्कर्ष तो कदापि नहीं निकाला जा सकता है कि मिट्टी में यदि घट के निर्माण की योग्यता है तो कदाचित् कुम्भकार आदि निमित्त सामग्री के सहयोग के बिना ही घट का निर्माण हो जायगा ।

सत्य बात तो यह है कि एक ओर तो मिट्टी में पटनिर्माण की योग्यता के अभाव में जुलाहा आदि निमित्त सामग्री का सहयोग उससे पट के निर्माण में सर्वदा असमर्थ ही रहेगा और दूसरी ओर उस मिट्टी से घट निर्माण की योग्यता के सद्भाव में भी घट का निर्माण तभी संभव होगा जब कि उसे कुम्भकार आदि निमित्त सामग्री का अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और जब तक उसे कुम्भकार आदि निमित्त सामग्री का सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक उससे घट का निर्माण असंभव ही रहेगा । यह बात दूसरी है कि उस समय मिट्टी को जैसी अनुकूल निमित्त सामग्री का सहयोग प्राप्त होगा वैसा ही कार्य उस मिट्टी से उस समय उत्पन्न होगा ।

प० प्रवर टोडरमलजी के उक्त कथन का यह भी अभिप्राय नहीं है कि अमुक मिट्टी से चूकि घट का निर्माण होना है अतः उसकी प्रेरणा से कुम्भकार तदनुकूल व्यापार करता है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाय तो व्यक्ति को कभी कार्य में असफलता नहीं मिलनी चाहिये, दूसरे यह बात अनुभव के भी विरुद्ध है । इसका कारण यह है कि लोक में कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के करते समय यह अनुभव नहीं करता है कि चू कि अमुक वस्तु से इस समय अमुक कार्य निष्पन्न होना है इसलिये मेरा व्यापार उसके अनुकूल हो रहा है । इसके विपरीत वह तो कार्योत्पत्ति के समय केवल इतना

ही जानता है कि अमुक कार्य मुझे उत्पन्न करना है और वह मेरे प्रयत्न द्वारा अमुक वस्तु में उत्पन्न हो सकता है इसलिये वह तदनुकूल प्रयत्न करने लगता है। अब यदि उस वस्तु में उस कार्यरूप परिणत होने की योग्यता है और उसका प्रयत्न भी तदनुकूल हो रहा है तो उसमें उम कार्य की उत्पत्ति पूर्ण निमित्त सामग्री का सहयोग मिलने पर हो जाती है और यदि उस वस्तु में उस कारुरूप परिणत होने की योग्यता नहीं हो, या उम व्यक्ति का प्रयत्न उसके अनुकूल न हो अथवा सम्पूर्ण आवश्यक निमित्त सामग्री का सहयोग प्राप्त न हो तो उससे वह कार्य निष्पन्न नहीं होगा या जैसी योग्यता हो, अथवा जैसा प्रयत्न हो या जैसी निमित्त सामग्री का सहयोग प्राप्त हो वैसा ही कार्य उस वस्तु से होगा। अर्थात् वस्तु की योग्यता, व्यक्ति का प्रयत्न और अन्य निमित्त सामग्री का योग मिलने पर ही विवक्षित कार्य की उत्पत्ति हुआ करती है। यही कारण है कि वस्तुगत योग्यता का ठीक-ठीक ज्ञान न होने पर अथवा व्यक्ति की अपनी अकुशलता के कारण अथवा अन्य निमित्त सामग्री की अनकूलता के कारण व्यक्ति को अनेको बार विवक्षित कार्य की उत्पत्ति में असफलता ही हाथ लग जाया करती है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भवितव्यता हो, तदनुकूल उपाय किये जावें और तदनुकूल अन्य निमित्त सामग्री का सहयोग प्राप्त हो तो विवक्षित कार्य की सिद्धि नियम से होगी, अन्यथा तीनों में से किसी एक भी कारण का यदि अभाव होगा तो विवक्षित कार्य की सिद्धि नहीं होगी।

इस विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प० फूलचन्द्रजी प० प्रवर टोडरमल जी के उक्त कथन से जो 'तादृशी

जायते बुद्धिः” इस पद्य का समर्थन करना चाहते हैं वह उचित नहीं है।

यद्यपि प० प्रवर टोडरमल जी ने अपने उल्लिखित कथन में लिखा है कि “बहुरि उपाय बनना भी अपने आधीन नाही भवितव्य के आधीन है”, परन्तु इससे भी प० फूलचन्द्रजी के इस अभिप्राय का समर्थन नहीं होता है कि “जो भवितव्यता कार्य की जनक है वही भवितव्यता उस कार्य में कारणभूत बुद्धि और पुरुषार्थ आदि की जनक होती है।” इसका कारण यह है कि प० प्रवर टोडरमलजी के कथन में भवितव्यता शब्द से सामान्यतया चेतन रूप और अचेतन रूप सभी तरह के कार्यों की उपादानशक्ति को नहीं ग्रहण किया गया है, केवल प्राणियों की अर्थसिद्धि में कारणभूत भवितव्यता को ही ग्रहण किया गया है, अतः ऐसी भवितव्यता जीव के पारिणामिक भाव भव्यत्व या अभव्यत्व ही हो सकते हैं अथवा कर्म के यथासंभव उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से प्राप्त अर्थसिद्धि के अनुकूल जीव की योग्यता हो सकती है। अब यहाँ पर ध्यान इस बात पर देना है कि मान लीजिये—किसी व्यक्ति में धनी बनने की योग्यता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल योग्यता का सद्भाव होने में ही धनी बन जायगा—यह मान्यता जैनदर्शन की नहीं है किन्तु जैनदर्शन की तो मान्यता यह है कि उस व्यक्ति को धनी बनने के लिये अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा, तदनुकूल पुरुषार्थ करना होगा तथा उसमें तदनुकूल अन्य महत्कारी कारण भी अपेक्षित होंगे। यह जो प० फूलचन्द्रजी के कहे अनुसार सिद्ध होता है कि उस व्यक्ति में पायी जाने वाली धनी बनने की योग्यता ही “तादृशी जायते बुद्धि”

इत्यादि पद्य के अनुसार बुद्धि, पुरुषार्थ तथा अन्य साधन सामग्री को संग्रहीत कर लेगी, तो यह कथन जैनदर्शन की मान्यता के विपरीत है—यह मैं पूर्वं में स्पष्ट ही कर चुका हूँ। उनना होने पर भी मैं यह मानने के लिये तैयार हूँ कि जैनदर्शन की मान्यता के अनुसार भी व्यक्ति में बुद्धि का उद्भव तदनुकूल ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से प्रकटता को प्राप्त योग्यता ( भवितव्यता ) के आधार पर ही होता है और यही बात पुरुषार्थ के उद्भव में भी समझ लेना चाहिये। उस प्रकार प० प्रवर टोडरमल जी ने जो यह लिखा है कि "उपाय बनना अपने आधीन नहीं भवितव्य के आधीन है" यह न तो असंगत है और न जैन-दर्शन के प्रतिष्ठान ही है, कारण कि प्राणियों की अर्थाभिवृद्धि में जो भी बुद्धि, पुरुषार्थ आदि उपाय अपेक्षित रहते हैं वे सब अपने-अपने अनुकूल ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयोपशम आदि के आधार पर निष्पन्न भवितव्यता के आधार पर ही हुआ करते हैं।

इस प्रकार यदि यह दृष्टि "तादृशो जायते बुद्धि." इत्यादि पद्य का अर्थ करने में अपनाया जावे तो फिर इसके साथ भी जैन-दर्शन में मान्य कारण व्यवस्था का कोई विरोध नहीं रह जाता है।

अन्त में मैं पुनः इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि हमारे बुद्धि, व्यवसाय आदि उसी भवितव्यता के अनुसार हुआ करते हैं जो कार्य को जननी होती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा कार्य करने का सकल्प भी उसी भवितव्यता के अनुसार ही होना चाहिये, ऐसी हालत में कार्य के विषय में

‘मनुष्य जैसा चाहता है वैसा ही कार्य नियम से होना चाहिये, इस तरह “मनुष्य चाहता तो कुछ और है और कार्य कुछ होता है” यह स्थिति कदापि नहीं होनी चाहिये।

एक और भी अर्थ “तादृशी जायते बुद्धि” इत्यादि पद्य का किया जा सकता है, वह यह है कि जिस कार्य के अनुकूल वस्तु में भवितव्यता (उपादान शक्ति) विद्यमान रहती है उस वस्तु से समझदार व्यक्ति उसी कार्य के उत्पन्न करने की बुद्धि (भावना) करता है और वह पुरुषार्थ भी तदनुकूल ही करता है तथा वहाँ पर तदनुकूल सहायक साधनों का उपयोग होता है। इस तरह पद्य का यदि ऐसा अभिप्राय निकाला जाय तो भी जैन-दर्शन की मान्यता के साथ इसका विरोध नहीं रह जाता है।

तात्पर्य यह है कि उक्त पद्य का जो भी अर्थ किया जाय उससे प० फूलचन्द्र जी का यह मत पुष्ट नहीं होता है कि “भवितव्यता (उपादान शक्ति) से ही कार्य उत्पन्न होता है, निमित्त वहाँ अकिञ्चित्कर ही रहा करते हैं।”

इस प्रकार “कार्य के प्रति निमित्तों की सार्थकता” नामक इस प्रकरण में मैंने अनुभव, इन्द्रियप्रत्यक्ष, तर्क और यथावश्यक आगम के प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कार्योत्पत्ति के लिये जिस प्रकार वस्तु की निजी योग्यता आवश्यक है उसी प्रकार यदि वह कार्य स्वपरप्रत्यय हो तो वहाँ सहायक होने रूप से निमित्त सामग्री की भी आवश्यकता है। अर्थात् प्रत्येक स्वपरप्रत्यय कार्य प्रत्येक वस्तु में उसमें विद्यमान निजी उपादान शक्ति तथा अनुकूल निमित्त

सामग्री के सहयोग से ही हुआ करते हैं। यानि कार्यरूप परिणत तो उपादान ही होता है लेकिन उसका वह परिणमन अनुकूल निमित्त सामग्री का सहयोग मिलने पर ही होता है। इसके अतिरिक्त जो भी वस्तु के स्वप्रत्यय कार्य हुआ करते हैं वे निमित्तों के सहयोग के बिना केवल वस्तु की उपादान शक्ति के आधार पर ही कालक्रम से होते रहते हैं। इतना अवश्य है कि कोई भी कार्य केवल परप्रत्यय नहीं हुआ करते हैं।

यद्यपि इस प्रकरण से जैनतत्त्वमीमासा के प्राय सभी विषय मीमासित हो जाते हैं फिर भी शेष विषयों की मीमासा दूसरे भाग में यथावश्यक रूप से की जायगी।

॥ इति ॥

## आवश्यक शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
५	१५	लिखा जाना	लिखे जाने
७	४	जैनतत्त्वमीमासा प्रारम्भ	जैनतत्त्वमीमासा की मीमासा प्रारम्भ
७	५	तत्त्वमीमासा	जनतत्त्वमीमासा
७	७	”	”
८	२	होना है	होता है
१०	१८	होकर	हाने पर
१२	२०	मतभेद कहा कहा है ?	इस वाक्यको पक्ति २०से अलग करके उपशीर्षक के रूप में पृथक् पढ़ना चाहिये ।
१६	५	जहां भी प० फूलचन्द्र जी	जहा प० फूलचन्द्र जी
१६	१२	भिन्न रखने वालो	भिन्न मत रखने वालो
१६	२५	कहना है जब	कहना है कि जब
१७	५	निमित्त	निमित्तो
१८	३	”	”
१९	६-१०	अस्पष्ट, गलत	अस्पष्ट, गलत
२०	४	गाथा १८३	गाथा १८२
२०	६	गाथा १८४	गाथा १८३

पृष्ठ	पक्ति	अमुद्रि	मुद्रि
२०	७	होना है	होना है
२१	८, ९, १०	आदि लौकिक पद्यों का महान लिखा है।	"साहसो जायते वृद्धिः व्यवसायश्च साहसः । "साहसो जायते वृद्धिः महामास्ताहसा नन्तिः व्येवसायश्च साहसः साहसो कवितव्यता ।" सहायान्ताहसा नन्ति आदि लौकिक पद्यों का साहसो भवितव्य- सहारा निदा है । ता ॥"
२३	२६	हो जाते हैं ।	होते जाते हैं ।
२४	२२	अपेक्षा अपेक्षित हो	सहायता अपेक्षित हो
२६	१६	सुयकान्तमणि	सुयकान्तमणि
३१	१३	स्वत. मिद्वय्	स्वन. सिद्धय्
३५	९	नश्यानियत	सग्या नियत
३५	१८	पररूपेणापरिणमवाद	पररूपेण परिणम नाद
३७	१४	वरत्वस्ति	वस्त्वस्ति
४०	११	एव च एति	एव च सति
४१	७	घट मौलिमुवर्णार्थो	घटमौलि सुवर्णार्थो
४६	८	भेद कारण	भेद का कारण
५४	११	यकपने	ज्ञायकपने
५७	९	दृष्टान्त	दाष्टान्त
५८	२	करण	कारण
५९	७	निमित्त प्रधान	यथावश्यक निमित्त प्रधान
५९	२४	गुण विघादो	गुणु प्याधो
५९	२५	॥ ३७७ ॥	॥ ३७२ ॥
६१	१९	अकिंत्करता	अकिंचित्करता



पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
६२	२३, २४	शब्दादीना	शब्दादिना
६४	१५	दोनो	दोनो के
६७	१५	प्रत्येक परिणमन	प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक परिणमन
६७	१६	परिणमन स्वभाव	परिणमन-स्वभाव
६७	२०	आवती	आवली
६८	१५	कथन	कथन करना
६९	२२, २३	स्व सापेक्ष पर निरपेक्ष तथा स्व- परसापेक्ष	(स्वसापेक्ष परनिरपेक्ष तथा स्वपरसापेक्ष)
७०	६	स्वसापेक्ष पर- निरपेक्ष	स्वसापेक्षपरनिरपेक्ष
७२	१	तो	तब
७५	३	परपदार्थ व गाहक	परपदार्था व गाहक
७५	२३	मुख—	मुख
८१	२६	यही कारण है	यही कारण है कि
८२	६	अपके	अपने
८४	१७	प्रतिफलनि	प्रतिफलति
८७	१६	पुद्गल द्रव्य	अनन्त पुद्गल द्रव्य
८८	२१	नही नही	नही
८८	३	वर्णन	वर्तन
८८	१४	जीव को	जीव की
८९	३	समस्त प्रतिक्षण	समस्त पदार्थ प्रतिक्षण
८९	१०	एकस्पर्शन	एक स्पर्शन
८९	१२	नासिक	नासिका

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
६१	२३	दर्शन को	दर्शन का
६२	१	आगम के	आगम मे
६२	११	प्रतिभास न	प्रतिभासन
६३	२	रहते हुए	रहते हुए भी
६३	६	निर्णित	निर्णीत
६३	२२	पर व्यवसायात्म	परव्यवसायात्मकता का
		का	
६४	१६	दर्शन का सद्भाव	दर्शन का सद्भाव
६५	२	पाँच प्रकार	पाँच प्रकार का
६६	५	जो जिसमे	जिसमे
६७	५	आत्मान परम्	आत्मन परम्
६७	७	अर्थज्ञान	अर्थ ज्ञान
६७	१३	इन्द्रियो मे किसी	इन्द्रियो मे से किसी भी
		इन्द्रिय द्वारा	इन्द्रिय द्वारा
६७	२५	पदार्थ आकार का	पदार्थ के आकार का
६८	६	होने होने वाले	होने वाले
६८	११	केवय ज्ञान मे	और केवलज्ञान मे
६८	१६	और चूँकि ये	और ये तीनों ज्ञान
		तीनों ज्ञान	
६९	५	पदार्थ दर्शन का	पदार्थ दर्शन का असद्भाव
		सद्भाव	
१००	१०	प्रत्येकज्ञानदर्शनके	प्रत्येक ज्ञान दर्शन के
१०३	१५	उदासीन रूप से	उदासीन रूप से ही निमित्त
		निमित्त ही	
१०४	११	अखण्डता के	अखण्डता को लिये हुए
		लिये हुए	

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
१०८	६	यही	यहा
११०	१३-१४	जीव पुद्गल	जीव और पुद्गल
१११	२३	अभव्यत्त्व	अभव्यत्व
११४	१५	सम्यग्दर्शन प्राप्ति	सम्यग्दर्शन की प्राप्ति
११७	११	विरोध्वत्	विरोधात्
११७	१७	शुद्धिभाजायात्मना	शुद्धि भाजामात्मना
१२२	४	सादि है	व्यक्ति सादि है
१२२	६	पार तत्र्यस्यानु- भावात्	पार तत्र्यस्यानुभवात्
१२२	१४	अशुद्ध शक्ति	अशुद्धि शक्ति
१२५	२	दृष्टान्त	दार्ष्टान्त
१२५	५	दृष्टान्त के साथ	दार्ष्टान्त के साथ
१२५	११	दृष्टान्त के साथ	दार्ष्टान्त के साथ
१२५	१७	योगान्तिश्चयिते	योगान्तिश्चीयते
१२६	६	प्रत्येक जीवो	प्रत्येक जीव
१३०	६	बद्धस्पृष्ट अवद्ध स्पृष्ट	बद्ध स्पृष्ट और अबद्ध स्पृष्ट
१३१	६	बद्ध समाप्त	बद्ध स्थिति समाप्त
१३३	२१	पारिणामकौ	पारिणामिकौ
१३४	१८	अधिक आवश्यक	अत्यन्त आवश्यक
१३५	२२	नोकर्म परिणत	नोकर्म रूप परिणत
१३५	२४	गाथा ८६	गाथा ८०
१३७	१४	नियत रूप रूप से	नियत रूप से
१३८	१८	रूप मे छोडकर	रूप को छोडकर

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
१४०	१५	एक से अर्थ	एक ही अर्थ
१४०	१६	देशाशो पर	देशाशो
१४४	२२	जो स्वीकार किया गया है तो	जो स्वीकार किया गया है इसका आशय यह है कि
१४६	२४	उनके आकार का होता है तो	उनके आकार का होता है इसका आशय यह है कि
१५०	१०-११	अवस्था निमित्त	अवस्था में निमित्त
१५१	६	स्थान-स्थान उस पर तो	उस पर तो यथास्थान
१५४	४	परिणति सहायक	परिणति मे सहायक
१५७	८	निमित्त नैमित्तिक भाव	निमित्त नैमित्तिक भाव
१५८	१-२	व्यवहारमय	व्यवहारनय
१६०	४	पदार्थों से	पदार्थों मे
१६१	१६	इसको वात अवश्य है एक की	इसकी वात अवश्य है कि एक की
१६१	१७	रहने से निश्चय-	रहने से वह निश्चयनय का नय का
१६१	१६	रहने से व्यवहार-	रहने से वह व्यवहारनय का नय का
१६१	२३	शब्दो द्वारा प्रति-पादन	शब्दो द्वारा अर्थ का प्रति-पादन
१६७	२	भूलार्थ	भूतार्थ
१६७	१२	सप्तार्चि प्रत्ययी-पठ्य	सप्तार्चि प्रत्ययीपूष्प
१६६	४	कथचित्	कल्पित

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
१६६	६	नयाश्रित	द्वयाश्रित
१७३	११	प्रदेशका प्रदेशवान	प्रदेश और प्रदेश वान
१७७	१-१२	गाथा न० २५, २६	गाथा न० २०, २१, २२, २३
		२७, २८, २९, ३०	२४, २५
१७७	५	एव	एय
१७७	१२	सक्का	सत्तो
१७८	१४	पाये जाने वाले	पाये जाने वाले सयोग तथा सयोग के आधार पर पाये जाने वाले
१७८	१६	इनमे केवल इतना ही अन्तर स्वतंत्र	केवल तादात्म्य और सयोग मे इतना ही अन्तर है कि
१८७	७	आत्मा कल्याण	आत्मकल्याण
१८७	९	आत्म ज्ञान मे	आगम ज्ञान मे
१९०	२०	मिथ्या का	मिथ्या या
१९४	१५	बद्धदशा का	बद्ध दशा
१९६	३	सद्भूत बद्धता सयोग	सद्भूत बद्धता रूप सयोग
१९९	१८	पर अपने आप	पर यह अपने आप
१९९	२०	समाज करने	समाप्त करने
२००	४-५	यथा सभव मे	यथा सभव
२०२	११	पर जीव के	पर होने वाली जीव के
२०४	४	उपयुक्ताकाररूप	उपयुक्ताकार रूप
२१०	१	इसदतन	इरादतन
२१०	२५	मे था क्रम से	मे यथाक्रम से
२१२	१८	व्यवहार आदि सम्यक् चारित्र	व्यवहार सम्यक् चारित्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
२२१	२५	पापाचरण व्यवहार	पापाचरण रूप व्यवहार
२२४	७	हेतु को बनाकर	हेतु बनाकर
२२८	२४	जीव केवलज्ञान	जीव के केवल ज्ञान
२२९	५	प्रसक्त	प्रसक्त
२३३	७	हो जाती है	हो जातो हो
२३४	११	कार्माणि वर्गणा रूप	कार्मण वर्गणा रूप
२३४	१९	कार्माणि वर्गणा मे	कार्मणि वर्गणायें
२३७	१२-१३	ते सयमपरिणमते	ते सयमपरिणमते कह गु कह तु परिणाम परिणामयदि चेदा ॥ गा० यदि पाणी ॥ गा० ११८ का उक्त० १२५ का उत्तरार्ध
२३७	२२-२३	त सयमपरिणमत	त सयम परिणमत कह गु कह परिणामयेदि परणामयदि कोहो ॥ गा० कोहत्ता ॥ गा० १२३ का उत्तरार्ध ॥ १२८ का उत्तरार्ध
२३८	२०	कार्य-कर्तव्य	कार्य कर्तृत्व
२४३	८	घटरूप	पटरूप
२५७	१६	युक्त द्रव्य	युक्त
२६३	२	इस बात मे कि	इस बात मे है कि
२८३	११	निरपेक्ष पर निर- पेक्ष	निरपेक्ष, परनिरपेक्ष
२६४	१६-१७	पैदा ही नहीं होता है	पैदा होता है

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
२६४	१६	तब वे	जब वे
२६६	५	सकप	सकल्प
२६६	१२	प० जगन्मोहन लाल जी कर	प० जगन्मोहन लाल जी का
२६६	१७	प्रश्न	प्रश्न है
२६६	२५	निमित्ता नैमित्तिक	निमित्त नैमित्तिक
२६६	१२	केवल त्रान	केवल ज्ञान
२६६	२६	उस हाल मे	उस हालत मे
२७०	७	प्रयात	प्रपात
२७०	१५	उनके समक्षी	सपक्षी
२७०	१५	अर्त्तित्कर	अर्त्तित्कर
२७४	१८	शब्द से	शब्द मे
२८२	४	परिणमन न तो	परिणमन तो
२९५	७	कहा जाना	कहा जाता
२९५	१४	द्रव्य समर्थ	द्रव्य रूप समर्थ
३००	२३	सभवति	सभवति
३०१	१३	आत्मा को	आत्मा का
३०६	१७	उपयुक्ताकार भाव वर्ती	उपयुक्ताकार ज्ञान रूप भाववती
३०७	६	सातिशय क्षयोपशम	सातिशय क्षयोपशम अथवा क्षय
३०६	१७	यह आश्रय	यह आशय
३११	८	इसका अवश्य है	इतना अवश्य है
३२१	१०	निष्क्रिया	निष्क्रियता

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
३२४	१५	अनुचरित	अनुपचरित
३२५	२४	लथात्	अर्थात्
३२५	२५	जसे	जैसे
३२६	२१	उपचरित अर्थ	उपचरित अर्थ के
३३४	१५	वरिरग कर्तृत्व	वहिरग कर्तृत्व
३३६	१४	जैसे व्यवहार रत्न-	जैसे व्यवहार रत्नत्रय
		त्रय	
३३७	२२	अन्न क	अन्न के
३३९	२१	प्रतिपादन करके	प्रतिपादन न करके
३४४	८	वह पर	वहाँ पर
३४५	१	यह बात दूसरी	यह बात दूसरी है
३५०	६	कुम्भ कर्तव्य	कुम्भ कर्तृत्व
३६०	३	सहायास्तदृशः	महापाम्नादृशा
३६४	२४	केवल उनकी	केवल इतनी
		मेरा कहना यह	मेरा कहना यह है

